संयुक्त प्रान्त के सामान्य प्रशासन

की

रिपोर्ट

सन १९४९ ई०

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

१९५१

[मूल्य ३ रुपया ८ आना

विषय–सूची

भाग १—सामान्य संक्षिप्त विवरण

पृष्ठ

१—सामान्य राजनैतिक पृष्ठभूमि .. .. १—२
२—प्रान्तीय सिंहावलोकन .. .. २—६
३—साम्प्रदायिक स्थिति .. .. ६—७
४—समाचार-पत्र और जनमत .. .. ७—१२
५—श्रम स्थिति १२
६—कृषि संबंधी समस्यायें १२
७—कृषि संबंधी स्थिति .. .. १२—१३
८—कृषि विकास १३
९—व्यापार की स्थिति १३
१०—प्रान्त की वित्तीय स्थिति १४
११—सहकारी आन्दोलन .. .. १४—१५
१२—पशु-पालन .. .. १५—१६
१३—मत्स्य-पालन .. .. १६—१७
१४—वन १७
१५—सार्वजनिक निर्माण कार्य—
(क) भवन तथा सड़कें १८
(ख) सिंचाई .. .. १८—२१
१६—आबकारी २१
१७—शिक्षा .. .. २१—२२
१८—स्थानीय स्वशासन .. .. २२—२४
१९—चिकित्सा संबंधी सहायता .. .. २४—२५
२०—जन-स्वास्थ्य .. .. २५—२६
२१—अदालतें और जेल .. .. २६—२७
२२—अपराध और पुलिस २८
२३—वाहन .. .. २८—२९
२४—खाद्य तथा रसद .. .. २९—३२
२५—सहायता तथा पुनर्वास .. .. ३२—३४
२६—विधान मंडल .. .. ३४—३६

भाग २—विस्तृत अध्याय

अध्याय १—सामान्य प्रशासन और स्थिति

१—१९४९ ई० में सरकार के कर्मचारिगण ३७
२—प्रशासकीय कार्यवाहियां .. .. ३८—४७
३—वर्ष कैसा रहा .. .. ४७—४८

अध्याय २—भूमि प्रशासन

४—मालगुजारी, कृषि संबंधी अग्रऋण तथा नहरों के महसूलों की वसूली .. ४८
५—पैमाइश, तरमीम कागजात और बंदोबस्त की कार्यवाहियां .. ४८—४९

पृष्ठ

६—कागजात देही ४९
७—कृषि भूमि के क्षेत्र (कब्जा आराजी के क्षेत्र) .. .. ४९—५०
८—सरकारी आस्थान .. .. ५१—५२
९—कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन आस्थान .. .. ५२—५३
१०—माल की अदालतें .. .. ५३—५४

अध्याय ३—शान्ति-व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन

११—विधि निर्माण का क्रम .. .. ५४—५६
१२—गृह—
(क) पुलिस .. .. ५६—५८
(ख) फौजदारी .. .. ५८—६२
(ग) जेल .. .. ६२—६३
१३—हरिजन उत्थान और उद्धार .. .. ६४—६५
१४—दीवानी न्यायालय .. .. ६५—७०
१५—फौजदारी न्याय-व्यवस्था .. .. ७०—७२
१६—रजिस्ट्री .. .. ७२—७३
१७—पंचायत राज .. .. ७३—७५
१८—जिला बोर्ड .. .. ७५—८०
१९—म्युनिसिपल बोर्ड .. .. ८०—८६
२०—नोटीफाइड एरिया ८६
२१—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट .. .. ८६—८७

अध्याय ४—उत्पादन तथा वितरण

२२—कृषि .. .. ८७—९०
२३—वन .. .. ९०—९२
२४—उद्योग-धंधे .. .. ९२—१००
२५—खानें और पत्थर की खानें १००
२६—श्रम .. .. १००—१०३
२७—सहकारी समितियां .. .. १०३—१०६
२८—गन्ना विकास .. .. १०७—१०८
२९—ग्राम सुधार .. .. १०८—१०९
३०—विकास संबंधी समन्वय .. .. १०९—११४
३१—उपनिवेशन .. .. ११४—११९
३२—सार्वजनिक निर्माण कार्य—
(क) भवन तथा सड़कें .. .. ११९—१२५
(ख) सिंचाई .. .. १२५—१३०
३३—वाहन .. .. १३०—१३४
३४—खाद्य तथा रसद .. .. १३४—१४४
३५—सहायता तथा पुनर्वास .. .. १४४—१५०

अध्याय ५—सरकारी राजस्व तथा वित्त

३६—केन्द्रीय राजस्व १५०
३७—प्रान्त की वित्तीय स्थिति . .. १५०—१५८

	पृष्ठ
३८—स्टाम्प	१५८
३९—आबकारी	१५८—१६१
४०—बिक्री-कर	१६१

अध्याय ६—जन-स्वास्थ्य, पशु-पालन तथा मत्स्य-पालन

४१—जन-स्वास्थ्य	१६२—१६४
४२—चिकित्सा—	
(क) एलोपैथी	१६४—१६७
(ख) देशी औषधियां	१६७—१६८
४३—पशु-पालन	१६८—१७३
४४—मत्स्य-पालन	१७३—१७८

अध्याय ७—शिक्षा और कलायें

४५—शिक्षा	१७९—१८४
४६—१९४९ ई० में साहित्यिक प्रकाशन	१८४
४७—कला और विज्ञान	१८४—१८५
४८—सूचना और प्रख्यापन	१८५—१८८

अध्याय ८—विविध

४९—अर्थ तथा संख्या	१८८—१९०
५०—शक्कर कमीशन, उत्तर प्रदेश तथा बिहार	१९०—१९५
५१—प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड	१९६—१९९
५२—सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	१९९—२००
५३—बिजली	२००
५४—कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन	२००—२०१
५५—कानपुर विकास बोर्ड	२०१
५६—टाम्सन इंजीनियरिंग कालेज, रुड़की	२०१—२०२
५७—सरकारी कार्यालयों का निरीक्षकवर्ग	२०२
५८—स्थानीय कोष लेखा परीक्षा	२०२—२०५
५९—महाप्रशासक (Administrator General) तथा राजकीय ट्रस्टी, संयुक्त प्रान्त का कार्यालय	२०५—२०६
६०—मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	२०६

टिप्पणी—रिपोर्ट के भाग १ में शीर्षक, सामान्य संक्षिप्त विवरण के अन्तर्गत १९४९ ई० के कलेन्डर वर्ष की घटनाओं का वर्णन किया गया है। भाग २ में सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यों का विस्तृत वर्णन है और यह भाग उन विभागीय रिपोर्टों पर आधारित है, जो आलोच्य विषयों के अनुसार १९४८–४९ ई० के वित्तीय वर्ष, १९४८–४९ ई० के मालगुजारी वर्ष, १९४८–४९ ई० के कृषि-वर्ष अथवा १९४९ ई० के कलेन्डर वर्ष से सम्बन्ध रखती हैं।

संयुक्त प्रान्त के प्रशासन की रिपोर्ट, १९४९ ई०

भाग १

सामान्य संक्षिप्त विवरण

१—सामान्य राजनैतिक पृष्ठ-भूमि

किसी भी दृष्टिकोण से क्यों न देखा जाय, १९४९ ई० का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए अभी तीन वर्ष हुए थे और यद्यपि भारत की स्वतंत्रता शैशवावस्था में थी फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों में इसकी आवाज ध्यानपूर्वक सुनी जाने लगी थी। यह अब संयुक्त राष्ट्र संगठन में तथा उसकी सुरक्षा परिषद् में एशिया का प्रवक्ता तथा इसके उन करोड़ों व्यक्तियों के महत्वाकांक्षाओं का व्यक्त करने वाला समझा जाने लगा, जो राष्ट्रों के बीच अपना उचित स्थान ग्रहण करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। भारत विश्व राजनीति में आमतौर पर एशिया का नेतृत्व करने वाला माना जाने लगा, क्योंकि महात्मा गांधी के उच्च आदर्शों से इसे प्रेरणा मिली थी। शक्तिशाली गुटों से पूर्णतया अलग रहने तथा पूर्वी गोलार्द्ध में युद्ध की दृष्टि से इसकी स्थिति महत्वपूर्ण होने से इसकी आवाज को विशेष महत्ता दी जाने लगी। फिर भी यह स्थिति किसी भी प्रकार सुगम नहीं थी वरन् इसमें बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां और उनसे भी अधिक कठिनाइयां थीं। कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ इसका जो अन्तर-डोमिनियन झगड़ा चला हुआ था उसे संयुक्त राष्ट्र संगठन के सुपुर्द कर देने से यह सिद्ध हो चुका था कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मतभेदों को सौहार्द्रपूर्ण रीति से तय किये जाने के पक्ष में है और कथनों का व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने से अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में न केवल संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धान्तों के दृढ़ समर्थक के रूप में वरन् विश्वशान्ति के लिये एक वास्तविक शक्ति के रूप में भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी। इसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में इसके चुने जाने से, जो कि स्पष्टतया इसके शान्तिपूर्ण इरादों को स्वीकार करते हुए किया गया था, इसकी गणना न केवल विश्व के शान्तिपूर्ण देशों में ही होने लगी वरन् इसका यह भी प्रभाव पड़ा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गयीं। अमेरिका में सरकारी तौर पर प्रथम बार जाने के अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और वहां की जनता ने भारत के माननीय प्रधान मंत्री का जो हार्दिक स्वागत किया उससे निस्संदेह यह बात प्रकट हो गई कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवजात भारतीय गण-तंत्र राज्य को तीन ही वर्ष के भीतर कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। इसके विपरीत पाकिस्तान के साथ जो अन्तर-डोमिनियन सम्बन्ध थे उनके बारे में स्थिति अब भी भीषण कठिनाइयों और विस्फोटक सम्भावनाओं से परिपूर्ण थी। भारत के विभाजन के कारण दो राज्यों (डोमिनियनों) के बीच जो घृणा की भावना पैदा हो गई थी वह दुर्भाग्यवश समय बीतने के साथ-साथ मिट जाने के बजाय अब भी बनी हुई थी और कश्मीर के आक्रमण में पाकिस्तान का हाथ होना इसका प्रधान कारण था। इसके अतिरिक्त यदि इन दोनों डोमिनियनों के बीच प्रमुख विवादास्पद प्रश्नों में से केवल कुछ का ही उल्लेख किया जाय तो निष्क्रान्त सम्पत्ति का पुराना प्रश्न, दो पंजाबों के बीच नहर के पानी का झगड़ा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति किया जाने वाला बर्ताव तथा अन्तर-डोमिनियन व्यापार सम्बन्धी तनाव की स्थिति, ऐसे बड़े-बड़े

प्रश्न थे जो बराबर परेशानी के कारण बने रहे और ये विवादग्रस्त प्रश्न तभी हल हो सकते थे जब कि भारत पाकिस्तान की शर्तें मानने को राजी हो जाता। घरेलू मोर्चे पर, खाद्यान्न स्थिति, आर्थिक स्थिति तथा मुद्रास्फीति के कारण सरकार काफी चिन्तित रही। इसके अतिरिक्त अनेक वर्षों की राजनीतिक पराधीनता के पश्चात् देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने से तथा नये गणतंत्रात्मक संविधान द्वारा सुरक्षित वाक् स्वातंत्र्य और संघ बनाने के स्वातंत्र्य से जो थोड़ा बहुत आवेश उत्पन्न हो गया था और जो अस्वाभाविक नहीं था उसके कारण भी सरकार चिन्तित रही।

२—प्रान्तीय सिंहावलोकन

गत वर्ष की भांति जब कि महात्मा गांधी का निधन हुआ था, आलोच्य वर्ष में भी महान् देशभक्त और संयुक्त प्रान्त की लोकप्रिय महामान्या गवर्नर महोदया श्रीमती सरोजिनी नायडू के निधन से राष्ट्र को गहरी क्षति पहुंची। उनकी मृत्यु से एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा काम किया था और जिसने इसकी गन्दी राजनीति को उज्ज्वल कर दिया था। उनकी मृत्यु से विशेषकर मंत्रिमंडल का एक प्रमुख परामर्शदाता चला गया और वह भी ऐसे समय जब कि सामान्य स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। कांग्रेस सरकार के पदग्रहण करने का यह चौथा वर्ष था और शीघ्रता से प्रान्त की आर्थिक उन्नति करने तथा यहां की जनता के सुख-सन्तोष के लिये किये गये प्रयत्नों के बावजूद भी लक्ष्य अब भी काफी दूर था। जल्दी-जल्दी होने वाली बहुत सी घटनाओं तथा ऐसे कारणों से जो वश के बाहर थे, लगातार बाधा पहुंची, जिससे यह कठिन कार्य और भी कठिन हो गया। साम्प्रदायिक आधार पर देश के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान के साथ जो तनातनी थी उसके नतीजों, खाद्यान्न की कमी, उपभोग्य वस्तुओं का अभाव तथा अन्य आर्थिक कष्ट——सभी का प्रान्त के लोगों पर असर पड़ा और हर समय मंत्रिमंडल की लाभप्रद योजनाओं में इनसे बाधा पड़ी। पाकिस्तान से निकाले हुए लोगों को पूर्ण और उचित रूप से बसाना एक और बड़ी समस्या थी जिसके जल्दी ही हल करने की आवश्यकता थी। साम्प्रदायिकता का भी अभी पूर्ण रूप से अन्त नहीं हुआ था और जब कभी भी उसे कोई अवसर मिलता था तो वह लचर से लचर बहाने पर भी जागृत हो जाती थी जिससे पुलिस को अपनी चौकसी का कार्य करने और अपने सभी साधनों का प्रयोग करने को बाध्य होना पड़ता था ताकि कोई आम उपद्रव न होने पाये। मुद्रा स्फीति और ऊंचे मूल्यों के कारण मजदूर वर्ग में भी बेचैनी थी और यद्यपि प्रान्त में वास्तव में कोई बड़ा उपद्रव नहीं हुआ था फिर भी स्थिति वर्ष भर अच्छी नहीं रही और गम्भीर अशांति और व्यापक हुल्लड़बाजी को रोकने के लिये अधिकारियों को सभी प्रकार से चौकन्ना रहने और धैर्य के साथ कार्य करने की आवश्यकता हुई। विद्यार्थी समुदाय भी अक्सर संबंधित दलों द्वारा गुमराह किये जाने पर कभी-कभी गलत रास्ते पर चला गया और उसने ऐसे कार्य किये जो किसी ऐसी संस्था के लिये प्रतिष्ठा की बात नहीं थी जिसकी अनुशासन पूर्ण देश भक्ति ही भारत के भावी नेताओं को पैदा करने की जिम्मेदारी निभा सकती है। प्रान्त के कतिपय भागों-विशेषकर पूर्वी जिलों में बाढ़ आने के कारण भी लोगों का कष्ट आमतौर से बढ़ गया। फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद सरकार अपने परिमित साधनों से लाभप्रद योजनाओं को आरम्भ करने और जनता की हालत सुधारने का कार्य करती रही।

कांग्रेस अपने पिछले लोक सेवा के कार्यों के कारण तथा सत्ताधारी दल होने के नाते प्रान्त तथा देश के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेती रही। समाजवादियों के कांग्रेस से पृथक् हो जाने से अब कांग्रेस संस्था में और अधिक एकता पैदा हो गयी और थोड़े से जिलों में स्थानीय दलबन्दियों के होते हुए भी सभी बातों का विचार करने पर जन-सेवा करने में इस संस्था का कार्य अच्छा रहा। संस्था के रूप में कांग्रेसजनों ने सार्वजनिक कार्यों तथा प्रान्त का सामाजिक और आर्थिक ढांचा बनाने में लोकप्रिय सरकार के प्रयत्नों में योग देने में काफी दिल-चस्पी ली। पंचायत राज्य के चुनाव, गल्ला वसूली आन्दोलन, जमींदारी-विनाश-कोष

आन्दोलन तथा विभिन्न नियन्त्रणों (कंट्रोलों) के दिन प्रति दिन के परिचालन के संबंध में, जोकि उनके सार्वजनिक कार्यों के केवल थोड़े से नमूने हैं, उनकी सामूहिक सहायता से जनता का वह आवश्यक समर्थन प्राप्त हुआ जिसके न मिलने से अच्छी से अच्छी योजनायें भी मन्द पड़ जातीं। दोनों बड़े-बड़े सम्प्रदायों में मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने तथा चोरबाजारी और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की ओर भी कांग्रेसजनों ने व्यक्तिगत रूप से अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों में फंसे रहने पर भी ध्यान दिया।

समाजवादियों ने, जोकि पिछले वर्ष कांग्रेस से अलग हो गये थे, उस संस्था को जिससे उन्होंने संबंध-विच्छेद कर लिया था, बदनाम करने में कोई बात उठा नहीं रखी। कांग्रेस, उसके नेता गण, उसके प्रशासन तथा उसकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध आवेश पूर्ण भाषण देना समाजवादियों का वर्ष भर प्रमुख कार्य रहा। अपना प्रचार बढ़ाने के निमित्त उन्होंने मिल मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, जिला बोर्डों के अध्यापकों, म्युनिसिपल बोर्डों के मेहतरों, तांगेवालों, रिक्शावालों, कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों इत्यादि सभी की ओर उचित ध्यान दिया। कांग्रेस तथा सरकार पर प्रहार करने के लिये प्रस्तावित जमींदारी-विनाश उनका सबसे अच्छा लक्ष्य रहा। किसानों की सभाओं में लगातार यह कहा गया कि कांग्रेस एक भ्रष्ट और पूंजीवाद समर्थक संस्था है और जमींदारी-प्रथा खत्म करने की इसकी वास्तव में कोई इच्छा नहीं है और किसानों को बार बार यह सलाह दी गयी कि वे न तो जमींदारी-विनाश कोष में और न तो गल्ला वसूली योजना में सरकार को सहयोग दें। मुसलमानों से भी, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रतिबन्ध हटा लिये जाने के बाद अक्सर यह अपील की गयी कि वे समाजवादियों में अन्य कारणों के साथ-साथ इस कारण भी सम्मिलित हो जायं कि कांग्रेस द्वारा उनके हितों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जा रही है। सार्वजनिक सभायें, प्रदर्शन, जुलूस तथा उत्तेजनात्मक भाषण उनके मुख्य साधन थे, जिन्हें साधारणतया समाजवादी कार्यकर्त्ताओं ने जनता में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिये अपनाया। इनमें से उनका पहिले इटावा में और बाद में देवरिया में किया गया सत्याग्रह और लखनऊ के लिये प्रान्त व्यापी किसान मार्च प्रान्त भर में उनकी उल्लेखनीय कार्यवाहियां थीं। पहला सत्याग्रह, जो सरकार के गल्ला वसूली आन्दोलन के विरोध में आरम्भ किया गया था, बाद में पार्टी के उन कार्यकर्त्ताओं की रिहाई की मांग में बदल गया जो आन्दोलन के दौरान में गिरफ्तार किये गये थे। दूसरा सत्याग्रह, जो कुछ मांगों के संबंध में सुविधायें प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था, वर्ष के अन्त तक विभिन्न उतार-चढ़ाव की स्थितियों से गुजरता हुआ किसी प्रकार चलता रहा, जब कि अन्तिम और तीनों आन्दोलनों में सबसे आकर्षक आंदोलन जिलों में कोई विशेष प्रतिक्रिया पैदा किये बिना ही लखनऊ में विधान-भवन के सामने शानदार प्रदर्शन करने के पश्चात् समाप्त हो गया।

भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी दल (रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी आफ इंडिया) ने, जिसने गत वर्ष अपना केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ से हटा कर इलाहाबाद में कर दिया अपनी स्थिति को ऐसे समय कुछ दृढ़ बनाया जब कि यहां की आर्थिक दशा वर्ष भर तक काफी खराब थी। पूर्वी जिले पहिले के समान इस दल (पार्टी) के मुख्य कार्य क्षेत्र बने रहे और विशेषतया वहीं पर इसने सरकार के विरुद्ध अपना प्रचार-कार्य करना बराबर जारी रक्खा। मेहतरों, मजदूरों, शक्कर के कारखानों में काम करने वालों और इन सब से भी अधिक उसने किसानों की ओर विशेष रूप से अपना सारा ध्यान लगाया और मुख्यतया इन्हीं में भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्यों ने खुले और छिपे तौर से, दोनों तरीकों से, अपनी विध्वंसकारी कार्रवाइयां कीं। समाजवादियों और साम्यवादियों (कम्युनिस्टों) के समान, उन्होंने भी सरकार की गल्ला वसूली, जमींदारी-विनाश और जमींदारी-विनाश कोष योजनाओं का प्रबल विरोध किया और यहां तक कि उन्होंने जिले के अफसरों की निन्दा करने और सरकार के विरुद्ध खुले तौर से हिंसात्मक प्रचार करने में उनको भी मात कर दिया। आलोच्य वर्ष में भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी दल के लोगों की बहुत सी गिरफ्तारियां इसलिये की गईं कि या तो उन्होंने हिंसात्मक कार्य के लिये उत्तेजित किया या बिना लाइसेंस के हथियार उनके पास थे या क्रिमिनल प्रोसीजर

कोड की धारा १४४ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों का उन्होंने उल्लंघन किया। यह दल रुपये पैसे के लिये बराबर बहुत चिन्तित रहा जिसके लिये उसने सदस्य बनाने का बार–बार प्रयत्न किया और यहां तक कि दबाव डाल कर भी चंदा वसूल करने की कोशिश की।

सरकार के विरुद्ध घृणा तथा असंतोष फैलाने के आन्दोलन में साम्यवादियों (कम्युनिस्टों) ने कुछ उठा न रक्खा और इस उद्देश्य के लिये उन्होंने सभी प्रचलित साधनों, सभाओं (मीटिंग), प्रदर्शन, जुलूस, पर्चे, पोस्टर, नाटकीय प्रदर्शन, जेलों में भूख हड़ताल आदि को अपनाया। वर्ष भर किसानों, मजदूरों, मेहतरों, औद्योगिक मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, पोस्टल कर्मचारियों, विद्यार्थियों और पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों में अशांति फैलाना उनका प्रिय कार्य था। हिंसात्मक तथा तोड़–फोड़ के कार्य के लिये उत्तेजित करना दल के कार्य–क्रम का मुख्य अंग था और वे सरकार, सरकारी नौकरों और जमींदारों के विरुद्ध हिंसा का प्रचार करते थे और साम्यवादी कार्यकर्त्ता प्रायः इसी के अनुसार चलते थे। पंचायत के निर्वाचनों से उनको उच्च वर्ग के हिन्दुओं के विरुद्ध दलित वर्गों को उत्तेजित करने का अवसर मिल गया और जहां एक ओर उनका समर्थन प्राप्त करने के लिये बहुसंख्यक जाति के लोगों में साम्प्रदायिक घृणा का प्रचार किया गया वहां दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध उठा लेने के संबंध में सरकार की इस कार्यवाही की आलोचना करके मुसलमानों को साम्य-वादी दल (कम्युनिस्ट पार्टी) में लाने के लिये फुसलाया गया। किसान मोर्चे पर उनका मुख्य काम सरकारी गल्ला वसूली, जमींदारी-विनाश तथा जमींदारी-विनाश कोष योजनाओं के विरुद्ध तेजी के साथ प्रचार करना था और मजदूर मोर्चे पर मिल मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों और पोस्टल कर्मचारियों इत्यादि द्वारा हड़ताल कराना था। फिर भी अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, जिसके लिये वे बहुत डींग हांकते थे, बुरी तरह असफल रही, जब कि दल से इशारा मिलते ही अशान्ति और अव्यवस्था फैलाने के लिये मजदूरों द्वारा लड़ाकू समितियों के बनाने के उनके प्रयत्नों का भी यही परिणाम हुआ। शुरू साल में दल के सदस्यों की आम गिरफ्तारी के कारण बहुत से लोग छिप गये, लेकिन वे लोग, जो गिरफ्तार कर लिये गये थे, जेल के अहातों के भी भीतर भूख हड़ताल करने या उपद्रव तथा अव्यवस्था फैलाने में पूरी तौर से लगे रहे। उनकी गिरफ्तारी के समय इस दल का बहुत सा विध्वंसकारी साहित्य भी जब्त किया गया। इस दल ने जहां तहां दमन–विरोधी सप्ताह, राजनैतिक बन्दी सप्ताह, झूठी आजादी सप्ताह, मई दिवस, नजरबन्दी दिवस, रूसी क्रांति दिवस तथा हैदराबाद दिवस मनाया, किन्तु इससे न तो जनता में कोई उत्तेजना पैदा हुई और न सरकार को ही कोई परेशानी हुई। बच्चों में साम्यवाद की भावना पैदा करने के उद्देश्य से इस दल ने छोटे बच्चों के लिये एक स्कूल खोला था, किन्तु इन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। पहिले की तरह दल के प्रयोजनों के लिये चंदे की वसूली के संबंध में इस दल को वर्ष भर बड़ी परेशानी रही।

हिन्दू महासभा ने, जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद पिछले वर्ष राजनैतिक क्षेत्र से अस्थायी रूप से हट गयी थी, १९४९ ई० में उत्साह के साथ अपना कार्य फिर से प्रारम्भ कर दिया। उसके सारे प्रचार का उद्देश्य संक्षेप में यह था कि कांग्रेस को मुस्लिम समर्थक बताकर उसे बदनाम करके आगामी आम चुनाव में उसे जनता के समर्थन के लिये अनुपयुक्त कह कर कांग्रेस के विरुद्ध हिन्दू जनमत संगठित किया जाय। महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में घनिष्ट सहयोग इस तर्क द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि दोनों के उद्देश्य समान हैं, अर्थात् हिन्दू संस्कृति की रक्षा करना। हिन्दू महासभा के नेता तथा कार्यकर्त्ता सार्वजनिक मंचों से जो व्याख्यान देते थे उनमें हिन्दू कोड बिल की तीव्र आलोचना करते थे और सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाते थे कि वह मुसलमानों के साथ संतुष्टीकरण की नीति बरत रही है जबकि वे समय–समय पर उन्हें संभाव्य पंचमांगी कहने में भी संकोच नहीं करते थे। सभा के संगठनों द्वारा निकाले गये पर्चों और पुस्तिकाओं के जरिये जनता में इस प्रकार की आलोचना की गयी और खाद्य तथा कपड़े की समस्या पर भी सरकार की आलोचना जनता में की गयी। महात्मा

गांधी हत्याकांड के मुकद्दमे में श्री वी० डी० सावरकर के बरी किये जाने पर बहुत से जिलों में हिन्दू महासभा ने सावरकर दिवस मनाया और ऐसे अवसर पर की गयी सभाओं में जनता को धोखा देने के लिये कांग्रेस वालों की तीव्र आलोचना की गयी और कांग्रेस सरकार को भारत के विभाजन तथा उससे पैदा होने वाले समस्त परिणामों के लिये और साथ ही ऐसे दूसरे कार्यों के लिये जिन्हें करने या न करने का आरोप लगाया गया था, बदनाम किया गया।

यद्यपि, महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर पिछले वर्ष प्रतिबन्ध लगा दिया गया था और वह इस प्रकार लगभग जुलाई, १९४९ ई० के मध्य तक लागू रहा, फिर भी इस संगठन ने अपनी अन्तर्निहित शक्ति नहीं खोई। सरकारी प्रतिबन्ध के फलस्वरूप संघ द्वारा चलाया गया सत्याग्रह १९४८ ई० के अन्त तक लगभग समाप्त हो गया, लेकिन अपने दूसरे कार्यों से जोकि कभी-कभी शानदार होते थे, वे सरकार तथा आम जनता दोनों का ही ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। संघ के नजरबन्दों और बन्दियों द्वारा कुछ पूरी न की गयी मांगों या अन्य मांगों के विरुद्ध प्रतिवाद-स्वरूप भूख हड़ताल करना और जेल के कर्मचारियों के साथ बहुधा उपद्रव तथा झगड़ा कर बैठना कुछ ऐसे तरीके थे जिनके ज़रिये वे जेल की दीवारों के भीतर से जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे और बाहर पर्चे बांटना, रेलवे स्टेशनों पर जेल से छूटे हुए संघियों का स्वागत करना, जुलूस निकालना, नारे लगाना, सभायें करना और छिटपुट जहां तहां पुलिस से संघर्ष करना, ऐसी बातें थीं जिनके द्वारा जनता का ध्यान उनकी ओर भली प्रकार आकर्षित रहता था। बाद में, जब कि इस संगठन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, संघ के कार्यकर्ताओं ने देहातों में साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की शाखायें खोल कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने के संबंध में जोरदार आन्दोलन किया। दूसरा प्रचार का तरीका जिसे संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रतिबन्ध की अवधि में अपनाया, वह था गांधी क्लब, नेहरू क्लब, गांधी व्यायाम-शाला जैसे दिखावटी नामों से रैलियां करना। जुलाई के मध्य में भारत सरकार द्वारा इस संस्था पर लगे हुए प्रतिबन्ध के हटा लिये जाने और इसके फलस्वरूप उसके नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों के रिहा कर दिये जाने से संघ के सदस्यों में बड़ी खुशी मनाई गई और अब तक उसके छिपे रूप से किये जाने वाले कार्य बड़े उत्साह और जोश के साथ खुले आम किये जाने लगे। रोक हटाने के लिए आमतौर पर इस संस्था के कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति कृतज्ञता की भावना प्रकट की गयी और इसके साथ ही नेतागण कार्यकर्ताओं को यह राय देने लगे कि वे सरकार के साथ मिल कर काम करें और उसको इस बात का मौका न दें कि वह फिर संघ के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। सामूहिक खेल-कूद, परेड, शारीरिक व्यायाम, सभायें, झंडा अभिवादन और सदस्य बनाने के आन्दोलन एक बार फिर जनता में शुरू हो गये, यद्यपि इसके नेताओं ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका एकमात्र उद्देश्य हिन्दू संस्कृति तथा सभ्यता की उन्नति करना है। संघ पर से प्रतिबंध उठा लेने से कुछ जिलों में समाजवादियों और साम्यवादियों ने स्वयं अपने निजी कारणों से आपत्ति की और स्वभावतः इससे मुसलमानों को भी उस समय कुछ परेशानी हुई।

मुस्लिम लीग अब करीब-करीब समाप्त हो चुकी थी, इस कारण जमायतुलउलेमा ने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के संबंध में जोरदार आन्दोलन करके और मुसलमानों के ध्येयों का समर्थन करके मुस्लिम लीग के इस प्रकार रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए कठिन प्रयास किया। लेकिन समस्याओं को हल करने और मुसलमानों से अपील करने का उसका ढंग वस्तुतः धार्मिक था, जैसा कि पुरानी मुस्लिम लीग का था और इससे कभी-कभी उसके कार्यों में साम्प्रदायिकता की भावना झलकती थी। इसके अतिरिक्त देश के विभाजन के बाद सामान्य स्थिति स्थापित हो जाने पर गैर-जमैयत मुसलमानों की कार्रवाइयां भी बढ़ने लगीं और जिलों में गुप्तरूप से बहुत-सी सभायें भी की गयीं जिनमें भारत विरोधी भावनायें

जोरदार शब्दों में प्रकट की गयीं और मुसलमानों से कहा गया कि वे एकता बनाये रक्खें और खुदा की इबादत करते रहें। इसी प्रकार की अन्य राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां ये थीं-- छटनी किये गये कारखानों के श्रमिकों को पाकिस्तान चले जाने के लिए उकसाना; अनधिकृत रूप से हथियार जमा करना तथा इवैकुई प्रापर्टी आर्डिनेन्स के विरुद्ध लोगों को भड़काना। मद्रास में स्थित मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर्स से इस संबंध में निर्देश मिलने पर, वर्ष के दौरान में, कुछ जिलों में छिपे तौर से इस बात के प्रयत्न भी किये गये कि पुरानी मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया जाय जब कि बहुत से अन्य जिलों में, या तो पाकिस्तान फंड के लिए गुप्त रूप से चन्दे जमा किये गये, या पुराने मुस्लिम लीगी सदस्यों ने पाकिस्तान के पक्ष में पुनः भाषण देना प्रारम्भ कर दिया। कुछ जिलों में कुछ मुसलमान पाकिस्तान में स्थित संस्थाओं के लिए चन्दा देते हुए भी पाए गये। कुछ जिलों मे, कुछ ऐसी राष्ट्र-विरोधी संस्थायें, जैसे सीरत कमेटी, जमायतुल-तुल्बाय या जमायतुल-इस्लाम भी पाई गईं जिनका वास्तविक ध्येय और उद्देश्य भारतीय डोमिनियन के लिए लाभप्रद न था।

३--साम्प्रदायिक स्थिति

सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान में साम्प्रदायिक स्थिति संतोषजनक रही और प्रान्त के किसी भी जिले में कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यह स्थिति, जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के पूर्व की स्थिति के इतनी विपरीत थी, आंशिक रूप से, इस कारण थी कि दो बड़े सम्प्रदायों के अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी व्यक्तियों में पुनः सद्विचार आ गया, और आंशिक रूप से, इस कारण से थी कि जिला अधिकारियों ने साम्प्रदायिक दंगा-फसाद कराने वालों पर निरन्तर दृष्टि रखी जिससे कि उनकी समाज-विरोधी कार्यवाहियों को समय रहते विफल कर दिया जा सके। फिर भी पुरानी द्वेष भावनाओं तथा कुछ ही समय पूर्व के साम्प्रदायिक विष को, देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के केवल दो वर्ष के भीतर ही पूर्णरूप से न दूर किया जा सकता था और इन्हीं बातों के कारण कुछ जिलों में कुछ साम्प्रदायिक झगड़े या छोटी-मोटी घटनायें हुईं। बहुधा, ऐसी अविवेकपूर्ण घटनाओं का तात्कालिक कारण यह था कि अनधिकृत रूप से गायों या भैंसों का वध किया गया था या उनका गोश्त साधारण जनता में खुले आम बेचा गया था। साधारणतया पुराने लीगी मनोवृत्ति के लोग इन अविवेकपूर्ण घटनाओं के पीछे थे, जिनके कारण स्वभावतः कुछ जिलों में कुछ निर्दोष व्यक्तियों की जानें गयीं तथा सम्पत्ति को हानि पहुंची। इसके अतिरिक्त तीन या चार जिलों में, उन्होंने "मसजिद के सामने बाजा बजने" का पुराना झगड़ा फिर से उठा कर साम्प्रदायिक कटुता उत्पन्न कर देने की चेष्टा की और एक जिले में उन्होंने मुसलमानों को इस आधार पर अपने ताजिए कर्बला ले जाने से इन्कार करने के लिए उकसाया कि उन्होंने आस पास कहीं मंदिर के घंटों और घड़ियालों की आवाज सुनी थी और उन्हें इसमें कुछ समय तक सफलता भी मिली। किन्तु ऐसी सब खराब स्थितियों पर शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ने शीघ्र ही काबू पा लिया और यह प्रसन्नता की बात है कि ऐसे सभी झगड़े के स्थानों पर तथा ऐसे सभी झगड़े खड़े करने वाले व्यक्तियों की ओर पुलिस ने जो तुरन्त ही व्यक्तिगत ध्यान दिया उसके कारण इनमें से कोई भी झगड़ा वृहत रूप न धारण कर सका। फैजाबाद जिले में, अयोध्या का बाबरी मस्जिद संबंधी झगड़ा, जिसमें हिन्दुओं ने दावा किया था कि वह मस्जिद शुरू में एक मंदिर था और जो बाद में स्थानीय महत्व से अधिक महत्व प्राप्त किये लेता था, दोनों पक्षों के बीच कोई मैत्री पूर्ण समझौता न होने पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४५ के अधीन कुर्की संबंधी कार्यवाहियां कर के, शान्त कर दिया गया।

होली, बकरीद, दशहरा तथा मुहर्रम के त्योहार, जब कि उपद्रव होने की आशंका थी, शान्ति पूर्वक बीत गये। किन्तु कुछ स्थानों में या तो सदैव की भांति तनातनी रही या बहुत ही छोटी घटनायें हुईं। इसी प्रकार बारावफात का त्यौहार भी, जिसमें सदैव की भांति थोड़े समय के लिए शिया और सुन्नी सम्प्रदायों के मुसलमानों के बीच अन्तर-जाति संबंधी मतभेद बढ़ गये थे, बिना किसी गंभीर स्थिति पैदा हुए बीत गया।

आलोच्य वर्ष में खाकसारों की विशेष कार्यवाही नहीं हुई, यद्यपि प्रान्त के एक भूतपूर्व खाक-सार नेता ने बिना कोई विशेष सफलता प्राप्त किये, कोई इस्लाह-उलमिल्लत का नया पार्टी नाम देकर, उसे (खाकसार दल को), पहिले से कम सैनिक रूप में, पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया था।

४--समाचार-पत्र और जनमत

नये वर्ष के आते ही कश्मीर में नाटकीय ढंग से एक बारगी जो युद्ध-बन्दी की घोषणा हुई उसका प्रभाव यह हुआ कि राज्य के ऊपर जो कुछ बादल छाये हुए थे, वे हट गये। जोशीली भावनायें ठंडी पड़ गयीं और गम्भीरता का वातावरण फिर स्थापित हो गया। परन्तु सन् १९४७ तथा १९४८ ई० की घटनाओं ने जो भय १९४९ ई० को वसीयत के रूप में दिये थे वे शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखलाने लगे। शीघ्र ही समझौते होने के संबंध में, जो आशायें की जाती थीं, वे धीरे-धीरे विलीन होती गयीं और वर्ष के प्रथम कुछ सप्ताहों को छोड़कर, कश्मीर के संबंध में जो भी चर्चा होती थी उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्रों के इरादों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया, पाकिस्तान द्वारा युद्ध-बन्दी सीमा के उल्लंघन करने की घटनाओं और ऐसे कांडों पर, जैसे, "विख्यात डेलव्याय का मामला" ध्यान आकर्षित हुआ। सन्देह का स्थान घृणा से भरे रोब ने ले लिया और इसी दृष्टिकोण से भारत और पाकिस्तान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्रीय कमीशन की रिपोर्ट की बड़ी कड़ी आलोचना की गयी। प्रेसीडेन्ट ट्रूमन तथा प्रधान मंत्री एटली द्वारा की गयी अपील के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया गया और, अन्त में, इस बात में किसी को भी कोई सन्देह न था कि मैकनाटन प्रस्तावों को अस्वी-कृत करके बुद्धिमानी का कार्य किया गया था।

आरम्भ से ही हिन्दी के समाचार-पत्र हर एक बात को सन्देह की दृष्टि से देख रहे थे। साधारणतया सभी को इस बात का भय था कि पाकिस्तान कश्मीर की जनता की धार्मिक भावनाओं को उकसाएगा और इस बात का भी भय प्रकट किया गया था कि कहीं ऐसा न हो क युद्ध-बन्दी की सीमा ही स्थायी रूप से विभाजन की सीमा न बन जाय। कई बार यह बात बड़े जोरदार शब्दों में कही गई कि कश्मीर का प्रश्न एक साम्प्रदायिक प्रश्न न था, बल्कि वह एक मौलिक आदर्शवादी आधार पर आधारित था। इस बात की संभावना के संकेत भी किये गये थे कि यदि कश्मीर के जनमत में भारत की हार हुई तो भारत में साम्प्र-दायिक दंगे होंगे।

यू० एन० सी० आई० पी० के संधि प्रस्तावों का घोर विरोध किया गया। साधारणतया यह विचार प्रकट किया गया कि कश्मीर के संबंध में भारत को कोई भी हल उस समय तक स्वीकार न होगा जब तक उस हल में तथाकथित आजाद कश्मीर की फौजों के निशस्त्रीकरण की व्यवस्था न कर दी जाय। इस बात पर जोर दिया गया कि इसके पूर्व कि कोई जनमत लिया जाय उन शरणार्थियों की वापसी तथा पुनर्वास का प्रबंध किया जाय जो कबायलियों द्वारा रियासत पर आक्रमण किये जाने के फलस्वरूप कश्मीर से बाहर निकल गये थे। एक यह सुझाव रखा गया कि यदि पाकिस्तान के रुख के कारण जनमत का लिया जाना असम्भव हो जाय तो कश्मीर की जनता की राय मालूम करने के लिये कोई अन्य उपाय किया जाना चाहिये। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया, यू० एन० सी० आई० पी० की आलोचना और तेज़ होती गई। इस बात की शिकायत की गई कि कमीशन भारत की "उदारता" का अनुचित लाभ उठा रही है। भारत और पाकिस्तान के प्रति प्रेसीडेन्ट ट्रूमन और प्रधान मन्त्री एटली की संयुक्त अपील में जो पंच-निर्णय का प्रस्ताव था, उस पर बड़ी आपत्ति की गई तथा सभी का यह मत था कि अपनी मूल बातों से पीछे हटे बगैर भारत, पंच-निर्णय करने के लिये राजी नहीं हो सकता। वर्ष के अन्त में, जनरल मैकनाटन के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये। भारत सरकार ने जो रुख अपनाया उसको सभी ने एक मत होकर उचित ठहराया और इसमें कोई सन्देह न रह गया कि शत्रु की

सेनाओं को भारतीय तथा कश्मीर रियासत की सेनाओं के बराबर का दर्जा देने का अर्थ य
होगा कि हिंसा को प्रोत्साहन मिल जायगा। इस सम्बन्ध में कि भारत के लिये कौन स
रास्ता अख्तियार करना सम्भव था जो सुझाव दिये गये, उनमें सुरक्षा परिषद् (Securit
Council) से अपनी शिकायत का वापस ले लेना और, यदि पाकिस्तान तथाकथि
आज़ाद क्षेत्र छोड़ने से इंकार करे, तो पाकिस्तान के विरुद्ध बल प्रयोग करना सम्मिलि
था।

कश्मीर के बाद जिस दूसरे प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत अधिक संघ
था, वह निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रश्न था। इस बात की विशेष रूप से आलोचना की गई
कि लगातार पाकिस्तान इस बात पर राजी होने से इन्कार कर रहा था कि निष्क्रान्त सम्पत्ति
का विनिमय तथा विक्रय सरकारों द्वारा ही किया जाय। तत्पश्चात्, इवैकुई प्राप्टी
आर्डिनेन्स, जिसे भारत सरकार ने जारी किया था, के संबंध में यह कहा गया कि यह कार्रवाई
ठीक ही थी। यह बात महसूस की गई कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये
थे, उन्हें इस देश के मित्र के रूप में नहीं समझा जा सकता। इसी विषय पर पाकिस्तान
सरकार द्वारा जारी किये गये आर्डिनेन्स की, जिसमें निष्क्रमणार्थियों द्वारा निष्क्रान्त सम्पत्ति
के विक्रय तथा विनिमय किये जाने का निषेध किया गया था, सभी ने निन्दा की और एक यह
सुझाव रखा गया कि भारत में सभी भूतपूर्व मुस्लिम लीग के सदस्यों की सम्पत्तियां निष्क्रान्त
सम्पत्ति घोषित कर दी जायं। पाकिस्तान में निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न को नहर के पानी
के झगड़े के साथ मिला देने की प्रवृत्ति के कारण तथा करांची में भारतीय सूती कपड़े का जो
संगठित बायकाट किया गया उसके कारण स्वाभाविक रोष फैल गया और इसके फलस्वरूप,
यह बात धीरे-धीरे कही जाने लगी कि निष्क्रान्त सम्पत्ति के संबंध में कराची ने जिस
रुख को अपनाया है उसके बराबर विरोध में यदि नहर के पानी का प्रयोग किया जाय, तो
इसमें कोई ग़लत बात न होगी।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा था, उसकी बहुधा आलोचना
की गई। जिस समय पाकिस्तान सरकार ने भारतीय हाई कमिश्नर को करांची में
महात्मा गांधी की मूर्ति पर मालाएं चढ़ाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया तीव्र रोष प्रकट
किया गया। कराची में जो विश्व मुस्लिम कांफ्रेंस की गई उसे भारत-पाकिस्तान के बीच
के संबंधों के खराब हो जाने के एक संभव कारण के रूप में देखा गया। १५ अगस्त को करांची
में जो राष्ट्रीय-झंडा सम्बन्धी घटना हुई उसकी कड़े शब्दों में निन्दा की गई। यह बात महसूस
की गई कि यह घटना इस बात की प्रतीक थी कि पाकिस्तान में जनता की धींगाधींगी का
प्रभुत्व था। कुछ समाचार-पत्रों ने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में मन्दी होने पर
चिन्ता प्रकट की। वर्ष के अन्तिम दिनों में, भारत ने पाकिस्तान को जो कोयला भेजना बंद
कर दिया, उसे साधारणतया सभी ने उचित ठहराया।

कबीली क्षेत्रों के संबंध में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो झगड़ा था उसमें
काफी दिलचस्पी ली गई। इस मत का कि पठानिस्तान स्थापित करने की मांग में भारत
का कोई भी हाथ था, बड़े जोरदार शब्दों में खंडन किया गया। उन टीका-टिप्पणियों में
जो खान अब्दुल गफ़्फ़ार खां को पाकिस्तान में बराबर नज़रबंद रखने के संबंध में की गई
क्रोध भरा हुआ था।

घरेलू मामलों की चर्चा करते हुये वर्ष के अंतिम दिनों में भारत संविधान के स्वीकृत
किये जाने का एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वागत किया गया। जब भारतीय
रियासतों के एकीकरण का कार्य पूरा हो गया तो सरदार पटेल की सभी ने बड़ी प्रशंसा की।
यह कहा गया कि शांतिमय ढंग से शासकों के हाथ से उनके अधिकारों को उनकी प्रजा के हाथों
में हस्तांतरित करके, सरदार पटेल ने वह कार्य कर दिखाया जिसे इसके पूर्व इस देश के संपूर्ण
इतिहास में किसी ने भी नहीं किया था। सरदार पटेल को बिस्मार्क से भी अधिक महान
बताया गया। भोपाल की जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुये, सभी ने इस
बात की मांग की कि भोपाल को भारत में मिला लिया जाय और हैदराबाद में मिलिटरी गवर्नर

की इस घोषणा का साधारणतया सभीने स्वागत किया कि उस रियासत का क्या भावी स्वरूप होगा, इसका निर्णय एक निर्वाचित संविधान सभा ही करेगी। यह सुझाव पेश किया गया कि इस रियासत की अभिन्नता ज्यों की त्यों बनाये रखना चाहिये, क्योंकि इस बात का भय था कि उसके कई भागों में विभाजित किये जाने से समस्त दक्षिण भारत में गड़बड़ी फैल सकती है।

कुछ समाचार–पत्रों ने हिन्दू कोड बिल को एक प्रगतिशील क़ानून बताया, किन्तु कुछ प्रभावशाली समाचार–पत्रों ने हिन्दू क़ानून के संग्रहण किये जाने पर इस कारण आपत्ति की कि ऐसा करना राष्ट्रीय परम्पराओं के विपरीत होगा और यह कि किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State) में, क़ानून को धर्म के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

भाषावार प्रान्तों के निर्माण के प्रश्न पर एक मत नहीं था। कुछ समाचार–पत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि भाषावार प्रान्तों का निर्माण आर्थिक दृष्टि से एक असंभव बात होगी, जब कि अन्य समाचार–पत्रों का यह मत था कि ऐसे लोगों की बहुत दिनों से चली आने वाली आकांक्षाओं को ठुकरा देना गलत होगा जो भाषावार प्रान्तों के निर्माण के पहिले से समर्थक थे। यह मत प्रकट किया गया कि कम से कम वर्तमान पीढ़ी के जीवनकाल तक प्रान्तों की वर्तमान सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

किसी अन्य विषय पर जनमत इतने अधिक जोरदार शब्दों में नहीं व्यक्त किया गया जितना कि आर्थिक स्थिति पर किया गया था। मार्च के महीने में केन्द्रीय बजट की, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि पोस्टकार्डों और लिफाफों के मूल्य में वृद्धि की जाय, बड़ी कड़ी आलोचना की गई। इसके कई महीनों के बाद, नवम्बर के महीने में, केन्द्रीय सरकार के पूंजी बजट में जो ८० करोड़ रुपये की कटौती करने का प्रस्ताव किया गया तथा जो अनिवार्य बचत की योजनाएं प्रारम्भ की गईं उनकी सराहना की गई। कभी कभी इस बात की चेतावनियां भी दी जाती थीं कि कहीं देश की आर्थिक अशान्ति के कारण, विशेष रूप से मध्यवर्ग के लोगों की बुरी दशा के कारण, विनाशकारी कार्यवाहियों को प्रोत्साहन न मिल जाय। बार–बार सरकारी व्यय में कमी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

विदेशी पूंजी को इस देश में लगाने के लिये आमंत्रित करने के प्रश्न पर परस्पर विरोधी मत प्रकट किये गये। इस विचार के साथ-साथ कि विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना स्वतंत्र भारत के लिये उपयोगी सिद्ध होगा, यह आशंका भी प्रकट की गई कि सरकार तथा विदेशी पूंजी के साथ समझौता हो जाने से इस देश की आर्थिक, राजनैतिक तथा श्रम–संबंधी नीति दूषित हो सकती है।

भारत सरकार के इस निश्चय से कि रुपये का अवमूल्यन किया जाय प्रायः सभी समाचार-पत्रों को बड़ा अचम्भा हुआ। इस बात पर सन्देह प्रकट किया गया कि सरकार में इतनी सामर्थ्य है कि वह अवमूल्यन के फलस्वरूप मूल्यों में होने वाली वृद्धि की रोकथाम कर सकेगी और यह विचार जोर पकड़ गया कि जो संयुक्त राज्य सरकार (United Kingdom Government) ने कामनवेल्थ देशों से परामर्श किये बिना जिसमें भारत भी सम्मिलित था, पौंड का अवमूल्यन किया था, उससे उसने कामनवेल्थ देशों के साथ विश्वासघात किया। यह भी मत प्रकट किया गया कि भारत के हित में यह अधिक अच्छा होगा यदि वह बजाय स्टर्लिंग द्वारा व्यवहार करने के डालर से सीधे व्यवहार करे। पाकिस्तान का यह निश्चय कि वह अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं करेगा, साधारणतया ठीक नहीं समझा गया।

देश के औद्योगिक विकास के संबंध में, इस बात की महत्ता पर बार २ जोर दिया गया कि पूंजीपतियों के अधिक मुनाफा कमाने के लोभ तथा श्रमिकों की अधिक मजदूरी दिये जाने की मांग के बीच एक सामाजिक सामंजस्य युक्त सम्मिश्रण (Social harmonious synthesis) स्थापित किया जाय। इस बात की सभी ने मांग की कि उद्योगपतियों को उद्योगों में अधिकाधिक पूंजी लगाकर सरकार के इस निश्चय को

भावना के साथ सहयोग करना चाहिए कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण दस वर्ष की अवधि के लिये और स्थगित कर दिया जाय। कुछ समाचार-पत्रों ने श्रमिकों की इस मनोवृत्ति की आलोचना की कि वे बहुत ही छोटी-छोटी बातों पर हड़ताल कर देते हैं।

वर्ष भर खाद्य स्थिति से चिंता होती रही। 'अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन' की आलोचना द्वारा यह मांग की गई कि इस आंदोलन से संबंधित कार्यवाहियों की जांच करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाय। एक सुझाव यह दिया गया कि खाद्यान्नों के आयात करने में जो भारी रक़म व्यय की जाने वाली हो, उसका एक भाग नहरों की खुदाई, कुओं के निर्माण तथा बीजों के उन्नत करने के काम मे लगाया जाय। यह अनुभव किया गया कि गल्ला वसूली की योजनाएं उसी समय सफल हो सकती हैं जबकि सरकार किसानों को वह चीजें सप्लाई करे जिनसे वे अपनी सदैव बढ़ने वाली आवश्यकताओं की पूर्त्ति कर सकें। खाद्य मिनिस्ट्री के इस निश्चय का कि सन् १९५१ ई० के पश्चात् खाद्यान्न बाहर से नही मंगाए जायंगे, साधारणतया सभी ने स्वागत किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो वर्ष भर की कार्यवाहियों का सिंहावलोकन किया गया उससे इस बात का पता चला कि प्राय: सभी इस बात पर पूर्ण रूप से एक मत थे कि गंभीर खाद्य स्थिति ही जनता की आम हतोत्साह के लिये उत्तरदायी थी।

देश में जो विभिन्न राजनैतिक दल थे उनका उल्लेख करते हुये, यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की आलोचना कभी-कभी इस कारण से की गई कि उसके भीतर लोगों में मतभेद पाये जाते थे तथा इस कारण से भी कि वह उन सभी बातों को पूरा करने में असमर्थ रही जिनकी आशा जनता उससे लगाये थी। साधारणतया इस बात की महत्ता को सभी ने मान लिया कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रान्तीय प्रशासन के बीच सामंजस्य स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस बात का भी भय प्रकट किया गया कि कहीं प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी यह प्रयत्न न करे कि वह प्रान्तीय प्रशासन पर पूर्ण प्रभुत्व पा ले।

मार्च के महीने में समाजवादी दल की जो कान्फ्रेंस पटना में हुई थी, उसमें जो भाषण दिये गए उनसे यह अंदाजा लगाया गया कि कांग्रेस और समाजवादियो के बीच केवल यह अंतर था कि समाजवादी चाहते थे कि राष्ट्रीयकरण की प्रगति और तेज कर दी जाय। कम्युनिस्टों की तीव्र निन्दा की गई और हैदराबाद में होने वाले दंगों तथा कलकत्ते की डमडम की घटना के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। कुछ समाचार-पत्रों ने कम्युनिस्ट पार्टी को यह कह कर फटकारा कि उसमें अवसरवादी तथा एक पार्टी त्याग कर दूसरी पार्टी में प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सदैव यह कामना रही है कि वे असंतोष को बढ़ा कर अपना ध्येय सिद्ध करें। इस बात की लगातार मांग की गई कि आतंकवादियों (Terrorist) के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां की जायं, और इसके साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार असंतोष के कारणों को दूर करने का प्रयत्न करे। मद्रास सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर जो रोक लगाई थी उसका साधारणतया सभी ने समर्थन किया। हिन्दू महासभा ने इस निश्चय का कि वह राजनैतिक कार्यवाहियां फिर से प्रारंभ कर दे, स्वागत नहीं किया गया। यह मत प्रकट किया गया कि हिन्दू महासभा का उद्देश्य यह नहीं था कि वह कांग्रेस के लिये एक राजनैतिक विरोध प्रस्तुत करे बल्कि उसका उद्देश्य यह था कि वह राज्य के धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत पर आघात करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगी हुई रोक के हटाये जाने के पूर्व, एक बड़ा जनमत विशेष रूप से उर्दू समाचार-पत्रों में संघ के वैध घोषित किये जाने के विरुद्ध था। कुछ समाचार-पत्रों ने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में चलाये जाने पर भी आपत्ति की और सरकार से कहा कि वह उस पर से अपनी निगरानी कम न करे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस निश्चय पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं, विभिन्न मत प्रकट किये गये। कुछ समाचार-पत्रों ने इसे एक बहुत बड़ी भूल कहा। महामान्य गवर्नर जनरल के इस निश्चय का कि महात्मा गांधी की हत्या संबंधी मुकद्दमे के दो मुख्य अभियुक्त-गोडसे तथा आप्टे को क्षमा प्रदान न की जाय, समर्थन किया गया और कुछ क्षेत्रों में यह अनुभव किया गया कि गोडसे को बेकार बहुत अधिक ख्याति मिल गयी।

वर्ष के शुरू के दिनों में मुस्लिम लीग ने जो पृथक् निर्वाचन समूहों (separate electorates) के पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया और उसने पाकिस्तान के साथ कश्मीर के झगड़े में जो मौन धारण किया, उसे इस बात के लिये पर्याप्त समझा गया कि इस पार्टी की कड़ी भर्त्सना की जाय और सरकार का ध्यान संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग द्वारा की गयी तथा कथित राष्ट्र विरोध की कार्यवाहियों पर दिलाया गया। जमीयत-उल-उलेमाय हिन्द के इस निश्चय का कि वह राजनीति का परित्याग कर देगा और अपनी कार्यवाहियों को केवल सांस्कृतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखेगा, साधारणता सभी ने स्वागत किया। पूर्वी पंजाब में जो अकाली साम्प्रदायिकता पाई जाती थी उसकी कड़ी आलोचना की गयी।

विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासन-हीनता के कारण कुछ चिन्ता थी और यह भावना जोर पकड़ गई कि विद्यार्थियों को विभिन्न राजनैतिक दल अपनी ओर मिलाकर उनसे लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रान्तीय क्षेत्र में, विधान मंडल में जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था सुधार विधेयक के उपस्थित किये जाने का, साधारणतया, सभी ने एक युग प्रवर्तक घटना के रूप में स्वागत किया। माननीय मुख्य मंत्री तथा मंत्रिमंडल के उनके साथियों की बड़ी प्रशंसा की गयी। जमींदारों के एक पत्र ने यह मत प्रकट किया कि संयुक्त प्रान्त के जमींदारों को इस कारण दंड दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहिले की सरकारों के प्रति राजभक्ति दिखलायी थी, परन्तु साधारण तौर पर लोगों का यह विचार था कि पूरे समाज के हितों की तुलना में मुट्ठी भर जमींदारों के हितों का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में लोगों का यह विचार था कि इस कानून के अंतर्गत जमींदारों को जो विशेषाधिकार दिये गये थे उनके लिये उन्हें सरकार के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये तथा जनता के कुछ लोगों ने और समाचार-पत्रों ने जमींदारों से यह अपील भी की कि वे जमींदारी प्रथा के समाप्त करने में सरकार के साथ उसी प्रकार सहयोग करें जिस प्रकार शासकों ने रियासतों के समाप्त करने में स्टेट मिनिस्ट्री से सहयोग किया था।

साधारणतया यह आशा की जाती थी कि प्रान्त की गांव पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में जाति समूह की भलाई के केन्द्र बन जावेंगी तथा देहातों में एक नवीन स्फूर्ति पैदा करेंगी।

संविधान सभा के इस निश्चय का कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाय, साधारणतया सभी ने स्वागत किया और हिन्दी को सरल बनाने के महत्व पर बड़ा जोर दिया गया जिससे ऐसे लोग भी उसे आसानी से समझ लें जो अ-हिंदी क्षेत्रों में रहते हैं।

समाचार-पत्रों ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में बड़ी दिलचस्पी दिखायी और भारत के कामनवेल्थ के साथ रहने के निश्चय करने के पहिले उन्होंने इस राय पर बड़ा जोर दिया कि यदि कामनवेल्थ के सब प्रमुख देश अपनी "श्वेत नीति" तथा जाति भेद को छोड़ने के लिये तैयार न हों तो भारत को उससे अलग हो जाना चाहिये। परन्तु लन्दन में डोमिनियनों (अधि-राज्यों) के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की सदस्यता के संबंध में जो समझौता हुआ उसका स्वागत किया गया। तो भी इस बात पर जोर दिया गया कि कामनवेल्थ के साथ भारत के सम्बन्ध स्थापित होने का यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि वह सोवियट गुट के आदर्शों के विरुद्ध है। सुरक्षा परिषद् में भारत के चुनाव का एक मत से सब ने स्वागत किया और संयुक्त राज्य सरकार तथा वहां के लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री का जो शानदार स्वागत किया उसकी सबने सराहना की। हेग सम्मेलन के सफल परिणाम तथा इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्रदान करने का बड़े जोरों से स्वागत किया गया और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता प्राप्ति में भारत ने जो नेतृत्व किया उसकी विशेषरूप से प्रशंसा की गई। वर्ष के आरंभ में मार्शल स्टालिन ने जो शान्ति प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसकी ओर बड़ा ध्यान दिया गया और इस बात पर बड़ा खेद प्रकट किया गया कि संयुक्त राज्य ने उसे ठुकरा दिया। कुछ समाचार-पत्रों ने यह मत प्रकट किया कि चीन की राजनैतिक उथल-पुथल की जिम्मेदार पश्चिमी शक्तियां हैं। डरबन में जाति संबंधी झगड़ों और एशियाटिक लैन्ड टेन्योर ऐक्ट की सभी ने निन्दा की। भारत की फ्रांसीसी बस्तियों में मतगणना के प्रश्न पर भारत

सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच जो समझौता हुआ उससे साधारणतया फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के प्रति रियायत समझा गया और कांग्रेस प्रेसीडेंट की इस मांग का सभी ने समर्थन किया कि इन विदेशी बस्तियों को बिना किसी मत गणना के तत्काल ही ले लेना चाहिये। बाद में चन्द्र नगर की मतगणना के परिणाम को भारत की विजय समझा गया और इस बात पर जोर दिया गया कि चन्द्रनगर के परिणाम को देखते हुए फ्रांसीसी बस्तियों में और कहीं मतगणना करना अनावश्यक है।

५—श्रम स्थिति

पिछले किसी वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हड़तालें और तालाबन्दियां कम हुईं, परन्तु इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक काम के दिनों का हर्ज हुआ। इसका कारण यह है कि १९४८ ई० की अपेक्षा १९४९ ई० में हड़तालें बहुधा अधिक दिनों तक जारी रहीं। १९४९ ई० में भी आमतौर पर व्यापार मन्दा पड़ गया, कच्चे माल के मूल्य बढ़ गये तथा पाकिस्तान के व्यापार संबंध खराब होते गये। इन सब कारणों से औद्योगिक कार्यों, विशेषरूप से कपड़ा, तेल, चमड़ा तथा कांच जैसे बड़े उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप विशेष रूप से वर्ष के उत्तरार्द्ध में कारखानों में छटनी हुई, बैठकी लगवाई गयी तथा कारखाने बन्द रहे। इन सब कारणों के साथ-साथ मिल मालिकों की इस उत्सुकता के कारण कि औद्योगिक संगठनों का समीचीनीकरण (Rationalisation)किया जाय--बहुत से मजदूर बेरोजगार हो गये और फलतः उनमें असंतोष फैल गया। इन बातों का सूती कपड़ा, चमड़ा, तेल तथा कांच के उद्योगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा।

१९४९ ई० में कुल ५४ हड़तालें हुई जिनमें ३७,१३२ मजदूरों ने भाग लिया और ४,०३,८८८ काम के दिनों का हर्ज हुआ, जब कि १९४८ ई० में १०० हड़ताल हुई थीं जिनमें ८६,५५९ मजदूर ने भाग लिया था और ३,१२,५८४ काम के दिनों का हर्ज हुआ था। इस वर्ष औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम न होने के कारण ५६,४२६ मजदूर अलग कर दिये गये और फलतः २,४५,४०७ काम के दिनों का हर्ज हुआ।

६--कृषि सम्बन्धी समस्यायें

मुख्य खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े-चढ़े ही रहे जिससे आमतौर पर किसानों को लाभ हुआ। इलाहाबाद और लखनऊ डिवीजनों तथा गोरखपुर डिवीजन में बस्ती जिले को छोड़कर, जहां लगातार वर्षा से बाढ़ के कारण भारी क्षति हुई, आमतौर पर राज्य में बाढ़ के कारण कोई भारी क्षति नहीं पहुंची और न उसे किसी अन्य कृषि संबंधी व्यापक आपदा का ही सामना करना पड़ा। किन्तु कभी-कभी ओला-तूफान आते रहे या दो एक अग्नि कांड हुए। किसानों की सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहा जिसके फलस्वरूप लगान की अदायगी तुरन्त होती रही।

खेतिहर मजदूर की मजदूरी बराबर चढ़ी रही और बैलों तथा कृषि संबंधी औजारों के मूल्य भी चढ़े रहे।

प्रस्तावित जमींदारी विनाश संबंधी कानून के कारण किसानों और जमींदार में तनातनी बनी रही, परन्तु इस वर्ष कोई गंभीर कृषि अशान्ति नहीं हुई।

७--कृषि सम्बन्धी स्थिति

इस वर्ष मानसून देर से आरम्भ हुआ और जुलाई से अक्तूबर तक बहुत वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप विशेष कर निचले क्षेत्रों में खरीफ की फस्लों पर, जो देर में बोई गयी थीं, बुरा असर पड़ा। अक्तूबर में भी बहुत वर्षा होने से देर में बोये गये धान की फसल की तथा ज्वार, बाजरा और गन्ने की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर नवम्बर और दिसम्बर में पर्याप्त वर्षा न होने से गैर-सिंचाई के क्षेत्रों में रबी की फस्लों की पैदावार पर बुरा असर पड़ा।

चावल और चना के क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों ही में वृद्धि हुई और ज्वार, बाजरा और मक्के के क्षेत्रफल और उत्पादन में कमी रही। गेहूं और जौ के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई परन्तु

दोनों के उत्पादन में कमी रही। खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हुए होने के कारण कपास के क्षेत्र फल और कुल उत्पादन दोनों ही में कमी हुई।

८--कृषि विकास

अन्न के संबंध में इस राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृषि क्षेत्र में सरकार ने जो भी कार्य किये वे मुख्यतया 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' को प्रगाढ़रूप से चालू करने के संबंध में थे। इस आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिये कृषि योग्य बंजर भूमि को आबाद करने में किसानों को सहायता करने के लिये उन्हें कुल १४ लाख रुपये की ब्याज वाली तकावी तथा ब्याज रहित ऋण दिये गये, इसके अतिरिक्त १२ लाख मन उन्नत प्रकार का रबी का बीज और २.७९ लाख मन खरीफ का बीज भी बांटा गया, और पैदावार बढ़ाने के लिये ९१,००० मन विभिन्न किस्म की खलियां, १८७ लाख मन अमोनियम सल्फेट, १५,७८४ मन अमोनियम फासफेट ५२,००० मन हड्डियों की खाद, २५,००० मन सुपर फासफेट, २२,००० मन सनई के बीज, ५५.५० लाख मन शहर के कूड़े से तैयार की गयी मिलवा खाद, २७३.५० लाख मन गांव के कूड़े से तैयार की हुई मिलवा खाद किसानों में बांटी गई और साथ ही कृषि संबंधी औज़ार जैसे हल और चैफ कटर्स भी उनमें वितरित किये गये। किसानों में परस्पर प्रति-योगिता की भावना उत्पन्न करने के लिये ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपनी भूमि से सबसे अधिक पैदा किया, कुल मिलाकर १३,५८० रु० के पुरस्कार दिये गये।

पौधा संरक्षण सेवा (प्लांट प्रोटक्शन सर्विस) का कार्य पौधों पर लगने वाली बीमारी तथा घातक कीड़ों (pests) का सामना करने के संबंध में लाभदायक रहा। बाग़वानी सम्बन्धी विकास कार्य को और प्रगाढ़रूप से किया गया और कृषि विज्ञान में सहकारी उन्नति के विभिन्न स्वरूपों के सम्बन्ध में खोज जारी रही। दो नये कृषि स्कूल खोले गये--एक अल्मोड़ा जिले के हवालबाग़ में और दूसरा झांसी जिले के चिरगांव में। इस प्रकार कृषि स्कूलों की संख्या बढ़कर ५ हो गई।

कार्य-कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से पहिले के कृषि के रीजनल डिप्टी डाइरेक्टरों के स्थान पर ५ डिप्टी डाइरेक्टर खास-खास कार्यों के लिये रखे गये और सरकारी कर्मचारियों और प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक कृषि बोर्ड बनाया गया। एक मिट्टी संरक्षण सेवा (स्वायल कन्जर्वेशन सर्विस) और एक कृषि सूचना ब्यूरो भी स्थापित किये गये। कृषि सूचना ब्यूरो का ख़ास उद्देश्य किसानों तथा कृषि में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को कृषि के क्षेत्र में किये गये नवीनतम विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त कराना था।

९--व्यापार की स्थिति

सभी वस्तुओं के संबंध में अर्थ परामर्शदाता द्वारा नियत मूल्य सूचक अंक ३९३ ३ से गिर कर ३९०.२ रह गया और ऐसा गेहूं, दाल, काफ़ी, चना, गुड़ और कपड़े के दामों के गिरने से हुआ। कच्ची रुई के दाम सरकार द्वारा नियत स्तर अर्थात् ६२० रु० पर ही स्थिर रहे। मूंगफली और रेंडी की खली का बाजार स्थिर रहा। सूती माल और कच्चे लोहे के दाम पहली नवम्बर १९४९ ई० से दोहराये गये, परन्तु कच्ची जूट से तैयार की गई वस्तुओं और इस्पात के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोयले का दाम ९ से १० आने तक प्रति टन कम कर दिया गया और यद्यपि चाय की अधिक मांग रही फिर भी दाम काफी कम रहे। सूती माल, काग़ज और काग़ज के बोर्ड (दफ्ती), सीमेन्ट तथा कास्टिक सोडा के उत्पादन में वृद्धि हुई। सूती कपड़े तथा सीमेन्ट के उत्पादन में क्रमशः १३.७ प्रतिशत और ५.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। गन्ने के क्षेत्र और उसकी पैदावार में ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। श्रम संबंधी स्थिति बराबर सुधरती रही और अक्तूबर में रेलवे द्वारा माल के लाने-ले जाने में काफ़ी सुधार हुआ। माल का आयात गिरता गया परन्तु निर्यात (पुनः निर्यात किये गये माल को सम्मिलित करके) में वृद्धि हुई। इस प्रकार सब बातों को देखते हुए औद्योगिक स्थिति अनुकूल रही और फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। परन्तु मूल्यों का सामान्य स्तर ऊंचा बना रहा।

१०—प्रान्त की वित्तीय स्थिति

१९४८—४९ ई० का बजट बनाते समय ४७० लाख रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था, किन्तु वर्ष के अन्तर्गत वास्तव में २९ लाख रु० की बचत हुई जिसमें से १८९ लाख रुपये राजस्व सुरक्षित कोष और १०० लाख रुपये जमींदारी विनाश कोष को संक्रमित किये गये ।

१९४९—५० ई० के मूल बजट में यह आशा की गई थी कि ५,५७३ लाख रुपये राजस्व से प्राप्त होंगे तथा ५.५५८ लाख रुपये का व्यय होगा और फलतः १५ लाख रुपये की बचत होगी ।

प्राप्तियों का दोहराया हुआ तखमीना ५,६२६ लाख रुपया तक पहुंच गया । फल-स्वरूप मूल बजट की सम्भावित १५ लाख की बचत के स्थान पर ३ लाख की छोटी-सी बचत हुई ।

पूंजी व्यय के मूल तखमीने में १,६९३ लाख रुपये के पूंजी व्यय का अनुमान लगाया गया था, किन्तु संशोधित तखमीने में वह ९८५ लाख रुपया रह गया । यह कमी खाद्यान्न सप्लाई योजना के अन्तर्गत होने वाली हानियों को पूरा करने के लिये सप्लाई योजनाओं के स्थिरीकरण कोष से ३०० लाख रुपये की पूंजी संक्रमित किये जाने, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के सम्बन्ध में सामान दिये जाने के लिये कतिपय निर्माण कार्यों के स्थगित किये जाने और मित-व्ययता के विचार से कुछ योजनाओं में काटछांट कर देने के कारण हुई ।

सरकार ने १९४९ ई० में ४ करोड़ रुपये का ऋण लेने का विचार किया था, परन्तु वास्तव में कोई ऋण नहीं लिया जा सका । इसके स्थान पर ५ १/२ करोड़ के ट्रेजरी बिल चालू किये गये और १,६२८ लाख रुपये की धनराशि उपाय और साधन एडवान्स के रूप में ली गयी, किन्तु वह पूर्णतया भुगतान कर दी गई ।

११—सहकारी आन्दोलन

आलोच्य वर्ष मे सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त प्रसार हुआ और यही इस वर्ष की विशेषता है । परिणाम यह हुआ कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यों में भाग लेने वाली सहकारी समितियों की संख्या वर्ष के अन्त में बढ़कर ३७,४६८ हो गई । इस अवधि की उल्लेखनीय प्रमुख योजनायें ये थीं :— (१) १९४७ ई० में चालू की गई नई सहकारी योजना का विकास. (२) बीज, औजार तथा उर्वरकों की सप्लाई, (३) राशनवाले खाद्यान्नों तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं का वितरण और (४) बड़े शहरों में दूध की सप्लाई । उत्पादन बढ़ाने और साथ-साथ उत्पादन की आवश्यकताओं के लिये धन की व्यवस्था करने पर निरन्तर जोर दिया गया ।

नई सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत १,३०० विकास ब्लाक स्थापित किये गये जिनमें से प्रत्येक में १२ से लेकर २० गांव थे और प्रत्येक गांव में एक बहुधन्धी समिति तथा प्रत्येक ब्लाक में ब्लाक की समस्त समितियों के लिये एक विकास यूनियन संगठित की गई या संगठित की जा रही थी । ब्लाकों में सरकारी कृषि बीज गोदामों का प्रशासकीय नियन्त्रण कृषि विभाग से लेकर प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन को सौंप दिया गया । इसमें से बहुत से बीज गोदामों को वर्ष के दौरान में विकास यूनियनों ने अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने समितियों के सदस्यों को १० लाख मन बीज और काफ़ी मात्रा में उर्वरक तथा औजार बांटे । शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर संगठित किया गया और यही इस वर्ष का दूसरा प्रमुख विकास कार्य था । इन समितियों ने १२ करोड़ रुपये के राशन का खाद्यान्न और दूसरी वस्तुओं का वितरण किया । वर्ष के अन्त में नगरों में ऐसी २३७ समितियां कार्य कर रही थीं । इन समितियों के मेम्बरों की संख्या २.८८ लाख थी । इस बात का ध्यान रखते हुए कि उपनियमों के अन्तर्गत समितियां प्रत्येक परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को सदस्य बना सकती थीं, सदस्यों की उक्त संख्या निश्चय ही शहरी क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन की स्पष्ट उन्नति का द्योतक है ।

मेरठ, नैनीताल, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और कानपुर की सहकारी समितियों ने उपभोक्ताओं को दूध सप्लाई करने का कार्य अपने हाथ में लिया और वर्ष के अन्तर्गत उन्होंने

६३,००० मन दूध इकट्ठा किया और बांटा। झांसी के दो गांवों म सहकारिता के आधार पर कृषि करने का कार्य आरम्भ किया गया और उनमें लगभग ९०० एकड़ भूमि में सहकारिता के आधार पर खेती की गई। जो नतीजे प्राप्त हुए वे बहुत संतोषप्रद थे। घी विक्रय समितियों ने २,५०० मन शुद्ध घी का क्रय-विक्रय किया और जोतों की चकबन्दी करने वाली समितियों ने लगभग १४,००० एकड़ नये क्षेत्रों की चकबन्दी की।

प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन ने अपने कारोबार को काफ़ी बढ़ाया। वह कृषि बीज गोदामों के संचालन के साथ-साथ कपड़े के प्रान्तीय आयात कर्त्ता की हैसियत से भी कार्य करता रहा। फडरेशन ने लगभग ५ करोड़ रुपये का कपड़ा नगरों में उपभोक्ताओं की समितियों, देहाती क्षेत्रों में सहकारी यूनियनों और अन्य फुटकर विक्रेताओं को वितरित किया।

प्राविन्शियल कोआपरेटिव बैंक की कार्य संचालन पूंजी बढ़कर ३ करोड़ रुपये हो गई जिससे बैंक की वित्त पोषण क्षमता बढ़ गई।

१२—पशु-पालन

पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़कर २१२ हो गई जिनमें ८,६४,५१९ पशुओं की चिकित्सा की गयी तथा १,०६,८५५ ऐसे रोगी पशुओं के लिये औषधियां दी गई जो वास्तव में चिकित्सालयों में नहीं लाये गये।

जिन पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचने की सुइयां लगाई गई उनकी कुल संख्या १५,५०,२५९ थी जिनमें से केवल ११२ पशुओं की मृत्यु हुई। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को शीघ्रता और अपेक्षाकृत अधिक कार्यदक्षता के साथ पूरा करने के हेतु विशेष व्यक्तियों (मैसेन्जरों) द्वारा जिलों के हेडक्वार्टरों को वैक्सीन (गव्य द्रव्य) और सेरम (चर्म सार) सप्लाई की गई।

बादशाहबाग़, लखनऊ में स्थित बाइलाजिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन ने रिन्डरपेस्ट गोट टिश्यू विरस और हेमोराजिक सेप्टीसीमिया वेक्सीन (Haemorrhagic Septicaemia Vaccine) तैयार किया। इस उपविभाग का इस उद्देश्य से विस्तार किया जा रहा था कि वह कम ख़र्च पर और अपेक्षाकृत अधिक कार्य-कुशलता के साथ सरकार की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए उन औषधियों के उत्पादन में वृद्धि कर सके।

पशु-पालन पुनस्संगठन समिति (Animal Husbandry Reorganisation Committee) की सिफारिशों के अनुसार अंशदान के आधार पर नस्लकशी के प्रयोजनों के लिए नस्लों की क़िस्म के अनुसार सांड और भैंसे दिये गये।

विभिन्न नस्लों के प्रामाणिक सांडों को अपेक्षित संख्या में उत्पन्न करने के निमित्त पशुओं की नस्लकशी के विभिन्न सरकारी फार्मों के लिए आलोच्य वर्ष में नस्लकशी के हेतु पशुओं का आधारभूत स्टाक खरीदा गया। जिला प्रतापगढ़ के बैंती पशु फार्म के मालिक को विशुद्ध साहीवाल नस्ल के बेड़े के उचित भरण-पोषण तथा उसमें वृद्धि करने के लिए राज सहायता दी गई। केनकेथा पशुओं का भी एक बेड़ा खरीदा गया और झांसी जिले में भरारी के सरकारी पशु फार्म में रखा गया। कृत्रिम गर्भाधान के प्रचार की एक योजना चार केन्द्रों में चालू थी और सहारनपुर में किसान आश्रम के आस पास आठ गांवों में पशुओं की उन्नति की योजना श्रीमती मीरा बेन के संरक्षण में चलती रही। मेरठ जिले के चुने हुये प्रमुख गांवों में एक सौ छत्तीस सांड काम में लाये जा रहे थे।

पशु सुधार योजना, जो कि भारतीय कृषि खोज परिषद् (इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) तथा प्रान्तीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से ५०:५० के आधार पर वित्त पोषित की जा रही थी, मथुरा जिले के छाता में इस वर्ष भी संतोषप्रद रूप से कार्यान्वित होती रही।

अलीगढ़ के गवर्नमेंट सेन्ट्रल डेरी फार्म में, जो कि व्यापारिक ढंग पर चलाया जा रहा था, डेरी के पशुओं तथा कृषि क्षेत्र में काफी वृद्धि की गयी। इस फार्म में काफी संख्या में सुअर भी पाले गये थे। भद्रुक डेरी फार्म में पशुओं की संख्या ३८१ से बढ़कर ५९६ हो गई जिसके फल-

स्वरूप दूध का उत्पादन १५ मन प्रति दिन से बढ़कर ६० मन प्रति दिन हो गया । फार्म में प्लेट पैस्चुराईजिंग और कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट लगाये गये और लोगों को सप्लाई करने से पूर्व सारा दूध मशीन द्वारा विधिवत् शुद्ध कर लिया जाता था।

गोशाला विकास योजना की प्रगति अच्छी रही । बहुत सी गोशालाओं को इमारती सामान दिलवाने में सहायता दी गयी और आस पास के क्षेत्रों में वितरित करने के लिए अच्छी नस्ल के सांडों को उत्पन्न करने तथा अपने देशी पशुओं की नस्ल सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न गोशालाओं को अनेक स्वीकृत सांड सप्लाई किये गये।

विभिन्न स्थानों में अनुत्पादक तथा बेकार पशुओं के लिए चार कन्सेंट्रेशन कैम्प (Concentration Camps) खोले गये और दूध न देने वाली गायों के लिए लखनऊ, गाजियाबाद और पशुलोक, ऋषिकेष (जिला देहरादून) में तारण (Salvage) केन्द्र चालू थे जहां १२ रु० से लेकर १५ ० प्रति मास देने पर दूध न देने वाली गायों का भरण-पोषण किया जाता था।

मथुरा जिले म भेड़ों की नस्लकशी की एक योजना आरम्भ की गयी और फतेहपुर जिले के रतनपुर में एक मेढ़ा सांड केन्द्र (Stud Ram Centre) खोला गया।

देशी पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ मेरिनों को मंगाने की व्यवस्था की गई जिन्हें संयुक्त प्रान्त के पर्वतीय क्षेत्र में किसी उपयुक्त केन्द्र में रखने का विचार था।

गांवों में बांटने के लिए प्रामाणिक नस्ल के बकरे उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ सरकारी फार्मों में शुद्ध जमुनापारी नस्ल की बकरियों के बेड़े रखे गये और यू० पी० कालेज आफ वेटेरिनरी सा न्स ऐन्ड एनीमल हसबैन्ड्री, मथुरा में शुद्ध बरबरी नस्ल की बकरियों का एक बेड़ा रखा गया । भारतीय कृषि खोज परिषद् द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे हुए प्रामाणिक नस्ल के चार अंगोरा बकरों को हस्तगत कर लिया गया और उन्हें अस्थायी रूप से अल्मोड़ा जिले में स्थित रानीखेत पशु चिकित्सालय में रखा गया । पहाड़ों में मोहरे उद्योग का विकास करने के लिए अंगोरा बकरी की नस्लकशी की योजना चालू करने का विचार किया गया जिसे प्रान्तीय सरकार और भारतीय कृषि खोज परिषद् संयुक्त रूप से ५०:५० के अनुपात में वित्त पोषित करेगी।

वर्ष में एक अतिरिक्त घुड़-सांड और तीन गदहा-सांड भी खरीदे गये । मेरठ, मुजफ्फर-नगर, अलीगढ़ और बुलन्दशहर के चार चुन हुए जिलों में घोड़ों और खच्चरों के संबंध मे नस्लकशी करने का कार्य सुरक्षा विभाग को दे दिया गया । सुरक्षा विभाग के घुड़ सांड़ आ जाने पर इन जिलों के घुड़-साडों को वापस ले लिया गया और उन्हें सहारनपुर, बिजनौर, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा और मैनपुरी के निकटवर्ती जिलों में उसी ढंग पर घोड़ों की नस्लकशी के कार्य का विस्तार करने के लिए रखा गया जिस ढंग पर उपर्युक्त चार चुने हुए जिलों में कार्य किया जा रहा था । वितरण के लिए केवल सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ ी में सुअर-सांड तैयार किये गये।

विकास ब्लाकों के मुर्गी पालने वालों को सरकारी फार्मों में से सेने योग्य हजारों अंडे, प्रौढ़ मुर्गियां और मुर्गियों के बच्चे रियायती दर पर दिये गये तथा खाने के हजारों अंडे उचित मूल्य पर लखनऊ की जनता को सप्लाई किये गये।

१२—मत्स्य-पालन

तालाबों में मछली पालने की योजना ने, जो अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के एक अंग के रूप में जारी की गयी थी , और अधिक प्रगति की और वर्ष के अन्त में कुल १,१२४ उपयुक्त तालाबों में से ३२ जिलों के ५८५ तालाबों में पालने के लिए मछलियां रख दी गई । भारत सुरक्षा नियमों (डिफेंस आफ इंडिया रूल्स)के अधीन हस्तगत किये गये ५७३ तालाबों को जिनमें १९४४-४५ ई० में मछलियां पाली हुई थीं उनके मालिकों को लौटा दिये जाने के पूर्व मछली पकड़ने के लिए नीलाम कर दिया गया और दिसम्बर, १९४९ ई० तक कुल ५७३

तालाबों में से २९४ तालाबों की मछलियां पकड़ ली गयीं । उनमें से ७,६९४ मन २७ सेर १३॥ छटांक मछलियां या औसतन प्रति एकड़ पानी में २४ मन से अधिक मछलियां पकड़ी गईं। मत्स्य पालन के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा हस्तगत किये जाने के पूर्व इन तालाबों में मुश्किल से १० सेर मछली हुआ करती थी ।

कुमायूं मत्स्य योजना के अन्तर्गत जुलाई, १९४७ ई० में ६० मिरर कार्प मछलियां प्रजनन के लिए तालाबों में डाली गयी थीं । अक्तूबर, १९४९ ई० में ऊटकमंड से २४० और छोटी-छोटी मछलियां (Fingerlings) लाकर उनकी वृद्धि की गई और पहिले की कार्प मछलियों को, जो प्रजनन के योग्य हो गयी थीं, भुवाली हैचरी (मछलियों के अंडे सेये जाने का स्थान) में बनाये गये नस्लकशी के नये गोल तालाब में हटा दिया गया।

दार्जिलिंग से महाशेर मछली को कुमायूं में लाकर शिकार के प्रयोजन के लिए उसकी वंशवृद्धि करने का प्रस्ताव पूर्वी पाकिस्तान से होकर यातायात की कठिनाइयों के कारण कार्यान्वित न हो सका।

मकानों की पर्याप्त सुविधायें तथा योग्यता प्राप्त आवश्यक कर्मचारियों के न होने से कुमायूं के बड़े तालों में मछली पकड़ने की विधि में सुधार करने के निमित्त बनाई गई नौकुचिया ताल योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ । फिर भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक निजी इमारत किराये पर लेकर काम आरम्भ कर दिया गया।

करेला झील योजना में और अधिक प्रगति हुई। करेला झील, जो कि लखनऊ की सबसे बड़ी झील है, इस योजना के अन्तर्गत मत्स्य विकास के लिए चुनी गयी थी और झील में पानी की पर्याप्त गहराई कायम रखने के लिए एक बांध बनाया गया था और पानी निकालने के लिए एक जल मार्ग (Spillway) की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी । खर-पतवार की अधिकता होने से जो कठिनाई हो रही थी, उसे तालाब में ८ इंच या इससे अधिक की छोटी-छोटी मछलियां डालकर दूर कर लिया गया क्योंकि इस आकार की छोटी मछलियों को शिकारी मछलियां नहीं खातीं।

उन तालाबों में जिनमें मछलियां पाली जाती हैं मछलियों के शारीरिक विकास में भेद होने के कारणों का पता लगाने और उनको दूर करने के उपाय मालूम करने के निमित्त प्रयोग करने के लिए मिर्जापुर के निकट टांडा प्रपात पर एक मत्स्य खोज फार्म (Research Fish Farm) स्थापित करने की एक योजना बनाई गई थी और फार्म बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही थी ।

१४—वन

निजी जंगलों और बागों में कुछ क़िस्मों के पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कुमायूं, नयाबाद तथा बंजर भूमि ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियम अन्तिम रूप से लागू कर दिये गये। ईंधन तथा चारे के लिए जंगल के सुरक्षित भाग कायम रखने के संबंध में भूमि प्रबन्धक सर्किल कार्रवाई करती रही। लखनऊ, बरेली, रायबरेली और कानपुर जिलों में जन-स्वास्थ्य विभाग की सड़कों के किनारे-किनारे कई मील तक नये पेड़ लगाये गये और नहर के तटों तथा रेलवे की जमीनों आदि में भी पेड़ लगाये गये । आलोच्य वर्ष में भूमि प्रबन्धक बोर्ड की बैठक हुई और उसने बड़े शहरों के समीप बंजर जमीन पर इमारती तथा ईंधन के काम में आने वाले पेड़ों के पौधे लगाने के प्रश्न पर, रेलवे की जमीन में पेड़ लगाने तथा भूमि प्रबन्धक सर्किल द्वारा हाल ही में प्राप्त किये गये क्षेत्रों के प्रबंध के संबंध में भावी नीति निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया। आलोच्य वर्ष में बन उपयोगिता मन्त्रणा परिषद् की बैठक भी हुई। आलोच्य वर्ष में ईंधन की लकड़ी के एक जगह से दूसरी जगह लाने-ले जाने तथा उसके मूल्य पर फिर नियन्त्रण लगा दिया गया और विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने तथा प्राइमरी स्कूलों के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई की गयी । रेलवे को एक बड़ी संख्या में स्लीपर सप्लाई किये गये और सेमल तथा दूसरी किस्म के पेड़, दियासलाई तथा प्लाईवुड के उद्योगों तथा अन्य उद्योगधंधों को भी बेंचे गये । पहाड़ों में वाटल (wattle) पेड़ अब भी प्रयोगात्मक रूप में ही लगाये जा रहे थे और बबूल के पेड़, जो चमड़ा कमाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज है, विशेष रूप से नहर के किनारे-किनारे लगाये गये।

१५--सार्वजनिक निर्माण कार्य

(क) भवन तथा सड़कें

वित्तीय वर्ष १९४९--५० ई० के आरम्भ में समस्त मूल निर्माण कार्यों तथा सड़कों और इमारतों के रखरखाव के लिए कुल १२.६१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण बाद में यह नियत धनराशि कम करके ९.२८ करोड़ रुपये कर दी गई। इस धनराशि में से ५.१० करोड़ रुपये सड़क निर्माण कार्य के लिए थे अर्थात् लगभग २ करोड़ पया पक्की और कच्ची सड़कों, पुलों और नौका-घाटों के रखरखाव के लिए और शेष मूल निर्माण कार्यों के लिए, जिसमें कतिपय स्थानीय सड़कों का निर्माण और सुधार और पहिले दौर वाले कार्यक्रम की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत विभिन्न लम्बाई की पक्की और कच्ची नई सड़कों का निर्माण सम्मिलित है। पिछले वर्षों में इमारती सामान की कमी तथा वाहन संबंधी कठिनाइयों के फलस्वरूप बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ा था किन्तु इस वर्ष स्थिति सुधर जाने के कारण निर्माण कार्य संतोषजनक रूप से प्रारम्भ हुए, किन्तु धनाभाव के कारण सभी दिशाओं में प्रगति रोकनी पड़ी। राष्ट्रीय राज मार्गों के संबंध में भारत सरकार ने केवल दो पुल (बैगुल और भाकरा) के निर्माण की स्वीकृति दी और उनका निर्माण आरम्भ कर दिया और जहां तक दूसरी सड़कों का संबंध है ग्यारह बड़े पुलों का निर्माण कार्य जारी रखा गया और एक का निर्माण समाप्त कर दिया गया। ८,१७० मील लम्बी पक्की और ६,५०० मील लम्बी कच्ची सड़कों का रखरखाव किया गया और ६६० मील सड़क का पुनर्निर्माण और ८०० मील पक्की तथा ३,३०० मील कच्ची नई सड़कों का निर्माण जारी रक्खा गया।

मूल नियत धनराशि कम कर दी जाने के कारण, भवन निर्माण कार्यक्रम में भी काट-छांट करनी पड़ी। ४१ ग्रामीण दवाखाने, १५३ नर्सिंग अर्दलियों के क्वार्टर, ५३ कम्पाउंडरों के क्वार्टर, १८ बेसिक बीज गोदाम तथा बहुत सी अन्य इमारतों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया, किन्तु लखनऊ में विधान मंडल के सदस्यों के लिए नए निवास स्थानों के निर्माण, लखनऊ में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, आगरा में वेटेरिनरी कालेज तथा और अन्य बहुत सी जगहों में दूसरी इमारतों के विस्तार की प्रगति मन्द करनी पड़ी। पुनर्वासन कार्य के संबंध में भी आलोच्य वर्ष में शरणार्थियों के लिए "ए" और "बी" श्रेणी के ४,००० क्वार्टर बनवाने का शुरू में विचार था किन्तु बजट कम हो जाने के कारण केवल १३४ क्वार्टर तथा २,६०० निवासस्थान सहित दूकानें बनाई गईं।

मेरठ जिले में गंगाखादिर उपनिवेशन योजना के अधीन तथा किच्छा के पास तराई भाबर सरकारी आस्थानों (Estates) में सड़क तथा भवन निर्माण कार्य की प्रगति, बहुत सी बाधाओं के होते हुए भी, सन्तोषजनक रही।

फरवरी, १९४९ ई० के प्रारम्भ में पी० डब्ल्यू०डी० रिसर्च स्टेशन की इमारत का निर्माण-कार्य शुरू किया गया और पूरा किया गया। इसके लिए यंत्रजाल और सज्जा के लिए अमेरिका में आर्डर दिया गया था और वहां से यह सामान आ रहा था और इस बात की आशा की जाती थी कि शीघ्र ही न केवल भवन निर्माण संबंधी सामग्रियों पर ही प्रयोग करना सम्भव होगा बल्कि भवन तथा सड़क निर्माण कार्यों की विभिन्न समस्याओं को हल करना और कम कीमत पर सड़कों के बनाने, उनके विस्तृत विवरण तैयार करने आदि जैसी समस्याओं पर अनुसंधान करना भी संभव हो सकेगा। इस प्रयोगशाला में मजबूत सड़कों और पूर्व निर्मित भवनों के संबंध में पहले से प्रयोग जारी थे।

(ख) सिंचाई

जाड़े के मौसम में जनवरी और फरवरी के प्रथम पखवारे में छितरी बूंदाबांदी हुई और उसके बाद जून के अन्त तक मौसम शुष्क रहा। फलतः वर्ष के आरम्भ में नहर के पानी की मांग बहुत कम रही किन्तु शुष्क महीनों में वह मांग अधिक हो गयी। मानसून सक्रिय रहा और जुलाई से अक्तूबर तक लगातार और भारी वर्षा होती रही और इस अवधि में सिंचाई के लिये पानी की मांग नहीं रही, लेकिन सितम्बर और अक्तूबर में धान की सिंचाई

के लिये और उसके बाद रबी की फस्ल की कोर सिंचाई के लिये पानी की मांग फिर बढ़ गयी। पानी की सप्लाई काफी अच्छी रही और पिछले वर्ष के ५३,००,८४० एकड़ की तुलना में आलोच्य वर्ष में ५८,९५,५४८ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई।

"अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" के अन्तर्गत विभिन्न नई नालियों के निर्माण तथा विस्तार का कार्य, विशेष कर शारदा नहर और बुन्देलखंड में, जारी रक्खा गया।

ट्यूबवेलों से कुल ८,४४,३४० एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी जो पिछले वर्ष की तुलना में १,५७,८५५ एकड़ अधिक है। ६०० ट्यूब वेलों के निर्माण की एक योजना बनायी गयी थी जिसमें से ५३५ ट्यूब वेलों का निर्माण इस वर्ष पूरा किया गया।

झांसी डिवीजन में पाहुज की सीढ़ीदार बंधियां बनाने का काम पूरा किया गया और बेलन नहर योजना की पैमाइश की गयी और योजना के तखमीने सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये। नगवा बांध योजना के संबंध में लगभग ८० प्रतिशत काम पूरा किया गया। मिर्जापुर नहर डिवीजन में ललितपुर और सपरार बांधों की प्रगति जारी रही। धौरा बांध योजना के सिलसिले में खाईं खोदने और पत्थर तोड़ने का काम किया गया और शाहगंज रज' हा (डिस्ट्रीब्यूटरी) की ब्योरेवार पैमाइश की गयी और पाली तथा नरहट तालाबों के लिये भूमि प्राप्त करने के संबंध में सरकार को भूमि योजना प्रस्तुत की गयी।

शारदा नहर से ८०३ मील लम्बी नालियों का निर्माण कार्य अधिकतर पूरा किया गया और १,०६२ मील लम्बी नालियों के प्राजेक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये कार्यवाही की गयी। प्रतापगढ़ शाखा प्राजेक्ट के संबंध में, जिसके अन्तर्गत ३०० मील से अधिक लम्बी नालियां बनायी जाती हैं, निर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया और सीतापुर शाखा को नये ढंग से बनाये जाने का कार्य करीब-करीब पूरा हो गया।

ट्यूब वेल सर्किल (पूर्व) में ५० और ट्यूबवेल सर्किल (पश्चिम) में २०० नये बिजली के कुओं के प्राजेक्टों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और बिजनौर नहर क्षेत्र में १६ बिजली के कुएं बनाने का एक प्राजेक्ट सरकार के पास भेजा गया। शाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी जिलों में ३०० बिजली के कुओं के निर्माण के लिये पैमाइश की गयी और प्राजेक्ट का एक तखमीना तैयार किया गया। प्रत्येक बिजली के कुएं पर औसतन एक मील लम्बे अतिरिक्त पक्के गूलों की व्यवस्था करने की योजना स्वीकृत की गयी और यह कार्य हाथ में लिया गया। फर्रुखाबाद और मैनपुरी जिलों में, जहां ४०० नये बिजली के कुओं के निर्माण का प्रस्ताव था, आंकड़े और तथ्य जमा करने के लिये प्रयोग के रूप में वेधन क्रियायें की गयीं।

बिजली (पावर) की खपत पर लगाये गये प्रतिबन्धों के होते हुए भी गंगा नहर जल विद्युत् ग्रिड पर ३६,२३० किलोवाट का अधिकतम भार रहा और नीरगजनी, चेतौरा और सलवा के मुख्य सब-स्टेशनों के विस्तार के निर्माण कार्य में प्रगति होती रही। मुहम्मदपुर बिजली घर संबंधी सभी बड़े सिविल निर्माण-कार्य पूरे हो गये और पावर प्लान्ट के लगाये जाने का कार्य हो रहा था। इस स्टेशन पर प्रत्येक ३,१०० किलोवाट की क्षमता के तीन टर्बो आल्टरनेटर (Turbo Alternator) सेटों के लगाये जाने का कार्य भी हाथ में लिया गया। हरदुआगंज स्टीम स्टेशन में सी० टी० एम० ब्वायलर के लगाये जाने का कार्य पूरा किया गया और तीन पुराने डब्लू० आई० एफ० ब्वायलरों के लगाये जाने का कार्य चालू रहा। इस स्टेशन में डब्लू० आई० एफ० चिमनी स्टीम ड्रमों (W. I. F. Chimney Steam Drums) का तथा ट्यूब सेक्शन का सिविल निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया। सोहावल और फैजाबाद के बीच ११ किलोवाट की लाइनों के लगाने का कार्य भी आंशिक रूप में पूरा हो गया। आजमगढ़ बिजली सप्लाई कारबार ने घरेलू प्रयोग के लिये लगभग ७५ अतिरिक्त कनेक्शन दिये और कुछ पावर कनेक्शन सरकार ने स्वीकृत किये। गोरखपुर बिजली घर (पावर हाउस) में ३४५ किलोवाट के दो डीजैल जेनरेटिंग सेट लगाये गए।

शारदा जल-विद्युत् योजना के अन्तर्गत मुख्य पावर हाउस के नींव के गड्ढे से पानी उलचने का काम -र्ष भर जारी रहा, फलस्वरूप ६०५.०० की सतह तक, जो कि लक्ष्य था, पानी की सतह को नीचा करने और खोदाई करने का काम दिसम्बर के अंत तक सफलता पूर्वक पूरा हो गया।

६६ के० वी० सिंगिल सर्किट लाइनों की पैमाइश और उनको एक पंक्ति में ले जाने के नक्शे इस उद्देश्य से तैयार कर लिये गये कि जैसे ही विभाग द्वारा निश्चित किये गये डिजाइन के पूर्व निर्मित दूरप्रेषण खम्भे प्राप्त हो जायें वै े ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाय।

रिहंद बांध योजना के अन्तर्गत नींव-शिला (foundation rock) का वेधन और अन्य प्रारंभिक अनुसंधान कार्य पूरे किये गये। चीफ इंजीनियर (विकास) ने जुलाई में अपने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दौरे के अवसर पर इस योजना के डिजाइनों और विस्तृत विवरणों को, जिनके तैयार करने का कार्य एक अमेरिकन इंजीनियरिंग फर्म को सौंपा गया था, अन्तिम रूप दे दिया। किन्तु वर्ष के अन्त में वित्तीय संकट के कारण इस योजना से संबंधित कार्य में बहुत काट-छांट करनी पड़ी।

यमुना जल-विद्यु्त प्रोजेक्ट को सरकार ने अंतिम रूप से स्वीकृत क र लिया और प्रारंभिक कार्य में काफी अच्छी प्रगति हुई। भारत के प्रधान मंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने २३ मई को इस योजना का शिलान्यास किया। एक डीजि़ल पावर स्टेशन के अधिष्ठापन के संबंध में निर्माण कार्य के लिये मशीनरी और फावड़े, बुल्डोजर्स और अन्य निर्माण संबंधी मशीनों के लिये आर्डर दिये गये और उन्हें प्राप्त किया गया। परन्तु वर्ष के अन्त में वित्तीय संकट के कारण इस योजना का कार्य स्थगित कर दिया गया।

चूंकि लगभग अक्तूबर के माह तक पथरी बिजली घर पावर स्टेशन का बनाया जाना अनिश्चित था, इसलिये इस बिजली घर के प्र`जेक्ट के निर्माण कार्य में बहुत प्रगति न हो सकी फिर भी पावर प्लांट की सप्लाई और अधिष्ठापन के लिये अक्तूबर में टेंडर प्राप्त हुए किन्तु चूंकि किसी भी टेंडर के अंतिम रूप से स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका, इसलिये पावर हाउस का डिजाइन बनाने का काम हाथ में नहीं लिया जा सका।

उन नहरों की पैमाइश का कार्य जारी रहा जिसमें रिहंद बांध से उत्पादित विद्युत् शक्ति की सहायता से घाघरा, त्रिवेणी और नैनी नदियों से पम्प द्वारा निकाला गया पानी पहुंचता रहेगा।

गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों में १०० बिजली के कुओं के संबंध में जो निर्माण कार्य १९४८ ई० में शुरू किया गया था वह जारी रहा।

डांडा नहर पर कुछ बड़े पक्के निर्माण कार्य किये गये और १९४८-४९ ई० की रबी की फसल में सिंचाई के लिये रोहिन नहर खोली गयी।

बलिया जिले में गांवों की आबादी और जोते तथा बोये क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये पांच बंधियां बनाई गयीं।

नौचालन योजना के अन्तर्गत गंगा, घाघरा और राप्ती नदियों की नौचालन संबंधी पैमाइश की गयी और उनके प्र.जेक्टों को तैयार करने का काम हाथ में लिया गया।

रामगंगा नदी के प्राजेक्ट के अन्तर्गत भूगर्भ संबंधी मानचित्र बनाने के कार्य को छोड़ कर बाकी सब सिविल जांच-पड़ताल का कार्य पूरा हो गया और प्राजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम हाथ में लिया गया।

कंसल्टेंट्स बोर्ड (सलाहकारों का बौर्ड) मार्च में नायर नदी प्र जेक्ट के बांध के स्थान का निरीक्षण करने के लिए गया और उसने योजना के पक्ष में सरकार को रिपोर्ट दी। परन्तु प्राजेक्ट संबंधी निर्माण-कार्य अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया। गढ़वाल जिले और कुमायूं डिवीजन में सिंचाई और जल विद्युत् संबंधी बहुत सी छोटी-छोटी योजनाओं के संबंध में जांच-पड़ताल भी की गयी। ३६ मील लम्बी उन नालियों का निर्माण-कार्य जिनकी जांच-पड़ताल अल्मोड़ा जिले में सन् १९४८ ई० में की गयी थी, हाथ में लिया गया और वर्ष के अंत तक उनमें से लगभग १६ मील लम्बी नालियां तैयार हो गयी थीं।

गोरखपुर शहर के निकट २,५७५ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिये रामगढ़ ताल से पम्प द्वारा निकाले गये पानी की नहर का निर्माण-कार्य भी हाथ में लिया गया। सरकार ने १.७७ लाख रु० की लागत पर इस नहर के बनाये जाने की स्वीकृति दे दी थी।

१६—आबकारी

पूर्ण मद्य-निषेध योजना को एटा, मैनपुरी, बदायूं, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, कानपुर और उन्नाव के जिलों में लागू रहने देने के अतिरिक्त सन् १९४९ ई० में उक्त योजना को पहली अप्रैल से रायबरेली और फतेहपुर जिलों में और हरद्वार और बृन्दाबन की म्युनिसिपैलिटियों में तथा ३१ अगस्त से देहरादून जिले के ऋषीकेश नगर में भी लागू किया गया। सरकारी प्रबन्ध तथा क्रमानुसार बढ़ायी जाने वाली अतिरिक्त कर की प्रणालियां (surcharge) देहरादून जिले में यथापूर्व चालू रहीं और उन बाकी जिलों में, जहां नशाबन्दी नहीं लागू की गयी थी, पहले हा की भांति नीलाम द्वारा ठेके देने की प्रणाली लागू रही। महसूल की दरों अथवा नशीली चीजों की निकासी के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये और दोनों ही पिछले वर्ष जैसे बने रहे, किन्तु सादी और मसालेदार देशी शराब की शक्ति देहरादून जिले में अगस्त के मध्य से क्रमशः ३५ यू० पी० और २५ यू० पी० कर दी गयी, जैसी कि पहले थी। इसके अतिरिक्त मद्य-निषेध वाले जिलों में आबकारी के उस अमले का, जो नशा के प्रयोग की रोक-थाम के लिये था, प्रयोग के तौर पर उन जिलों में से प्रत्येक जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट के नियंत्रण में रख दिया गया। मद्य-निषेध संबंधी प्रख्यापन कार्य तथा समाजोत्थान कार्य पूर्ववत् ही होते रहे और संयम समितियां (टेम्परेन्स सोसाइटियां), नशाबन्दी बोर्डों, जातीय पंचायतों, कांग्रेस मंडलों, आर्य समाज तथा समाज-सेवा करने वाली दूसरी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जनमत को शिक्षित करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

१७—शिक्षा

इस वर्ष ४,२१८ नये प्राइमरी स्कूल खोल दिये जाने पर राज्य में प्रारंभिक शिक्षा देने वाले समस्त प्राइमरी स्कूलों की संख्या ११,१४० हो गयी। इन स्कूलों में ७ लाख से भी अधिक बच्चे भर्ती किये गये और इनमें पढ़ाने के लिये नियुक्त अध्यापकों की कुल संख्या २०,०५५ थी। इन स्कूलों में से लगभग २,४०० स्कूलों के पास अपनी निजी इमारतें थीं। हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या भी बढ़कर ९२५ हो गयी और सरकारी अनुदानों की सहायता से उनका पुनस्संगठन किया जा रहा था। इनमें से ६५ स्कूलों में क्रमोत्तर कक्षायें (Continuation Classes) खोली गयी थीं। विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में इस वर्ष पिछले किसी भी वर्ष से अधिक छात्र भर्ती हुए और बहुत से कालेजों को आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के लिये अनुमति दान की गयी। सैन्य शिक्षा योजना चार और नगरों, यानी देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और मिर्जापुर में लागू की गयी और नेशनल कैडट कोर योजना के अन्तर्गत इस वर्ष सीनियर डिवीजन की ३ और कम्पनियां तथा जूनियर डिवीजन में २० ट्रूप और बढ़ा दिये गये। शारीरिक उन्नति सप्ताह और खेलकूद दिवस के उत्सव बड़े ही लोकप्रिय सिद्ध हुए, क्योंकि इनके द्वारा संगठित खेलकूद में ग्रामीण जनता भाग ले सकती थी।

बालिकाओं के सरकारी हाई स्कूलों की संख्या, जिसमें ५ इंटरमीडियेट कालेज भी सम्मिलित हैं, बढ़कर ३३ हो गयी। इन स्कूलों में जिन विभिन्न प्रकार के कार्यों का आयोजन किया गया उनमें जूनियर रेडक्रास संबंधी कार्य, गर्लगाइडिंग, सैन्य प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सप्ताह तथा खेल-कूद, वाद-विवाद और कहानी लिखने की प्रतियोगितायें सम्मिलित हैं।

परिगणित जातियों, पिछड़ी हुई जातियों तथा मोमिन अन्सार सम्प्रदाय में चलायी गयी शिक्षा प्रसार योजना काफी प्रगतिशील रही। उनके लिये खोले गये स्कूलों की संख्या २५३ से बढ़कर २९४ हो गयी और उनकी शिक्षा के लिये जो अनुदान दिये गये उनमें दलित जातियों की

शिक्षा संस्थाओं की दशा में १,११,६८० रु० की पिछड़ी हुई जातियों के लिये ९२,३०० रु० की और मोमिन अन्सार सम्प्रदाय के लिये ३७,६०० रु० की वृद्धि की गयी।

लखनऊ स्थित प्रान्तीय संग्रहालय के समस्त विभागों तथा मथुरा स्थित पुरातत्व संग्रहालय में संगृहीत वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करके उन्हें और सम्पन्न बना दिया गया और यह निश्चय किया गया कि संग्रहालयों की स्थापना तथा उनके पुनस्संगठन से संबंधित विषयों पर सरकार को परामर्श देने के लिये एक युक्त प्रान्तीय संग्रहालय परामर्शदाता बोर्ड नियुक्त किया जाय। हिन्दुस्तानी साहित्य कोष से उन लेखकों को, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, उदारतापूर्ण अनुदान तथा विभिन्न विषयों पर लिखी गयी विशिष्ट योग्यतापूर्ण पुस्तकों के लिये पुरस्कार दिये गये। इलाहाबाद में एक प्रान्तीय केन्द्रीय पुस्तकालय खोला गया, सचल प्रशिक्षण दलों (मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वाड) की संख्या बढ़ाकर ४९ कर दी गयी और सामाजिक (प्रौढ़) शिक्षा पर सिद्धांत कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की गयी।

१८—स्थानीय स्वशासन

प्रान्त की शासन व्यवस्था को नीचे से लेकर ऊपर तक जनतंत्र के आधार पर संगठित करने का सरकार ने जो बचन दिया था उसकी पूर्ति के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रान्त में ३४,७५५ गांव सभायें और ८,२२५ पंचायती अदालतें स्थापित करने का जो निर्णय किया गया था वह इस वर्ष स्थानीय स्वशासन के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना रही। इन गांव पंचायतों और पंचायती अदालतों के लिये इस वर्ष बालिग मताधिकार तथा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव किये गये जिसमें अल्पसंख्कों तथा परिगणित जातियों के लिये जगहें सुरक्षित थीं और चुनावों से पहिले प्रत्येक तहसील में एक व्यापक शिक्षात्मक आन्दोलन चलाया गया और पंचायत सम्मेलन किये गये। ग्रामीण जनता ने इन चुनावों में जो उत्साह दिखाया और महिलाओं तक ने जिस उत्सुकता से इन में भाग लिया वे वास्तव में ग्राम्य जनतंत्र के भविष्य के लिये निस्संदेह शुभसूचक थीं। चुनावों के समाप्त हो जाने के बाद उन्हें कार्यान्वित करने के निमित्त, आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था करने का कार्य हाथ में लिया गया और ५०० उत्साही नवयुवकों को पंचायत इंस्पेक्टरों के रूप में इस उद्देश्य से चुना गया कि वे गांवों में जायें और गांवों के लोगों के जनतांत्रिक जीवन में सहायता दें तथा उनका पथ-प्रदर्शन करें। इस बड़े कार्य में, जो कि इन इंस्पेक्टरों को गांवों में जाकर करना था, उन्हें ट्रेनिंग देने और उपयुक्त बनाने के लिये लखनऊ में एक शिक्षण शिविर की भी व्यवस्था की गयी। इनके अतिरिक्त ८,००० पंचायत सेक्रेटरी भर्ती किये गये और उन्हें भी इसी उद्देश्य से जिलों के हेडक्वार्टरों पर ट्रेनिंग दी गयी और पंचों तथा सरपंचों के लिये भी शिक्षण शिविरों की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले का एक डिप्टी कलेक्टर पंचायत इंस्पेक्टरों, सेक्रेटरियों इत्यादि के कार्य के पथ-प्रदर्शन और देखरेख के लिये जिला पंचायत अफसर नियुक्त किया गया।

गांव सभाओं और पंचायती अदालतों ने १५ अगस्त, १९४९ ई० से अर्थात् स्वतंत्रता दिवस की द्वितीय वार्षिक तिथि से, अपना कार्य आरम्भ कर दिया और सरकार ने नई स्थापित की गई गांव सभाओं को उनके सेक्रेटरियों के वेतन के लिये २४,६७,५०० रु० का एक सहायक अनुदान दिया तथा ५२,१५,५५० रु० की एक और धनराशि उनको प्रारंभिक व्यय की पूर्ति के लिये दी। पंचायतों ने अपना काम उत्सुकता के साथ किया और अपने गांवों की दशा सुधारने के लिये जोरदार कोशिशें कीं। पंचायती अदालतों का भी काम अच्छा रहा और जिन मुकद्दमों का उन्होंने निबटारा किया उनमें से अधिकांश मामले प्रतिद्वंदी पक्षों में समझौता करा कर तय किये गये।

स्थानीय निकायों के प्रशासन में सुधार करने के लिये प्रभावशाली कार्यवाहियां जारी रहीं। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की अन्य शर्तों के संबंध में जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिये सरकार ने सन् १९४७ ई० में एक समिति नियुक्त की थी और उसकी सिफारिशों पर ऐसे कर्मचारियों के लिये निर्धारित वेतन तथा महंगाई भत्ते के क्रमों को व्यवस्थित रूप में लाया गया तथा इस बात का प्रयत्न किया

गया कि इन कर्मचारियों के वेतनक्रम सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के समान हो जायं जिससे स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो जाय तथा उनकी कार्यदक्षता भी बढ़ जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय निकायों का ईमानदारी का स्तर ऊंचा किया जाय, यह भी विचार किया गया था कि प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कम से कम योग्यतायें निर्धारित की जायं और उनके लिये सर्विस के स्टैन्डर्ड नियम बना दिये जायं। चूंकि अधिकांश स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे संशोधित वेतन-क्रमों को, जिन पर होने वाले व्यय का तखमीना अन्तिम रूप से २.३३ लाख रुपया लगाया गया था, कार्यरूप में परिणत कर सकें। इसलिये सरकार ने अल्पकालीन ऋण देकर उनकी सहायता करने का वचन दिया और इसके लिये बजट में १.०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। सरकार के मुख्यालय (हेडक्वार्टर्स) पर एक विशेष कार्याधिकारी भी स्थानीय निकायों को उनके कर्मचारियों के वेतनों को संशोधित वेतनक्रमों में समानरूप से नियत करने और तत्संबंधी मामलों में सहायता देने के लिये नियुक्त किया। स्थानीय निकायों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये चरित्र संबंधी विनियम (Conduct Regulations) भी बनाये गये थे और यह आशा की जाती थी कि उनके स्थानीय निकायों के प्रशासन के चरित्र-बल तथा नैतिकता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वे उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में काफी योग देंगे।

कुमायूं में पनचक्कियों के लगान, जो उस डिवीजन के तीन जिला बोर्डों को दिया जाता है, वर्ष के दौरान में दुगुने कर दिये गये। इसके बाद यह आशा की जाती थी कि तीन जिला बोर्डों को ५३,००० रु० की शुद्ध अतिरिक्त आय प्राप्त हो जायगी, जिससे उन्हें काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इन जिला बोर्डों की वित्तीय हालत विशेष रूप से खराब थी।

एक अपील के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के कारण जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में जिला बोर्डों द्वारा लगाया गया हैसियत तथा जायदाद कर एक संयुक्त कर (composite tax) है और इसमें दो कर सम्मिलित हैं--

(१) व्यापार पर कर, और

(२) जायदाद पर कर,

और जिसमें आगे यह कहा गया है कि जहां तक यह व्यापार कर समझा जाता है इसे प्रोफेशन्स टैक्स लिमिटेशन ऐक्ट द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अनुसार लिया जाता है जिसे वास्तव में किसी एक करदाता से साल में ली जाने वाली धनराशि का अधिक से अधिक ५० रु० तक सीमित कर दिया गया है। जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों और विशेष रूप से जिला बोर्डों की वित्तीय स्थिति पर भारी आघात पहुंचा है। इसके अतिरिक्त भविष्य में होने वाली बोर्डों की आय पर बुरा प्रभाव पड़ने के अलावा १९४२ ई० से जो आवश्यक से अधिक वसूलियां हो गयी थीं उन्हें काफी बड़ी संख्या में वापस करने का जो दायित्व बोर्डों पर आ पड़ा था इसके कारण बोर्डों की आय पर बड़ा भारी आघात पहुंचने की आशंका थी और इस कारण इन निकायों का जिनके आय के साधन बहुत ही कम हैं, दिवाला निकल गया होता। इसलिये भारत सरकार से एक आर्डिनेंस, जिसे अब एक ऐक्ट में परिवर्तित कर दिया गया है, जारी करने के लिये कहा गया, जिससे उपर्युक्त कर भी ऐसे करों की सूची में सम्मिलित किया गया जो प्रोफेशन्स टैक्स लिमिटेशन ऐक्ट के लागू किये जाने से मुक्त हैं और इससे पूर्व ५० रु० से अधिक धनराशि की जितनी वसूलियां की गयी थीं उन्हें वैध कर दिया गया।

इस बात की शिकायतें मिलने पर कि भटके हुए पशुओं द्वारा पहुंचने वाला नुकसान बहुत अधिक बढ़ रहा है और इसके कारण 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' की प्रगति में बड़ी बाधा पड़ रही है, कांजी हाउस के जुर्माने की दरें वर्ष के दौरान में बढ़ा दी गयीं। यह आशा की गयी थी कि बढ़े हुए जुर्माने के कारण पशुओं के मालिक और अधिक सतर्क रहेंगे और इस कार्यवाही से अन्त में काफी सहायता मिलेगी।

पिछले कई वर्षों से इस बात की कोशिशें की जा रही थीं कि पहाड़ के गांवों में पानी की कमी को दूर किया जाय और इस उद्देश्य से आवश्यक निर्माण कार्यों के लिये प्रत्येक वर्ष तीनों पहाड़ी जिलों के जिला मैजिस्ट्रेटों के अधिकार में बहुत सा रुपया रख दिया गया था, किन्तु बाद में यह पता चला कि जिला मैजिस्ट्रेटों को और बहुत से कार्य करने के कारण इस कार्य मे यथेष्ट ध्यान देने तथा समय लगाने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए यह निश्चित किया गया कि इस कार्य को स्थानीय जिला बोर्डों के सुपुर्द कर दिया जाय और इस संबंध में कुल २ लाख रुपये का एक अनुदान उनके अधिकार में रख दिया गया।

टेहरी-गढ़वाल, बनारस और रामपुर की भूतपूर्व तीन रियासतों को प्रान्तीय प्रशासन के साथ मिला देने के फलस्वरूप बहुत सी समस्यायें उठ खड़ी हुईं और इन क्षेत्रों के वर्तमान स्थानीय निकायों को प्रान्त के वर्तमान स्वशासन के ढांचे तथा नमूने से शीघ्रता के साथ मिला देने का प्रश्न सक्रियरूप से विचाराधीन रहा।

राज्य द्वारा प्रोत्साहित छात्र, जो कि विदेश में स्वशासन संबंधी ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए १९४७ ई० में चुना गया था, आलोच्य वर्ष में संयुक्त राज्य चला गया और वहां उसने मनचेस्टर विश्वविद्यालय में द्विवर्षीय पाठ्य-क्रम का अध्ययन आरम्भ कर दिया।

विधि-निर्माण के क्षेत्र में इस विचार से कि ऐक्ट के अन्तिम संशोधन के अनुसार टाउन एरिया कमेटियों को जिन विभिन्न करों को लेने का अधिकार दिया गया है, उन्हें लगाने की विधि निर्धारित की जा सके और हैसियत तथा जायदाद पर लगाये जाने वाले कर के स्थान पर कोई दूसरे नये कर की व्यवस्था की जा सके, सरकार यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट को फिर से संशोधित करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी।

म्युनिसिपल निर्वाचन विधि के प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रख कर, म्युनिसिपल बोर्डों के आम चुनाव फिर स्थगित कर दिये गये। इस बीच बोर्डों की संख्या या विधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष के दौरान में प्रायः सभी म्युनिसिपल बोर्डों की आय और व्यय दोनों में वृद्धि हुई। इलाहाबाद, मेरठ और आगरा के डिवीजनों में सभी बोर्डों की वित्तीय स्थिति सामान्यतया संतोषप्रद रही। बोर्डों को सामान्य रूप से चुंगी से सबसे अधिक आय हुई, जबकि सफाई में व्यय की सबसे प्रधान मद रही। सार्वजनिक शिक्षा पर सभी म्युनिसिपैलिटियों का खर्च बढ़ गया और कुमायूं, फैजाबाद, मेरठ, आगरा, बनारस और गोरखपुर के डिवीजनों के म्युनिसिपल बोर्डों ने वर्ष के दौरान में अपनी सभी शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जारी की। सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी म्युनिसि-पैलिटियों में और विशेषरूप से कुमायूं, फैजाबाद, इलाहाबाद, मेरठ और आगरा के डिवीजनों में सामान्य स्वास्थ्य संतोषप्रद था, परन्तु फैजाबाद और रुहेलखंड के डिवीजनों के प्रायः सभी नगरों में सड़कों तथा गंदे पानी के निकास की नालियों की दशा बहुत खराब थी। झांसी डिवीजन में बोर्डों का प्रशासन काफी सुचारु रूप से किया गया और फैजाबाद डिवीजन में सभी बोर्डों ने बड़े सहयोग से कार्य किया और वे पार्टी संबंधी झगड़ों से मुक्त रहे।

१९--चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

वित्तीय कठिनाई के कारण तथा इस कारण कि ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारियों और सज्जा की कमी रही, जनता के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने के संबंध में अधिक उन्नति नहीं हो सकी। फिर भी प्रान्त के अस्पतालों, औषधालयों तथा मेडिकल कालिजों में सुधार करने के लिए कुछ कार्यवाहियां की जा सकीं। उदाहरणार्थ, गांधी स्मारक मेडिकल कालेज, लखनऊ में और नैनीताल, बरेली, मेरठ तथा गोरखपुर के जिला अस्पतालों में काफी सुधार तथा विस्तार कार्य किये गये। जिला अस्पताल, रायबरेली के लिए एक नई इमारत का निर्माण आरम्भ किया गया। विभिन्न अस्पतालों तथा औषधालयों के वास्ते ८,००,००० रु० का सामान खरीदा गया और रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनकी चिकित्सा संबंधी व्यवस्था के लिए ३४ अतिरिक्त मेडिकल अफसरों की नियुक्ति स्वीकृत की गयी। ५० नये ग्रामीण औषधालयों को खोलने के लिए व्यवस्था की गयी और २१ विस्थापित डाक्टरों को देहातों में उपयुक्त स्थानों पर बसने के लिए राज सहायता दी गयी। बहुत

ज्यादा बीमार रोगियों को ले जाने के लिए २१ और रोगियान (एम्बुलेंस) खरीदे गये। बहुत से जिला अस्पतालों में मंत्रज्ञ समितियां बनाई गई और कई जिलों में जिला औषधालय मंत्रज्ञ समितियां यह मंत्रणा देने के लिए स्थापित की गयीं कि कहां-कहां पर ग्रामीण औषधालय स्थापित किये जाने चाहिए।

सरकारी ज़नाने अस्पतालों की संख्या ९४ थी। बहुत से ऐसे ग्रामीण औषधालयों में योग्यता प्राप्त दाइयां नियुक्त की गई जहां कि पूर्णरूप से चिकित्सा करने वाले ज़नाने अस्पताल नहीं थे। मेडिकल कालेजों में भर्ती होने वाली छात्राओं के वास्ते ६० रु० प्रतिमाह प्रति छात्रा के हिसाब से २० छात्रवृत्तियां दी गई। ये छात्रवृत्तियां उन छात्रवृत्तियों के अलावा दी गई जो कि पिछले सालों में दी जा चुकी थीं। नर्सों की ट्रेनिंग के ६ केन्द्र चालू थे लेकिन केवल १६२ उम्मीदवार उनमें भर्ती किये गये। छोटी अवधि अर्थात् १८ महीने के लिए सहायक नर्सों को ट्रेनिंग देने की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा था।

वर्ष के दौरान में प्रान्त में क्षय रोग का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। संयुक्त राष्ट्र के 'चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड' के साथ-साथ कार्य करने के उद्देश्य से क्षय रोग से बचने के लिए लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद तथा बरेली में लोगों को बहुत बड़ी संख्या में बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

गांधी स्मारक मेडिकल कालेज, लखनऊ में दन्त शल्यचिकित्सा संबंधी एक कालेज स्थापित किया गया।

पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के वास्ते ३ अफसर भारत के बाहर भेजे गये। दो अफसर दिल्ली विश्वविद्यालय में क्षयरोग में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गये। लाइसेंसिएटों का ग्रेड बढ़ाने के लिए आगरा और लखनऊ दोनों स्थानों में एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ-क्रम जारी रहा। गांधी स्मारक मेडिकल कालेज, लखनऊ में कान, नाक और गले तथा रेडियोलाजी संबंधी पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का उद्घाटन किया गया।

यू० पी० की १६ कुष्ठ रोग संबंधी संस्थाओं को १,५०,००० रु० के आवर्त्तक अनुदानों के अलावा कुल ३,००,००० रु० के विशेष अनावर्त्तक अनुदान दिये गये। अल्मोड़ा तथा देवरिया जिलों में कुष्ठ रोग निवारक कार्य के लिए दो गतिशील कुष्ठ रोग निवारक यूनिटों की स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी गयी। मिर्जापुर जिले में दूधी अस्पताल के साथ रतिज रोगों का एक वार्ड और स्थापित किया गया और देहरादून जिले में जौनसार-बावर में रतिज रोगों के क्लिनिकों को खोलने का प्रस्ताव किया गया। सीतापुर और अलीगढ़ के आंखों के दो बड़े अस्पताल उपयोगी कार्य करते रहे और सरकार ने उन्हें काफी बड़ा अनुदान दिया। इन अस्पतालों के अधि-कारियों तथा सिविल सर्जनों ने बहुत से जिलों में सरकार की मदद से आंख-चिकित्सा शिविरों का संगठन किया।

सितम्बर, १९४९ ई० से देशी चिकित्सा प्रणाली का प्रशासकीय नियंत्रण चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के डिप्टी डाइरेक्टर (आयुर्वेद) के हाथ में चला गया। ३७२ मौजूदा सरकारी ग्रामीण आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय उपयोगी कार्य करते रहे और ७० अतिरिक्त औषधालय स्थापित किये गये। प्रमुख मेलों में आयुर्वेदिक यूनिटें स्थापित की गयीं और गांवों में बांटी जाने वाली ५,२९० दवाइयों की पेटियों (Village Medicine Chests) के जरिये चिकित्सा सहायता दी गयी। इन औषधालयों तथा यूनिटों पर १० आयुर्वेदिक और यूनानी इन्सपेक्टरों द्वारा उचित देखरेख रखी गई।

२०—जन-स्वास्थ्य

महामारी नियंत्रण संबंधी व्यवस्था में काफी वृद्धि की गयी और हरद्वार, अयोध्या, वृन्दाबन और मिर्जापुर इन चार तीर्थयात्री-केन्द्रों में संक्रामक बीमारियों के अस्पतालों का प्रान्तीय-करण किया गया। मेलों और उत्सवों में प्रवेश करने के लिए हैज़े का टीका लगवाना आवश्यक कर दिया गया और इस नियम को अयोध्या के सावन झूला और गोंडा जिले के देवी पाटन के मेले में तथा गढ़वाल जिले में बद्रीनाथ और केदारनाथ की तीर्थयात्राओं के संबंध में लागू किया गया। नैनीताल तराई और गंगा खादिर, जिला मेरठ में और ललितपुर

क्षेत्र, जिला झांसी में मलेरिया नियंत्रक यूनिटों ने अपना कार्य जारी रखा और मलेरिया प्रकोप को नष्ट करके इन क्षेत्रों में, जहां कि मलेरिया अत्यधिक होता है, उपनिवेशन योजनाओं का सफल हो सकना संभव कर दिया। नैनीताल जिले के काशीपुर और मोदारपुर क्षेत्रों में भी दो मलेरिया निरोधक यूनिट स्थापित किये गये। नये स्थापित पौष्टिक पदार्थ संबंधी सेक्शन (Nutrition Section) ने ३० परिवारों को खूराकों के संबंध में तथा २,१८६ स्कूली बच्चों को मिलने वाले पौष्टिक पदार्थों के संबंध में जांच-पड़ताल की। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों को और अधिक सख्त बना दिया गया और खाद्य पदार्थों के लगभग २०,००० नमूने, जिनमें मिलावट होने का संदेह था, स्वास्थ्य के मेडिकल अफसरों द्वारा जांचे गये। ड्रग्स ऐक्ट लागू होने के साथ ही फुटकर बेची जाने वाली औषधियों की शुद्धता पर रखा जाने वाला नियंत्रण और अधिक कड़ा कर दिया गया और औषधि विक्रेताओं को लाइसेंस देने की प्रणाली चलाई गयी, जिसके फलस्वरूप ड्रग्स ऐक्ट के आदेशों का उलंघन करने के कारण ५९ व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया गया। म्युनिसिपैलिटियों के कूड़े करकट को कृषि संबंधी खाद में परिवर्तित करने की योजना को आगे बढ़ाया गया और यह प्रस्ताव किया गया कि अन्न उत्पादन के हित में इस कार्य को और भी अधिक आगे बढ़ाया जाय।

२१--अदालतें और जेल

संयुक्त प्रान्त में बनारस, टेहरी-गढ़वाल और रामपुर राज्य के विलीन होने के परिणामस्वरूप दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की अदालतों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में अनेक परिवर्तन हुए। दीवानी और फौजदारी क्षेत्राधिकारों के लिए भूतपूर्व बनारस राज्य के प्रदेशों को बनारस की जजी में सम्मिलित कर दिया गया और दो नई अदालतें, अर्थात् एक दीवानी तथा सेशन जज की और दूसरी मुन्सिफ की, ज्ञानपुर में स्थापित की गईं, जबकि बनारस के सिविल जज और बनारस (हवेली) के मुन्सिफ का क्षेत्राधिकार रामनगर और चकिया तक बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार भूतपूर्व टेहरी-गढ़वाल राज्य को भी दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों के क्षेत्राधिकार के लिए कुमायूं की जजी में संक्रमित कर दिया गया और टेहरी में दीवानी और सेशन जज की एक नयी अदालत स्थापित की गयी। रामपुर राज्य में एक जिला जज और एक मुन्सिफ की अदालत कायम करके एक पृथक् जजी बनाई गई।

जजों (Judgships) की संख्या २८ से बढ़ाकर २९ कर दी गई। इन अदालतों द्वारा कुल १,६०९ नियमित अपीलों के फैसले किये गये जिनमें ६१६ विविध प्रकार की अपीलों की संख्या सम्मिलित नहीं है। कुल मिलाकर प्रान्त में १०० दीवानी और सेशन अदालतों ने कार्य किया जिनमें ३ अतिरिक्त और ४० अस्थायी अदालतें थीं। ४३ सिविल जजों ने अदालत खफीफा के अधिकारों का भी प्रयोग किया। इन अदालतों द्वारा कुल २९,००१ मुकद्दमों का फैसला किया गया। ७८० विविध और ६४० लगान संबंधी अपीलों के अलावा कुल ६,२५८ नम्बरी (regular) अपीलों का फैसला किया गया तथा डिग्रियों के कार्यान्वित किये जाने के लिए कुल ११,८३६ आवेदन-पत्र आये। कुल मिलाकर प्रान्त में १२५ मुन्सिफों की अदालतों ने, जिनमें २६ अदालतें अतिरिक्त मुन्सिफों की भी सम्मिलित हैं, कार्य किया। इनमें से ५६ मुन्सिफों ने अदालत खफीफा के अधिकारों का भी प्रयोग किया। वर्ष में इन अदालतों ने कुल ९६,९५० मुकद्दमों का फैसला किया और डिग्रियों का इजरा किये जाने के लिए उनके सामने ३७,४६० आवेदन-पत्र थे। ३ बेंचों को सम्मिलित करके वर्ष में आनरेरी मुन्सिफों की अदालतों की संख्या ७ थी और ९८ विविध मुकद्दमों को छोड़ कर इन अदालतों ने कुल १,६८७ मुकद्दमों का फैसला किया। वर्ष में ३ ग्राम-मुन्सिफों की अदालतों ने भी कार्य किया। स्थायी खफीफा अदालतों की संख्या १२ थी लेकिन इनमें से दो अदालतों में कोई भी नहीं रखा गया। इन अदालतों द्वारा कुल २८,३२५ मुकद्दमों का फैसला किया गया। इनसालवेन्सी ऐक्ट के अधीन ३२ सिविल जजों द्वारा क्षेत्राधिकारों का प्रयोग किया गया। वर्ष में दिवाला संबंधी मुकद्दमों की संख्या ७३७ तथा दिवाला से मुक्त किये गये दिवालियों की संख्या ११५ थी।

सेसन्स डिवीजनों की संख्या बढ़कर २९ हो गई और फौजदारी के अधिक काम को पूरा करने के लिए कानपुर में अतिरिक्त जिला और सेसन्स जजों ने तथा अधिकांश जिलों में अस्थायी सिविल और सेसन्स जजों ने कार्य किया । यद्यपि भारतीय दंड विधि संग्रह के अधीन किये जाने वाले कुल अपराधों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में ७,७८३ से घटकर १,१२,४३० रह गई, तथापि राहजनी, डकैती और अमानत में खयानत के अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जूरियों द्वारा फैसला किये जाने की प्रणाली पहले की भांति इलाहाबाद, बनारस, बरेली, फैजाबाद, कानपुर और लखनऊ के जिलों में जारी रही, लेकिन इस प्रकार जिन व्यक्तियों का मुकद्दमा किया गया उनकी संख्या ५०० से बढ़कर ९३९ हो गई अर्थात् लगभग शत प्रतिशत बढ़ गई। सेसन्स अदालतों द्वारा जिन व्यक्तियों को फांसी की सजायें दी गईं उनकी संख्या २७१ से बढ़ कर २८१ हो गई, जिनमें से ७३ व्यक्तियों की सजायें कायम रखी गईं । जिन व्यक्तियों को फांसी दी गई उनकी संख्या पहले से दुगुनी अर्थात् १८ हो गई लेकिन जिन व्यक्तियों को कोड़े लगाये गये उनकी संख्या २४२ से घट कर १८६ रह गई । ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई ५५६ से बढ़ कर ७६४ हो गई और जिन व्यक्तियों को कड़ी क़ैद की सजा दी गई उनकी संख्या २४,६१७ से बढ़ कर २५,८०७ हो गई । इसी प्रकार प्रोबेशन अफसर के अधीक्षण में रखे गये प्रथम बार अपराध करने वालों की संख्या भी ११९ से बढ़ कर १४६ हो गई।

इलाहाबाद हाई कोर्ट और अवध चीफ कोर्टों को आपस में मिलाये जाने और इलाहाबाद के नये हाई कोर्ट आफ जूडीकेचर का विधान बनाने से पूर्व इन दोनों अदालतों में से प्रत्येक के लिये एक स्वतंत्र बार-कौंसिल थी। मिलाये जाने के बाद भी इन दोनों बार कौंसिलों ने कार्य करना जारी रक्खा और चूंकि मिलाये जाने के बाद उनके द्वारा किये हुए कार्यों को वैध करार देने की व्यवस्था करना और केवल एक बार कौंसिल निर्मित करना आवश्यक था, इसलिये इंडियन बार कौंसिल (यू० पी० अमेंडमेंट एन्ड वैलीडेशन आफ प्रोसीडिंगस) आर्डिनेंस, १९४९ जारी किया गया।

कुमायूं डिवीजन में न्याय प्रशासन में सुधार के लिये बनाई गई कुमायूं लाज़ कमेटी (Kumaun Laws Committee) की सिफारिशों को कुमायूं फारेस्ट कमेटी के पास भेज दिया गया और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही थी।

जेल में कैदियों की संख्या बढ़ती रही और जेलों में स्वास्थ्य संबंधी दशायें और साथ ही कैदियों में अनुशासन सामान्यतः संतोषप्रद रहा । इमारती सामान की लगातार कमी रहने और "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के कारण भवन निर्माण संबंधी कार्य-क्रम में कमी किये जाने के बावजूद भी वर्तमान इमारतों की दशा में सुधार किया गया और कुछ कर्मचारियों के क्वार्टर भी बनाये गये। ९ जेलों को बिजली दी गई और एक जेल में म्युनिसिपल वाटर सप्लाई की व्यवस्था की गई। दूसरे जेल में बिजली का पम्प भी लगाया गया। यातायात संबंधी कठिनाइयों और सामान तथा कैदी श्रमिकों की कमी के कारण जेल उद्योगों को काफी हानि पहुंची । दूसरी तरफ जेल डेरियों की भली भांति व्यवस्था की गई और बीमार तथा अशक्त कैदियों को काफी दूध सप्लाई किया गया। जुवेनाइल (अल्पवयस्कों) जेल बरेली और रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल, लखनऊ में सुधार और पुनर्वास संबंधी कार्य पूर्ववत् जारी रहा।

इस वर्ष जेलों में कुछ और सुधार किये गये। उदाहरण के लिये कैदियों के वर्गीकरण में परिवर्तन किये गये और जेलों में की जाने वाली मुलाकातों और पत्र-लेखन संबंधी नियमों को और अधिक सरल बना दिया गया। तथापि वर्ष की मुख्य बात यह थी कि कदाचारी कैदियों (Casual Prisoners) में से सबसे अच्छी श्रेणी के कैदियों को इकट्ठा रखने तथा वैज्ञानिक ढंग से उनका सुधार करने के लिये लखनऊ सेन्ट्रल जेल को एक आदर्श जेल में परिवर्तित कर दिया गया।

२२—अपराध और पुलिस

तफतीश करने वाले अनुभवी अफसरों की अनिवार्य रूप से कमी होने और आर्थिक दशा में कोई सुधार न होने के बावजूद भी सब बातों को देखते हुये वर्ष के अन्तर्गत अपराध में वृद्धि होने की जो प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती थी, उस पर सफलता पूर्वक नियंत्रण किया गया। गत वर्ष की तुलना में डकैती के मामले १,४९३ से घटकर १,३६१, राहजनी (robbery) के मामले ८४६ से घटकर ७७५ तथा हत्याओं के मामले १,७२२ से घटकर १,६३१ हो गये, परन्तु साम्प्रदायिक दंगों की संख्या ३,५४४ से बढ़कर ३,५९७ और नक़बजनी की संख्या ३१,९६८ से बढ़कर ३२,३०८ हो गई। वर्ष के अन्तर्गत कोई भी गम्भीर साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और दंगा शीर्षक के अन्तर्गत जो मामले लिये गये उनमें से अधिकांश मामले ज़मींदारों और किसानों की तनातनी के फलस्वरूप हुये। गुप्तचर विभाग (Criminal Investigation Department) द्वारा तफतीश किये गये मामलों की संख्या १९४९ ई० में १४० रही जबकि यह संख्या १९४८ ई० में १२८ और १९४७ में ६७ थी। गुप्तचर विभाग (क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट) के हेडक्वार्टर्स पर अस्थायी रूप से एक प्रान्तीय अपराध सूचना ब्यूरो (Provincial Crime Information Bureau) स्थापित किया गया और जिलों में क्राइम रिकार्ड सेक्शनों को खोलने की योजना बनाई गई। गुप्तचर विभाग (क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट) और डिस्ट्रिक्ट इंटेलीजेंस स्टाफ के कर्मचारियों के लिये विशेष प्रकार की ट्रेनिंग कक्षायें भी आरम्भ की गईं। बाराबंकी में एक वायरलेस टेलीग्राफी स्टेशन बनाया गया। जिन स्थायी वायरलेस टेलीग्राफी स्टेशनों में स्थायी मस्तूल (masts) और फिटिंग्स नहीं थे, उनमें इनकी व्यवस्था की गई। प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल (Provincial Armed Constabulary) की शक्ति कम कर दी गई और इस दल की कुछ कम्पनियों को राज्य के बाहर ड्यूटी पर भेज दिया गया। सीतापुर के पुलिस वर्कशाप में पुलिस की बहुत-सी मोटर गाडियों की छोटी और बड़ी मरम्मत की गई। वर्कशाप में मोटर गाड़ियों की बाडी बनाने का काम भी आरम्भ हुआ।

यह निश्चय किया गया कि सिविल पुलिस की हर तरह की ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में और सशस्त्र पुलिस की हर तरह की ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सीतापुर में दी जाय। पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में प्रान्तीय पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया और एक मैगजीन भी आरम्भ की गई जिसके दो अंक वर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित हुये। पुलिस के असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंटों और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टों के अलग-अलग भोजनालयों (messes) को मिलाकर गजटेड अफसरों के लिये एक भोजनालय (mess) रखा गया।

पुलिस की तफतीश और मुक़द्दमा चलाने वाली शाखाओं (Investigating and Prosecution Branches) के संबंध में पुलिस पुनस्संगठन समिति (Police Organisation Committee) की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन थीं और अंतिम आज्ञाओं के शीघ्र ही निकाले जाने की आशा की जाती थी। प्रयोग के तौर पर अपेक्षाकृत बड़े नगरों में वाच और वार्ड के कर्मचारियों को तफतीश करने वाले कर्मचारियों से अलग करने का प्रश्न भी विचाराधीन था।

२३—वाहन (Transport)

वर्ष के अन्त तक गवर्नमेंट रोडवेज ने ८२ प्रमुख मार्गों पर १,२०० मोटर गाड़ियां चलाईं और ये मोटर गाड़ियां राज्य की १०,००० मील लम्बी पक्की सड़कों में से ४,१५३ मील लम्बी सड़कों पर चलती रहीं। दो करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया और अप्रैल से दिसम्बर, १९४९ ई० ई० तक अर्थात् १९४९-५० ई० के आर्थिक वर्ष के प्रथम नौ महीनों की कुल आमदनी २,९०,४४३ रु० हुई जबकि लगभग

२,२१,७५,६१४ रु० की पूंजी लगाई गई थी। जितनी भी कार्यवाहियां की गई, उनका मुख्य उद्देश्य यह रखा गया कि विस्तार करने की अपेक्षा स्थिति को सुदृढ़ किया जाय। अवमूल्यन (devaluation) के कारण बस चलाने के व्यय में जो वृद्धि हुई उसके फलस्वरूप किराया कुछ बढ़ाना पड़ा और यात्रियों की सुविधाओं पर किये जाने वाले व्यय का वर्ष के आरम्भ में ही समाधान कर दिया गया। फिर भी इन कठिनाइयों के होते हुये लखनऊ सिटी बस सर्विस चालू की गई जिसकी जनता ने सराहना की।

वर्कशाप के संगठन पर विशेष ध्यान दिया गया और केन्द्रीय तथा रीजनल दोनों ही वर्कशापों के लिये वह सभी आधुनिक मशीनरी खरीदी गई, जो प्राप्त कोषों से मोल ली जा सकती थी। भूमि प्राप्त करने में और वर्कशापों, सर्विसिंग और बस स्टेशनों के निर्माण में पर्याप्त प्रगति हुई। केन्द्रीय वर्कशाप में आटोमोबाइल इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने के लिये भी एक योजना बनाई गई जिससे कि टेक्निकल कर्मचारियों की भारी कमी पूरी की जा सके।

काम करने वालों के साथ संबंध अच्छे रहे। मुख्य बस स्टेशनों पर जलपान की व्यवस्था करने के लिये प्रारम्भिक कार्य शुरू किया गया और काम करने वालों के लिये कोआपरेटिव कैन्टीनों तथा आमोद-प्रमोद के केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर जांच हो रही थी। तदर्थ सड़क वाहन संविधायन समिति (*Ad Hco* Road Transport Planning Committee) की रिपोर्ट का पांडुलेख प्राप्त हो गया था और राय लेने के लिये उसे घुमाया गया।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट अफसरों के अधीन मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के प्रशासन को केन्द्रित रखने की प्रणाली चालू रखी गई और उसमें कुछ सुधार किये गये। प्रणाली संतोषप्रद ढंग से कार्य करती रही। रीजनल इन्सपेक्टोरेट में भी कुछ सुधार दिखाई दिया। जून-अक्तूबर, १९४९ ई० में ३,१८० मोटर गाड़ियों की जांच की गई जिसमें से ६१४ से अधिक मोटर गाड़ियों को बेकार घोषित किया गया। सभी सरकारी मोटर गाड़ियों के निरीक्षण, उचित रखरखाव और मरम्मत करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया। रोडवेज की बसों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में मुआविजा देने की एक विस्तृत योजना बनाई गई जिसको कार्यान्वित भी किया गया।

इन्फोर्समेंट स्क्वैड (Enforcement Squads) अपना काम सतर्कता से करते रहे और उन्होंने १९४८-४९ ई० में १०,०७० मामलों का पता लगाया। कुल ७,१५१ मामलों का फैसला हुआ और दंड दिये जाने पर ५,१२,२५९ रु० कुल जुरमाना वसूल किया गया। स्क्वैडों ने प्रथम बचाव (first safety) संबंधी महत्वपूर्ण प्रचार भी किया। प्रयोग के तौर पर दो स्क्वैडों को पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट के अधीन कर दिया गया और मुक़द्दमों के सुनने के लिये और उनका फैसला करने के लिये विशेष रूप से दो मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये।

पहिले नौ महीनों में पेट्रोल वितरण के संबंध में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। अंतिम तिमाही में भी भारत सरकार से अतिरिक्त पेट्रोल प्राप्त किया गया और उसकी कमी न होने दी गई। वर्ष के अधिकांश भाग में पावर अलकोहल की स्थिति संतोषजनक रही।

हिन्द प्राविन्शियल फ्लाइंग क्लब ने कानपुर में एक फ्लाइंग सेंटर स्थापित किया, परन्तु उसकी मुख्य कार्यवाहियां लखनऊ में ही होती रहीं, जहां "ए-१" और "बी" लाइसेंस प्राप्त करने वाले पाइलटों को उच्च ट्रेनिंग देने का कार्य हाथ में लिया गया था। हवाई जहाजों की संख्या ३७ हो गई और क्लब की आमदनी १,७०,९८९ रु० हो गई। क्लब को केन्द्रीय सरकार से ९६,६४५ रु० की राज सहायता मिली और राज्य सरकार से ४,१८,००० रु० का अनुदान मिला।

२४—खाद्य तथा रसद

प्रान्तीय सरकार ने भारत सरकार की खाद्य नियंत्रण योजना को कड़ाई से लागू करने की नीति को ठीक से लागू किया और राशनिंग के वादों को पूरा करने के लिये रबी के अनाज की सीधे किसानों से अनिवार्य वसूली की एक योजना कार्यान्वित की गई।

यह योजना १९४७ में लागू योजना के आधार पर थी। दूसरी ओर खरीफ के अनाज के लिये व्यापारियों द्वारा खरीफ की गल्ला वसूली के एकाधिकार प्रणाली से वसूली की गई।

वसूल किये गये समस्त अनाजों का कुल परिमाण ४,७१,४६१ टन हुआ। वर्ष में आयात ३,३६,१३४ टन हुआ जबकि निर्यात, जो चावल, चने और गेहूं तक ही सीमित था और जिसे बीज के प्रयोजनों के लिये अदले-बदले के आधार पर किया गया था, ४१,४३८ टन हुआ।

फूड ग्रेन्स राशनिंग आर्डर, १९४९ ई० को १ सितम्बर, १९४९ से जारी किया गया और भारत सरकार के सुझाव के अनुसार पूरे राशन वाले नगरों में राशनवाले अनाज को खुले बाजार में बेचने को बन्द करने के लिए इसे १६ सितम्बर, १९४९ई० से कुछ नगरों में लागू किया गया। राशनवाले नगरों की कुल संख्या ६० थी, जिनमें से ४९ में बन्द बाजारों सहित पूरी राशनिंग योजना लागू की गई। शेष ११ नगरों में खुले बाजारों के साथ रिलीफ कोटा की दूकानों की प्रणाली चलती रही। मिताहार योजना के अधीन गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नैनीताल, देहरादून, इटावा, जौनपुर, गोंडा और बहराइच जिलों के कुछ भागों में मोटे अनाज बांटे गये। १५ नवम्बर, १९४९ ई० को राशनिंग योजना के अधीन कुल जन-संख्या ७१,६९,४५० थी और औसत माहवारी खपत ७२,०८० टन थी। २६ मई, १९४९ ई० को यूनाइटेड प्राविन्सेज फूड कन्जम्पशन (रेस्ट्रिक्शन) आर्डर, १९४९ ई० नामक आज्ञा जारी की गई जिसके अनुसार मेजमान (मेजमानों और उसके) उनके परिवार सहित मेहमानों की संख्या किसी दावत में ५० से अधिक न होगी। दोनों-निजी व्यक्तियों तथा सरकारी विभागों द्वारा रखे गये घोड़ों और खच्चरों को खिलाने के लिये अक्तूबर १९४९ ई० में एनिमल राशनिंग की एक प्रणाली को जारी किया गया।

वर्ष में कपड़े के नियंत्रण में कई परिवर्तन हुये। मिलों में कपड़े और सूत जमा हो जाने के कारण, भारत सरकार ने मिलों में जमा हुए स्टाक को उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के हाथ बेंच देने की आज्ञा दे दी और प्रांतीय सरकार को ऐसे मनोनीत व्यक्तियों को लाइसेंस देना पड़ा, जिन्हें पहले लाइसेंस नहीं मिला था। १ अक्तूबर, १९४९ ई० से मिलों को उत्पादन के पहिले महीने ही से उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के हाथ उत्पादन की एक-तिहाई बेचने की अनुमति दी गयी और शेष दो-तिहाई को प्रान्तीय सरकार के मनोनीत व्यक्तियों में वितरित किया जाता था। सरकारी व्यक्तियों द्वारा यदि इस दो-तिहाई उत्पादन में से कुछ भाग न उठाया गया, तो वह भाग मिलों को उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में बांटने के लिये उपलब्ध हो जाता।

१ नवम्बर, १९४९ ई० से कपड़े और सूत के फुटकर मूल्यों में क्रमशः १० प्रतिशत और ६ १/२ प्रतिशत की कमी की गयी। कपड़े और सूत दोनों के मिल के बाहर (ex-mill) के मूल्य में ४ प्रतिशत की कमी कर दी गयी और मध्यवर्ती व्यापारियों के मूल्य में क्रमशः कपड़े और सूत दोनों में ६ प्रतिशत तथा २ १/२ प्रतिशत की कमी कर दी गयी। फिर भी अधिकतम फुटकर मूल्यों पर बिक्री-कर और आबकारी महसूल को जोड़ देने की आज्ञा थी।

१ नवम्बर, १९४९ ई० से क्रय अधिकारों के जारी करने की प्रणाली को स्थगित कर दिया गया और संयुक्त प्रान्त की मिलों के समस्त उत्पादन को उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के हाथ बेच देने के लिये खोल दिया गया।

दिसम्बर, १९४७ ई० में रवेदार चीनी पर से नियंत्रण उठा लेने के पश्चात् प्रान्त भर में सप्लाई की स्थिति तथा मूल्य सन्तोषजनक रहे। जून, १९४९ ई० से मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी, जो अगस्त-सितम्बर, १९४९ ई० में अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गयी जब कि मूल्य १ रु० से १ रु० ४ आ० प्रति सेर तक घटते-बढ़ते रहे। इस अभूतपूर्व वृद्धि के कारण प्रान्तीय सरकार ने २५ अगस्त, १९४९ को कारखानों द्वारा अधिकृत चीनी

के समस्त स्टाक को अपने अधिकार में कर लिया। इसी समय देश के अन्य भागों की स्थिति भी खराब हो गयी थी और २ सितम्बर, १९४९ ई० को भारत सरकार ने शुगर स्टाक्स (सेल टु सेन्ट्रल गवर्नमेंट) आर्डर, १९४९ ई० को जारी किया जिसके अधीन उन्होंने कारखानों के पास के सब चीनी के स्टाक को निश्चित श्रेणीबद्ध मूल्य पर ले लिया। औसत किस्म की डी-२४--कारखाने के बाहर (ex-factory) प्रति मन चीनी के मूल्य २८ रु० ८ आना निश्चित किया गया। इसके पश्चात् भारत सरकार ने सितम्बर से दिसम्बर, १९४९ ई० की अवधि के लिये इस प्रान्त के हेतु कुल २०,००० टन चीनी दी। निश्चित मूल्यों पर, विश्वसनीय एजेन्सियों द्वारा पूर्णतया राशन के आधार पर समस्त जिलों में नियत कोटों के अनुसार चीनी का वितरण किया गया। शहरी क्षेत्रों में वितरण आधा सेर प्रति व्यक्ति प्रति पक्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति १/६ से १/२ सेर के बीच में पड़ा। इसके अतिरिक्त लगभग ८,००० मन रोरी और १०,००० मन पिसी चीनी को भी विशेष कर त्यौहारों में हलवाइयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये नियत किया गया।

नमक की स्थिति वर्ष भर अच्छी रही। भारत-सरकार द्वारा निर्मित नमक वितरण की प्रादेशिक योजना (Zonal Scheme of Salt Distribution) के अधीन १९४९ में इस प्रान्त के लिये विभिन्न साधनों से निश्चत किया गया। नमक का कोटा १,५५० छोटी लाइन तथा ४९८ बड़ी लाइन के डिब्बों का था। समस्त जिलों ने भी आकस्मिक प्रयोजनों के लिए काफी नमक रख लिये थे और किसी भी जिले से नमक की कमी की रिपोर्ट नहीं मिली।

१९४१ ई० के खपत के आंकड़ों पर आधारित मिट्टी के तेल के संबंध में प्रान्त के लिये निर्धारित किया गया परिमाण ३,६०,००० टिन प्रति मास था, यद्यपि मासिक खपत में अन्तर के कारण विभिन्न महीनों के वास्तविक आंकड़ों में परिवर्तन होता रहा। १९४९ ई० के प्रारम्भ में वाहन की कठिनाई के कारण मासिक सप्लाई में कभी-कभी नियत परिमाण के २५ प्रतिशत से अधिक सप्लाई होती थी। तथापि वर्ष के मध्य में वाहन समस्या में कुछ सुविधा हुई, जिससे तेल की कम्पनियों ने किसानों को रबी की वसूली के संबंध में वितरण करने के लिये ३,६०,००० टिनों के एतदर्थ नियत परिमाण को आयात किया, किन्तु सितम्बर में मुद्रा के अवमूल्यन से, तेल के बाजार पर तुरन्त ही बुरा प्रभाव पड़ा और भारत सरकार को बाध्य होकर तेल के मूल्य को बढ़ाकर १ रु० ४ आ० ६ पा० प्रति ८ गैलन करना पड़ा। मिट्टी के तेल की सप्लाई की स्थिति वर्ष भर काफी संतोषजनक रही।

विशेष कर विदेशी कागज के अधिक आयात करने के कारण सब मिलाकर कागज की स्थिति भी संतोषजनक रही और कागज नियंत्रण के प्रशासन में भी वर्ष में कुछ शिथिलता कर दी गयी। पहली बात यह है कि भारतीय मिलों से बने कागज का वितरण, जिसे परमिटों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, बिना परमिट के वितरित किया जाने लगा, यद्यपि भारत-सरकार द्वारा पेपर कंट्रोल (इकोनामी) आर्डर, १९४५ के अधीन खपत की निर्धारित सीमा ज्यों की त्यों लागू रक्खी गई। दूसरे समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के खपत की सीमा में ४० प्रतिशत की कटौती को हटा दिया गया और प्रत्येक अधिकृत उपभोक्ता अपनी खपत की सीमा तक १०० प्रतिशत कागज ले सकता था। प्रेसों के चलाने की आज्ञा भी उदारतापूर्वक दी गयी।

१९४८ ई० के प्रारंभ में सरकार द्वारा विनियन्त्रण की सामान्य नीति के अनुसार सरकारी ठेके पर ईंधन के लाने-ले जाने के नियंत्रण को जून, १९४८ की दूसरी तिमाही में स्थगित कर दिया गया, परन्तु प्रमुख नगरों में जलाने की लकड़ी की कीमत अधिक बढ़ जाने के कारण लकड़ी लाने-ले जाने पर पुनः सरकार को अगस्त, १९४९ ई० में नियंत्रण लगाना पड़ा। फिर भी १९४९ ई० के अन्तिम काल में स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं थी, यद्यपि इस बात के लक्षण दिखाई दे रहे थे कि स्थिति शीघ्र ही सुधर जायेगी।

उन इमारती सामानों की सप्लाई, जिन पर नियंत्रण लगाया गया था, अर्थात् लोहा और इस्पात, बुझे हुए कोयले और सीमेंट, वर्ष के प्रारंभ में मांग की अपेक्षा काफी कम हुई। इस कमी के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों तथा जनता के बीच वितरण योजनाओं का

एकीकरण करना भी एक बड़ी समस्या थी। इसलिये सप्लाई के उपलब्ध साधनों के संयमपूर्ण प्रबन्ध के लिये कई उपाय किये गये। विभिन्न सरकारी विभागों की मांगों की जांच करने और आवश्यक निर्माण-कार्यों को प्राथमिकता दे कर मांगों में काट-छांट करने के लिये प्रान्तीय स्तर पर एक "मैटीरियल रिसोर्सेज कमेटी" (भौतिक साधन समिति) पहले से ही बनी हुई थी। यह कमेटी प्रत्येक जिले की जनता के लिये भी इमारती सामान का कोटा नियत करती थी। यह निश्चित करने के लिये कि इमारती सामान देने में किसको प्राथमिकता दी जाय, प्रार्थी व्यक्तियों की मांगों की जांच करने के लिये जिले के स्तर पर हाउसिंग कमेटियां (गृह निर्माण समितियां) पहले से बनी हुई थीं। वर्ष के अन्तिम काल में इन कमेटियों का पुनस्संगठन किया गया ताकि उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जा सकें। रहने के काम के छोटे-छोटे क्वार्टर्स और मकान बनवाने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने के विचार से विलासपूर्ण निर्माण-कार्यों के लिये इमारती सामान दिये जाने पर पाबन्दी लगायी गयी। वर्ष के मध्य में यू० पी० बिल्डिंग मैटीरियल्स कंट्रोल आर्डर नामक एक सरकारी आज्ञा जारी की गयी जिसके द्वारा ऐसी कोई इमारत बनाने की मनाही कर दी गयी, जिसे बनाने में १२,००० रु० से अधिक मूल्य का कंट्रोल का सामान लगाया जाय। इन उपायों के साथ ही साथ इमारती सामानों की प्राप्ति पर भी कड़ी निगरानी रखी गयी।

वर्ष के दौरान में जनवरी से लेकर दिसम्बर तक कंट्रोल संबंधी विभिन्न आज्ञाओं का उल्लंघन करने के संबंध में १,२७२ मुकद्दमे चलाये गए। इन मुकद्दमों में से और साथही उन मुकद्दमों में से जो विचाराधीन थे, १,३४८ मुकद्दमों में सजा मिली। ४१८ मुकद्दमों में अभियुक्त दोषमुक्त घोषित हुए और शेष मुकद्दमे विचाराधीन रहे। दुराचरण के मामलों में विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई और १३१ कर्मचारी सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिये गये या हटा दिये गये।

इनफोर्समेंट स्क्वैडों ने, जो कि कानपुर, आगरा, मेरठ और बनारस के चार प्रमुख नगरों में चोरबाजारी तथा चोरी से माल लाना ले जाना बन्द करने के लिये नियुक्त किये गये थे, सितम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक कंट्रोल संबंधी विभिन्न आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लगभग २,२४० मामलों का पता लगाया, १,४६६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और लगभग ४,८०,४८८ रु० के मूल्य का माल पकड़ा।

२५—सहायता तथा पुनर्वास

१९४९ ई० में विस्थापित व्यक्तियों का बड़ी संख्या में आना लगभग बन्द हो गया था और इसके बाद सरकार के सामने मुख्य प्रश्न उन विस्थापित व्यक्तियों के बसाने का था जो पहले से ही आ चुके थे। तदनुसार सहायता शिविरों को, जहां विस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी रूप से रक्खा गया था, तोड़ देने की नीति अपनाई गई और सरकारी शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या घटकर २५,११६ हो गयी और इनमें से केवल १,०२० व्यक्तियों को, जिनमें अधिकतर विधवायें और अशक्त व्यक्ति थे, मुफ्त राशन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों को मिर्जापुर जिले के चुनार शिविर से हटाकर पूर्वी पंजाब में कांगड़ा जिले के योल शिविर में रखा गया और इस प्रकार चुनार का शिविर पूर्णरूप से तोड़ दिया गया। (१) विधवाश्रमों में रहने वाली विस्थापित महिलाओं और शिविरों के बाहर के ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्रों और (२) अशक्त और अपंगु व्यक्तियों के प्रयोग के लिये कुछ सामान रिजर्व रूप से रख लेने के बाद विभिन्न शिविरों में बचे हुए ऊन, सूती कपड़ों, कम्बलों और रजाइयों के बारे में भारत सरकार को लिखा गया कि ये चीजें विक्रयादि द्वारा खत्म कर दी जायं। शिविरों के बर्तनों, लालटेनों, चारपाइयों और पढ़ाई-लिखाई के साज-सामान आदि का काफी स्टाक भी फालतू हो गया और उसमें से केवल थोड़ा सा सामान उन शिविरों को, जो उस समय चल रहे थे और जिनमें इन सामानों की बड़ी आवश्यकता थी, दे देने के पश्चात् अधिकांश के बारे में भारत सरकार को लिखा गया कि इसे विक्रयादि द्वारा खत्म करने के संबंध में आदेश भेजे जायं।

सहायता संबंधी कार्यवाहियों में क्रमशः कमी किये जाने के साथ ही पुनर्वास के कार्य में भी तेजी की गई। विस्थापित व्यक्तियों के लिये औद्योगिक ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के विचार से सहायता शिविरों की औद्योगिक सम्भावनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये १९४७ ई० में शीघ्रता के साथ जो जांच-पड़ताल की गयी थी उससे यह पता चला था कि विस्थापित व्यक्तियों में से अधिकांश लोग वितरण संबंधी कारबार अधिक पसंद करते हैं, परन्तु संयुक्त प्रान्त में ऐसे कारबार का क्षेत्र बहुत सीमित होने के कारण भूतपूर्व सैनिकों के निमित्त भारत सरकार द्वारा खोले गये व्यावसायिक ट्रेनिंग केन्द्रों में विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग देने की योजना के अन्तर्गत उनके लिये सुरक्षित जगहों की संख्या आलोच्य वर्ष में २,००० से बढ़ाकर २,५०० कर दी गई। नवम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक इन केन्द्रों में पांच हजार सात सौ तीस व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गयी या वे ट्रेनिंग पा रहे थे।

कुछ प्रमुख नगरों में शिविरों के बाहर रहने वाली महिलाओं के लिये १३ ट्रेनिंग और उत्पादन केन्द्र खोले गये और देहरादून तथा इलाहाबाद में एक-एक आवासिक औद्योगिक आश्रम संगठित किये गये। मथुरा और मेरठ के दो विधवाश्रमों को वित्तीय सहायता दी गई, जहां निर्धन विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं और बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता था।

प्रान्तीय सरकार ने १९४७-४८ ई० के बजट में गंगा खादिर में १,७५० विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों और तराई में ८७५ परिवारों को बसाने की योजना के लिये १९४७-४८ ई० के बजट में व्यवस्था की थी। नवम्बर, १९४९ ई० तक गंगा खादिर में प्रति परिवार १० एकड़ के हिसाब से १,१६३ परिवारों को और तराई में १५ एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से ३८० परिवारों को भूमि दी गई। इस योजना पर कुल ४०,१३,००० रु० का उत्पादक और ८४,१७,५०० रु० का अनुत्पादक व्यय होने की आशा थी, जिसमें से कुल अनुत्पादक व्यय का केवल ५० फीसदी और उत्पादक व्यय पर होने वाली हानियों का ५० फीसदी केन्द्रीय सरकार उठाने वाली थी। हानियों का हिसाब दस वर्ष के बाद लगाया जाने वाला था।

विस्थापित व्यक्तियों को काम दिलाने की पूरी-पूरी कोशिश की गयी। आयु, शिक्षा तथा अधिवास संबंधी नियमों में उनके लिये काफी ढिलाई कर दी गई। डाइरेक्टर आफ रिसेटिलमेंट ऐंड एम्प्लवायमेंट से कहा गया कि वे उनके नाम रजिस्टर कर लें और उपयुक्त जगहों के निमित्त उनमें जो योग्य हों उनके लिये सिफारिश करें। लगभग वर्ष के अन्त तक १०,०६२ विस्थापित पुरुषों तथा महिलाओं को नौकरी दिलाई गयी थी।

वर्ष के दौरान में, विस्थापित डाक्टरों, दंत चिकित्सकों, वैद्यों तथा हकीमों को राज्य सहायता देने की योजना, जिसे १९४८ ई० में आरम्भ किया गया था, समाप्त कर दी गई।

सहायता शिविरों (relief camps) में विस्थापित लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध कई प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी स्कूल खोल कर किया गया। २४२ मामलों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्ययन पूरा करने के लिये शिक्षा संबंधी ऋण स्वीकृत किये गये थे, और सन् १९४९ ई० के अन्त तक विस्थापित उद्योगपतियों और व्यापारियों को ६१,५२,३८८ रु० और विस्थापित किसानों को २,६२,२०० रु० तक के ऋण दिये गये। भारत सरकार के पुनर्वास वित्त प्रशासन (Rehabilitation Finance Administration) ने भी, जिसने प्रत्येक मामले में ५,००० रु० से अधिक धनराशि के ऋण दिये, सन् १९४९ ई० में इस प्रान्त के विस्थापित व्यक्तियों को कुल ३१,३९,००० रु० ऋण के रूप में दिये। विभिन्न जिलों में शरणार्थियों के कारखानों को ४०० किलोवाट से अधिक विद्युत् शक्ति दी गई और विस्थापित प्रनिर्माताओं (Fabricators)

तथा इंजीनियरिंग कारखानों को लोहे और इस्पात का कुल ६०० टन से अधिक का त्रैमासिक कोटा वितरित किया गया। विस्थापित उद्योगपतियों को उनके पुनर्वास के संबंध में पट्टे पर देने के लिये आगरा, लखनऊ और फर्रुखाबाद में स्थित डीहाइड्रेशन (Dehydration) कारखानों को भी भारत सरकार से ३,५०,००० ० की लागत पर अपने हाथ में ले लिया गया था।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभिन्न नगरों में ३,८४७ दूकान तथा निवासस्थान की तरह के मकान बनवाये थे और उन्हें उपयुक्त किराये पर विस्थापित व्यक्तियों को उठा दिये थे। इसके अतिरिक्त उन्नत नमूनों के १३४ मकान बनाये गये थे तथा विस्थापित व्यक्तियों से कहा गया कि वे उन्हें "किस्तों में किराया देकर खरीदने की प्रणाली" (hire-purchase system) पर ले सकते हैं। निर्धन श्रेणी के लोगों के लिये, लगभग १,००० कच्चे मकान बनवाये गये। उनके लिये कानपुर के विकास बोर्ड ने १,२०० क्वार्टर पूरे किये और इलाहाबाद के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने २५ क्वार्टर बनवाये। प्रान्त में स्थानीय निकायों को विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान और दूकान बनवाने के निमित्त १० लाख रुपये से अधिक धनराशि ऋणों के रूप में भी दी गई थी।

विस्थापित व्यक्तियों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया गया कि भवन निर्माण संबंधी प्रयोजनों के लिये वे अपनी निजी सहकारी समितियां बना लें। इन समितियों को १९३९ ई० के मूल्य-स्तर पर भूमि प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई गई तथा विभिन्न प्रकार के अन्य उपायों से उन्हें सहायता पहुंचाई गई जैसे कंट्रोल की हुई दरों पर इमारती सामान का दिया जाना तथा वित्तीय सहायता।

लखनऊ, देहरादून और इलाहाबाद में नई बस्तियां स्थापित करने के लिये योजनायें तैयार की गईं और विस्थापित व्यक्तियों में से जो कुछ अधिक धनी-मानी व्यक्ति थे उन्हें अपने मकान बनवाने के लिये १,२५७ प्लाट दिलाये गये थे।

एक औद्योगिक नगर के निर्माण के लिये मोदीनगर में लगभग २०० एकड़ क्षेत्रफल भूमि प्राप्त की गयी थी। इस बस्ती के निर्माण का कार्य मेसर्स मोदीनगर कान्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड द्वारा, जिन्हें ३५ लाख रुपये का एक ऋण देने का वचन दिया गया था और जिसमें से दस-दस लाख रुपये की दो किस्तें पहिले ही चुकता की जा चुकी थीं, अभी जारी था। वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत लगभग ३५० मकान बन गये थे। मेरठ में ऐसे खेलकूद का सामान तैयार करने वाले विस्थापित व्यक्तियों को भी जो पश्चिमी पंजाब से आये थे, लगभग १०० क्वार्टर दिये गये, ताकि प्रान्त में खेल कूद के सामान के उद्योग का एक केन्द्र स्थापित हो जाय। नैनी में २५० एकड़ भूमि प्राप्त की गयी थी और उसे विस्थापित उद्योगपतियों को देने के पूर्व, एक लाख रुपये की एक धनराशि उस क्षेत्र के विकास पर खर्च की जा रही थी। शाहजहांपुर, देहरादून और फैजाबाद के जिलों में विस्थापित व्यक्तियों के निमित्त नगर स्थापित करने के लिये प्रान्तीय सरकार को अपनी कुछ सैनिक योजनायें (Military projects) स्थायी रूप से हस्तांतरित करने के संबंध में भारत सरकार के साथ बातचीत जारी थी।

संयुक्त प्रान्त में निष्क्रांत सम्पत्ति के प्रशासन तथा प्रबन्ध का कार्य, निष्क्रान्त सम्पत्ति के एक प्रान्तीय कस्टोडियन के जिम्मे था और उसे हेडक्वार्टर्स पर एक असिस्टेंट कस्टोडियन और संबंधित जिलों में जिला मैजिस्ट्रेट, जो डिप्टी कस्टोडियन के रूप में काम करते थे, सहायता पहुंचाते थे। न्याय संबंधी कार्य ५ डिप्टी कस्टोडियन (जुडीशल) करते थे, जो हेडक्वार्टर्स पर एक एडीशनल कस्टोडियन के मातहत काम करते थे। महत्वपूर्ण जिलों में कुछ पूरे समय काम करने वाले निष्क्रान्त सम्पत्ति के असिस्टेंट कस्टोडियन भी नियुक्त किये गये थे।

२६—विधान मंडल

इस वर्ष दो महत्वपूर्ण कानून, अर्थात् जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक १९४९ ई० तथा कृषि काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधेयक, १९४९ ई०

[(Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Bill, 1949)] उपस्थित किये गये थे जिनमें से बाद वाला विधेयक पारित हुआ और दिसम्बर, १९४९ ई० में कानून भी बन गया।

विधान-सभा का एक अधिवेशन हुआ जो २६ फरवरी, १९४९ ई० से आरम्भ हुआ था और विधान-सभा की कुल बैठक ३५ दिन हुई और उसकी बैठकें फरवरी, मार्च, अप्रैल और जुलाई के महीनों में हुई थीं। विधान परिषद् की २४ बैठकें हुई थीं और उसे दो बार अर्थात् २३ जून और १९ अगस्त, १९४९ ई० को अनिश्चित समय के लिये स्थगित किया गया।

१९४९ ई० का यू० पी० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक विधान सभा में स्तुत किया गया था और उसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया था जिसमें विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित थे। प्रवर-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और विधान सभा में विधेयक पर विचार हो रहा था।

अन्य प्रस्तावों के साथ, दो महत्वपूर्ण सरकारी प्रस्ताव भी रक्खे गये थे तथा उन्हें प्रान्तीय विधान मंडल ने स्वीकृत किया। उनमें से एक प्रस्ताव द्वारा १९४७ ई० के संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक शांति बनाये रखने का (अस्थायी) ऐक्ट, जो २८ फरवरी, १९४९ ई० को समाप्त होने वाला था, २८ फरवरी, १९४९ ई० से एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया था और दूसरे प्रस्ताव द्वारा, प्रान्तीय विधान मंडल नें डोमीनियन विधान-मंडल से यह सिफारिश की कि वह एक ऐसा अधिनियम पारित करे जिसके द्वारा संयुक्त प्रान्त में निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन, देखरेख और हस्तान्तरण नियमित किया जा सके।

सदा की भांति १९४९-५० ई० के वर्ष का बजट विधान-मंडल के दोनों सदनों ने १९४९ ई० में पारित कर दिया था।

जैसा कि नीचे दिया गया है, विधान सभा की सीटों के लिये केवल तीन उपचुनाव हुये थे। ये सीटें वर्तमान सदस्यों के ६० दिन से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण रिक्त घोषित की गई थीं :--

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	अनुपस्थित सदस्य का नाम	निर्वाचित सदस्य
१--मेरठ तथा हापुर तथा बुलन्दशहर तथा खुरजा तथा नगीना नगरों का मुस्लिम शहरी क्षेत्र	श्री सैयद अहमद अशरफ	श्री मोहम्मद हफीजुल रहमान
२--गाजीपुर तथा जौनपुर तथा गोरखपुर नगरों का मुस्लिम शहरी क्षेत्र	श्री एस० एम० रिज-वानउल्लाह	श्री शाह मुहम्मद शहीद सैयद
३--जिला सीतापुर मुस्लिम देहाती क्षेत्र	श्री मोहम्मद इस्माइल	श्री बशीर अहमद

माननीय डा० सीताराम और श्री विचित्र नारायण विधान परिषद् में, अपनी सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर पुनः मनोनीत किये गये थे। बाद में माननीय डा० सीताराम के पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप इस प्रकार रिक्त स्थानों के लिये माननीय श्री चन्द्रभाल, विधान परिषद् के प्रेसीडेंट और श्री अख्तर हुसेन वाइस प्रेसीडेंट चुने गये थे। माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन और श्री नफीसुल हसन क्रमशः विधान सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर कार्य करते रहे।

बालिग मताधिकार के आधार पर प्रान्तीय विधान सभा तथा संसद के लिये निर्वाचन सूचियों का पांडुलेख तैयार करने का बड़ा भारी काम, जिसके लिये १५,५५,००० रु० की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी थी, प्रायः समाप्त हो गया था। इस संबंध में होने वाले व्यय के लिये आवश्यक कोष जिला अधिकारियों को दे दिये गये थे।

१९४९–५० ई० के बजट में असेम्बली लाइब्रेरी के विस्तार तथा प्रसार के लिये १,१०,००० रु० की एक धनराशि की व्यवस्था कर दी गई थी। लाइब्रेरी में ७,६४४ पुस्तकें और २,५५५ अन्य प्रकाशन वर्ष के दौरान में बढ़ाये गये थे।

भाग २

विस्तृत अध्याय

अध्याय १—सामान्य प्रशासन और स्थिति

१—१९४९ ई० में शासन-मंडल के सदस्य

महामान्या श्रीमती सरोजिनी नायडू २ मार्च, १९४९ ई० तक, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, इस राज्य की गवर्नर रहीं। उनकी मृत्यु के पश्चात् अंतरिम व्यवस्था करते हुये गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय श्री विधुभूषण मलिक को उत्तराधिकारी की नियुक्ति के समय तक, कार्यवाहक गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। बाद को श्री होरमसजी पेरोशा मोदी ने १ मई, १९४९ ई० से गवर्नर के पद का कार्यभार ग्रहण किया और वर्ष के अंत तक वे ही इस पद पर रहे।

मंत्रि-परिषद् (Council of Ministers) बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत् रही। वर्ष के अन्त में कार्य-विभाग सहित मंत्रियों की सूची इस प्रकार थी :—

१—माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पंत, एम० एल० ए० .. मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, न्याय, वित्त और सूचना मंत्री।

२—माननीय हाफ़िज मोहम्मद इब्राहीम, एम० एल० ए० .. यातायात मंत्री।

३—माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द, एम० एल० ए० .. शिक्षा तथा श्रम मंत्री।

४—माननीय श्री हुकुम सिंह, एम० एल० ए० .. माल तथा वन मंत्री।

५—माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, एम० एल० ए० .. कृषि तथा पशु-पालन मंत्री।

६—माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० एल० ए० .. आबकारी, जेल, रजिस्ट्री तथा स्टाम्प मंत्री।

७—माननीय श्री आतमाराम गोविन्द खेर, एम० एल० ए० स्थानीय स्वशासन मंत्री।

८—माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० एल० ए० ... स्वास्थ्य और रसद मंत्री।

९—माननीय श्री लाल बहादुर, एम० एल० ए० पुलिस तथा वाहन मंत्री।

१०—माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एल० ए० .. विकास तथा उद्योग मंत्री।

सभा-सचिवों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वर्ष के अंत में निम्नलिखित सभा-सचिव काम कर रहे थे :—

१—श्री जगन्नाथ प्रसाद रावत, एम० एल० ए०।
२—श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०।
३—श्री चरणसिंह, एम० एल० ए०।
४—श्री लताफत हुसैन, एम० एल० ए०।
५—श्री महफूजुर्रहमान, एम० एल० ए०।
६—श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।
७—श्री वहीद अहमद, एम० एल० सी०।

अधिशासी (Executive) तथा न्यायिक कार्यों का पृथक् किया जाना

मैजिस्ट्रेटों के अधिशासी तथा न्यायिक कार्यों को पृथक् करने की नीति कार्यान्वित करने की ओर मई, १९४९ ई० में एक और कदम उठाया गया और एक योजना तैयार की गई जिसके अनुसार जिलों में माल तथा फौजदारी विभाग का न्यायिक कार्य जुडिशियल और रेवेन्यू अधिकारियों को सौंप दिया गया। इन अधिकारियों का काम यह था कि वे भारतीय दण्ड विधान (Indian Penal Code) के अधीन सब मुकदमों का और कानून कब्जा आराजी (टेनेन्सी ऐक्ट) के अधीन सब मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों का और अन्य विविध ऐक्टों के अधीन ऐसे सब मुकदमों का और कानूनी कार्यवाहियों का फैसला करें जिनका फैसला असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा किया जाता था। भारतीय सिविल सर्विस और भारतीय ऐडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासकीय) सर्विस के जिलों में तैनात सब अधिकारियों और सब डिप्टी कलेक्टरों का इस सम्बन्ध में यह काम रहा कि वे दण्ड विधि संग्रह (Criminal Procedure Code) के अधीन सब मुकदमों की, अन्य विविध स्थानीय और विशेष ऐक्टों के अधीन दायर किये गये सब मुकदमों की और लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट (मालगुजारी आराजी ऐक्ट) के अधीन दायर किये गये सब मुकदमों की और कानूनी कार्यवाहियों की सुनवाई पूर्ववत् करते रहें। इस प्रकार जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों और रेवेन्यू अधिकारियों को केवल न्यायिक कार्य करना रहा और उन्हें अधिशासी कार्य से कोई सरोकार नहीं रहा। आरम्भ में यह योजना बुलन्दशहर, मथुरा, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, झांसी, उन्नाव, बहराइच और सीतापुर के जिलों में चालू की गई और इन आठ चुने हुए जिलों में केवल न्यायिक कार्य करने के लिये काफी सीनियर अधिकारियों को अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (न्यायिक) के पद पर नियुक्त किया गया और इन अधिकारियों का कार्य जिला मैजिस्ट्रेटों से अलग और स्वतन्त्र था। इस प्रकार जिला मैजिस्ट्रेटों और सब-डिवीजनल अधिकारियों को मुकदमों की सुनवाई से अधिक सरोकार नहीं रहा और उन्हें अपने अधिकांश पुराने न्यायिक कार्य तथा उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया।

इस योजना का उद्देश्य यह था कि बहुत से कानूनों में संशोधन किये बिना ही मैजिस्ट्रेटों के न्यायिक और अधिशासी कार्यों के पृथक किये जाने का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाय, और यह विचार किया गया था कि इन चुने हुए आठ जिलों में इस योजना के चालू किये जाने के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त हों उनके आधार पर इस योजना का धीरे-धीरे विस्तार किया जाय। १९४९ ई० में कुछ समय तक ही योजना के अनुसार कार्य किया गया, परन्तु जो नतीजे निकले वे संतोषप्रद थे। आठों जिलों में विचाराधीन अपीलों की संख्या काफी गिर गई, और जेलों में रखे गये विचाराधीन कैदियों की संख्या और साथ ही साथ पुराने विचाराधीन मुकदमों की संख्या भी लगभग इन सभी जिलों में काफी गिर गई। इसके अतिरिक्त पहले से कम नालिशों और फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई स्थगित की गई।

सेवाओं (Services) की कार्य-कुशलता

सार्वजनिक सेवाओं की कार्य-कुशलता बनाये रखने के उद्देश्य से ८ स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों और १२ स्थानापन्न डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों को उनका कार्य असंतोषप्रद होने के कारण, वर्ष में उनके स्थायी पदों पर लौटा दिया गया और एक डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा दो डिप्टी कलेक्टरों को विभिन्न आरोपों के कारण मुअत्तल किया गया।

इसके अतिरिक्त प्रशासकीय ट्रिब्युनल (Administrative Tribunal) की सिफारिशों पर एक डिप्टी कलेक्टर को बरखास्त किया गया तथा दूसरे की तनज्जुली टाइम स्केल के नीचे क्रम पर कर दी गई और विभागीय कार्यवाहियों के फलस्वरूप एक स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर को बरखास्त किया गया और दूसरे दो डिप्टी कलेक्टरों की वार्षिक वेतन-वृद्धि तीन वर्ष तक के लिये रोक दी गई। एक दूसरे डिप्टी कलेक्टर को, जिसे पिछले वर्ष मुअत्तल किया गया था, नौकरी पर फिर से रख लिया गया क्योंकि उस पर लगाये गये अभियोग साबित नहीं हुए।

सिविल और पुलिस सेवाओं के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि

देश के विभाजन से सीनियर सिविल और पुलिस सेवाओं में जो कमी हो गई थी उसकी पूर्ति कुछ हद तक इस प्रान्त की इन्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ८ अधिकारी देकर और १ अप्रैल, १९४९ ई० से ८ डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट की इन्डियन पुलिस सर्विस से पदोन्नति कर के की गई। शेष रिक्त जगहों को भरने के लिये भारत सरकार ने इन सेवाओं के लिए बाहर से तथा प्रान्तीय सिविल और पुलिस सर्विसों के योग्य अधिकारियों में से आकस्मिकता के समय भर्ती करने की एक योजना चलाई। इस योजना के अन्तर्गत १ अक्तूबर, १९४९ ई० से ३५ डिप्टी कलेक्टरों और ८ डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों को इन्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव तथा इंडियन पुलिस सर्विस में नियुक्त किया गया।

रियासतों का विलीनीकरण

टेहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस रियासतों के उत्तर प्रदेश में विलीन करने के फलस्वरूप टेहरी-गढ़वाल और रामपुर के दो नये जिले बनाये गये, जिससे जिला मैजिस्ट्रेटों की कुल संख्या ४९ से बढ़कर ५१ हो गई। इसके साथ-साथ इन तीन भूतपूर्व रियासतों की अधिशासी तथा पुलिस सेवाओं के स्थायी कर्मचारियों को इस सरकार की सार्वजनिक सेवाओं में ले लेने के प्रश्न पर भी निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार सरकार विचार कर रही थी।

डिवीजनों के कमिश्नर

रुहेलखंड डिवीजन का कार्यभार जो गत वर्ष मेरठ तथा आगरा डिवीजनों के कमिश्नर को सौंपा गया था, प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से उनसे १ अप्रैल, १९४९ ई० से ले लिया गया और कुमायूं डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर-इन्चार्ज को सौंप दिया गया। इसके स्थान पर मेरठ तथा आगरा डिवीजनों के कमिश्नर १५ जून, १९४९ ई० से अपने कार्य के अतिरिक्त जमींदारी विनाश कार्य के सम्बन्ध में भूमि व्यवस्था कमिश्नर भी नियुक्त किये गये।

चीफ़ सेक्रेटरी

श्री बी० एन० झा०, आई० सी० एस० की सेवायें, जो २३ मार्च, १९४७ ई० से सरकार के चीफ सेक्रेटरी का कार्य कर रहे थे, राजस्थान सरकार के सीनियर परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति किये जाने के लिये, भारत सरकार को सौंप दी गई और श्री भगवान सहाय, आई० सी० एस०, कमिश्नर, खाद्य तथा रसद तथा कमिश्नर, सहायता और पुनर्वास, संयुक्त प्रान्त को १३ जुलाई, १९४९ ई० से चीफ़ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया।

जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आदि

केडर के वर्तमान रिक्त स्थानों पर, प्रतियोगिता परीक्षा के फल-स्वरूप लगभग ६० जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू अधिकारी नियुक्त किये गये। भ्रष्टाचार-निरोधक मामलों के मुकदमों की सुनवाई करने वाले, इलाहाबाद, और बनारस के स्पेशल मैजिस्ट्रेटों की अदालतों का काम आलोच्य वर्ष में बन्द हो गया और भारत सरकार की स्पेशल पुलिस स्थापना (Special Police Establishment) द्वारा चलाये गये मुकदमों की सुनवाई करने के लिये लखनऊ में स्पेशल मैजिस्ट्रेट की एक अदालत स्थापित की गई। इन्डियन

सिविल सर्विस के दो अधिकारियों, इन्डियन पुलिस के पांच अधिकारियों और पुलिस के चार डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टों की सेवाएं भारत सरकार, राजस्थान और हैदराबाद की सरकारों को मांगे दी गईं।

राजनैतिक पीड़ित, विस्थापित व्यक्ति तथा अनुसूचित जातियां

राजनैतिक पीड़ितों को मुआविजा देने की सरकार की सामान्य नीति का अनुसरण करते हुए यह निश्चय किया गया कि जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय आन्दोलनों में सहयोग देने अथवा उनमें वास्तविक रूप से भाग लेने के कारण नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया था या जिन्हें नोकरी से बरखास्त कर दिया गया था या निकाल दिया गया था और जिन्हें नौकरी पर फिर नहीं रखा गया या जिन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया गया, उनके त्याग-पत्र देने या उनकी नौकरी के समाप्त होने की तारीख से उन्हें ऐसी पेंशन या अनुग्रह-धन (gratuity) मिलेगा जिनके पाने के वे उन तारीखों को उस दशा में अधिकारी होते यदि वे अस्वस्थता के आधार पर रिटायर हो गये होते। पेंशन पाने वाले ऐसे व्यक्तियों को भी, जिनकी पेंशनें उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण जब्त कर ली गई थीं, उसी तारीख से फिर पेन्शनें दे दी गईं जिससे वे जब्त की गई थीं।

इसी प्रकार अधिक योग्यता रखने वाले विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के विचार से सरकार ने यह निश्चय किया कि वकील, डाक्टर, इंजीनियर, अध्यापक आदि की हर खाली जगह की सूचना स्पेशल इम्प्लायमेंट ब्यूरो के डाइरेक्टर को दी जानी चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त प्रान्त को इस संबन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये थे। यह भी निश्चय किया गया कि वर्मा सरकार के उन भूतपूर्व उपयुक्त नौकरों को यहां की सरकारी नौकरी में रखा जाय जो इस राज्य के हों और जो यहां रहते हों तथा उनकी आयु, अधिवास एवं उस स्थान के बारे में लगे हुए प्रतिबन्धों को हटा दिया जाय जहां उन्होंने अपनी शिक्षा-संबन्धी योग्यता प्राप्त की हो।

अनुसूचित जातियों के लिये कुछ प्रतिशत जगहों के सुरक्षित रखने की सरकारी नीति को प्रभावपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के विचार से यह निश्चय किया गया कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को, उनकी निर्धारित संख्या में, पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये चुना जाय, पर शर्त यह है कि वे न्यूनतम योग्यता रखते हों, भले ही वे योग्यता के क्रम में दूसरों से बहुत नीचे हों। नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में यह विशेष शर्त रखी गई थी कि परीक्षण की अवधि में उच्च अधिकारी चुने गये उम्मीदवारों के काम की सावधानी से जांच करेंगे और वे नियुक्त करने वाले अधिकारी के पास उनके काम की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट भेजेंगे।

विलीनीकृत रियासतों के कर्मचारिवर्ग

बनारस, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल की तीन रियासतों के विलीनी-करण और विन्ध्य प्रदेश के कई अन्तरक्षेत्रों (इन्क्लेव्स) के मिला लिये जाने के फलस्वरूप इन रियासतों के अनेक कर्मचारी फालतू हो गये। संयुक्त प्रान्त की सार्वजनिक सेवाओं में उन्हें स्थान देने के लिये विस्तृत कार्य-विधि नियत की गई और इस विषय में, जहां आवश्यकता हुई, पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श किया गया।

अधिवास का प्रमाणी-करण

पटवारियों, कानूनगो या पुलिस के कान्सटेबुलों द्वारा सरकारी नौकरी के लिये उम्मीदावारों के अधिवास के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में जांच करने के लिये वर्तमान कार्य-विधि में सुधार करने के विचार से यह आदेश जारी किये गये कि ऐसे उम्मीदवारों की दशा में, जो राज्य की सर्विसों

और सचिवालय के कर्मचारिवर्ग तथा सम्बद्ध कार्यालयों में भी नौकरी चाहते हों, यदि जिला अफसर को उनके बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी न हो तो इस प्रकार की पूछताछ किसी गजटेड अफसर द्वारा की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में उत्पन्न किसी आशंका को दूर करने और स्थिति को यथासंभव स्पष्ट कर देने के उद्देश्य से सरकार ने स्पष्टरूप से यह आदेश जारी किये कि कोई भी गजटेड कर्मचारी अपनी पत्नी अथवा अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को, जो कि उसके साथ रहता हो, अथवा उस पर आश्रित हो, उस जिले में इन्श्योरेंस एजेन्ट बनने की अनुमति नहीं देगा, जिसमें वह तैनात हो।

सरकारी कर्मचारियों और सामान्य रूप से नौकरियों से संबन्धित मामले

ईमानदारी के प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में संकटकालीन (एमर्जेन्सी) भर्ती द्वारा चुने गये अधिकारियों की ट्रेनिंग के सम्बन्ध में तथा कानून के उन निर्देशों के सम्बन्ध में जिनके अन्तर्गत किसी व्यक्ति के लिये जाति बताने की आवश्यकता होती है, पूरे और विस्तृत आदेश जारी किये गये।

वैभागिक परीक्षाओं (डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशंस) के संचालन सम्बन्धी नियमों में संशोधन किये गये ताकि राजभाषा हिन्दी को परीक्षाओं की पाठ्य सूची में उचित स्थान प्राप्त हो जाय।

यह भी आदेश जारी किये गये कि सर्विसों में प्रगुणता बढ़ाने के विचार से किसी सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से रिटायर करने के पूर्व उसे प्रस्तावित अनिवार्य रिटायरमेंट के विरुद्ध कारण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया कि बाढ़ आदि जैसी भीषण परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को जिला मैजिस्ट्रेटों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए तथा उनकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए।

पब्लिक सर्विस कमीशन

१२ जनवरी, १९४९ ई० से श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव ने पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के पद से त्याग-पत्र दे दिया और उनके रिक्त स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। श्री एस० सी० चटर्जी का कार्यकाल समाप्त होने पर कमीशन में उनके स्थान पर श्री के० एम० लाल नियुक्त किये गये।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को गत वर्ष सी० आई० डी० इन्वेस्टीगेशन ब्रांच के साथ मिला दिया गया था और सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में सी० आई० डी० इन्वेस्टीगेशन ब्रांच द्वारा किस प्रकार जांच की जानी चाहिए उसके सम्बन्ध में नियम भी बना दिये थे। सी० आई० डी०, इन्वेस्टीगेशन ब्रांच ने वर्ष में इस प्रकार की गई शिकायतों की छानबीन की। सी० आई० डी०, इन्वेस्टीगेशन ब्रांच के पास जांच के लिये केवल महत्वपूर्ण मामले और ऐसे मामले भेजे गये जिनकी छानबीन पर्याप्त रूप से स्थानीय पुलिस न कर सकी।

भ्रष्टाचार निरोधक जिला समितियां

ये समितियां पूर्ववत् काम करती रहीं। प्रख्यापन और प्रचार पर प्रारम्भ में उन्हें २५० रुपया प्रति वर्ष व्यय करने का अधिकार दिया गया था, परन्तु इस वर्ष सामान्य प्रशासन की स्थायी समिति की सिफारिश पर इस धनराशि को बढ़ाकर ५०० रुपया प्रतिवर्ष कर दिया गया।

प्रशासकीय ट्रिब्युनल

प्रशासकीय ट्रिब्युनल, जो १९४७ ई० के अन्त में संयुक्त प्रांत की अनुशासन संबन्धी कार्यवाहियों (प्रशासकीय ट्रिब्युनल) की नियमावली, १९४७ ई० के अधीन स्थापित किया गया था, इस वर्ष काम करता रहा। ट्रिब्युनल के प्रेसीडेन्ट और मेम्बर आरम्भ में पूरे समय के अफसर नहीं थे परन्तु वे बोर्ड माल के सीनियर मेम्बर और सरकार के जुडिशियल सेक्रेटरी के रूप में अपने संबन्धित कार्यों के अतिरिक्त ट्रिब्युनल के कार्य को भी किया करते थे। इस वर्ष के अन्त में सरकार ने मेम्बर की हैसियत से एक पूरे समय के अफसर को नियुक्त किया ताकि मामले शीघ्रता से निपटाये जायं। वर्ष के समाप्त होने तक छब्बीस मामले ट्रिब्युनल के सुपुर्द किये गये और जिन तेरह मामलों के संबन्ध में इसने निर्णय दिया उसके फलस्वरूप सात अफसर बरखास्त किये गये, दो को अन्य प्रकार का दण्ड दिया गया और चार छोड़ दिये गये। सरकार ने बाद में दो मामलों को वापिस ले लिया, क्योंकि एक मामले में संबन्धित अफसर ने त्याग-पत्र दे दिया था और दूसरे मामले को बोर्ड माल के सुपुर्द कर दिया गया था। इस प्रकार वर्ष के अन्त में ट्रिब्युनल के पास ग्यारह मामले विचाराधीन थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आन्दोलन

गत वर्ष दिसम्बर के आरम्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो तथा कथित "सत्याग्रह" आन्दोलन चलाया गया था उसे संघ के नेताओं ने देश भर में जनवरी, १९४९ ई० के अन्तिम सप्ताह में बिना शर्त के हटा लिया। इसके पश्चात् भारत सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध में फिर से वार्ता आरम्भ हुई, जो पिछले अवसरों पर असफल सिद्ध हो चुकी थी। मार्च, १९४९ ई० में संघ के गुरु श्री गोलवालकर ने भारत सरकार के पास अपने संगठन के विधान का पाण्डुलेख प्रस्तुत किया जिसमें इस संगठन की कार्यवाहियों को केवल सांस्कृतिक क्षेत्र तक ही सीमित रक्खा गया था और यह घोषित किया गया था कि इस संगठन में हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया जायेगा, गुप्त कार्यवाहियों का परित्याग किया जायगा तथा भारत के संविधान और राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा दिखाई जायेगी। इस पर भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि इस संगठन को जनतन्त्रात्मक संगठन के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाय और प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विचारों से सहमत होकर १६ जुलाई, १९४९ ई० से प्रान्त में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबन्ध हटा लिया। फलस्वरूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्त्ताओं को जेल से छोड़ दिया गया और संघ के कार्यकर्त्ताओं या उनकी सम्पत्ति अथवा उनके धन पर लगे हुए सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये।

रेलवे हड़ताल

रेल कर्मचारियों की यूनियन ने, जिस पर कम्युनिस्टों का नियन्त्रण था, १२ और १३ फरवरी, १९४९ ई० को अपने कलकत्ते के सम्मेलन में यह निश्चय किया कि ९ मार्च, १९४९ ई० से सब भारतीय रेलों में आम हड़ताल की जाय, परन्तु प्रान्तीय सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही किये जाने के कारण, जिसमें संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का ऐक्ट (यू० पी० मेन्टिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट), १९४७ ई० के अधीन कुछ कम्युनिस्टों को नजरबन्द करना सम्मिलित था, जिस हड़ताल की धमकी दी गई थी, वह इस प्रान्त में सफल नहीं हुई।

बिहार पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट की अवधि बढ़ाने के संबन्ध में संघ न्यायालय (फेडरल कोर्ट) द्वारा तथा बंगाल पब्लिक सिक्युरिटी ऐक्ट की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा जो इस आशय की व्यवस्था दी गई थी कि विधान मंडल कानून बनाने के अपने अधिकार को प्रान्तीय सरकार को नहीं दे सकता है, उससे संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने के (अस्थायी) ऐक्ट [U. P. Maintenance of Public Order (Temporary) Act], १९४७ ई० की वैधता के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया। अतः इस उद्देश्य से कि यह ऐक्ट लागू रहे तथा इसके सम्बन्ध में कोई सन्देह न बना रहे, संयुक्त प्रान्तीय शान्ति बनाये रखने का (कार्यवाहियों) की वैधता सम्बन्धी आर्डिनेंस [U. P. Maintenance of Public Order (Proceedings Validation)], १९४९ ई०, १ जुलाई, १९४९ ई० को जारी किया गया। इस आर्डिनेन्स के आदेशों को बाद में संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने के आर्डर (संशोधन तथा कार्यवाहियों की वैधता सम्बन्धी) ऐक्ट [U. P. Maintenance of Public Order (Amendment and Proceedings Validation Act], १९४९ ई० में जो १२ अगस्त, १९४९ ई० को लागू हुआ था, सम्मिलित कर लिया गया। इस ऐक्ट में संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का (अस्थायी) ऐक्ट [U. P. Maintenance of Public Order (Temproary) Act], १९४७ ई० के आदेश भी बढ़ा दिये गये ताकि प्रान्त के सभी नजरबन्दों के मामलों की जांच करने के लिये एक पृथक् ट्रिब्युनल बनाये जाने की व्यवस्था हो जाय। तदनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के एक जज को प्रेसीडेंट तथा लखनऊ के जिला जज को मेम्बर नियुक्त करके एक डिटेन्शन ट्रिब्युनल कायम किया गया। वर्ष समाप्त होने तक १९२ मामले ट्रिब्युनल के पास भेजे गये और ९४ मामलों में उसने यह सिफारिश की कि नजरबन्दी की आज्ञा या नजरबन्दी की अवधि बढ़ाने की आज्ञा की पुष्टि की जाय। सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया। दूसरे २५ मामलों के संबंध में ट्रिब्युनल द्वारा की गई यह सिफारिश भी उसने मान ली कि नजरबन्दी की आज्ञा या नजरबन्दी की अवधि बढ़ाने की आज्ञा रद्द कर दी जाय। सरकार ने कुल १९२ मामलों में से पचास मामले वापस ले लिये, क्योंकि संबंन्धित नजरबन्द कैदी ट्रिब्युनल द्वारा सिफारिशें की जाने के पहिले ही रिहा कर दिये गये थे और बाकी अर्थात् २३ मामले ट्रिब्युनल के विचाराधीन रहे।

संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक शांति बनाये रखने का (अस्थायी) ऐक्ट, १९४७

यू० पी० रिक्वीजिशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमर्जेंसी पावर्स) ऐक्ट १९४७ ई० में एक आदेश यह था कि उसे लागू करने के पहिले प्रान्तीय सरकार उसके संबंध में एक विज्ञप्ति जारी करेगी। परन्तु ऐक्ट पास होने के बाद तुरन्त ही बिना विज्ञप्ति जारी किये लागू कर दिया गया। इसलिये इस दोष को दूर करने के लिये यू० पी० रिक्वीजिशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमरजेंसी पावर्स) (अमेंडमेंट एन्ड प्रोसीडिंग्स वेलीडेशन) आर्डिनेंस, १९४९ ई० (यू० पी० आर्डिनेंस नं० १०, १९४९ ई०) १२ नवम्बर, १९४९ ई० को लागू किया गया।

यू० पी० आर्डिनेन्स नं० १० १९४९ ई०

यू०पी० कम्युनल डिस्टरबेंसेज प्रिवेन्शन ऐक्ट, १९४७ ई०

यू० पी० कम्यूनल डिस्टरबेंसेज प्रिवेन्शन ऐक्ट (युक्त प्रान्त का साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने का ऐक्ट) १९४७ ई० के १ वर्ष की अवधि, जिसके लिये वह बनाया गया था, समाप्त होने के बाद २३ नवम्बर, १९४९ ई० को खत्म हो जाने दिया गया।

सिनेमा फिल्म

उत्तर प्रदेश सिनेमा परामर्शदात्री समिति ने, जिसका पुनर्निर्माण जनवरी, १९४७ ई० में हुआ था और जिसमें ६ गैर-सरकारी और ३ अन्य सदस्य थे, उन आपत्तिजनक फिल्मों को देखा, जो उसकी सम्मति के लिये उसके पास भेजे गये थे, और सरकार ने उक्त समिति की सिफारिश पर १० फिल्मों को पूर्णतया या उनके केवल आपत्तिजनक अंशों को ही अप्रमाणित घोषित किया। ३ जून, १९४९ ई० से सिनेमा लाइसेंसों की यह शर्त लागू की गयी कि भारत सरकार के बम्बई स्थित फिल्म डिवीजन द्वारा प्रदर्शनार्थ दी जाने वाली 'स्वीकृत फिल्मों' को कुछ शुल्क (Rentals) देकर अनिवार्य रूप से दिखाया जाना आवश्यक होगा। 'ए' वर्ग की फिल्में प्रौढ़ों तथा ३ वर्ष से कम आयु के बच्चों को और 'यू' वर्ग की फिल्में बिना किसी पाबन्दी के सभी लोगों को दिखाने के संबंध में भी शर्तें इस वर्ष सिनेमा लाइसेंसों में सम्मिलित की गयीं और साथ ही आज्ञायें निकाल कर 'फीचर' फिल्मों की अधिकतम लम्बाई ११,००० फीट और ट्रेलर्स की ४०० फीट निर्धारित कर दी गयी। प्रान्त में सिनेमागृहों की संख्या लगभग २४२ थी।

छात्र-वृत्तियां तथा अंशदान

प्रान्त के उपयुक्त उम्मीदवारों की (१) प्रिन्स आफ वेल्स मिलिटरी कालेज, देहरादून में और (२) जलन्धर तथा अजमेर के किंग जार्ज मिलिटरी कालेजों में छात्रवृत्तियां देने के दस्तूर के मुताबिक प्रिन्स आफ वेल्स मिलिटरी कालेज, देहरादून के एक छात्र को ७५० रु० वार्षिक की एक छात्र-वृति २० जनवरी, १९४९ ई० और पहली अगस्त, १९४९ ई० से प्रारम्भ होने वाली दोनों अवधियों में से प्रत्येक के लिये दी गयी। किंग जार्ज मिलिटरी कालेज अजमेर के कैडेटों को वर्ष में ९ महीनों के लिये पांच-पांच रुपया प्रतिमास की २० छात्रवृत्तियां दी गयीं और रायल इंडियन नेवी में भर्ती करने के लिये इस प्रान्त से जो ५ कैडेट चुने गये थे, यूनाइटेड किंगडम में उनकी ट्रेनिंग के संबंध में होने वाले व्यय के लिये उनके माता-पिता या अभिभावकों द्वारा दिये जाने वाले खर्च के रूप में प्रति कैडेट पीछे ११६ पौंड दिये गए।

राज्य भाषा

सरकारी पत्र-व्यवहार में राज्य-भाषा अर्थात् हिन्दी के प्रयोग को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री के सभापतित्व में नियुक्त तदर्थ समिति के पथप्रदर्शन में इस वर्ष अंग्रेजी के शब्दों और पदों के हिन्दी उपयुक्त पर्याय निश्चित करने के उद्देश्य से दो विशेष कार्याधिकारी कार्य करते रहे। पहले से अधिक हिन्दी के टाइपराइटर खरीदे गये और हिन्दी में सरकारी कार्य उत्तरोत्तर बढ़ने लगा, यद्यपि यह निश्चित है कि पूर्णतया हिन्दी में काम होने में अभी काफी समय लगेगा। सरकारी

नौकरी में भर्ती करने के संबंध में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं में हिन्दी को अनिवार्य विषय कर देने के लिए भी या तो कार्रवाइयां की गयीं या कुछ मामलों में ऐसा करने का विचार किया गया। शब्द 'हिन्दी' से तात्पर्य उस भाषा से था जो प्रान्त की जनता की भाषा है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

टेलीफोन की सुविधायें

प्रान्तीय सरकार ने डाक तथा तार विभाग द्वारा सब जिलों के सदर मुकामों पर टेलीफोन की सुविधाओं की शीघ्र व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया और टेलीफोन एक्सचेंज तथा डाक और तार-घर खोलने के निमित्त कई स्थानों पर उक्त विभाग के लिये उसने भूमि प्राप्त की। कई नये 'पब्लिक काल आफिस' खोले गये और उन जिला मैजिस्ट्रेटों और पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों को, जिन्हें यह अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त नहीं थी, 'पब्लिक काल आफिसों' से टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये कार्रवाई की गयी।

मनोरंजन तथा बाजी लगाने का कर

एक असिस्टेंट कमिश्नर और २७ टैक्स इंस्पेक्टरों ने इन्टरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स कमिश्नर के अधीन काम किया। यू० पी० इन्टरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ ई० तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के निर्देशों को भंग करने के कारण लगभग १ दर्जन सिनेमा-घरों के लाइसेंस या तो मुल्तवी कर दिये गये या रद्द कर दिये गये। टैक्स वसूल करने में लगभग ८०,००० रु० तक व्यय हुआ जबकि कुल आय ८१,७०,००० रु० हुई। लगभग ३८८ अभियोगों के फलस्वरूप १७,१२६ रु० जुर्माने के रूप में वसूल किये गये।

सचिवालय प्रशासन

पिछले वर्ष की भांति, विभिन्न विभागों में इस वर्ष भी काम बढ़ता ही गया, जिसके फलस्वरूप बहुत से नये विभागों को बनाने की आवश्यकता हुई। म्युनिसिपल और कृषि विभाग अर्थात् दोनों ही को अलग-अलग करना पड़ा और अन्न उत्पादन तथा उपनिवेशन का एक नया विभाग खोलना पड़ा। गृह (पुलिस) शाखा के दो विभागों का पुनस्संगठन करके तीन अलग विभाग बनाये गये। सहायता तथा पुनर्वास विभाग जो दो विभागों में बंटा हुआ था उसको भी इसी प्रकार से पुनस्संगठन करके एक और पृथक् विभाग बना दिया गया और सरकार के लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के कार्यालय को सामान्य सचिवालय से मिला दिया गया और इस प्रकार एक नया जुडिशियल (बी) विभाग बना दिया गया। अधिकारियों, क्लर्कों अमला और निम्नकोटि के कर्मचारिवर्ग को सम्मिलित करके सचिवालय कर्मचारिवर्ग की संख्या वर्ष के प्रारम्भ में १,९०० से अधिक थी और सारे वर्ष भर करीब-करीब वही संख्या रही। ३८१ अस्थायी क्लर्कों की जगहें, जिनमें गजटेड और नान-गजटेड जगहें भी सम्मिलित हैं, स्थायी कर दी गईं। कुछ नई बनाई गई जगहों और दूसरी खाली जगहों पर नियुक्ति के संबंध में अपर डिवीजन और लोवर डिवीजन उम्मीदवारों की भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षायें प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली गईं तथा अस्थायी तथा नये भर्ती किये गये असिस्टेंटों की कार्यक्षमता बढ़ाने के विचार से वर्ष के अन्तिम भाग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद के अधिकारी के अधीन एक प्रशिक्षण योजना चालू की गयी।

हिन्दी शब्दावली

साधारणतया सरकारी पत्र-व्यवहार में प्रयोग किये जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों की शब्दावली तैयार करने तथा वैज्ञानिक शब्दों की हिन्दी शब्दावली तैयार करने का काम जारी रहा। इन दोनों शब्दावलियों

में जो हिन्दी पर्याय रक्खे गये थे उन पर तदर्थ समिति ने विचार किया, जो सरकार द्वारा इस काम के लिये बनाई गई थी। वैज्ञानिक शब्दों की शब्दावली तैयार करने और सचिवालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में प्रयोग किये जाने वाले रूप-पत्रों के अनुवाद करने का काम, जो पहिले नागरी प्रचारिणी सभा के सहयोग से हो रहा था बाद में सरकार के मुख्यालय (हेड-क्वार्टर्स) में होने लगा।

प्रार्थना-पत्र तथा शिकायतें

आम जनता द्वारा सरकार को भेजे गये प्रार्थना-पत्रों तथा शिकायतों को शीघ्रता से निबटाने के लिए मार्च, १९४८ ई० के आरम्भ में सचिवालय में प्रार्थना-पत्र विभाग (Petitions Department) नामक एक पृथक् विभाग बनाया गया। विभाग ने महामान्य राज्यपाल, माननीय प्रधान मंत्री तथा अन्य माननीय मंत्रियों के पास भेजे गये प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों तथा भारत सरकार के माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय मंत्रियों के वैयक्तिक सचिवों द्वारा प्रान्तीय सरकार के पास भेजे गये तथा सीधे पेटिशन्स अफसर के पास भेजे गये प्रार्थना-पत्रों और शिकायतों के संबंध में कार्यवाही की। १९४८ ई० के २७,२७५ की तुलना में इस वर्ष कुल ३,१४६ प्रार्थना-पत्र तथा शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से १९४८ ई० के १२,९७४ की तुलना में १८,६३५ सचिवालय के विभागों, विभागाध्यक्षों या अन्य सम्बन्धित अफसरों के पास उपयुक्त कार्यवाही के लिये भेज दी गईं। ४९५ प्रार्थना-पत्रों को प्रार्थियों या शिकायत करने वालों को इसलिये लौटा दिया गया कि वे उन्हें सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी के पास या उसके द्वारा प्रस्तुत करें। २७ मामलों के बारे में रिपोर्ट मांगी गई लेकिन अधिकांश मामलों में यह पता चला कि शिकायतें या तो सच नहीं थीं या केवल द्वेष की भावना से प्रेरित होकर की गई थीं। शेष प्रार्थना-पत्रों को या तो तुच्छ, गुमनाम, अस्पष्ट, ऊटपटांग और महत्वहीन होने या अनर्थक अथवा अश्लील होने के कारण दाखिल दफ्तर कर दिया गया अथवा नष्ट कर दिया गया।

प्रायः हर विषय के संबंध में सरकार के पास प्रार्थना-पत्र और शिकायतें आईं किन्तु कुछ प्रार्थना-पत्रों या शिकायतों का विषय तो बिल्कुल ही तुच्छ था। कुछ प्रार्थना-पत्रों में प्रार्थियों ने अपने को राजनैतिक और सामाजिक दार्शनिक साबित करना चाहा और सरकार के कर्त्तव्यों पर उपदेश दिये। प्रार्थना-पत्र तथा शिकायतों का संबंध मुख्यतया निम्नलिखित बातों से था--(१) कृषि संबंधी झगड़े, जमींदार-किसानों के झगड़े या किसानों के आपसी झगड़े और हरिजनों तथा अन्य वर्गों के बीच के झगड़े। इस श्रेणी के अन्तर्गत सबसे अधिक प्रार्थना-पत्र आये, जिनका प्रतिशत लगभग ४९ रहा। जमींदारी विनाश योजना के कारण इन प्रार्थना-पत्रों की संख्या पिछले साल के इसी प्रकार के प्रार्थना-पत्रों की संख्या की तुलना में काफी अधिक रही। (२) व्यापार शुरू करने के लिये ऋण आदि, कृषि भूमि तथा रहने के लिये मकान आदि की सुविधाओं के लिये विस्थापित व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र। कुल जितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उनमें से इन विषयों के संबंध में लगभग ७ प्रतिशत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। पिछले साल की तुलना में इन प्रार्थना-पत्रों की संख्या में कमी रही, क्योंकि प्रान्त में विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की समस्या बहुत कुछ हल हो चुकी थी। (३) राजनीतिक पीड़ितों से

प्राप्त प्रति निवेदन-पत्र (Representations)। इनकी संख्या कुल प्रति निवेदन-पत्रों (Representations) की संख्या का ६ प्रतिशत रही और इनमें से अधिकांश साल के आरंभ में प्राप्त हुए। (४) स्थानीय पुलिस के खिलाफ और डकैती और हिंसा से सम्बन्धित मामलों के संबंध में शिकायतों के मामले। इ की संख्या कुल प्रार्थना-पत्रों की संख्या का लगभग १० प्रतिशत रही और इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस शीर्षक के अधीन थोड़ी सी वृद्धि हुई। (५) रोजगार के लिये प्रति निवेदन-पत्र। ऐसे प्रति निवेदन-पत्रों की संख्या कुल प्रार्थना-पत्रों की संख्या का ५ प्रतिशत रही और प्रार्थियों की शिकायतें ज्यादातर यही रहीं कि स्थानीय रोजगार दिलाने वाले दफ्तर उन्हें उपयुक्त नौकरी दिलवाने में असफल रहे। (६) किराये के मकानों के मालिकों अथवा किरायेदारों के खिलाफ शिकायतें। इनकी संख्या कुल प्रार्थना-पत्रों की संख्या का लगभग २ प्रतिशत रही। पिछले साल की तुलना में इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या में वृद्धि रही। (७) जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था बिल के पक्ष या विपक्ष में जो प्रतिनिवेदन-पत्र प्राप्त हुए उनकी संख्या कुल संख्या का ५ प्रतिशत रही। (८) चोर बाजारी, महंगाई या कंट्रोल के खिलाफ शिकायतों की संख्या कुल संख्या की २ प्रतिशत रही। और (९) गांव-पंचायतों को कायम करने के लिये स्थान निर्दिष्ट करने तथा उनके चुनाव संबंधी शिकायतों की संख्या कुल शिकायतों की संख्या की लगभग ३ प्रतिशत रही और पिछले साल की तुलना में इन शिकायतों में भी वृद्धि हुई।

३—वर्ष कैसा रहा

वर्षा

जून के चौथे सप्ताह में मानसून आने पर पहले हल्की फुहारें पड़ीं और अगस्त में असाधारण रूप से तेज वर्षा हुई। सितम्बर और अक्तूबर में अधिकांश जिलों में वर्षा औसत से अधिक हुई, लेकिन नवम्बर और दिसम्बर में सब जगह मौसम अनुकूल रहा।

जोते गये क्षेत्र

फसली वर्ष १३५६ में बुवाई का मौसम अनुकूल न होने के कारण खरीफ का क्षेत्र २,४२,१८,०४६ एकड़ से घटकर २,३४,७९,८१९ एकड़ रह गया। किन्तु अक्तूबर और नवम्बर, १९४८ ई० में मौसम अनुकल रहने के कारण रबी की बुवाई में मदद मिली और फस्ली वर्ष १३५६ में कुल रबी का क्षेत्र २,१२,६६,३१७ एकड़ से बढ़कर २,३०,६५,६९२ एकड़ हो गया। १९४८-४९ में कुल ३,६९,१७,१३१ एकड़ क्षेत्र जोता गया जो पिछले वर्ष के जोते गये क्षेत्र से ८,९१,१३१ एकड़ या २·५ प्रतिशत अधिक था।

सींचा गया क्षेत्र

सींचा गया कुल क्षेत्र पिछले वर्ष के १,०८,६८,४१७ एकड़ से बढ़कर १,१०,०५,३३८ एकड़ हो गया अर्थात् १.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष कुल ८,५४५ पक्के कुएं बनाये गये लेकिन वास्तविक वृद्धि २,१९८ कुओं की ही हुई, क्योंकि बहुत से पुराने कुएं काम में नहीं लाये जा रहे थे।

कीमतें

वर्ष के आरंभ में चीजों की कीमतें काफी बढ़ी हुई थीं और अगस्त, १९४८ में आंशिक राशनिंग चालू किये जाने के बाद वे और भी बढ़ गयीं।

नवम्बर १९४८ ई० में खरीफ का अनाज आ जाने से कीमतें कुछ गिर गईं लेकिन जनवरी और फरवरी, १९४९ ई० में स्टाक की कमी होने के कारण कीमतें फिर बढ़ गयीं। गेहूं ३२ रु० प्रति मन के हिसाब से बिका लेकिन विदेशी गेहूं आ जाने पर बाजार भाव फिर थोड़ा गिर गया। वर्ष के अन्त में गेहूं, जौ और चने की कीमतें जून, १९४८ ई० की कीमतों से लगभग ३० प्रतिशत अधिक थीं, जब कि जुआर और मक्का की कीमतें शत प्रतिशत बढ़ गईं। चावल के बाजार के मूल्य में लगभग १० प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

स्वास्थ्य

जनता का सामान्य स्वास्थ्य संतोषप्रद रहा लेकिन प्रान्त हैजा, चेचक, प्लेग और मलेरिया के प्रकोपों से नहीं बच सका। मलेरिया से केवल लखनऊ डिवीजन में १४,९१८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। फैजाबाद डिवीजन में हैजा महामारी के रूप में फैल गया पर समय पर हैजा निरोध कार्रवाइयां किये जाने से यह रोग उग्ररूप धारण न कर सका।

अध्याय २

भूमि प्रशासन

४—मालगुजारी, कृषि सम्बन्धी अग्र-ऋण तथा नहरों के महसूलों की वसूली

मालगुजारी की मांग तथा वसूली

मालगुजारी की सम्पूर्ण मांग ६९४.४० लाख रुपये की थी जबकि पिछले वर्ष यह मांग ६९१.०३ लाख रुपये की थी। कछार के महालों में अल्पकालीन बन्दोबस्तों को लागू करने तथा कुछ जिलों में मालगुजारी में क्रमिक बढ़ती करने के कारण यह वृद्धि हुई। मालगुजारी की कुल ६९४.४० लाख रुपये की मांग में से ६८१.६० लाख रुपये वसूल हुए। सरकार को प्राप्त होने वाली कुल धनराशियों के ६.२६ प्रतिशत की वसूली के लिये बाध्यकारी (coercive) उपायों का प्रयोग करना पड़ा।

तकावी

ऐक्ट सं० १२, १८८४ ई० तथा ऐक्ट सं० १९, १८८३ ई० के अधीन क्रमशः ६०,६७,८९२ रु० और ४,६४,४७४ रु० की धनराशियां तकावी के रूप में दी गयीं।

नहर के महसूल

महसूल काबिज की कुल मांग जिसमें पिछले वर्ष के बकाये सम्मिलित हैं, ३,२४,३७,१६२ रु० से बढ़ कर ३,८२,५९,७९५ रु० हो गई। इस कुल मांग में से ८,५८२ रु० की धनराशि नाम मात्र की थी और ७,४३२ रु० की धनराशि वसूल होने योग्य न थी। इस प्रकार वसूल होने योग्य शुद्ध मांग ३,८२,४३,७८१ रु० की थी जिसमें से ३,८२,३४,७५४ रु० या करीब-करीब शत-प्रतिशत रुपया वसूल किया गया। महसूल मालिकाना की भी कुल मांग ६३,९०९ रु० से बढ़कर ६७,३६२ रु० हो गयी और लगभग यह सारी धनराशि वसूल कर ली गयी।

५—पैमाइश, तरमीम कागजात और बन्दोबस्त की कार्यवाहियां

राज्य के किसी भी भाग में बन्दोबस्त की कोई कार्यवाहियां आरम्भ नहीं की गईं।

पैमाइश और तरमीम कागजात की कार्यवाहियां जिला देहरादून के परगना जौंसार बावर, चकराता, जिला बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट, तथा जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में आरम्भ की गईं।

६—कागजातदेही

जिलों के पटवारी और कानूनगो इस वर्ष अधिकतर (१) पंचायत राज के चुनाव में, (२) कृषि-आय-कर से संबंधित कार्य में, (३) १९५१ ई० की जनगणना के संबंध में मकानों पर नम्बर डालने तथा सूचियां तैयार करने में, (४) गल्ला-वसूली में, (५) निष्क्रान्त सम्पत्ति की सूचियां तैयार करने में, (६) प्रति एकड़ फसल कूतने में और (७) जमींदारी-विनाश कोष के कार्य में व्यस्त रहे। इसके फलस्वरूप कागजात की जो निर्धारित रूप से जांच की जाती थी वह बन्द कर दी गयी और १३५७ फसली की खरीफ की पड़ताल स्थगित कर दी गयी। महकमा कागजातदेही के तीन असिस्टेंट डाइरेक्टरों ने बहुत से जिलों में कागजातदेही संबंधी कार्य का निरीक्षण किया। हिन्दी को राज्य भाषा बना देने के कारण सब जिला अफसरों को ये आदेश दिये गये थे कि उन उम्मीदवारों को, जिन्होंने उर्दू प्रथम भाषा के रूप में लेकर वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा पास की हो, उस समय तक पटवारी स्कूल में भर्ती न किया जाय जब तक कि उन्होंने हिन्दी में कोई प्रारम्भिक परीक्षा पास न कर ली हो।

बनारस डिवीजन को छोड़कर, जहां कागजातों के दोहराये जाने और फिर से जांच किये जाने का कार्य जमींदारी विनाश बिल के ऐक्ट बन जाने तक रोक रखा गया था, नक्शों की दशा साधारणतया संतोषजनक रही।

नवम्बर, १९४९ ई० में कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में जो ४० उम्मीदवार भर्ती किये गये थे उनमें से ३२ उम्मीदवारों को पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ले लिया गया और शेष उम्मीदवारों को योग्य पटवारियों में से चुन लिया गया।

७—कृषि-भूमि (कब्जा आराजी) के क्षेत्र

खाद्यान्नों का भाव बढ़ा हुआ होने और "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के कारण नवतोड़ भूमि खेती के योग्य बनाई गई, जिससे १९४८–४९ ई० (१३५६ फसली) में प्रान्त में जोतों का कुल क्षेत्र ४,१९,९४,९७६ एकड़ से बढ़कर ४,२३,२१,४३५ एकड़ हो गया, अर्थात् ३,२६,४५९ एकड़ की वृद्धि हुई।

इसके विपरीत बैनामे और रेहननामे से अधिकारों के हस्तान्तरित हो जाने के कारण सीर का क्षेत्र कुछ कम हो गया और वह ४२,३०,३४२ एकड़ से ४२,३०,१८६ एकड़ रह गया, अर्थात् १५६ एकड़ कम हो गया। खुदकाश्त का क्षेत्र भी घट गया और वह ३१,२६,१५० एकड़ से ३१,११,०६५ एकड़ रह गया, अर्थात् १५,०८५ एकड़ कम हो गया—जिसका कारण यह था कि जमींदारों ने भूमि को लगान पर उठा दिया और उन्होंने तहसील घोसी जिला आजमगढ़ की तरमीम कागजात की कार्यवाहियों (operations) में

१३३३–३४ फसली की खुदकाश्त को सीर घोषित कर दिया। किन्तु मालिकाना हकों के हस्तान्तरित हो जाने के कारण सकितुलमिल्कियत कब्जा आराजी के अन्तर्गत क्षेत्र ८,३५,६२२ एकड़ से बढ़कर ८,४१,०८७ एकड़ हो गया, अर्थात् ५,४६५ एकड़ बढ़ गया। दखीलकार असामियों के क्षेत्र में भी २१,३९५ एकड़ की वृद्धि हुई अर्थात् १,०६,४४,२८३ एकड़ से बढ़कर १,०६,६५,६७८ एकड़ हो गया—जिसका प्रमुख कारण यह था कि आजमगढ़ के जिले में बन्दोबस्त के कागजातों में तरमीम करते समय ऐसे असामी जो १३३३ फसली में १२ वर्ष से काश्तकार नहीं थे, दखीलकार असामी स्वीकार किये गये।

मौरूसी कब्जा आराजी के अन्तर्गत क्षेत्र १,६८,३६,६८६ एकड़ से बढ़कर १,७०,९१,६९२ एकड़ हो गया, अर्थात् २,५५,००६ एकड़ बढ़ गया, जिसका कारण यह था कि खुदकाश्त को लगान पर उठा दिया गया था और नौतोड़ भूमि में खेती की गई थी। नौतोड़ भूमि में खेती करने से, गैर-दखीलकार असामियों का क्षेत्र भी २,८९,५१९ एकड़ से बढ़कर ३,०७,८०६ एकड़ हो गया अर्थात् १८,२८७ एकड़ बढ़ गया। इसके अतिरिक्त आकर्षक प्रीमियम पर नये पट्टे दिये जाने के कारण विशेषाधिकार प्राप्त होने से, मौरूसी असामियों के अधीन क्षेत्र में १२,५९४ एकड़ की वृद्धि हुई अर्थात् यह क्षेत्र ९९,६३० एकड़ से बढ़कर १,१२,२२४ एकड़ हो गया और यू० पी० टेनेंसी (कब्जा आराजी) ऐक्ट के अन्तर्गत जो रियायतें उन्हें दी गयीं, उनसे बागदारों का क्षेत्र ३,७९५ एकड़ बढ़ गया अर्थात् ७,१५,२२८ एकड़ से बढ़कर ७,१९,०२३ एकड़ हो गया।

लगान-संबंधी मांग

जोतों के क्षेत्र में वृद्धि होने तथा नयी जोतों की बढ़ी हुई दरों पर काश्तकारों को पट्टे पर उठाये जाने के कारण नकदी रुपयों के रूप में लगान-संबंधी मांग में १६·१८ लाख रुपये की वृद्धि हुई। परन्तु बहुत से मामलों में बटाई के लगान को नकद रुपयों के लगान में बदल देने के फलस्वरूप गल्ले के रूप में लगान-संबंधी मांग में ६.५ लाख रुपये की कमी हुई। जमींदारों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में जंगलों और पेड़ों के इस डर से बेच देने के फलस्वरूप कि जमींदारी विनाश कानून के अन्तर्गत उन्हें भारी नुकसान होगा, सायर के अन्तर्गत लगान-संबंधी मांग १८·४४ लाख रुपये बढ़ गयी। फिर भी लगान-संबंधी कुल मांग में २८·१२ लाख रुपये की वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में बकायों को सम्मिलित करके दर्ज की हुई कुल वसूलियों में ७.७ प्रतिशत की कमी हुई। यह कमी आंशिक रूप से पटवारियों के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में फंसे रहने से सियाहों का पूरा-पूरा दर्ज न किये जाने और आंशिक रूप से प्राप्तियों के ठीक-ठीक आंकड़े देने के संबंध में जमींदारों की उदासीनता के कारण हुई। कृषि उपज के मूल्य बढ़े हुए होने के फलस्वरूप काश्तकारों की वित्तीय स्थिति अच्छी बनी रही।

छूट और सहायता

रबी १३५६ फसली में मालगुजारी में १,८०,५९७ रु० की छूटें स्वीकृत की गईं और खरीफ १३५७ फसली में मालगुजारी की छूटों और मुलतवियों की धनराशि क्रमशः २,६४,४३० रु० और ३५,२८४ रु० थी। वर्ष में १,२५,९०५ रु० की एक धनराशि मुफ्त सहायता के रूप में भी स्वीकृत की गई।

८—सरकारी आस्थान

सरकारी आस्थानों की संख्या ५२७ थी, जिनमें से सबसे छोटा आस्थान फैजाबाद जिले में ३ एकड़ का था और ३.९७ लाख एकड़ का सबसे बड़ा आस्थान मिर्जापुर की दुद्धी सरकारी इस्टेट थी। इन आस्थानों में उस क्षेत्र में जहां खेती होती थी, कुछ कमी हो गयी। मूल्यों के सामान्यतः बढ़ जाने से व्यय भी कुछ बढ़ गया। वसूलियां संतोषजनक रहीं।

कृषि-विकास

छः ट्रैक्टरों को, जिन्हें तराई और भाबर आस्थानों के लिये खरीदा गया था, कृषि विभाग को इसलिये सौंप दिया गया था कि वे राज्य के ट्रैक्टरों के समूह (pool) में सम्मिलित कर लिये जायं। तराई और भाबर के आस्थानों में लगभग १,३०० एकड़ नई भूमि कृषि-योग्य बनायी गयी और उसमें धान बोया गया और लगभग ३०० एकड़ भूमि इसलिये तोड़ी गई कि उसमें रबी की फसल बोई जाय। जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिये ३ १/२ मील की दूरी तक चौहद्दी के तार लगाये गये। इस उद्देश्य से कि सिंचाई-संबंधी सुविधाओं में उन्नति की जाय, पानी की कच्ची नालियों को पक्का बनाया गया।

दुद्धी के सरकारी आस्थानों में ४२ बंधियां निर्माण की गईं जिसके फलस्वरूप २४,००० एकड़ भूमि तक सिंचाई-संबंधी सुविधायें पहुंचाई जा सकीं।

स्वास्थ्य

आस्थानों में लोगों का सामान्य स्वास्थ्य संतोषजनक रहा, परन्तु पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था करने, गंदे पानी के निकास और मलेरिया सबंधी समस्यायें फिर भी बनी रहीं। वर्ष के अन्तर्गत, तराई और भाबर के आस्थानों में तीन पाताल तोड़ कुएं गलाये गये, १५ हाथ से चलाये जाने वाले पम्प लगाये गये और इतने ही पुराने पम्प बदले गये। गंदे पानी के निकास में सुधार करने के लिये कोटद्वारा और रामनगर की गंदे पानी की निकास सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य जारी रहा। तराई और भाबर के आस्थानों में चिकित्सा-संबंधी सहायता घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से एक मलेरिया-निरोधक नयी योजना चालू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत एक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया। जिसके साथ स्वास्थ्य का एक इंस्पेक्टर और १४ कम्पाउन्डर थे और इन लोगों को विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया गया। इस प्रकार तराई और भाबर के आस्थानों के उन भागों में भी जहां पहुंच सकना कठिन है, चिकित्सा संबंधी सहायता पहुंचाने के लिये प्रबंध किये गये। विश्व-स्वास्थ्य-संगठन का दल भी इस क्षेत्र में गया। नई दिल्ली में भारत-सरकार के मलेरिया इंस्टीट्यूट में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये स्वास्थ्य के चार इंस्पेक्टर भेजे गये। कोटाबाग में एक ऐसी डिस्पेंसरी निर्माण की जा रही थी, जिसमें रोगियों के रहने के लिये इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के वार्ड थे।

भवन

निर्धन श्रेणी के लोगों के लिये सरकारी खर्च पर कोटद्वारा में पचास ऐसे मकान बनवाये गये जिनमें मच्छड़ नहीं घुस सकते। आग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये, तराई और भाबर के आस्थानों के किसानों को एसेबेस्टस की चादरें भी सप्लाई की गईं।

सड़कें — तराई और भाबर के आस्थानों में ७ नई गांव की सड़कों के निर्माण और कुछ मौजूदा सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया और गढ़वाल भाबर इस्टेट में १५ मील कच्ची और ४ मील पक्की सड़क बनाने की योजना चालू की गयी।

शिक्षा — तराई और भाबर के सरकारी आस्थानों में किराये की इमारतों में ८ प्राइमरी स्कूल खोले गये और दूद्धी की सरकारी इस्टेट में ८ स्कूलों की इमारतें बनाई गयीं।

विविध — विभिन्न विकास योजनाओं से सरकारी आस्थानों की दशा में काफी सुधार हुआ। विशेषकर, तराई और भाबर के आस्थानों में, जहां सरकार द्वारा विभिन्न रियायतों के दिये जाने पर भी, बाहर के लोगों को वहां जाकर बसने के लिये राजी कर लेना कठिन था, दशा इतनी बदल गयी है कि वहां जाकर बसने वाले नये व्यक्तियों की भूमि की मांग बराबर बढ़ रही थी।

९—कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन आस्थान

कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आस्थान — ऐसे आस्थानों की संख्या जिनका प्रबंध कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन था, १९४९ ई० में बढ़कर १७६ हो गई जबकि १९४८ ई० में उनकी संख्या १७४ थी। वर्ष के दौरान में जबकि ६ आस्थान प्रबंध से मुक्त किये गए ८ आस्थानों का प्रबंध कोर्ट आफ वार्ड्स ने अपने हाथ में लिया। मुक्त किये गये आस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण आस्थान लखनऊ जिले का सिसेंडी आस्थान था जिसकी कुल वार्षिक आय २,१५,१०० रु० थी। इस आस्थान द्वारा देय संपूर्ण ऋणों का भुगतान उसके मुक्त किये जाने के पूर्व कर दिया गया था।

वसूलियां — वाजिबुलअदा चालू लगान और सायर के रूप में कुल शुद्ध मांग की धनराशि ८५.९७ लाख रुपये से बढ़कर ९१.७५ लाख रु० हो गयी। चालू तथा बकाया दोनों प्रकार की मांगों के कारण कुल वसूलियां ९९.८७ प्रतिशत रहीं, जबकि गत वर्ष १०१.०२ प्रतिशत वसूली हुई थी। प्रतिशत में इस कमी का कारण यह है कि वर्ष में मुक्त किये गये आस्थानों की सम्पूर्ण मांग को हिसाब में शामिल कर लिया गया था और मुक्त किये जाने के पूर्व होने वाली वास्तविक वसूलियां कम थीं।

प्रबन्ध व्यय — प्रबन्ध व्यय १९.५ प्रतिशत से घटकर १७.४ प्रतिशत रह गया और मालगुजारी, स्थानीय करों (rates) तथा महसूलों (cesses) के रूप में वसूल होने वाला सब सरकारी मुतालिबा, जो कुल मिलाकर ३३.५५ लाख रु० होता है, वर्ष में पूरा-पूरा वसूल हो गया।

सुधार कार्य — संरक्षितों (wards) और उनके आश्रितों के साथ पहले जैसा सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार किया गया और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये उचित प्रबन्ध किया गया। केवल कुछ ऐसे आस्थानों को छोड़ कर, जिनके संबंध में इनकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के अधीन कार्य-वाहियां चल रही थीं, सभी कर्जदार आस्थानों में ऋण चुकाने की योजनायें चालू थीं और कुछ मामलों में ऋणों को घटाने के लिये जो भुगतान वास्तव में किये गये वे नियत वार्षिक किस्तों से अधिक धनराशि के थे। गत वर्षों की भांति आस्थानों की आय का एक बड़ा भाग सुधार-संबंधी योजनाओं और जनहित कार्यों में व्यय किया गया। माल और दीवानी दोनों प्रकार के मुकद्दमों की संख्या कम थी।

आडिट

कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबंध के अन्तर्गत सभी आस्थानों के लेखों की जांच की गई। कुछ जिलों में लेखों में सुधार करने की आवश्यकता पायी गयी और कोर्ट ने प्रत्येक मामले में उचित आदेश जारी कर दिये। वर्ष भर में खयानत या गबन का कोई भारी मामला नहीं हुआ। जिला परामर्शदात्री समितियों और कोर्ट आफ वार्ड्स के सदस्यों ने आस्थानों के मामलों में सक्रिय अभिरुचि ली।

१०—माल की अदालतें

कब्जा आराजी के मुकदमे

यू० पी० टेनेन्सी (कब्जा आराजी) ऐक्ट के अन्तर्गत दायर की गई नालिशों और प्रार्थना-पत्रों की संख्या ४,०८,९२५ से घट कर ३,८४,७८४ रह गयी। बेदखली की नालिशों और प्रार्थना-पत्रों की संख्या ८७,९६५ से घट कर ८४,५४८ रह गयी और उन मुकद्दमों की संख्या, जिनमें बेदखली की आज्ञायें दी गईं, ५१,६१४ से घटकर ४४,१७८ रह गई; इन बेदखली का असर ५६,९९९ एकड़ क्षेत्र पर पड़ा जबकि गत वर्ष यह असर ६४,०५९ एकड़ भूमि पर पड़ा था। इसके विपरीत विविध नालिशों की संख्या ७८,९८४ से बढ़कर ९४,९१४ हो गयी और बकाया लगान की नालिशों की संख्या १,०४,०१५ से बढ़ कर १,०६,९५० हो गई।

कब्जा आराजी के मूल मुकदमों का निपटारा

नालिशों और प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या जिनके संबंध में कार्रवाई होनी थी, ५,४३,७२४ थी; इनमें से ३,८४,५६२ मुकद्दमों का निर्णय वर्ष में हुआ।

दाखिल-खारिज

मालिकाना हकों के संबन्ध में दाखिल खारिजों की संख्या २,१६,९८५ से घट कर १,८३,९३० रह गयी; सबसे बड़ी कमी उत्तराधिकार के मामलों की संख्या में हुई, जिनकी संख्या १,५८,९६७ से घटकर १,३५,९२३ रह गयी। भूमि छुड़ाने (Redemption) के मुकद्दमों की संख्या १५,८३९ से घट कर ११,५६८ रह गयी जब कि अन्य प्रकार के दूसरे मुकदमों की संख्या १६,१४९ से घटकर १२,६०० रह गयी। अदालत के आदेशों के अधीन की गई बिक्रियों की संख्या में वृद्धि हुई।

बंटवारे

बंटवारा कराने के प्रार्थना-पत्रों की संख्या १,६९५ से बढ़कर १,७५२ हो गई, इनमें से १५७ प्रार्थना-पत्र पूर्ण बंटवारे के लिये और १,५९५ अपूर्ण बंटवारे के लिये थे। जो ६,८७९ मामले कार्रवाई के लिये थे उनमें से २,२५८ निबटा दिये गये और ४,६२१ मामले शेष रहे। पूर्ण बंटवारों के फलस्वरूप, महालों की संख्या १६२ से बढ़कर ५२० हो गयी, जबकि अपूर्ण बंटवारों से पट्टियों की संख्या १,५१९ से बढ़कर ३,९४५ हो गयी।

अपीलें और पुनरीक्षण

यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत कलेक्टरों की अदालतों में की गयी अपीलों की संख्या में बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई और वह ७,५२१ से बढ़कर ७,६०७ हो गयी। सुनी जाने वाली अपीलों की कुल संख्या १२,०२३ थी जिसमें से ८,६२१ अपीलों में निर्णय हुआ और ३,४०२ अपीलें शेष रहीं। इनमें १,४१५ अपीलें ऐसी थीं, जो तीन महीने से अधिक समय से विचाराधीन थीं।

यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत कमिश्नरों द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की संख्या २९,४०१ से बढ़कर ३१,५४९ हो गई; इनमें से १८,८४२ अपीलों में निर्णय हुआ और १२,७०६ (एक अपील का मुकदमा जो हटा दिया गया था, इसमें

शामिल नहीं है) अपील विचाराधीन रह गईं। दायर की गयी अपीलों में से ४१ प्रतिशत मामलों में नीचे की अदालतों के निर्णय या तो उलट दिये गये या उनमें संशोधन किया गया या फिर नीचे की अदालतों में वापस किये गये।

यू० पी० प्रान्तीय लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत कमिश्नरों द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों की संख्या २,०६० थी, इसमें से १,२७५ अपीलों में निर्णय हुआ और ७८५ अपीलें शेष रह गयीं। माल बोर्ड ने ३,७१७ अपीलों में निर्णय दिया और वर्ष के अन्त में केवल ९,१४० अपीलें विचाराधीन थीं।

आनरेरी असिस्टेन्ट कलेक्टर

आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टरों की प्रायः सभी अदालतों ने १ अप्रैल, १९४७ ई० से कार्य करना बन्द कर दिया था और जिला अल्मोड़ा में रानीखेत पर नियुक्त एकमात्र आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर ने ३०३ मुकदमों में निर्णय दिया।

अध्याय ३

शान्ति-व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन

११—विधि-निर्माण का क्रम

संयुक्त प्रान्तीय विधान मंडल ने बहुत से बिल पारित किये, जो गवर्नर महोदय या गवर्नर जनरल महोदय द्वारा, जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित था, स्वीकृत किये जाने के बाद निम्नलिखित ऐक्ट बन गये :—

(१) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त की दूकानों और व्यापारिक संस्थाओं का (संशोधन) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १, १९४९ ई०)।

(२) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय आपत्तिजनक विज्ञापन नियंत्रण ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या २, १९४९ ई०)।

(३) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि आयकर ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ ई०)।

(४) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४, १९४९ ई०)।

(५) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने का (विशेषाधिकार) (अस्थायी) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ५, १९४९ ई०)।

(६) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ६, १९४९ ई०)।

(७) सन् १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ७, १९४९ ई०)।

(८) सन् १९४९ ई० का कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ८, १९४९ ई०)।

(९) सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का रुई ओटने और गांठे बनाने के कारखानों का ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ९, १९४९ ई०)।

(१०) सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १०, १९४९ ई०)।

(११) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (संशोधन और कार्यवाहियों को वैध करने का) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ११, १९४९ ई०)।

(१२) सन् १९४९ ई० का रुड़की विश्वविद्यालय (युनीविर्सिटी) (संशोधन) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १२, १९४९ ई०)।

इनके अतिरिक्त विधान मंडल ने १९४७ ई० का यू० पी० होम्योपैथिक बिल भी पारित कर दिया।

ऐसे समय जबकि विधान मंडल के अधिवेशन नहीं हो रहे थे, राज्यपाल (गवर्नर) महोदय ने निम्नलिखित आर्डिनेंस जारी किये:—

(१) सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय निष्क्रांतों की सम्पत्ति का आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या १, १९४९ ई०)।

(२) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर [कार्यवाहियों को वैध करने का (Proceedings Validation)] आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या २, १९४९ ई०)।

(३) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या ३, १९४९ ई०)।

(४) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या ४, १९४९ ई०)।

(५) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज 'टेम्पोरेरी' कंट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या ५, १९४९ ई०)।

(६) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज औषधि (नियंत्रण) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या ६, १९४९ ई०)।

(७) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज इंटरमीडिएट एजुकेशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या ७, १९४९ ई०)।

(८) सन् १९४९ ई० का इंडियन बार काउंसिल (यू० पी० अमेंडमेंट ऐंड वेलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या ८, १९४९ ई०)।

(९) सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जूट की बनी वस्तुओं के नियंत्रण का आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या ९, १९४९ ई०)।

(१०) सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविंसेज रिक्वीजीशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमर्जेंसी पावर्स) (अमेंडमेंट ऐंड प्रोसीडिंग्स वैलिडेशन) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या १०, १९४९ ई०)।

(११) सन् १९४९ ई० का कुमायूं एनिमल ट्रांसपोर्ट कंट्रोल (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या ११, १९४९ ई०)।

(१२) सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फीस (छूट रेमिशन) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या १२, १९४९ ई०)।

(१३) सन् १९४९ ई० का रामपुर (ऐप्लीकेशन आफ लाज) आर्डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेंस संख्या १३, १९४९ ई०)।

देहरादून जिले के आंशिक रूप से पृथक् किये गये क्षेत्रों की सहायता देने के लिये भी राज्यपाल (गवर्नर) महोदय ने निम्नलिखित विनियम (Regulations) बनाये :—

(१) सन् १९४९ ई० का जौनसार-बावर परगना (सयानों) का विनियम (रेगूलेशन) [संयुक्त प्रान्तीय विनियम (रेगुलेशन) संख्या १, १९४९ ई०]।

(२) सन् १९४९ ई० का जौनसार-बावर परगना (खाल, हरिपुर, ब्यास को छोड़कर) के भूमिधरों (Tenants) के हित की रक्षा का विनियम (Regulation) (संयुक्त प्रान्तीय विनियम संख्या २, १९४९ ई०)।

(३) सन् १९४९ ई० का जौनसार-बावर परगना (एडिशनल कमिश्नर के अधिकार) विनियम (संयुक्त प्रान्तीय विनियम संख्या ३, १९४९ ई०)।

१२—गृह

(क) पुलिस

शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से वर्ष काफी शान्तिमय रहा। एटा, मेरठ, बस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा और आजमगढ़ के जिलों में गोकशी के कारण कुछ साम्प्रदायिक आग भड़क उठी थी और बदायूं, शाहजहांपुर, छतारी (जिला बुलन्दशहर) और सहारनपुर में कुछ छोटे-मोटे साम्प्रदायिक झगड़े हुए। जिला अधिकारियों ने परिस्थिति का दृढ़ता से मुकाबिला किया जिसके फल-स्वरूप जल्दी ही साधारण स्थिति आ गयी।

राजनीतिक पीड़ितों को मुआविजा

१९४२ ई० के कांग्रेस आन्दोलन के दौरान में जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को हानि उठानी पड़ी थी उन्हें मुआविजा देने की योजना जारी रखी गयी। इस मद पर वर्ष में २,७६,२०० रु० ६ आ० व्यय हुआ।

राजनीतिक पेन्शन और इकमुट अनुदान

पेन्शनों या इकमुट वित्तीय अनुदानों के लिये ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिये गए प्रार्थनापत्रों पर, जिन्होंने अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग देश की आजादी की लड़ाई में लगाया था और जो तब से अपना जीवन-निर्वाह करने के लिये बूढ़े, कमजोर या असमर्थ हो गये थे, सरकार विचार करती रही, और ५० रु० प्रति महीने तक की पेन्शनें तथा २,००० रु० तक के इकमुट धनराशि के अनुदान क्रमशः २१२ और ५४ लोगों के मामलों में स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार उन विधवाओं तथा अनाथों का भी उचित ध्यान रखा गया, जिन्होंने देश के लिये अपने पेट पालने वालों को खो दिया था। जीवन-निर्वाह के बढ़े हुए व्यय को देखते हुए उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें पेन्शनें स्वीकृत की गयी थीं, ५० प्रतिशत का महंगाई भत्ता भी दिया गया।

प्रान्तीय रक्षक दल

प्रान्तीय रक्षक दल में २५,६८० ग्रूप लीडर और ६,००,००० रक्षक थे। ग्रूप लीडरों की ट्रेनिंग के लिये पहला रिफ्रेशर कोर्स २४ जिलों में १० जनवरी, १९४९ ई० को और शेष २५ जिलों में १ मार्च, १९४९ ई० को प्रारंभ हुआ। डाकखानों में होने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में फरवरी, १९४९ ई० में सारे प्रान्त के डाक व तार के कार्यालयों पर ड्यूटी देने के लिये इस दल के सदस्यों से कहा गया, और उन्हें रेलवे मार्गों पर पहरा

देने के लिये तथा विभिन्न मेलों में खोये हुए बच्चों को उनके माता-पिता को लौटाने और लोगों को डूबने से बचाने के काम पर लगाया गया। देहातों में डकैतियों को रोकने में भी इस दल ने महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई। कुछ जिलों में प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों ने कुछ सड़कें और मल-मूत्र आदि सोखने के गड्ढे खोदे तथा 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध में बड़ा प्रचार किया।

अपराध

तफतीश करने वाले अनुभवी अधिकारियों की अनिवार्य कमी और आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का सुधार न होते हुए भी, वर्ष के दौरान में, सब बातों को देखते हुए, अपराध करने की बढ़ती हुई वर्तमान प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक रोका गया। गत वर्ष की तुलना में डकैती के मामले १,४९३ से गिर कर १,३६१; राहजनी के ८४६ से गिर कर ७७५ तथा कत्ल के १,७२२ से गिर कर १,६३१ रह गये, परन्तु दंगों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई अर्थात् ३,५४४ से बढ़कर ३,५९७ हो गई और नकबजनी (सेंध लगाने) की संख्या ३१,९६८ से बढ़कर ३२,३०८ हो गई। वर्ष के दौरान में साम्प्रदायिक ढंग का कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ और 'दंगे' के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश मामले जमींदारों और काश्तकारों के बीच बढ़ते हुए तनाव के कारण हुए थे, जो कदाचित प्रस्तावित जमींदारी विनाश के फलस्वरूप कब्जा आराजी की प्रणाली में आगे होने वाले परिवर्तनों के कारण वर्ष के उत्तरार्द्ध में विशेषरूप से बढ़ गया था। तफतीश करने वाले अनुभवी अधिकारियों की कमी से भी बढ़कर जोरदार दूसरा प्रमुख कारण, जिसके कारण अपराध सम्बन्धी स्थिति उतनी जल्दी नहीं सुधर पा रही थी जितनी जल्दी उसे सुधर जाना चाहिए था, यह था कि बदली हुई परिस्थितियों में जनता का सहयोग यथेष्ट रूप से नहीं प्राप्त हो रहा था, जिस पर तफतीश और मुकदमा चलाने की सफलता प्रायः पूर्णरूप से निर्भर रहती है।

जिला कार्यकारी दल

पुलिस की तफतीश तथा मुकदमा चलाने वाली (प्रासीक्यूशन) शाखाओं के संबन्ध में पुलिस पुनस्संगठन समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन थीं और इस सम्बन्ध में अन्तिम आदेश जल्दी ही जारी होने वाले थे। प्रयोगात्मक रूप से कतिपय बड़े नगरों में वाच और वार्ड कर्मचारिवर्ग को तफतीश करने वाले कर्मचारिवर्ग से पृथक् कर देने के सम्बन्ध में भी जांच की जा रही थी।

अपराध-तफतीश विभाग (गुप्तचर विभाग)

तफतीश शाखा द्वारा हाथ में लिये गये मामलों की संख्या १९४८ ई० के १२८ और १९४७ ई० के ६७ की तुलना में, १९४९ ई० में १४० थी। अपराध तफतीश विभाग (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) के हेडक्वार्टर्स पर अस्थायी आधार पर एक प्रान्तीय अपराध सूचना ब्यूरो (क्राइम इन्फारमेशन ब्यूरो) स्थापित किया गया और जिलों में अपराधों के अभिलेख (रेकर्ड) रखने का उपविभाग (क्राइम रेकर्ड सेक्शन) खोलने के लिये भी एक योजना तैयार की गई। अपराध तफतीश विभाग तथा जिला गुप्तचर (डिस्ट्रिक्ट इंटेलीजेंस) कर्मचारिवर्ग के लिये विशेष शिक्षण (ट्रेनिंग) कक्षायें भी आरम्भ की गईं।

बेतार के तार का उप-विभाग (वायरलेस टेलीग्राफी सेक्शन)

वर्ष के दौरान में बाराबंकी और उन्नाव में वायरलेस टेलीग्राफी स्टेशन स्थापित कर देने से कोई भी जिला हेडक्वार्टर ऐसा नहीं रहा जहां इस प्रकार का स्टेशन न हो। ऐसे स्थिर वायरलेस टेलीग्राफी स्टेशनों पर स्थायी मस्तूल और फिटिंग लगाने की भी व्यवस्था की जा रही थी जहां वे नहीं लगे हुए थे।

प्रान्तीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी (प्राविन्शल आर्म्ड कान्सटेबुलरी)

यद्यपि यह दल १५ बटालियनों में बंटी हुई ११८ कम्पनियों से घटाकर ११ बटालियनों में बंटी हुई ८४ कम्पनियों का कर दिया गया, फिर भी प्रान्त के बाहर इस दल को भेजने के जो वायदे किये गए उनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रान्तीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी की सात अतिरिक्त कम्पनियां हैदराबाद भेजी गईं, जिससे कि वहां पर इस दल की जितनी कम्पनियां थीं वे बढ़कर १२ हो गईं और ४ कम्पनियां राजस्थान यूनियन को दी गईं।

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद

यह निश्चय किया गया कि आगे से सभी सिविल पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में तथा सभी सशस्त्र पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सीतापुर में हुआ करेगी और तदनुसार सिविल पुलिस में हेड कान्सटेबुल के पद में तरक्की पाने के लिये वर्ष के उत्तरार्द्ध में ३४९ कैडेटों ने पुलिस ट्रेनिंग कालेज में ट्रेनिंग लेना प्रारम्भ किया। वर्ष में ३४९ सब-इंसपेक्टरों तथा २८ पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टों को भी ट्रेनिंग दी गई।

मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कालेज में एक प्रान्तीय पुलिस संग्रहालय (म्यूजियम) खोला गया और एक पत्रिका (मैगजीन) भी, जिसकी वर्ष में दो प्रतियां प्रकाशित हुई थीं, निकाली गई। पुलिस के असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्टों और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टों के लिये, जो दो पृथक मेस (भोजन-गृह) थे, उनको मिलाकर गजटेड अधिकारियों के लिये एक मेस (भोजन-गृह) बना दिया गया।

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सीतापुर

३२ सशस्त्र (आर्म्ड) पुलिस सब-इंसपेक्टरों, २७४ कान्सटेबुलों को, जो सशस्त्र (आर्म्ड) पुलिस में हेडकान्सटेबुल के पद पर तरक्की पाने के लिये चुने गये थे तथा ४६ अध्यापकों को इस स्कूल में ट्रेनिंग दी गई।

मोटर वाहन उप-विभाग (मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन)

सीतापुर के पुलिस वर्कशाप में २६० गाड़ियों की बड़ी मरम्मतें तथा १२३ गाड़ियों की छोटी मरम्मतें की गईं। इस वर्कशाप में गाड़ियों की बाडी (ढांचे) बनाने के काम की शुरुआत की गई और वर्ष में ३२ अधिकारियों के लिये एडवान्स्ड कोर्स, ६४ रिजर्व और ४५ सेना के भूतपूर्व ड्राइवरों के लिये ड्राइवर्स कोर्स तथा २५ ड्राइवरों के लिये रिफ्रेशर कोर्स रक्खे गये।

(ख) फौज़दारी

पहले दिये गये अनुदेशों (instructions) के होते हुये भी फौजदारी मुकदमों के शीघ्रता से निपटाये जाने में विलम्ब होना सरकार के लिए एक बड़ी चिन्ता का कारण बना रहा और पुलिस को उसके द्वारा किये गये फौजदारी अदालत के कार्य के सम्बन्ध में और अनुदेश जारी किये गये। फौजदारी अदालतों से प्राप्त होने वाले सम्मन आदि (perocesses) और हुक्मनामों की तामील करने की कार्यविधि को भी, जो कि विलम्ब होने के मुख्य कारणों में से था, संशोधित किया गया। सम्मन आदि (प्रोसेसेज) को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया —

(क) अभियुक्त (मुलजिम) या गवाह या जन-साधारण के उपस्थित होने के लिए सम्मन और वारन्ट, और

(ख) (१) पुलिस अधिकारियों के अदालत में उपस्थित होने के लिए सम्मन और वारन्ट, और

(२) दूसरे सम्मन आदि और हुक्मनामे, अर्थात् कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (जाब्ता फौजदारी) की धारा २०२, १३३, १४४, १४५, १०७ और ११७ के अधीन हुक्मनामे। इस आशय के अनुदेश जारी किये गये कि श्रेणी (क) के सम्मन आदि को बजाय सर्किल इन्सपेक्टर के जरिये भेजने के कोर्ट अहलमद उन्हें

अपने हाथ से बनाये हुए पैकटों में बन्द करके पैकटों में रखे गये सम्मन आदि को रुक चालान में दर्ज करने के पश्चात् सीधे पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट के कार्यालय के डिस्पैचर को भेजें और अपनी डाक बही में डिस्पैचर के हस्ताक्षर ले लें। इसके बाद डिस्पैचर सम्मन आदि को स्टेशन आफिसर के पास भेज दे, जो कि पैकेट की प्राप्ति स्वीकार करे और विधिवत् चालान में हस्ताक्षर करके इसे लौटा दे और सम्मन आदि की तामील करे और उन्हें सम्बन्धित अदालत को वापस कर दे। श्रेणी (ख) के सम्बन्ध में इस आशय के अनुदेश जारी किये गये कि सम्मन आदि सर्किल आफिसर के जरिये भेजे जाने चाहिये; परन्तु प्रासीक्यूटिंग इन्सपेक्टर का यह कर्तव्य होना चाहिये कि इस पेशी में असाधारण रूप से देरी न होने पावे। यह भी आज्ञा दी गई कि इन कृत्यों को पुलिस विनियमों (पुलिस रेग्युलेशन्स) में लिख लिया जाय और 'सब्सिडियरी आर्डर बुक' नाम का एक नया रजिस्टर उन सब हुक्मनामों और सम्मन आदि को दर्ज करने के लिये निर्धारित किया गया, जो अदालतों से पुलिस स्टेशनों को प्राप्त हों। समय बचाने के लिये इस बात पर जोर दिया गया कि छोटी-छोटी बातों के आधार पर मुकदमों को मुलतवी करने की प्रार्थना न की जाय और सरकारी नौकरों, विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को चाहिये कि सिवाय उन असाधारण और अनिवार्य परिस्थितियों के, जिनके कारण वे ऐसा करने के लिये विवश हों, वे उसी तारीख पर अदालतों में हाजिर हों जबकि वे बुलाये जायं। ये अनुदेश भी जारी किये गये कि आमतौर पर कमीशन के द्वारा शहादत दर्ज करने की प्रार्थना न की जाय।

मुलतवी इत्यादि

पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल से यह अनुदेश जारी करने के लिये कहा गया कि प्रासिक्यूटिंग इंसपेक्टर या उसका सहायक अभियोग-फलक (चार्ज शीट) की प्राप्ति पर अदालत में हाजिर हों और वे यह भी बतलायें कि किन-किन गवाहों का बयान वे अभियोग-फलक (चार्ज शीट) बनने के पहिले और किन-किनका बयान उसके तैयार होने के बाद लेंगे। ऐसा इसलिये किया गया कि मैजिस्ट्रेट पहिले दिन केवल उन्हीं गवाहों को बुलाये, जिनकी आवश्यकता अभियोग तैयार होने के पहिले हो और बाकी गवाहों को दूसरी या बाद की सुनवाई के दिन बुलाये। पहिले दिन बुलाये गये गवाहों का बयान लेने के बाद यदि प्रासिक्यूटिंग इंसपेक्टर यह आवश्यक समझे कि अभियोग तैयार होने के पूर्व और गवाहों को पेश किया जाय तो वह अदालत से ऐसा करने के लिये प्रार्थना कर सकता है। ये अनुदेश भी जारी किये गये कि उस दशा में जबकि अभियुक्त दूसरी बार जिरह करने के अपने अधिकार को काम में लाने का निश्चय करे, उन गवाहों से, जिनका अभियोग-फलक तैयार करने के पहिले बयान लिया जा चुका हो, इस बात के लिये बांड भरने को कहा जाय कि वे अभियोग-फलक तैयार होने के बाद तुरंत सुनवाई के दूसरे दिन हाजिर हो जायेंगे।

मजिस्ट्रेटों के सामने जांच और सुनवाई

कोर्ट मुहर्रिर द्वारा भरा जाने वाला फार्म नम्बर ३११ समाप्त कर दिया गया और फार्म नम्बर १०७ के संबन्ध में यह अनुदेश दिया गया कि उसकी दो प्रतियां बनाई जायं और प्रासीक्यूटिंग इंसपेक्टर के पास भेज दी जायं जिनमें से एक वह स्वयं रख लेंगे और दूसरी पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट के पास भेज देंगे। ये अनुदेश भी जारी किये गये कि मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से हवालात में रखे गये विचाराधीन क़ैदियों के बारे में सूचना प्रतिदिन प्रस्तुत करने के बजाय पखवारे में एक बार प्रस्तुत की जाय।

सजा देने और बरी करने की रिपोर्टें

यह निश्चय किया गया कि एक महीने से अधिक जेल में रखे गये विचाराधीन क़ैदियों की उस सूची में से, जो जेल

विचाराधीन क़ैदी

के सुपरिन्टेन्डेंट हर महीने जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करते हैं, उन विचाराधीन क़ैदियों के नाम के सामने शब्द "सी" ब्रेकेट के भीतर लिखा जाय, जिनके संबन्ध में अभियोग-फलक प्राप्त हो चुका है, जिससे कि एक नजर डालने से ही उन विचाराधीन कैदियों का पता चल सके, जिनके संबन्ध में अभियोग-फलक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा इसलिये किया गया कि उन मामलों में शीघ्र कारवाई की जा सके, जिनमें पुलिस ने लापरवाही की थी। इस सूची को जेल अधिकारी विचाराधीन क़ैदियों के उस वारन्ट की सहायता से बनाते हैं, जिसमें अभियोग-फलक प्राप्त होते ही अन्तिम तारीख के नीचे एक लाल रेखा खींच दी जाती है। कोर्ट मुहर्रिरों को यह निदेश दिये गए कि वे लाल रेखा के सामने अपने हस्ताक्षर करें और तारीख डालें जिससे इस बात का यक़ीन हो जाय कि वह रेखा यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र खींची गई थी।

विचाराधीन पुलिस के मुकदमे

यह निश्चय किया गया कि ऐसे पुलिस के मुकदमों का विवरण-पत्र, जो अदालतों में चार महीने से अधिक अवधि तक विचाराधीन हों तथा जो तफ़तीश के लिये दो महीने से अधिक अवधि तक विचाराधीन हों, उन मुकदमों की सूचना भी दे जो अदालतों में अब तक चार महीने के बजाय तीन महीने से अधिक विचाराधीन रहे हों। ऐसा इस विचार से किया गया कि यह विवरण-पत्र उसी प्रकार तैयार किया जा सके जैसे कि अदालतें जिला मैजिस्ट्रेटों के द्वारा हाई कोर्ट को विवरण-पत्र भेजती हैं।

सहायक (सब्सिडियरी) रजिस्टर और निदेश

इस विचार से कि फौजदारी के मुकदमों के निर्णय में देर न हो, निम्नलिखित सहायक रजिस्टर समाप्त कर दिये गए—(१) हवालात का रजिस्टर, (२) प्राप्त चालानों का रजिस्टर और (३) प्राप्त अन्तिम रिपोर्टों का रजिस्टर।

(१) जिला मैजिस्ट्रेटों से प्रार्थना की गई कि वे अपने अधीन काम करने वाले मैजिस्ट्रेटों से इस बात पर जोर दें कि वे तारीखें नियत करने, मुकदमा मुलतवी करने और मुकदमों की सुनवाई के सिलसिले में अन्य समस्त कार्रवाइयों की ओर निजी रूप से ध्यान दें जिससे कि मुकदमों के फैसले में अनुचित रूप से देर न हो।

(२) मैजिस्ट्रेटों की यह ड्यूटी कर दी गई कि जब उनके पास कोई शिकायत आये तो शिकायत करने वाले का वह स्वयं बयान लें और उसके बयान को अपने ही हाथ से लिखें। किसी भी दशा में यह काम अदालत के रीडर या अहलमद पर न छोड़ा जाय, ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई मैजिस्ट्रेट होशियारी से किसी शिकायत को पढ़े और उसके संबन्ध में शिकायत करने वाले से स्वयं कोई प्रश्न करे, तो बाद में किसी प्रकार की गड़बड़ी और समय की बरबादी की गुंजाइश बहुत कम रह जायेगी और निराधार शिकायतें आसानी से अलग कर दी जायेंगी। यदि किसी शिकायत करने वाले से उसके द्वारा लगाये गये आरोपों के समर्थन में जाब्ता फौजदारी की दफा २०२ के अधीन शहादत पेश करने को कहा जाय, तो ऐसे गवाहों का बयान भी मैजिस्ट्रेट स्वयं दर्ज करेगा।

(३) ऐसा प्रायः हुआ कि इंडियन पेनल कोड की धारा ३२३ और अन्य सम्बन्धित धाराओं के अधीन की गई शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायत करने वाले ने अपना डाक्टरी मुआइना नहीं कराया। ऐसे मामलों में मैजिस्ट्रेटों के लिये यह काम अनिवार्य कर दिया गया कि वे शिकायत करने वाले के जिस्म का मुआइना सदैव यह निश्चय करने के लिये करें कि उसके चोट-चपेट के कोई प्रत्यक्ष चिन्ह हैं या नहीं, और यदि इस प्रकार के चिन्ह पाये जायें, तो वे उनके संबन्ध में अपने ही हाथ से होशियारी के साथ एक नोट लिखें और यदि ऐसे कोई प्रत्यक्ष चिन्ह न पाये जायें, तो भी इस आशय का एक नोट दर्ज करें।

(४) इस विचार से कि मुकदमों की सुनवाई के लिये तारीखें नियत करने के संबन्ध में अधिक सावधानी बरती जाय और इस प्रकार एक ही गवाह को बार-बार बुलाने की आवश्यकता को दूर किया जाय, मैजिस्ट्रेटों से यह कहा गया कि वे गवाहों की सूची की जांच पहले से कर लें और यह तय कर लें कि किन-किन गवाहों को अभियोग लगाने के पहले बुलाया जाय और किन-किन को उसके बाद। पुलिस द्वारा चालान किये गये मामलों में चार्जशीट प्राप्त हो जाने पर मैजिस्ट्रेट प्रासीक्यूटिंग इंसपेक्टर या सब-इंसपेक्टर को बुलाते थे और उसकी सहायता से उन गवाहों के हाजिर किये जाने की तारीख नियत करते थे, जिन्हें कि सरकारी पक्ष पेश करना चाहता था। इस कार्य-विधि का उद्देश्य यह था कि जाब्ते के गवाहों जैसे डाक्टर या मैजिस्ट्रेटों को, जो शिनाख्त की कार्रवाई करते हैं, दो बार बुलाने की जरूरत न पड़े। पहली बार नियत की हुई तारीख को केवल उन गवाहों को बुलाया जाय जिनके बयान चार्ज तैयार करने के पहले लेना जरूरी हो।

(५) कभी-कभी मैजिस्ट्रेटों को उनके सामने की गई शिकायतों में लगाये गये आरोपों के बारे में पुलिस से रिपोर्ट मांगनी पड़ती थी। बहुत से मामलों में ऐसा हुआ कि शिकायत के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के पहिले ही पुलिस द्वारा तफतीश की जा चुकी थी, परन्तु ऐसी तफतीश पर आधारित पुलिस की रिपोर्ट पर आम तौर से रिपोर्ट मांगने की आज्ञा देने के समय ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिये यह सुझाव दिया गया कि ऐसे मामलों में मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित आज्ञा दिया करें :—

"यह मामला पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य है। यदि तफतीश नहीं की जा चुकी है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा २०२ के अधीन पुलिस ... तारीख तक तफतीश करे और रिपोर्ट दे। यदि मामले की तफतीश की जा चुकी है तो प्रासीक्यूटिंग इंसपेक्टर कागजात तुरन्त ही प्रस्तुत करें।"

फौजदारी के मुकदमों में खूराक का रुपया। फौजदारी के मुकदमों में मुस्तगीसों और गवाहों को खूराक के लिये मिलने वाले रुपयों की दरों में अप्रैल, १९४९ ई० से फिर से परिवर्तन किया गया और दूसरे दर्जे के मुस्तगीसों तथा गवाहों के लिये यह दर १२ आना प्रतिदिन से १ रु० प्रतिदिन कर दी गई और तीसरे दर्जे के मुस्तगीसों और गवाहों के लिये ६ आने प्रतिदिन से बढ़ा कर १२ आने प्रतिदिन कर दी गयी।

सब-रजिस्ट्रार फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने में सहायता देने के लिये प्रयोगात्मक रूप से कुछ सब-रजिस्ट्रारों को, जो कानून के ग्रेजुएट थे और जिन्हें ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिये और बातों में भी उपयुक्त समझा गया, दूसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये गये।

जुर्मानों की वापसी १९४०-४१ ई० के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन या १९४२ ई० के आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कुल २,७०१ रु० ६ आने की धनराशि वापिस दी गयी।

केमिकल इक्जामिनर को पूरे ब्योरे देना सब मैजिस्ट्रेटों का ध्यान मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स खंड १ के पैराग्राफ ८७१, ८७२ और ८७४ तथा अन्य ऐसे अनुदेशों की ओर दिलाया गया, जो सरकार के केमिकल इक्जामिनर के पास जांच के लिये भेजे गये मामलों के सम्बन्ध में उसको पूरे ब्योरे सप्लाई करने के बारे में थे और उनसे निवेदन किया गया कि वे बड़ी सावधानी के साथ उनका पालन करें।

पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा ३ और ४, खीरी, मेरठ, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, मुरादाबाद और एटा जिलों के कुछ क्षेत्रों में लागू की गईं और उक्त ऐक्ट की धारा ३, ४, ५ और ६ बदायूं जिले के कुछ क्षेत्रों में लागू की गयीं।

सन् १९४९ ई० का कोड आफ क्रिमिनलप्रोसीजर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) ऐक्ट

सन् १९४९ ई० का कोर्ड आफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) ऐक्ट के नाम का एक ऐक्ट सन् १९४८ ई० में पहिले पास किये गये ऐक्टों की कमियों को दूर करने के लिये पारित किया गया।

यू० पी० डिस्ट्रिक्शन आफ रेकार्ड्स(सेरोलाजिस्ट)रूल्स, १९४९ ई०

यू० पी० डिस्ट्रिक्शन आफ रेकार्ड्स (सेरोलाजिस्ट) रूल्स, १९४९ ई० के अधीन कुछ नियम बनाये गये, क्योंकि सेरोलाजिस्ट के कार्यालय में रेकार्ड्स को नष्ट करने के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त से सम्बन्धित कोई मौजूदा नियम नहीं थे। उक्त नियमों के अनुसार ये रेकार्ड केवल पांच वर्षों के लिये रक्खे जाने चाहिये थे सिवाय इसके कि पांच या उससे अधिक वर्षों से विचाराधीन मामलों के रिकर्ड्स उस समय तक रक्खे जायं जब तक कि उनका अन्तिम रूप से निबटारा न हो जाय।

(ग) जेल

आबादी

सब बातों को देखते हुए गत वर्ष की तुलना में संयुक्त प्रान्त के जेलों की आबादी बढ़ती गयी, यद्यपि पहली जनवरी को यह संख्या ३२,५३२ और ३१ दिसम्बर को ३०,११६ थी; और इस प्रकार आलोच्य वर्ष में औसतन २९,८१० क़ैदी प्रतिदिन जेलों में रहे। विचाराधीन क़ैदियों की कुल संख्या १ जनवरी को १०,७३३ और ३१ दिसम्बर, १९४९ ई० को ११,५८० थी।

स्वास्थ्य और अनुशासन

वर्ष भर क़ैदियों में अनुशासन सामान्य रूप से सन्तोषप्रद रहा और इसी प्रकार जेलों में क़ैदियों का स्वास्थ्य भी संतोषप्रद रहा।

इमारतें

इमारती सामान मिलने में जो कठिनाई थी वह बनी रही और "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के कारण भी इमारतों के बनाने के कार्यक्रम में काफी कमी करनी पड़ी थी। किन्तु इन बाधाओं के होते हुये भी सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टरों को बढ़ाने तथा सुधारने का काम किया गया और सरकारी कर्मचारियों तथा वार्डरों के लिये कुछ क्वार्टर भी बनाये गये।

बिजली तथा पानी की सप्लाई

९ जेलों में रोशनी के प्रबन्ध में सुधार किये गये तथा बिजली लगाई गई, एक जेल में म्युनिसिपैलिटी से पानी की सप्लाई का प्रबन्ध किया गया और एक अन्य जेल में इलेक्ट्रिक पंप की व्यवस्था की गयी।

कारखाने

कच्चा माल, कपड़ा, लोहा और इस्पात न मिलने तथा वाहन संबंधी कठिनाइयों और क़ैदी मजदूरों की कमी के कारण जेलों के कारखानों के कार्य में बड़ी बाधा पड़ी। इसके फलस्वरूप जेल उद्योगों को बहुत काफी हानि पहुंची यहां तक कि जेल विभाग के लिये भी बिस्तर और कपड़े का प्रबन्ध बाहर से करना पड़ा। यू० पी० जेल डिपो, लखनऊ में भी गत वर्ष की तुलना में कम बिक्री हुई।

जेलों में सुधार

वर्ष में कई महत्वपूर्ण सुधार जेलों में किये गये जो इस प्रकार हैं:—

(१) जेलों में क़ैदियों को सुविधायें देने तथा विभिन्न प्रकार के क़ैदियों को अलग-अलग रखने के प्रयोजनों के लिये क़ैदियों के वर्गीकरण में आमूल परिवर्तन किये गये। इकबारा क़ैदियों (casual prisoners) तथा आदी क़ैदियों (habitual prisoners) के प्रत्येक वर्ग को फिर दो उप-श्रेणियों में बांट दिया गया, जिनका वर्गीकरण अदालत करेगी अर्थात् (क) साधारण इकबारा क़ैदी और (ख) 'स्टार' इकबारा क़ैदी; और (क) गैर-पेशेवर आदी क़ैदी (non-professional habituals) तथा (ख) पेशेवर आदी क़ैदी।

(२) लखनऊ का भूतपूर्व सेन्ट्रल जेल सबसे अच्छी श्रेणी के इकबारा क़ैदियों को रखने के लिये, जिन्हें 'स्टार' क़ैदी कहा जायगा, एक विशेष जेल में, जिसे आदर्श जेल कहते हैं, बदल दिया गया। इस जेल की विशेषतायें इस प्रकार थीं—बिजली की रोशनी की सुविधा, रेडियो सेट और व्याख्यानों तथा सिनेमाओं के लिये एक असेम्बली हाल का प्रबन्ध। मजदूरी कमाने की एक योजना भी इस जेल में चालू की गई थी, ताकि जेलें एक आत्मनिर्भर यूनिट बन जायं और क़ैदी एक स्वतन्त्र व्यक्ति के समान अपनी आजीविका कमाने में समर्थ हो सकें। मजदूरी की रकम में से क़ैदियों ने अपने पालन-पोषण सम्बन्धी व्यय का भुगतान किया और शेष रकम का उपयोग जेल में सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने या एक ऐसे कोष की स्थापना करने में किया गया, जो कि उन्हें मुक्त किये जाने पर फिर से बसाने तथा पुनर्वास के लिये उपलब्ध हो सके। सुख-सुविधाओं की सामग्री को क़ैदियों में बेचने के लिये जेल में एक कैन्टीन भी खोली गयी, जिसमें क़ैदियों को कूपन भी सप्लाई किये गये, जो उन्हें उनकी मजदूरी के हिसाब से दिये जाते थे।

(३) सादी क़ैद की सजा पाये हुए क़ैदियों और विचाराधीन क़ैदियों को स्वेच्छा से कुछ हल्का काम करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।

(४) साधारण श्रेणी के सजायाफ्ता क़ैदियों को अपने जूते पहिनने की अनुमति दे दी गई।

(५) इस बात के लिये आदेश जारी कर दिये गये कि ऐसे क़ैदी, जो ऊन साफ करने (wool carding) और कड़वा तेल निकालने के काम में लगाये जायं उन्हें एक छटांक प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से गुड़ दिया जाय।

(६) मुलाकात करने तथा पत्र-संबन्धी नियमों को और ढीला कर दिया गया। उच्च (सुपीरियर) श्रेणी के क़ैदी तथा नजरबन्द क़ैदी अपने नाम के सभी पत्रों को पा सकते थे, वे स्वयं दो पत्र लिख सकते थे और हर महीने दो मुलाकातें कर सकते थे जबकि प्रत्येक साधारण क़ैदी एक पत्र पा सकता था और एक लिख सकता था और महीने में एक मुलाकात कर सकता था।

स्थापना

पूरे समय काम करने वाले (whole time) जिला जेलों के सुपरिन्टेंडेंटों का केडर १० से बढ़ाकर १४ कर दिया गया। प्रधानाध्यापकों के ५ पद तथा अध्यापकों के ३७ पद निर्मित किये गये और वार्डरों को ३ रुपया प्रति मास के हिसाब से साक्षरता संबन्धी भत्ते की स्वीकृति दी गई।

जेल कृषि

वर्षा और प्रतिकूल मौसम के कारण रबी तथा खरीफ दोनों ही फसलों को नुकसान पहुंचा। साग-भाजी का भी इतना उत्पादन नहीं हुआ कि उससे जेलों की बढ़ी हुई आबादी की सम्पूर्ण आवश्यकताएं पूरी हो सकें। २२ जेलों में जो दुग्धशालायें पहिले ही स्थापित की जा चुकी थीं उनका रखरखाव अच्छे प्रकार से किया गया और बीमार तथा अशक्त क़ैदियों को काफी मात्रा में दूध दिया गया।

सुधारने तथा पुनर्वास का कार्य

बरेली के जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) जेल और लखनऊ के रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल की औसत दैनिक जन-संख्या क्रमशः ८९ और ७५ थी और इन संस्थाओं में सुधारने तथा पुनर्वास का कार्य पूर्ववत् जारी रहा। जुवेनाइल (अल्पवयस्कों के) जेल के १७ लड़कों तथा रिफार्मेटरी (सुधारक) स्कूल के १ लड़के को बाहर भी काम करने का अवसर मिला। जुवेनाइल जेल, बरेली और रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ की कुल आय क्रमशः ८६९ रु० और २५,४४७ रु० थी।

विलीनी-करण (merger)

बनारस, रामपुर तथा टेहरी-गढ़वाल की भूतपूर्व रियासतों में जो जेल थे उन्हें वर्ष के समाप्त होने के लगभग संयुक्त प्रान्त के जेल विभाग में विलीन कर दिया गया।

१३—हरिजन-उत्थान और उद्धार (Reclamation)

वित्तीय कठिनाई के होते हुए भी हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिये बजट व्यवस्था १९४६ ई० के ६ लाख रुपये की तुलना में धीरे-धीरे बढ़कर १९४९ ई० में १५ लाख रुपया हो गई। उनकी शिक्षा, आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक उत्थान के विषय में सरकार वर्ष भर सहानुभूति पूर्वक विचार करती रही और उन्हें अन्य जातियों के स्तर तक यथाशीघ्र लाने के लिये विभिन्न साधनों को अपनाया गया।

शिक्षा संबंधी सुविधायें

सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं, डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों तथा जिला बोर्ड के स्कूलों में भी पढ़ने वाले सब गरीब और योग्य हरिजन विद्यार्थियों को पढ़ाई की फीस देने से बरी कर दिया गया और इसके फलस्वरूप इस सम्बन्ध में गैर—सरकारी संस्थाओं को जो हानि हुई उसे सरकार ने पूरा किया। प्राथमिक अवस्था में डेढ़ रुपयाँ मासिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट अवस्था तक ४० रुपया मासिक की बहुत-सी छात्रवृत्तियां हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को दी गई और प्रत्येक योग्य हरिजन विद्यार्थी को डिग्री कालेज या ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता देने के लिये हर तरह से कोशिश की गई। आलोच्य वर्ष में वार्षिक छात्रवेतनों (recurring stipends) के अलावा हरिजन विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें आदि मुफ्त देने के लिये १ लाख रुपये की और धनराशि भी खर्च की गई। टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों तथा नार्मल स्कूलों में उन्हें भर्ती करने के लिये विशेष सुविधायें दी गई और उनके लिये प्रान्त में शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों में ६४ विशेष प्रकार के होस्टल भी स्थापित किये गये।

आर्थिक उन्नति

शिक्षा के साथ-साथ हरिजनों की आर्थिक दशा सुधारने की ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया। तदनुसार हरिजन नवयुवकों को टेक्निकल तथा वोकेशनल (कमाऊ धन्धों की) ट्रेनिंग देने के लिये विशेष सुविधायें दी गई और वर्ष में १०० हरिजन नवयुवकों को डाइरेक्टर आफ रीसेटिलमेन्ट एंड इम्पलायमेन्ट, संयुक्त प्रान्त के अधीन चलाये जाने वाले विभिन्न ट्रेनिंग केन्द्रों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई। ट्रेनिंग पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को छात्रवृत्ति दी गई और ट्रेनिंग-काल में उन्हें बढ़ईगीरी, लुहारगीरी, रेडियो मरम्मत करने, मोटर मरम्मत करने, कताई और बुनाई जैसे उपयोगी काम भी सिखाये गये। संयुक्त प्रान्त के कुटीर उद्योगों के डायरेक्टर के अधीन विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में लगभग २०० हरिजन नवयुवकों को भी व्यावसायिक ट्रेनिंग दी गई और उन्हें भी ७० ८० प्रति मास तक छात्रवृत्तियां दी गई। आगरा और लखनऊ के मेडिकल कालेजों में से प्रत्येक में हरिजनों के लिये दो जगहें सुरक्षित रखी गई यद्यपि छात्रवृत्ति पाने वाले दो विद्यार्थियों ने ही आलोच्य वर्ष में इस सुविधा से लाभ उठाया। दो सौ हरिजन कार्यकर्ताओं को सामाजिक कार्य तथा विभिन्न कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में सोशल सर्विस कैम्प (सामाजिक सेवा शिक्षण शिविर) में ट्रेनिंग दी गई, जो उनके लिये लखनऊ जिले में बख्शी तालाब में संगठित किया गया था। सीधे भर्ती करके भरी जाने वाली जगहों में से १० प्रतिशत जगहें सरकार ने हरिजनों के लिये सुरक्षित रखी ताकि हरिजन युवकों को प्रान्त की सरकारी नौकरियों में भर्ती होने में सुविधा हो।

सामाजिक उत्थान

इस उद्देश्य से कि हरिजनों की रहन-सहन की दशा सुधर जाय, हरिजन बस्तियों में सफाई की हालत सुधारने के लिये व्यवस्था की गई और साथ ही इस बात की भी व्यवस्था की गई कि जिन क्षेत्रों में हरिजन रहते हैं उनमें पक्के कुएं भी बनाये जायं। कुमायूं में उन हरिजनों को बसाने के लिये, जिनके पास भूमि नहीं थी ५२९ एकड़ भूमि में से जंगल काट कर साफ किया गया।

अपराधशील जातियां

आलोच्य वर्ष में अपराधशील जातियों में पंचायतें कायम करना उनके सुधार के लिये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इन पंचायतों ने, जो कि प्रान्त भर में संगठित की गई थीं, अपराधशील जातियों में अच्छा कार्य किया। पंचायत प्रणाली अपराधशील जातियों की बस्तियों में भी चालू की गई और पंचायतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे बसने वालों के झगड़ों का निपटारा करें और बस्तियों की उन्नति तथा उनमें रहने वालों के सुधार के लिये उपाय और साधन बतावें।

बाराबंकी जिले के करवाल, जो कि समाज और अधिकारियों के लिये अशान्ति के कारण बने हुए थे, पकड़ लिये गये और कल्यानपुर तथा गोरखपुर की बस्तियों में उनको सुधारने का काम हाथ में लिया गया। मुरादाबाद जिले में फजलपुर की अपराधशील जातियों की बस्ती के इतिहास में पहली बार पुनरुद्धार सप्ताह मनाया गया जिसमें प्रान्त भर की अपराधशील जातियों के प्रतिनिधि सदस्यों ने भाग लिया। उस सप्ताह में एक अच्छी बात यह हुई कि अपराधशील जातियों के विभिन्न वर्ग, जिनमें छुआछूत का भेदभाव बहुत दिनों से चला आ रहा था, शिविर (कैम्प) में एक साथ रहे और उन्होंने एक साथ ही भोजन भी किया और इस प्रकार आपस में ही छुआछूत का भेदभाव दूर कर दिया।

१४—दीवानी न्यायालय

हाईकोर्ट विधान

हाईकोर्ट के स्थायी जजों की संख्या १९४९ ई० में १५ थी। माननीय श्री जस्टिस वलीउल्लाह, माननीय श्री जस्टिस बी० मलिक के स्थान पर, जो कि महामान्या श्रीमती सरोजिनी नायडू की मृत्यु के कारण रिक्त स्थान पर कार्य-वाहक राज्यपाल (गवर्नर) नियुक्त किये गये थे, ३ मार्च से १ मई, १९४९ ई० तक कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किये गये। माननीय श्री जस्टिस शम्भूनाथ सेठ, एडीशनल जज २७ जुलाई, १९४९ ई० से श्री शिवप्रसाद सिनहा के हटाये जाने के कारण रिक्त स्थान पर प्यूनी (puisne) जज बनाये गये। पांच और एडीशनल जजों ने साल भर लगातार काम किया।

हाईकोर्ट के समक्ष अपीलें

हाईकोर्ट के समक्ष फैसले के निमित्त नम्बरी अपीलों की कुल संख्या १२,६७७ थी जबकि पिछले साल इनकी संख्या १२, २०५ थी। दायर की गयी अपीलों की संख्या ३, ५१२ से घटकर २, ५९५ हो गई। शुरू में दी गई डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या ६२१ से घटकर ३९४ हो गई। अपील की डिग्रियों की संख्या २, ८५८ से घटकर २, १४६ हो गई और लेटर्स पेटेन्ट की अपीलें और संयुक्त प्रान्तीय अवध कोर्टस ऐक्ट की धारा १२ (२) के अधीन अपीलों की संख्या ३३ से बढ़कर ५५ हो गई।

इब्तदायी और अपील की डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों तथा लेटर्स पेटेंट की धारा १० के अधीन तथा यू० पी० अवध कोर्टस ऐक्ट की धारा १२ (२) के अधीन की गई अपीलों की संख्या, जिनका फैसला अदालत ने किया,

२,१२३ से बढ़कर ३,१२२ हो गई। इब्तदायी डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या ५०२ से घटकर ३७९ हो गई। अपील की डिग्रियों के विरुद्ध की गई अपीलों की संख्या १,५९१ से बढ़ कर २,६७६ हो गई और लेटर्स पेटेन्ट की धारा १० तथा यू० पी० अवध कोर्ट्स की धारा १२ (२) के अधीन की गई अपीलों की संख्या ३० से बढ़कर ६७ हो गई।

विचाराधीन नम्बरी अपीलों की कुल संख्या १०,०८२ से घटकर ९,५५५ हो गई। ऐसी अपीलों की संख्या, जो ३१ दिसम्बर, १९४९ ई० को पांच से अधिक वर्षों से विचाराधीन पड़ी थी, कुल ६३९ थी।

पूरी बेंच के पास फैसले के लिये भेजे गये मुकदमें

वर्ष में ८१ मुकदमें पूरी बेंच के पास फैसले के लिये भेजे गये, जिनमें ४७ मुकदमें ऐसे भी शामिल हैं जो गत वर्ष से विचाराधीन थे। इनमें से आलोच्य वर्ष में २२ मुकदमों का फैसला किया गया और ५९ मुकदमें विचाराधीन रहे। इंडियन बार कौंसिल ऐक्ट के अन्तर्गत ऐडवोकेटों के व्यावसायिक दुराचरण से सम्बन्धित १८ मुकदमें फैसले के लिये भेजे गये थे, जिनमें से ११ का फैसला किया गया और ७ विचाराधीन रहे।

दीवानी अदालतों का अधिकार-क्षेत्र

बनारस, टेहरी-गढ़वाल और रामपुर रियासतों के उत्तर प्रदेश में विलीनीकृत किये जाने के फलस्वरूप दीवानी अदालतों के प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन हुआ। बनारस रियासत को बनारस जजी में और टेहरी-गढ़वाल जिले को कुमायूं जजी में शामिल कर दिया गया तथा रामपुर रियासत में एक जजी अलग से कायम कर दी गई।

नालिशों की संख्या

मातहत अदालतों में दायर की गई नालिशों की कुल संख्या में १,७०३ की वृद्धि हुई अर्थात् ऐसी नालिशों की संख्या १,१४,५२३ से बढ़कर १,१६,२२६ हो गई, जिसमें इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट (भाराक्रांत सम्पत्तियों के ऐक्ट) के अधीन दायर किये गये मुकदमें सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु यू० पी० एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट की धारा १२ और ३३ के अधीन दी हुई दरख्वास्तें शामिल हैं। अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गई नालिशों की संख्या में १,६५१ की वृद्धि हुई अर्थात् वह २३,८४० से बढ़कर २५,४९१ हो गई, जबकि वर्ष में दायर की गई नालिशों की कुल मालियत में ६२,३८,५७५ रु० की वृद्धि हुई अर्थात् वह ९,५८,७०,५७९ ० से बढ़कर १०,२१,०९,१५४ रु० हो गई। मालियत के बढ़ने का कारण यह था कि विशेषरूप से सिविल जजों की अदालतों में बड़ी मालियत की नालिशों की संख्या में वृद्धि हुई।

नालिशों का फैसला

इस वर्ष ७,७६८ अधिक इब्तदायी नालिशों का फैसला किया गया अर्थात् कुल १,५६,१७७ इब्तदायी नालिशों का निर्णय किया गया। इसी प्रकार ऐसे मुकदमों की संख्या जिनका फैसला मुंतकिली के अलावा और तरह से किया गया, १,११,९८८ से बढ़कर १,१७,५११ हो गई और ऐसी नालिशों की कुल संख्या, जिनका अदालतों को फैसला करना था, १६,१७७ से बढ़कर २,४०,६३५ हो गई। ऐसी नालिशों की संख्या जिनका फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया, ३०,७३१ थी जबकि १९४८ ई० में यह संख्या ३२,९३० थी और ऐसी नालिशों की संख्या जिनका फैसला पूरी सुनवाई के बाद किया गया ७७ से घटकर ४० रह गई। नम्बरी (Regular) और खफीफा अदालतों की नालिशों की संख्या में जिनका फैसला सिविल जजों द्वारा किया गया, ६,१२० की वृद्धि हुई और वह बढ़कर २९,००१ हो गई तथा ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका निर्णय पूरी सुनवाई के बाद किया गया, ३,६१९ से बढ़कर ३,८३६ हो गई। ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला मुन्सिफों ने किया,

९८,०४६ से घटकर ९६,९५० रह गई । ऐसी नालिशों की कुल संख्या, जिनका निर्णय पूरी सुनवाई के बाद किया गया, २२,५१० थी।

खफीफा अदालत की नालि

ऐसी नालिशों की कुल संख्या में, जिनका फैसला खफीफा अदालतों ने किया, २, ५६४ की वृद्धि हुई और वह बढ़कर २८, ३२५ हो गई । इन अदालतों में दी हुई इजराय डिगरी की सफल दरखवास्तों का प्रतिशत २९ था। अन्य अदालतों ने, जिनको खफीफा अदालत के अधिकार प्राप्त थे, जितनी नालिशों का फैसला किया, उनकी संख्या २८,२७४ से बढ़कर ३४,१२१ हो गई। इन अदालतों में दी हुई इजराय डिगरी की सफल दरखवास्तों का प्रतिशत ३३ था ।

नालिशों के विचाराधीन रहने की अवधि

ऐसी नालिशों के विचाराधीन रहने की औसत अवधि, जिनका निर्णय पूरी सुनवाई के बाद किया गया, मुन्सिफों की अदालत में २५८ दिन से बढ़कर ३०५ दिन, सिविल-जजों की अदालत में ३०१ दिन से बढ़कर ३३० दिन और डिस्ट्रिक्ट जजों की अदालतों में २४८ दिन से बढ़कर ५३१ दिन हो गई। उन नालिशों की विचाराधीन रहने की प्रान्तीय औसत अवधि, जिनका निर्णय पूरी सुनवाई के बाद किया गया, बढ़कर २५५ दिन हो गई, जबकि पिछले साल यह औसत अवधि २१७ दिन थी। विचाराधीन रहने की औसत अवधि में यह वृद्धि दीवानी के कामों के लिये अपेक्षित अधिकारियों की कमी के कारण हुई। वर्ष के अन्त में विचाराधीन नालिशों की कुल संख्या में ८, ३४९ की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी संख्या ७६, १०९ से बढ़कर ८४,४५८ हो गई । ऐसी नालिशों की संख्या, जो १ वर्ष से अधिक अवधि तक विचाराधीन रही, ११, ५८८ से बढ़कर १९,२१५ हो गई । ऐसी नालिशों की संख्या, जो छः महीने से अधिक अवधि तक विचाराधीन रहीं, ३३,७५५ थी।

अपीलें

मातहत अदालतों में दायर की गई अपीलों की कुल संख्या में (जिनमें माल की अपीलें भी शामिल हैं) ६१२ की वृद्धि हुई और वह बढ़कर १२, ४६३ हो गई। ऐसी अपीलों की कुल संख्या, जिनका निर्णय होना था ३६,७२२ थी और इनमें से १९, ४७५ अपीलों में निर्णय दिये गये जिनमें से ९,७६३ अपीलें मुंतकिल करके निबटाई गईं। दीवानी की जो नम्बरी (रेगुलर) अपीलें फैसले के लिये आईं उनकी संख्या में ९८७ की कमी हुई और वह घटकर ३२, ८७३ रह गई जिनमें से २, ५३१ अपीलें मुंतकिली के अलावा और तरह से और ८, ७८० अपीलें मुंतकिली द्वारा निबटाई गईं। माल की अपीलों की कुल संख्या ३, ८४९ थी जिनमें से १, १८० अपीलों का फैसला मुंतकिली के अलावा और तरह से किया गया और ९८३ अपीलों को मुंतकिल किया गया। सभी प्रकार के विचाराधीन अपीलों की मिसलों की संख्या में ३,३२२ की वृद्धि हुई और वह बढ़कर १७, २४७ हो गई, जिनमें १५, ५६२ नम्बरी (रेगुलर) अपीलें और १, ६८५ माल की अपीलें थीं। ऐसी अपीलों की संख्या, जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक विचाराधीन रही, ३, ९८५ से बढ़कर ५, १७५ हो गई। कोड आफ सिविल प्रोसीजर (व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के आर्डर ५१ के नियम ११ के अन्तर्गत मातहत अदालतों में सरसरी तौर पर खारिज की गई अपीलों की संख्या १८४ से घटकर ८६ रह गई।

दिवालियापन

इंसालवेंसी ऐक्ट (दीवाला संबन्धी कानून) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग ३२ सिविल जजों द्वारा किया गया। मातहत अदालतों में दिवालियापन के मुकदमों की संख्या में १२६ की वृद्धि हुई और वह बढ़कर ७३७ हो गई किन्तु बरी किये गये दिवालियों की संख्या में ५ की कमी हो गई और वह घटकर १५ रह गई । दिवाला सम्बन्धी मुकदमों में रिसीवरों द्वारा वितरित की गई कुल धनराशि में १२, ८०४ रु० की वृद्धि हुई और वह बढ़कर २, १२, २२१ रु०

हो गई और रिसीवरों के पास जितनी धनराशि शेष रही उसमें ५८, ५४३ रु० की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर ४, ४२, १९३ रु० हो गई ।

डिगरियों की इजरा

डिगरियों की इजरा के लिये पेश की गई दरख्वास्तों की संख्या में २, २२२ की कमी हुई और वह घटकर ९२, ५६० रह गई। वर्ष में पेश की गई दरख्वास्तों की संख्या भी ६६, ६२७ से घटकर ६६, ६२१ रह गई। निबटाई गई दरख्वास्तों की संख्या में भी २,६४५ की कमी हुई और वह घटकर ६०, ८४९ रह गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि विचाराधीन मिसलों की संख्या २२, ५५४ से बढ़कर २२, ९४२ हो गई। उन दरख्वास्तों की संख्या जो तीन महीने से अधिक अवधि से विचाराधीन थीं बढ़कर १०, ४६४ हो गई और उसमें पिछले साल की अपेक्षा ५५ की वृद्धि हुई।

ऐसी दरख्वास्तों का प्रान्तीय प्रतिशत, जिनके संबन्ध में निर्णय किया गया, ४५ रहा ।

आनरेरी (अवैतनिक) मुन्सिफ

वर्ष में ७ आनरेरी मुन्सिफों की अदालतों ने कार्य किया। इनमें से पांच अदालतें बेंचों में बैठीं और उनके द्वारा निर्णीत मुकदमों की संख्या १, ५४६ से बढ़कर १, ६८७ हो गई।

पक्षों और गवाहों के बयान लेना

सिविल प्रोसीजर कोड (व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के आर्डर ५ नियम ३ के अन्तर्गत अदालतों में स्वयं उपस्थित होने के लिये जिन पक्षों को आदेश दिया गया था उनकी संख्या ६, ५०६ से बढ़ कर ९, ४४७ हो गई, जिनमें से ६, ७४० पक्षों के बयान लिये गये। इस वर्ष २३९ अधिक गवाहों के लिये समन जारी किये गये और इस प्रकार कुल मिलाकर १, ८४,८८१ गवाहों के नाम समन जारी किये गये जिनमें से १, ०४, ९६२ गवाहों के बयान लिये गये।

हुक्मनामें तामील करने वाले कर्मचारिवर्ग

हुक्मनामें तामील करने वाले कर्मचारिवर्ग द्वारा तामील किये गये सम्मनों की संख्या में १, १२९ की वृद्धि हुई जिससे कि तामील किये गये हुक्मनामों की संख्या बढ़ कर १०,१४,००१ हो गई, जबकि सिविल प्रोसीजर कोड (व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के आर्डर १६ के नियम ८ के अन्तर्गत पक्षों द्वारा स्वयं तामील किये गये हुक्मनामों की संख्या में ११,१३७ की वृद्धि हुई और इस प्रकार कुल मिलाकर ऐसे १,८१,२०७ हुक्मनामें तामील किये गये।

विशेष ऐक्टों का लागू किया जाना

एग्रीकलचरिस्ट रिलीफ ऐक्ट के अधीन दायर की गई नालिशों की संख्या बढ़ कर ३२१ हो गई, जब कि गत वर्ष ऐसे नालिशों की संख्या ३०२ थी। ३३८ नालिशों में निर्णय दिया गया और वर्ष के अन्त में २२५ नालिशें विचाराधीन रह गईं। अध्याय २, ३, ४ और ६ के अधीन दी गई ऐसी दरख्वास्तों की संख्या जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थीं, ४३९ थी और ७५१ दरख्वास्तें वर्ष में दाखिल हुईं। वर्ष के अन्त में ४४६ दरख्वास्तें ऐसी रह गई थीं जिन पर विचार होना बाकी था। उक्त ऐक्ट की धारा ३० के अन्तर्गत पास की गई डिग्रियों के सम्बन्ध में ४८,३९२ रु० की ब्याज की धनराशि कम कर दी गई, जबकि पिछले वर्ष १४,२९,०१८, रु० की ब्याज की धनराशि कम की गई थी। इन्कम्बर्ड स्टेट्स (भाराक्रान्त सम्पत्ति) ऐक्ट सम्बन्धी मुकदमों की संख्या, जिसमें वर्ष में चलाये गये १९ मुकदमें भी सम्मिलित थे, १४५ थीं जिनमें से २४ मुकदमों का फैसला किया गया और १२१ मुकदमें विचाराधीन पड़े रहे। पांच नालिशों के सम्बन्ध में यूजूरियस लोन्स ऐक्ट के आदेशों का प्रयोग किया गया, जबकि यूनाइटेड प्राविन्सेज डेट

रिडेम्शन ऐक्ट (युक्त प्रान्तीय ऋण मोचन ऐक्ट) से क़र्ज़दार किसानों ने एक बड़ी हद तक फायदा उठाया, क्योंकि उससे किसानों को अपना क़र्ज़ चुकाने में पर्याप्त सहायता मिलती थी।

विस्थापित वकील

विस्थापित व्यक्तियों को नई परिस्थितियों में बसने के लिये सहायता देने के उद्देश से माननीय हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किये गये कि ओथ कमिश्नर और गवाही रेकार्ड करने वाले, लेखा परीक्षा करने वाले, नाप-जोख करने वाले तथा इसी तरह के अन्य कमिश्नरों के पदों पर नियुक्तियां करते समय तथा ऐसे मामलों में, जिसमें कि फांसी की सजा दी जा सकती हो, उन अभियुक्तों की ओर से पैरवी करने के लिये, जिनकी ओर से कोई पैरवीकार पैरवी न कर रहे हों, वकील (पैरवीकार) नियुक्त करते समय पाकिस्तान के विस्थापित प्लीडरों और एडवोकेटों को प्राथमिकता (तरजीह) दी जानी चाहिये। इसी प्रकार सरकारी वकील (पैरवीकार) का कार्य करने के लिये वकीलों के पैनेल के चुनाव में भी इन विस्थापित वकीलों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। एक विस्थापित एडवोकेट को लखनऊ जिले के आफिशियल रिसीवर के पद पर नियुक्त किया गया और उनमें से बहुतों को कई अन्य जिलों में असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौन्सेल (Counsel) नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त विस्थापित कानूनी पेशा करने वाले व्यक्तियों (लीगल प्रैक्टीशनरों) को प्लीडर के रूप में नाम दर्ज कराने और कार्य करने के लिये हर प्रकार की सुविधायें भी दी गई।

मुकदमा लड़ने वालों इत्यादि को सुविधायें

अदालतों में अध्यक्ष के पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किये जाने के लिये हाईकोर्ट ने कुछ आदेश जारी किये और यह आशा की जाती थी कि उनसे मुकदमा लड़ने वालों को काफी सुविधायें मिलेंगी और अदालत के कर्मचारिवर्ग के मुकदमा लड़ने वालों के सम्पर्क में आने की सम्भावना बहुत कम हो जायगी। अदालतों में भ्रष्टाचार दूर करने के कई अन्य सुझाव भी सरकार के विचाराधीन थे। अदालत के अहातों में बैठने के स्थान की कमी तथा पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में मुकदमा लड़ने वालों की पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिये कार्यवाही की गई। साथ ही माननीय हाईकोर्ट ने गवाहों को जबकि वे वास्तव में गवाही न दे रहे हों, अदालत के कमरों में बैठने की सुविधायें देने की व्यवस्था करने के लिये भी आदेश जारी किये।

रियासतों का विलीनीकरण

टेहरी-गढ़वाल, बनारस और रामपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में विलीन होने के फलस्वरूप इन भूतपूर्व रियासतों में न्याय प्रशासन के पुनर्संगठन के लिये शीघ्र कार्यवाही की गई। एक आज्ञा जारी की गई जिसके द्वारा टेहरी-गढ़वाल में हुजूर की अदालत और प्रिवी कौंसिल भंग कर दी गई और दूसरी आज्ञा द्वारा बनारस रियासत में चीफ कोर्ट और प्रिवी कौंसिल को तोड़ दिया गया और इस तरह इन दोनों रियासतों को इलाहाबाद के हाईकोर्ट आफ जुडीकेचर की अधिकार-सीमा के अन्तर्गत लाया गया। जहां तक भूतपूर्व रामपुर रियासत का सम्बन्ध है, इस रियासत को भी रियासतों के विलीनीकरण (संयुक्त प्रान्त) आदेश, १९४९ ई० के अधीन इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिकार-सीमा में लाया गया और उक्त रियासतों के अन्तर्गत इजलास –ए– हुमायूं, रामपुर का हाईकोर्ट और दूसरी दीवानी अदालतों को भंग कर दिया गया। रामपुर में नियमित रूप से जजी कायम कर दी गई और वहां एक मुन्सिफ तथा जिला और सेशन्स जज नियुक्त किये गये। दूसरी ओर टेहरी–गढ़वाल

को कुमायूं जजी का एक भाग बना दिया गया और वहां कुमायूं में प्रचलित आधार पर न्याय के प्रशासन का प्रारम्भ किया गया। सिविल तथा सेशन्स जज की अदालत भी कायम की गई और उसका हेडक्वार्टर टेहरी में बनाया गया। इसी तरह भूतपूर्व बनारस रियासत को भी बनारस जजी का एक भाग बना दिया गया और भदोही में सिविल और सेशन्स जज तथा मुन्सिफ की अदालतें स्थापित की गईं। बंगाल-आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट, १८८७ ई० को इन समस्त भूतपूर्व रियासतों में लागू कर दिया गया।

१५--फौजदारी न्याय-व्यवस्था

प्रशासन इत्यादि

बनारस, टेहरी-गढ़वाल और रामपुर की भूतपूर्व रियासतों को संयुक्त प्रान्त में मिला दिये जाने के फलस्वरूप बनारस और टेहरी-गढ़वाल रियासतों को क्रमशः बनारस और कुमायूं के सेशन डिवीजन में सम्मिलित कर दिया गया और रामपुर रियासत का एक अलग सेशन डिवीजन बनाया गया और वहां सेशन्स कोर्ट कायम कर दी गई। इस प्रकार राज्य में सेशन्स डिवीजनों की संख्या २८ से बढ़कर २९ हो गई। बनारस रियासत के भूतपूर्व भदोही जिले के लिए भी एक स्थायी सिविल और सेशन्स जज की अदालत ज्ञानपुर में कायम की गई। भूतपूर्व टेहरी-गढ़वाल रियासत के लिये भी टेहरी में एक स्थायी सिविल तथा सेशन्स जज की अदालत कायम कर दी गई। इसके अतिरिक्त फौजदारी सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक हो गया था और उसे निबटाने के लिये कानपुर में अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जज रक्खे गये और आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बहराइच, बनारस, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, देहरादून, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, गोरखपुर, जालौन, कानपुर, खेरी, कुमायूं, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, और उन्नाव में अस्थायी सिविल तथा सेशन्स जज नियुक्त किये गये।

अपराधों की संख्या

इंडियन पेनल कोड (भारतीय दंड संहिता) के अन्तर्गत जितने अपराधों की रिपोर्ट की गई, उनकी कुल संख्या पिछले वर्ष की १, २०, २१३ की तुलना में इस वर्ष घटकर १, १२, ४३० हो गई। किन्तु यद्यपि रिपोर्ट किये गये अपराधों की कुल संख्या में कमी हुई फिर भी "झूठी गवाही तथा सार्वजनिक न्याय (पब्लिक जस्टिस) के विरुद्ध अपराध", "राज्य के विरुद्ध अपराध", "सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के सम्बन्ध में अपराध", गर्भपात, चोरी, डकैती, आपराधिक विश्वासघात, धोखा और फरेब के कार्य और जाल-फरेब से सम्पत्ति का हस्तान्तरण सम्बन्धी अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (दंड विधि संहिता) तथा विशेष और स्थानीय विधियों (Laws) के अधीन जिन मामलों की रिपोर्ट की गई उनकी संख्या भी २,६४,४४४ से बढ़कर २,७५,०३४ हो गयी। इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं, जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थे।

विचाराधीन अभियुक्त

ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिन पर मैजिस्ट्रेटों के समक्ष अभियोग चल रहे थे, ६, ३७, ७६१ थी। इनमें से १,०४६ या तो मर गये, भाग गये या अन्य प्रान्तों को भेज दिये गये; २,७२,०८५ या तो छोड़ दिये गये या निर्दोष ठहराये गये; २,४९२६८ को दंड दिया गया; १८, ६३८ को सेशन्स सुपुर्द किया गया और आलोच्य वर्ष के अन्त में ८३, ४६८ मामले विचाराधीन रह गये।

इंडियन पेनल कोड (भारतीय दंड संहिता) के अधीन विविध अपराधों के सम्बन्ध में २,९२,१८१ व्यक्तियों का चालान किया गया जिनमें से १,७७,३१२ व्यक्ति निर्दोष ठहराये गये या छोड़ दिये गये; ५०,३७१ को

दंड दिया गया, ८१४ मर गये, भाग गये या अन्य प्रान्तों को भेज दिये गये और वर्ष के अन्त में ६३, ६८४ मुकदमें विचाराधीन रहे । क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (दंड विधि संहिता) तथा विशेष और दूसरे स्थानीय विधियों (Laws) के अधीन अपराधों के लिए ३, ५२, ३८२ व्यक्तियों का चालान किया गया। इनमें १, ०८, १०४ या तो निर्दोष ठहराये गये या छोड़ दिये गये; २, १३, ८३२ को दंड दिया दिया गया; ४४६ मर गये; भाग गये या अन्य प्रान्तों को भेज दिये गये और वर्ष के अन्त में ३०,००० व्यक्तियों के मुकदमें विचाराधीन रहे ।

निर्णीत मुकदमें

इस वर्ष कुल २, ८४, २९५ मुकदमों में निर्णय दिया गया जब कि पिछले वर्ष २, ६८, ६३२ मुकदमों में निर्णय दिया गया था। यह वृद्धि मुख्यतया वैतनिक तथा अवैतनिक (आनरेरी) मैजिस्ट्रेटों की आदालतों में हुई । आनरेरी मैजिस्ट्रेटों ने १, २१, ६२९ व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय किया, जब कि पिछले वर्ष उन्होंने ९५, ४५६ व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय किया था। आलोच्य वर्ष में कुल मिलाकार ५, ३१, ६५५ व्यक्तियों के मुकदमों का फैसला किया गया।

गवाह

मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में पिछले वर्ष कुल ३,०२,७७६ गवाहों ने बयान दिये थे। इस वर्ष उनकी संख्या बढ़कर ४, १७, ०८७ हो गयी। सेशन की अदालतों में गवाहों की संख्या ३७, ११८ से बढ़कर ५२, ५८८ हो गई । ऐसे गवाहों की संख्या जो उपस्थित तो हुए, किन्तु जिनको बयान दिये बिना ही जाने की इजाजत दे दी गई, मैजिस्ट्रेटों की अदालतों की दशा में ३६, २७२ से बढ़कर ५३, ६४७ हो गई और सेशन्स की अदालतों की दशा में ५, ४८३ से बढ़कर ६, ८४७ हो गई ।

असेसरों की सहायता से मुकदमों पर विचार

असेसरों की सहायता से जितने व्यक्तियों के मुकदमों पर विचार किया गया उनकी संख्या १२, ४८६ से बढ़कर १८, १०९ हो गई।

जूरी द्वारा मुकदमों पर विचार

जूरी की सहायता से मुकदमों पर विचार किये जाने का तरीका पूर्ववत् इलाहाबाद, बनारस, बरेली, फैजाबाद, कानपूर और लखनऊ जिलों में जारी रहा। इन जिलों में सेशन्स की अदालतों में जूरी द्वारा जितने व्यक्तियों के मुकदमों में विचार हुआ उनकी संख्या ५०० से बढ़कर ९३९ हो गई।

मुकदमों की अवधि

सभी मैजिस्ट्रेट की अदालतों में मुकदमों की कार्रवाई का औसत समय १९ दिन से बढ़कर २० दिन हो गया लेकिन सेशन्स की अदालतों में औसत समय ९९ दिन से बढ़ कर १०७ दिन हो गया ।

अभियोगों का परिणाम और दंड

मैजिस्ट्रेटों की अदालतों तथा सेशन्स की अदालतों दोनों में दंड पाने वाले व्यक्तियों में से ३३, ७३९ को कारावास का दंड मिला, २,०६,३९२ पर जुर्माने किये गये और १८६ को कोड़े लगाने की सजा दी गई । इसके अतिरिक्त २९, १९० व्यक्तियों से जमानतें मांगी गई ।

ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिन्हें सेशन्स की अदालतों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, जिनमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जिनके मुकदमें पिछले वर्ष से विचाराधीन थे, २७१ से बढ़कर २८१ हो गई। इनमें से ७३ अभियुक्तों के दंडों की पुष्टि की गई, ५६ अभियुक्तों को अपील पर छोड़ दिया गया और ५३ अभियुक्तों को दिये गये दंडों में हाईकोर्ट ने संशोधन किया । वर्ष के अन्त में ९९ व्यक्तियों के मुकदमें विचाराधीन रहे ।

ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें फांसी दी गयी, ९ से बढ़कर १८ हो गई और उन व्यक्तियों की संख्या भी जिनको आजन्म कारावास का दंड दिया गया, ५५६ से बढ़कर ७६४ हो गई। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को कठोर कारावास का दंड दिया गया उनकी कुल संख्या में भी वृद्धि हुई और वह २४, ६१७ से बढ़कर २५, ८०७ हो गई।

सेशन्स की अदालतों द्वारा किये गये जुर्मानों की कुल धनराशि ६१, ०९६ रु० से बढ़कर १,७५, ३५० रु० हो गई। लेकिन मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में यह धनराशि ५८, १८, ५३८ रु० से घटकर ५३, १६, ४१७ रु० रह गई।

ऐसे लोगों की कुल संख्या, जिनसे शान्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में मुचलके लिये गये २५, ५४५ से घटकर २२,०५० रह गई। शान्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में सबसे अधिक व्यक्तियों के मुचलके गोंडा में लिये गये और उनकी संख्या ३,९७९ थी। लेकिन ऐसे लोगों की कुल संख्या, जिनसे अच्छा चाल-चलन बनाये रखने के सम्बन्ध में मुचलके लिये गये, ६,२८६ से बढ़कर ७, ०५६ हो गई। अच्छा चाल-चलन बनाये रखने के सम्बन्ध में सबसे अधिक संख्या में मुचलके कानपुर (६७९), लखनऊ (५१३), आगरा (४३०) और इलाहाबाद (३३७) जिलों में लिये गये।

अल्पवयस्क और पहली बार अपराध करने वाले

पहिली बार अपराध करने वालों की कुल संख्या, जिन्हें या तो चेतावनी देकर या यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ ई० के अन्तर्गत छोड़ दिया गया, ८, ८४३ से घटकर ७, ८७९ रह गई। लेकिन ऐसे अपराधियों की संख्या, जो प्रोबेशन अफसरों (परीक्षण अधिकारियों) की देख-रेख में रक्खे गये, ११९ से बढ़कर १४६ हो गई।

अपीलें

हाई कोर्ट में अपील करने वालों की संख्या ५, ३७३ से बढ़कर ७, ०७४ हो गई और सरकारी अपीलों की संख्या, जिनमें ऐसी अपीलें भी सम्मिलित हैं, जो पिछले वर्ष से विचाराधीन थीं, ९५ रहीं जब कि पिछले वर्ष उनकी संख्या ९२ थी। इनमें से १५ अपीलें स्वीकार कर ली गईं, १८ अपीलें खारिज कर दी गईं और ६२ अपीलें वर्ष के अन्त में विचाराधीन रह गईं। दूसरी अदालतों में भी अपील करने वालों की संख्या ३६, ३६७ से बढ़कर ४१, ८८८ हो गई।

१६—रजिस्ट्री

रजिस्ट्रेशन विभाग का कार्य मुख्यतया चल और अचल सम्पत्तियों से संबन्धित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से था और वर्ष के अन्त में ऐसे दस्तावेजों की संख्या लगभग ३ लाख थी। रजिस्ट्री के कार्यालयों की संख्या, जिनमें ३४ ऐसे जिला जजों के कार्यालय भी सम्मिलित थे, जो पदेन जिला रजिस्ट्रारों के रूप में कार्य कर रहे थे, २३८ थीं। २१२ सब-रजिस्ट्रार और सात स्टाम्प तथा रजिस्ट्री के इंस्पेक्टर थे जिनमें से एक हेडक्वार्टर पर रजिस्ट्री के इंस्पेक्टर जनरल के निजी सहायक (Personal Assistant) के रूप में कार्य करता है, जिन्होंने सारे वर्ष में प्रत्येक महीने २० दिन के हिसाब से निरीक्षण सम्बन्धी दौरा करके निरीक्षण तथा देख-रेख का कार्य किया।

आय और व्यय

वर्ष की कुल आय लगभग २२ लाख और व्यय लगभग ११॥ लाख था, जिससे यह प्रकट हुआ कि इस वर्ष आय लगभग ७० प्रतिशत बढ़ गई।

यद्यपि जमींदारी विनाश योजना के कारण रजिस्ट्री का कार्य मन्द पड़ गया था। इस मन्दी के कारण भी, प्रयोग के तौर पर कानून की परीक्षा में पास लगभग ३० सब-रजिस्ट्रारों की सेवायें उनके अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के रूप में काम में लाई गई थीं और यह मालूम हुआ कि यह प्रयोग सफलता-पूर्वक चल रहा है।

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार में कमी हुई, क्योंकि सब-रजिस्ट्रारों के वेतनक्रमों में, जिनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें भी जुडीशल सर्विस के सदस्यों के लिये निर्धारित स्तर तक बढ़ा दी गई थीं, संतोषप्रद संशोधन किया गया था।

१७—पंचायत राज

१९४८ ई० में चौंतीस हजार सात सौ पचपन गांव सभायें या गांव पंचायतें और ८,२२५ पंचायती अदालतें स्थापित की गईं तथा १९४९ ई० के आरम्भ में प्रान्त भर में पंचायतों के चुनाव का भगीरथ कार्य हाथ में लिया गया। गांव के लोगों में फैली हुई निरक्षरता और देहाती क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखने के विचार से ये चुनाव एक बड़े पैमाने पर हाथ उठा कर मत देने की प्रणाली के अनुसार किये गये। इस ध्येय को सामने रखकर कि ग्रामीण जनता को पंचायत राज के उद्देश्य और कारणों की जानकारी कराई जाय तथा उन्हें यह बताया जाय कि संयुक्त प्रान्त के पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन ग्रामीण प्रजातंत्र पद्धति की नई योजना के प्रति उनके क्या-क्या कर्त्तव्य और कौन-कौन सी जिम्मेदारियां हैं, पहले तहसील कान्फ्रेंसें की गईं, ३४,७५५ गांव पचायतें और ८,२२५ पंचायती अदालतों के चुनाव कार्य को पूरा करना एक विकट कार्य सिद्ध हुआ और यह काम कभी भी सफलता से पूर्ण न हो पाता यदि समस्त सरकारी विभागों और गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं का स्वेच्छा से सहयोग प्राप्त न हुआ होता। सरकारी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों, स्थानीय निकायों, कोर्ट आफ वार्ड्स, नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों इन सबने चुनाव के कार्य में सहायता दी तथा चुनाव के दौरान में देहाती क्षेत्रों में प्रान्तीय रक्षक दल ने शान्ति बनाये रक्खी।

चुनाव

चुनाव संयुक्त निर्वाचन तथा प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर किये गये जिनमें अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये उनकी जन-संख्या के अनुसार जगहें सुरक्षित थीं। गांव वालों ने इस नये प्रयोग का जो स्वागत किया वह सराहनीय था, विशेषकर ऐसी स्त्रियों में नई नागरिकता की जागृति के लक्षण पाये गये, जिन्होंने चुनाव में प्रमुख भाग लिया था और जिनमें से लगभग एक हजार विभिन्न पदों के लिये निर्वाचित भी हुईं। इस चुनाव में एक और विशेष बात देखने में यह आई कि यथाकथित अछूत जातियों के प्रति जातीयता की भावनायें पहिले की तरह द्वेषपूर्ण नहीं रहीं और कई मामलों में तो हरिजन उम्मीदवारों ने सवर्ण हिन्दू उम्मीदवारों को हरा दिया, यहां तक कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा अन्य ऊंची जाति के हिन्दुओं ने भी उन्हें वोट दिये। ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या, जो गांव तथा अदालती पंचायतों में चुने गये, २,६०,८०० तक पहुंच गई। मुसलमान भी इस दिशा में पीछे नहीं रहे और कुल १,३७,३६७ मुसलमान चुने गये। २१,८७८ गांव पंचायतों के लिये कोई चुनाव नहीं लड़ा गया। पहाड़ी जिलों को छोड़कर, जहां कि चुनाव बाद में अप्रैल, जून, १९४९ ई० में हुये, गांव पंचायतों के लिये चुने गये कुल सदस्यों, उपसभापतियों तथा सभापतियों

और अदालती पंचायतों के लिये चुने गये पंचों की संख्या कुल १३,०६,७०३ थी। निर्वाचन संबंधी कई प्रार्थना-पत्र (Election Petitions) भी दायर किये गये और इन पर शीघ्रता से कार्यवाही की गई।

प्रशासकीय मशीनरी

इस वृहत् ग्रामीण जनतंत्रवाद की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद उसकी देखरेख करने और उस पर नियंत्रण रखने के वास्ते उपयुक्त प्रशासकीय मशीनरी की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप ५०० पंचायत इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये और साथ ही साथ पंचायती अदालत के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आनेवाली गांव पंचायतों के हर समूह के लिये एक एक सेक्रेटरी के हिसाब से कुल ८,००० से अधिक पंचायत सेक्रेटरी नियुक्त किये गये। सरपंचों को, जिनका काम मुक़दमों का फैसला करने के लिये पंचों की नामावली बनाना और पंचायती अदालतों की देखरेख तथा कार्य-संचालन में उनका पथ-प्रदर्शन करना था, उचितरूप से ट्रेनिंग दी गई। हर जिले में इन्स्पेक्टरों, सेक्रेटरियों तथा अन्य पंचायत कर्मचारियों को अपना कार्य करने के संबंध में पथ-प्रदर्शन करने तथा उनके काम की देखरेख के वास्ते जिला पंचायत अफसर की हैसियत से कार्य करने के लिये एक डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया।

पंचायत राज का उद्‌घाटन

पंचायत राज का उद्‌घाटन १५ अगस्त, १९४९ ई० को स्वतंत्रता दिवस की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर पंचायत घरों के निर्माण, सफाई, जन्म तथा मृत्यु की रजिस्ट्री, स्वयंसेवक दलों के संगठन, स्वास्थ्य-सुधार, गांधी चबूतरा बनाने इत्यादि के संबंध में भी आदेश जारी किये गये। सरकार ने नवस्थापित गांव सभाओं को उनके सेक्रेटरियों का वेतन देने के लिये २८,७८,७५० रु० का सहायक अनुदान दिया, और काम आरम्भ करने के लिये ५२,१३,२५० रु० का दूसरा अनुदान दिया जिससे प्रारम्भ में वे अपने खर्च को पूरा कर सकें। बहुत से विशेष प्रकार के आन्दोलन चलाये गये। जिससे कि पंचायतें रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हों। उदाहरणार्थ १५ सितम्बर से २ अक्तूबर तक पेड़ लगाने का एक पक्ष मनाया गया, जिसमें विशेषरूप से फल देने वाले वृक्ष लगाये गये। १९ सितम्बर से २ अक्तूबर तक गांधी जयन्ती मनाई गई और प्रत्येक गांव सभा तथा पंचायती अदालतों में गांधी जी के चित्र का उद्‌घाटन समारोह मनाया गया, गांधी चबूतरों पर चरखा प्रदर्शन, दंगल और रामधुन का प्रबन्ध किया गया। २० अक्तूबर से २७ अक्तूबर तक सफाई का आन्दोलन चलाया गया और उसके लिये पंचायतों की सफाई समितियां बनाई गईं। इस सप्ताह में गड्ढों को भरा गया, सार्वजनिक स्थानों, पशुशालाओं, कुओं और तालाबों की सफाई की गई और मिश्रित खाद तैयार करने के लिये गाय का गोबर एकत्रित किया गया। पुरुषों तथा स्त्रियों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने दिन प्रति दिन के जीवन में सफाई से तथा स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार रहें।

२९ अक्तूबर से ४ नवम्बर तक ज़मींदारी विनाश कोष सप्ताह मनाया गया, जिसमें प्रभात फेरियां हुईं और जुलूस निकाले गये तथा सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया गया।

पंचायतें अपना कार्य बड़े उत्साह से करती रहीं और यह रिपोर्ट मिली है कि पंचों ने गांवों के लोगों को स्वच्छता तथा आरोग्यता से रहने के ढंगों

में शिक्षा देने की ओर बड़ा ही ध्यान दिया। बहुत सी पंचायतों ने नई सड़कें बनवाईं और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाईं। गांव सभाओं और गांव पंचायतों ने साक्षरता सम्बन्धी आन्दोलन में सहायता दी और पुस्तकालय, स्कूल और वाचनालय चलाये। शाहजहांपुर जिले की कुछ गांव सभाओं ने अपने यहां हैजा फैलने के समय पर मुफ्त दवाइयां बांटीं और देहरादून जिले में बहुत से गांव वालों ने लगभग ५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये चार मील लम्बी नहर बनाने में अपनी सेवायें स्वेच्छापूर्वक अर्पित कीं।

पंचायती अदालतें

पंचायती अदालतों ने १५ अगस्त, १९४९ ई० से कार्य करना आरम्भ किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आरम्भ में बहुत सी कठिनाइयां आईं, परन्तु गांव सभाओं के कर्मचारियों के सहयोग से इन पर विजय प्राप्त की गई और इस प्रकार मुक़द्दमेबाजी में बहुत कमी हुई।

प्रख्यापन

ग्रामीण जनता को प्रख्यापन और प्रचार द्वारा शिक्षित करने के महत्व को समझाते हुये पंचायत राज ऐक्ट की, नियमों की तथा मैनुअलों की एक लाख से अधिक प्रतियां गांव सभाओं के सभापतियों और पंचायती अदालतों के सरपंचों में बांटी गईं। पंचायत राज, पथ्य सम्बन्धी विषयों तथा प्राथमिक सहायता (First-aid) के महत्व से सम्बन्ध रखने वाले परचे और पत्रिकायें भी जनता तथा सार्वजनिक संस्थाओं में बांटी गईं।

डिवीजनल कांफ्रेंस

सब पंचायत अफसरों की एक कांफ्रेंस नवम्बर, १९४९ ई० के अंतिम सप्ताह में उनके माल डिवीजन के केन्द्रों में बुलाई गई थी। इन कांफ्रेंसों में उन कठिनाइयों पर वाद-विवाद हुआ, जो पंचायतों के सामने उनके दैनिक-कार्य के सम्बन्ध में आती हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कई लाभप्रद सुझाव प्रस्तुत किये गये।

१८—जिला बोर्ड

नये जिला बोर्डों ने १९४८ ई० के मध्य में कार्यभार ग्रहण किया और इनका चुनाव १३ वर्ष के बाद हुआ था तथा ये चुनाव विस्तृत एवं अधिक जनतन्त्रात्मक मताधिकार के आधार पर हुये थे। फलतः इनके बन जाने से जिला बोर्ड प्रशासन के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ, यह एक ऐसा युग है, जिसमें प्रान्त के नागरिक प्रशासन में सर्वतोन्मुखी सुधार करने का भरसक और जोरदार प्रयत्न किया जायगा। साधारणतया बोर्डों ने बिना किसी विघ्न-बाधा के शान्तिपूर्वक कार्य किया और उनमें जनोपयोगी कार्य करने की बड़ी उत्सुकता रही। किन्तु बहुधा धनाभाव के कारण उनके उत्साह में रुकावट पड़ी। बोर्डों के साधनों को बढ़ाने के विचार से यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९४८ ई० में संशोधन करके उनके दो करों में से एक के क्रम में यानी स्थानीय कर के लागू करने के क्रम में लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि पहिले ही से की जा चुकी है। किन्तु इतने ही से बोर्डों की सब आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतीं इसलिये उनकी वित्तीय स्थिति को और अच्छी बनाने के लिये नये साधन ढूंढ़

जा रहे हैं। आलोच्य वर्ष में जिला बोर्ड के कर्मचारियों के संशोधित और प्रमाणीकृत वेतनक्रम लागू किये गये और इसके फलस्वरूप बोर्डों के ऊपर एक और बड़ा भार पड़ गया।

आय और व्यय — वर्ष १९४८–४९ ई० तथा १९४९–५० ई० के निम्नलिखित प्रान्तीय विवरण-पत्र थे :—

आय

(हजार रुपयों में)

क्रम-संख्या	शीर्षक	१९४८–४९ ई०	१९४९–५० ई०	अन्तर
१	सरकारी अनुदान ..	२,११,९४२	२,१८,२९८(+)	६,३५·६
२	मालगुजारी (कुमायूं)	५२३	५५८(+)	१·९
३	स्थानीय कर ..	१,०३,५९८	१,३४,८०७(+)	३१,२४·९
४	हैसियत तथा जायदाद कर	१४,३५३	१६,६२१ (+)	२,२६.८
५	मवेशीखाने ..	१८,७१३	२२,२८० (+)	३,५६.७
६	शिक्षा .	२७,८५९	३९,९५९ (+)	१२,१०.०
७	औद्योगिक शिक्षा ..	१८	१७ (−)	·१
८	चिकित्सा .	२,६९६	१,७०८ (−)	९८.८
९	जन-स्वास्थ्य .	३८०	८७३(+)	४९.३
१०	पशु-चिकित्सा ..	६४९	७४१(+)	९.२
११	बाजार और दूकानें ..	७४३	१,२३५(+)	४०.२
१२	मेले तथा प्रदर्शिनियां ..	४,९७८	५,३७१(+)	३९.३
१३	सम्पत्ति से प्राप्तियां ..	१,७७१	२,२८३(+)	५१.२
१४	कृषि तथा बागवानी ..	२,५८७	३,३३४(+)	७४.७

क्रम-सख्या	शीर्षक	१९४८–४९ ई०	१९४९–५० ई०	अन्तर
१५	ब्याज ..	२१.७	३२.८(+)	११.१
१६	विविध .	१०,१२.०	१२,२७.६(+)	२,१५.६
	कुल आय	४,०१,१२.३	४,६०,५९.९(+)	५९,४७.६

व्यय

(हजार रुपयों मे)

क्रम-संख्या	शीर्षक	१९४८–४९ ई०	१९४९–५० ई०	अन्तर
१	सामान्य प्रशासन तथा वसूली पर व्यय ..	२४,२५.९	२६,६५.३(+)	२,३९.४
२	मवेशीखाने .	९,६४.९	१५,०३.८ (+)	५,३८.९
३	शिक्षा .	२,१५,५६.०	२,८३,४२.५(+)	६७,८६.५
४	चिकित्सा .	२४,८५.२	३१,३०.२ (+)	६,४५.०
५	जन-स्वास्थ्य ..	९,९२.९	१२,४५.३(+)	२,५२.४
६	पशु–चिकित्सा .	५,३५.२	६,७५.४(+)	१,४०.२
७	मेले तथा प्रदर्शिनियां ..	३,५७.४	४,९९.६(+)	१,४२.२
८	कृषि तथा बागबानी ..	१,१९.३	१,५७.८(+)	३८.५
९	सार्वजनिक निर्माण–कार्य	३७,९८.४	५३,१६.२(+)	१५,१७.८
१०	बुढ़ौती भत्ता ..	१,२५.१	१,६२.५(+)	३७.४
११	वापसी (मवेशीखानों को छोड़कर) ..	१,७९.०	२,१५.४ (+)	३६.४

क्रम-संख्या	शीर्षक	१९४८-४९ ई०	१९४९-५० ई०	अन्तर
१२	विविध .	२१,२३.९	१९,२२.८(-)	२,०१.१
	कुल व्यय	३,५६,८७.०	४,५८,६२.९(+)	१,०१,७५.९

आलोच्य वर्ष में समस्त बोर्डों की वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी :--

		(हजार रुपयों में)
प्रारम्भिक शेष	..	१,१७,११.०
आय	.	४,६०,५९.९
व्यय	..	४,५८,६२.९
अंतिम शेष	.	१,३५,४६.९

मुख्य आय तथा व्यय के शीर्षक

जिला बोर्डों की आय के मुख्य साधन, जैसा कि होता आया है, सरकारी अनुदान तथा स्थानीय कर थे और उसमें कुमायूं डिवीजन में मालगुजारी (चक्की के महसूल) सम्मिलित थी और कुल आय में सरकारी अनुदानों का ४७.३ प्रतिशत और स्थानीय कर का २९.४ प्रतिशत सम्मिलित था। नामे लिखी जाने वाली धनराशियों में से कुल व्यय का शिक्षा पर ६१.७ प्रतिशत, सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर ११.५ प्रतिशत, चिकित्सा पर ६.८ प्रतिशत और सामान्य प्रशासन पर ५.८ प्रतिशत व्यय हुआ।

स्थानीय कर के क्रम में वृद्धि के अतिरिक्त, जो १९४८ ई० में लगभग ५० प्रतिशत हुई, इस वर्ष अन्य कर, जैसे हैसियत तथा जायदाद कर, केवल २९ जिला बोर्डों में बराबर लागू रहे। इस कर से कुल वसूली १६,६२.१ रुपये (हजार रुपयों में) हुई, जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष २,२६.८ रुपये की वृद्धि हुई। फिर भी उक्त कर से जितनी धनराशि वास्तव में वसूल होनी चाहिये थी उसके हिसाब से वसूली बहुत कम हुई और कर-दाताओं के कुछ ऐसे वर्ग और विशेषरूप से रेल तथा कारखानों के उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जो कर देने से बचना चाहते थे, पूर्ववत् कार्यवाही जारी रही।

शिक्षा

जनोपयोगी कार्यों में शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय सदा की भांति होता रहा। इस वर्ष इस संबंध में ६१.७ प्रतिशत व्यय हुआ अर्थात् पिछले वर्ष की अपेक्षा कुल ६७,८६.५ रुपया (हजार रुपयों में) अधिक व्यय हुआ। व्यय में यह वृद्धि मुख्यतया जिला बोर्डों के शिक्षकों के वेतन बढ़ा देने के फलस्वरूप हुई। स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, परन्तु बोर्डों ने अपना ध्यान मैनुअल ट्रेनिंग, ग्राम्य-ज्ञान, कृषि तथा सामान्य विज्ञान जैसे विषयों की विशेष कक्षायें खोलने की ओर दिया। लड़कियों की शिक्षा के संबंध में कुछ कारणवश न प्रोत्साहन ही प्राप्त हो सका और न उस ओर लड़कियां आकर्षित ही हो सकीं। सुल्तानपुर जिले

से जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार स्थानीय जिला बोर्ड ने लड़कियों की शिक्षा के लिये जो तीन जूनियर हाई स्कूल खोले थे उसमें केवल सात छात्रायें अध्ययन कर रही थीं।

सार्वजनिक निर्माण-कार्य

शिक्षा के बाद ५३,१६.२ रुपये (हजार रुपयों में) का सबसे अधिक व्यय सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर हुआ, जिसके अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष १५,१७.८ रुपया (हजार रुपयों में) अधिक व्यय हुआ। बोर्डों ने अपने सीमित तथा अपर्याप्त साधनों से अपनी सड़कों की उचित मरम्मत करने का भरसक प्रयत्न किया। यद्यपि कुछ चुने हुये बोर्डों को सड़कों की मरम्मत के लिये कुल १४,००,००० रुपये की इकमुट्ठ सरकारी सहायता दी गई। फिर भी चूंकि इस वर्ष उनको रुपया देर में दिया गया, इसलिये उसके अधिकांश भाग का उपयोग न किया जा सका और उसे अगले वर्ष काम में लाने के लिये उनके पास रहने दया गया।

चिकित्सा

प्रशासन की अन्य शाखाओं की तरह शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत भी व्यय में वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ८,९७.४ रुपया (हजार रुपयों में) अधिक व्यय हुआ। इस वर्ष फैजाबाद डिवीजन में दो अस्पतालों का, बनारस डिवीजन में एक का और बरेली जिले के आंवला में स्थित जनाना अस्पताल का प्रान्तीयकरण किया गया और पीलीभीत जिले के कोट कादिर और हल्दौर में स्थित औषधालय तथा लखनऊ और सीतापुर जिलों में से प्रत्येक के एक-एक औषधालय तथा मिर्जापुर जिले के बिजयपुर, राजपुर और हरगढ़ में स्थित तीन राज्य सहायता प्राप्त औषधालय चिकित्सा अफसरों और डाक्टरों के न मिलने के कारण बन्द रहे। बहुत से औषधालयों के सम्बन्ध में यह सूचना मिली कि उनको या तो इमारत की आवश्यकता थी या और अधिक सामान की। गाजीपुर का जिला बोर्ड दो औषधालयों की इमारतें एक गहमर में और दूसरी मुहम्मदाबाद में बनवा रहा था। बलिया जिला बोर्ड ने ६ औषधालयों के अतिरिक्त, जिनमें तीन राज सहायता प्राप्त थे, आंख की चिकित्सा का एक विशेष केन्द्र भी खोला और उसमें लगभग ५०० रोगियों को चिकित्सा संबंधी सहायता दी गई।

बोर्डों ने कुछ हद तक देशी चिकित्सा प्रणाली की ओर भी अपना ध्यान दिया। रुहेलखंड डिवीजन में ऐसे औषधालयों की संख्या १९ से बढ़ कर २६ और मिर्जापुर जिले में ६ से बढ़कर ११ हो गई। परन्तु गोरखपुर जिले में ऐसे औषधालयों की संख्या १७ से घट कर १५ रह गई।

जन-स्वास्थ्य

जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल व्यय १२,४५.३ रुपया (हजार रुपयों में) हुआ अर्थात् पिछले वर्ष की अपेक्षा २,५२.४ रुपया (हजार रुपयों में) अधिक व्यय हुआ। जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला बोर्ड अपने कर्त्तव्यों के संबंध में बड़े सजग रहे और टीके लगाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया। बनारस, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ जिलों में हैजा, प्लेग और चेचक का प्रकोप महामारी के रूप में हुआ और बनारस और गोरखपुर के डिवीजनों के लगभग समस्त जिलों में मलेरिया और कालाआजार का प्रकोप रहा। समस्त बोर्डों के जन-स्वास्थ्य विभाग के अमले ने पीड़ित ग्रामों में चिकित्सा संबंधी सहायता देने और टीके लगाने में बड़ी मेहनत की। फैजाबाद और बहराइच जिलों में हैजा तथा प्लेग फैल गया, परन्तु स्वास्थ्य विभाग द्वारा तात्कालिक कार्यवाही किये जाने

के फलस्वरूप ये रोग और अधिक न फैलने पाये। यह भी सूचना मिली कि अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों के कुछ गांवों में हैजा और चेचक की बीमारियां फैल गई थीं।

१६—म्युनिसिपल बोर्ड

संख्या और संगठन

म्युनिसिपैलिटियों (नगर पालिकाओं) के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उनकी संख्या इस वर्ष भी ८६ ही बनी रही। आगरा, मसूरी, गोरखपुर और लखनऊ के म्युनिसिपल बोर्ड अधिकार-च्युत रहे। म्युनिसिपल चुनाव सम्बन्धी कानून में संशोधन किये जाने का जो विचार था उसके कारण आम चुनाव पुनः स्थगित कर दिये गये।

कुल आय तथा व्यय

प्रारम्भिक शेष और असाधारण मदों को छोड़कर सब म्युनिसिपल बोर्डों की कुल आमदनी ५,८६,०६,५३७ रु० हुई और कुल व्यय ५,८३,१३,७८० रु० हुआ। सामान्य रूप से बोर्डों की आमदनी का सब से बड़ा साधन चुंगी था और सब से अधिक व्यय सफाई के कामों पर हुआ।

ऋण और अनुदान

पानी की सप्लाई संबंधी योजनाओं में सुधार करने के लिए वित्तीय वर्ष १९४९-५० ई० में सरकार ने लखनऊ, आगरा और हरद्वार के म्युनिसिपल बोर्डों को ११,०३,००० रु० के ऋण और इसी प्रयोजन के लिए अल्मोड़ा और मिर्जापुर के म्युनिसिपल बोर्डों को ५,८४,१७५ रु० के अनुदान दिये। आगरा, रुड़की, मेरठ, सहारनपुर, फर्रुखाबाद और मुजफ्फरनगर के म्युनिसिपल बोर्डों ने विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के निमित्त १२,७३,३०० रु० की कुल लागत पर स्टाल और मकान बनवा कर तथा अन्य सुविधायें देकर बड़ा ही सराहनीय कार्य किया। गाजियाबाद, आगरा, अमरोहा और हरदोई के बोर्डों ने गंदे पानी के निकास संबंधी नालियों के निर्माण-कार्य (ड्रेनेज वर्क्स) अपने हाथ में लिये। इसके संबंध में सरकार ने इन बोर्डों को क्रमशः २,०३,६६५ रु० और ९,७६,८६५ रु० के ऋण और अनुदान दिये। सरकार ने उन्नाव, अल्मोड़ा और हल्द्वानी के म्युनिसिपल बोर्डों को अपने नगरों में विद्युत् योजनायें चालू करने के लिए २७,०८,००० रु० (सुगमांक) के और कासगंज, संडीला, मथुरा, इलाहाबाद, उन्नाव, झांसी, बांदा, तिलहर, सीतापुर और ललितपुर के म्युनिसिपल बोर्डों को कम्पोस्ट (मिलवा खाद) की योजनाओं के संबंध में ट्रकें मोल लेने के लिए २,१९,५०० रु० के ऋण स्वीकृत किये।

शाहजहांपुर, इलाहाबाद और खैराबाद को छोड़कर शेष सब बोर्डों ने गो-वध का निषेध करने के संबंध में कार्यवाहियां कीं।

आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत कासगंज, सिकन्दरा राव, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बहराइच और नजीबाबाद के म्युनिसिपल बोर्डों को मेहतरों की हड़ताल का सामना करना पड़ा।

मेरठ और आगरा डिवीजन

बोर्डों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष के अन्तर्गत कुल ७३३ बैठकें बुलाई गईं, जिनमें से ८१ बैठकें कोरम पूरा न होने के कारण निष्फल हुईं और ६६ बैठकें स्थगित की गईं। रुड़की और अतरौली में वसूलियां बहुत अच्छी हुईं अर्थात् क्रमशः ९७.८ और ९७ प्रतिशत। सब बातों को ध्यान में रखते हुए बोर्डों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक रही और वे करदाताओं को पानी की सप्लाई और रोशनी की सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के संबंध में अपने उत्तरदायित्व के प्रति साधारणतया सजग रहे।

कई म्युनिसिपल बोर्डों अर्थात् अलीगढ़, मैनपुरी, आगरा और सहारनपुर की जलोत्सारण प्रणालियां बहुत ही असंतोषजनक रहीं। फिरोजाबाद की म्युनिसिपैलिटी को छोड़कर अन्य म्युनिसिपैलिटियों में जनता का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहा। कई म्युनिसिपिल बोर्डों के विरुद्ध सड़कें खराब होने की शिकायतें थीं, परन्तु वास्तव में इनमें से बहुतों को आवश्यक सामान के अभाव के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ का म्युनिसिपल बोर्ड एक योग्य इंजीनियर रख सकने में असमर्थ था। डिवीजन के सारे म्युनिसिपल बोर्डों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ कर दी गई। मैनपुरी को छोड़कर जहां कोई भी म्युनिसिपल बालिका विद्यालय न था, बालिकाओं की शिक्षा की ओर भी काफी ध्यान दिया गया। मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ और हरद्वार को छोड़कर शेष सब बोर्डों के लेखे ठीक से रखे गये।

रुहेल डिवीजन

चांदपुर, नजीबाबाद, सहसवां, मुरादाबाद, अमरोहा, तिलहर और शाहजहांपुर को छोड़कर शेष बोर्डों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चांदपुर के चेयरमैन, श्री बैजनाथ सिंह ने १८ सितम्बर, १९४८ ई० को त्याग-पत्र दे दिया। नजीबाबाद के चेयरमैन श्री अब्दुल हमीद को २९ अप्रैल, १९४८ ई० को उनके पद से इसलिए हटा दिया गया कि उनके विरुद्ध अधिकारों का दुरुपयोग करने की शिकायतें सरकार के पास आईं थीं। सहसवां के चेयरमैन श्री मोहम्मद ताहिर ने त्याग-पत्र दे दिया और उनके स्थान पर १९ अक्तूबर, १९४८ ई० को श्री हबीबुर्रहमान खां चेयरमैन चुने गये। एक मेम्बर के हटाये जाने, एक दूसरे मेम्बर के त्याग-पत्र दे देने और एक तीसरे मेम्बर की मृत्यु हो जाने के कारण सहसवां म्युनिसिपल बोर्ड में मेम्बरों की तीन जगहें खाली हुईं। मुरादाबाद के चेयरमैन, श्री मोहम्मद इब्राहीम और नामजद की गई महिला मेम्बर बेगम शाहिद हुसेन पाकिस्तान चली गयीं। अमरोहा में श्री नाजिर हुसेन के स्थान पर, जिन्हें सरकार ने उसके पद से हटा दिया था, श्री आफताब आलम खां निर्विरोध चुने गये। तिलहर में श्री फिरासत उल्लाह खां और श्रीमती बख्शी बेगम, जो एक नामजद मेम्बर हैं, बोर्ड की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण मेम्बरी से हटा दिये गये और इसी कारण शाहजहांपुर म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर श्री अब्दुल्ला खां और कलीमुल्ला खां भी मेम्बरी से हटाये गये। कुल म्युनिसिपैलिटियों की आमदनी ५८,१४,१७८ रु० से बढ़कर ७३,२२,७२७ रु० हो गई। डिवीजन की सभी म्युनिसिपैलिटियों की आमदनी बढ़ जाने के कारण यह वृद्धि हुई है। मुख्यरूप से चुंगी और सीमा-कर (टर्मिनल टैक्स) शीर्षकों के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटियों की आमदनी कम हुई। बिजनौर, बदायूं, चंदौसी, शाहजहांपुर और उझानी में बहुत अच्छी वसूलियां हुईं और उनका प्रतिशत क्रमशः ९८.२५, ९७.५, ९५.१, ९४.८, और ९२.१५ रहा। सबसे कम वसूली बरेली में हुई, जो केवल ६०.४२ प्रतिशत थी। बोर्डों का कुल खर्च भी ५६,४७,१४१ रुपया से बढ़कर ७०,०३,३५८ रु० हो गया। नगीना, नजीबाबाद, बदायूं, चंदौसी, संभल और बीसलपुर के प्रत्येक बोर्ड ने आमदनी से ज्यादा खर्च किया। चांदपुर में वर्ष १९४२-४३, १९४३-४४, १९४४-४५, १९४५-४६ और १९४६-४७ के आडिट संबंधी कई आपत्तियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और तिलहर में बोर्ड के कुछ कर्मचारियों ने बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया। सड़कों तथा गंदे पानी की नालियों की दशा साधारणतया बहुत ही खराब रही; सीमेंट और सड़क बनाने के लिए अपेक्षित सामान का अभाव होने के कारण कुछ सड़कों के बनाये जाने में देर हुई। डिवीजन की शरह पैदाइश में वृद्धि हुई, परन्तु मृत्यु संख्या में कमी

हुई । बच्चों की मृत्यु भी कम हुई । म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा संचालित प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या १३५ से बढ़कर १९१ हो गई और साथ ही साथ उन पर होने वाले कुल व्यय में भी वृद्धि हुई । बालिकाओं के स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई ।

बनारस–गोरखपुर डिवीजन

कुछ सदस्यों की मृत्यु हो जाने तथा कुछ के त्याग–पत्र दे देने आदि के कारण बोर्डों में मेम्बरों की कई जगहें खाली हो गईं और उनकी जगहों पर नये मेम्बर रखे गये । इसके अलावा बोर्डों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । गोरखपुर म्युनिसिपैलिटी को छोड़ कर शेष सब म्युनिसिपैलिटियों की २१४ बैठकें हुई जब कि पिछले वर्ष २१८ बैठकें हुई थीं । गाज़ीपुर में सब से अधिक और मिर्ज़ापुर में सब से कम बैठकें हुईं । कोरम पूरा न होने के कारण ४१ बैठकें निष्फल हुई और अन्य कारणों से १४ बैठकें स्थगित की गयीं । प्रारम्भिक शेष को छोड़कर डिवीजन की म्युनिसिपैलिटियों की आमदनी ५८, २३,००९ रु० से बढ़कर ६८,२७,२९० रु० हो गई । गाजीपुर को छोड़ कर शेष सब म्युनिसिपैलिटियों की आमदनी बढ़ जाने के कारण यह वृद्धि हुई । सामान्य प्रशासन और वसूली संबंधी खर्च पर कुल ५,५६,५६० रु० व्यय हुआ जब कि पिछले वर्ष इस प ५,०५,८९० रु० व्यय हुआ था । व्यय में यह वृद्धि इस कारण हुई कि सब म्युनिसिपैलिटियों में कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी गई तथा उनकी वार्षिक तरक्कियों के वाजिब होने पर उनको तरक्कियां दी गईं । पानी की सप्लाई शीर्षक के अन्तर्गत होने वाला व्यय ६,९५,२७४ ० से बढ़ कर ११,८९,२६१ रु० हो गया । यह व्यय केवल बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर तथा गाजीपुर के चार बोर्डों में ही हुआ क्योंकि अन्य बोर्डों में जलकल (वाटर वर्क्स) नहीं थे । सफाई संरक्षण (कन्जरवेन्सी) शीर्षक के अन्तर्गत व्यय में काफी वृद्धि हुई । बोर्डों ने इस वर्ष इस मद में १४,५१,७५२ रु० खर्च किया जब कि पिछले वर्ष ८,१७,९६५ रुपया खर्च किया गया था और गाज़ीपुर को छोड़कर यह वृद्धि सभी बोर्डों में हुई । जलोत्सारण (ड्रेनेज) शीर्षक के अन्तर्गत भी व्यय में वृद्धि हुई । सार्वजनिक शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत व्यय ८,०७,०४५ रु० से बढ़कर ११,२०, २९९ रु० हो गया और यह वृद्धि बोर्डों द्वारा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जारी करने के कारण हुई । शिक्षा तथा नागरिक कार्य के अन्य क्षेत्रों के संबंध में आजमगढ़ नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी) अच्छा कार्य कर रही थी ।

कुमाऊं डिवीजन

नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड को छोड़कर इस डिवीजन के अन्य बोर्डों में कुछ मेम्बरों की मृत्यु हो जाने तथा कुछ के त्यागपत्र दे देने आदि के फलस्वरूप मेम्बरों की कई जगहें खाली हुईं और उनकी जगह पर नये मेम्बर रखे गये । बैठकों में उपस्थिति का प्रतिशत सभी स्थानों में समान नहीं रहा । नैनीताल में ५३.५७ प्रतिशत उपस्थिति थी तो काशीपुर में ६७.०१ प्रतिशत । म्युनिसिपैलिटियों की कुल आय १४,७९,७९७ रु० से बढ़ कर १९,२४,३०१ रु० हो गई यानी उसमें ४,४४,५०४ रु० की वृद्धि हुई और यह वृद्धि सिवाय नैनीताल के सभी म्युनिसिपैलिटियों में हुई । मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत अल्मोड़ा में ८६.४५, नैनीताल में ८९.९२, काशीपुर में ५७.५ तथा हल्द्वानी में ९२.८ रहा । कुल व्यय में भी ४,४२,२३३ रु० की वृद्धि हुई यानी व्यय १४,०३,५१० से बढ़कर १८,४५,७४३ ० हो गया । यह वृद्धि मुख्यतया सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई संरक्षण तथा सार्वजनिक शिक्षा शीर्षकों के अन्तर्गत हुई । अल्मोड़ा में पानी सप्लाई की स्थिति काफी सुधर गई और नैनीताल में पानी के निकास के लिए नालियां बनाने का कार्य चालू रहा

काशीपुर नगर म पानी सप्लाई का एकमात्र साधन कुएं थे। इस डिवीजन में नैनीताल ही एक ऐसा नगर था जहां बिजली थी, यद्यपि अल्मोड़ा और हल्द्वानी में भी बिजली लगाने की योजनाओं के संबंध में कार्य हो रहा था और इसके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की आशा की गयी थी। लोगों का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहा और जच्चा-बच्चा तथा शिशु कल्याण के कार्य की ओर सभी नगरपालिकाओं (म्युनिसिपैलिटियों) ने ध्यान दिया। मलेरिया से काशीपुर ओर हल्द्वानी म्युनिसिपैलिटियों में क्रमशः ७६ और ११९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत बोर्डों ने बेसिक स्कूल खोले। लड़कियों के केवल ५ स्कूल थ। काशीपुर में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था।

लखनऊ डिवीजन

लखनऊ का म्युनिसिपल बोर्ड भंग ही रहा और श्री बी० डी० सनवाल यहां के प्रबन्धक (ऐडमिनिस्ट्रेटर) बने रहे। कई सदस्यों की मृत्यु हो जाने या उनके त्याग-पत्र दे देने आदि के कारण अन्य बोर्डों में मेम्बरों की कई जगहें खाली हुईं और उनके स्थान पर नये मेम्बर रखे गये। लखनऊ को छोड़कर विभिन्न बोर्डों द्वारा की गई कुल बैठकों की संख्या २१४ से बढ़कर २९९ हो गई। इनमें से २१ बैठकें कोरम न होने के कारण निष्फल हुईं और २२ बैठकें स्थगित कर दी गईं। सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत भी ५३.४२ से बढ़कर ६१.०२ हो गया। लखीमपुर में उपस्थिति ८० प्रतिशत से भी अधिक रही। सभी बोर्डों की कुल आय ५३,६५,४१२ रु० से बढ़ कर ७३,६५,७६४ रु० हो गई और यह वृद्धि विशेष कर चुंगी, हाउस टैक्स (मकान का कर), टोल टैक्स (पथ कर), सीमा कर तथा वाटर टैक्स (पानी का कर) के शीर्षकों के अन्तगत हुई। लखनऊ और लखीमपुर में वसूलियां संतोषजनक हुईं जो कि ९३.८३ और ९०.३६ प्रतिशत थी और संडीला को अपनी मांग का शत प्रतिशत वसूली करने का गौरव प्राप्त हुआ। कुल व्यय भी ५१,२५,०८० रु० से बढ़कर ६७,९१,३९४ रु० हो गया। व्यय की मुख्य मदें सामान्य प्रशासन एवं वसूली के संबंध में व्यय सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई संरक्षण तथा सार्वजनिक शिक्षा थीं। इस डिवीजन में गैर शहरी बोर्डों का शासन-प्रबंध अच्छा रहा। ऐडमिनिस्ट्रेटर (प्रबन्धक) के शासन काल में लखनऊ बोर्ड की वित्तीय दशा काफी सुधर गयी। संडीला को छोड़ कर छोटे बोर्डों की भी वित्तीय दशा काफी संतोषप्रद रही। संडीला और लखीमपुर के नगरों में सामान्य स्वास्थ्य संतोषप्रद रहा। रायबरेली, खैराबाद, हरदोई और शाहाबाद के नगरों में सफाई संतोषजनक नहीं रही और इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। गन्दे पानी के निकास की नालियों की दशा प्रायः प्रत्येक बोर्ड में खराब रही। लखनऊ के अलावा केवल उन्नाव में ही एक जलकल था और वहां शीघ्र ही बिजली भी लगने वाली थी। उन्नाव के जलकल में घाटा हो रहा था और नगर में बिजली लग जाने के बाद यह आशा थी कि जलकल के व्यय में कमी होगी। हरदोई ने जलकल के निर्माण का काम हाथ में लिया और वर्ष के अन्त में यह योजना लगभग पूरी हो गई थी।

फैजाबाद डिवीजन

बोर्डों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस वर्ष बोर्डों की बैठकों की कुल संख्या में कमी हुई और गत वर्ष के १८१ की तुलना में इस वर्ष केवल १५५ बैठकें हुईं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष गोंडा बोर्ड की केवल २१ बैठकें हुईं जब कि गत वर्ष ४१ बैठकें हुई थीं। बलरामपुर में सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत २६.३६ रहा और टांडा में ६७.३। फैजाबाद, टांडा और गोंडा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ गया था, परन्तु अन्य

स्थानों में उपस्थिति कम रही । फैजाबाद, टांडा, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सुल्तानपुर और बाराबंकी के बोर्डों की वित्तीय दशा संतोषजनक रही। बोर्डों की कुल आय १५,१४,७१४ रु० से बढ़ कर २१,१४,३३० रु० हो गई। यह वृद्धि सब नगरों की आय में वृद्धि होने के कारण हुई। फैजाबाद, बलरामपुर और बाराबंकी में उगाही में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई, परन्तु टांडा, गोंडा, बहराइच और सुल्तानपुर में उगाही घट गई । बेला-प्रतापगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड में शत प्रतिशत वसूली हुई । बोर्डों द्वारा किया गया कुल व्यय २२,३८,४७५ रु० से बढ़कर २८,१२,५९३ रु० हो गया। बहराइच को छोड़कर, जिसके व्यय में १९,५३२ रु०की कमी हुई, अन्य सभी बोर्ड के व्यय में वृद्धि हुई। मुख्यतया सामान्य प्रशासन, करों की उगाही, प्रकाश और पानी सप्लाई शीर्षक के अन्तर्गत व्यय की वृद्धि हुई । शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत कुल व्यय १,३०,८६९ रु० से बढ़कर २,४९,२७९ रु० हो गया और सभी बोर्डों द्वारा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा चालू करने के कारण व्यय में यह वृद्धि हुई । यद्यपि बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या ४७ से घट कर ४६ हो गई फिर भी इस डिवीजन में स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। लड़कियों के स्कूलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, परन्तु छात्राओं की संख्या २,९५२ से घटकर २,८०२ हो गई। इन स्कूलों पर होने वाला व्यय, ३२,७७७ रु० से बढ़कर ३३,७१५ रु० हो गया । टांडा और गोंडा को छोड़कर सभी बोर्डों में शरह पैदायश में वृद्धि हुई जबकि गोंडा और बलरामपुर को छोड़कर सभी म्युनिसिपैलिटियों में मृत्यु संख्या घट गई । यह रिपोर्ट मिली थी कि बलरामपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी नगरों में सड़कों की दशा असन्तोषजनक है, क्योंकि अच्छे किस्म के कंकड़ न मिलने और मजदूरी की दर अधिक होने के कारण बोर्डों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर जगह लोगों का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहा । अयोध्या और फैजाबाद दोनों ही स्थानों में गन्दे पानी के निकास की नालियों की दशा असन्तोषजनक रही और टांडा में गन्दे पानी के निकास की नालियों की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी । इसका परिणाम यह हुआ कि पानी जमा हो गया और मच्छर उत्पन्न हो गये । मलेरिया के कारण १८३ लोग रोगग्रस्त हुए । गोंडा में हैजा का प्रकोप हुआ, जिसके कारण १५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इस नगर में गन्दे पानी के निकास की नालियों की व्यवस्था बहुत खराब रही । बलरामपुर और बहराइच नगरों में सफाई की व्यवस्था बिलकुल ही असंतोषजनक रही । इन दोनों नगरों में से किसी में भी गन्दे पानी के निकास की नालियों की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी । हैजा के कारण बहराइच में ५८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । प्रतापगढ़ और बाराबंकी में सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी । टांडा बोर्ड के लेखे संतोषजनक रूप से नहीं रक्खे गये थे, जबकि बहराइच और बाराबंकी के बोर्डों के लेखे सब बातों का विचार करते हुए अच्छी तरह से रक्खे गये थे । सुल्तानपुर के आडिट नोट से कई अनियमित भुगतानों का पता चला। बहराइच को छोड़कर इस डिवीजन के सभी बोर्डों में मिलजुल कर काम हुआ और वे दलबन्दियों से दूर रहे ।

इलाहाबाद डिवीजन

इस डिवीजन में नगरपालिकाओं (म्युनिसिपैलिटियों) की संख्या तथा उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुल मिलाकर नगरपालिकाओं (म्युनिसिपैलिटियों) की २२९ बैठकें हुई जब कि पिछले साल २३६ बैठकें हुई थीं। इटावा, कानपुर और फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ के बोर्डों में सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत क्रमशः ५३.७३ से बढ़कर ६१.२८,५४.४९ से बढ़कर ५९.५३ और २७.१४ से बढ़कर

३७.४ हो गया जबकि अन्य सभी बोर्डों में और विशेषकर फतेहपुर में सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत ५१.८ से घटकर ४१.३८ हो गया। सभी बोर्डों में उपस्थिति का प्रतिशत ३७.४ (फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़ में) और ६१.२८ (इटावा में) के बीच रहा। रोकड़बाकी (Cash balance) को निकाल कर इस डिवीज़न की प्राप्तियों की धनराशि ९१,८६,०१९ रु० से बढ़कर १,२०,२५,७८३ रु० हो गई अर्थात् प्राप्तियों में २८,३९,७६४ रु० की बढ़ती हुई। इस वृद्धि का कारण सभी बोर्डों की प्राप्तियों में और विशेषकर कानपुर और इलाहाबाद के बोर्डों की प्राप्तियों में क्रमशः १६,५२,६७९ रु० और १०,१७,८५७ रु० की वृद्धि का होना है। समस्त बोर्डों का अन्तिम शेष निर्धारित न्यूनतम क्रियाशील तथा सुरक्षित शेष धनराशियों से बढ़ गया। किन्तु इटावा बोर्ड का शेष विगत वर्ष के ६२,०३० रु० से घटकर १४,९१४ रु० रह गया। इलाहाबाद तथा फतेहपुर के बोर्डों की आय का प्रधान साधन चुंगी ही रहा जबकि कानपुर, फर्रुखाबाद तथा फतेहगढ़ और इटावा बोर्डों के प्रधान साधन सीमा-कर तथा पथकर (टोल टैक्स) रहे और कानपुर बोर्ड ने विगत वर्ष की तुलना में सीमाकर तथा पथकर (टोल टैक्स) के अधीन क्रमशः २,२९,२७६ रुपये और १,२४,१५२ रु० अधिक वसूल किये। कुम्भ मेले के कारण इलाहाबाद में यात्रिक (Passenger Tax) के रूप में होने वाली आय में ९१,७७२ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् वह १,२८,७३१ रु० से बढ़कर २,२०,५०३ रु० हो गई। इलाहाबाद बोर्ड को सरकार से संक्रामक रोगों के अस्पताल के लिए २,९३,३०० रु० का और कूड़ा-कर्कट ढोने के लिए ट्रकों की ख ीद के हेतु १ लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। असाधारण तथा ऋण संबंधी व्ययों को छोड़कर समस्त बोर्डों के कुल व्यय में २२,२३,३९० ० की वृद्धि हुई अर्थात् वह ८७,११,५७४ रु० से बढ़कर १,०९,३४,९६४ रु० हो गया। कानपुर बोर्ड के व्यय में १६,०८,५२१ रुपये की, इलाहाबाद बोर्ड के व्यय में ३,००,५३० पये की, फर्रुखाबाद तथा फतेहगढ़ बोर्ड के व्यय में १,७३,३९८ रु० की, इटावा बोर्ड के व्यय में ८८,५७१ रु० की, फतेहपुर बोर्ड के व्यय में २८,७३० रु० की और कन्नौज बोर्ड के व्यय में २३,६४० रु० की वृद्धि हुई। सार्वजनिक शिक्षा शीर्षक के अधीन कुल व्यय में ४,२८,९७१ ० की वृद्धि हुई अर्थात् कुल व्यय १५,६८,६७० रु० से बढ़कर १९,९७,६४१ रु० हो गया। इस शीर्षक के अन्तर्गत सभी नगरपालिकाओं (म्युनिसिपैलिटियों) के व्यय में वृद्धि होने से यह वृद्धि हुई है। सब कुछ देखते हुए बोर्ड की वित्तीय दशा संतोषजनक रही। कानपुर को छोड़कर जहां कि शरह पैदाइश २६.७० प्रतिशत से बढ़कर २८.०४ प्रतिशत हो गई थी और एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु-संख्या ४,६९३ से बढ़कर ४,८२७ हो गई थी, सभी नगरपालिकाओं (म्युनिसिपैलिटियों) में जन्म तथा मृत्यु की दरों तथा शिशुमरण के आंकड़ों में कमी हुई। फर्रुखाबाद में भी एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु-संख्या २४३ से बढ़कर ५५० हो गई। इस डिवीज़न (कमिश्नरी) की किसी भी नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी) में महामारी के रूप में कोई बीमारी नहीं फैली।

झांसी डिवीज़न

बोर्डों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस वर्ष बोर्ड की २०९ बैठकें हुईं जब कि पिछले वर्ष २०७ बैठकें हुई थीं। कोरम पूरा न होने के कारण गत वर्ष २३ बैठकें निष्फल हो गईं थीं। इस वर्ष ऐसी बैठकों की संख्या ३५ रही और कोरम पूरा न होने के कारण सब से ज्यादा बैठकें बांदा में निष्फल हुईं। गत वर्ष बोर्डों की कुल आय १३,७२,५८७ रु० हुई थी। इस वर्ष उनकी कुल आय बढ़कर १६,२३,५९० रु० हो गई। इस वृद्धि का कारण यह है कि चुंगी के अन्तर्गत झांसी और ललितपुर बोर्डों की आय में वृद्धि

हुई। कांच बोर्ड को छोड़कर जहां कि म्युनिसिपल बकायों का ९३ प्रतिशत वसूल किया गया अन्य समस्त बोर्डों में वसूलियां बहुत कम हुईं। झांसी, उरई और बांदा बोर्डों में सबसे अधिक धनराशि बकाये में पड़ी रही। कुल व्यय १५,१७,८१८ रु० से बढ़कर १७,५०,०११ रु० हो गया और केवल बांदा को छोड़कर समस्त बोर्डों के व्यय में वृद्धि हुई। विशेषकर सार्वजनिक शिक्षा शीर्षक के अधीन व्यय २,००,०७८ रु० से बढ़कर २,९७,६५४ रु० हो गया जब कि अन्य शीर्षकों के अंतर्गत व्यय में केवल नाममात्र की वृद्धियां हुईं। इस डिवीज़न में केवल झांसी और उरई नगरपालिकाओं (म्युनिसिपैलिटियों) में ही नलों द्वारा पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था थी। बोर्ड का प्रशासन ठीक ढंग से होता रहा।

२०--नोटीफाइड एरिया

वर्ष के प्रारम्भ में ५८ नोटीफाइड एरिया थे। उसके बाद २१ नोटीफाइड एरियाओं को बढ़ाकर म्युनिसिपैलिटियों के स्तर पर कर दिया गया, पांच नोटीफाइड एरियाओं को पास की म्युनिसिपैलिटियों में मिला दिया गया, दो नोटीफाइड एरियाओं को मिलाकर एक म्युनिसिपैलिटी बना दी गई, ६ टाउन एरियाओं को बढ़ाकर नोटीफाइड एरियाओं के स्तर पर कर दिया गया और दो नये नोटीफाइड एरिया निर्मित किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में ३८ नोटीफाइड एरिया थे। सन् १९४८-४९ ई० के वित्तीय वर्ष में नोटीफाइड एरियाओं को कुल मिलाकर ६६,००० रु० के ऋण और अनुदान दिये गये थे जबकि इसी प्रकार सन् १९४९ ई० की शेष अवधि में उन्हें ३७,००० रु० ऋण या अनुदान के रूप में दिये गये थे।

२१--इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधीन मकान बनाने के निमित्त स्थान देने की लगभग १० योजनायें तथा अन्य योजनायें थीं, जो या तो कार्यान्वित की जा रही थीं या विचाराधीन थीं। इसी बीच सरकार ने ट्रस्ट को शरणार्थियों के लिये लगभग ८० क्वार्टर निर्माण करने के लिये पांच लाख रुपये का एक ऋण दिया। इनमें से लगभग ३० क्वार्टर बनकर तैयार हो गये थे और शेष क्वार्टरों का निर्माण कार्य जारी था। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट ने लगभग ५०,००० रु० की लागत पर अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे मलफोर्टगंज, कोटगंज तथा गाड़ीवानटोला योजनाओं के अधीन, बहुत दिनों से स्थगित सड़कों, नालियां आदि के निर्माण-कार्यों को पूरा करने में काम किया और उसने निम्न श्रेणी के मध्यवर्गीय व्यक्तियों के लिये काफी कम दर पर लगभग १०० मकान बनाने के प्लाटों की व्यवस्था की।

लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आठ सुधार योजनाओं पर काम कर रहा था और साथ ही दो नई योजनाएं बशीरतगंज और चांदगंज के वास्ते भी उसके हाथ में थीं, जिनका उद्देश्य यह था कि सर्वसाधारण के लिये ६०० प्लाटों की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त उसने लखनऊ के नगर के लिये एक मास्टर प्लान (महत्वपूर्ण योजना) तैयार करने के लिये भी प्रबन्ध किया।

बनारस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

बनारस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जनवरी, १९४९ ई० में कायम किया गया था और उसे पिछले वित्तीय वर्ष तथा चालू वर्ष में क्रमशः १ लाख रुपये और २ लाख रुपये के अनुदान दिये गये थे। ट्रस्ट ने नगर की हवाई पैमाइश (Air survey) कराई तथा मकानों की योजनाओं और

अन्य योजनाओं के तयार करने का कार्य जारी रक्खा। बनारस में घाटों की मरम्मत करने तथा पुनर्निर्माण का प्रश्न भी विचाराधीन था। इन निर्माण कार्यों मे व्यय होने वाली धनराशि किस प्रकार प्राप्त की जाय, इस मसले के ब्योरों पर विचार करने के लिये ट्रस्ट म्युनिसिपल बोर्ड तथा काशी तीर्थ सुधार ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की एक उपसमिति बनाई गयी थी।

आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पिछले मार्च में कायम किया गया था और चालू वित्तीय वर्ष मे उसे एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। नागरिक (civil) तथा आंकड़े संबंधी (statistical) पैमाइश का एक कार्य जारी था और सुधार योजनाये तैयार की जा रही थीं तथा उन पर विचार हो रहा था।

अध्याय ४

उत्पादन तथा वितरण

२२--कृषि

वर्षा तथा सामान्य स्थिति

इस वर्ष वर्षा देर में आरम्भ हुई और जुलाई के अन्त तथा अगस्त में अत्यधिक वर्षा हुई यहां तक कि प्रान्त के लगभग दो-तिहाई भागों में औसत से अधिक वर्षा हुई। फिर सितम्बर में अधिकांश जिलों मे कुल वर्षा औसत से अधिक हुई। अतः वर्षा देर मे होने के फलस्वरूप देर में बोई गई खरीफ की फसल पर आमतौर से और निचले क्षेत्रों में विशेषरूप से बुरा प्रभाव पड़ा। अक्तूबर के चौथे सप्ताह में प्रान्त के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिणी जिलों मे फिर लगातार भारी वर्षा हुई और पश्चिमी जिलों को छोड़कर इस महीने में कुल वर्षा आमतौर पर औसत से अधिक हुई। इस भारी वर्षा के परिणामस्वरूप देर में बोई गई धान की फसल को कुछ क्षेत्रों में क्षति पहुंची और ज्वार तथा बाजरे की फसलों को खलिहान में नुक़सान पहुंचा। ईख की फसल को भी गेरुई से नुक़सान पहुंचा और बहुत से जिलों में पाइरीला का हमला हुआ। अक्तूबर के चौथे सप्ताह में अधिक वर्षा होने के कारण हाल ही में बोयी गयी रबी फसल के लगभग सभी बीज नष्ट हो गये जिससे इन क्षेत्रों में बीज फिर से बोने की आवश्यकता हो गई। नवम्बर में कुछ जिलों को छोड़कर जहां कि बूंदा-बांदी हुई, प्रान्त भर में वर्षा नहीं हुई और इसके फलस्वरूप लगभग समस्त जिलों में कुछ वर्षा औसत से कम हुई। दिसम्बर में भी प्रान्त भर में वर्षा नहीं हुई। इन महीनों में वर्षा पर्याप्त न होने के कारण बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में रबी की फसल के पौधों पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ा।

क्षेत्रफल और फसलों की पैदावार
गुड़
कपास

खाद्यान्नों के बढ़ हुये मूल्यों के कारण १९४८-४९ ई० में ईख का क्षेत्रफल लगभग ८ प्रतिशत घटकर २१,०१,४९९ एकड़ रह गया और गुड़ की कुल पैदावार केवल २४,५५,३७६ टन हुई, इस प्रकार पहले वर्ष की अपेक्षा ११ प्रतिशत की कमी रही। इसी कारण कपास का क्षेत्रफल २३ प्रतिशत घटकर १,१६,३२७ एकड़ रह गया और पिछले वर्ष की अपेक्षा पैदावार ४४ प्रतिशत घट गई अर्थात् कुल २३,६०१ गांठ कपास हुई जिसमें प्रत्येक गांठ ३९२ पौंड की थी; खरीफ की अन्य फसलों की पैदावार में

भी इस कारण काफी कमी हो गई कि मौसम अच्छा नहीं रहा और अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण फसलों को बड़ा नुक़सान पहुंचा।

जुआर

जुआर का क्षेत्रफल १५ प्रतिशत घटकर २०,३०,९४४ एकड़ रह गया और पैदावार ४८.५ प्रतिशत घटकर २,५८,५२६ टन रह गई। इसी

बाजरा

प्रकार बाजरे का क्षेत्रफल लगभग २ प्रतिशत घटकर २५,४१,२५६ एकड़ रह गया और उसकी पैदावार लगभग ३४ प्रतिशत घटकर ३,३४,७५० टन रह गई। मक्का का क्षेत्रफल ९ प्रतिशत घटकर २०,५८,९६७ एकड़ रह गया और उसकी पैदावार ३६.५ प्रतिशत घटकर ४,७४,४०७ टन रह

चावल

गई। इसके विपरीत धान का क्षेत्रफल ७ प्रतिशत बढ़ कर ८३,३३,५७७ एकड़ हो गया और चावल की पैदावार १९ प्रतिशत बढ़ कर २३,४६,३७९

चना

टन हो गई। चने का क्षेत्रफल ११ प्रतिशत बढ़ कर ६५,०७,१५५ एकड़ हो गया और पैदावार ३ प्रतिशत बढ़ कर १७,७७,६२५ टन हो गई।

गेहूं

गेहूं ८२,२०,८५० एकड़ भूमि में बोया गया और उसकी पैदावार २३,१४,८९४ टन हुई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु पश्चिमी तेज हवाओं और फफूंदी लग जाने के कारण पैदावार ११.५

जौ

प्रतिशत घट गई। जौ का क्षेत्रफल २ प्रतिशत बढ़ कर ४५,६६,१२१ एकड़ हो गया, परन्तु पैदावार १८ प्रतिशत घटकर केवल १४,०३,३५१ टन रह गई।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन

१९५२ ई० के खाद्य के संबंध में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को तेजी के साथ चलाने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया और उन सब लोगों को उदारता के साथ रियायतें दी गईं, जिन्होंने ऊसर और खेती के योग्य परती भूमि में खेती की। बांध बनाने, भूमि को चौरस करने, खेत बनाने, जंगल साफ करने और नालियां निकालने तथा बांध बांधने के लिये बिना ब्याज वाले १,८८,४५७ रुपये के ऋण दिये गये, और बैलों तथा औजारों की खरीद और सिंचाई के लिये कुओं के निर्माण के लिये १२,१८,४६० रुपया ब्याज वाली तकावी के रूप में बांटा गया। इन साधनों से लगभग २१,६३८ एकड़ अतिरिक्त भूमि खेती के योग्य बनाई गयी।

बीज और खाद का वितरण

इस वर्ष बीज के बुनियादी गोदामों तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा रबी के १२,०९,२२० मन उन्नत बीज और खरीफ के २,७९,९५२ मन उन्नत बीज किसानों को बांटे गये। इसके अतिरिक्त फसलों को हरी खाद देने के लिये राज-सहायता के आधार पर १,८६,७२८ मन अमोनियम सल्फेट, १५,७८४ मन अमोनियम फास्फेट, ५२,०८२ मन हड्डी का चूरा, २,५७७ मन सुपर फास्फेट और २२,३५७ मन सनई के बीज दिये गये और यह सब उन विभिन्न प्रकार की ९१,३५६ मन खलियों के अलावा था जो किसानों को दी गई। इन खादों की कमी को पूरा करने के लिये शहर के कूड़े से तैयार की गई ५५,५३,०३९ मन मिलवा खाद (compost) और ग्रामीण क्षेत्रों के कूड़े से तैयार की गयी २,७३,५८,२९० मन मिलवा खाद भी फसलों को तैयार करने के लिये काम में लाई गयी।

सबसे अच्छी फसल तैयार करने के लिये पुरस्कार

इस विचार से कि किसानों में अच्छी फसल पैदा करने के लिये दिलचस्पी बढ़े और उनमें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न की जाय, सबसे अच्छी फसल पैदा करने वालों को पुरस्कार देने की एक योजना चलाई गयी। प्रान्त भर के ३८१ किसानों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनको १३,५८० रुपये के पुरस्कार दिये गये।

बागबानी सम्बन्धी विकास

तरकारियों के २० लाख से अधिक पौधे जनता को इमदादी दरों पर दिये गये और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आलू के बीज तथा जल्दी पैदा होने वाली तरकारियों के बीज किसानों को रियायती दरों पर बांटे गये। पेड़ लगाने का आन्दोलन भी तेजी से चलाया गया और इस वर्ष फसल, ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी के कुल ११,२७,२८० पेड़ लगाये गये। लखनऊ के आलमबाग और बटलर पैलेस के तरकारी के फार्मों में ताजी तरकारियां और आलू पैदा किये गये।

दो नये अनुसंधान केन्द्र (Research Station)—एक फलों का सहारनपुर में और दूसरा तरकारियों का लखनऊ में—इस वर्ष के समाप्त होने के ठीक पहिले चालू किये गये।

रोगमुक्त आलू के बीज

फर्रुखाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर और मुरादाबाद जिलों में १४,१०० मन से अधिक आलू के रोगमुक्त बीज बोने के लिये किसानों में बांटे गये। इनमें लगभग ९९ प्रतिशत बीज उगे और इन रोगमुक्त बीजों से २७५ मन प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार हुई जबकि साधारण बीजों से केवल १५० मन पैदावार हुई। उसके अतिरिक्त आलू की पैदावार बढ़ाने के लिये पिछले वर्ष की तरह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम पुरस्कार ५,००० रुपये का रक्खा गया था। खाद्य की कमी को दूर करने के विचार से भारत सरकार की ओर से शकरकन्द के विकास की एक योजना आरम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत ५,००० एकड़ भूमि में शकरकन्द बोने का लक्ष्य रक्खा गया था।

पौधा संरक्षण सेवा

फसलों और फल के पेड़ों को कीड़ों और बीमारियों से नष्ट होने से बचाने के लिये विभिन्न उपाय काम में लाये गये। विभिन्न जिलों में टिड्डों को जहर देकर और जाल में फंसा कर मारने का प्रबन्ध किया गया और आम के पेड़ में लगने वाले कीड़ों से बचाव करने के लिये ११,५०० आम के पेड़ों पर डी० डी० टी० छिड़का गया। कुमायूं की पहाड़ियों में सेब, नाशपाती, आड़ू और गुलाब के लगभग एक हजार पेड़ 'सान जोज स्केल' कोड़े के प्रभाव से मुक्त किये गये, और "स्टेम ब्लैक, स्टेम ब्राउन, कालरराट और पिंक" बीमारियों से बचाने के लिये सेब के २,००० से अधिक पेड़ों में 'चौबत्तियां पेस्ट' का प्रयोग किया गया, और "डाई बैक" बीमारी से बचाने के लिये १०० से अधिक जंबीरा के पेड़ों में भी 'चौबत्तियां पेस्ट' का प्रयोग किया गया। बहुत से फार्मों, खेतों और बागों में खेत के चूहों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और लगभग ७,००० चूहों के बिलों और ११ गोदामों में धूनी देकर विसंक्रमित किया गया या उनमें जहर की गोलियों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग २,००० मन रबी के बीज और १,००० मन खरीफ के बीजों को 'स्मट और बन्ट' बीमारियों से बचाने के लिये 'अग्रोसन सीऐन' का प्रयोग किया गया और प्रान्त के पूर्वी जिलों में लगभग ८०० एकड़ क्षेत्रफल में ईख में लगने वाली गेरुई बीमारी से बचाने के लिये सफल आन्दोलन चलाया गया।

किसानों के लड़कों को ट्रेनिंग

किसानों की आने वाली पीढ़ी में खेती करने के आधुनिक ढंगों का प्रचार करने के विचार से सरकारी फार्मों और गोरखपुर के एग्रीकल्चरल स्कूल में किसानों के लड़कों को खेती के उन्नत ढंगों में ट्रेनिंग देने की योजना चालू रही और उसके परिणाम संतोषजनक रहे।

जूट विकास

इस प्रान्त को जूट में आत्मनिर्भर बनाने के विचार से पिछले वर्ष एक जूट विकास योजना चलाई गई थी और जूट की खेती करने के लिये १५,००० एकड़ भूमि का लक्ष्य रक्खा गया। पर यह लक्ष्य बढ़ गया और लगभग १७,७४० एकड़ क्षेत्र में जूट की खेती की गई अर्थात् लक्ष्य से १८ प्रतिशत क्षेत्र बढ़ गया। इसके अतिरिक्त नैनीताल तराई कालोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत १,००० एकड़ क्षेत्र में भी जूट बोया गया। बहराइच जिले में ३८,९८८ एकड़ भूमि में एक जूट प्रदर्शन (demonstration) फार्म खोला गया जिसमें से लगभग ८० एकड़ भूमि में जूट बोया गया और शेष भूमि में अन्न की खेती और विशेष रूप से धान की खेती की गई।

कृषि सम्बन्धी अनुसंधान

कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर खेतों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान-कार्य जारी रहा। शाहजहांपुर के शुगरकेन रिसर्च स्टेशन के डाइरेक्टर, खाद्यान्न और तिलहन के दो इकोनामिक बोटैनिस्ट, एग्रिकलचरल केमिस्ट, प्लान्ट पैथोलाजिस्ट, कानपुर के गवर्नमेंट इन्टामोलाजिस्ट, कानपुर और नगीना के असिस्टेंट इकनामिक बोटैनिस्ट और बागबानी के डिप्टी डाइरेक्टर, सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसन्धान-कार्य किया, जिनमें धान, कपास, फल, तरकारियों इत्यादि का अनुसंधान सम्मिलित था।

नया प्रयोग

इस विचार से कि खेती के योग्य भूमि के उस बड़े क्षेत्र का उपयोग किया जाय जो वर्षा के दिनों में आम तौर पर परती रक्खा जाता था और जिसमें आने वाले जाड़ों में गेहूं बोया जाता था, और साथ ही साथ इस विचार से कि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाया जाय, बरसात के महीनों में बोने के लिये मूंग टी १ की एक किस्म चुनी गई। इस मूंग में विशेष बात यह है कि यह बहुत जल्दी उगती और पकती है और इतनी जल्दी काटी जा सकती है कि बाद को रबी की फसल में गेहूं बोने के लिये भूमि तैयार करने का समय मिल जाता है।

प्रख्यापन तथा प्रचार

इस कार्य की ओर पूरा ध्यान दिया गया जैसा कि इसके लिये आवश्यक था। इसके अतरिक्त अनुसंधान संबंधी प्रमुख पत्र तथा पत्रिकाओं में कृषि संबंधी विभिन्न लेख प्रकाशित किये गये और कृषि सम्बन्धी विषयों पर प्रेस नोट जारी किये गये और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन का प्रचार करने के लिये आल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से बहुधा बातें प्रसारित की गईं। छोटे और बड़े कृषि प्रदर्शनों का भी आयोजन किया गया जिससे जनता प्रान्त के कृषि संबंधी विकास में दिलचस्पी ले।

२३—वन

सामान्य

यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट) के अधीन निजी जंगलों तथा बागों में कुछ किस्म के पेड़ों का काटना रोक दिया गया और आलोच्य वर्ष में कुमायूं, नयाबाद और बंजर भूमि के ऐक्ट के अधीन निर्मित नियम अंतिम रूप से लागू कर दिये गये।

भूमि प्रबन्धक सर्किल (लैंड मैनेजमेंट)

भूमि प्रबन्धक सर्किल, जो १९४५ ई० में ईंधन तथा चारे के लिये भूमि-व्यवस्था करने और इमारती लकड़ी के पेड़ लगाने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी अपनी कार्यवाहियां बढ़ाती रही। इसने सड़क के किनारे छायादार पथ बनाने का भी कार्य किया, क्योंकि यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से हटाकर वन विभाग के अधीन कर दिया गया था। लखनऊ,

बरेली, रायबरेली, कानपुर जिलों में सड़कों के किनारे-किनारे कई मील तक नये पेड़ लगाये गये। सरकारी भूमि जैसे नहर के किनारे, रेलवे की भूमि और कैम्प लगाने की भूमि में भी पेड़ लगाने का कार्य किया गया।

भूमि प्रबन्धक बोर्ड

भूमि प्रबन्धक बोर्ड की तीसरी बैठक २३ दिसम्बर, १९४९ ई० को लखनऊ में हुई। बोर्ड ने अन्य विषय के साथ-साथ प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों के आस-पास बंजर जमीन पर इमारती और ईंधन के काम में आने वाले पेड़ों के पौधे लगाने, रेलवे की भूमि पर वृक्षारोपण तथा भूमि प्रबन्धक सर्किल द्वारा हाल में हस्तगत क्षेत्रों के प्रबन्ध इन क्षेत्रों में सामान्य रूप से चराई तथा विशेषकर बकरियों द्वारा चराई पर नियंत्रण करने के बारे में विचार विमर्श किया।

बन-उपज की उपयोगिता (Forest Utilization) के सम्बन्ध में मंत्रणा परिषद् (Advisery Board)

वन उपज की उपयोगिता के संबंध में मंत्रणा-परिषद् की दूसरी बैठक मार्च, १९४९ ई० को लखनऊ में हुई। बोर्ड ने बन-उपज के लाने-ले जाने के लिये और अधिक रेलवे प्राथमिकता देने तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये, जिसमें खेल-कूद के सामान बनाने और रेशम के कीड़े पालने के धंधे सम्मिलित हैं, कच्चा माल पैदा करने के वास्ते वृक्षारोपण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किये।

इमारती लकड़ी

शरणार्थियों को फिर से बसाने और बहुत से प्राइमरी स्कूल बनाने के लिये एक बड़ी मात्रा में मारती लकड़ी सप्लाई की गई। पिछले वर्ष निश्चित संशोधित कार्यविधि के आधार पर रेलवे को स्लीपरों की सप्लाई करने की व्यवस्था की गई और रेलवे की पटरी पर बिछाये जाने वाले ३,६०,००० साल के स्लीपर, २,००,००० चीड़ के स्लीपर और ८०,००० क्यूबिक फीट पुल और फाटक बनाने के लिये साल के स्लीपर सप्लाई किये गये। इसके अतिरिक्त दियासलाई और प्लाइवुड आदि के उद्योग-धंधों के हित में एक बड़ी संख्या में सेमल तथा अन्य किस्म के पेड़ बेचे गये।

ईंधन नियंत्रण

कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ नगरों को छोड़कर, प्रान्त में पिछले वर्ष ईंधन के लाने-ले जाने पर और उसके मूल्य पर से जो नियंत्रण हटा लिया गया था उसे आलोच्य वर्ष में फिर लागू कर दिया गया।

कार्य योजनायें

दक्षिणी खीरी, बांदा और उत्तरी दोआब डिवीजनों के लिये कार्य योजनायें सम्पन्न की गई और तराई तथा भाबर फारेस्ट डिवीजनों के लिये योजनाओं के संशोधन कार्य में प्रगति होती रही। पश्चिमी अलमोड़ा तथा पीलीभीत फारेस्ट डिवीजनों के लिये दो नई योजनायें भी हाथ में ली गई।

बन पंचायतें

कुमायूं में बन प्रबन्ध की विशेष बात यह है कि एक बन पंचायत अफसर के नियंत्रण में बहुत से बनों का प्रशासन पंचायतों द्वारा किया गया। ३१ मार्च, १९४९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक कुल १,०४३ पंचायतें २५० वर्ग मील क्षेत्र में कार्य कर रही थीं। इनके अतिरिक्त ३१ मार्च, १९४९ को देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में भी २६ पंचायतें कार्य कर रही थीं।

लीसा (Resin)

इण्डियन टरपेनटाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली को कुमायूं से लगभग १,३०,००० मन लीसा सप्लाई किया गया। इसके अतिरिक्त १,५०० मन लीसा की थोड़ी सी मात्रा सोमेश्वर की कुमायूं टरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन फैक्ट्री को दी गई।

चमड़ा कमाने का सामान

पहाड़ों में सरपत के वृक्षों का लगाया जाना सम्भव है या नहीं इस सम्बन्ध में प्रयोग अब भी किये जा रहे हैं और बबूल, जो चमड़ा कमाने का एक विशेष साधन है, मुख्यतया नहर के तटों पर उगाया गया।

इन्टरनेशनल फारेस्ट्री ऐन्ड टिम्बर यूटिलाइजेशन कान्फरेन्स

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन की इन्टरनेशनल फारेस्ट्री ऐन्ड टिम्बर यूटिलाइजेशन कान्फ्रेंस २८ मार्च से ८ अप्रैल, १९४९ ई० तक मैसूर में हुई और उसमें उस समय के चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स यू० पी० ने भाग लिया।

वित्तीय स्थिति

१९४८–४९ ई० के वित्तीय वर्ष में बन विभाग का अवशिष्ट राजस्व १,५६,५०,००० रुपये था और यह आशा थी कि १९४९–५० ई० में वह १,८२,०३,४०० रुपये के लगभग हो जायगा।

२४—उद्योग-धन्धे

भारी उद्योग धन्धे

दो स्थूल उद्योग-धन्धों की योजनाओं अर्थात् गवर्नमेन्ट सीमेंट फैक्टरी प्राजेक्ट तथा गवर्नमेन्ट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेन्ट फैक्टरी प्राजेक्ट ने काफी प्रगति की। पहिली योजना के सम्बन्ध में जो मुख्य कार्य किया गया वह कंकड़ (lime stone) तथा जम्बशिला (shale) के निस्सादों (deposits) के सम्बन्ध में अनुमान लगाना था और इन कच्चे सामानों का विश्लेषण करना था।

(क) गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी प्राजेक्ट

गवर्नमेन्ट सीमेंट फैक्टरी प्राजेक्ट का जियोलोजिस्ट और कानपुर के हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीटयूट में नियुक्त कर्मचारिवर्ग इस कार्य में वर्ष भर लगे रहे। लगभग ३५० कंकड़ तथा जम्बशिला के नमूने छांटे गये और उनका विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त सीमेंट फैक्टरी प्राजेक्ट के सम्बन्ध में जो इमारतें निर्माण की जाने वाली थीं उनमें से अधिकांश के लिये मानचित्र तथा योजनायें तैयार की गईं।

चूंकि फैक्टरी के लिए मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज के समीप भूमि प्राप्ति के लिये कार्यवाहियां पूरी हो गई थीं इसलिये उससे संबन्धित कुछ इमारतों के निर्माण के लिए कार्यवाही की गई। फैक्टरी की मुख्य इमारत के निर्माण का कार्य १९५० ई० के मध्य में प्रारम्भ होने वाला था जब कि यूनाइटेड किंगडम से स्थिर-यंत्र तथा मशीनें भी आनी शुरू हो जायंगी। इस समय सीमेन्ट के लिये जिन कच्चे सामानों की आवश्यकता होगी उनके उपलब्ध हो सकने के संबन्ध में अनुमान लगाने का कार्य जारी रहा।

(ख) गवर्नमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी

स्विटजरलैंड से बहुत ही अधिक योग्यता प्राप्त आठ जर्मन टेक्निशियन बुलाए गये और वे इस प्राजेक्ट के लिये रक्खे गये। लखनऊ के गवर्नमेन्ट टेक्निकल स्कूल के अहाते में फैक्टरी स्थापित की गई और टेक्निशियनों ने आवश्यक मानचित्र तथा जिग्स (Gigs) तैयार किये। यह आशा की जाती थी कि थोड़े ही समय के भीतर फैक्टरी वाटर मीटर तथा अन्य प्रिसीजन यंत्र तैयार करने लगेगी।

गवर्नमेन्ट वर्कशाप, रुड़की

इस वर्कशाप ने कृषि के निमित्त औजार तैयार करने तथा सरकारी विभागों के लिये कुछ साधारण काम करना जारी रक्खा। उसने ईस्ट पंजाब रेलवे के लिये भी जिसके वर्कशाप को पाकिस्तान की सरकार ने ले लिया था बहुत काफी काम किया। इस वर्कशाप को ७,५०,००० रुपये की लागत का ट्रांसमिशन मीनारों के निर्माण (Prefabrication) के लिये शारदा हाइडिल डिवीजन से एक बहुत बड़ा आर्डर मिला और यह सम्भावना थी कि इस आर्डर के पूरा करने में ढाई वर्ष का समय लग जायगा।

टेक्निकल ट्रेनिंग

टेक्निकल ट्रेनिंग (शिक्षण) संस्थाओं में छात्रों की संख्या जो गत वर्ष १,२३२ थी बढ़कर १,३०२ हो गई। इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले

विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी ५ रु० से लेकर ६० रु० तक की २५६ छात्रवृत्तियों तथा प्रति विद्यार्थी ४ रु० से लेकर २५ रु० तक के ७९६ छात्र वेतनों (stipends) के अतिरिक्त प्रति विद्यार्थी ७५ रु० से लेकर १५० रु० तक की भारत सरकार की बारह छात्रवृत्तियां तथा प्रति विद्यार्थी १५० रु० की संयुक्त प्रान्तीय अनुसंधान समिति (U. P. Research Committee) की दस छात्रवृत्तियां दी गईं। प्रति विद्यार्थी ५० रु० प्रति मास के हिसाब से १३ छात्रवृत्तियां संयुक्त प्रान्त के उन योग्य विद्यार्थियों को दी गयीं जो धनबाद, बंगलोर और बम्बई के अन्य भारतीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे थे। टेकनिकल इंस्टिट्यूटों के मौजूदा पाठ्य विषयों की जांच करने तथा उसमें परिवर्तन करने के लिये एक समिति इस उद्देश्य से बनाई गई कि पाठ्य विषयों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाय। समिति ने अपना कार्य पूरा कर दिया था और अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में व्यस्त थी।

टेकनिकल संस्थाओं को सहायक अनुदान

निजी तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली ६३ टेकनिकल और औद्योगिक संस्थाओं को कुल १,८७,६०० रु० के सहायक अनुदान दिये गये।

आकूपेशनल (कमाऊ धंधों सम्बन्धी) शिक्षण संस्थायें

दो कक्षाओं अर्थात् (१) जनरल मेकेनिक्स क्लास तथा (२) ट्रेनिंग क्लास खोलकर इलाहाबाद का आकूपेशनल इन्स्टीटयूट जुलाई से चलने लगा।

अनुसंधान (रिसर्च)

वर्ष में अनुसंधान संबन्धी निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान दिया गया:—

१—निबौरी और नीम के तेल का उपयोग करना।
२—फोटोग्राफिक, प्रिंटिंग पेपर तथा कट फिल्मों का प्रश्न।
३—धातुओं को बहुत से नमूनों में रंगना।
४—दूसरी धातुओं पर अलूमिनियम का मुलम्मा चढ़ाने की विशेषतायें और अलूमिनियम पर दूसरे धातुओं का मुलम्मा चढ़ाने की विशेषतायें।
५—सोल स्पिलिटिंग (जूतों के तल्ले काटने की) मशीन बनाना।
६—राष्ट्रीय झंडे के रंग का प्रमाणीकरण।
७—जूतों के तल्लों और फुटबाल के लिए उन्नत प्रकार के चमड़े बनाना।

उद्योग-धंधों की सहायता

कोयला—इंजिन के कोयले (स्टीम कोल) तथा शाफ्ट कोक की स्थिति काफी सुधर गयी परन्तु हार्ड कोक की स्थिति अब भी अच्छी नहीं थी। वर्ष के आरम्भ में हार्ड कोक का प्रान्तीय कोटा ७८ वैगन से कम करके २८ वैगन प्रति मास कर दिया गया, परन्तु बाद में इसे बढ़ाकर ६४ वैगन प्रतिमास कर दिया गया। टेहरी-गढ़वाल, बनारस और रामपुर रियासतों के इस प्रान्त में मिला दिये जाने पर इन रियासतों को दिये जाने वाले कोयले का कोटा संयुक्त प्रान्त को दे दिया गया। रबर तथा डेरी उद्योगों के कोयले के कोटों को भी भारत सरकार ने प्रान्त के नियंत्रण में रख दिया।

इमारती सामान—इमारती सामान के वितरण के सम्बन्ध में एकीकरण (कोआर्डिनेशन) योजना के अन्तर्गत ४,००० टन सीमेंट, १,५०० टन इस्पात और २०० वैगन कोयले का चूरा (कोल डस्ट) प्रान्त के उद्योगों को अपने इमारती कार्यक्रम के लिये नियत मात्रा में बांटने के हेतु दिया गया।

वर्ष में आगे चलकर यह भी निश्चय किया गया कि कोल्ड स्टोरेज बनाने तथा आइस प्लांटों (बरफ बनाने की मशीन) के लगाने के लिये सीमेन्ट तथा शक्कर के कारखानों को अपने इमारती कार्यक्रम के सम्बन्ध में ईंट पकाने के लिये कोयले का चूरा नियत परिमाण में प्रान्तीय कोटे से दिया जायगा। परन्तु इमारतों के विस्तार तथा बड़े पैमाने पर संगठित उद्योगों के सम्बन्ध में नई इमारतों के लिये इमारती सामान का एलाटमेंट प्रांतीय सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया।

इस्पात का एलाटमेंट—दो सौ दस टन इस्पात कुटीर और छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले उद्योगों को वितरित करने के लिये दिया गया और इसे प्रमुख कुटीर उद्योगों जैसे साइकिल के हिस्सों तथा शल्य चिकित्सा संबन्धी यंत्रों आदि को बनाने के उद्योगों को एलाट किया गया।

टिन प्लेट—खाने के तेल तथा अन्य खाद्य-पदार्थों के पैकरों को सप्लाई करने के हेतु टिन के बर्तनों को बनाने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त प्रान्तीय सरकार के तेल विशेषज्ञ (आयल एक्सपर्ट) के परामर्श से टिन के प्लेटों को हर तीसरे महीने रजिस्टर्ड फैब्रिकेटरों (प्रनिर्माताओं) को दिया।

टैंक वैगन—चीफ आपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट, ईस्ट इन्डियन रेलवे, कलकत्ता ने संयुक्त प्रांतीय तेल विशेषज्ञ के परामर्श से विभाग के अधिकार में जो बहुत से वैगन रक्खे थे उनमें से विभाग ने विभिन्न तेल के मिलों को प्रत्येक मिल का तेल पेरने की क्षमता के आधार पर सरसों के तेल को लाने-ले जाने के लिए टैंक वैगन एलाट किया।

लोह रहित पीतल के धातु आदि—मिर्जापुर और मुरादाबाद के जिला मैजिस्ट्रेटों की सलाह से विभिन्न पार्टियों को टिन के काम के लिये टिन एलाट करने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त चूंकि राज्य की ओर से टिन का व्यापार करना बंद कर दिया गया था इसलिये उन व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जो टिन मंगाना चाहते थे पहले की भांति इम्पोर्ट लाइसेन्स को जारी कराने के लिये चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट्स, नई दिल्ली के पास जाना पड़ा। उद्योग और रसद के डाइरेक्टोरेट जनरल, नई दिल्ली ने प्रान्तीय सरकार के परामर्श से प्रान्त के पीतल के कुटीर उद्योग को डिस्पोजल्स के स्टाकों से लौह रहित पीतल की धातुओं को एलाट करना आरम्भ किया। पेट्रोल, मिनरल, टरपेनटाइन, रासायनिक पदार्थ, लिकेरील वायर, सिलीकोन की चादरें, डिजेल आयल, मिट्टी का तेल आदि के दिये जाने के लिये भी सिफारिश की गई जिनकी आवश्यकता प्रान्त के औद्योगिक संस्थाओं को थी।

इम्पोर्ट लाइसेंस के सर्टिफिकेट—बाहर से आने वाले माल (imports) पर प्रतिबन्ध लगे रहने के कारण विभाग को औद्योगिक कारोबार की आवश्यकताओं को प्रमाणित करना पड़ता था और इस बात की कोशिश की गई कि सभी असली मामलों का समर्थन किया जाय।

छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले कुटीर तथा ग्राम-उद्योगों को निम्नलिखित विभिन्न विभागीय योजनाओं द्वारा सहायता दी गई :—

करघे की बुनाई—करघे की बुनाई (handloom weaving) प्रान्त में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग था, क्योंकि इसमें आठ लाख लोग रोजगार में लगे हुये थे। २·५ लाख करघे चालू थे जिनमें ६,८०,००,००० पौंड सूत की खपत थी। इन करघों से १४ करोड़ रुपये के मूल्य का ३१,८०,००,००० गज कपड़ा प्रति वर्ष तैयार किया जाता है जो कि प्रान्त की कपड़े की आवश्यकता का २५ प्रतिशत है। इस उद्योग के और अधिक विकास के लिये उन्नत औजारों के विकास में भी चालू विभाग ने सहायता दी। इसके अतिरिक्त वर्ष में लगभग २०० नये डिजाइन भी चालू किये गये। एक आदर्श बुनाई और एक रंगाई का प्रदर्शन कारखाना (फैक्टरी) मऊ में खोला गया और हैंडलूम के तीन नये स्टोर खोले गये जिससे स्टोरों की कुल संख्या बढ़कर दस हो गई। ४२ जिला और ६१५ प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटियां थीं और वर्ष में सरकारी स्टोरों तथा इन सोसाइटियों द्वारा १२ लाख गज कपड़ा तैयार किया गया।

रेशम के कीड़े पालना (सेरीकल्चर)—यह योजना देहरादून में डोईवाला और प्रेमनगर में चल रही थी। झाड़ीदार शहतूत की लगभग ८०,५०० कलमें (कटिंग) लगाई गईं। गांवों में रेशम के कीड़े पालने वालों से कहा गया कि वे सेमर रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिये रेंडी की पत्तियों को काम में लावें और उनसे रेंडी की पत्तियां कीड़ों को खिलवाई भी गईं। लगभग ४ मन ११ सेर सेमर का कोवा और १ मन २१ सेर शहतूत का कोवा तैयार किया गया। दस व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई और डोईवाला और देहरादून के गांवों के बहुत से परिवारों को कीड़े पालने का काम आरम्भ करने के लिए राजी भी किया गया।

ऊन—यह योजना अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और बिजनौर के जिले में चलती रही। बुनाई और रंगाई के ९ और कताई के ६९ केन्द्रों में इस योजना के अनुसार काम हुआ। दो सौ सत्तानबे मन ऊन काम करने वालों में बांटा गया।

खादी विकास—खादी रिसर्च और डिमान्सट्रेशन इंस्टीट्यूट ने, जो फरवरी, १९४८ ई० में इलाहबाद में खोला गया था, रूई धुनने और कातने में उच्च श्रेणी की ट्रेनिंग देना तथा रूई और उन्नत किस्म के चरखों के सम्बन्ध में प्रयोग करना जारी रक्खा। बुनाई और चरखा बनाने के सम्बन्ध में भी ट्रेनिंग आरम्भ की गई। इंस्टीट्यूट के मैदानों में नर्मा, कोकटी और कम्बोडिया जैसी विभिन्न प्रकार की रूई बोई गई और इस सम्बन्ध में खोज-कार्य किया गया कि हाथ की कताई के लिए वह कहां तक उपयुक्त है। तीन उन्नत प्रकार के चर्खे चालू किये गये अर्थात् ग्राम चरखा, मगन चर्खा और सव्य सांची चर्खा। ठेके के आधार पर नियुक्त किये गये ६०० स्थानीय कारीगरों से गांवों के लगभग १८,००० कातने वालों ने ट्रेनिंग प्राप्त की और गांवों के कातने वालों ने ४७२ मन सूत तैयार किया। खादी बुनने के लिये शिक्षण कक्षायें (tuitional classes) चलाई गईं जिनमें उन्नत किस्म की खादी तैयार करने के सम्बन्ध में ५४ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई। वर्ष में चर्खा उत्पादन के नौ सहायता प्राप्त केन्द्रों में काम हुआ और लगभग १०,००० चर्खा सेट खादी केन्द्रों को सप्लाई किये गये। किसान आश्रम के सरकारी केन्द्र में ४,३९५ रु० के मूल्य की ३,६७५ गज खादी तैयार की गयी।

गुड़ विकास--यह योजना ४४ गुड़ उत्पादन जिलों के ८,००० गांवों में चलाई गई और गुड़ बनाने के उन्नत तरीकों के सम्बन्ध में ६०० गन्ना उत्पादकों को ट्रेनिंग दी गई। तकावी पर १५ लाख रुपये के मूल्य के उन्नत किस्म के १, ७९० कोल्हू, २,००० कड़ाहे और ५०० घानियों की सप्लाई करने की व्यवस्था की गई। वर्ष के अन्त तक उन्नत किस्म की ३,००० से अधिक भट्ठियां बनाई गईं। शक्कर की कमी को दूर करने तथा साफ गुड़ का प्रचार करने के उद्देश्य से इसको बनाने और बेचने का कार्य लगभग ६ केन्द्रों में आयोजित किया गया। इटावा की कारबन बनाने वाली फैक्टरी ने ४ आना प्रति पौंड के हिसाब से गन्ना उत्पादकों को सप्लाई करने के लिये १५० मन कारबन तैयार किया। विभिन्न मेलों और प्रदर्शिनियों में शिक्षाप्रद और रोचक कोर्ट (courts) स्थापित किये गये।

शिक्षण कक्षायें (ट्यूशनल क्लासेज)--वर्ष में छत्तीस नयी कक्षायें खोली गयीं जिससे कि सभी शिक्षण कक्षाओं की कुल संख्या बढ़कर १२६ हो गई।। उत्पादन केन्द्रों की संख्या १० से बढ़कर ३४ हो गई और कुल ३,४६,००० रु० का सामान तैयार किया गया। शिक्षण कक्षाओं ने प्रान्त की महत्वपूर्ण प्रदर्शिनियों में भाग लिया, जहां कक्षाओं में बनाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया और उनकी बिक्री को प्रोत्साहित किया गया। शिक्षण कक्षाओं की एक बड़ी विशेषता यह थी कि स्टोर्स पर्चेज विभाग द्वारा सरकार के सभी विभागों के काम में आने वाली वस्तुओं को वे बनाती थीं और सप्लाई करती थीं। इस प्रकार सप्लाई की हुई वस्तुओं का कुल मूल्य २,००,००० रु० से अधिक था।

कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन--वर्ष में रेल से माल लाने-ले जाने की स्थिति तथा कोयले के मिलने में काफी सुधार हुआ और बड़े पैमाने पर चलने वाली फैक्टरियों को काफी कोयला मिला ताकि उत्पादन बराबर जारी रहे। दूसरे कच्चे माल के मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं थी, परन्तु मार्च से आरम्भ होने वाले व्यापार में आम मन्दी के कारण कांच व्यापार की सभी शाखाओं में होने वाली बिक्री पर और विशेषकर बोतल के व्यापार पर बुरा असर पड़ा, यहां तक कि वर्ष के अन्तिम महीनों में बोतल के कारखाने अपने उत्पादन का एक तिहाई भी मुश्किल से बेच सके। फिरोजाबाद के ७६ कारखानों (फैक्टरियों) में 'कम्बीनेशन सिस्टम' चालू किया गया। चूड़ियों का मूल्य संतोषप्रद स्तर पर स्थिर रहा और चूड़ियों के उद्योग में मन्दी उतनी विकट नहीं थी जितनी की कांच उद्योग की अन्य शाखाओं में। कांच के कारखानों ने सभी के काम आने वाली चीजें तैयार कीं, मुख्यतया कांच का खोखला सामान, गिलास, चिमनियां, प्रयोगशाला का सामान, बोतलें और कांच की चादरें। ग्लास टेक्नोलाजी सेक्शन ने ऐसे बड़े बड़े सामानों को तैयार करने के बजाय जिनपर व्यय अधिक होता है, इस उद्योग को निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में सहायता देने की ओर ध्यान दिया, दिन-प्रति-दिन की समस्यायें, कच्चे माल का विश्लेषण संबन्धी नियंत्रण और इस की जांच, उत्पादन नियंत्रण में सुधार, कन्ट्रोल के औजारों का चालू करना और आम तौर से इस उद्योग को एक सूत्र में बांधने के उपाय। कांच की गुरियों के उद्योग (glass bead industry) में और अधिक उन्नति हुई और कुटीर वर्कशापों की संख्या ७० से बढ़कर १०० से भी अधिक हो गई। किस्म (क्वालिटी) पर जोर दिये जाने के कारण अच्छे नतीजे निकले और यह उद्योग इतना बढ़ गया कि वह अपनी तैयार की हुई चीजों का आस-पास के देशों को निर्यात करने के सम्बन्ध में भी सोचने लगा।

इत्र आदि (एसेन्शल आयल्स)--गुलाब, बेला और चमेली के फूलों से इत्र बनाने के लिये इनका अर्क खींचा गया और नतीजे काफी संतोषप्रद पाये गये। उनके अर्क निकालने के सम्बन्ध में कन्नौज, कानपुर और बरहमपुर में बहुत से प्रयोग भी किये गये।

किस्म की छाप (Quality Marking)--किस्म का स्टैंडर्ड समान न होने के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने किस्म की छाप लगाने की योजना (Quality Marking Scheme) मंजूर की ताकि ऐसी वस्तुयें पास की जाय जिनकी किस्में गलीचों, चमड़े के जूतों, अलीगढ़ के तालों और हैंडलूम के कपड़ों के सम्बन्ध में निर्धारित स्टैंडर्ड की हों। लेकिन शुरुआत सिर्फ अलीगढ़ के तालों, चमड़े के जूतों और हैंडलूम के कपड़ों से की गयी।

ऋण तथा अनुदान--कुटीर उद्योगों के विकास के लिये ऋण तथा अनुदान देकर नवयुवकों, संगठित संस्थाओं और सहकारी समितियों को सहायता देने की योजना १९४७ ई० में चालू हुई और उसके अनुसार वर्ष भर कार्य होता रहा और क्रमशः ३, ३६,१५० रु० तथा २, ३२, ००० रु० तक के ऋण तथा अनुदान स्वीकृत किये गये।

चिकन--इस पुराने चिकन उद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत, जिसका किसी समय लखनऊ में काफी विकास हुआ था, यह प्रयत्न किया गया था कि चिकन का काम करने वाली गरीब औरतों की सहायता की जाय और उन्हें उनके सदियों पुराने शोषकों से बचाया जाय। १,०८,४१६ रु० की लागत का माल तैयार किया गया और बहुत सी नयी डिजाइनें चालू की गयीं।

फल से बनी हुई वस्तुयें--प्रान्तीय सरकार ने फ्रूट प्राडक्ट्स आर्डर, १९४८ ई० के लागू करने का काम मार्च, १९४९ ई० से अपने हाथ में ले लिया था और युक्त प्रान्त में भारत सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को खपा लिया गया था। फ्रूट प्राडक्ट्स के इन्स्पेक्टर के पद का नाम सुपरिन्टेन्डेंट कर दिया गया और अतिरिक्त क्लर्की अमले के साथ दो और इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये। बिना लाइसेंस के माल तैयार करने वालों का पता लगाया गया और फ्रूट प्राडक्ट्स आर्डर, १९४८ ई० का उल्लंघन करके तैयार की गई या लेबिल लगाई गई वस्तुओं की बिक्री के रोकने की कोशिश की गई। बिना लाइसेंस के माल तैयार करने वाले ८६ व्यक्तियों को इस आशय की नोटिसें दी गई थीं कि फल से तैयार की गई वस्तुओं का बनाना उस समय तक के लिये बन्द कर दिया जाय जब तक कि वे सफाई और स्वच्छता से उनके उत्पादन का प्रबन्ध न कर लें और लाइसेंस न प्राप्त कर लें। फल संरक्षण अनुसंधान तथा टीन के डिब्बों में भरने की संस्था (Fruit Preservation Research and Canning Institute) की स्थापना की योजना स्वीकृत की गई थी और इसे यथाशीघ्र स्थापित करने के प्रबन्ध किये जाते रहे।

कुटीर तेल उद्योग—कुटीर तेल उद्योग योजना (Cottage Oil Industry Scheme), जो प्रयोगात्मक और प्रदर्शनात्मक आधार पर कार्यान्वित की जा रही थी, वर्ष में ३० और जिलों में चालू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत वर्धा तेल घानियों को चालू करने के प्रयत्न होते रहे जिनसे गांव की पुरानी घानियों की तुलना में तेल का अपेक्षाकृत अच्छा उत्पादन होता है। इस किस्म की घानियों को बनाने में गांव के ६० बढ़इयों को भी ट्रेनिंग दी गई।

हाथ से बना हुआ कागज—कांस से जो कागज हाथ से बनाया गया वह काफी संतोषप्रद था और बेब (baib), घास से अच्छे किस्म का कागज हाथ से तैयार करने के सम्बन्ध में प्रयोग किये गये। अनुसंधान सम्बन्धी निम्नलिखित समस्याओं की जांच पड़ताल भी की गई :—

(१) लकड़ी के बुरादे और दूसरे सेलेलोसिक मिक्स्चरों (मिश्रणों) से महीन परत के कागज के तख्तों को तैयार करना।

(२) कांस की रासायनिक परीक्षा।

(३) हाथ से बने हुये कागज और अन्य वस्तुओं को तैयार करने के लिये सस्ते दर पर सेलेलोसिक के कच्चे माल को प्राप्त करना।

कालपी और फैजाबाद में हाथ से कागज बनाने की ट्रेनिंग दी गई। फैजाबाद के स्कूल में १, १५० रु० की लागत की कागज की लुब्दी से चीज तैयार की गई। जिल्दें और सोखता (ब्लाटिंग पेपर) तैयार करने का काम भी हाथ में लिया गया।

गवर्नमेन्ट यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स—इस संगठन की नीति अथवा कार्य-संचालन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। यह अपनी दूकानों और एजेंसियों द्वारा पहिले की तरह कार्य करता रहा और वर्ष में ४,१८,.५० रु० की बिक्री हुई।

प्रदर्शिनियां—विभाग ने २६ महत्वपूर्ण प्रदर्शिनियों में, जो प्रान्त में संगठित की गई थीं, भाग लिया और उसने इन प्रदर्शिनियों में प्रचार के लिये कुटीर उद्योगों में काम करने वालों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया। उत्पादन के उन्नत तरीकों, आधुनिकतम ओजारों और नये डिजाइनों के प्रदर्शन भी किये गये।

स्टोर्स पर्चेज सेक्शन

पिछले वर्ष की अपेक्षा बाजार भाव में सुधार हुआ और टेन्डर मांगे जाने तथा पूछताछ किये जाने पर करीब-करीब सभी वस्तुओं के संबन्ध में पहिले से अधिक लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। इंडेंटिंग अफसरों, विशेषतया सार्वजनिक निर्माण तथा कृषि विभाग के इंडेंटिंग अफसरों की मांगें अपेक्षाकृत बहुत अधिक थीं और वे मुख्यतया अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं से संबन्धित विभिन्न विकास योजनाओं के निमित्त मशीनों और स्थिर-यंत्रों के लिये ही थीं।

रुपये के अवमूल्यन के कारण तथा विदेशी विनिमय, विशेषतया डालर को, संरक्षित रखने की आवश्यकता को देखते हुये बाहर से मंगाये जाने वाले सामानों की खरीद या तो उन स्टाकों से करनी पड़ी जो देश में थे या सुलभ मुद्रा क्षेत्रों (soft currency areas) से करनी पड़ी। विदेशों में सामान की खरीद के लिये दिये गये आर्डर, जो अब भारत सरकार के उद्योग तथा रसद

विभाग के डाइरेक्टर जनरल द्वारा दिये जाते हैं, १,००,००,००० रु० के थे। इस योजना में जो नई बात चालू की गई वह थी वैभागिक शिक्षण कक्षाओं (tuitional classes) द्वारा सरकारी विभागों को लेखन-सामग्री, बर्तन, चमड़े के सामान और कम्बल जैसी चीजों की सप्लाई करना।

शरणार्थी

शिक्षण तथा उत्पादन—वर्ष के आरम्भ में विभिन्न जिलों में कुछ चुने हुये छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग देने के लिये १५ शरणार्थी शिविर चल रहे थे जिनमें ट्रेनिंग पाने वालों की संख्या ३,९०४ थी लेकिन बाद में इनमें से कुछ शिविरों को बन्द कर देना पड़ा, क्योंकि उनके शरणार्थियों को शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ और बरेली के निकट बने ये नये नगरों में भेज दिया गया था। वर्ष में यह योजना इस उद्देश्य से फिर से संगठित की गई कि ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले ट्रेनिंग के बाद स्वतंत्र कारबार कर सकें या वे आपस में मिलकर सहकारी समितियां बना सकें। इस विचार से शिक्षण केन्द्र को उत्पादन कारखानों में परिणत कर दिया गया। इन कारखानों में जो वस्तुयें तैयार की गईं उनमें से कुछ ये हैं:—कमीजें, पायजामे, जांघिया, ब्लैक बोर्ड, हथौड़ियां, इस्पात के ट्रंक, घंटियां, बाल्टियां और पैट्रोल के बक्से और ३,१७,१०५ रु० की लागत के सामान तैयार किये गये और बिकने वाली वस्तुयें तैयार करने के लिये ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों को १,७१,१६६ रुपये मजदूरी के रूप में दिये गये। इस प्रकार ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले काम सीखने के साथ-साथ धन भी कमा रहे थे और काम केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों और बच्चों को भी दिया जाता था। अच्छी किस्म और डिजाइन पर जोर दिया जाता था जिसका परिणाम यह हुआ कि तैयार की हुई वस्तुयें तत्काल बिक गईं। हैंडीक्राफ्ट्स की दूकानें जनता के हाथ इन तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिये मध्यवर्ती का काम करती थीं जिनकी कीमत औसतन लगभग ८,००० रु० से १०,००० रु० प्रतिमास होती थी।

ऋण—पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित किये गये व्यक्तियों को ऋण देने की योजना १९४८-४९ ई० में चालू की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि विस्थापित व्यक्तियों को छोटे छोटे ऋण देकर, जो छोटी-छोटी किस्तों में वापस किये जा सकें, कारबार या व्यवसाय में लगाने के लिये उनकी सहायता की जाय। अन्य सुविधाओं के साथ-साथ इसमें यह भी व्यवस्था थी कि ऐसे व्यक्तियों को इमारती तथा अन्य नियंत्रित कच्चा सामान, जैसे लोहा, बिजली और कोयला दिया जाय। सूद की दर साधारणतया ३ प्रतिशत थी, लेकिन पहिले बारह महीनों में कोई सूद नहीं लिया जाता था। कुछ प्रतिबन्धों के अधीन सहकारी समितियों या ४ से १२ शरणार्थियों तक के समूहों (ग्रुपों) को संयुक्त दायित्व के आधार पर और खास-खास मामलों में अलग-अलग लोगों को भी ऋण दिये गये। जिला मैजिस्ट्रेट अपने अधिकार-क्षेत्र में नियंत्रक प्राधिकारी (controlling authorities) थे और ऋण के प्रार्थना-पत्रों की जांच करने और उन पर विचार करने का काम इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बनाई गई तदर्थ समिति करती थी। कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर २,००० रु० तक के ऋण और सहायता तथा पुनर्वास विभाग के कमिश्नर ५,००० रु० तक के ऋण स्वीकृत करते थे और इससे अधिक रुपया मांगने वालों का सम्पर्क भारत सरकार के पुनर्वास वित्त प्रशासन (Rehabilitation Finance Administration) से उसके लखनऊ की प्रान्तीय शाखा के जरिये करा दिया जाता था। वर्ष में १,३३,५०० रु० तक के ऋण दिये गये

और १,३९६ टन लोहा और इस्पात, २३२ १/२ हार्स पावर की बिजली और अन्य विभिन्न नियंत्रित इमारती सामान देने के लिये सिफारिश की गयी। लोगों को नियंत्रित वस्तुयें जैसे शक्कर, मिट्टी का तेल और पैराफिन प्राप्त करने में सहायता भी दी गई और उनको अन्य विभिन्न प्रकार के बेसिक कच्चे माल के आयात और निर्यात के लाइसेंस देने की सिफारिश की गई। बहुत से मामलों में ऐसी सहायता का यह परिणाम हुआ कि प्रान्त में बहुत से प्रमुख उद्योग स्थापित हो गये, जैसे खेल के सामान, साइकिल के पुर्जे, मशीन के पुर्जे और बिजली के सामान तैयार किये जाने लगे।

२५—खानें और पत्थर की खानें

जहां तक मालूम हो सका प्रान्त में कोई खनिज पदार्थ नहीं था लेकिन देहरादून के निकट साधारण प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, जैसे चूना और खड़िया मिट्टी पाये गये। साधारण खनिज-पदार्थ होने के कारण चूना, माइनिंग कन्सेशन्स एंड मिनरल डेवलपमेंट रूल्स, १९४० ई० (खान संबन्धी रियायतों और खनिज पदार्थों के विकास के नियम, १९४० ई०) या भारत सरकार के मिनरल कन्सेशन्स रूल्स, १९४९ ई० (खनिज पदार्थों की रियायतों के नियम, १९४९ ई०) के अन्तर्गत नहीं आता। फिर भी सरकार ने अनुभवी पत्थर निकालने वालों को अस्थायी परमिट इस उद्देश्य से दिये कि वे शक्कर और कागज के कारखानों को सप्लाई करने के लिये देहरादून से पत्थर निकालें, क्योंकि शक्कर तथा रासायनिक खाद के कारखानों को इसकी अत्यन्त आवश्यकता होती है।

२६—श्रम

श्रम स्थिति वर्ष पर्यन्त और विशेष रूप से वर्ष के उत्तरार्द्ध में गड़बड़ रही। स्टाक जमा होने, कच्चे माल का न मिलना या उसका उचित मूल्य पर न मिलना, वित्तीय कठिनाइयों, व्यापार की मंदी, मशीनों के टूट जाने से तथा बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण कई उद्योगों में काम बन्द हो गया, तालाबंदी हुई, छटनी की गई, हड़तालें और बैठकियां हुईं। वर्ष में ५४ हड़तालें हुईं, जिनमें ३७,१३२ श्रमिकों ने भाग लिया और ४,०३,८८८ काम के दिनों की हानि हुई जब कि पिछले वर्ष १०० हड़तालें हुई थीं जिनमें ८६,५५९ श्रमिकों ने भाग लिया था तथा ३,१२,५८४ काम के दिनों की हानि हुई थी। (क) ऐसे सभी उद्योगों के लिये जिनमें २०० या अधिक कार्यकर काम करते हों कारखाना समितियों (वर्क्स कमेटियों), (ख) समझौता बोर्डों और (ग) औद्योगिक न्यायालयों, जिनकी व्यवस्था सरकार ने औद्योगिक झगड़ों में समझौता कराने के लिये की है, द्वारा सभी औद्योगिक झगड़ों का यथासम्भव शीघ्रता के साथ निबटारा किया गया।

शिकायतें

सीधे श्रमिकों से या उनकी ट्रेड यूनियनों के मार्फत प्राप्त शिकायतों की संख्या १९४८ ई० में ४,२२२ थी और वह १९४९ ई० में घटकर ३,३४९ हो गई।

कारखाना समितियां (वर्क्स कमेटियां)

कारखाना समितियों के बन जाने के कारण श्रमिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने और मिल मालिकों तथा मजदूरों में समझौता कराने तथा सद्भावना बढ़ाने में बहुत सहायता मिली। कारखाना समितियों के पास चीनी उद्योग के २,८४४ मामले भेजे गये थे जिनमें से १,४५७ मामलों

का सर्वसम्मति से तथा ४७६ मामलों का अन्य तरीकों से निर्णय किया गया। इसी प्रकार अन्य उद्योगों के ३,९९८ मामले कारखाना समितियों को भेजे गये जिसमें से २,५०६ सर्वसम्मति से तथा १,१९८ अन्य प्रकार निबटाये गये।

समझौता बोर्ड तथा औद्योगिक अदालतें—प्रांतीय समझौता बोर्ड, प्रादेशिक समझौता बोर्ड (जिनकी संख्या २१ थी) तथा औद्योगिक अदालतें (जिनकी संख्या ४ थी) पूर्ववत् कार्य करती रहीं। प्रान्तीय समझौता बोर्ड ने १९ तथा औद्योगिक अदालतों ने १९९ मामलों का निर्णय किया। प्रादेशिक समझौता बोर्डों के पास ५३० मामले भेजे गये थे जिनमें से उन्होंने ४१५ का निर्णय किया तथा ११५ मामले विचाराधीन रह गये। उन उद्योगों के झगड़ों का फैसला, जिनमें कारखाना समितियां नहीं थीं, सदैव की भांति श्रम विभाग के अफसरों द्वारा समझौते तथा पंच निर्णय की कार्यवाहियों द्वारा किया गया। इस वर्ष पंच-निर्णय के लिए १०९ मामले भेजे गये थे जिनमें से ८२ का निर्णय किया गया जबकि समझौते की कार्यवाही के लिये भेजे गये ५३० मामलों में से ४९० का निर्णय किया गया।

ट्रेड यूनियनें

१९४९ ई० के अन्त में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या ५०१ थी जबकि पिछले वर्ष के अन्त में उनकी संख्या ४२२ थी। इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट की धारा १० (बी) के अधीन ६८ यूनियनों का रजिस्ट्री रद्द कर देनी पड़ी। धारा २५ (४) के अधीन १२ यूनियनों का एकीकरण किया गया और धारा २७ के अधीन एक यूनियन को तोड़ दिया गया जब कि गत वर्ष धारा १० (बी) के अधीन ७१ यूनियनों की रजिस्ट्री रद्द की गई थी और धारा २५(४) के अधीन केवल एक ट्रेड यूनियन का एकीकरण किया गया। ट्रेड यूनियनों के इंस्पेक्टर ने वर्ष में ११२ मुआयने किये।

स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण

श्रम कमिश्नर, यू० पी० स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण करने वाले अफसर के पद पर बने रहे तथा उन्होंने इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट, १९४६ ई० के अधीन ९६ औद्योगिक स्थापनाओं के स्थायी आदेशों को प्रमाणित किया जिससे ऐसे औद्योगिक स्थापनाओं के स्थायी आदेशों को प्रमाणित किया, जिससे ऐसी औद्योगिक स्थापनाओं की संख्या जिनके स्थायी आदेशों को प्रमाणित किया गया, बढ़कर ३४८ हो गई। प्रमाणीकरण करनेवाले अफसर की आज्ञाओं के विरुद्ध केवल एक अपील की गई जिसे अपील सुनने वाले (अपेलेट) अफसर ने अस्वीकृत कर दिया।

आंकड़े

निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आंकड़े इकट्ठा करने तथा उन्हें प्रकाशित करने का कार्य जारी रहा—(१) कानपुर में मजदूरों के रहन-सहन व्यय सम्बन्धी आंकड़े, (२) कानपुर में वस्तुओं के फुटकर भाव, (३) दुर्घटना और मजदूरों को प्रतिकर, (४) श्रम हितकारी कार्य, (५) औद्योगिक झगड़े, (६) ट्रेड यूनियनों की रजिस्ट्री तथा उनकी रजिस्ट्री का रद्द करना, (७) मजदूरों को बोनस, (८) कारखाने जिनकी रजिस्ट्री की गई तथा जिनकी रजिस्ट्री रद्द की गई, (९) काम दिलाना, (१०) अनुपस्थिति, (११) श्रम विभाग से प्राप्त शिकायतें तथा (१२) कारखाना समितियों का विधान तथा उनकी कार्य प्रणाली। अनुसंधान उपविभाग ने औद्योगिक सम्मेलनों और श्रम की त्रिदल तथा स्थायी समितियों के लिये टिप्पणियां तथा स्मृति-पत्र तैयार किये थे। जांच समिति, स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को भी समय-समय पर सूचनायें इकट्ठी करके दी गईं। श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर अनुसंधान करने वाले अनेक छात्रों को उनके अनुसंधान कार्य में भी सहायता दी गई।

श्रम बुलैटिन

श्रम सम्बन्धी मासिक बुलैटिन का काम, जो कि कुछ समय से पिछड़ गया था, पूरा कर लिया गया और उसका प्रकाशन

नियमित रूप से होने लगा। गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद में काम की अधिकता के कारण इस बुलैटिन के प्रकाशन का काम एक निजी (प्राइवेट) छापेखाने को सौंप दिया गया। अर्द्ध साप्ताहिक समाचार-पत्र "श्रम जीवी" का प्रकाशन भी कानपुर के एक निजी छापेखाने से होता रहा तथा रखानों में इस पत्र के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये गये। इसके अतिरिक्त प्रेस विज्ञप्तियां भी समय-समय पर प्रकाशित की गईं जिनमें समझौता बोर्डों के निर्णयों के ठीक-ठीक विवरण तथा जनता को श्रम सम्बन्धी मामलों की अधिकृत सूचना दी जाती थी।

जांच और रिपोर्टें

आगरा, बनारस तथा सहारनपुर के मजदूर-वर्ग के लोगों के पारिवारिक बजटों की जांच पूरी की गई तथा इसी तरह की मेरठ, लखनऊ और बरेली में की जाने वाली जांच करीब-करीब पूरी होने को थी। यह आशा थी कि इस जांच से इस बात के सम्बन्ध में कि इन स्थानों के औद्योगिक मजदूरों में किस प्रकार की चीजों की खपत होती है, लाभदायक आंकड़े प्राप्त हो जायंगे जिससे इन शहरों के रहन-सहन संबन्धी व्यय मान निकालने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार यू० पी० श्रम जांच समिति के कहने पर कानपुर, आगरा तथा बनारस के औद्योगिक मजदूरों की कर्जदारी की जांच भी की गई और उसकी रिपोर्ट पेश की गई। न्यूनतम मजदूरी ऐक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के हेतु एक विशेष अफसर की देखरेख में जांच की गई और तेल के उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजे गये। इसके अतिरिक्त श्रम-जांच समिति के कहने पर धातु उद्योगों की कुछ श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी के आंकड़े इकट्ठे किये गये और अन्य उद्योगों से सम्बन्धित प्रस्ताव यथासंभव शीघ्र सरकार को भेजने के निमित्त तैयार किये जा रहे थे।

कारखाने

वर्ष में रजिस्ट्री किये हुये कारखानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। कारखानों के रजिस्टर में ३८५ नये कारखानों के नाम चढ़ाये गये। ३४ कारखानों की रजिस्ट्री रद्द की गयी तथा एक कारखाना अपने मूल कारखाने में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार ३५० नये कारखानों को रजिस्ट्री की गई, जिससे रजिस्टर में नाम चढ़े हुए कारखानों की संख्या १,५०१ हो गई जब कि १९४८ ई० में यह संख्या १,१५१ ही थी। कारखाना उपविभाग ने गत वर्ष के कुल ३,०७७ निरीक्षणों की तुलना में इस वर्ष ६,९३४ निरीक्षण किये।

गत वर्ष के ५०० मुकदमों की अपेक्षा इस वर्ष मुकद्दमों की संख्या घटकर ३३८ रह गई। दुर्घटनाओं की कुल संख्या ६,७९२ थी जिनमें से ३२ घातक, ३३४ गम्भीर तथा ६,४२६ साधारण दुर्घटनायें थीं जब कि १९४८ ई० में इनकी कुल संख्या ६, ३२६ थी जिनमें से ३६ घातक, ३८८ गम्भीर तथा ५,९०२ साधारण दुर्घटनायें थीं।

चूंकि कारखानों के ऐक्ट, १९४९ ई० के अधीन नियमों को अन्तिम रूप देना बाकी था इस कारण कारखानों को लाइसेन्स देने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

ब्वायलर्स

'डियन ब्वायलर्स ऐक्ट, १९२३ ई० के अधीन २, १७४ निरीक्षण किये गये जिनमें ६०७ हाइड्रोलिक परीक्षण तथा २९ स्टीम सम्बन्धी परीक्षण सम्मिलित थे। इनके अतिरिक्त ऐक्ट के अधीन २,९३६ आकस्मिक निरीक्षण भी किये गये। आकस्मिक निरीक्षणों को मिलाकर कुल ५,११० निरीक्षण किये गये।

शाप्स ऐन्ड कार्मशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७ ई० (दूकानों तथा व्यावसायिक स्थापनाओं के ऐक्ट, १९४७ ई०) का प्रशासन कारखानों के मुख्य इंस्पेक्टर द्वारा होता रहा जो पद के कारण दूकानों तथा व्यावसायिक स्थापनाओं के मुख्य इंस्पेक्टर भी हैं । चूंकि यह ऐक्ट नया था तथा मालिक और नौकरों में से अधिकांश अशिक्षित थे इस कारण यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें ऐक्ट की धाराओं का परिचय कराया जाय । इस उद्देश्य से प्रादेशिक कार्यालयों में अनेक सभायें की गईं, जिनमें मालिकों और कर्मचारियों को इस ऐक्ट की धारायें समझाई गईं और दोनों की व्यावहारिक कठिनाइयों को हल करने की भी कोशिश की गई । १३ इंस्पेक्टरों तथा एक डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ने कुल मिलाकर ३२,६९५ निरीक्षण किये ।

दूकानें

कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बनारस, मिर्जापुर, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, इलाहाबाद तथा रुड़की के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों में ३३ सरकारी श्रम-हितकारी केन्द्रों ने कार्य किया । दो नये केन्द्र एक खतौली (मुजफ्फरनगर) में और दूसरा पडरौना (देवरिया) में गन्ना पेराई के मौसम तक के लिये चीनी के उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की सुविधा के हेतु आरम्भ किये गये थे। इन नये केन्द्रों में एक वाचनालय, मकान के अन्दर और बाहर खेले जाने वाले खेलों तथा एक रेडियो की व्यवस्था की गई ।

श्रम हितकारी कार्य

इस उद्देश्य से कि प्रगतिशील हितकारी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधायें अन्य केन्द्रों को भी उपलब्ध हो जायं, यह निश्चय किया गया कि इन सुविधाओं की व्यवस्था धीरे धीरे सभी केन्द्रों में अधिक से अधिक २ वर्ष में कर दी जाय । उन केन्द्रों में जहां अब तक चिकित्सा संबन्धी किसी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं, ६ आयुर्वेद अथवा यूनानी पद्धति के औषधालय खोलने की स्वीकृति दे दी गई और इन केन्द्रों का चार्ज संभालने के लिये अधिक योग्यता प्राप्त तथा अच्छा वेतन पाने वाले अफसरों की नियुक्ति करके प्रत्येक केन्द्र के निरीक्षक कर्मचारिवर्ग की संख्या बढ़ाई जा रही थी।

२७--सहकारी समितियां

इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सहकारिता आन्दोलन का विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रसार हुआ । सहकारी समितियों की संख्या ३७,४६८ हो गई जो विभिन्न श्रेणियों में इस प्रकार है--ब्लाक डेवलपमेन्ट तथा मार्केटिंग यूनियन १,४२६, जिला विकास संघ (District Development Federation) ४९, कृषि सम्बन्धी बहुधन्धी समितियां (Agricultural Multi-purpose Societies) २१,५७१, उपभोक्ता स्टोर ५८९, सेन्ट्रल सहकारी बैंक ६७, गन्ना समितियां (सेन्ट्रल) १०३, गन्ना समितियां (प्राइमरी) ९४८, टेकस्टाइल (सूती कपड़ा सम्बन्धी) समितियां (प्राइमरी) ६२५, सहकारी फार्मिंग समितियां ११, भू उपनिवेशन समितियां (Land Colonization Societies) २६, शरणार्थी सहकारी समितियां १३८, दुग्ध समितियां (सेन्ट्रल) ६, दुग्ध समितियां (प्राइमरी) १४४, घी समितियां (सेन्ट्रल) ११, घी समितियां (प्राइमरी) ५९६, ग्राम ऋण-दात्री समितियां (अनलिमिटेड) ३,८३१, गैर खेतिहरों को ऋण देने वाली समितियां ६४८, जोतों की चकबन्दी सम्बन्धी समितियां ४२८, गृह निर्माण समितियां १८७, रहन-सहन को अच्छा बनाने वाली समितियां (Better-Living Societies) ४,४७५ तथा अन्य समितियां १,५५४ ।

सबसे महत्वपूर्ण योजनायें जिन पर इस वर्ष सरकार ने विशेष ध्यान दिया इस प्रकार थीं—(१) नई सहकारी योजना का विकास, (२) कृषकों को बीज, औजार तथा खाद देना, (३) नियंत्रित वस्तुओं तथा अन्य उपभोग्य पदार्थों का वितरण और (४) बड़े शहरों में दूध सप्लाई करना। उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण देने के साथ-साथ उत्पादन-कार्य पर बराबर जोर दिया गया।

नई सहकारी योजना

१९४७-४८ ई० में एक नई सहकारी योजना प्रारम्भ की गई थी, किन्तु इसके अन्तर्गत मुख्य कार्य १९४८-४९ ई० में किया गया था। यह योजना जिसमें कि १२-२० ग्रामों के विकास सम्बन्धी ब्लाक बनाने तथा प्रत्येक गांव में एक बहुधन्धी समिति का प्रत्येक वर्ग के यूनियन के साथ संगठन करने का विचार किया गया था लगभग १,३०० ब्लाकों में कार्यान्वित की गई, जिनमें २०,००० से अधिक गांव थे। करीब ७,००० गांवों में ऋण देने वाली जो पुरानी समितियां थीं उन्हें बहुधन्धी समितियों में परिणत कर दिया गया और शेष गांव में नई समितियां या तो संगठित कर ली गई थीं या उनका संगठन किया जा रहा था। फिर भी लगभग ८,००० सहकारी समितियां विकास ब्लाकों से बाहर थीं, जिन्हें धीरे-धीरे बहुधन्धी समितियों में परिणत करना तथा सामान्य विकास योजना के अन्तर्गत लाना था।

प्रत्येक ब्लाक की लेन-देन सम्बन्धी कार्यवाहियां आमतौर से यूनियन स्तर पर आरम्भ की गईं और इन यूनियनों की कार्यवाहियों को सम्बद्ध करने के लिये हर जिले में एक जिला विकास संघ संगठित किया गया जिसका कार्य नये संगठनों का विकास करना, सहकारी समितियों की कार्यवाहियों में परामर्श देना और उन्हें नियंत्रित करना तथा ब्लाक यूनियनों के लिये या उनकी तरफ से इस प्रकार के लेन-देन जारी रखना था, जो कि केवल जिला-स्तर पर दक्षतापूर्वक चालू रखे जा सकते थे। प्राविंशियल मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा जिला संघों की कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित किया गया।

कृषि सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

वर्ष के लगभग मध्य में ५७० बीज गोदामों को जिनकी सम्पत्ति २ करोड़ रुपये से ऊपर थी कृषि विभाग के नियंत्रण से हटाकर प्रान्तीय क्रय-विक्रय संघ के नियंत्रण में कर दिया गया जिसका अन्तिम उद्देश्य यह था कि उन्हें धीरे-धीरे सुस्थापित ब्लाक यूनियनों के नियंत्रण में रख दिया जाय, ताकि किसान जो इन बीज गोदामों से काम चलाते थे अब उनका प्रबन्ध भी स्वयं ही करें और सरकारी कर्मचारिवर्ग को शुद्ध बीज तैयार करने और उसकी वृद्धि करने के कार्य के लिये ही छोड़ दिया जाय। परन्तु चूंकि ब्लाकों के अन्तर्गत जितने गांव थे उनमें से अधिकांश गांवों की मांग को ये बीज गोदाम पूरा नहीं कर सके, इसलिये १९४८-४९ ई० में ३३८ नये बीज गोदाम भी खोले गये। इन बीज गोदामों ने ब्लाक यूनियनों की देख-रेख में ८.२३ लाख मन रबी तथा २.२३ लाख मन खरीफ बीज वितरण किया। रबी बीज की वसूली का प्रतिशत ९२.७ और खरीफ बीज का ७९.७ रहा। कृषि विभाग ने इन बीज गोदामों के जरिये २५,८८४ मन खली, १४,९४८ मन सनई, ८९,४४२ टन खाद, २,३७५ हल, ६ कल्टीवेटर, ६८२ चैफकटर, १०३ हैरोज, २,७४३ शेयर्स तथा १,३५५ अन्य प्रकार के औजार वितरित किये। ग्राम यूनियन तथा बहुधन्धी समितियों ने २ करोड़ रुपये की तखमीनी लागत की आवश्यक वस्तुओं जैसे कपड़ा, नमक, मिट्टी का तेल तथा सीमेन्ट का वितरण करने में प्रमुख भाग लिया। कुछ सहकारी यूनियनों ने अनिवार्य रूप से गल्ला वसूली के सम्बन्ध में सरकारी एजेन्टों की हैसियत से भी कार्य किया तथा अनेक प्रकार से, उदाहरणार्थ

नये पुल बनाकर, उन्नत प्रकार के मवेशियों की सप्लाई करके, वृक्षारोपण करके, पुराने और बेकार तालाबों को खोदकर और अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करके सेवा की ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

वर्ष के अन्तर्गत अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य यह हुआ कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर संगठित किया गया। यह संगठन मुख्यतया राशन वाले खाद्यान्नों तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं का वितरण करने के लिये बनाया गया था । वर्ष के अन्त तक २३७ उपभोक्ता समितियां शहरों में कार्य कर रही थीं, जिनकी मेम्बरों की संख्या २·८८ लाख थी और २२·४३ लाख रुपये की पूंजी के शेयर लिये गये थे । ४० शहरों में, जिनमें कई बड़े शहर सम्मिलित हैं, राशन वाले सभी खाद्यान्नों का वितरण सहकारी समितियों के जरिये किया गया और १९४९ ई० में उनके द्वारा वितरित किये गये माल का मूल्य १२·१६ करोड़ रु० था । इन समितियों ने कपड़ों तथा अन्य आवश्यक पदार्थों का वितरण भी किया और जिस कुशलता से उन्होंने आमतौर पर कार्य निबाहा उससे सहकारी आन्दोलन में एक नये जीवन का संचार हुआ ।

दूध सप्लाई

निकटवर्ती गांवों से दूध इकट्ठा करके उसे शहरों में उपभोक्ता को सप्लाई करने के लिये सहकारी दुग्ध यूनियनें इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और कानपुर में स्थापित की गई थीं और वर्ष के दौरान में मेरठ तथा नैनीताल में नई दुग्ध यूनियनें संगठित की गईं । लखनऊ दुग्ध यूनियन ने १८,०७५ मन दूध इकट्ठा करके बेचा, कानपुर यूनियन ने १५,२०६ मन, इलाहाबाद यूनियन ने १४,६४४ मन, बनारस यूनियन ने ९,९२५ मन, मेरठ यूनियन ने २,६१७ मन तथा नैनीताल यूनियन ने २,३०७ मन दूध इकट्ठा कर के बेचा। दूध देने वाली गायों की खरीद के लिये जो अग्रऋण दिये गये वे इस प्रकार हैं—कानपुर १,००,००० रु०, बनारस ७०,००० रु०, नैनीताल ८४,००० ०, इलाहाबाद ५०,००० ० और लखनऊ ४७,००० रु० । इन यूनियनों ने दूध वितरित करने के अलावा उपभोक्ताओं को घी, मक्खन तथा क्रीम भी सप्लाई की । परन्तु उनके इस कार्य की प्रगति कुछ हद तक इसलिये रुकी रही कि दूध के लिये आवश्यक मशीनरी उपलब्ध होने में कठिनाई हुई और उन्हें निजी व्यापार करने वाले ग्वालों के साथ, जो कि पानी मिला हुआ दूध अधिक मूल्य पर बेच सकते थे, प्रतियोगिता भी करनी पड़ी ।

सहकारी खेती

सहकारी खेती का प्रारम्भ झांसी जिले में दारौन और नैनवारा सहकारी समितियों द्वारा किया गया । इनमें से पहिली समिति ने ३१२.०३ एकड़ भूमि में और दूसरी ने ४८९.१९ एकड़ भूमि में संयुक्त रूप से खेती की । दारौना समिति ने १,९८६ मन रबी के तथा ६४७ मन खरीफ के और नैनवारा समिति ने ३,३९७ मन रबी के तथा ५६७ मन खरीफ के अनाजों का उत्पादन किया । दारौना समिति का कुल उत्पादन व्यय १९,०९० रु० तथा नैनवारा समिति का २५,१८६ रु० था और उन्हें जो शुद्ध लाभ हुआ वह क्रमश: ९,३४३ रु० तथा १५,४७९ रु० था । इस लाभ की लगभग आधी रकम विभिन्न सुरक्षित कोषों में जमा कर दी गई और शेष रकम मुनाफे के रूप में वितरित कर दी गई । शेयरों में लाभांश (Dividend) देने के अलावा समिति ने जमीन सम्बन्धी मालिकाना लाभांश (Ownership D vidend) भी वितरित किया । दारौना समिति ने ११ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से ४,६०५ रु० और नैनवारा समिति ने १५ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से ७,३३८ रु० वितरित किया ।

प्रान्तीय सहकारी क्रय-विक्रय संघ

प्रान्तीय क्रय-विक्रय संघ ने अपने कारोबार को काफी बढ़ाया। यह (१) कृषि विभाग द्वारा हस्तांतरित कृषि सम्बन्धी बीजगोदामों को चला रहा था, (२) कपड़े तथा हिन्दी टाइप राइटर मशीनों का आयात कर रहा था, (३) शिकोहाबाद के घी ग्रेडिंग सेन्टर का प्रबन्ध कर रहा था, (४) मिर्ज़ापुर जिले में विधमगंज की लाख फैक्टरी की वित्तीय सहायता कर रहा था और (५) वाहन सम्बन्धी लेन-देन कर रहा था। १९४८-४९ ई० में इस संघ ने ८.१२ करोड़ रुपये की लागत की ७६,२९४ गांठें खरीदीं और ६.२६ करोड़ रु० की कीमत की ६४,५५० गांठें बेचीं। इसने हिन्दी टाइप राइटर मशीनों की खरीद में ७.१५ लाख रु० और लाख की फैक्टरी को ८५ लाख रुपया तक की वित्तीय सहायता दी। वाहन सम्बन्धी कारोबार, संघ की कार्यवाहियों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में चलता रहा और इसके ट्रकों की संख्या ४५ हो गई। वाहन सम्बन्धी कारोबार से इसने १.४९ लाख रु० पैदा किया और इस पर १.२७ लाख रु० व्यय हुआ। ३० जून, १९४९ ई० को संघ की चुकता हिस्सा पूंजी (Paid up Share Capital) १.८१ लाख रु० तथा सम्पादन पूंजी (Working Capital) २.३९ करोड़ रुपया थी जिसमें १६.१२ लाख रुपये अर्जित पूंजी (Owned Capital) भी सम्मिलित है।

प्रान्तीय सहकारी बैंक

प्रान्तीय सहकारी बैंक की पूंजी में ५३,००० रु० तथा जमा की धनराशि (Deposits) में १७३ लाख रु० की वृद्धि हुई। सब प्रकार की जमा की धनराशियों में निरन्तर वृद्धि होती रही। १५८ लाख रु० की एक खासी रकम गन्ने की काश्त करने वालों के लिये मुद्दती जमाओं (Fixed Deposits) से प्राप्त हुई। फलस्वरूप बैंक की कुल कार्य-सम्पादन पूंजी बढ़कर ३०२ लाख रु० हो गई और २४८.५६ लाख रु० के कुल ऋण दिये गये। वर्ष में बैंक को लेन-देन से २.५० लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जिससे पिछले साल की हानियों को पूरा करने के बाद २.१८ लाख रुपये वितरित करने के लिये बचे।

घी समितियां

घी विक्रय समितियां लगभग एक दर्जन जिलों में फैली हुई थीं जिनमें अधिकांश समितियां पच्छिमी जिलों की थीं। घी का बाजार भाव अधिक होने के कारण इन समितियों ने आमतौर से कोई खास व्यापारिक प्रगति नहीं दिखलाई। फिर भी इन समितियों ने २,५७७ मन घी बेचा, जिसमें से १,५९० मन घी केवल मैनपुरी ने दिया और आगरा तथा इटावा ने क्रमशः ३७४ मन तथा २२२ मन घी सप्लाई किया।

जोतों की चकबन्दी

सहारनपुर, बिजनौर तथा मेरठ के जिलों में चकबन्दी के लिये नये क्षेत्र लिये गये जिनका रकबा सहारनपुर में ६,०६२ एकड़, बिजनौर में ५,४७५ एकड़ तथा मेरठ में २,३१४ एकड़ था। वर्ष के मध्य तक प्रान्त में चकबन्दी के क्षेत्र का कुल रकबा १.३३ लाख एकड़ था।

खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय

केवल सरकार को खाद्यान्नों की खरीद का एकाकी अधिकार होने के कारण कृषि उत्पादन की सहकारी क्रय-विक्रय योजना में किसी प्रकार की उन्नति करना सम्भव नहीं था। किसानों को उनके उत्पादन के लिये पूरे-पूरे और उचित दाम मिल रहे थे और चूंकि उनके तथा खरीदारों के बीच दखल देने वाले कोई मध्यवर्ती लोग नहीं थे, इसलिये सहकारिता के आधार पर किसी प्रकार के क्रय-विक्रय करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था।

२८—गन्ना विकास

आलोच्य वर्ष में वर्षा समान रूप से होती रही जो गन्ने की फसल उगने के लिये अनुकूल रही और इसी कारण पिछले साल की तुलना में आलोच्य वर्ष में पैदावार भी अधिक हुई। मई और जून के महीनों में सूखा पड़ने के कारण रुहेलखंड और पूर्वी रेंजों (Ranges) के कुछ स्थानों में गन्ने की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा। उन स्थानों में या तो फसल सूख गई या शैथिल्य रोग (Wilt) का शिकार हो गई।

प्रदर्शन-कार्य और बीज की सप्लाई

गन्ने के गहन उत्पादन और विकास पर मुख्यतया ध्यान दिया गया तथा किसानों के १७,५२३ खेतों के आधे भाग में प्रदर्शन-कार्य किया गया ताकि उन्हें उन्नत ढंग से खेती करने के लाभों को भली भांति दिखाया जा सके। इसके अतिरिक्त किसानों के लिये २९·११ लाख मन उन्नत किस्म के गन्ने के बीज की व्यवस्था की गई जिसमें २०·७९ लाख मन बीज शक्कर के कारखानों के फाटक वाले क्षेत्रों (Gate areas) में और ८.३२ लाख मन बीज बाहरी स्टेशनों में बांटा गया। ८६३ तथा ५,३१९ एकड़ भूमि में बीज के लिये क्रमशः ८२९ प्रारम्भिक और ४,८७४ माध्यमिक पौधशालायें खोली गयीं ताकि शक्कर के कारखाने के फाटक के क्षेत्रों से ही स्टैन्डर्ड किस्म के रोगमुक्त और उन्नत बीज की सप्लाई की जा सके। इन पौधशालाओं की गन्ने की फसल की समुचित देख-भाल की जाती थी और उसे अगले साल बीज के काम में लाया जाता था। इस वर्ष गन्ने की दो नई किस्में अर्थात् सी० ओ० ५१३ और बी० ओ० ११ इस बात का अध्ययन करने के लिये लगाई गई कि स्थानीय दशाओं का उनकी पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है और यदि उनकी पैदावार संतोषजनक पाई गई, तो किसानों में वितरित करने के लिये इन किस्मों का बीजवर्द्धन करने का विचार है।

खाद की सप्लाई

बढ़ी हुई कीमतों और वाहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण खली और उर्वरक (Fertilizers) काफी परिमाण में वितरित नहीं किये जा सके। तदनुसार खाद के लिये इस वर्ष ७१,९७५ मन खली, १,३६,३३० मन उर्वरक, १,७८,२६३ मन उर्वरक मिश्रण तथा हरी खाद के लिये १६,८१४ मन सनई का बीज वितरित किया गया। इन खादों की कमी को पूरा करने के लिये गांवों में मिलवा खाद बनाने का आन्दोलन और प्रगाढ़-रूप से आरम्भ किया गया। परिणामस्वरूप ६५,२६७ गढ़े खोदे गये। ६०,८६५ गड्ढे भरे गये और लगभग ४४.७७ लाख मन मिलवा खाद तैयार की गई। शक्कर के कारखानों के फाटकों पर भी इस वर्ष ८.६१ लाख मन मिलवा खाद तैयार की गई जबकि गत वर्ष केवल ६.५५ लाख मन तैयार हुई थी। इस वर्ष २५,१५० उन्नत किस्म के औजार बांटे गये, ८८२ कुयें गलाये गये, ३३७ कुओं की बोरिंग हुई, ५२ तालाब खोदे गये या गहरे किये गये कुल मिलाकर १३,३९,०८६ गज गूलें साफ की गईं, ४,५७ रहटें और उठाऊ पम्प (Water lifts) संस्थापित किये गये तथा ९४ पम्पिंग प्लांट लगाये गये।

गन्ने की पैदावार

कारखानों के लिये सुरक्षित रक्खे गये क्षेत्र में गन्ने की पैदावार का औसत २८८ मन प्रति एकड़ आता है। सबसे अधिक पैदावार पश्चिमी रेंज में हुई जो १,९४० मन प्रति एकड़ थी। अधिक पैदावार का मुख्य कारण कृषि सम्बन्धी बड़ी-बड़ी संवर्द्धन क्रियायें हैं। अस्वीकृत गन्ने की किस्मों के

बजाय उन्नत प्रकार के तथा रोगों से लड़ सकने की क्षमता रखने वाले स्वीकृत किस्मों के गन्ने के बीज गन्ने की खेती वाले क्षेत्रों में वितरित किये गये। सी० ओ० ३१२ जिसकी मांग बहुत अधिक थी अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि यह बड़ी सरलता से गेरुई (Red Rot) रोग का शिकार हो जाता था। पूर्वी जिलों में इस किस्म के गन्ने की बुवाई बिलकुल ही बंद कर दी गई और पश्चिमी जिलों में भी वह बहुत थोड़े क्षेत्रों में बोया गया।

गन्ने की कुल पिराई आदि

शक्कर के कारखानों ने कुल १,४३७ लाख मन गन्ना पेरा गया जिसमें से ८२.१ प्रतिशत गन्ना सहकारी समितियों ने सप्लाई किया। सहकारी गन्ना संघों ((कोआपरेटिव यूनियन) की संख्या ९९ से बढ़कर १०५ हो गई तथा सभी संघों के सदस्यों की संख्या १०,०८,४३० से बढ़कर ११,०५,१७३ हो गई। कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल), शेयर पूंजी (शेयर कैपिटल) और सुरक्षित पूंजी तथा अन्य कोषों (फंड) के आंकड़ों में पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में आलोच्य वर्ष में वृद्धि हुई। गन्ना सहकारी समितियों (केन कोआपरेटिव सोसाइटीज) ने ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्रवाइयां हमेशा की तरह जारी रक्खीं ताकि वे अपने सदस्यों के रहन-सहन के सामान्य स्तर को ऊंचा उठा सकें। इन कार्यवाहियों में सड़कों का निर्माण और उनकी मरम्मत, कुएं गलाना और उनकी मरम्मत, पुलियों का निर्माण और उनकी मरम्मत, बांध बनाकर सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करना, तालाब खोदना, प्रौढ़ों, लड़कों और लड़कियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना तथा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता और गांव की सफाई का प्रबन्ध करना सम्मिलित है।

अबवाब (सेस) की वसूली

गन्ने का मूल्य १ रु० १० आना प्रति मन रहा। वित्तीय वर्ष १९४९-५० ई० शक्कर के कारखानों को सप्लाई किये गये गन्ने पर ३ आना प्रति मन के हिसाब से अबवाब (सेस) के रूप में कुल २,०५,३८,२४० रु० वसूल हुआ जब कि पिछले वर्ष २,९८,७८,६८८ रु० वसूल हुआ था। आलोच्य वर्ष में सेस की वसूली में जो कमी हुई उसका कारण यह है कि कारखानों पर सेस की बहुत धनराशि बकाया रह गयी है।

२६—ग्राम-सुधार

ग्राम-सुधार विभाग के सहकारी विभाग में मिला दिये जाने के फलस्वरूप प्रांत में ग्राम सुधार संबंधी समस्त कार्यवाहियां रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं ग्राम सुधार अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण में की गयीं। दोनों विभागों को एक में मिलाये जाने के फलस्वरूप ग्राम सुधार विभाग के मुख्यालय (हेड-क्वार्टर) का क्लर्की अमला तथा कुछ डिवीजनों के सुपरिन्टेन्डेन्टों (अधीक्षकों) तथा ग्राम सुधार इंस्पेक्टरों को छोड़कर (जिनके निकट भविष्य में सहकारी विभाग में ले लिये जाने की आशा थी) ग्राम-सुधार विभाग के विभिन्न कैडरों के उपयुक्त कर्मचारियों को सहकारी विभाग के समान कैडरों की नौकरियों में रख लिया गया। महिला हितकारी योजना का भी पुनस्संगठन किया गया और इसे पूरे समय काम करने वाली महिला हितकारी डाइरेक्टर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया।

विकास संबंधी कार्यवाहियां मुख्यतया निर्माण-कार्यों, जिनमें बीज गोदामों, पंचायत घरों और कुओं, पुलियों, नालियों, नालों तथा पर्वतीय जिलों में धारों का निर्माण सम्मिलित है, तक ही सीमित रहीं। विभिन्न समितियों

और व्यक्तियों को जो इस प्रकार के काम करना चाहते थे जिला अधिकारियों के अधिकार में रक्खी गई उपयुक्त धनराशि में से अंशदान के आधार पर सहायता दी गई। आलोच्य वर्ष म इस संबंध में सरकार ने अंशदान के रूप में कुल २,००,५७८ रु० दिया जब कि जनता से चंदे के रूप में कुल २,१३,६४१ रु० वसूल हुआ। सहकारिता के आधार पर उत्पादन के उन्नत तरीकों का सर्वसाधारण में प्रचार करने और समझाने के उद्देश्य से स्थानीय मेलों में प्रदर्शिनियां करने के लिए सरकार ने विभिन्न जिलों को भी अनुदान दिये। विकास ब्लाकों में अखाड़ों की तरह के खेल-कूद के केन्द्र खोल कर और उन्हें सहायता देकर ग्राम निवासियों के शारीरिक विकास की कार्यवाहियां जारी रक्खी गईं और जो रिपोर्ट मिली है उनसे यह पता चला है कि प्रमुख गर सरकारी व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों ने ऐसे खेलों में दिलचस्पी लेकर ग्राम-निवासियों को शारीरिक संवर्द्धन की कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्राम निवासियों न पानी पीने के लिये कुओं तथा पंचायत घर एवं बीज गोदामों के निर्माण में भी बहुत उत्साह दिखाया।

महिला हितकारी योजना

डाइरेक्टर, महिला हितकारी की देखरेख में महिला हितकारी योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई। उसकी सहायता के लिए तीन प्रादेशिक (जोनल) आर्गेनाइज़र, १२ जिला आर्गेनाइज़र तथा २२४ ग्राम सेविकायें थीं। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के विचार से इस योजना को केवल १२ जिलों में ही चलाया गया और प्रत्येक जिले में कर्मचारियों ने ३ से ५ केन्द्रों में सम्मिलित रूप से प्रयत्न किये।

३० महिला उम्मीदवारों को जच्चा-बच्चा तथा शिशु हितकारी कार्यों की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें महिला हितकारी केन्द्रों में भेजने का विचार था जहां पर छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने के निमित्त दवाइयों की एक पेटी की व्यवस्था की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत (१) जच्चा-बच्चा तथा शिशु हितकारी कार्य, (२) क्राफ्ट और (३) प्रौढ़ तथा पूर्व बेसिक शिक्षा (बाल बाड़ी) के संबंध में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयत्न किये गये। उक्त प्रयोजनों के लिए प्रत्येक केंद्र में विशेषरूप से ट्रेनिंग प्राप्त तीन व्यक्ति रक्खे गये।

३०—विकास सम्बन्धी समन्वय

सामान्य

देश की वर्तमान आर्थिक दशाओं और तदनुसार विकास संबंधी एक समीकृत योजना की आवश्यकता के कारण यह जरूरत महसूस हुई कि सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रमों को इस प्रकार कई चरणों (Phases) में विभाजित किया जाय कि पहिले उन योजनाओं को हाथ में लिया जा सके जिनसे सर्वोत्तम आर्थिक परिणाम प्राप्त होने की तथा देश के भौतिक साधनों में वृद्धि होने की सम्भावना हो, और उन कार्य-क्रमों तथा अन्य कार्य-क्रमों के सम्पादन में जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो और वे आत्म साहाय्य के आधार पर पूरे किये जा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई, यातायात, शारीरिक संवर्द्धन तथा हरिजनों के लिए घरों की व्यवस्था आदि जैसे कार्यों के विकास के लिए सरकार ने जिला विकास संघों को अनुदान दिये ताकि वे इस प्रकार उन्हें दिये गये कोष से सामग्री लेकर गांव वालों के प्रयत्नों को एक सीमा तक पूरा कर सकें। यह आवश्यक समझा गया कि विभिन्न विभागों द्वारा एक ही प्रकार के कार्यों के सम्पादन की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय और वर्तमान अमले को एक ही में सम्मिलित

कर दिया जाय जिससे वह और अधिक विस्तृत क्षेत्र में कार्य करने के लिए लगाया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किये गये और ग्राम सुधार विभाग के अधिकांश कर्मचारियों और कृषि के सुपरवाइज़रों को सहकारी विभाग में ले लिया गया, क्योंकि सहकारिता आन्दोलन के विस्तार के कारण यह आवश्यक समझा गया कि सहकारी विभाग के अमले में वृद्धि की जाय। कृषि, सहकारिता और गन्ना विकास के कर्मचारियों का कार्य-क्षेत्र एक होने के कारण गन्ना विकास के क्षेत्रीय कर्मचारिवर्ग के समीचीनीकरण की तथा एक ही कार्य भिन्न-भिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा किये जाने की प्रथा को खत्म करने की योजना भी बनाई गई जोकि विचाराधीन है।

प्रादेशिक शिक्षण केन्द्र (रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर)

इस बात को रोकने के उद्देश्य से कि एक ही कार्य दो विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग न किये जायं, एक दूसरी कार्रवाई यह की गई कि बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, उन्नाव, बदायूं और सहारनपुर के छः आश्रमों में ६ प्रादेशिक शिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये। इन केन्द्रों में क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं (फील्डवर्कर्स) को विभिन्न विकास विभागों के कार्यों की ट्रेनिंग दी गई ताकि इस प्रकार ट्रेनिंग प्राप्त कोई भी गांव का कार्यकर्त्ता या गाइड एक ही क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न विभागों के किसी भी क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यकर्त्ता के स्थान पर काम कर सके। ट्रेनिंग पाने वाले दो दलों (बैच) ने, जिनमें कुल मिलाकर ३०० से अधिक व्यक्ति थे, अपना कोर्स पूरा कर लिया है और तीसरा बैच वित्तीय वर्ष १९४९-५० ई० की समाप्ति के समय ट्रेनिंग पा रहा था। इन केन्द्रों में से एक केन्द्र पर सहकारी सुपरवाइज़रों के लिए रिफ्रेशर कक्षायें भी खोली गईं। सरकार ने इमारत बनवाने और भूमि तथा सज्जा खरीदने के लिए १,५६,००० रु० (अर्थात् २६,००० रु० प्रति केन्द्र) का इकमुश्त अनुदान दिया। सरकार ने ट्रेनिंग लेने वाले प्रति व्यक्ति को ३० रु० मासिक छात्र-वेतन के अतिरिक्त १५ रुपया आवर्तक व्यय के लिए भी दिया। आलोच्य वर्ष में इस कारण कुल व्यय ८७,३९० रु० हुआ। कुछ चुने हुए क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को दो वर्ष की प्रगाढ़ ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से गाजीपुर के कृषि विद्यालय का पुनस्संगठन करने का भी प्रस्ताव था।

पाइलेट योजना, इटावा

इटावा में जो विकास कार्य अक्तूबर, १९४८ ई० में अमरीकी विशेषज्ञों की एक टोली की देख-रेख में शुरू किया गया था, वह वर्ष में अच्छी प्रगति के साथ होता रहा। विकास संबंधी समस्याओं को मानवीय तथा भौतिक दोनों ही दृष्टिकोण से हल किया गया, और जनस्वास्थ्य सुधार, पशुधन सुधार, उन्नत और अच्छे बीज की सप्लाई और खेती के उन्नत तथा अच्छे तरीकों का प्रदर्शन करने के कार्य-क्रमों के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा, सामूहिक वाद-विवाद, पंचों और सरपंचों की ट्रेनिंग तथा गांव वालों को दृश्य दिखलाने के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त, तत्सम्बन्धी विशेष किस्म की अन्य समस्याओं, जैसे कछार क्षेत्रों की सिंचाई, भूमि को कटने से रोकने तथा मामूली ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाने की योजनाओं को भी हाथ में लिया गया। इन सभी क्षेत्रों में पाइलेट योजना के कार्यकर्त्ता जो कुछ भी सिखाना चाहते थे वह उन्होंने स्वयं अपने हाथ से करके दिखलाया। इस प्रयोग से किसानों की पैदावार बढ़ रही है, विशुद्ध बीज के बड़े-बड़े स्टाक जमा हो रहे हैं, मवेशियों को टीका लगाकर बीमारी से बचाया जा रहा है तथा साथ ही साथ किसानों का मानसिक विकास भी हो रहा है। इस योजना की सफलता से सरकार को प्रोत्साहन मिला और उसने गोरखपुर

देवरिया के जिलों के लिए भी एक ऐसी ही योजना स्वीकृत की है। यह नई योजना १९५० ई० से आरम्भ होगी।

नगर तथा ग्राम संविधायन (Town and Village Planning)

नगर तथा ग्राम संविधायन कार्यालय ने कानपुर के लिए एक मास्टर प्लान (master plan) तैयार किया जो उन थोड़े से व्यापक प्लानों में से एक है, जोकि भारतवर्ष के किसी नगर के लिए अब तक तैयार किये गये हैं। बनारस के लिए भी एक प्रारम्भिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा था और आगरा के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में प्रारम्भिक पैमाइश की जा रही थी। इसके अतिरिक्त मोदी नगर के शरणार्थी औद्योगिक बस्ती के विकास के लिए विस्तृत तथा ब्योरेवार प्लान तैयार किये गये। इस योजना के कार्यान्वित हो जाने पर इस कालोनी में लगभग ७५,००० व्यक्तियों के रहने के लिए स्थान की व्यवस्था हो जायगी। शरणार्थियों की औद्योगिक बस्ती के विकास के निमित्त इलाहाबाद के समीप नैनी में स्थित राइन फैक्टरी और टाटा फैक्टरियों के लिए भी मोदीनगर बस्ती के प्लान के आधार पर प्लान (plan) तैयार किये गये। हस्तिनापुर नगर के लिए भी प्लान तैयार किये गये। लखनऊ में महानगर और चांदगंज क्षेत्रों तथा इलाहाबाद में तेलियरगंज क्षेत्र के लिए भी ब्योरेवार योजनायें तैयार की गईं। नगर तथा ग्राम संविधायन कार्यालय ने इलाहाबाद में माघ मेला कैम्प का नक्शा (lay out) भी तैयार किया।

आदर्श ग्राम

गत वर्ष इलाहाबाद (बंभवा), बरेली (खालपुर), बदायूं (भरकीयां), उन्नाव (जनापुर), कानपुर (सिंहुपुर), सीतापुर (जंहगीराबाद), बलिया (सागर पाली), गाजीपुर (कुर्था), मुरादाबाद (फतावाला) और बनारस (डुमरी) के ११ बाढ़ग्रस्त जिलों में से प्रत्येक में एक-एक आदर्श ग्राम बनवाने के लिए जो कार्यवाही की गई थी उसमें काफी प्रगति हुई और वर्ष में कुल मिलाकर लगभग २५० मकान बनवाये गये। इन गांवों में गांव-समाज सम्बन्धी कार्य के लिए दिये गये अनुदान में से कई कुएं खोदे गये और सड़क तथा गलियां बनवाई गईं। मुख्यतया इमारती सामान की कमी के कारण इस संबंध में और अधिक प्रगति न हो सकी।

विशेष आन्दोलन

गत वर्ष मिलवा खाद (कम्पोस्ट), बागबानी और तालाब खोदने के जो आन्दोलन चलाये जा रहे थे वे इस वर्ष भी निम्नलिखित रूप में कृषि विभाग के सहयोग से बराबर चलते रहे:--

मिलवा खाद (कम्पोस्ट)--सरकार के इस निर्णय से कि भारत १९५१ ई० तक खाद्यान्न के संबंध में आत्मनिर्भर हो जाय, मिलवा खाद का आन्दोलन और जोर पकड़ता गया। यह आन्दोलन मोटे तौर से चार हिस्सों में बांटा गया और प्रांत भर में स्वयं खेतिहरों के सहयोग से तेजी के साथ चलाया गया। तीन क्षेत्रों (spheres) में अर्थात् नगर, गांव और चीनी के कारखानों के इलाकों (zones) में यह योजना कार्यान्वित की गई। "घूर में सोना" और "खाद खंजड़ी" शीर्षक पुस्तिकायें, जिनमें योजना से देश को होने वाले कृषि संबंधी लाभ के महत्व को बतलाया गया था, बहुत बड़ी संख्या में बांटी गई। पहिली तीन तिमाहियों में कुल मिलाकर लगभग १३ लाख टन ग्रामीण मिलवा खाद तैयार की गई। एक निर्धारित मात्रा के ऊपर सब से अधिक मिलवा खाद तैयार करने वाले व्यक्तियों को देने के लिए विभिन्न मूल्य के कई पारितोषिक रक्खे गये। मिलवा खाद के संबंध में खोज-कार्य भी किया गया और आरम्भ में ये दो समस्यायें हाथ

में ली गईं अर्थात् (१) गाय के गोबर की खाद में जीव रसायन (Biochemical) संबंधी परिवर्तन का अध्ययन, (२) मिलवा खाद तैयार करने के लिए फैक्टरी यार्ड की रद्दी और प्रेस मड (Press mud) के मिलाने का सब से उपयुक्त अनुपात निश्चित करना। व्यावसायिक आधार पर जलकुम्भी (Water Hyacinth) से बहुत बड़ी मात्रा में मिलवा खाद तैयार करने का भी आयोजन किया गया।

बागवानी का आन्दोलन--बहुत बड़े पैमाने पर प्रान्त भर में बागबानी विकास का कार्य किया गया। मुख्यतया फलों के नये बाग लगाये गये और पुराने बागों को फिर से नया किया गया। वास्तव में वर्ष के अन्त तक १२,१२५ एकड़ भूमि में नए बाग लगाये गये और ८,०३४ एकड़ में पुराने बागों को नया किया गया। बागबानी विकास योजना के साथ-साथ स्वतंत्रता सप्ताह में वृक्षारोपण का प्रगाढ़ आन्दोलन भी चलाया गया, जिसके अधीन इमारती लकड़ी के पेड़, चारा और जलाने की लकड़ी के पेड़ लगाये गये। पेड़ लगाने के आन्दोलन को तेजी से चलाने के लिए जो कार्य किये गये वे बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुए और बाग लगाने वालों को पौधों की लागत का ३० प्रतिशत राज सहायता के रूप में देने तथा मुफ्त पैकिंग और वाहन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने से इस आन्दोलन को सफल बनाने में काफी सहायता मिली है। बागबानी के ६ जोनों में से प्रत्येक को ट्रकें दी गई जिससे योजना की प्रगति अधिक तेजी से होने लगी और लाने-ले जाने में पौधे भी कम नष्ट हुए। उन पौधों का हिसाब रक्खा गया जो लगाये जाने से एक वर्ष के बाद भी बचे रहे और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार गत वर्ष के आन्दोलन के समय लगाये गये पौदों में से ४,१४,६०४ पौधे जीवित हैं। वर्ष में फल, ईंधन और चारे के कुल लगभग ११,२७,२८० पेड़ लगाये गये।

आगरा, इलाहाबाद, सहारनपुर, फैजाबाद, लखनऊ और चौबटिया के सरकारी बागों में ६ केंद्रीय पौधशालाओं (nurseries) में फल, ईंधन और इमारती लकड़ी के ४,४०,००० विश्वस्त किस्म के पौधे तैयार किये गये हैं, जबकि अल्मोड़ा और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों की ६ छोटी पौधशालाओं ने पर्वतीय बगीचे वालों की आवश्यकताओं को पूरा किया। गत वर्ष स्वीकृत की गई जिला हेडक्वार्टरों की १२ पौधशालाओं के अतिरिक्त, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, पीलीभीत और गोंडा के हेडक्वार्टरों में पांच पौधशालायें स्थापित की गईं और प्रांत में १८ जिलों के विकास ब्लाकों (blocks) में फल लगाने वाले ३० व्यक्तियों (growers) को निजी पौधशालायें स्थापित करने के लिए कुल मिलाकर २०,००० रु० की राज-सहायता दी गई। यह आशा थी कि एक या दो वर्ष में हेडक्वार्टरों की पौधशालाओं तथा राज-सहायता प्राप्त सभी पौधशालाओं में कार्य आरम्भ हो जाने से प्रान्त में बीजों और पौधों की मांग की पूर्ति होने में कोई कठिनाई न होगी।

तालाब खोदने का आन्दोलन--यह योजना प्रान्त के चुने हुए २२ पूर्वी जिलों में जारी रही, जहां कि सिंचाई मुख्यतया तालाबों से ही होती है। गत वर्ष के अनुदान में से जो ५७,८७५, रु० १ आना ४ पाई की धनराशि खर्च नहीं की जा सकी थी, वह इस वर्ष जिला विकास संघों के अधिकार में रख दी गई और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे पता चला है कि फैजाबाद, फतेहपुर, बनारस, जौनपुर, बलिया, बस्ती, बाराबंकी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर और देवरिया के जिलों में इस काम में काफी

अच्छी प्रगति हुई। बस्ती और जौनपुर के लिए क्रमशः ५,००० ० और ३,००० रु० के अतिरिक्त अनुदान भी स्वीकृत किये गये। छोटे तालाबों के अतिरिक्त बड़े तालाब खोदने के लिए भी व्यवस्था की गई और गोरखपुर में रामगढ़ और ससेहरा तालाबों के लिए ५,००० रु० का एक विशेष अनुदान दिया गया और बदायूं में लभारी बांध के लिए १४,५८१ रु० की धनराशि स्वीकृत की गई। आजमगढ़, बलिया, बनारस और इलाहाबाद में कई निकास नालियों तथा बंधियों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। इन निर्माण कार्यों में खेतिहरों ने स्वयं परिश्रम किया और सरकार ने निर्माण कार्यों की कुल लागत का केवल ५० प्रतिशत राज सहायता के रूप में दिया, पर शर्त यह थी कि निर्माण कार्यों की पूरी लागत इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत अधिकतम कुल धनराशि २ लाख रुपये से अधिक न हो। १५० पम्प द्वारा पानी निकालने के स्थिर-यंत्रों में से, जोकि लगवाये जाने वाले थे, ५९ स्थिर-यंत्र लगवाये गये, जिनमें से अधिकांश में १० हार्स पावर के इंजिन लगे थे, जो प्रति मिनट ३०० से ३५० गैलन तक पानी पम्प करने की क्षमता रखते थे। गत वर्ष खरीदे गये स्थिर यंत्रों के स्थान पर नये स्थिर-यंत्र लगाये गये, क्योंकि वे अधिक पानी दे सकते थे।

रूरल डेवलपमेंट रिक्वीजिशनिंग आफ लैंड ऐक्ट,

रूरल डेवलपमेंट रिक्वीजिशनिंग आफ लैंड ऐक्ट के अन्तर्गत निर्दिष्ट विकास प्रयोजनों के लिए भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में सहकारी समितियों के नियनों या गांव-सभाओं ने लगभग एक सौ प्रार्थना-पत्र भेजे। बहुत सी भूमि (land) स्वतन्त्र रूप से प्राप्त की गई तथा विकास कार्य के लिए काम में लाई गई। इस ऐक्ट के लागू होने से उतना काम तो न हो सका जितनी कि आशा की जाती थी। यह जानने के लिए कि यह ऐक्ट कहां तक लाभदायक सिद्ध हुआ है और यह कि और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए उसमें कौन कौन से संशोधन करने की आवश्यकता है, छानबीन की जा रही है।

बीज गोदाम सम्बन्धी अनुदान

इस नीति का अनुसरण करते हुए कि प्रत्येक विकास यूनियन (Development Union) के पास बीजगोदाम के लिए एक उपयुक्त इमारत होनी चाहिए जिसमें बीज, कृषि संबंधी औजार इत्यादि रक्खे जायं और जो यूनियन संबंधी समस्त कार्यवाहियों के केन्द्र के रूप में भी कार्य करे, सरकार ने वर्ष में नये बीजगोदाम की इमारतों के निर्माण के लिए ३ लाख रु० के अनुदान की स्वीकृति दी। ये अनुदान इस विभाग से सलाह-मशविरा करके दिये गये थे। १९४७-४८ ई० में स्थापित किये हुए ब्लाक यूनियनों को दिये गये अनुदानों की धनराशि २,५०० रु० प्रति इमारत तक सीमित रही, किन्तु प्रतिबंध यह था कि इन यूनियनों में से प्रत्येक यूनियन कम से कम ३,५०० रुपये की व्यवस्था स्वयं करे। १९४९-५० ई० में खोले गये यूनियनों के लिए अनुदानों की धनराशि ३,५०० रु० प्रति इमारत के हिसाब से इस शर्त पर निश्चित की गई थी कि इन यूनियनों में से प्रत्येक यूनियन २,५०० रु० की व्यवस्था स्वयं करे। यह भी आवश्यक था कि इमारतें स्टैन्डर्ड योजना के अनुसार बनें। इस तरह २,२४,००० रु० की एक धनराशि २८ जिलों में ७९ यूनियनों के लिए नियत की गई और २१,६५० रु० की दूसरी धनराशि १३ यूनियनों को उनके बीजों की शुद्धता तथा उनके द्वारा अपने बीज गोदामों का प्रबंध सफलतापूर्वक किये जाने के लिए उपहार के रूप में दी गई।

ट्यूबवेल (नल कूप) से निकाले गये पानी का वितरण

यह निश्चय किया गया था कि ट्यूब वेलों से निकाले जाने वाले पानी के वितरण का कार्य प्रयोगात्मक रूप में किसानों की सहकारी समितियों को सौंप दिया जाय। यह प्रयोग आरम्भ में केवल तीन जिलों में किया गया, अर्थात् बिजनौर, बदायूं और मुरादाबाद में और प्रत्येक जिले में केवल तीन कुओं तक ही सीमित रहा। थोकदारों की जगह पर तीन आदमियों की

एक उपसमिति बनाई गई जो वास्तव में इस बात का प्रबन्ध करती थी कि पानी का वितरण यथोचित रूप से हो। जिन किसानों की सम्मति ओसरा-बन्धियों को तैयार करने के संबंध में ली गई थी, उन्होंने इस नई योजना की प्रशंसा की और यह प्रस्ताव किया गया कि ट्यूबवेल-पानी-वितरण-योजना को निकट भविष्य में और जगहों में भी चालू किया जाय।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में आदर्श गांवों का पुनर्निर्माण

गत वर्ष जिन ग्यारह जिलों, यानी इलाहाबाद (बंधवा), बरेली (खालपुर) बदायूं (भरकिनयान), उन्नाव (जनापुर), कानपुर (सिंहपुर) सीतापुर (जहांगीराबाद), बलिया (सगरपली), गाजीपुर (कुर्था), मुरादाबाद (फत्तावाला), बनारस (डुमरी), में बाढ़ से अत्यधिक क्षति पहुंची थी, उनमें से प्रत्येक जिले में एक आदर्श गांव बनाने के लिए की गई कार्यवाहियों में काफी प्रगति हुई। सब मिलाकर लगभग २५० मकान बनाये गये। इन गांवों में सामूहिक रूप से किये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए जो अनुदान दिये गये थे उनसे कई कुयें खोदवाये गये और सड़कों तथा पानी के निकास की नालियों का निर्माण किया गया। किन्तु और अधिक प्रगति इमारती सामग्रियों की कमी के कारण रुक गई।

३१—उपनिवेशन

भूतपूर्व सैनिकों और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में से तीन योजनायें, जो पहले से ही कार्यान्वित की जा रही थीं, चालू रक्खी गई और चौथी योजना वर्ष के दौरान में नैनीताल जिले के काशीपुर में प्रारम्भ की गई। मेरठ गंगा खादिर और नैनीताल तराई की दो बड़ी उपनिवेशन योजनाओं से लाभ उठाने का अधिकार भूतपूर्व सैनिकों, विस्थापित व्यक्तियों, कृषि के ग्रेजुएटों तथा डिप्लोमा होल्डरों और राजनीतिक पीड़ितों को भी दे दिया गया जबकि द्रूनगिरि योजना से लाभ केवल भूतपूर्व सैनिक तथा राजनीतिक पीड़ित उठा सकते थे।

मेरठ गंगा खादिर

भूमि विकास और फसलें—खेती के योग्य बनाये जाने के प्रयोजनों के लिए प्राप्त की गई कुल ५५,६०३ एकड़ भूमि में से, २२,००० एकड़ भूमि में खेती करने का प्रस्ताव किया गया था। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए १९४८ ई० में ९,८६६ एकड़ भूमि में खेती की गई थी और इस वर्ष ८,६३० एकड़ भूमि में खेती की गई है, जिससे खेती की गई सारी भूमि १८,४९६ एकड़ हो गई। प्राप्त किये गये क्षेत्र के शेष भाग को, मुख्यतया उक्त क्षेत्र में स्थित नये गांवों के पशुओं और पास पड़ोस के गांवों और जिलों के पशुओं के लिए, चरागाह बना दिया गया। इन गांवों और जिलों के लिए वह एक अन्तरजिला चरागाह बना रहा। कोहले में लगभग ७,००० एकड़ भूमि में जंगल लगाने का प्रस्ताव था जिससे कि ईंधन की व्यवस्था हो सके और इमारती लकड़ी मिल सके और तखमीनन ७,००० एकड़ की दूसरी भूमि पर मौजूदा काश्तकार खेती कर रहे थे, जिन्हें बेदखल करने का विचार नहीं था। वर्ष में उपनिवेशों में बसने वालों ने लगभग १६,३६० एकड़ भूमि में खरीफ की फसलें बोईं, परन्तु उस काल में जब मानसून आता है बहुत अर्से तक पानी न बरसने के कारण सूखा पड़ गया जबकि वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी और बाद में गंगा नदी की एक धारा में बाढ़ आ जाने से बोये गये क्षेत्र के एक बड़े भाग को क्षति पहुंची। तिस पर भी १३,००० मन धान; ३,००० मन जूट, चना और दूसरी फसलें; ४०० मन शकरकंद; ४,००,००० मन ईख और १० मन विभिन्न फसलें हुईं

या ५३,००० मन चारे की पैदावार के अतिरिक्त कुल पैदावार ४,१६,४१५ मन हुई। रबी में ६,८१५ एकड़ भूमि में बुआई की गयी—राज्य फार्म में ६४२.८ एकड़ में, डेरी फार्म में ३१० एकड़ में और शेष सहकारी समितियों द्वारा —जिसमें से कम से कम ५,४१५ एकड़ में गेहूं बोया गया और १,०९७ एकड़ में जौ।

डेरी (दुग्धशाला) फार्म—१,००० एकड़ का एक डेरी (दुग्धशाला) फार्म बनाया गया। उसमें फैक्टरी तथा अन्य इमारतें बनने लग गयी थीं। कुछ दूध देने वाले पशु खरीदे गये और यह प्रस्ताव था कि २०० दूध देने वाले पशुओं की एक डेरी (दुग्धशाला) खोली जाय और पशुओं की नस्लकशी का एक फार्म भी खोला जाय।

बसने वालों के लिये घर—लगभग १,८०० बसने वालों के लिए मकान बनाने का कार्यक्रम था। इनमें से १,२४१ मकान १७ नये गांवों में बनाये गये जिनकी लागत प्रति मकान के हिसाब से १,२००—१,४०० रु० थी। मवाना से हस्तिनापुर तक की आठ मील लम्बी सड़क पूरी की गई और उस पर पत्थर के टुकड़े कूट कर डाले गये और गंगा खादिर के अन्दरूनी भाग में ४० मील लम्बी एक कच्ची सड़क भी बनायी गई जिससे कि विभिन्न गांवों और फार्मों के बीच संबंध स्थापित हो जाय और वे फार्म की सड़कों के रूप में भी काम आ सकें। पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए ४ ट्यूबवेल गलाये गये और २ अस्थायी पुल—एक बरही गंगा और दूसरा नेहरी पर—तथा ५ पुलियां बनाई गईं।

हस्तिनापुर नगर—२०,००० एकड़ भूमि को खेती के योग्य बना लेने और उस पर विस्थापित व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बस जाने से यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि प्रशासकीय और वाणिज्य संबंधी सुविधाओं के लिए एक नये नगर का निर्माण किया जाय। तदनुसार भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने ६ फरवरी, १९४९ ई० को हस्तिनापुर में इस नये नगर का शिलान्यास किया। नगर का वह क्षेत्र, १,००० एकड़ होगा जिसमें १०,००० आदमियों को बसाने की योजना बनायी गई थी और जिसमें उसके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर उसका अपना जल-कल (Water-works) और बिजली घर होगा। ११० एकड़ क्षेत्र में एक नागरिक केन्द्र भी खोला गया जिसमें (१) डेरी की इमारत, (२) पशु चिकित्सा का एक अस्पताल, (३) एक बिजली घर, (४) एक सिविल अस्पताल, (५) सहकारी फार्म भवन—पंचायत घर, बीजगोदाम और कृषि कार्यालय, (६) इन्सपेक्शन हाउस और (७) विस्थापित व्यक्तियों के लिए २० क्वार्टर्स होंगे। ये सब इमारतें करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं।

मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां—मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां ९८ वर्गमील के क्षेत्र में की गईं, जिसमें ६६ गांव थे, जिनमें से १६ गांवों की स्थापना हाल ही में की गयी थी। डी० डी० टी० छिड़कने का कार्य, मौसम के अनुसार चार या छः हफ्तों के बाद व्यापक रूप से किया गया। कीटडिंभ नाशक (anti-larvae) उपाय काम में लाये गये और पुराने तलैयों में से कुछ को मत्स्य-पालन तालाबों में परिणत करने का भी एक प्रस्ताव था। पालुड्रीन हाइड्रोक्लोराइड की कुल ३,०९,९८३ गोलियां बांटी गईं और वह क्रीम, जिसके लगाने से मच्छड़ नहीं काट सकता प्रतिमास सप्लाई किया गया। वयस्क और बच्चों में भी स्प्लीन रेट तथा इन्सपेक्शन रेट की काफी कमी हुई और इसका उल्लेखनीय परिणाम हुआ, क्योंकि मलेरिया के मौसम में जुलाई

से नवम्बर तक लतीफ़पुर के कैम्प औषधालय में आने वाले रोगियों में से औसतन केवल ६ प्रतिशत मलेरिया के रोगियों को रोगी शय्याएं दी गईं। लतीफपुर के इस कैम्प औषधालय ने एक ऐसे क्षेत्र में जहां कोई और चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं था, बड़ा उपयोगी कार्य किया ।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य दोनों सेवाओं की सब मदों पर कुल ८१,०६६ रु० ९ आना ९ पाई व्यय हुआ और इन सेवाओं से कुल १३,९११ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा।

जंगल लगाना---रेतीले टीले, जिनको खोला कहते हैं, मुख्य भूमि और खादिर के बीच विभाजक रेखा की तरह होते हैं। चूंकि यह आवश्यक समझा गया था कि इस क्षेत्र को ठीक दशा में रखकर इसमें इस उद्देश्य से जंगल लगाये जायं कि नये उपनिवेशन के लिए ईंधन और इमारती लकड़ी के रिज़र्व की व्यवस्था हो जाय, इसलिए चट्टानी क्षेत्र की ७,००० एकड़ भूमि में जंगल लगाने की योजना बनाई गई और लगभग ३०० एकड़ भूमि में जंगल लगाये गये।

भूतपूर्व सैनिक, राजनीतिक पीड़ित और विस्थापित व्यक्ति---गंगा खादिर में १,३८६ परिवार वर्ष समाप्त होने तक बसाये गये, जिनमें से ९५२ परिवार विस्थापित व्यक्तियों, ४२४ भूतपूर्व सैनिकों और १० राजनीतिक पीड़ितों के थे।

सहकारी समितियां---१६ सहकारी समितियां---११ विस्थापित व्यक्तियों की और ५ भूतपूर्व सैनिकों की---एक कंज्यूमर्स स्टोर्स और एक महिला औद्योगिक सहकारी समिति (Women's Industrial Co-operating Societies) वर्ष में बनाई गई। समितियों के कुल सदस्यों की संख्या १,३१८ थी। लगभग ८,००,००० रु० ऋण दिया गया, जिसमें गंगा खादिर कोआपरेटिव स्टोर्स को दिया गया ५०,००० रु० सम्मिलित था। चूंकि अन्तिम उद्देश्य यह है कि सहकारिता के आधार पर और यंत्रों की सहायता से खेती की जाय, इसलिए सभी प्राथमिक सहकारी समितियां मिलकर एक संघ (फेडरेशन) बनायेंगी जो मुख्य रूप से सामंजस्य स्थापित करने वाली, वित्त का प्रबन्ध करने वाली, देख-रेख करने वाली और कानून बनाने वाली संस्था होगी। संघ इस बात के लिए भी जिम्मेदार होगा कि वह समितियों से वसूलियां करे और सरकारी ऋणों को, जिनसे उनका वित्त-पोषण हो रहा हो, अदा करे। सरकार ६ लाख रुपया पेशगी इन समितियों को इसलिए दे चुकी है कि वे उसे अपने सदस्यों को बांटे।

नैनीताल तराई उपनिवेशन योजना

तराई के विकास करने में गम्भीर समस्यायें उत्प हो गईं, जैसे यातायात के साधनों की कमी, संघातिक मलेरिया, मिट्टी में नमी का होना, जिसके कारण जोतने और बोने के लिए बहुत कम समय मिलता ह, जंगल और मजदूरों की कमी। इसलिए इन कठिनाइयों को दूर करन के लिए तराई और भाबर विकास समिति (Development Committee) की सिफारिशों के अनुसार एक सुनियोजित योजना बनाई गई और सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन (केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन) ने ४ जनवरी, १९४८ ई० को पहली बार दुबीली भूमि में जोताई की।

भूमि विकास और फसलें---१९४८-४९ ई० में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (सेन्ट्रल ट्रैक्टर आगनाइजेशन) की सहायता से ४,५०० एकड़ भूमि और

प्रान्तीय ट्रैक्टर संगठन (प्राविन्शियल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन) की सहायता से १,४४९ एकड़ भूमि खेती के योग्य बनाई गई, और १९४९–५० ई० में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने ५,१५० एकड़ और प्रान्तीय ट्रैक्टर संगठन ने १,०३५ एकड़ भूमि खेती के योग्य तैयार की। इसके अतिरिक्त डेरी फार्म में १,००० एकड़ भूमि तोड़ी गई। सब मिलाकर कुल १३,००० एकड़ से ऊपर भूमि खेती के योग्य बनाई गई। इसके बाद की कृषि सम्बन्धी कार्रवाइयां अर्थात् हल से जोतना और सरावन देना अधिकतर प्रान्तीय ट्रैक्टर यूनिट द्वारा की गई और सरकारी कोआपरेटिव तथा डेरी फार्मों में १०,७२८ एकड़ में खरीफ की विभिन्न फसलें और ४,२५२ एकड़ में रबी की फसलें बोई गई। गन्ना और जूट क्रमशः १,१९७ और ९५७ एकड़ में बोया गया। इस प्रकार दोनों फसलों में कुल १४,९८० एकड़ के क्षेत्र में बुआई की गई।

डेरी (दुग्धशाला)—नगला में जो सरकारी डेरी ९४ पशुओं से खोली गई थी उसमें वर्ष में पशुओं की संख्या बढ़कर ६४६ हो गयी। दूध के उत्पादन का औसत प्रति दिन २,१०० पौन्ड था और यह दूध उपनिवेशन क्षेत्रों में (Colonisation) तथा उसके आगे यहां तक कि पहाड़ों में हल्द्वानी और नैनीताल में बांटा गया। जाड़े में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त दूध की खासी बचत हुई और बहेरी तक दूध की सप्लाई का प्रबंध किया गया।

बसने वाले लोगों के मकान और सड़कें—बने हुए पक्के मकानों की संख्या ५५० हो गई और प्रत्येक मकान की लागत २,५०० रुपये से लेकर ३,००० रुपये तक थी। नगला से रुद्रपुर तक बनाई गई १२ मील लम्बी नई सड़क के अलावा रुद्रपुर–गरारपुर खंड (सेक्शन) में ७ मील लम्बी पक्की सड़क तैयार की गई। इसके अतिरिक्त बसाये गये ११ नये गांवों से मिलाने के लिए और उत्तर में सरकारी फाम के लिए सुर–क्षित क्षेत्र तक आने-जाने का मार्ग बनाने के लिए लगभग २५ मील कच्ची सड़कें बनाई गईं। दुग्धशाला की इमारत बन कर तैयार हो गई और एक बीज-गोदाम बन कर तैयार हो गया जिसमें लगभग १,००० टन गल्ला रक्खा जा सकता है, रुद्रपुर में एक सिविल अस्पताल, जिसमें मलेरिया निरोधक शाखा शामिल है, करीब-करीब तैयार हो चुका था, ६ ट्यूबवेल तयार किये गये थे और १२ मील लम्बी गन्दे पानी के निकास की नालियां खोदी गईं।

मलेरिया-निरोधक-कार्यवाहियां—५१ गांवों में, जिनमें ११ गांव नये स्थापित किए गये थे, लगभग ५२,००० एकड़ के क्षेत्र में मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां की गई। गांवों की स्थायी झोपड़ियों और ट्रैक्टर यूनिट कैम्पों में डी० डी० टी० का छिड़काव ६ हफ्ते के नियमित अन्तर से तथा मानसून के समय में और उसके बाद ४ हफ्ते के अन्तर से किया गया। उस क्षेत्र के गांव वालों, बसने वालों और काम करने वाले कर्मचारिवर्ग को मलेरिया से बचाने के हेतु आवश्यक मात्रा में उपयोग करने के लिए ७,७१,६४२ पालुड्रिन की टिकिया बांटी गई। इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप उन स्थानों में, जहां पर मलेरिया का घोर प्रकोप रहा करता था इसका प्रकोप ही कम नहीं रहा वरन् लोग भी कम बीमार पड़े और अस्पताल में मलेरिया के रोगियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में ३० प्रतिशत से भी कुछ अधिक कम हो गई। इसके अलावा, स्थानीय दशाओं के सुधरने के कारण और मजदूरों के मिलने के फलस्वरूप गोकुलनगर की शक्कर मिल, जो बन्द पड़ी थी, फिर चालू की गई और सरकारी अमला तथा उपनिवेश में रहने वाले, दोनों ही को मलेरिया के मौसम में कोई असाधारण हानि नहीं उठानी पड़ी।

विस्थापित व्यक्ति--विस्थापित व्यक्तियों के लगभग ३५० परिवारों और राजनीतिक पीड़ितों के १४ परिवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों को जमीनें दी गई। इसके अतिरिक्त ९५७ परिवार एलाटमेंट की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस बीच में वे खेतिहर मजदूर की हैसियत से काम कर रहे थे। भूमि बन्दोबस्त की ८ सहकारी समितियां (लैन्ड सेटिलमेंट कोआपरेटिव सोसाइटीज़) और २ सहकारी उपभोक्ता स्टोर भी खोले गये। सहकारी समितियों के सदस्यों ने १,७२९.५ एकड़ भूमि में रबी की फसलें बोईं, जिसके लिए उपनिवेशन विभाग ने बीज दिये थे।

दूनागिरी उपनिवेशन योजना

अगस्त, १९४७ ई० में २,६६५ एकड़ क्षेत्र वाला दूनागिरी उपनिवेश ३ लाख रुपये में खरीदा गया था और वर्ष में ४-४ एकड़ के ८७ प्लाट बराबर किये गए, सीढ़ीनुमा खेत तैयार किए गए और बसने वालों को दिये गये। सीढ़ीनुमा खेत तैयार करने और बराबर करने में कुल ८,२८,७९५ रु० व्यय हुआ। २५ उपनिवेशियों ने खरीफ की फसल बोई और ४० प्लाटों में रबी की खेती की गई। इस वर्ष के भीतर २२२ नये प्लाटों की हदबन्दी की गई, जिनमें से १०७ प्लाट भूतपूर्व सैनिकों को और ५७ प्लाट राजनीतिक पीड़ितों को दिये गये। ३३ बसने वालों ने स्वयं खेतों को बराबर करना और सीढ़ीनुमा खेत तैयार करना आरम्भ किया। बसने वालों के लिए ८,८२० रुपये की लागत के ६ मकान बनवाये गये और २० बसने वालों ने अपने घरों के बनाने का काम स्वयं हाथ में लिया। एक सहकारी समिति बनाई गई और घरों के निर्माण के लिए तथा सीढ़ीनुमा खेत तैयार करने के लिए ७३,००० रुपये तक के ऋण स्वीकृत किये गये। संयुक्त प्रान्त युद्धोत्तर सेवा पुनस्संगठन कोष ट्रस्ट द्वारा दूसरी फसल के कटने के समय तक के लिए १० भूतपूर्व सैनिकों को भरण-पोषण के लिए १०० रु० प्रति बसने वाले के हिसाब से ऋण दिया गया। ६,८०० रुपये की लागत पर सरकारी बगीचे के लिए ८ एकड़ से अधिक भूमि बराबर की गई और सीढ़ीनुमा खेत तैयार किये गये। चीड़ के पेड़, जो कृषि के लिए बाधक समझे जाते थे, जड़ से उखाड़ दिये गये और १६,००० रुपये में बेच दिये गये, जबकि लीसा, चराई और घास से ३,५७० रु० आय हुई। किन्तु आलू की फसल सूखा पड़ने के कारण भली-भांति नहीं हुई, जिससे १३,२२३ रुपये की हानि हुई।

काशीपुर उपनिवेशन योजना

इस वर्ष उत्तरी काशीपुर उपनिवेशन योजना चालू की गई और ४८ गांव, जिनमें कुल ३६,८६५ एकड़ भूमि है, कृषि योग्य बनाने और उपनिवेशन के लिए प्राप्त किये गये। इसके अलावा वन विभाग के तीन गांव जिनका क्षेत्र-फल १,७९९ एकड़ है, इसमें सम्मिलित कर लिये गये, जिससे उपनिवेशन के लिए कुल क्षेत्रफल ३८,६६४ एकड़ हो गया। इंडियन रिसर्च फंड एसोसियेशन के ऐन्टी मलेरिया यूनिट को बदली कालाढुंगी से काशीपुर को की गई और जून, १९४९ ई० में डी० डी० टी० का छिड़कना और पालुड्रिन से रोग निरोधात्मक चिकित्सा आरम्भ की गई। प्रान्तीय श्रम ग्रूप के दो यूनिट उस सड़क के निर्माण के लिए भेजे गये जो काशीपुर-जैसपुर सड़क पर कुन्डा गांव के उत्तर से रामपुर-काशीपुर सड़क पर पिपलसाना तक के किलावली और हेम-पुर (गौशाला) फार्म होती हुई आगे काशीपुर-जैसपुर सड़क के दक्षिण काशीपुर-ठाकुर द्वारा सड़क से जा कर मिलेगी। सड़क के ११ १/२ मील तक मिट्टी डाली गई। काशीपुर से ३ मील की दूरी पर काशीपुर-जैसपुर सड़क पर कुंडा गांव में केन्द्रीय ट्रैक्टर और संयुक्त प्रांतीय ट्रैक्टर संगठन के यूनिटों के लिए जगह की व्यवस्था अस्थायी आधार पर की गई। वर्ष के अन्त में निर्माण कार्य को चालू रखने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक पूरा डिवीजन स्थापित किया गया।

जुलाई के महीने में कृषि विभाग के एक छोटे से अमले की बदली, जिसमें प्रथम ग्रूप का १ इंसपेक्टर, द्वितीय ग्रूप के २ इन्सपेक्टर और तृतीय ग्रूप के ६ इंसपेक्टर सम्मिलित हैं, गंगा खादिर से इस क्षेत्र को की गई। २४० एकड़ के इलाकों में फार्म के तैयार करने का काम अक्तूबर, १९४९ ई० तक समाप्त हो चुका था और कृषि संबंधी सम्भावनाओं के लिये जमीन की जांच-पड़ताल और खरीफ कार्यक्रम तैयार करने का काम हो रहा था। इस क्षेत्र में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के जल्दी आने की आशा थी, किन्तु विभिन्न कारणों से उसके आने में विलम्ब हुआ। यह दिसम्बर के मध्य में आया और फलस्वरूप वर्ष के अन्त तक बहुत कम काम हो सका।

भरसार उपनिवेशन योजना

भरसार के लिए, जो गढ़वाल पहाड़ियों पर एक छोटा सा उपनिवेश है और जो पौड़ी से २४ मील पर स्थित है और जिसका क्षेत्र ३०० एकड़ है, एक उपनिवेशन योजना तैयार की गई, किन्तु आवश्यक अमले के आने में विलम्ब होने के कारण भूमि के बराबर करने का काम और सीढ़ीनुमा खेत तैयार करने का काम इस वर्ष आरम्भ न किया जा सका।

कुल व्यय

दिसम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक पांचों उपनिवेशन योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय हुआ :—

(१) गंगा खादिर उपनिवेशन योजना, जिला मेरठ में	३३,८९,१७० रु०;
(२) नैनीताल तराई उपनिवेशन योजना, जिला नैनीताल में	५१,६३,५११ रु०;
(३) दूनागिरी उपनिवेशन योजना, जिला अल्मोड़ा में	२,३४,०२२ रु०;
(४) काशीपुर उपनिवेशन योजना, जिला नैनीताल में	६,५३,२०३ रु०;
(५) भरसार उपनिवेशन योजना, जिला गढ़वाल में .	२०,००० रु०;
या कुल बड़ा योग ..	९४,५९,९०६ रु०

३२—सार्वजनिक निर्माण-कार्य

(क) इमारतें तथा सड़कें

मूल निर्माण कार्यों तथा सड़कों और इमारतों के रख-रखाव के लिए १९४९–५० ई० के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में पहले १२.६१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु बाद में वित्तीय संकट के कारण इस धनराशि में ३·३३ करोड़ की कमी कर दी गई, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक निर्माण इत्यादि के लिए केवल ९.२८ करोड़ की धनराशि शेष रह गयी।

सड़कें—

बजट की कुल ९.२८ करोड़ रुपये की धनराशि से ५.१० करोड़ रुपये की धनराशि सड़क संबंधी निर्माण कार्यों के लिए नियत कर दी गयी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दौर नं० १ के कार्यक्रम में सड़कों के विभिन्न वर्गों के

अन्तर्गत निम्नांकित लम्बाई की सड़कों के सुधार, पुनर्निर्माण और निर्माण का कार्य किया :—

	सड़क का वर्ग	मीलों मे दूरी	नवम्बर, १९४९ ई० तक की प्रगति
१	राष्ट्रीय राज मार्ग	.. ५०९ मील ..	१,४७५ मील सड़क में मिट्टी डालने का काम पूरा किया गया। सड़क पक्की बनाने का काम ५९४ मील तक पूरा किया गया।
२	प्रान्तीय राज मार्ग	.. ९१० मील ..	
३	बड़ी जिला सड़कें	.. ७३२ मील ..	
४	अन्य जिला सड़कें तथा ग्राम सड़कें	५,६५५ मील ..	४,४८० मील सड़क में मिट्टी डालने का काम पूरा किया गया और १,६४० मील तक ईट और सीमेंट का काम पूरा किया गया।
५	सीमेंट कंकरीट से बने रास्ते	५०१ मील ..	४०४ मील सड़क में मिट्टी डालने का काम पूरा किया गया। ३ मील सीमेंट और कंकरीट से रास्ते बनाने का काम पूरा किया गया।

उपर्युक्त सड़कों या रास्तों के अतिरिक्त २,४१९ मील लम्बाई की जिला बोर्डों की पक्की सड़कों को फिर से बनाने का काम अपने जिम्मे लिया गया और इनमें से १,८१४ मील सड़क फिर से बनायी गयीं और शेष भाग को फिर से बनाने का काम किया जा रहा था।

राष्ट्रीय राजमार्ग—

राष्ट्रीय राज मार्गों की श्रेणी में आने वाली सड़कों में १,४७९ मील सड़क का रख-रखाव प्रान्तीय सरकार ने किया, जिसके लिये वित्तपोषण की जिम्मेदारी एकमात्र केन्द्रीय सरकार की थी। राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार और निर्माण के पंचवर्षीय कार्यक्रम में निम्नांकित निर्माण कार्यों के लिए लड़ाई से पहले की दरों के अनुसार १६१.०४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी—

(१) सड़कों का सुधार—५०९ मील।

(२) उपमार्गों (Bye-passes) और मार्गों को परस्पर मिलाने वाले नये रास्तों (connecting links) का निर्माण—७५ मील।

(३) सगुर, बैंगुल, बाखरा, राप्ती और सरजू नदियों के ऊपर ६५ बड़े-बड़े (major) पुलों का निर्माण और गढ़ नामक स्थान पर गंगा नदी के ऊपर रेलवे पुल पर तख्ते लगाना (deckiug) ।

सुधार का काम जो करना था वह अधिकांश यह था कि डब्ल्यू० बी० फर्श (surface) को बदल कर उसे ब्लैक टाप (Black top) से या सीमेंट कंकरीटों के बने चौखटों (slabs) से बनाया जाय ताकि उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आमदरफ्त के बावजूद भी वह कायम रहे। यद्यपि काम की प्रगति अच्छी रही फिर भी सीमेंट की कमी और पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (stone ballasts) और बालू आदि ढोने के लिए रेल के डब्बों की कमी के कारण अधिक कार्य नहीं हो सका। इसलिए इस उद्देश्य से कि काम तेजी से हो, निर्धारित विवरण में कुछ साधारण परिवर्तन कर दिये गये ताकि ईंट और ईंट के टुकड़ों (brick ballasts) जैसी स्थानीय उपलब्ध होने वाली सामग्री का अच्छा से अच्छा उपयोग हो सके।

पुल--राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम में सम्मिलित ५ पुलों में से केवल दो पुल दिल्ली-मेरठ-बरेली सड़क पर बैंगुल और भाकरा नदियों पर बनाने के लिए स्वीकृति मिली, किन्तु यह निर्माणकार्य भी काफी देर के बाद ही शुरू किया जा सका। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह देखा गया कि गढ़ नामक स्थान के रेल वे पुल में तख्ता लगाने में खर्च अधिक पड़ेगा इसलिए भारत सरकार ने वहां एक नया पुल बनाने के लिये स्थान की पैमाइश किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

प्रान्तीय सड़क कार्यक्रम में निम्नांकित प्रमुख पुलों का बनाया जाना भी सम्मिलित था:--

क्रम संख्या	पुल का नाम	जिला	आकार	विशेष विवरण
१	भगैन	बांदा	१,००० फीट लम्बा	
२	बरवा नदी	बांदा	२६० फीट लम्बा	
३	पयस्विनी	बांदा	३२० फीट लम्बा	
४	फरेन	गोरखपुर	३०० फीट लम्बा	
५	छोटी गंडक	गोरखपुर	५०० फीट लम्बा	
६	सतपुली	गढ़वाल	१२० फीट लम्बा	
७	नन्द प्रयाग	गढ़वाल	१२० फीट लम्बा	
८	कर्णप्रयाग	गढ़वाल	१८४ फीट लम्बा	
९	असान	देहरादून	३०० फीट लम्बा	*
१०	सोत नदी	बदायूं	२४० फीट लम्बा	*
११	खाखरा	पीलीभीत	२०० फीट लम्बा	

* ये पुराने पुल थे जो क्षतिग्रस्त हो गये थे और वे फिर से बनाये जा रहे थे।

इन पुलों को बनाने का काम जारी था, किन्तु सामान की कमी और शीघ्रता के साथ काम पूरा करने के लिए आवश्यक औजारों और दूसरे उपकरणों की कमी तथा हाल में बजट की धनराशि में कमी किये जाने के कारण काम पूरा करने में विलम्ब हुआ। कटौती के फलस्वरूप विभाग को नये पुल बनाने का काम भी स्थगित करने के लिए विवश होना पड़ा।

सामान्यतः प्रान्तीय सड़क कार्यक्रम में सम्मिलित ऐसी सभी सड़कों के बनाने का काम संतोषजनक रूप में चल रहा था, जिनके लिए सिमेंट और पत्थर इत्यादि की आवश्यकता न थी। युक्त प्रान्त में सड़क निर्माण कार्य-क्रम के प्रथम दौर में कुल लगभग १०.०० करोड़ रुपया खर्च हुआ।

इमारतें--इमारत संबंधी निर्माण कार्यों के लिए बजट में पहले २.९१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन बाद में कमी करके २.०८ रु० नियत किया गया। सीमेंट, इस्पात, ईंट, लकड़ी इत्यादि जैसे इमारती सामान के मिलने में कठिनाई होने के कारण भी निर्माण-कार्य में बाधा पहुंची। फिर भी इस वर्ष जो खास-खास इमारतें बनायी जा रही थीं वे ये हैं:--

क्रम संख्या	इमारतें	लगभग कितना व्यय हुआ	कितना काम हुआ
१	विधान मंडल के सदस्यों के लिए लखनऊ में निवास गृह	४४.५२ लाख रु०	६३ प्रतिशत तक काम हुआ।
२	प्रथम दौर के कार्य-क्रम में लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज ऐण्ड असोसिएटेड हास्पिटल का विस्तार	५३.६८ लाख रु०	(१) तिमंजिला वार्ड, (२) २७२ छात्रों के लिए छात्रावास, (३) बिजली के कुओं तथा (४) विजय होस्टल का और अधिक विस्तार करने के सिवाय बाकी काम पूरा हो गया।
३	ग्रामीण क्षेत्रों में १०३ अतिरिक्त औषधालयों का बनाया जाना	३६.७ लाख रु०	४१ औषधालय पूरे हो गये, ३ लगभग पूरे होने वाले हैं, ३६ बन रहे हैं और बाकी औषधालयों के बनाने का काम स्थगित कर दिया गया।
४	ऐशबाग, लखनऊ में एक माडर्न प्रिंटिंग प्रेस (आधुनिक मुद्रणालय) की इमारत बनाना	१७.६५ लाख रु०	२८ प्रतिशत तक काम पूरा हो गया।

क्रम संख्या	इमारतें	लगभग कितना व्यय हुआ	कितना काम हुआ
५	कानपुर में कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर, श्रम कमिश्नर और सहायक आबकारी कमिश्नर के लिए इमारतें	११.०० लाख रु०	काम पूरा हो गया।
६	लखनऊ में आकूपेशनल (व्यावसायिक) इन्स्टीट्यूट के संबंध में इमारतें	९.०० लाख रुपया	७८ प्रतिशत तक काम पूरा हो गया।
७	मथुरा में नया पशु-चिकित्सा कालेज	२०.०० लाख रु०	अस्थायी इमारतें पूरी हो गईं और स्थायी इमारत में प्रशासन तथा छात्रावास ब्लाक पूरे होने वाले हैं।
८	कानपुर में नर्सों के प्रारम्भिक ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) के लिए सेन्ट्रल स्कूल	८.५२ लाख रु०	९१ प्रतिशत तक काम पूरा हो गया।
९	झांसी, बरेली, नैनीताल और मेरठ में मौजूदा अस्पताल की इमारतों का सुधार	६.६५ लाख रु०	मेरठ और नैनीताल में काम पूरा हो गया और बरेली और झांसी में पूरा होने वाला है।
१०	ब्रांच ओषधालयों में १८० नर्सिंग अर्दलियों के लिए १८० क्वार्टर	६.३० लाख रु०	१५३ क्वार्टर पूरे हो गये, ६ बन रहे हैं और बाकी को बनाने का काम स्थगित है।
११	२० बेसिक बीज गोदाम	७.१४ लाख रु०	१८ स्टोर, एक बन रहा है और एक अभी शुरू नहीं हुआ।
१२	देहरादून में दून अस्पताल का विस्तार	३.५ लाख रु०	काम पूरा हो गया।
१३	मिट्टी स्थिरीकरण योजना के संबंध में लखनऊ में अनुसंधान-शाला	३.७७ लाख रु०	काम पूरा हो गया।
१४	इस्टेट अस्पतालों (Estate Hospitals) में ७५ कम्पाउन्डरों के क्वार्टर	३.७५ लाख रु०	५३ क्वार्टर पूरे हो गये, ३ बन रहे हैं और शेष स्थगित हैं।

क्रम संख्या	इमारतें	लगभग कितना व्यय हुआ	कितना काम हुआ
१५	कानपुर में नर्सेज होम का विस्तार	३·०० लाख रु०	काम पूरा हो गया।
१६	किंग जार्ज मेडिकल कालिज, लखनऊ में काटेज वार्ड	३.१८ लाख रु०	६६ प्रतिशत तक काम हो चुका और शेष स्थगित है।
१७	कानपुर में गवर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल की इमारत	२.१६ लाख रु०	८२ प्रतिशत तक काम हो चुका और शे हो रहा ।
१८	लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए छतर मंजिल पैलेस इमारत में हेर-फेर	५.०० लाख रु०	काम शुरू हो गया और ११ प्रतिशत तक काम हो गया।
१९	लैंसडाउन, जिला गढ़वाल में जी० आई० इन्टरमीडिएट कालेज में छात्रावास और क्वार्टर	२.५९ लाख रु०	काम पूरा हो गया।

इसके अतिरिक्त शरणार्थियों के लिए नये निर्माण-कार्य आरम्भ किये गये जिनमे उनके लिए ए और बी टाइप के ४,००० क्वार्टर भी सम्मिलित थे। किन्तु अगस्त के महीने में इस कार्य-क्रम में कटौती करनी पड़ी और इसलिए केवल १३४ क्वार्टर ही बनाये जा सके। इसके अतिरिक्त शरणार्थियों के लिए २,६०० दूकानें सहित निवास-गृह (shop-*cum*-residences) भी बनाये गये और हाल में ए और बी टाइप के ८० क्वार्टरों के बनाने का काम हाथ में लिया गया।

गंगा खादिर उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत सड़कें इत्यादि पूरी की गईं और बसने वालों के लिए अस्पताल बनाये जा रहे थे तथा उनके बनाने का काम तेजी के साथ हो रहा था। किछा के निकट तराई भाबर उपनिवेशन योजना भी इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण में आ गयी और सड़कों तथा अस्पतालों, कार्यालयों और कारखानों जैसी अत्यन्त महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण के कार्य संतोषजनक रूप से चल रहे थे। कुछ सड़कें और इमारतें पहले ही पूरी हो चुकी थीं। मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-रामनगर सड़क की काशीपुर-रामनगर शाखा, जो काशीपुर उपनिवेशन क्षेत्र में प्रधान सहायक सड़क (Feeder road) का काम देने के उद्देश्य से बनायी गयी थी, आमदरफ्त के लिए खोल दी गयी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसंधान केन्द्र (Research Station) का भवन, जिसका निर्माण वर्ष के प्रारम्भ में ही शुरू हो चुका था,

बन कर तैयार हो गया और केवल सफाई संबंधी प्रसाधन (sanitary fittings) और बिजली लगाने का काम बाकी रह गया था और वह भी लगभग पूरा हो रहा था। इंडियन सप्लाई मिशन के ज़रिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ३०,००० डालर मूल्य की सज्जा प्राप्त हो चुकी थी और १०,००० डालर मूल्य की शेष आवश्यक सज्जा के शीघ्र ही आने की आशा थी। अनुसंधान प्रयोगशाला जब नयी सज्जा से सुसज्जित हो जायगी तो इस केन्द्र (station) को विभिन्न प्रकार की मिट्टी, कंकरीट, ऐग्रीगेट और बिटुमेन तथा दूसरे इमारती सामानों के संबंध में परीक्षण और अनुसंधान करने की पूर्ण सुविधा प्राप्त हो जायगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सज्जा की जो नयी चीजें आयीं उसमें प्रचुर मात्रा में कंकड़ मिलने की नयी जगहों और पानी के स्तर (water table) इत्यादि का पता लगाने के लिये भूतल के भौगोलिक पदार्थ विज्ञान संबंधी (Geophysical) जांच-पड़ताल करने के उपकरण तथा सीमेंट की सोनिक टेस्टिंग के नये उपकरण भी सम्मिलित थे। मिट्टी तथा इमारती सामान परीक्षण के दिन प्रतिदिन के काम के अतिरिक्त, यह अनुसंधान केन्द्र चूना, स्लिजशीरा, टैन लिकर, लिगनिन, लिकर तथा शराब तैयार करने के बाद बची हुई बेकार वस्तु (Brewery Spent Wash) जैसी उद्योगों की बेकार जाने वाली चीजों के जरिये मिट्टी के स्थिरीकरण की समस्याओं को हल करने का काम भी करेगा। राल (Resin), इमली के बीज और नीम के बीज से मिट्टी की, विशेष कर रुई पैदा करने की काली मिट्टी को पानी द्वारा प्रभावित न होने देने (Water-proofing) के संबंध में प्रयोग पहले से ही किये जा रहे थे। सड़क बनाने के लिए मिट्टी के स्थिरीकरण के दूसरे कई तरीकों के संबंध में इस बीच लखनऊ जिले में बरहनी-हरैनी सड़क पर प्रयोग किये जा रहे थे। विक्टोरिया पार्क, लखनऊ में शरणार्थियों के लिए सीमेंट कंकरीट के हालो ब्लाक (hollow blocks) और सीमेंट कंकरीट के पूर्व निर्मित पैनेल टाइप (Panel type) मकान भी बनाये गये।

भूमि का प्राप्त किया जाना—प्रान्तीय लैन्ड एक्वीजीशन अफसर, तीन डिप्टी लैन्ड एक्वीजीशन अफसरों की सहायता से लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अधीन प्राप्त की गयी भूमि के संबंध में जन स्वास्थ्य विभाग और जिलों के माल विभाग के अधिकारियों के बीच सम्पर्क अधिकारी (Liaison Officer) के रूप में काम करते रहे। बन विभाग की बन लगाने की योजना तथा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजनाओं के सम्बन्ध में ऐसे ही कार्य के लिये दूसरे तीन डिप्टी लैन्ड एक्वीजीशन अफसर उनकी सहायता करते रहे। निम्नांकित विवरण-पत्र में प्राप्त की गयी भूमि और उसकी लागत दिखाई गयी है :—

विभाग		क्षेत्रफल एकड़ों में	लागत
			रु०
सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन तथा सड़क शाखा	..	१०,९४५	१८,०५,२८२
बन लगाने की योजनायें	..	२०,०२८	२,८३,०५४
सहायता तथा पुनर्वास योजनायें	..	६६,४९२	१४,१५,८००

(ख) सिंचाई

जनवरी में मौसम ठंडा रहा, कभी-कभी आसमान में बादल घिरे रहे और छितरी बूंदी-बांदी होती रही। फरवरी के पहले पखवारे

नहरें

में आमतौर से वर्षा होती रही और उसके बाद जून के अन्त तक मौसम शुष्क रहा। फलतः वर्ष के प्रारम्भ में सिंचाई की मांग कम रही और अप्रैल, मई और जून के सूखे महीनों में वह बढ़ गई। जुलाई के पहले सप्ताह में मानसूनी हवायें चलना प्रारम्भ हुई और अक्तूबर तक अत्यधिक और निरन्तर वर्षा के साथ चलती रहीं। मानसून काल में सिंचाई की मांग स्वभावतः समाप्त हो गई, किन्तु मानसून कमजोर पड़ जाने के कारण सितम्बर और अक्तूबर में धान की सिंचाई तथा उसके बाद रबी की फसलों की कोर (Kor) सिंचाई के लिये सिंचाई की फिर जरूरत महसूस होने लगी। सामान्य रूप से पानी की सप्लाई पर्याप्त रही और पिछले वर्ष के ५३,००,८४० एकड़ की तुलना में आलोच्य वर्ष में कुल ५८,९५,५४८ एकड़ भूमि सींची गयी।

मुख्यतया शारदा नहर और बुंदेलखंड में पिछले वर्ष की भांति 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत नई नालियों का निर्माण और उनके विस्तार के कार्य चलते रहे।

बिजली के कुयें

बिजली के कुओं द्वारा सींची गई भूमि का क्षेत्रफल बढ़कर ८,४४,३४० एकड़ हो गया अर्थात् पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में आलोच्य वर्ष में १,५७,८५५ एकड़ अधिक भूमि में सिंचाई हुई। विभिन्न जिलों में कुल ६०० बिजली के कुओं के बनाने की योजना के अन्तर्गत नये बिजली के कुंओं का निर्माण-कार्य पूरा किया गया और ५३५ बिजली के कुयें बनाकर तैयार किये गये जिनमें से ५२६ कुओं में वर्ष के अन्त तक बिजली लगा दी गयी।

नहरों और बिजली के कुंओं के विकास की योजना

झांसी डिवीजन में पाहुज स्टेप्ड बंधियों (Pahuj Stepped Bundhis) का निर्माण-कार्य पूरा किया गया और अनेक बड़ी और छोटी नालियों (Channels) का विस्तार-कार्य पूरा किया गया। बेलन नहर योजना (Belan Canal Project) के अन्तर्गत पैमाइश का काम हाथ में लिया गया और योजना का तखमीना स्वीकार कर लिया गया। नगवा बांध और उससे संबंधित अन्य योजनाओं का निर्माण-कार्य इस वर्ष भी चालू रहा और इसका लगभग ८० प्रतिशत पूरा हो गया। मिर्जापुर कैनाल डिवीजन में ललितपुर और सपरार बांधों के निर्माण-कार्य चलते रहे और शाहगंज रजबहा (Distributary) के लिये सविस्तार पैमाइश की गई।

शारदा नहर से ८०३ मील लम्बी नालियों के निर्माण-कार्य का अधिकांश भाग पूरा किया गया और १,०६२ मील लम्बी नालियां और बनवाने की योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिये क़दम उठाया गया। इसके अतिरिक्त नई प्रतापगढ़ शाखा के लिये बनाई गई लगभग ३०० मील लम्बी नालियों की निर्माण विषयक योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया और शारदा नहर की सीतापुर शाखा को पुनर्निर्माण कार्य को पूरा करने का प्रयत्न जारी रक्खा गया।

ट्यूबवेल सर्किल (पूर्व) में ५० अतिरिक्त बिजली के कुओं और ट्यूबवेल सर्किल (पश्चिम) में २०० बिजली के कुओं की योजनायें स्वीकृत हुई और निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया गया। बिजनौर नहर क्षेत्र में १६ बिजली के कुयें बनवाने की एक योजना सरकार के पास भेजी गई और दो कुयें गलाने का काम आरम्भ किया गया। शाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी जिलों के कुछ भागों में, जिनमें शारदा नहर से लाभ

नहीं उठाया जा सकता, ३०० सरकारी बिजली के कुओं के निर्माण के लिय पमाइश की गई और योजना का एक तखमीना तैयार किया गया। जिला फर्रुखाबाद और मैनपुरी के उन क्षेत्रों में जहां ४०० नये बिजली के कुओं के निर्माण का विचार था, जमीन की परती की किस्म का पता लगाने के लिये वेधन सम्बन्धी प्रयोग किये गये।

गंगा नहर जल विद्युत् ग्रिड (Ganga Canal Hydro-Electric Grid)

बिजली (पावर) के उपभोक्ताओं पर लगाये गये प्रतिबन्धों के होते हुये भी, जोकि गत वर्ष से चले आ रहे हैं, जल विद्युत् गंगा नहर ग्रिड पर ३६,२३० किलोवाट का अधिकतम भार रहा। गरमी की ऋतु में, उन महीनों में जिनमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, सरकारी बिजली के कुओं पर बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबंधों में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ ढिलाई रही और रबी की सिंचाई की ऋतु में प्रतिबन्ध पूर्णतया उठा लिये गये। आलोच्य वर्ष में ग्रिड की विद्युत् उत्पादक क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। ४९ ग्रामीण क्षेत्रों के लाइन ट्रांसफार्मरों (Rural Line Transformers) पर विशेष प्रकार के बने हुये बुशिंग गार्ड (Bushing Guards) लगाये गये ताकि बिजली जमीन में न चली जाय। निरगजनी, चैंतौरा और सलवा के मुख्य सब-स्टेशनों (Sub-stations) के विस्तार-कार्य अच्छी गति से चलते रहे। लगभग १०३.७७७ मील लंबी ११ के० वी० लाइनों के साल के बल्लों के स्थान पर इस्पात के स्तम्भ लगाये गये।

मोहम्मदपुर बिजली घर (पावर स्टेशन)

मुहम्मदपुर बिजली घर संबंधी सभी बड़े नागरिक निर्माण-कार्य पूरे हो गये और पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन कार्य जारी रहा।

हरदुआगंज स्टीम स्टेशन

३५,००० पौंड एच० आर० स्टीम (Hr. Steam) तैयार करने की क्षमता वाले सी० टी० एम० ब्वायलर का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। इस ब्वायलर के लगाने से हरदुआगंज स्टीम स्टेशन की लगातार ८,५०० किलोवाट का भार वहन करने की क्षमता हो गई और ब्वायलरों की मरम्मत सफाई आदि की व्यवस्था करने में आसानी हो गई। तीन पुराने डब्ल्यू० आई० एफ० ब्वायलरों का निर्माण-कार्य चालू रहा और डब्ल्यू० आई० एफ० चिमनी स्टीम ड्रमों (W. I. F. Chimney Steam Drums) का नागरिक निर्माण कार्य तथा ट्यूब-सेक्शन का कार्य भी हाथ में लिया गया।

सोहवाल स्टीम स्टेशन और फैजाबाद विद्युत् सप्लाई योजना

संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) से कलकत्ता बन्दरगाह में दो १,००० किलोवाट पैकेज टाइप स्टीम सेट (Package Type Steam Sets) पहुंचे और सोहवाल के वर्तमान पावर हाउस के विस्तार के लिये वहां भेजे गये। सोहवाल और फैजाबाद के बीच ११ के० वी० लाइनों का निर्माण-कार्य भी हाथ में लिया गया और आंशिक रूप से पूरा हो गया।

आजमगढ़ विद्युत् सप्लाई कारबार

असली फालतू फुटकर पुरजों के न मिल सकने के कारण जिनके लिये जर्मनी में आर्डर दे दिया गया था, आजमगढ़ के क़स्बे में इस वर्ष भी सीमित मात्रा में बिजली सप्लाई की गई, फिर भी घरेलू प्रयोग के लिये लगभग ७५ अतिरिक्त कनेक्शन दिये गये और कुछ पावर कनेक्शन भी स्वीकृत किये गये।

गोरखपुर स्टेट ट्यूब-वेल पाइलट एलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम

गोरखपुर बिजली घर (पावर हाउस) में दो ३४५ किलोवाट डीजेल विद्युत् उत्पादन यंत्र लगाये गये और उन अतिरिक्त सेटों को अधिष्ठापित कर, जो अब उपलब्ध हो गये थे, बिजली घर का निर्माण पूरा करने का कार्य इस वर्ष भी जारी रहा। लगभग ३५ मील लम्बी ११ मुख्य के० वी० प्रेषण लाइनों पर खम्भे (Line supports) बनवाये गये और विद्युत् संचालकों (Conductors) के सूत्रीकरण तथा लाइनों के पूरा करने के काम में अच्छी प्रगति रही। बिजली के कुओं में बिजली (Power) पहुंचाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ लाइनें बनाई गईं।

शारदा जल विद्युत् योजना

नागरिक निर्माण-कार्य—मुख्य बिजली घर के नींव के गड्ढे के घेरे में और उसके भीतर बहुत से गहरे बिजली के कुयें गलाये गये और पानी उलचने का काम वर्ष भर जारी रहा। गत वर्षों के विपरीत बरसात के महीनों में यह काम बन्द नहीं किया गया और गड्ढे में चश्मे के पानी की सतह बराबर नीची रक्खी गई। नींव के गड्ढे के चारों ओर लोहे की साधारण चद्दरों की सहायता से ४० फीट गहरा एक कौफरडाम (जलशून्य कोष) बनाया गया जिसके फलस्वरूप जमीन में पानी की सतह को और नीचा करने का काम और कौफरडाम के भीतर ६०५.०० की सतह तक खोदाई का काम दिसम्बर के अन्त तक सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त नींव के गड्ढे के बिजली के कुओं से बाहर पम्प किये गये पानी के निकास की व्यवस्था करने के लिये निकास की नालियों को और नीचा और गहरा करने में भी अत्यधिक काम किया गया और नींव के गड्ढे से पानी निकालने के लिये अपेक्षित बिजली के कुओं के निर्माण तथा उन्हें चलाने के सम्बन्ध में सुविधा देने के निमित्त कार्य-स्थल पर स्थापित अस्थायी डीजेल पावर स्टेशन की वर्तमान क्षमता बढ़ाकर १,८०० किलोवाट कर दी गई।

दूरप्रेषण और रूपान्तरण (Transmission and Transformation)—रुड़की के गवर्नमेंट वर्कशाप में विभाग द्वारा निर्मित ६६ के० वी० सिंगल सर्किल के किस्म के दूरप्रेषण मीनारों (Transmission towers) के पूर्वनिर्मित नमूने तैयार किये गये और वे परीक्षा करने पर सब प्रकार से संतोषजनक सिद्ध हुये। फलतः इस विचार से कि इन पूर्वनिर्मित दूरप्रेषण मीनारों के उपलब्ध होते ही निर्माण-कार्य हाथ में ले लिया जा सके, ६६ के० वी० सिंगल सर्किट लाइनों की पैमाइश और एलाइनमेंट चार्ट बनाये गये।

रिहंद बांध योजना

रिहंद बांध योजना के अन्तर्गत आधार शिला (फौन्डेशन राक) का वेधन और अन्य प्रारम्भिक अनुसंधान कार्य पूरे किये गये। पिपरी और मिर्जापुर में कुछ अस्थायी अथवा स्थायी भवनों का निर्माण किया गया और चोपान से बांध स्थल तक सड़क बनाने का काम जारी रक्खा गया। अमेरिका की इन्टरनेशनल कम्पनी ने, जिसे इस योजना के डिजाइन और ब्योरेवार विवरण तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, भारत से डेपुटेशन पर अमेरिका भेजे गये ९ इंजीनियरों की टोली की सहायता से डिजाइन इत्यादि तैयार किये और चीफ इंजीनियर (विकास) ने जुलाई में अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के अवसर पर इन डिजाइनों और विवरणों की जांच की और उन्हें अंतिम रूप दिया। फ्रांस के एक इंजीनियरिंग कारखाने को मल्टिपल आर्क डाम (कई मेहराब के बांध) का एक वैकल्पिक मानचित्र तैयार करने का कार्य सौंपा गया ताकि इस प्रकार के बांध की लागत तथा ग्रैविटी टाइप

डाम (Gravity Type Dam) की लागत का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

रीवां और सिंघरौली में कोयले के क्षेत्रों की खोज और तालाबों की सतहों की पैमाइश और अंकन का कार्य कुछ काल तक जारी रक्खा गया किन्तु वष की समाप्ति पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसमे बहुत अधिक काट-छांट कर देनी पड़ी।

यमुना जल-विद्युत् योजना

यद्यपि यमुना जल-विद्युत् योजना के प्रथम चरण (Stage) का निर्माण पिछले वष अक्टूबर में प्रारम्भ हो गया था, किन्तु योजना की प्रशासकीय स्वीकृति मार्च, १९४९ ई० में मिली, जबकि प्रारम्भिक कार्य काफी आगे बढ़ चुका था और भारत के प्रधान मंत्री माननीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने २३ मई, १९४९ ई० को योजना का शिलान्यास किया। तत्पश्चात् डिजिल पावर स्टेशन के निर्माण के लिये पावर प्लान्ट और मशीनरी सप्लाई करने तथा उन्हें लगाने तथा फावड़ों, बुल्डोजर्स (Bulldozers) और अन्य निर्माण सम्बन्धी मशीनों के लिये टेन्डर मांगे गये।

पथरी बिजली घर योजना

पथरी बिजली घर (पावर स्टेशन) की योजना का निर्माण-कार्य अक्टूबर, १९४८ ई० में प्रारम्भ हुआ था और यद्यपि इसमें काफी प्रगति हुई थी फिर भी एक समय ऐसा भी आया जबकि इस योजना को खत्म कर देने का विचार किया गया था। परन्तु इस वर्ष अक्टूबर में यह निश्चय किया गया कि निर्माण-कार्य का संपादन यथासम्भव शीघ्रता के साथ किया जाय। अतएव पावर प्लान्ट की सप्लाई और निर्माण के लिये उसके विवरण प्रख्यापित किये गये और टेन्डर भ. मांगे गय, किन्तु चूंकि किसी भी टेन्डर के अंतिम रूप से स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका, इसलिये आलोच्य वर्ष में बिजली घर का मानचित्र बनाने का काम हाथ में नहीं लिया जा सका।

घाघरा, त्रिवेणी और नैनी पम्प्ड नहरें (Pumped canals)

इन पम्प द्वारा निकाली हुई नहरों की पैमाइश, जिनमें रिहंद बांध से उत्पादित विद्युत् शक्ति की सहायता से पानी पहुंचता है, जारी रक्खी गई। घाघरा और त्रिवेणी नहरों पर जलोत्सरण क्षेत्रों (Drainages) तथा जल विभाजन क्षेत्रों (Watersheds), जिनका क्षेत्रफल लगभग ३,५०० वर्ग मील है, का चिन्हांकन किया गया और मुख्य नहर तथा शाखाओं का द्विसंतुलन कार्य (Double levelling) पूरा किया गया। नैनी नहर के संबंध में प्रारम्भिक पैमाइश पूरी की गई और इसकी योजना बनाकर सरकार के पास भेजी गई।

जिला गोरखपुर, बस्ती और देवरिया में बिजली के कुयें

पिछले वर्ष हाथ में ली गई योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित १०० बिजली के कुओं का निर्माण-कार्य जारी रहा और इस वर्ष के अंत तक २७ बिजली के कुयें गलाये गये और ८० मील लम्बी गूलें, ५० मील लम्बी सर्विस रोड्स, बिजली के कुओं के आपरेटरों के १७ क्वार्टरों और १० पंप गृहों का निर्माण किया गया।

गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों के गांवों में पानी सप्लाई करने की योजना के सम्बन्ध में सर्विस टैन्क और पाइप लाइन के लिये भी सामान इकट्ठा किया गया।

डांडा और रोहिन नहरें

रबी १९४७-४८ ई० में सिंचाई के लिये चालू की गई डांडा नहर पर कुछ बड़े पक्के निर्माण-कार्य किये गये और १९४८-४९ ई० के जाड़े के मौसम में सिंचाई के लिये चालू की गई रोहिन नहर पर मिट्टी बिछाने का शेष कार्य पूरा किया गया और कुछ बड़े पक्के निर्माण-कार्य भी किये गये।

बलिया जिले में बंधियां

बलिया जिले में ऐसे गांवों की आबादी और काश्त किये जाने वाले क्षेत्र के बचाव के लिये जोकि बाढ़ के दिनों मे डूब जाया करते थे, पांच बंधियां २.८२ लाख रुपये की लागत पर बनाई गईं। रामपुरा बांध का कार्य भी शुरू किया गया। इसके निर्माण में १.९ लाख रुपये लगने का अनुमान था और इससे लगभग २ वर्ग मील का क्षेत्र बचाये जा सकने की आशा की जाती थी।

नौसंचालन योजना

गंगा, घाघरा और राप्ती नदियों की जो नौसंचालन संबंधी पैमाइश तथा जांच १९४७ ई० में शुरू की गई थी वह पूरी हो गई और उनके प्राजेक्टों को तैयार करने का काम हाथ में लिया गया।

रामगंगा नदी का प्राजेक्ट

रामगंगा नदी के प्राजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिये निर्धारित स्थान का निरीक्षण अमेरिका के डा० जे० एल० सेवेज और फ्रांस के श्री आरमन्ड मेयर द्वारा जनवरी, १९४९ ई० में किया गया। भूगर्भ संबंधी मान-चित्रों को छोड़कर बाकी सब सिविल जांच-पड़ताल का काम पूरा हो गया था और प्राजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही थी।

नायर नदी का प्राजेक्ट

तमाम जांच-पड़ताल और जमीन की सतह के नीचे सब खोज-कार्य पिछले वर्ष समाप्त हो जाने के बाद अमेरिका के डा० जे० एल० सेवेज की अध्यक्षता में कंसल्टेन्ट्स बोर्ड (सलाहकारों का बोर्ड) मार्च, १९४९ ई० में उक्त स्थान का निरीक्षण करने गया और उसने योजना के पक्ष में सरकार को रिपोर्ट दी, लेकिन सामान्य वित्तीय संकट और निर्माण संबंधी कुछ कठिनाइयों के कारण प्राजेक्ट संबंधी निर्माण-कार्य अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया।

पहाड़ी जिलों में बिजली और सिंचाई की छोटी योजनायें

कोह, पिंडार, मेलिन और बागेश्वर जल विद्युत् योजनाओं के संबंध में प्रारम्भिक प्राजेक्ट संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई और सरकार के पास भेजी गई। श्री बद्रीनाथ पुरी के विद्युत्करण के लिये जल-विद्युत् योजना के संबंध में जांच-पड़ताल की गई और भागीरथी नदी तथा उसकी सहायक नदियों के लिये जल-विद्युत् योजना तैयार करने के निमित्त टेहरी-गढ़वाल रियासत में प्रारम्भिक पैमाइश और जांच-पड़तालें की गईं। गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों के लिये सिंचाई संबंधी कई छोटी-छोटी योजनाओं के संबंध में भी जांच-पड़तालें की गईं और कुछ योजनाओं के लिये ४३.५ लाख प्राजेक्ट तखमीना सरकार के पास भेजा गया। अल्मोड़ा जिले में ३.० लाख रुपये की लागत पर ३६ मील नालियों का निर्माण-कार्य भी, जिसके संबंध में १९४८ ई० में जांच-पड़ताल की गई थी, प्रारम्भ किया गया था और साल के अन्त तक उनमें से लगभग १६ मील लम्बी नालियां तैयार हो गई थीं।

३३—वाहन

रोडवेज संगठन

रोडवेज संगठन लगातार प्रगति करता रहा और प्रान्त की लगभग १०,००० मील पक्की सड़कों में से ४,१५३ मील से अधिक सड़कों पर रोडवेज की गाड़ियां चलने लगीं। साल के अन्त तक ५५७ ट्रक, ४० टैक्सी और ५ स्टेशन वैगन के अलावा १,२०० से अधिक बसें ८२ मार्गों (रूट्स) पर चलने लगी थीं और इन बसों द्वारा सफर करने वाले यात्रियों की कुल संख्या २ करोड़ से अधिक थी।

लाभ—२५ प्रतिशत के हिसाब से २१,१५,३०३ रु० का मूल्यापकर्ष (Depreciation) ३ आ० प्रति मील के हिसाब से ६,७३,३८९ रु०

की रखरखाव संबंधी सुरक्षित धनराशि, ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ३,३२,४०८ रु० की पूंजी की लागत पर ब्याज और ७५ प्रतिशत के हिसाब से १,०९,४५३ रु० का हेडक्वार्टर की स्थापना (Establishment) का व्यय घटा देने के बाद रोडवेज को २,९०,४४२ रु० १३ आना ११ पाई का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष १९४९–५० के प्रथम नौ महीनों में हुआ, जबकि २,२१,७५,६१४ रुपया ७ आना ४ पाई की पूंजी लगाई गई थी।

प्रसार और दृढ़ीकरण—जनता को जितनी आवश्यकता थी उसके हिसाब से रोडवेज का प्रसार नहीं किया जा सका। इसके विपरीत वित्तीय संकट और दृढ़ीकरण के कारण पैदा होने वाली आवश्यक बातों को पूरा करने के लिये से और कम करना पड़ा। लेकिन अवमूल्यन के फलस्वरूप पेट्रोल, मोटरगाड़ियों और फालतू पुरजों के दामों में बढ़ती होने के कारण रोडवेज को संकट का सामना करना पड़ा। चलाने के व्यय में कमी करके और किराये की दरों को कुछ बढ़ाकर इस बढ़े हुये व्यय को पूरा करने का प्रयत्न किया गया। इसी तरह यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं—जैसे पक्के शेड, प्रतीक्षालय (वेटिंग हाल), पंखे, बेंच और शौचालय आदि पर होने वाले व्यय को उतना कम किया गया जितना मुनाफों के कम हो जाने तथा कठिन वित्तीय स्थिति के कारण आवश्यक हो गया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में दो मार्गों (routes) पर म्युनिसिपल बस सर्विस चालू की गयी और चूंकि यह संतोषजनक ढंग से चलती रही, इसलिये दो और नये मार्गों पर भी बस सर्विस चालू की गई, जिससे जनता बहुत संतुष्ट हुई। लखनऊ में पुलमैन बस सर्विस चलाने के संबंध में किये गये प्रबन्धों को भी अंतिम रूप दिया गया और इलाहाबाद तथा बनारस में सिटी बस सर्विस प्रारम्भ करने की योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा था।

वर्कशाप संगठन (workshop organisation)।

वर्कशाप संगठन के संबंध में बहुत अधिक ध्यान दिया गया, यद्यपि उपयुक्त टक्निकल कर्मचारियों और आवश्यक कोष की कमी के कारण इसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। कानपुर की सेंट्रल वर्कशाप ने, जो संगठन का केन्द्र है, सब बड़ी-बड़ी मरम्मतें कीं और बसों के ढांचों (बाडियों) को तैयार किया, इंजिनों को नये सिरे से बनाया तथा छोटे पुरजे बनाये। इसने रोडवेज का काम चलाने के लिये फुटकर पुरजों तथा पुरजे बनाने वाली मशीनें खरीदने का भी प्रबन्ध किया।

सज्जा (Equipment)—उपलब्ध धनराशि से जो कुछ नवीनतम मशीनें खरीदी जा सकती थीं खरीद करके सेन्ट्रल और रीजनल दोनों वर्कशापों को सुसज्जित किया गया और कुछ रीजनल केन्द्रों में टेकलेमिट सेट (Tecalemit sets) लगाये गये, जो किसी भी गाड़ी की सफाई आदि (servicing) एक घंटे के भीतर कर सकते थे।

टेक्निकल कर्मचारिवर्ग—टेक्निकल कर्मचारिवर्ग की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिये योग्यता प्राप्त मेकेनिकल इंजीनियरों को सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर में आटोमोबाइल की ट्रेनिंग देने की जो योजना थी उसे अंतिम रूप दिया गया और यह तय किया गया कि जैसे ही अन्य आवश्यक प्रबन्ध हो जाय इस योजना को चालू किया जाय। कुमायूं को छोड़कर जहां के लिये दूसरे

सर्विस मैनेजर की भर्ती का मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के विचाराधीन था, समस्त रीजनल वर्कशापों मे सर्विस मैनेजर रक्खे गये। संगठन को अच्छी प्रकार से देख-रेख के लिये एक असिस्टेंट ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर (टेक्निकल) भी नियुक्त किया गया।

वर्कशाप इत्यादि का निर्माण--वर्कशाप सर्विसिंग स्टेशन और बस स्टेशन के बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने के काम मे काफी प्रगति हुई और उनमे से बहुतों का निर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया।

श्रम--सब जनरल मैनेजरों को मुख्य मुख्य बस स्टेशनों पर भोजन की व्यवस्था करने के लिये टेंडर मांगने के आदेश दे दिये गये थे और रोडवेज के कर्मचारियों के लिये कोआपरेटिव कैंटीन और मनोरंजन केन्द्रों के खोलने के प्रस्तावों की जांच हो रही थी। कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप मे श्रम हितकारी अफसर (Labour Welfare Officer) की नियुक्ति भी विचाराधीन थी। श्रम संबंधी कोई विशेष अड़चन न थी और जो कुछ छोटी-छोटी चिजें पैदा हुईं वह सौहार्द्रपूर्ण ढंग से तय कर दी गईं। सचमुच इन राष्ट्रीयकृत कारोबार के विकास मे सामान्य रूप से श्रमिक-वर्ग ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग प्रदान किया।

योजना

प्रान्त में सड़क विकास और इसकी भावी व्यवस्था के संबंध मे परामर्श देने के लिये १९४८ ई० मे, जो तदर्थ योजना समिति बनाई गई थी उसने अपनी कार्यवाही का अन्तिम रूप दिया और उसकी रिपोर्ट का पांडुलेख वर्ष के अन्त मे समिति के सदस्यों मे घुमाया गया।

प्रादेशिक वाहन और निरीक्षक-वर्ग

मोटरगाड़ियों के ऐक्ट और नियमों के अधीन ड्राइवरों को लाइसेंस देने और मोटरों पर टैक्स लगाने तथा रजिस्ट्री कराने के काम का केन्द्रीयकरण करके उसे रीजनल ट्रान्सपोर्ट अफसरों के अधीन कर दिया गया और यह काम संतोषप्रद रूप से चलता रहा। अन्तर केवल यह था कि सर्वसाधारण की सुविधा के लिये अक्तूबर-दिसम्बर, १९४९ ई० की त्रैमासिक अवधि में निजी कारों के रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटों को फिर से जारी करने का काम जिले के हेडक्वार्टरों पर किया गया।

कर लगाना--कर देर से अदा करने के मामलों मे समझौता फीस निर्धारित करने के संबंध मे रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरों के कानूनी अधिकार की व्याख्या की गयी और इस उद्देश्य से कि टैक्स समय से अदा किये जायं, मामलों की गंभीरता के अनुसार एक सी नियत दरें निर्धारित की गईं। तदनुसार इन दरों के लागू होने से जून और सितम्बर मे समाप्त होने वाले त्रैमासिकों मे, क्रम से २४,१२५ रु० और ३०,४५६ रु० की कुल धनराशि इस कर से वसूल हुई।

प्रादेशिक निरीक्षक वर्ग (इंसपेक्टोरेट)--रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरों के कड़ाई से नियंत्रण करने के फलस्वरूप प्रादेशिक निरीक्षक वर्ग (रीजनल इन्सपेक्टोरेट) के काम मे सुधार हुआ, जैसा कि इस बात से मालूम होता है कि कितनी अधिक संख्या मे गाड़ियों की जांच की गई और कितनी अधिक गाड़ियों को अनुपयोगी बताया गया। उदाहरण के लिये जून-अक्तूबर की छमाही मे रीजनल और असिस्टेंट

रीजनल इन्सपेक्टरों (टेक्निकल) ने करीब-करीब ३,१८० गाड़ियों की जांच की, जिनमें से ६१४ गाड़ियों के संबंध में यह रिपोर्ट की गई कि मशीन खराब होने के कारण इन गाड़ियों के ठीक होने का सर्टीफिकेट नहीं दिया जा सकता। प्रादेशिक निरीक्षक वर्ग (इंसपेक्टोरेट) में भी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई और यह तय किया गया कि प्रादेशिक निरीक्षक वर्ग (इंसपेक्टोरेट) सब सरकारी गाड़ियों की छःमाही जांच किया करें। कई स्वीकृत गैरेजों में समस्त सरकारी गाड़ियों के रख-रखाव और छोटी मरम्मतें करने की तथा विभाग के वर्कशापों में या विभाग के परामर्श से अन्य स्थानों में बड़ी मरम्मतें कराने की योजना को भी अंतिम रूप दिया गया।

दुर्घटनाओं के लिये क्षतिपूर्ति--मोटरगाड़ियों के ऐक्ट के अधीन सरकारी गाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी से सरकार के बरी होने के कारण ऐसे सब मामलों में क्षतिपूर्ति के लिये एक व्यापक योजना बनाई गई। इस योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को अधिकार दिया गया कि ५०० रु० तक क्षतिपूर्ति की मंजूरी वे दे सकते हैं और इससे अधिक के सब मामलों को वे सरकार के पास आज्ञा के लिये भेज दिया करें।

इन्फोर्समेंट

इन्फोर्समेंट स्क्वैडों ने, १९४८-४९ ई० में मोटरगाड़ियों के ऐक्ट और नियम उल्लंघन के १०,०७० मामले पकड़े। कुल ७,६५१ मामलों का निर्णय किया गया और उनमें से ६,२०४ मामलों में दंड दिया गया, जिससे ५,१२,२५९ रु० की कुल धनराशि अर्थ-दंड के रूप में प्राप्त हुई। औसत रूप से प्रत्येक स्क्वैड इंसपेक्टर वर्ष में २०० से अधिक दिनों तक बाहर रहा और उसने ७५ रात्रि जांचें कीं। स्क्वैड ने सर्वप्रथम सुरक्षा (Safety first) का उपयोगी प्रचार किया।

कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सबसे पहली कार्यवाही यह की गई कि प्रयोग के रूप में मोटरगाड़ियों के ऐक्ट संबंधी मामलों को निबटाने के लिये वर्तमान आठ इन्फोर्समेंट स्क्वैड इंसपेक्टरों के स्थान पर दो डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस और दो मैजिस्ट्रेट—एक इलाहाबाद के लिये और दूसरा आगरा रीजन के लिये—खास तौर पर नियुक्त किये गये।

...न्त के लिये पेट्रोल के तिमाही कोटे क्रमशः ३६,१०,००० गैलन, ३९,८०,००० गैलन, ३३,३७,००० गैलन और ३७,४९,००० गैलन थे और पहिली तीन तिमाहियों में पेट्रोल के वितरण के संबंध में कोई विशेष कठिनाई अनुभव नहीं हुई। आखिरी तिमाही के लिये आरम्भ में पेट्रोल का कोटा अस्थायी रूप से ३५,४८,००० गैलन नियत किया गया था और गन्ने की पेराई, जंगल की पैदावार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य और जमींदारी विनाश जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिये पैट्रोल की अधिक मांग होने के कारण आरम्भ में सभी भारी वाहन गाड़ियों के संबंध में १० प्रतिशत की कटौती करना आवश्यक हो गया। बाद में जब कोटा और भी घटाकर ३४,७१,००० गैलन कर दिया गया तो स्टेज कैरेजों को छोड़कर सभी प्रकार की भारी गाड़ियों के संबंध में १० प्रतिशत और कटौती (कुल मिलाकर २० प्रतिशत) करना आवश्यक हो गया। बाद में उपनिवेशन और गल्ला वसूली के संबंध में पैट्रोल की भारी आवश्यकता पड़ने तथा मेरठ और बरेली रीजनों में पावर अल्कोहल की सप्लाई में भारी कमी होने से १०

प्रतिशत की और कटौती कर दी गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर ३० फीसदी कटौती हुई। नवम्बर के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार ने २,६७,००० गैलन अतिरिक्त पैट्रोल दिया और इसके परिणामस्वरूप पैट्रोल के कोटे में की गई ३० प्रतिशत कटौती दिसम्बर के महीने के लिये उठा ली गई और पिछले महीनों में की गई कटौती को कुछ हद तक पूरा करने के लिये पैट्रोल के कोटे में २० प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई।

विभिन्न स्थानों को पावर अल्कोहल की सप्लाई का प्रबन्ध विभिन्न भट्ठियों (डिस्टिलरियों) के मार्फत आबकारी विभाग द्वारा किया गया। वर्ष के अधिकांश भाग में ऐसे अवसर बहुत कम आये जबकि बनारस और बरेली को पावर अल्कोहल की सप्लाई बन्द हो गई, किन्तु वर्ष के अन्त में प्रायः सभी भट्ठियां बेंजीन की कमी के कारण बन्द हो गईं। बरेली और मेरठ रीजनों की पावर अल्कोहल की सप्लाई एकदम बन्द हो गई। इसलिये उन गाड़ियों को, जोकि अब तक पावर अल्कोहल से चलाई जाती थीं, पैट्रोल देना पड़ा, यद्यपि आवश्यकताओं को देखते हुये पैट्रोल की बहुत बड़ी कमी थी और नवम्बर के आखिरी सप्ताह में भारत सरकार से यथासमय प्राप्त सहायता से स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया।

नागरिक उड्डयन

हिन्द प्राविन्शियल फ्लाइंग क्लब की सब से अधिक उल्लेखनीय कार्यवाही यह रही कि कानपुर में एक फ्लाइंग सेन्टर खोला गया। इस क्लब की मुख्य कार्यवाहियां लखनऊ में ही होती रहीं जहां पाइलेटों (उड़ाकों) को 'ए-१' या 'बी' लाइसेन्स के लिये उच्चतर (एडवान्स) ट्रेनिंग दी गई। सरकारी वायुयानों को सम्मिलित करके क्लब के पास कुल ३७ वायुयान थे और सितम्बर के अन्त तक उसकी आय १,७०,९८९ रु० हुई। इसके अतिरिक्त क्लब को केन्द्रीय सरकार से ९६,६४५ रु० की वित्तीय सहायता और प्रान्तीय सरकार से ४,१८,००० रु० का सहायक अनुदान प्राप्त हुआ।

३४--खाद्य तथा रसद

१९४८-४९ ई० के उत्तरार्द्ध में प्रान्तीय सरकार ने मुद्रास्फीति निरोधक उपाय के रूप में तथा रिलीफ कोटा दूकानों की प्रणाली द्वारा अपेक्षाकृत अधिक गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं के संकट को दूर करने के उद्देश्य से नि ंत्रण की नीति पुनः ग्रहण कर ली थी। यह योजना एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले ३३ नगरों, पूर्वी तथा पर्वतीय जिलों में, जहां अनाज की कमी हमेशा बनी रहती है, सरकारी कर्मचारियों तथा विस्थापित व्यक्तियों पर भी लागू की गई और इसके अन्तर्गत उन्हें सरकार के पास जमा अनाज के स्टाकों से तथा आन्तरिक तथा वाह्य आयातों रा प्राप्त खाद्यान्न के भंडारों से नियत दर पर निर्दिष्ट सहायता देने का आश्वासन दिया गया था। शेष जन-संख्या खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदती थी और यद्यपि इतनी बड़ी जन-संख्या को रिलीफ कोटा दूकानों से खाद्यान्न मिलता था फिर भी खुले बाजार में खाद्यान्न की कीमतों में कोई उल्लेखनीय कमी होती नहीं दिखाई दी। इसका प्रमुख कारण यह था कि अधिक और असामयिक जलवृष्टि के कारण खरीफ की फसल बिलकुल नष्ट हो गयी थी और इस प्रकार रबी के अनाज की खपत काफी बढ़ गई थी। इस प्रकार १९४९-५० ई० के प्रारम्भ से ही उन नगरों में, जहां यह योजना चालू नहीं की गयी थी तथा अन्य नगरों में भी इस प्रकार

की रिलीफ की दूकानों के खोले जाने की मांग आने लगी। अतः इस प्रकार की सहायता प्रणाली को शनैः-शनैः ६० नगरों में लागू कर दिया गया। इसी बीच सरकार ने चावल खरीदने का एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया और अपने वादों को पूरा करने के लिये रबी के खाद्यान्न की अनिवार्य वसूली की नीति अपनाली।

इसी समय वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य रूप से कमी करने के विचार से भारत सरकार समस्त नगरों में पूरी राशनिंग योजना लागू करने तथा खुले बाजारों को बन्द करने के लिये प्रान्तीय सरकार पर जोर डाल रही थी। किन्तु एसा करना तुरन्त सम्भव नहीं था और केवल सितम्बर, १९४९ ई० में ही जबकि प्रान्तीय सरकार को इस बात का विश्वास हो गया कि उसे हर प्रकार के नियंत्रित (कन्ट्रोल) गल्ले की सप्लाई काफी मात्रा में बराबर मिलती रहेगी, उसके लिये केन्द्रीय सरकार की नीति का अनुसरण करना सम्भव हो सका और सभी नगरों में खुले बाजार में खाद्यान्नों की बिक्री बन्द कर दी गई और पूरी राशनिंग योजना लागू कर दी गई।

सम्पूर्ण राशनिंग

यू० पी० फूडग्रेन्स राशनिंग आर्डर, १९४९ ई०, जो तदनुसार १ सितम्बर, १९४९ ई० को जारी किया गया था, १६ सितम्बर, १९४९ ई० से कुछ नगरों पर लागू किया गया और धीरे-धीरे वह दूसरे नगरों में भी लागू कर दिया गया। ६० रेगुलेटेड नगरों में से ५३ में सम्पूर्ण राशनिंग लागू की गई और गोरखपुर और हरद्वार नगरों में भी उसे जारी करने का प्रयत्न किया गया। शेष ५ नगर अर्थात् काशीपुर, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रानीखेत में यह योजना लागू नहीं की गई, क्योंकि यदि इनमें भी सम्पूर्ण राशनिंग लागू कर दी जाती, तो पर्वतीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की पैदावार के लिये बाजार खत्म हो जाता। अतः इन नगरों में पूरी जन-संख्या के लिये खुले बाजार के साथ-साथ रिलीफ कोटा दूकानों की प्रणाली पहिले की भांति जारी रही। शीघ्र ही गल्ले के सामान्य मूल्यों पर सम्पूर्ण राशनिंग का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा और खाद्यान्न के मूल्य में सामान्य रूप से कमी हो गई। ३१ जनवरी, १९५० ई० को नियंत्रण योजना के अधीन ७२,८०,९२० व्यक्तियों को राशन का गल्ला मिलता था और उनकी मासिक खपत का औसत ७१,८६७ टन था।

वसूली

१९४८-४९ ई० के उत्तरार्द्ध में सरकार अपने एकाधिकार से चावल खरीदना आरम्भ कर चुकी थी। यह एकाधिकार १९४९-५० ई० के प्रारम्भ तक बना रहा और उसके अन्तर्गत सरकार को १,३४,८५२ टन चावल प्राप्त हुआ।

रबी के अनाज की अनिवार्य वसूली की योजना को राज्य के ऐसे ३३ जिलों में लागू किया गया जहां अनाज आवश्यकता से अधिक पैदा होता था। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चावल को छोड़कर १९४८-४९ ई० की खरीफ की फसल बिलकुल नष्ट हो गयी थी और आइन्दा के लिये उसका स्टाक नहीं बच रहा था, रबी की वसूली का परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहा और निम्नलिखित परिमाण में गल्ला वसूल हुआ :—

गेहूं—१,५०,४५७ टन, चना—१,४७,३८५ टन, जौ—२७,२७० टन और मिश्रित रबी के अनाज (बेझरा) ९,११० टन।

रबी के मौसम के समाप्त होने के बाद तुरन्त ही चावल और खरीफ के अनाजों की एकाधिकार खरीदारी योजना पुनः बनाई गई। चावल के सम्बन्ध में खरीदारी का लक्ष्य १,५०,००० टन रक्खा गया था, जिसमें से

८०,७३११ टन पहले ही वसूल किया जा चुका था और शेष वर्ष के अन्त तक खरीद लिये जाने की आशा थी। चावल के साथ-साथ ३,८८२ टन ज्वार, बाजरा और मक्का भी खरीदा गया और राशन की दूकानों को तुरन्त बिक्री के लिये दिया गया। खाद्यान्न के आयात और निर्यात की स्थिति इस प्रकार रही--

आयात-		टन
गेहूं	...	२,३५,०००

निर्यात-		
चावल	...	७५,०००
चना	...	११,२०५
ऐसे निर्यात, जिनकी आशा थी--		
ज्वार-बाजरा आदि (millets)	...	३४,०००
चावल ..	...	१,००,०००

गोदामों की व्यवस्था

खाद्यान्न नियंत्रण जारी किये जाने के समय ही खाद्यान्न रखने के लिये उपयुक्त गोदामों की व्यवस्था करने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था और पिछले वर्ष इस बात का निश्चय रूप से निर्णय किया गया था कि खपत के महत्वपूर्ण केन्द्रों में शनैः-शनैः गोदामों का निर्माण किया जाय। इस नीति के अनुसार कानपुर के रेगुलेटेड नगर में एक पक्के गोदाम के निर्माण के लिये ८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी। यह गोदाम, जो विशेषज्ञों के परामर्श से बनाया गया था और जिसमें धूनी द्वारा खाद्यान्न के स्टाक की वायु शुद्ध करने की उचित व्यवस्था की गयी थी, जुलाई, १९४९ ई० में तैयार हो गया था, परन्तु दूसरे केन्द्रों में खाद्यान्न संचय करने के लिये ऐसे ही गोदामों का निर्माण-कार्य विभिन्न कारणों से इस वर्ष हाथ में न लिया जा सका। इस बीच में इस उद्देश्य से कि आमतौर से बाहरी केन्द्रों में खाद्यान्न संचय करने के लिये गोदामों की जो अत्यधिक आवश्यकता है वह पूरी हो जाय, सरकार ने निजी पार्टियों को नियंत्रित दर पर आवश्यक इमारती सामान देकर उन्हें इस बात का प्रोत्साहन दिया कि वे अपने प्रयोग के लिये ऐसे ही गोदाम स्वयं बनवायें। इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न संचय करने के गोदाम लखनऊ और अलीगढ़ में बनवाये गये।

एक दूसरी योजना के अन्तर्गत, जिसमें भारत सरकार द्वारा राजसहायता दी जाती थी, यह निश्चय किया गया कि १९४८ ई० में गल्ला वसूली के केन्द्रों में ३,००० पक्की खत्तियां बनवाई जायं और उन पर १०,०९,३०० रु० व्यय भी हो चुका था। बनवाई गई खत्तियों की कुल संख्या १,४८६ थी, परन्तु अभाग्यवश खाद्यान्न उत्पादन आन्दोलन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण निर्माण-कार्य संबन्धी कार्यक्रम को अगले वर्ष स्थगित कर देना पड़ा, परन्तु चार स्थानों पर खत्तियां बनवाई जा रही थीं और यहां पर या तो निर्माण-कार्य समाप्ति पर था या बहुत काफी हो चुका था।

सूती कपड़ा

इस वर्ष मिलों में सूत और कपड़ा जमा हो जाने के कारण और इसके फल-स्वरूप उनके बन्द हो जाने के डर से सूती कपड़े के नियंत्रण में बहुत से परिवर्तन हुये। उदाहरणार्थ भारत सरकार ने मिलों को इस बात की अनुमति दे दी कि वे अपने उस माल को, जो उनके पास जमा हो गया हो, अपनी पसन्द के व्यक्तियों के हाथ बेच लें और इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश

दिय गये थे कि वे उक्त व्यक्तियों को लाइसेंस दे दें यदि उनके पास पहले से लाइसेंस न हों। इसके अतिरिक्त मिलों को यह अनुमति दे दी गई कि उत्पादन के शुरू महीने से ही वे अपने तैयार माल का एक-तिहाई भाग अपने ही पसंद के मनोनीत व्यक्तियों के हाथ बेचे और शेष दो-तिहाई तैयार माल प्रान्तीय सरकारों के मनोनीत व्यक्तियों को दे दें। यदि प्रान्तीय सरकारों के मनोनीत व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर कोई माल न उठायें तो वह माल भी मिलों को मिल जायगा, जिसे वे अपनी ही पसंद के व्यापारियों के हाथ बिना किसी रोक-टोक के बांट सकते हैं।

प्रान्तीय सरकार ने यह तय किया कि रजिस्ट्री किये गये विस्थापित व्यक्तियों को छोड़कर, जिनसे इस सम्बन्ध में कोई फीस नहीं ली जाती थी, उन लोगों को, जो मिलों द्वारा बिक्री के लिये दिये गये माल का व्यापार करना चाहते हों, आनुपातिक फीस लेकर ६ महीने का अस्थायी लाइसेंस दे दिया जाय। मिलों द्वारा बिक्री के लिये दिये गये माल पर प्रशासन सम्बन्धी व्यय भी नहीं लिये गये थे। ऐसे माल की दशा में जो माल मोल लेने के अधिकार-पत्र के आधार पर जिले के कोटे में से बिक्री के लिये दिया जाता था प्रशासन सम्बन्धी व्यय घटाकर अधिकतम १ रु० कर दिया गया। कपड़ और सूत के अधिकतम फुटकर दाम भी उस हद तक घटा दिये गये जिस हद तक प्रशासन सम्बन्धी व्यय कम किये गये थे।

१ नवम्बर, १९४९ ई० से कपड़े और सूत के दामों में १० प्रतिशत की कमी कर दी गई। यह कमी इस प्रकार की गई कि कपड़े और सूत दोनों ही के मिल से निकलने पर लिये जाने वाले दामों में ४ प्रतिशत की और कपड़े और सूत के व्यापारियों के मुनाफे में क्रमशः ६ प्रतिशत और ७½ प्रतिशत की कमी कर दी गई। १ नवम्बर, १९४९ ई० से तैयार किये जाने वाले माल के सम्बन्ध में सूत के मध्यवर्ती व्यापारियों के मुनाफे भी बन्द कर दिये गये। परन्तु कपड़े और सूत के फुटकर दाम के साथ-साथ प्रान्तीय बिक्री कर दूसरे प्रान्तों के बिक्री कर और उत्पादन-कर (Excise duty) लेने की अनुमति दे दी गई और ये फुटकर दाम कपड़े की सूरत में मिल के बाहर की कीमत के ऊपर १४ प्रतिशत थे और सूत की सूरत में मिल के बाहर की कीमत से १२½ प्रतिशत ऊपर थे।

संयुक्त प्रान्त की मिलों के तैयार माल के दो-तिहाई हिस्से को मोल लेने के सम्बन्ध में जो अधिकार-पत्र देने का तरीका जारी था वह पहली नवम्बर, १९४९ ई० से बन्द कर दिया गया। यह इस उद्देश्य से किया गया था कि मिलों में जो माल जमा हो गया था वह निकल जाय और इसके सम्बन्ध में यह सोच लिया गया था कि जब कभी भी प्रान्त भर में कपड़े की कमी होने की रिपोर्टें मिलेंगी तो इस व्यवस्था को हटा दिया जाएगा।

दानेदार शक्कर

जून, १९४९ ई० तक शक्कर की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक रही, परन्तु इसके बाद इसका भाव बढ़ने लगा। अगस्त में इसका भाव १ रु० से लेकर १ रु० ४ आ० और कुछ स्थानों में १ रु० ८ आना प्रति सेर तक था। भावों को इस अभूतपूर्व ढंग से बढ़ते हुये देखकर, जिसका कारण सम्भवतः यह था कि मिलें अनियमित रूप से शक्कर भेज रही थीं, प्रान्तीय सरकार को मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ी और २५ अगस्त को मिलों में शक्कर का जो स्टाक था वह जब्त कर लिया गया। चूंकि

इसी बीच देश के दूसरे भागों में भी शक्कर संबन्धी स्थिति खराब हो गई, इसलिये भारत सरकार ने शक्कर शुगर स्टाक (सेलस टु सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट) आर्डर, १९४९ ई० लागू किया जिसके अधीन उसने २८ रु० ८ आना की एक्स-फैक्टरी औसत दर से शक्कर के सारे मिलों का सम्पूर्ण स्टाक अपने अधिकार में ले लिया और शक्कर का नया सीजन आने तक सप्लाई को नियमित बनाये रखने के लिये प्रान्तों में शक्कर के इन स्टाकों का आनुपातिक वितरण शुरू कर दिया। ये नियत कोटे नीचे लिखे हुये दामों पर स्टाक स्थिति के अनुसार जिलों में विश्वसनीय एजेन्सियों द्वारा शक्कर के निर्धारित राशन के आधार पर बेचे गये :--

(१) समस्त नियमित नगरों में तथा सभी म्युनिसिपल कैन्टनमेंट, नोटीफाइड और टाउन एरियाओं के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्रों में-- १३ आ० ३ पा० प्रति सेर।

(२) कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में--१४ आ० से १४आ० ९पा० प्रति सेर। पर साथ ही साथ इस बात की व्यवस्था कर दी गई थी कि बहुत दूर के क्षेत्रों में वाहन संबन्धी वास्तविक व्यय को पूरा करने के लिये शक्कर का मूल्य और बढ़ाया जा सकता है, और

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में--१३ आ० ९ पा० प्रति सेर।

इसके अलावा हलवाइयों की आवश्यकतायें विशेषकर त्योहारों के अवसर पर पूरी करने के लिये मिलों से लगभग ८,००० मन रोड़ी शक्कर और १०,००० मन पिसी हुई शक्कर भी प्राप्त की गई।

गुड़

शक्कर के भाव के साथ-साथ गुड़ का भाव भी बाद को बढ़ने लगा। गन्ने की पेराई देर से शुरू होने और शक्कर की कमी तथा उसके दाम अधिक होने के कारण दूसरे प्रान्तों से गुड़ की मांग होने के फलस्वरूप इसका भाव बढ़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने रेल द्वारा संयुक्त प्रान्त से बाहर गुड़ के भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये, जिसके कारण भाव गिरने लगा।

घी

यूनाइटेड प्राविन्सेज घी (मूवमेंट) कंट्रोल आर्डर, १९४५ ई० के अधीन घी का इस प्रान्त के बाहर भेजा जाना बन्द कर दिया गया और उसे (घी को) केवल सरकार द्वारा दी गई परमिटों से ही बाहर भेजा जा सकता था। परन्तु इस प्रान्त के भीतर न तो घी के लाने या ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध था और न उसके मूल्य पर ही।

कमी वाले क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के विचार से सरकार ने यू० पी० आग मार्क घी पैक करने वालों को उन्हीं शर्तों पर, जिन पर उसे पहिले इस प्रान्त के बाहर घी भेजने की अनुमति दी गई थी, २५,००० मन तक आग मार्क घी इस प्रान्त से बाहर भेजने की अनुमति दे दी।

वनस्पति तेल से बने हुये पदार्थ

इस प्रान्त के अन्दर वनस्पति तेल से बने हुये पदार्थों पर--किस्म और मूल्य के सम्बन्ध में--नियंत्रण रखने के अधिकार वर्ष के आरम्भ में ही जिला मैजिस्ट्रेटों को सौंप दिये गये थे तथा नियंत्रण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इन अधिकारों को स्वास्थ्य के मेडिकल अफसरों को भी सौंप दिया जिनका यह कर्तव्य था कि वे यह देखें कि भोजन के पदार्थों में कोई मिलावट न होने पाये।

नमक

इस प्रान्त में १४ पौंड प्रति व्यक्ति के हिसाब से नमक की खपत का जो तखमीना लगाया गया था वह छोटी लाइन के २,६७४ वैगन होता था परन्तु इस प्रान्त का कोटा छोटी लाइन के केवल २,५४५ वैगन ही नियत किया गया था। भारतीय संघ में नमक की सप्लाई के तीन साधन थे, अर्थात् (१) राजपूताना से आने वाला नमक, (२) खरगोरा और (३) कलकत्ता से आने वाला समुद्री नमक। इन साधनों से जो कोटा प्राप्त हुआ था, वह क्रमशः छोटी लाइन के १,६३५ वैगन, १२४ वैगन और ७८६ वैगन था। इन तीन साधनों के अतिरिक्त पाकिस्तान से भी लाहौरी नमक (Rock salt) प्राप्त हुआ। यही वस्तु-स्थिति वर्ष के आरम्भ में थी। भारत सरकार ने नमक के वितरण की एक प्रादेशिक योजना (zonal scheme) बनाई थी, जिसके अन्तर्गत नियत साधनों द्वारा विभिन्न जिलों से होने वाली सप्लाई मुख्यतया वाहन संबन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर नियमित की गई थी, जिससे जहां तक संभव हो बहुत अधिक समय तक की ढुलाई तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को लाना-ले जाना कम किया जा सके। अप्रैल के महीने तक इन सभी साधनों से नमक की सप्लाई संतोषजनक रूप से होती रही। किन्तु अप्रैल के अन्त में, कलकत्ते के बन्दरगाह में समुद्री नमक कम मात्रा में आने लगा था जिसका फल यह हुआ कि समुद्री नमक का मूल्य बढ़ने लगा। यद्यपि मूल्यों की इस बढ़ती हुई प्रगति को तत्काल ही रोक दिया गया था, परन्तु सितम्बर के अन्त में मुद्रा अवमूल्यन के कारण पाकिस्तान से लाहौरी नमक का आयात किया जाना अत्यधिक खर्चीला हो गया और यह निश्चय किया गया था कि पाकिस्तान से लाहौरी नमक के आयात करने की कोई अनुमति उस समय तक न दी जाय जब तक कि पाकिस्तान के व्यापारी यह नमक भारतीय मुद्रा के हिसाब से उचित दरों पर न सप्लाई करें। लाहौरी नमक के रोक दिये जाने की तत्काल प्रतिक्रिया यह हुई कि विभिन्न बाजारों में इस नमक के स्टाक ऊंचे मूल्य पर बिकने लगे। तत्काल ही मूल्य नियंत्रण कर दिया गया और इस कार्यवाही के साथ-साथ अन्य साधनों से काफी अधिक मात्रा में नमक आयात करने से नमक के बाजार में स्थिरता आ गई। वर्ष के अन्त में प्रादेशिक योजना (zonal scheme) के अन्तर्गत सप्लाई का एक नया साधन उपलब्ध हो गया अर्थात् धरंगधरा नमक की सप्लाई, जिसे सामान्यतया गोलन्दाजी नमक कहा जाता है। सब बातों को देखते हुए प्रान्त में नमक की सप्लाई संतोषप्रद रक्खी गई।

मिट्टी का तेल

१९४१ ई० की खपत के आधार पर राज्य को मिलने वाले मिट्टी के तेल की नियत मात्रा औसतन ३,६०,००० टीन प्रति महीने रही, यद्यपि १९४१ ई० के विभिन्न महीनों की न्यूनाधिक खपत के अनुसार विभिन्न महीनों के वास्तविक आंकड़े विभिन्न थे। वर्ष के आरम्भ में मुख्यतया वाहन सम्बन्धी कमी के कारण ऐसे बहुत कम अवसर हुए जब कि साधारण माहवार सप्लाई साधारण एजेन्सियों के कोटे की ८५ प्रतिशत से अधिक हुई हो। किन्तु वर्ष के मध्य भाग में छोटी लाइन द्वारा वाहन की स्थिति सुधर गई, जिससे रबी की उगाही के दौरान में ३,६०,००० अतिरिक्त टीनों का आयात किया जा सका। इसे खाद्यान्न पैदा करने वालों में वितरित कर दिया गया। परन्तु सितम्बर में होने वाले मुद्रा अवमूल्यन का मिट्टी के तेल के बाजार पर तत्काल प्रभाव पड़ा। प्रथम, देश से बाहर के मुल्कों से आयात किये गये मिट्टी के तेल का भाव प्रति ८ गैलन पर १ रु० ४ आ० ६ पा० की दर से बढ़ाना पड़ा। यदि इस वृद्धि को पूर्ण रूप से उपभोक्ताओं के जिम्मे दे दिया जाता, तो इसका यह परिणाम होता

कि उन्हें काफी बढ़े हुए मूल्य देने पड़ते। इसलिये यह निश्चय किया गया था कि उक्त वृद्धि को मिट्टी के तेल के व्यवसाय में लगे हुए व्यापारियों को होने वाले मुनाफे और उपभोक्ता के बीच बांट दिया जाय। इसके अतिरिक्त व्यापारियों की क्षति-पूर्ति करने तथा सप्लाई की स्थिति को स्थिर बनाये रखने के लिये, भारत सरकार ने मिट्टी के तेल के और अधिक मात्रा में आयात किये जाने का प्रबन्ध किया। प्रतिशत के हिसाब से जनवरी, १९४९ ई० से जुलाई, १९४९ ई० तक कुल सप्लाई राज्य के कोटे का ११३ प्रतिशत हुई और बाद के महीनों में कोटे का ९९ प्रतिशत हुई, जबकि पिछले वर्ष में ५९ प्रतिशत हुई थी।

कागज

राज्य का कागज का कोटा औसतन ५०० टन प्रति महीने था। सप्लाई का मुख्य साधन बंगाल में स्थित कागज की मिलें थीं, परन्तु विभिन्न महीनों में आयात किया गया कागज कोटे से कम था। इस कम प्राप्ति का मुख्य कारण विदेशी कागज का अधिक मात्रा में आयात किया जाना था, जिसने मिलों के एजेन्टों द्वारा प्राप्त किये गये देशी कागज के साथ प्रतियोगिता की। इसलिये स्टाकों की स्थिति सुधर जाने के फलस्वरूप, पेपर कंट्रोल प्रशासन में काफी ढिलाई की गई थी। प्रथम देशी कागज के वितरण पर नियन्त्रण हटा लिया गया और दूसरे समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं की खपत की सीमाओं में की गई ४० प्रतिशत की कटौती हटा ली गई और उन्हें पेपर कंट्रोल इकोनोमी आर्डर के अन्तर्गत उनकी खपत सीमाओं के १०० प्रतिशत तक कागज उपयोग करने की अनुमति दे दी गई थी। किन्तु कागज की कमी की संभावना को रोकने तथा साधारणतया कागज के एक स्थान से दूसरे स्थान से लाने तथा ले जाने पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण रखने के विचार से लाइसेंसिंग आर्डर जारी रखा गया था। भारत सरकार ने भी विभिन्न श्रेणियों के उप-भोक्ताओं की खपत की सीमाओं को विनियमित रखने वाले पेपर कंट्रोल इकोनोमी आर्डर को जारी रखा।

वन

देहाती क्षेत्र तथा बहुत से छोटे-छोटे नगर ईंधन की सप्लाई के लिये स्थानीय साधनों पर निर्भर रहते है। किन्तु कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ के प्रमुख नगरों को सम्मिलित करके लगभग २० नगर ईंधन के लिये तराई के क्षेत्रों (sub-mountain region) पर निर्भर रहते हैं और यह विचार किया गया था कि वैगनों की स्थिति सुधर जाने से इन नगरों को आवश्यक सप्लाई साधारण व्यापारिक साधनों से प्राप्त हो जायेगी। परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई और इन नगरों में मूल्यों में तीव्र वृद्धि हो गई और कुछ मामलों में जैसे आगरा में, भाव १ रु० ४ आना प्रति मन से बढ़कर ४ रु० से ५रु० प्रतिमन तक हो गये। इसलिये सर्वसाधारण के हित में तराई क्षेत्रों से संयुक्त प्रान्त के नागरिक क्षेत्रों को सप्लाई की जाने वाली जलाने की लकड़ी पर फिर से कन्ट्रोल लागू कर दिया गया था। योजना का ध्येय यह न था कि तराई के क्षेत्रों से नगरों में लाये गये ईंधन के भावों पर नियन्त्रण किया जाय बल्कि उसका उद्देश्य यह था कि तराई के क्षेत्रों से यथेष्ट मात्रा में ईंधन लाकर उसका एक जखीरा बना कर और उसे जनता को देकर खुले बाजार में ईंधन के सामान्य मूल्य के भाव को कम किया जाय। वर्ष के उत्तरार्द्ध में यह विनियम लागू किया गया और योजना के अन्तर्गत २० नगर लाये गये। किन्तु दूसरे भारी वायदों (commitments) अर्थात् संयुक्त प्रान्त के शक्कर के कारखानों को ईंधन सप्लाई करने के कारण सप्लाई संतोषजनक न रखी जा सकी। संयुक्त प्रान्त की मिलों को बंद होने से

रोकने के लिये ये सप्लाई आवश्यक थीं और इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी ईंधन की सप्लाई में कटौती करनी पड़ी और दूसरे स्थानों के बजाय शक्कर के कारखानों को अधिक मात्रा में ईंधन भेजना पड़ा। वर्ष के अन्त में स्थिति कुछ अधिक संतोषप्रद न थी, विशेष कर इस कारण से कि मीटर गेज रेलवे पर चलने वाले वैगनों की बड़ी भारी कमी थी। किन्तु इस बात के होते हुये भी ऐसे लक्षण मौजूद थे जिससे यह प्रतीत होता था कि आगामी वर्ष के भीतर ही स्थिति सुधर जायगी।

इमारती सामान

वर्ष के आरम्भ में अत्यावश्यक इमारती सामानों की सप्लाई मांग से काफी कम रही। इस कमी के अतिरिक्त मुख्य समस्या यह थी कि किस प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों और जनता के मध्य वितरण की योजनाओं में सामञ्जस्य (co-ordination) लाया जाय। अत्यधिक मितव्ययता के साथ प्राप्य साधनों को प्रयोग में लाने के संबन्ध में अनेक उपाय किये गये। विभिन्न विभागों की मांगों की जांच करने के लिए तथा अधिक अत्यावश्यक निर्माणकार्यों को प्राथमिकता देकर उसमें काटछांट करने के लिये निर्माण कार्यों में लगे हुये मुख्य विभागों के उच्चतम अधिकारियों को सम्मिलित करके राज्य-स्तर पर एक मेटीरियल रिसोर्सेज कमेटी (Material Resources Committee) बनाई गयी थी। इस कमेटी (समिति) ने जिसका पुनर्संगठन वर्ष के अन्त में देहाती क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था, जिलों में जनता के लिये भी इमारती सामानों का कोटा नियत किया। व्यक्तिगत मांगों की जांच करने तथा उनके लिये प्राथमिकता निर्धारित करने के संबन्ध में जिला-स्तर पर इसके पहले ही भवन निर्माण समितियां (Housing Committees) बना दी गई थीं। इसके अतिरिक्त यू० पी० बिल्डिंग मैटेरियल कन्ट्रोल आर्डर (U. P. Building Material Control Order) नामक एक आज्ञा वर्ष के मध्य भाग में जारी की गयी जिसके द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी गई जिन पर १२,००० रु० की लागत से अधिक मूल्य का इमारती सामान का प्रयोग होता हो। ये उपाय सामानों की प्राप्ति पर कड़ी निगरानी रखने के साथ साथ किये गये थे। इस योजना की दूसरी मुख्य बात यह थी कि वर्ष की अन्तिम तिमाही में सरकारी विभागों में निर्माण संबन्धी कार्यक्रमों में भी कमी की गई और वह सारा प्राप्य इमारती सामान जिसे निर्धारित निर्माण कार्यों से बचाकर किसी और काम में लगाया जा सकता था, "अन्न उपजाओ आन्दोलन" में लगा दिया गया।

सीमेंट

सीमेंट के लिये मांग केवल नगरों में ही नहीं बल्कि नगरों के आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ रही थी। "गल्ला उगाही आन्दोलन" के दौरान में यह निश्चय किया गया था कि खाद्यान्न पैदा करने वाले व्यक्तियों (grain producers) में वितरित करने के लिये साधारण कोटे से अतिरिक्त सीमेंट की एक विशेष नियत मात्रा आयात की जाय। भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिये १४,५०० टन सीमेंट की एक विशेष नियत मात्रा अलाट की। इसके अतिरिक्त एक ऐसी योजना भी तैयार की गई जिसके द्वारा पोर्ट (बन्दरगाह) वाले नगरों को दी जाने वाली विदेशी सीमेंट की सप्लाई से लाभ उठाया गया और उसके अन्तर्गत लगभग ३०,००० टन सीमेंट आयात की गई थी। राज्य के कोटे के ऊपर सीमेंट की जो विशेष मात्रा अलाट की गई थी और साथ ही जो विदेशी सीमेंट आयात की गई उससे सीमेंट की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति काफी सुधर गई। वर्ष के अन्त में सीमेंट की सप्लाई कम होने लगी, परन्तु यह कमी देशी सीमेंट के कारखानों से,

जिनकी उत्पादन-क्षमता इस बीच में बढ़ गई थी, अधिक नियत मात्रा में सीमेंट मिलने से पूरी हो गई। इसलिये सब बातों को देखते हुए सीमेन्ट की सप्लाई वर्ष भर बहुत ही संतोषप्रद रही और वर्ष के अन्त में इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था कि वितरण की कार्यविधि में ढिलाई की जाय जिससे जनता को सीमेंट और अधिक शीघ्रता से मिलती रहे।

कोयला

राज्य के कोयले के चूरे का कोटा मूलतः ७१६ वैगन प्रति महीने या ८,६१६ वैगन प्रति वर्ष था। किन्तु आयातों की मात्रा नियत किये गये कोटे से काफी गिर गई थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि अगस्त, १९४९ ई० तक जब स्थिति थोड़ी सी सुधर गई थी, कोयले की खानों में वैगन संबन्धी स्थिति असंतोषजनक थी। अगस्त, १९४९ ई० में जो स्थिति में सुधार हुआ था उसके फलस्वरूप भारत सरकार संयुक्त प्रान्त को एक विशेष नियत मात्रा अलाट कर सकी जिसमें से लगभग ३,००० वैगन प्राप्त हुये, जो विशेषकर शरणार्थियों के निर्माण कार्यों के निमित्त थे। इसके अतिरिक्त, नवम्बर के महीने तक मीटर गेज पर वैगन-सप्लाई संबंधी स्थिति निश्चित रूप से सुधर गई थी, जिसके फलस्वरूप नियत किये गये कोटे का पहिले से एक और बड़ा प्रतिशत आना प्रारम्भ हो गया। "अन्न उपजाओ आन्दोलन" के लिये की गई मांग को पूरा करने के लिये राज्य का कोटा भी बढ़ा दिया गया था, परन्तु सब बातों को देखते हुये उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कोयले की सप्लाई संतोषप्रद नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसकी मांग प्राप्य सप्लाई से काफी अधिक बनी रही।

लोहा तथा इस्पात

सब बातों को देखते हुये लोहे तथा इस्पात के कोटे की प्राप्ति (procurement) संतोषजनक थी। परन्तु लोहे के टुकड़ों तथा खराब लोहे और साथ ही बिल्कुल ठीक लोहे के सामानों, दोनों ही के मामले में सप्लाई की कुल मात्रा मांग से बहुत कम थी। सीमेंट और कोयले के विपरीत, न तो राज्य के कोटे में और न सप्लाई की मात्रा में कोई वृद्धि हुई। इसलिये लोहे और इस्पात के वितरण पर कुछ कठोरता के साथ नियंत्रण लागू करना पड़ा तथा परमिटों के जारी करने का काम कानपुर में स्थित प्रान्तीय आयरन ऐंड स्टील कंट्रोलर के कार्यालय में केन्द्रीकृत कर दिया गया। दूसरी समस्या, जिसके कारण बराबर परेशानी उठानी पड़ती रही, वह यह थी कि किसानों द्वारा अपेक्षित लोहे और इस्पात के प्रनिर्मित (fabricated) सामानों की कमी थी। जिन सामानों की नगरों में आवश्यकता थी उनके लिये अच्छे दाम मिलते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रनिर्माताओं (fabricators) ने किसानों की आवश्यकताओं के लिये पहले से कम मात्रा में सामान तैयार किये। किसानों को प्रनिर्मित सामान सप्लाई करने के लिये एक अस्थायी तथा प्रयोगात्मक योजना का प्रयोग "गल्ला उगाही आन्दोलन" के समय परीक्षा के रूप में किया गया था, परन्तु उसमें कोई सफलता नहीं मिली। इस पर भी इस प्रयोग का उपयोग स्थिति की पुनः जांच करने तथा इस प्रयोजन के लिये एक दूसरी योजना तैयार करने में किया गया था। वर्ष के अन्त में यह योजना बन कर तैयार हो गई थी और यह निश्चय किया गया था कि उस पर आगामी वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जाय।

कार्यान्वित किया जाना (Enforcement)

भ्रष्टाचार के विरुद्ध किये गये आन्दोलन के फलस्वरूप, १९४८-४९ ई० में कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाहियां की गईं जिनके आचरण के संबंध में खराब रिपोर्टें थीं। १०८ व्यक्तियों को उनके स्थायी पद पर वापिस कर दिया गया और १०५ व्यक्तियों को

मुअत्तल कर दिया गया। १ अप्रैल, १९४९ ई० से लेकर ३० सितम्बर, १९४९ ई० तक, ६० व्यक्तियों को या तो सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया या डिस्चार्ज कर दिया गया, ७ व्यक्तियों को उनके स्थायी पदों पर वापस कर दिया गया और ७१ व्यक्तियों को मुअत्तल किया गया था। इनमें वे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जिनके संबंध में अदालतों, पुलिस या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी।

१९४८-४९ ई० में विभिन्न कंट्रोल संबंधी आज्ञाओं के उल्लंघन के मामलों में १,५३० व्यक्तियों को सजायें दिलवाई गई और १ अप्रैल, १९४९ ई० से लेकर ३१ अक्तूबर, १९४९ ई० तक की अवधि में ६८३ व्यक्तियों को सजायें मिलीं।

कंट्रोल के अन्तर्गत आने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं में चोर बाजारी करने तथा उन्हें चोरी से बाहर ले जाने के मामलों का पता लगाने के लिये, वर्ष के अंतिम दिनों में एक अस्थायी दल बनाया गया था, जिसमें १६ सर्केल इंस्पेक्टर, ३५ सब-इंस्पेक्टर, ३५ हेड कान्स्टेबुल, १७२ कान्स्टेबुल और ५ स्पेशल प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर थे और उसे पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल के चार्ज में रक्खा गया था, जिन्होंने दल के आदमियों को स्क्वैडों (Squads) तथा चल यूनिटों (Mobile Units) में विभाजित कर दिया। कानपुर, आगरा, मेरठ और बनारस में स्क्वैड (Squad) तैनात किये गये थे और उन्होंने पुलिस के सीनियर सुपरिन्टेंडेंटों के निर्देशों के अधीन कार्य किया। चल यूनिटों (Mobile Units) का मुख्यालय (हेड क्वार्टर) दक्षिण रेंज में कानपुर में, पूर्वी रेंज में बनारस में तथा पश्चिमी रेंज में मेरठ में स्थित था और वे संबंधित पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की आज्ञाओं के अधीन इधर से उधर जाते थे। दल ने मार्च १९४९ ई० के आरम्भ में कार्य करना प्रारम्भ किया था और उसने सितम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक, विभिन्न कंट्रोल संबंधी आज्ञाओं के उल्लंघन के लगभग २,२४० मामलों का पता लगाया जिसके फलस्वरूप १,४६६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग ४,८०,४८८ रु० के मूल्य की सम्पत्ति पकड़ी गई।

१९४९ ई० की आर्डिनेंस संख्या ४।

सितम्बर, १९४९ ई० में एक आर्डिनेंस जारी किया गया, जो यूनाइटेड प्राविन्सेज ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस १९४९ ई० कहलाता है और जिसके द्वारा मूल ऐक्ट के लागू होने की अवधि ३० सितम्बर, १९५२ ई० तक बढ़ा दी गयी।

१९४९ ई० की आर्डिनेंस संख्या ५।

सितम्बर, १९४९ ई० में एक दूसरा आर्डिनेंस भी जारी किया गया जो यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, १९४९ ई० कहलाता है और जिसके द्वारा यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ ई० में कुछ संशोधन किये गये। इस संशोधक आर्डिनेंस की मुख्य बात यह थी कि ऐक्ट के वाक्यखंड ७, ७-ए और ७-बी को छोड़कर, जिनका संबंध जिला मैजिस्ट्रेट के निवास-स्थान (Accommodation) के एलाट करने के अधिकारों से और तीन महीने से अधिक समय तक किराया न देने पर किरायेदारों को बेदखल करने से था, ऐक्ट को पुनः कैन्टूनमेंट के क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया। उसमें एक प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंड

(proviso) भी बढ़ाया गया, जिसके द्वारा निम्नलिखित को ऐक्ट के लागू होने से मुक्त किया गया :—

(१) किसी ऐसे अहाते (premises) को, जो प्रान्तीय या केन्द्रीय सरकार की हो, (२) किसी ऐसी किरायेदारी या कोई अन्य ऐसे ही संबंध को जो सरकार से ग्रांट (स्वीकृत-पत्र) द्वारा ऐसे अहाते (premises) के संबंध में स्थापित किया गया हो, जिसे सरकार ने य तो पट्टे पर ले लिया हो या अपने अधिकार में ले लिया हो और (३) किसी ऐसे मकान को जिसे केन्द्रीय सरकार ने पट्टे पर कैन्टूनमेंट्स (हाउस एकोमोडेशन) ऐक्ट, १९२३ ई० के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले लिया था या भविष्य में ले ले ।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४९ ई० के उपबंधों (provisions) को राज्य में सभी नोटीफाइड तथा टाउन एरियाओं पर लागू कर दिया गया और ऐक्ट की धारा १७ के अधीन नियम भी बनाये गये। नियमों की मुख्य बातें ये थीं कि उनमें निम्नलिखित बातों के लिये व्यवस्था की गई थी :—

(१) मालिक मकान के निजी उपयोग के लिये किसी निवास स्थान को मुक्त करने के निमित्त, जब जिला मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाय कि वह निवास-स्थान खाली हो गया है और मालिक मकान को उसकी वास्तव में आवश्यकता है और (२) मालिक से किसी निवास-स्थान के किसी एक भाग के अलाट करने के मामले में परामर्श करने के लिये, जब मालिक स्वयं निवास-स्थान के दूसरे भाग में रहता हो। इस बात की भी व्यवस्था की गयी कि जिला मैजिस्ट्रेट किसी निवास-स्थान के खाली किये जाने की सूचना पाने के ३० दिन के भीतर ही उसे अलाट कर दे और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मालिक मकान को इस बात की अनुमति दी गई कि वह स्वयं कोई किरायेदार मनोनीत करे। इन नियमों में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि निवास-स्थान के अलाट किये जाने की तारीख से उसके किराये का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर होगा जिसको वह निवास-स्थान अलाट किया जाय।

३५—सहायता तथा पुनर्वास

सहायता

फरवरी, १९४७ ई० के बाद विस्थापित व्यक्ति अधिक संख्या में आने लगे और अगले जून तक उनकी संख्या बढ़कर ७५,००० हो गयी थी। उन्हें सहायता शिविरों में, जो अधिकतर फौजी बैरकें थीं, ठहराने के लिये सरकार ने सामयिक उपाय किये। इन शिविरों में उन्हें चिकित्सा, स्वच्छता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं के अतिरिक्त मुफ्त खाना और कपड़ा दिया गया। सरकारी शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या वर्ष के अन्त में २५,११६ थी। इनमें से १,०२० को मुफ्त राशन दिया जाता था।

मुफ्त खाना

जून, १९४८ ई० तक सरकार ने उन सभी निस्सहाय शरणार्थियों के लिये खाने की व्यवस्था कर दी थी जो उसके द्वारा प्रबंधित शिविरों में रहते थे। परन्तु शीघ्र ही यह प्रतीत हुआ कि निःशुल्क दान प्रणाली का विस्थापित व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इससे उनमें अपनी सहायता स्वयं करने की भावना का लोप हो रहा था। इसलिये ३० सितम्बर, १९४९ ई० के बाद मुफ्त खाना देना करीब-करीब बन्द कर दिया गया और वह केवल मथुरा, मेरठ, देहरादून और इलाहाबाद के विधवा

आश्रमों (Widows' Homes) के निवासियों और फाफामऊ शिविर के वृद्ध और निर्बल व्यक्तियों के "विंग" को दिया जाता रहा। १८ परिवारों को छोड़कर, उस कैम्प के वृद्ध और निर्बल व्यक्तियों के सभी परिवारों को बाद में ऋण देकर वहीं या अन्य स्थानों में बसा दिया गया और इन अपवाद-स्वरूप १८ परिवारों को फाफामऊ से ऋषीकेश ले जाया गया जहां उन्हें धर्मशालाओं में ठहराया गया और बाबा काली कमली वाला क्षेत्र, ऋषीकेश के जरिये उनके खाने-पीने इत्यादि के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये गये।

शिक्षा

विस्थापित बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिये शिविरों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल खोले गये और इनमें मुख्यतया शरणार्थी शिक्षकों को रक्खा गया। इन शिक्षकों के लिये स्वीकृत वेतन की दरें प्राइमरी और सेकेन्डरी ग्रेड के शिक्षकों की दशा में क्रमशः ३५ रु० और ५० रु० प्रति मास थीं और साथ में मुफ्त राशन भी दिया जाता था।

स्वच्छता तथा चिकित्सा संबंधी प्रबन्ध

शिविरों के लिये साज-सज्जा से युक्त अस्पतालों, दवाखानों और सैनेटरी कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान देने के लिये ३,३५,००० रु० की एक धनराशि स्वीकृत की गई जिससे कि वे विस्थापित व्यक्तियों के आने के कारण बढ़ी हुई मांगों को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा धर्मार्थ चलाये गये अस्पतालों के लिये भी सहायक अनुदान स्वीकृत हुये और सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा पर होने वाले व्यय को भी वहन किया जिसमें भुवाली सैनेटोरियम के तपेदिक के रोगियों पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

ट्रेनिंग तथा उत्पादन केन्द्र (Training-*cum*-Production Centres)

संयुक्त प्रान्त के कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर के संरक्षण में सभी बड़े शिविरों में खादी तथा औद्योगिक कार्यों के केन्द्र खोले गये जिनमें विस्थापित व्यक्ति न केवल खादी-धुनाई, कताई और बुनाई के काम ही सीख सकते थे बल्कि वे ऐसे लाभदायक दस्तकारी के कामों तथा उद्योगों जैसे दर्जीगीरी, साबुन बनाने, कढ़ाई, डलियां बनाने, बढ़ईगीरी, लोहारी, मोजा-बनियाइन इत्यादि बुनने और रेशम के कीड़े पालने में भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते थे। ट्रेनिंग की अवधि ३ से ६ महीने तक की थी और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद विस्थापित व्यक्ति उत्पादन कार्यों में लगा लिये जाते थे जिसके लिये उन्हें दैनिक मजदूरी मिलती थी।

प्रख्यापन

शरणार्थी शिविरों के लिये रेडियो सेटों की व्यवस्था की गई ताकि उनमें रहने वालों का मनोरंजन हो और साथ ही रोजबरोज की बातों के संबंध में भी जिसमें उनकी सहायता और पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं, उनकी दिलचस्पी बनी रहे।

जनगणना

भारत सरकार के आदेशानुसार विस्थापित व्यक्तियों की गणना की गई और उससे पता चला कि प्रान्त में ४,२१,३४० विस्थापित व्यक्ति थे जिनमें से २,०१,६८७ स्त्री और २,१९,६५३ पुरुष थे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो रजिस्टर्ड थे, २,९०,३१० थी, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो रजिस्टर्ड नहीं थे, १,३१,०३० थी।

क्रेडिट नोट

विस्थापित व्यक्तियों को, जो कहीं बसने के उद्देश्य से प्रान्त में एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों द्वारा फ्री रेलवे पास दिये गये। ऐसे व्यक्तियों को, जो अन्य प्रान्तों में बसना चाहते थे, प्रान्त के बाहर रेल से यात्रा करने के लिये क्रेडिट नोट दिये गये।

अंतिम दौर शिविरों (कैम्पों) को तोड़ना

पुनर्वास मंत्रालय (Ministry of Rehabilitation) से आदेश प्राप्त होने पर, प्रान्तीय सरकार ने शिविरों के निवासियों को बसाने की एक बार फिर पूरी-पूरी कोशिश की और बहुत से शिविरों को बन्द कर दिया। चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों से प्रार्थना की गयी कि वे तोड़े जाने वाले कैम्पों में हितकारी कार्य यह समझ कर करते जायं कि ये वैसे ही कार्य हैं जो वे प्रान्त के जन-साधारण के लिये करते हैं, परन्तु तोड़े गये सहायता शिविरों (रिलीफ कैम्पों) में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को कुछ और महीनों के लिये सीमित सहायता का दिया जाना अत्यन्त आवश्यक था और चूंकि प्रान्तीय सरकारें इस अतिरिक्त दायित्व को पूरा करने के लिये, ठीक समय पर पर्याप्त प्रबंध न कर सकी, इसलिय यह मामला भारत सरकार के पास भेजा गया, जो १९४९-५० ई० के अन्त तक सीमित सहायता संबंधी कार्यवाहियों पर होने वाले खर्च का भार उठाने के लिये राजी हो गई।

भारत सरकार के इच्छानुसार सब कश्मीरी शरणार्थियों को मिर्जापुर जिले के चुनार शिविर से पूर्वी पंजाब के कांगड़ा जिले के शिविर कैम्प में भेज दिया गया और चुनार शिविर को नवम्बर, १९४९ ई० के प्रारम्भ में ही बन्द कर दिया गया। फाफामऊ शिविर को १ दिसम्बर, १९४९ ई० को बन्द कर दिया गया। बरेली के एम० टी० टी० सी० बैरकों के निवासियों को, जिनमें से बहुत से कृषक थे और जिन्होंने कृषि-कार्य करने के सम्बन्ध में अपनी उत्कट इच्छा प्रगट की थी, मेरठ गंगा खादिर कालोनी की भूमि में फिर से बसाने के लिये भी उपाय किये गये। इस शिविर को बन्द करने के लिये भी प्रयत्न किये गये।

पुनर्वास शिविरों के बाहर टेक्निकल और व्यावसायिक ट्रेनिंग का प्रबन्ध

सहायता संबंधी कार्यवाहियों के धीरे-धीरे बन्द हो जाने से, पुनर्वास संबंधी योजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करना पड़ा। १९४७ ई० की औद्योगिक जांच-पड़ताल से यह भली भांति स्पष्ट हो गया कि शहरी क्षेत्रों से आने वाले अधिकतर विस्थापित व्यक्ति पृथक् पृथक् व्यापारों को करने वाले छोटे-मोटे दूकानदारों की श्रेणी के थे। यह शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि यदि विस्थापित व्यक्तियों को समझा बुझा कर उत्पादक कार्यों को करने के लिये उद्यत नहीं किया जाता, तो उनके लिये किसी ऐसी नौकरी का इन्तजाम हो सकने की बहुत ही कम आशा है जिससे कि उन्हें लाभ हो सके।

तदनुसार, सरकार ने भारत सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये खोले गये व्यावसायिक ट्रेनिंग केन्द्रों में विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग देने की एक योजना चालू की और उनके लिये २,००० जगहें सुरक्षित रख दी गईं। इसके अतिरिक्त उनके लिये ३०० जगहें प्रान्त की विभिन्न फैक्टरियों में अपरेंटिस के रूप में ट्रेनिंग पाने के लिये रख दी गईं। व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिये जगहों की संख्या को बढ़ाकर जुलाई में २,५०० कर दिया गया और इसके अतिरिक्त शार्टहैन्ड और टाइपराइटिंग में महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिये लखनऊ के क्रिश्चियन स्कूल आफ कामर्स में ५० जगहें और स्वीकृत की गईं। नवम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक, ५,७३० व्यक्ति या तो ट्रेनिंग कर चुके थे या इन केन्द्रों में ट्रेनिंग पा रहे थे।

शिविर के बाहर रहने वाली महिलाओं के लिये, सरकार ने मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, चंदौसी, बनारस, बरेली, देहरादून, लखनऊ, आगरा, कानपुर और मेरठ में १३ ट्रेनिंग एवं उत्पादन

केन्द्र संगठित किये। दो आवासिक औद्योगिक गृहों (Residential Industrial Homes) के अतिरिक्त, जिनमें से एक देहरादून में २५० महिलाओं के लिये था और दूसरा इलाहाबाद में १५० महिलाओं के लिये और जिनका समस्त खर्च सरकार उठाती थी, मथुरा और मेरठ के दो विधवाश्रमों (Widows' Homes) को भी आंशिक रूप से वित्तीय सहायता दी जाती थी। इन आश्रमों (Homes) में निराश्रित विधवाओं, असहाय महिलाओं और बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता था।

शिविरों के बाहर शिक्षा

ऐसे विस्थापित विद्यार्थियों की, जो नवीं और दसवीं कक्षाओं में पढ़ रहे थे, पढ़ाई (Tuition) तथा परीक्षा-फीसें माफ कर दी गईं और प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकें खरीदने इत्यादि के लिये ७५ रु० तक के नक़द अनुदान दिये गये। ऐसे विद्यार्थी भी, जो १९५० ई० तक मैट्रीकुलेशन परीक्षा में प्राइवेट रूप से बैठ रहे थे, कुछ शर्तों के अधीन परीक्षा फीस से बरी होने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते थे। विस्थापित बच्चों के लिये प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई।

उपनिवेशन औद्योगिक योजनायें

विस्थापित व्यक्तियों के लिये नैनी (इलाहाबाद) और मोदीनगर (मेर) में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के निमित्त योजनायें बनाई गईं। मोदीनगर में भूमि, विद्युत-शक्ति और इमारती सामान दिये जाने का काम पहिले ही से प्रारम्भ हो गया था। नैनी की बस्ती एक औद्योगिक बस्ती के रूप में शुरू की जाने वाली थी और विस्थापित उद्योग-पतियों को इस बस्ती में पहिले से ही भूमि दे दी गई थी और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे निकट भविष्य में ही कारखाने की इमारतें बनवाने का कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

उपनिवेशन योजना (ग्रामीण)

१९४७-४८ ई० में प्रान्तीय सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के १,७५० परिवारों को गंगाखादिर में और ८७५ परिवारों को तराई में फिर से बसाने के संबंध में एक योजना स्वीकृत की। नवम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक गंगाखादिर में १,१६३ परिवारों को, प्रत्येक परिवार को १० एकड़ के हिसाब से, और तराई में ३८० परिवारों को, प्रत्येक परिवार को १५ एकड़ के हिसाब से भूमि दी गई। यह आशा थी कि योजना पर कुल मिलाकर ४०,१३,००० रु० उत्पादक और ८४,१७,५०० रु० अनुत्पादक व्यय होगा जिसमें से कुल अनुत्पादक व्यय का केवल ५० प्रतिशत और उत्पादक व्यय के संबंध में होने वाली हानि का ५० प्रतिशत भारत सरकार को उठाना था। हानियों का हिसाब दस वर्ष के अन्त में लगाया जाना निश्चित हुआ था।

नौकरी

प्रान्तीय सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के लिये भी सभी सम्भाव्य उपायों का पता लगाया। अधिवास, आयु सीमा तथा शिक्षा संबंधी योग्यताओं से संबंधित प्रतिबन्धों को ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में काफी ढीलाकर दिया गया और रिसेटिलमेंट तथा एम्पलायमेंट विभाग के डाइरेक्टर को विस्थापित व्यक्तियों के रजिस्टर करने तथा उनमें से योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को उपयुक्त पदों के लिये सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया। इस कार्यविधि के फलस्वरूप १५ नवम्बर, १९४९ ई० तक लगभग १०,०६२ विस्थापित पुरुषों तथा स्त्रियों को नौकरी दिलायी गयी।

डाक्टर डेंटिस्ट (दन्त-चिकित्सक) वैद्य तथा हकीम

१९४८-४९ ई० में विस्थापित डाक्टरों, दन्तचिकित्सकों, वैद्यों तथा हकीमों को राज-सहायता देने की एक योजना चलाई गयी और इसके द्वारा १०० एलोपैथों (Allopaths), ५० वैद्यों तथा हकीमों और ६ दन्तचिकित्सकों को राज-सहायता देने का विचार किया गया। किन्तु भारत सरकार ने पूरी योजना के लिये राज-सहायता देने से इन्कार कर दिया और सितम्बर, १९४९ ई० में यह निश्चय किया गया था कि दन्तचिकित्सकों को, जो राज-सहायता दी जा रही थी उसे समाप्त कर दिया जाय और उन डाक्टरों, वैद्यों या हकीमों के अतिरिक्त जिन्हें पहिले ही से राज-सहायता मिल रही हो, किसी अन्य डाक्टर, वैद्य या हकीम को कोई राज-सहायता न दी जाय। १९४८-४९ ई० में इस योजना पर होने वाला वास्तविक व्यय ३८,१५७ रु० हुआ, जबकि १९४९-५० ई० के संशोधित तखमीनों में ८५,००० रु० व्यय करने का विचार था, और जिसमें से प्रान्तीय सरकार को लगभग २०,००० रु० का व्यय स्वयं उठाना था।

पूर्वी पंजाब में भूमि का दिया जाना

१९४८ ई० में पूर्वी पंजाब की सरकार ने एक ऐसी योजना के संबंध में घोषणा की थी जिसके द्वारा पश्चिमी पंजाब के उन शरणार्थियों को पूर्वी पंजाब में भूमि दी जाय जिनके पास पश्चिमी पंजाब या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भूमि रही हो। इस योजना के अधीन लगभग ३,००० व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। प्रान्तीय सरकार ने जालन्धर में एक लाइजन अधिकारी (Liaison Officer) तैनात कर दिया जिससे उन विस्थापित व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा सके जिन्होंने संयुक्त प्रान्त से भूमि दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे।

ऋण

उच्च शिक्षा के संबंध में भी प्रान्तीय सरकार ने कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा टेक्निकल संस्थाओं में पढ़ने वाले विस्थापित विद्यार्थियों तथा ट्रेनिंग पाने वाले व्यक्तियों को ऋण देने के संबंध में एक योजना चालू की। ऐसे ऋण मुख्यतया पढ़ाई पूरी करने के लिये ही दिये गये। किन्तु प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण और विशेष योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों और मैट्रीकुलेशन परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जो इंजीनियरी या चिकित्सा पाठ्य-क्रम का अध्ययन करना चाहते थे तथा इंटरमिडियेट साइन्स परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण उन विद्यार्थियों को, जो इंजीनियरी कोर्स का अध्ययन करना चाहते थे, उच्चतर (ऐडवान्स्ड) शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी ऋण दिया गया। नवम्बर के अन्त तक कुल २४२ विद्यार्थियों को ऋण दिया गया।

विस्थापित उद्योगपतियों, व्यवसायियों तथा कृषकों को विभिन्न व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कृषि तथा पेशों में फिर से लग जाने में सुविधायें देने के उद्देश्य से ऋण दिये गये। दिसम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक उद्योगपतियों और व्यवसायियों को ६१,५२,३८८ रु० तथा कृषकों को २,६२,२०० रु० के ऋण दिये गये।

प्रान्तीय सरकार को अधिक से अधिक केवल ५,००० रु० तक के ऋण देने का अधिकार था। ५,००० रु० से अधिक के ऋण भारत सरकार के पुनर्वास वित्त प्रशासन (रिहैबिलिटेशन फाइनेंस ऐडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा स्वीकृत किये जाते थे। दिसम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक पुनर्वास वित्त प्रशासन (रिहैबिलिटेशन फाइनेंस ऐडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा ३१,३९,००० रु० के ऋण स्वीकृत किये गये।

प्रान्त के विभिन्न जिलों में शरणार्थियों की व्यापारिक संस्थाओं को १,००० किलोवाट से अधिक बिजली दी गई। विस्थापित प्रनिर्माताओं (फैब्रिकेटर्स) तथा इंजीनियरी संस्थाओं को ६०० टन से अधिक लोहा और इस्पात के त्रैमासिक कोटे दिये गये। विस्थापित उद्योगपतियों के पुनर्वास के लिये आगरा, लखनऊ, फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद की डिहाइड्रेशन फैक्ट्रियां प्रान्तीय सरकार को हस्तान्तरित कर दी जाने के संबंध में भारत सरकार से बातचीत चलती रही।

मकानों की व्यवस्था

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सस्ते दूकान सहित मकानों का एक विशेष प्रकार का डिजाइन तैयार किया। प्रान्त के विभिन्न नगरों में इस डिजाइन के तीन हजार आठ सौ सैंतालिस मकान बनाये गये। मध्य वर्ग के परिवारों के लिये उन्नत डिजाइन के १३४ मकान बनाये गये। धन की कमी के कारण इस योजना को एकाएक बन्द कर देना पड़ा। निर्धन श्रेणी के व्यक्तियों के लिये १,००० कच्चे घर बनाये गये। इसके अलावा विस्थापित व्यक्तियों के लिये कानपुर विकास बोर्ड ने १,२०० क्वार्टर तथा इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने २५ क्वार्टर बनवाये।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान तथा दूकान बनवाने के निमित्त स्थानीय निकायों को १०,३१,५०० रु० तक के ऋण दिये गये। कुल ६,१५३ लकड़ी के स्टाल बनवाये गये जिनमें से ३,००० स्टाल सरकार द्वारा तथा शेष स्थानीय निकायों आदि द्वारा बनवाये गये।

विस्थापित व्यक्तियों की भवन निर्मात्री सहकारी समितियों को १९३९ ई० में प्रचलित मूल्य की दर पर भूमि प्राप्त करने में सहायता दी गई तथा नियंत्रित दरों पर इमारती सामान सप्लाई किया गया। ६ भवन निर्मात्री समितियों (हाउसिंग सोसाइटीज़) के लिये लगभग २४९ एकड़ भूमि प्राप्त की गई। उन व्यक्तियों को जिन्हें वास्तव में रुपये-पैसे की आवश्यकता थी, वित्तीय सहायता दी गई। दो सहकारी समितियों को २,२२,००० रु० का ऋण दिया गया। ऐसे गैर-शरणार्थियों को, जिनके पास मकान बनवाने के लिये धन और भूमि थी, इस शर्त पर नियंत्रित दरों पर इमारती सामान प्राप्त करने में सहायता प्रदान की गई कि वे उन मकानों को प्रथम तीन वर्ष तक विस्थापित व्यक्तियों को किराये पर उठायें।

नई बस्तियां

लखनऊ, देहरादून तथा इलाहाबाद में विस्थापित व्यक्तियों की नई बस्तियां बसाने की योजना बनाई गई और ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को जिनके पास घर बनवाने के साधन थे, १,२५७ प्लाट दिये गये।

औद्योगिक नगर का निर्माण करने के लिये मोदी नगर, जिला मेरठ में २०० एकड़ भूमि प्राप्त की गई। आशा की जाती है कि उक्त स्थान में लगभग ५,००० विस्थापित व्यक्तियों के परिवार रह सकेंगे तथा ५० औद्योगिक संस्थाएं खोली जा सकेंगी। इन औद्योगिक संस्थाओं को चाहिये कि वे उक्त उप-नगर (township) में बसने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करें। इस बस्ती के निर्माण का काम मेसर्स मोदीनगर कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड, मोदीनगर को सौंप दिया गया तथा उन्हें ३५ लाख रुपये का ऋण देने का वचन दिया गया जिसमें से दस-दस लाख की दो किस्तें दी जा चुकी है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत लगभग ३५० घरों का निर्माण किया गया। पश्चिमी पंजाब से आये हुये खेल-कूद का सामान बनाने वाले विस्थापित व्यक्तियों को विशेष

डिजाइन के १०० क्वार्टर दिये गये ताकि प्रान्त में खेल-कूद का सामान बनाने के उद्योग का एक ठोस केन्द्र स्थापित हो जाय। नैनी (इलाहाबाद) में विस्थापित व्यक्तियों की एक औद्योगिक बस्ती बसाने के लिये लगभग २५० एकड़ भूमि प्राप्त की गई है। इस क्षेत्र के विकास पर १ लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा रही है।

विस्थापित व्यक्तियों के उप-नगर (townships)

आलोच्य वर्ष में रामनगर (रुड़की), प्रेम नगर (देहरादून) और डेरी कैम्प (फैजाबाद) में विस्थापित व्यक्तियों के उप-नगर बसाने के लिये कुछ मिलिटरी प्राजेक्टों को प्रान्तीय सरकार को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने के संबंध में भारत सरकार के साथ वार्ता चलती रही।

निष्क्रांत सम्पत्ति

संयुक्त प्रान्त मे निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध १८ अक्टूबर, १९४९ ई० को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश (आर्डिनेंस) संख्या २७, सन् १९४९ ई० के अनुसार किया जाता था। निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति का प्रशासन प्राविन्शियल कस्टोडियन को सौंपा गया था जिसकी सहायता के लिये हेडक्वार्टर में एक असिस्टेंट कस्टोडियन था और जिलों में जिला मैजिस्ट्रेट थे जो अपने-अपने जिलों में डिप्टी कस्टोडियन के रूप में काम करते थे। न्याय संबंधी कार्य ५ डिप्टी कस्टोडियन (जुडीशियल) द्वारा किया जाता था जो हेडक्वार्टर में एक एडीशनल कस्टोडियन के अधीन काम करते थे। प्रमुख जिलों में पूरे समय काम करने वाले निष्क्रान्त सम्पत्ति के असिस्टेंट कस्टोडियन भी नियुक्त किये गये।

अध्याय ५

सरकारी राजस्व तथा वित्त

३६—केन्द्रीय राजस्व

संयुक्त प्रान्त में जितने व्यक्तियों पर आय-कर निर्धारित किया गया उनकी कुल संख्या ६४,६२९ थी और आय-कर के विभिन्न समस्त केन्द्रीय शीर्षकों के अन्तर्गत वास्तविक वसूली ८,५९,९८,१९३ रु० हुई। इसमें ५,३३,०३,६६१ रुपये की सबसे बड़ी धनराशि अकेले आय कर से ही प्राप्त हुई। इसके बाद सुपर-टैक्स तथा कारपोरेशन टैक्स आते हैं, जिनकी धनराशियां क्रमशः १,०६,५५,६६५ रु० और ८७,३९,२५६ रु० हैं। शेष धनराशियां इस प्रकार हैं:— व्यापार लाभ-कर (बिजिनेस प्राफिट्स टैक्स) से ५८,०२,६०० रु०, अतिरिक्त लाभ-कर (एक्सेस प्राफिट्स टैक्स) से ३१,३७,३७८ रु०, सरचार्ज टैक्स से २९,५२,२०१ रु०, पूंजीलाभ-कर (कैपिटल गेन्स टैक्स) से २,५९,०८२ रु० और विविध से ११,४८,३५० रु०।

३७—प्रान्त की वित्तीय स्थिति

१९४८—४९ ई० के बजट के वास्तविक आंकड़े

१९४८—४९ ई० के मूल बजट में राजस्व से प्राप्तियों का तखमीना ४,५८७ लाख रु० और राजस्व व्यय का तखमीना ५,०५७ लाख रुपया लगाया गया था। हिसाब लगाने पर वास्तव में यह पता चला कि इस वर्ष का राजस्व ४,९२० लाख रुपया था और व्यय ४,९१८ लाख रु० था। इस प्रकार १९४८—४९ ई० के बजट में ४७० लाख रुपये की अनुमानित कमी के बजाय २ लाख रुपये

की बचत हुई और यदि १८९ लाख रुपये तथा १०० लाख रुपये की धनराशि क्रमशः राजस्व सुरक्षित कोष और जमींदारी विनाश कोष को संक्रमित न की जाती, तो इस वर्ष के अन्त में लगभग २९१ लाख रु० की बचत राजस्व में होती।

राजस्व प्राप्तियां

१९४८–४९ ई० में राजस्व की कुल शुद्ध धनराशि ४,९२० लाख रुपया थी, जिसके फलस्वरूप ३३३ लाख रुपये की वृद्धि हुई जब कि मूल तखमीना ४,५८७ लाख रुपये का लगाया गया था। यह वृद्धि विभिन्न कारणों से हुई, पर इसका मूल कारण बिक्री कर ऐक्ट था जो इस वर्ष के मूल तखमीने तैयार करने के बाद लागू किया गया था। इस कर से ४२७ लाख रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त मनोरंजन तथा बाजी लगाने के करों (Entertainment and Betting Taxes) से आय २२ लाख रुपये और शक्कर उपकर (cess) से ३९ लाख रुपये बढ़ गई। १२ लाख रुपये की धनराशि, जिसका हिसाब मूल तखमीनों में नहीं लगाया गया था, शीरे की बिक्री से मुनाफे के रूप में शुगर सिन्डीकेट से प्राप्त हुई। आय–कर की भाज्य निधि में प्रान्तीय सरकार का हिस्सा भी १६४ लाख बढ़ गया, जिसमें ९० लाख रुपये की वह धनराशि सम्मिलित थी, जो उसे १ अप्रैल से १४ अगस्त, १९४७ ई० तक की विभाजन की अवधि के पहिले की निधि में से हिस्से के रूप में प्राप्त हुई थी। भारत सरकार से भी अप्रत्याशित प्राप्ति हुई जो शक्कर के उस स्टाक से अतिरिक्त मुनाफे के कारण हुई थी जिसे शक्कर पर से कंट्रोल हटा लेने के फलस्वरूप १९४६–४७ में जब्त कर लिया गया था। शराब और देशी शराब पर अधिक लाइसेंस फीस और शुल्क (ड्यूटी) वसूल किये जाने के कारण आबकारी के अंतर्गत प्राप्तियां और अधिक हुईं और वार्षिक नीलामों में इमारती लकड़ी के अपेक्षाकृत अधिक दाम मिलने के फलस्वरूप वन के अन्तर्गत भी अधिक प्राप्तियां हुईं। दूसरी ओर युद्धोत्तर विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली राज–सहायता में ३०२ लाख रुपये की कमी हो जाने के कारण असाधारण प्राप्तियों में विशेष कमी हो गई। सिंचाई से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों में कमी हुई जिसका कुछ कारण यह था कि वर्षा अच्छी हुई और कुछ कारण यह था कि अतिरिक्त अमला रखने और मजदूरी बढ़ जाने से कार्य–सम्पादन–व्यय में काफी वृद्धि हो गई। सरकारी बस सर्विसों से होने वाली आय में कमी हुई जिसका मुख्य कारण उपयुक्त मोटर गाड़ियों का न मिलना और कारखाने की कार्यक्षमता का कम होना है। वास्तव में चलाई गई मोटर गाड़ियों की संख्या उस संख्या से बहुत कम थी जिसकी प्रारम्भ में आशा की गई थी। कुछ फार्मों का यंत्रीकरण करने और कुछ औद्योगिक योजनाओं को प्रारम्भ करने में विलम्ब होने के कारण भी वेटेरिनरी (पशु-चिकित्सा) और उद्योग विभागों के अन्तर्गत प्राप्तियों में कमी हुई।

राजस्व व्यय

यदि १८९ लाख और १०० लाख रुपयों की धनराशियां, जो क्रमशः राजस्व सुरक्षित कोष तथा जमींदारी विनाश कोष में संक्रमित कर दी गई हैं, छोड़दी जायं तो वास्तविक व्यय ५,०५७ लाख रुपये के मूल तखमीने से ४२८ लाख रु० कम होता है। असाधारण प्राप्तियों से पूरे किये जाने वाले निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत व्यय में ३४६ लाख रुपये की मुख्य कमी हुई, जिसका मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि वह युद्धोत्तर विकास योजनाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय के संबंध में ५० प्रतिशत तक राज–सहायता देगी। विस्थापित व्यक्तियों की सहायता करने और उन्हें

फिर से बसाने में कम व्यय होने के कारण १३३ लाख रुपये की एक दूसरी महत्व- पूर्ण कमी हुई। वाहन विभाग पर भी ११० लाख रुपये कम व्यय हुए जिसका मुख्य कारण मोटरगाड़ियों की खरीद पर, सप्लाई की स्थिति अच्छी न होने से, कम व्यय का होना है । इरींगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए समुद्रपार से सज्जा के प्राप्त न होने, पैमाइश करने की सामग्री की लागत, पूंजी से व्यय करने, और नायर डैम की जांच-पड़ताल रोक देने के कारण "सिंचाई के निर्माण कार्य" के अन्तर्गत ८४ लाख रुपये की एक और बड़ी कमी हुई । दूसरी ओर "कृषि" के अन्तर्गत १५४ लाख रुपये की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि "शक्कर खोज तथा मजदूरों के लिए घर बनाने की व्यवस्था कोष" में १०० लाख रुपये संक्रमित कर दिये गये तथा स्टेट ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया । डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव फोर्स का विस्तार करने, मोटरगाड़ियों की विस्तृत रूप से मरम्मत होने तथा कान्स्टेबुल ड्राइवरों के रक्खे जाने के कारण पुलिस पर भी ६१ लाख रुपये अधिक व्यय हुए । कैदियों के भरण-पोषण संबंधी व्यय बढ़ जाने के कारण जेलों के व्यय में भी ३९ लाख रुपये की वृद्धि हुई ।

पूंजी व्यय

पूंजी व्यय १,५३७ लाख रुपये हुआ, जबकि मूल तखमीने में ९९१ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान था, जिसमें सप्लाई योजनाओं से ४९ लाख रुपये की शुद्ध आय की व्यवस्था की गयी थी । किन्तु इन योजनाओं को वास्तव में कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप ८२९ लाख रुपये के शुद्ध भुगतान करने पड़े या तखमीने में ८७८ लाख रुपये की वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त विस्था- पित व्यक्तियों के लिए घर और दूकानों के निर्माण संबंधी व्यय को भारत सरकार से मिलने वाले ऋण से पूरा करने के निश्चय के कारण, मुख्यतया १५२ लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि नामे लिखी गई । नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत भी व्यय में ९४ लाख रुपये की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि वह राज्य की विकास योजनाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय का केवल ५० प्रतिशत वित्तीय सहा- यता के रूप में देगी । इन वृद्धियों की तुलना में कुल ५८० लाख रुपये की कमी भी हुई, जिसका मुख्य कारण यह था कि पूंजी से किये जाने वाले कुछ निर्माण कार्य जिनकी पहिले से योजना तैयार हो चुकी थी या तो रोक दिये गये या उनकी प्रगति मन्द रही।

१९४९-५० का बजट और दोहराये तखमीने

१९४९-५० के बजट में ५,५७३ लाख रुपये के राजस्व और ५,५५८ लाख रु० के व्यय अथवा १५ लाख रुपये की बचत का अनुमान किया गया था। १९४८-४९ के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष, प्राप्ति और व्यय दोनों ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । युद्धोत्तर विकास योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में और अधिक धनराशि नियत किये जाने के कारण ही प्राप्तियों के अन्तर्गत इस वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। बिक्री-कर ऐक्ट (Sales Tax Act) से भी लगभग २ करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की आशा की जाती थी । सरकारी बस सर्विस (Govern- ment Bus Service) से और अधिक आय होने की आशा थी और साथ ही यह भी आशा की गयी थी कि सिंचाई की दरों पर सरचार्ज लगाने, फार्मों का यंत्रीकरण करने तथा पंचायतों के चुनाव के संबंध में मनोनयन-पत्रों की बिक्री के कारण सिंचाई, पशु-चिकित्सा और विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत राजस्व के रूप में अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। दूसरी ओर नशाबन्दी को और अधिक स्थानों पर लागू करने और शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं की खपत कम हो जाने

के कारण आबकारी प्राप्तियों में कमी हो जाने की आशा की गयी थी और पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली प्राप्तियों का कम तखमीना लगाया गया था, क्योंकि यह आशा की गयी थी कि प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी द्वारा की गई सेवाओं के लिए भारत सरकार से वसूलियां कम होंगी। व्यय में जो वृद्धि हुई है उसका कारण यह है कि करीब-करीब सरकार के सभी विभागों में विकास कार्यों पर अधिक व्यय हुआ है और वह भी विशेष कर शिक्षा, कृषि, सार्वजनिक निर्माण और पंचायत राज पर। फिर भी "असाधारण प्राप्तियों से किये जाने वाले नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत" शीर्षक के अन्तर्गत कम व्यय होने की आशा की गई थी जिसका मुख्य कारण यह था कि युद्धोत्तर योजनाओं के लिए भारत सरकार जो राज-सहायता देती थी उसके संबंध में उसने इन योजनाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय का केवल ५० प्रतिशत देने का निर्णय किया। विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के संबंध में कम व्यय होने का तखमीना लगाया गया, क्योंकि यह निर्णय किया गया कि इन लोगों के रहने के मकानों की व्यवस्था करने की योजना के लिए धन भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋण में से दिया जाय।

१९४९-५० के दोहराये तखमीने

दोहराये तखमीनों में प्राप्तियां ५,६२६ लाख रु० तक और व्यय ५,६२३ लाख रुपये तक पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप मूल तखमीने की अनुमानित १५ लाख रुपये की बचत के बजाय ३ लाख रुपये की एक छोटी सी बचत हुई। शीर्षक प्राप्ति के अन्तर्गत वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि युद्धोत्तर योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व सुरक्षित कोष से २६० लाख रुपये की धनराशि संक्रमित करनी पड़ी, क्योंकि भारत सरकार ने जितनी धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दी थी उससे व्यय कहीं अधिक हुआ। केन्द्रीय भाज्य निधि में से सरकार को जो आय-कर का हिस्सा मिलता है उसमें भी ३२ लाख रुपये की वृद्धि हुई और वन-प्राप्तियों के अन्तर्गत भी ४३ लाख रुपये की वृद्धि हुई, क्योंकि वन-उपज के सालाना नीलामों से अधिक धनराशि प्राप्त हुई। सिंचाई की दरों में ५० प्रतिशत सरचार्ज खरीफ १९४९ में भी लिया गया और इसके फलस्वरूप सिंचाई प्राप्तियों में ४३ लाख रुपये की वृद्धि हुई। दूसरी ओर युद्धोत्तर विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार जो वित्तीय सहायता देती थी उसकी धनराशि ५१७ लाख से घटकर ३५७ लाख रह गई क्योंकि भारत सरकार ने इन योजनाओं के लिए अपेक्षाकृत कम धनराशि नियत की थी। अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत ३८ लाख रुपये की कमी हुई जिनका मुख्य कारण यह था कि अधिक धनराशियां वापस की गयीं और पेट्रोल की बिक्री तथा शक्कर उप-कर से कम आय हुई। प्राइवेट किसानों के ट्रैक्टर संगठन द्वारा किये जाने वाले कामों के संबंध में भी वसूलियां कम हुई क्योंकि यह संगठन ट्रैक्टर उधार देकर प्राइवेट फार्मों का उतना काम न कर सका जितना कि पहिले इससे आशा की जाती थी। इसके साथ-साथ उपनिवेशन योजनाओं के सिलसिले में कार्य प्रगति धीमी होने के कारण बसने वालों से कम वसूली हुई जिसके फलस्वरूप कृषि के अन्तर्गत ४१ लाख रुपये की कमी हुई। दूसरी ओर व्यय के अन्तर्गत ३२ लाख रुपये की एक अतिरिक्त धनराशि संयुक्त प्रान्तीय सड़क कोष को संक्रमित की गयी और जमींदारी विनाश कोष के लिए धनराशि वसूल करने के संबंध में होने वाले व्यय की बाद में व्यवस्था की गई। इसलिए "सामान्य प्रशासन" के अन्तर्गत ३६ लाख रुपये की वृद्धि हुई, क्योंकि इस धनराशि को मूल तखमीनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। पुलिस व्यय में भी ७७ लाख रुपये की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि महंगाई भत्ते की संशोधित दरों के लिए मूल तखमीनों में जो व्यवस्था

की गयी थी वह अपर्याप्त निकली। प्रान्तीय रक्षक दल के लिए हथियार और गोला-बारूद के संबंध में देर से भुगतान करने तथा प्रान्तीय सशस्त्र कान्स्टेबुलरी के बटैलियनों को भंग करने में देरी होने के कारण भी पुलिस व्यय में वृद्धि हुई। कृषि के अन्तर्गत वृद्धि होने का कारण यह था कि अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के संबंध में अधिक व्यय हुआ। लेखन सामग्री के स्टोरों तथा कागज़ की खरीदारी पर, जिनकी आवश्यकता विशेष कर जमींदारी विनाश कार्य तथा गांव सभाओं और पंचायतों के कार्य के लिए थी, अपेक्षाकृत अधिक व्यय होने से लेखन सामग्री तथा छपाई के अन्तर्गत वृद्धि हुई। अप्रैल, १९४९ ई० से शत प्रतिशत राशनिंग आरम्भ होने के कारण असाधारण व्यय में वृद्धि हुई। दूसरी ओर नागरिक निर्माण-कार्य (साधारण) तथा असाधारण प्राप्तियों से पूरे किये जाने वाले निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत पर होने वाला व्यय क्रमशः ३८ लाख रुपया और ७७ लाख रुपया कम हो गया जिसका मुख्य कारण यह था कि खर्च में कमी करने के उद्देश्य से तथा अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के लिए सामान देने के लिए निर्माण कार्यों का कार्यक्रम कम कर दिया गया। विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास पर कम व्यय होने के कारण विविध व्यय के अन्तर्गत व्यय कम हुआ।

पूंजी व्यय

पूंजी-व्यय, जो मूल तखमीनों में १,६९३ लाख रुपया था, घटकर दोहराये तखमीनों में ९८५ लाख रुपया रह गया। मूल तखमीनों में सप्लाई योजनाओं के कारण ७८ लाख रुपये के शुद्ध व्यय होने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु इन योजनाओं के वास्तविक परिचालन के फलस्वरूप १८८ लाख रुपये की शुद्ध आय हुई और इस प्रकार व्यय में २६६ लाख रुपये की कमी हुई। इस कमी का मुख्य कारण यह था कि अन्न सप्लाई योजना पर होने वाले घाटों को पूरा करने के लिए सप्लाई योजनाओं के स्थिरीकरण कोष (स्टेबिलाइजेशन फंड) में से ३०० लाख रुपया, पूंजी को संक्रमित किया गया। अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के लिए सामान देने के हेतु कतिपय निर्माण कार्यों को स्थगित कर देने के फलस्वरूप भी जल-विद्युत् तथा नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत १८४ लाख रुपयों की कमी हुई। दोहराये तखमीनों में २९० लाख रुपये की दूसरी वृद्धि इसलिए हुई कि औद्योगिक विकास, विद्युत् योजनायें तथा दूसरे निर्माण कार्य के संबंध में बहुत सी योजनाओं (प्राजेक्टों) को, जिनके लिए मूल तखमीनों में व्यवस्था की गयी थी खर्च में कमी करने के उद्देश्य से या तो कम कर दिया गया या उनको कार्यान्वित करने की प्रगति धीमी रही। इन कमियों की तुलना में कुल ३३ लाख रुपये की वृद्धियां हुई जिनका मुख्य कारण यह था कि खाद्यान्न महत्व की कतिपय सिंचाई योजनाओं के लिए दोहराये तखमीनों में व्यवस्था की गयी।

ऋण तथा अग्र ऋण

१९४९ ई० में ४ करोड़ रुपये का ऋण लेने का विचार किया गया था परन्तु वास्तव में कोई ऋण नहीं लिया गया। मूल तखमीनों में ८ करोड़ रुपयों तक के ट्रेजरी बिलों को जारी रखने की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से वर्ष के अन्त में ६ करोड़ रुपयों के बिलों के संबंध में यह आशा की गयी थी कि उनका भुगतान नहीं किया जायगा। परन्तु वास्तव में केवल ५½ करोड़ रुपयों के ट्रेजरी बिल जारी किये गये जिनमें से वर्ष के समाप्त होने से पूर्व ही सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया। भारत के रिजर्व बैंक से ८०० लाख रुपये के बजाय, जिसकी मूल तखमीनों में व्यवस्था की गयी थी, १,६२८ लाख रुपयों के साधन और उपाय संबंधी अग्र ऋण (Ways and Means Advances) लेना भी आवश्यक हो गया। ट्रेजरी बिलों को अपेक्षाकृत कम

संख्या में जारी करने तथा बढ़े हुए व्यय के कारण ऐसा किया गया। इन अग्रऋणों तथा पिछले वर्ष की ९६ लाख रुपये की बकाया धनराशि का भुगतान वर्ष में कर दिया गया।

अन्न सप्लाई करने की योजना

अन्न सप्लाई करने की योजना सीमित अंश में ही वर्ष के आरम्भ में चालू रही, क्योंकि सिर्फ उन ३० नगरों में ही निर्धन वर्ग के लोगों को खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए आंशिक राशनिंग थी जिनमें संयुक्त प्रान्त के पांच बड़े नगर अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ और सात कमी वाले पहाड़ी नगर अर्थात् मसूरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडाउन और पौड़ी और राज्य के पूर्वी भाग के वे जिले सम्मिलित हैं जहां खाद्यान्न की निरन्तर कमी बनी रहती है। लेकिन चूंकि सम्पूर्ण देश में, जिसमें संयुक्त प्रान्त सम्मिलित है, आंशिक राशनिंग के परिणाम पूर्णतया संतोषजनक नहीं थे, इसलिए सरकार को बाद में सम्पूर्ण राशनिंग पुनः चालू करनी पड़ी। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की वसूली देश में करनी पड़ी और उसे विदेश से भी मंगाना पड़ा। यह अनुमान था कि ३७,३६,६८,००० रु० की तखमीनी लागत पर ८,३७,००० टन खाद्यान्न राज्य के भीतर और आयात करके खरीदा जायगा, जिसमें बोरे की कीमत, भाड़ा, वाहन, गोदाम के रखने और अन्य विविध व्यय को पूरा करने के लिए आनुषंगिक व्यय सम्मिलित हैं। आनुषंगिक व्यय का हिसाब देश में वसूल किये गये अन्न की दशा में २ रु० प्रति मन की दर से और आयात किये गये खाद्यान्न की दशा में २ रु० ८ आना प्रति मन की दर से लगाया गया। लेकिन यह मान लिया गया था कि उन सब धनराशियों के भुगतान का समाधान करना सम्भव न होगा जो इस सरकार को भारत सरकार द्वारा १९४९ ई० में दिये गये खाद्यान्नों की कीमत के रूप में उसको (भारत सरकार को) देनी थी और यह भी मान लिया गया था कि लगभग ४ करोड़ के नामे का समाधान न हो सकेगा और उनका भुगतान अगले वर्ष करना होगा। इस प्रकार वर्ष में होने वाले शुद्ध व्यय की अनुमानित धनराशि ३३,३७,००,००० रु० (सुगमांक) थी। इसके अतिरिक्त १९४९ ई० में जिला अन्न लेखे (District Grain Account) पर व्यय का तखमीना ८९,४५,००० रु० लगाया गया था। इस प्रकार १९४९ ई० में सम्पूर्ण व्यय का कुल तखमीना ३४,२६,४५,००० रु० लगाया गया था। यह भी अनुमान था कि निर्यात लगभग १,२०,००० टन होगा। निर्यात की इन जिम्मेदारियों और राशनिंग के बढ़े हुए दायित्वों के कारण, खाद्यान्न की खरीद के लिए पहिले से अधिक धनराशि की व्यवस्था की गयी। यह तखमीना लगाया गया था कि अन्न योजना लेखे में ३३,१०,००,००० रु० की प्राप्तियां और वसूलियां होंगी जिसमें अन्न की बिक्री से होने वाली ३३ करोड़ रुपये की आय और भारत सरकार से मिलने वाली १ करोड़ की राज-सहायता तथा बोनस सम्मिलित हैं। सप्लाई योजना स्थिरीकरण कोष (Supply Schemes Stabilization Fund) से इस शीर्षक के अन्तर्गत ३ करोड़ रुपये भी संक्रमित किये गये। इसलिए १९४९ ई० में अन्न योजना से शुद्ध प्राप्तियां १,८३,५५,००० रु० होने की उम्मीद थी।

अन्य योजनायें

अन्य महत्वपूर्ण योजनायें ये थीं—गुड़ योजना, शीरा योजना, रेलवे स्लीपर और ईंधन नियंत्रण योजना, खांडसारी योजना, दानेदार चीनी की योजना और नमक योजना।

गुड़ योजना

चूंकि ८ दिसम्बर, १९४७ ई० से गुड़ पर से कंट्रोल हटा लिया गया था, इसलिए वर्ष में इसकी खरीद नहीं की गयी। लेकिन वर्ष में कुछ लेखों के समा-

धान हुए और कुछ धनराशियां लौटाई भी गईं। इसके फलस्वरूप शुद्ध व्यय ३,४६,००० रु० होने का अनुमान था।

शीरा योजना

इस मृत योजना के अन्तर्गत ऐसे छोटे-मोटे लेन-देन बाकी थे जिनका समाधान गत वर्ष में न हो सका था।

रेलवे स्लीपर तथा ईंधन नियंत्रण योजना

कर्मचारियों पर होने वाले खर्च और प्रासंगिक व्ययों को छोड़कर रेलवे स्लीपर तथा ईंधन नियंत्रण योजना के संबंध में, सरकार का कोई अन्य वित्त संबंधी सरोकार नहीं था। इसका कारण यह था कि रेलवे स्लीपरों के लिए धन सीधे रेलवे कोष से मिलता था। प्रारम्भ में योजना पर ४,१४,६०० रु० का शुद्ध व्यय होने का अनुमान किया गया था, परन्तु यद्यपि महंगाई तथा रहन-सहन व्यय के भत्तों की बढ़ी हुई दरों के कारण व्यय में कुछ वृद्धि हुई फिर भी इससे कहीं अधिक १,६२,००० रु० की आय उस उपरि व्यय (Overhead Charges) की बक़ाया धनराशि के मिल जाने से हुई जो इमारती लकड़ी सप्लाई करने के संबंध में भारत सरकार के जिम्मे पड़ी हुई थी, जिसके फलस्वरूप केवल २,५२,००० रु० का शुद्ध व्यय हुआ।

खांडसारी योजना

प्रारम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि शुद्ध आय ५,२६,००० रु० की होगी, लेकिन कुछ मिलों को खांडसारी को दानेदार चीनी में बदलने के संबंध में हुए व्यय का भुगतान करना था और उनसे (मिलों से) उनको बेचे गये कुछ स्टाकों का मूल्य वसूल करना था। इसलिए अनुमान लगाया गया कि शुद्ध आय ९,३९,००० रु० होगी।

दानेदार चीनी की योजना

इस वर्ष इस मृत योजना के अन्तर्गत पुराने हिसाबों का समाधान करना जारी रहा और इसके फलस्वरूप २,५५,००० रु० की शुद्ध आय हुई।

नमक योजना

पिछले दो वर्षों में नमक की खरीद के लिए सरकार ने कोई धनराशि नहीं व्यय की। लेकिन वर्ष में पुराने हिसाबों का समाधान किया जाना जारी रहा।

विनियोग लेखे

जनवरी, १९४९ ई० में महामान्या गवर्नर महोदया के सामने प्रस्तुत करने के लिए भारत के आडिटर जनरल ने १९४६-४७ के सरकारी विनियोग लेखे और १९४८ ई० की आडिट रिपोर्ट भेजी। इस प्रकाशन में प्रत्येक अनुदान के लिए पृथक् विनियोग लेखे के रूप में १९४६-४७ के मतदेय अथवा प्रभृत्त दोनों ही परीक्षित लेखे दिये गये हैं और साथ ही वे महत्वपूर्ण रायें भी दी गयी हैं जिन्हें लेखा परीक्षा के बाद प्रकट करना आवश्यक समझा गया था। इस खंड में व्यापार, निर्माण तथा लाभ और हानि संबंधी सभी लेखों पर आडिट अधिकारियों की टिप्पणियों और वाणिज्य तथा अर्ध-वाणिज्य संबंधी सरकारी संस्थाओं के संबंध में रक्खे गये आय-व्यय के विवरण-पत्र भी दिये गये हैं।

वित्त लेखे

सरकार के १९४६-४७ के वित्त-लेखे और उसकी आडिट रिपोर्ट महामान्या गवर्नर महोदया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आडिटर जनरल से ६ नवम्बर, १९४८ ई० को प्राप्त हुई। इस संकलन में १९४६-४७ के संबंध में सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को दिखलाया गया है और साथ ही इसमें विभिन्न लेखों तथा जांच के लिए प्राप्त दूसरे लेखों से प्रकट होने वाले वित्तीय परिणामों अर्थात् प्रान्तीय सरकार के राजस्व और पूंजी लेखे तथा सार्वजनिक ऋण और उत्तरदायित्वों और सम्पत्तियों के लेखों की रिपोर्ट भी दी गयी। इस संकलन द्वारा विनियोग लेखों की पूर्ति की गई।

महामान्या गवर्नर महोदया की आज्ञा के अनुसार १९४६–४७ के विनियोग और वित्त लेखे और दोनों लेखों से संबंधित आडिट रिपोर्टें २८ फरवरी, १९४९ ई० को विधान मंडल के सामने पेश की गयीं।

सार्वजनिक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्टस कमेटी)

१९४८–४९ की सार्वजनिक लेखा समिति (पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी) ने जो सरकार के विनियोग लेखे तथा लेखे (Accounts) में उठायी गयी विभिन्न आपत्तियों के संबंध में प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तुत की गयी स्पष्टीकरण-टिप्पणियों पर विचार करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्तीय विधान सभा की नियमावली के नियम ६० और ६१ के अधीन बनायी गयी थी, १९४६–४७ ई० के विनियोग लेखे तथा सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट (हिसाब की जांच की रिपोर्ट) पर मार्च, १९४९ ई० को अपनी बैठकों में विचार किया। समिति की सिफारिशें एक रिपोर्ट में दी गयीं। इन पर विधान सभा ने १८ जनवरी, १९५० ई० को विचार किया और उसे स्वीकार कर लिया।

वेतन का दुहराया जाना

संयुक्त प्रान्तीय वेतन समिति ने जिन वेतन–क्रमों के लिये सिफारिश की थी उन्हें लागू करने का काम इस वर्ष लगभग पूरा कर दिया गया।

विभागों के कुछ मुख्य–मुख्य अध्यक्षों के वेतनक्रम पुनः दुहराये गये और १,५०० रु० मासिक निर्धारित वेतन के स्थान पर १,५००––५०––१,६०० रु० मासिक, १,५००––५०––१,७०० रु० मासिक, १,७००––५०––२,००० रु० मासिक और १,८००––५०––२,००० रु० मासिक के वेतन–क्रम नियत किये गये।

महंगाई भत्ता

कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की गयी और दुहराये गये (१९४७ ई०) वेतनक्रमों में ४५० रु० मासिक तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहली मार्च, १९४९ ई० से निम्नांकित बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता दिया गया —

वेतन			महंगाई भत्ता
५० रु० तक	.	..	२० रु०
५१ रु० से १०० रु० तक	..	..	२५ रु०
१०१ रु० से १५० रु० तक	..	..	३० रु०
१५१ रु० से ४५० रु० तक	.	..	३५ रु०
४५१ रु० से ४८४ रु० तक	..	..	सीमान्त समाधान (marginal adjustment)

इन सरकारी कर्मचारियों को १ मार्च, १९४९ ई० से गृह–रहन व्यय के भत्ते के बदले किसी प्रकार का भी वैयक्तिक वेतन मिलना बन्द हो गया सिवाय उस वैयक्तिक वेतन के जो पहली मार्च, १९४९ ई० को उन्हें मिलने वाले वेतन तथा महंगाई भत्ते और २८ फरवरी, १९४९ ई० को मिलने वाले वेतन और महंगाई भत्ते के बीच के अन्तर को, यदि कोई हो, दूर करने के लिये दिया जाता था।

उपर्युक्त बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता सरकारी नौकरी करने वाली उन विवाहिता महिलाओं को भी पहली मार्च, १९४९ ई० से दिया गया जिन्हें दुहराये गये (१९४७ ई०) वेतनक्रमों में ४५० रु० तक मासिक वेतन मिलता था और ऐसा करने में इस बात का कोई विचार नहीं किया गया कि ऐसी किसी विवाहिता महिला का पति भी सरकारी नौकर है या नहीं।

मुअत्तल सरकारी कर्मचारी

यह निश्चय किया गया कि किसी मुअत्तल सरकारी कर्मचारी को पहली दिसम्बर, १९४९ ई० से उस हद तक और उन शर्तों के अधीन, जैसा कि मुअत्तल करने वाला अधिकारी निदेश दे, महंगाई भत्ता या रहन-सहन का भत्ता, जो भी सम्बन्धित मामले मे उपयुक्त हो, दिया जाय, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भत्ते की धनराशि उस धनराशि से अधिक न हो जो उसे मिली होती यदि वह आधे औसत वेतन पर या आधे औसत असली (सबस्टेन्टिव) वेतन पर छुट्टी पर रहा होता।

३८—स्टाम्प

स्टाम्प महसूलों से और कोर्ट फीस ऐक्ट के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले राजस्व पर माल बोर्ड के स्टाम्प विभाग का नियंत्रण था। वर्ष के दौरान मे छः इन्सपेक्टरों ने काम किया और प्रत्येक इन्सपेक्टर का यह कर्त्तव्य था कि वह प्रति मास २० दिन और कुल मिलाकर १ वर्ष मे २३० दिन दौरा करे।

प्राप्तियां और व्यय

स्टाम्प से कुल प्राप्तियां १९४७-४८ में २,१९,०९,१४९ रु० से बढ़कर १९४८-४९ में २,३४,७५,८८० रु० हो गयीं। आय मे १५,६६,७३१ रु० की यह वृद्धि मुख्यतया १९४८-४९ में कोर्टफीस के स्टाम्पों की बिक्री मे वृद्धि हो जाने के कारण हुई।

कुल व्यय १९४७-४८ में ५,७२,४१२ रु० से बढ़कर १९४८-४९ में ६,७४,०८३ रु० हो गया अर्थात् १,०१,६७१ रु० की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सभी शीर्षकों विशेषकर "स्टाम्पों की बिक्री के सम्बन्ध मे बट्टा और स्थापना", "वापस की गई धनराशियां", "सेन्ट्रल डिपो से सप्लाई किये गये स्टाम्पों की कीमत" और "आकस्मिक पर्यवेक्षण की लागत" के अन्तर्गत हुई। यह संदेह अब भी बना रहा कि पर्याप्त स्टाम्प न लगाने से स्टाम्प राजस्व में काफी कमी रही और इस बुराई को दूर करने के प्रस्ताव विचाराधीन थे। गबन या जालसाजी के किसी भी मामले की वर्ष मे कोई रिपोर्ट नहीं आई।

कमियां और बकाया

इन्सपेक्टरों ने १९४८-४९ में कुल १,७६,३३४ रु० की कमियां बताई और १,३९,६६३ रु० की रकम बकाया रही, जबकि १९४७-४८ में ये रकमें क्रमशः १,१९,९४८ रु० और ९९,७०९ रु० थीं।

३९—आबकारी

कुल राजस्व

आबकारी का सम्पूर्ण राजस्व १९४८ ई० में ६७७·८१ लाख रु० से घट कर १९४९ ई० में ६३०.२१ लाख रुपया हो गया अर्थात् ७·० प्रतिशत की कमी हुई। इसका मुख्य कारण एक तो मद्य निषेध का दो और जिलों अर्थात् फतेहपुर और रायबरेली में लागू किया जाना था और दूसरा प्रतिबन्धात्मक उपायों को काम में लाया जाना था।

खपत देशी शराब

देशी शराब की खपत १९४८ ई० में ९,८७,०८६ एल० पी० गैलन से घटकर १९४९ ई० में ९,३३,४८४ एल० पी० गैलन रह गई, यानी ५·४ प्रतिशत की कमी हुई। इस कमी का कारण भी यह था कि मद्यनिषेध और जगह भी लागू किया गया तथा अन्य प्रतिबन्धात्मक उपाय काम मे लाये गये।

भांग, गांजा आदि

गांजे की खपत १९४८ ई० में २२,०७० ३/४ सेर से घटकर १९४९ ई० में ११,२९२ सेर हो गई अर्थात् ४८·८ प्रतिशत की कमी हुई। यह कमी इसलिये

हुई कि मद्य-निषेध योजना का और अधिक विस्तार किया गया। अन्य प्रतिबन्धात्मक उपाय काम में लाये गये और वेतपालम (मद्रास) तथा अहमदनगर के गांज को जिसमें नशेबाजों को पसन्द न थी। दूसरी ओर भांग की खपत १९४८ ई० में १,४१,७९२ सेर से कुछ बढ़कर १९४९ ई० में १,४३,०७७ सेर हो गई या दूसरे शब्दों में केवल ०·९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि इसलिये हुई कि गांजा पीने वाले भांग पीने लगे।

अफीम की खपत १९४८ ई० में १७,९५८ १/४ सेर से घटकर १९४९ ई० में १६,२८४ सेर हो गई अर्थात् ९·३ प्रतिशत की कमी हुई। ो और जिलों में मद्यनिषेध लागू किये जाने तथा अन्य प्रतिबन्धात्मक उपायों को काम में लाने के कारण यह कमी हुई।

अफीम

ताड़ी से प्राप्त होने वाला कुल राजस्व १९४८ ई० में २०·२२ लाख रु० से बढ़कर १९४९ ई० में २०·४१ लाख रु० हो गया। इनमें से १९४९ ई० में ५·४८ लाख रु० लाइसेंस फीस से प्राप्त हुये, जबकि १९४८ ई० में ५·६६ लाख रु० प्राप्त हुये थे और शेष १४·९३ लाख रुपया (१९४९ ई० में) पेड़ों के कर से प्राप्त हुये जब कि १९४८ ई० में १४·५६ लाख रु० प्राप्त हुये थे। पहिले में जो ३·२ प्रतिशत की कमी हुई है वह मद्य-निषेध के और जगहों में लागू किये जाने के फलस्वरूप हुई और दूसरे में जो २·५ प्रतिशत की वृद्धि हुई वह इसलिये हुई कि पेड़ों के कर के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अच्छी तरह से नियंत्रण किया गया।

ताड़ी से राजस्व

एक्साइज डेंजरस ड्रग्स ऐन्ड ओपियम ऐक्टों के अन्तर्गत १९४९ ई० के कलेंडर वर्ष में चलाये गये कुल मुकदमों की संख्या ११,२९१ थी जबकि गत वर्ष १०,५५२ मुकदमें चलाये गये थे। नाजायज तौर से शराब खींचने के २,८३७ और नाजायज तौर से शराब रखने के २,०८५ मामले पकड़े गये जबकि गत वर्ष क्रमशः २,२९७ और २,०८५ मामले पकड़े गये थे। शराब आदि के लाइसेंसदारों द्वारा लाइसेंस की शर्त तोड़े जाने के ९७३ संगीन और १,०५७ मामूली मामलों पर कार्यवाही की गई। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में ७९३ मामले और अधिक हुए अथवा इनमें ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आबकारी सम्बन्धी अपराध

दो और जिलों अर्थात् फतेहपुर और रायबरेली में तथा हरद्वार और वृन्दाबन के नगरों में भी मद्य-निषेध लागू किये जाने के कारण नाजायज तौर पर शराब बनाने तथा आबकारी सम्बन्धी अन्य अपराधों में वृद्धि हुई। देहरादून जिले में भी जहां प्रबन्ध राज्य की ओर से होता है, नाजायज तौर से खींचे जाने वाले शराब की मात्रा में वृद्धि हुई। यद्यपि जनमत मद्यनिषेध के पक्ष में था फिर भी आमतौर से जनता आबकारी के अपराधों के प्रति उदासीन ही रही और बहुत से मामलों में आबकारी के अपराधियों को स्थानीय लोगों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने के कारण उनकी सहानुभूति प्राप्त थी। यहां तक कि यह संदेह किया जाता था कि मुखिया, चौकीदार और प्रभावशाली जमींदार भी आबकारी के अपराधों की चश्मपोशी कर देते थे और अपराधियों को अपने यहां शरण भी देते थे। तो भी यह आशा की जाती थी कि गांव पंचायतों तथा प्रान्तीय रक्षक दल के सहयोग से कुछ काल में ऐसे अपराधों को रोकना सम्भव हो सकेगा और यह कि मद्य-निषेध का जोर-शोर से प्रचार करने तथा अपराधियों को कड़ा दंड देने से जनता को इस बात का ज्ञान कराने में अन्त में सफलता मिलेगी कि वह नाजायज मादक वस्तुओं के सेवन से परहेज करें।

मध्य एशिया से चरस का आयात पहिले ही से रुक गया था किन्तु इस प्रान्त में चरस थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हिमालय के पहाड़ों और नेपाल से आती रही। वर्ष में १६ ऐसे मामले पकड़े गये जिनमें २७ सेर चरस जब्त की गई।

नैपाल और भारतीय राज्यों से भांग से तैयार की गई मादक वस्तुओं के अवैध आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई और वर्ष में ऐसे ३,०४५ मामले पकड़े गये जब कि पिछले वर्ष २,३४९ मामले पकड़े गये थे। आलोच्य वर्ष में निषिद्ध वस्तुयें भी काफी मात्रा में जब्त की गईं।

चोरी से अफीम लाने-ले जाने के अपराधों में भी वृद्धि हुई—वर्ष में २,४५१ मामले पकड़े गये जबकि पिछले वर्ष २,०३० मामले पकड़े गये थे। इसी प्रकार आबकारी के लाइसेन्सदारों के विरुद्ध प्राप्त रिपोर्टों की संख्या में भी वृद्धि हुई और उनकी संख्या गत वर्ष के १९४ से बढ़कर १९४९ ई० में १९९ हो गई। कलकत्ता और आसाम में, जहां अफीम का पूर्ण निषेध लागू था, चोरी से अफीम का व्यापार करने वालों के लिये अपना व्यापार चलाने के लिए एक अच्छा मौका प्राप्त हो गया और इस बात का भारी संदेह उत्पन्न हो गया कि सरकारी अफीम को चोरी से प्रान्त के बाहर भेजा जा रहा है। दूसरी ओर मध्य भारत और राजपूताना की रियासतों तथा स्वयं प्रान्त के पोस्ते की खेती वाले क्षेत्रों से अफीम अवैध रूप से नशाबन्दी के जिलों में ले जाई जाने लगी।

इस वर्ष कोकीन का अवैध व्यापार प्रायः बन्द सा रहा जिसका प्रमुख कारण यह था कि इस मादक वस्तु की कमी थी और आलोच्य वर्ष में चोरी से कोकीन का व्यापार करने वालों के केवल १० साधारण मामले पकड़े गये, जबकि गत वर्ष ऐसे दो मामले पकड़े गये थे।

पावर अलकोहल

पावर अलकोहल डिस्टिलरियों के उत्पादन की क्षमता ५६ लाख गैलन प्रति वर्ष से बढ़कर ६२ लाख गैलन प्रति वर्ष हो गई और इस वर्ष में पावर अलकोहल तथा हल्की स्पिरिटों का कुल वास्तविक उत्पादन क्रमशः ३०,७३,७६३·९ बी० जी० और १,११,८८८·१ बी० जी० रहा। मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, काठगोदाम, नैनीताल, इलाहाबाद, फैजाबाद और देहरादून के "मिश्रण डिपो" को भट्ठियों (डिस्टिलरियों) द्वारा पैट्रोल के साथ मिलाने के लिये पावर अल्कोहल सप्लाई किया गया। भारी मोटरगाड़ियों को चलाने के लिये मेरठ, देहरादून, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, बनारस, शाहजहांपुर, बुलन्दशहर और गोरखपुर जिलों के कुछ रिटेल पम्पों द्वारा बिक्री के लिये विशुद्ध रूप में (sale neat) भी पावर अल्कोहल सप्लाई किया गया। इसके अलावा पावर अल्कोहल अगस्त के महीने से दिल्ली प्रान्त को भी ईंधन के रूप में उपयोग के लिये सप्लाई किया गया।

इस वर्ष पेट्रोल के साथ मिलाने और विशुद्ध (नीट) रूप में उपयोग करने के लिये क्रमशः १५,८१,०४४ बी० जी० और १४,९५,९९१ बी० जी० पावर अल्कोहल प्रान्त में सप्लाई किया गया और १,४३,२५३ बी० जी० दिल्ली को मोटर के ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिये सप्लाई किया गया। पैट्रोल पावर अल्कोहल मिश्रण योजना फैजाबाद, इलाहाबाद और देहरादून जिलों में क्रमशः ३ अप्रैल, १७ अप्रैल और १० सितम्बर, १९४९ ई० से लागू की गई।

वर्तमान नौ पावर अल्कोहल की भट्ठियों के अतिरिक्त नवम्बर के प्रथम सप्ताह से बरेली जिले के बहेड़ी नामक स्थान में एक नई भट्ठी (डिस्टिलरी) ने अल्कोहल का उत्पादन शुरू कर दिया।

पावर अल्कोहल की भट्ठियों (डिस्टिलरीज) के लिये कोयला और सीरे की सप्लाई के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं रही यद्यपि मेसर्स बरारी कोक कम्पनी में श्रम सम्बन्धी कठिनाइयां पैदा होने के कारण भट्ठियों के लिये बेन्जीन की कमी हो गई। किन्तु डाइरेक्टर जनरल आफ दि आर्डिनेन्स फैक्टरी, किर्की और मेसर्स इंडियन आइरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर के जरिये बेन्जीन की सप्लाई का प्रबन्ध कर दिया गया।

४०—बिक्री-कर

बिक्री-कर से, जो १ अप्रैल, १९४८ ई० से संयुक्त प्रान्त में लागू किया गया था, वित्तीय वर्ष १९४८-४९ में ४२३ लाख रुपये का शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें वापिस की हुई धनराशि और छूट सम्मिलित नहीं है और अप्रैल, १९४९ ई० से ३१ दिसम्बर, १९४९ ई० की अवधि में पिछले वर्ष की १४ लाख रुपये की वापस की हुई धनराशि और छूट का भुगतान कर देने के बाद बिक्री-कर से ४२० लाख रुपया प्राप्त हुआ।

बिक्री-कर में रियायतें

बिक्री-कर ऐक्ट के लागू किये जाने के सम्बन्ध में कुछ और रियायतें की गयीं और इससे दिन प्रतिदिन के उपयोग की कुछ और वस्तुओं को जिनमें शाक-भाजी के बीज, कापियां और सींग की कंघियां और कंघे सम्मिलित हैं, बिलकुल मुक्त कर दिया गया। पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्तियों की और अधिक सहायता करने के उद्देश्य से उनके बनाये हुये खेल के सामान भी बिक्री-कर से मुक्त कर दिये गये। जूट के सामानों पर से कर १ अक्तूबर, १९४९ ई० से इस उद्देश्य से हटा लिया गया कि बंगाल के जूट उद्योग की तुलना में यू० पी० के जूट उद्योग द्वारा उठाई गई हानि का आंशिक रूप से संतुलन हो जाय और कपड़े के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये बाहर भेजे जाने वाला कपड़ा १ दिसम्बर, १९४९ ई० से इस कर से मुक्त कर दिया गया। इन कुल मुक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रति १०० रु० के कर पर ४ आना से ८ आना की छूट और दी गई और ऐक्ट को कार्यान्वित करने के ढंग को सरल बनाने के विचार से शक्कर पर लगा हुआ कर रुपये में ३ पाई से घटाकर २ पाई कर दिया गया और निर्यात पर की जाने वाली ५० प्रतिशत की छूट बन्द कर दी गई।

ऐक्ट का कार्यान्वित किया जाना

ऐक्ट को पहले से अच्छी तरह कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कई कार्यवाहियां भी की गईं। प्रथमतः न्यायाधिकारिवर्ग (Judiciary) अलग कर दिया गया और हाई कोर्ट के नियंत्रण में रख दिया गया। रेंजों (Ranges) की संख्या तीन से बढ़ाकर ४ कर दी गई और सर्किलों की संख्या २२ से बढ़ाकर ४० कर दी गई। बिक्री-कर अधिकारियों की कर-निर्धारण आज्ञाओं के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने के लिये प्रत्येक रेंज में एक जज नियुक्त किया गया और इस प्रकार ४ जज नियुक्त किये गये। बिक्री-कर अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर ६१ कर दी गई जिसमें १ जगह मुख्य कार्यालय की भी सम्मिलित है और उनकी सहायता करने के लिये ६० सहायक बिक्री-कर अधिकारी (Assistant Sales Tax Officers) नियुक्त किये गये। इंस्पेक्टर के पद का नाम बदल कर सहायक बिक्री-कर अधिकारी कर दिया गया।

अध्याय ६

जन-स्वास्थ्य, पशु-पालन तथा मत्स्य-पालन

४१—जन-स्वास्थ्य

महामारियां और मेले

हरद्वार, अयोध्या, मिर्जापुर और वृन्दाबन के तीर्थस्थानों पर संक्रामक रोगों के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया गया और कुछ स्थानों में जिला अस्पतालों तथा औषधालयों के साथ पृथक् ब्लाकों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया था और कुछ स्थानों में चालू था। अयोध्या के सावन झूला मेले, गोंडा जिले के देवीपाटन मेले तथा गढ़वाल जिले के बदरीनाथ और केदारनाथ की तीर्थयात्रा के अवसर पर मेलों और उत्सवों में जाने के पूर्व हैजा निरोधक टीके लगाने की शर्त लागू की गई। परिणाम संतोषजनक निकले, क्योंकि इन अवसरों में से किसी में भी हैजे की कोई बीमारी नहीं हुई।

मलेरिया

उपनिवेशन (कोलोनाइजेशन) योजना के सम्बन्ध में कन्ट्रोल यूनिटों ने नैनीताल, तराई, गंगा खादिर जिला मेरठ और झांसी के ललितपुर क्षेत्र में अपनी कार्यवाहियों को जारी रखा और मलेरिया की बीमारी को कम करके उन क्षेत्रों में जहां अत्यधिक मलेरिया होता है उपनिवेशन कार्य को सफलता से योग दिया। जून, १९४९ ई० से इंडियन रिसर्च फन्ड एसोसिएशन के सहयोग के साथ मुख्यतया नवीन और खोज के निमित्त एक और मलेरिया यूनिट नैनीताल तराई के काशीपुर क्षेत्र में कायम किया गया। वर्ष के मध्य से एक और दूसरी कन्ट्रोल (रोकथाम) और डिमान्स्ट्रेशन (प्रदर्शन) टीम दूसरे ही ढंग पर छानबीन और रोकथाम करने के निमित्त विश्व स्वास्थ्य संघ (वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन) के सहयोग से नैनीताल के गदरपुर क्षेत्र में कायम की गई। इन दोनों ही यूनिटों पर होने वाले व्यय का बहुत बड़ा भाग प्रांतीय सरकार ने उठाया। कन्ट्रोल यूनिटों ने शारदा जल विद्युत् निर्माण कार्यों के लिये बनाई जाने वाली इमारतों के संबंध में तथा बिजनौर जिले में भी कार्य किया।

काला आजार

वर्ष में ११ काला आजार हेल्थ (स्वास्थ्य) यूनिट कार्य कर रहे थे। बहुत से गांवों की जांच की गई और आम्तौर से की जाने वाली परीक्षाओं के बाद जो लोग काला आजार से पीड़ित पाये गये उनका इलाज किया गया।

गंडमाला (घेंघा)

देहरादून घाटी के जौनसार भाबर क्षेत्र में यह बीमारी बहुत होती है और उस क्षेत्र में खपत होने वाले नमक के जरिये सामूहिक रूप से आयोडीन देने की जो योजना १९४८ ई० में चालू की गई थी उसके नतीजों की प्रतीक्षा की जा रही है।

जच्चा-बच्चा केन्द्र

इन केन्द्रों में देशी दाइयों को परिष्कृत धात्री कार्य की ट्रेनिंग दी गई। प्रत्येक केन्द्र में ऐसी पांच दाइयों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी और प्रत्येक ट्रेनिंग पाने वाली दाई को १५-२० रु० प्रति मास का छात्रवेतन दिया गया।

पौष्टिक पदार्थ

जन-स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में खोले गये पौष्टिक पदार्थ सम्बन्धी उप-विभाग (न्यूट्रिशन सेक्शन) ने ३० परिवारों की योजना संबन्धी जांच की। विभिन्न क्षेत्रों में २,१८६ स्कूली लड़कों की पौष्टिक पदार्थ सम्बन्धी दशा की

परीक्षा की। मलाई बरफ (आइसक्रीम) तथा खाने की अन्य वस्तुओं की शुद्धता के संबन्ध में जांच की, भोजन तथा पौष्टिक पदार्थ पर २० छोटे-छोटे लेख और पुस्तिकायें (पैम्फलेट) प्रकाशित की, प्रदर्शिनियां आयोजित कीं और समाज और जनहित संबन्धी विभिन्न कार्यकर्ताओं (सोशियल ऐन्ड वेलफेयर वर्कर्स) को व्याख्यान दिये।

खाद्य-पदार्थ में मिलावट

खाद्य-पदार्थों में मिलावट करने की बुराई को दूर करने के संबंध में काफी काम बढ़ गया और विश्लेषण के लिए लगभग २०,००० नमूने प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष लगभग १५,००० नमूने प्राप्त हुए थे। ३८ प्रतिशत नमूनों में मिलावट पाई गई। इस बुराई को रोकने के निमित्त विधान मंडल में शुद्ध खाद्य-पदार्थ विधेयक (प्योर फूड बिल) पेश किया गया और एक प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) के सुपुर्द किया गया जिसकी रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। इधर सरकार सरसों के तेल में मिलावट के रूप में आरजीमोन मेक्सीकाना (भरभन्डा) के तेल का प्रयोग व्यापकरूप से होने के कारण बहुत चिन्तित रही। इस मिलावट के कारण उन क्षेत्रों में भी महामारी के रूप में जलन्धर की बीमारी (ड्राप्सी) फैलने लगी जहां यह बीमारी पहले कभी नहीं हुआ करती थी। तदनुसार तेलों और मिलों के तेलों के स्टाकों के ऊपर अधिक नियंत्रण रखने के निमित्त तथा खाद्य-पदार्थों को उचित ढंग से स्टोर करने के लिये आदेश जारी किये गये।

औषधि-नियंत्रण

औषधि संबन्धी ऐक्ट (ड्रग्स ऐक्ट) को लागू करने पर फुटकर बेची जाने वाली औषधियों की शुद्धता पर नियंत्रण (कन्ट्रोल) कड़ा कर दिया गया। औषधियों और बायोलाजिकल्स को तैयार करने वाली लगभग ११० फर्मों में से ६३ फर्मों को लाइसेंस दिये गये। १४ फर्मों को लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया और ३३ फर्मों के मामले विचाराधीन थे। इसके अतिरिक्त लगभग दस हजार औषधि विक्रेताओं में से ९,६८५ विक्रेताओं को लाइसेंस दिये गये और १०५ विक्रेताओं को लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया और २१० विक्रेताओं के मामले विचाराधीन थे। उनसठ मामलों में इस ऐक्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिये मुकद्दमे चलाये गये जिनमें से अधिकांश मामलों में सजा दी गई।

कर्मचारियों के लिये सरकारी बीमा

इस योजना के अन्तर्गत एक बीमा सम्बन्धी संगठन कायम करने का विचार किया गया जिसके अनुसार बीमा कराये हुये कर्मचारियों को बीमारी तथा नौकरी के दौरान में किसी भी असमर्थता के लिए मुफ्त डाक्टरी सहायता देने के निमित्त औषधालय (डिस्पेन्सरी) कायम किये जायेंगे। यह विचार किया गया कि इस योजना को आगामी जुलाई से कानपुर में चालू किया जाय, जहां कर्मचारियों को मुफ्त डाक्टरी सहायता देने के लिये १३ औषधालय खोले जाने वाले थे।

कृषि संबन्धी मिलवा खाद (कम्पोस्ट)

म्युनिसिपैलिटियों के कूड़ा-करकट से कृषि संबन्धी मिलवा खाद (कम्पोस्ट) बनाने की योजना १९४३ ई० में चालू की गई थी और तब से यह काफी बढ़ गई और १९४९ ई० के अन्त में २,४४,६६७ टन मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तैयार हुई जबकि १९४५ ई० के अन्त में ५३,३२० टन मिलवा खाद (कम्पोस्ट) तैयार हुई थी। यह कार्य १८३ शहरी और अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में हो रहा था और अन्न उत्पादन के हित में इसे और प्रगाढ़ रूप से करने का विचार किया गया। किसानों की ओर से इस किस्म की मिलवा खाद (कम्पोस्ट)

के प्रयोग करने के सम्बन्ध में आरम्भ में जो संकोच था। वह शीघ्रता से दूर होता गया, क्योंकि वे खाद के तौर पर इसके महत्व को महसूस करने लगे थे। भूमि यातायात के सस्ते और शीघ्रगामी साधनों की कमी तथा मेहतरों के पुराने अधिकारों के कारण शीघ्र प्रगति होने में कुछ रुकावट हुई और इन रुकावटों को दूर करने के लिए प्रयत्न किये जाते रहे।

४२—चिकित्सा

(क) एलोपैथी

चिकित्सा संबंधी सहायता

जन-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी पुनस्संगठन समिति (Public Health and Medical Reorganisation Committee) की रिपोर्ट पर फिर विचार किया गया और उसकी सिफारिशों में से निम्नांकित इस वर्ष कार्यान्वित की गयीं:—

(१) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों के वैद्यों और हकीमों को कुछ ट्रेनिंग देकर महामारी की रोकथाम के काम में लगाना;

(२) गम्भीर रूप से रोगग्रस्त व्यक्तियों के लाने ले जाने के लिये २० और अस्पताली मोटरगाड़ियों (Ambulances) की व्यवस्था करना; और

(३) जिला तथा ग्राम्य औषधालयों के लिये परामर्शदात्री समितियां नियुक्त करना। किन्तु आर्थिक कठिनाई तथा आवश्यक कर्मचारियों और सामग्री के अभाव के कारण दूसरी सिफारिशों पर विचार करने का प्रश्न कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया।

अस्पतालों में सुधार

इमारती सामान का उपयोग गल्ला वसूली के संबंध में किये जाने के कारण यद्यपि कई नये अस्पतालों की निर्माण योजनाओं में काट-छांट करनी पड़ी, फिर भी महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा नैनीताल, बरेली, मेरठ और गोरखपुर के जिला अस्पतालों के सुधार तथा विस्तार का कार्य और कानपुर के नर्सेज ट्रेनिंग स्कूल तथा रायबरेली के जिला अस्पतालों संबंधी नये निर्माण का कार्य और कम्पाउन्डरों तथा संबंधित कर्मचारियों के क्वार्टरों और अस्पताली (एम्बुलेन्स) मोटर-गाड़ियों के लिये गैरेजों के बनाने का काम हो रहा था। अस्पतालों को आधुनिक ढंग पर साज-सामान से सुसज्जित करने के विचार से वर्ष १९४९-५० में ८ लाख रु० के मूल्य का सामान मंगाया जा चुका था और यह आशा की जाती थी कि साल खत्म होने से पहले ८ लाख रु० की कीमत का और सामान आ जायगा। सरकार की देख-रेख में आगरा स्थित गवर्नमेंट इंडीजीनस ड्रग फैक्टरी में कोई ३० प्रकार के टिन्चर और स्प्रिट तैयार करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा था। इन वस्तुओं को बाजार से खरीदने में जो खर्च हो रहा था उसमें इस योजना के कारण कुछ बचत होने की सम्भावना थी। ३४ स्थानों पर सब-चार्ज की जगहें कायम करके जिला अस्पतालों के कर्मचारियों की संख्या और बढ़ा दी गयी।

गांवों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

१९४८-४९ ई० में जो १०० नये ग्राम्य औषधालय खोले गये थे उनके अतिरिक्त ५० और औषधालय १९४९-५० ई० में खोलने की व्यवस्था की गयी। ये अस्पताल धीरे-धीरे खोल दिये गये। सरकार ने जिला बोर्डों से ३ ग्राम्य औषधालयों का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया और पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित डाक्टरी पेशे वालों को सहायता देने के विशेष उद्देश्य से राजसहायता प्राप्त २१ नयी यूनिटें खोली गयीं।

सरकारी देख-रेख में चलने वाले जनाना अस्पतालों की कुल संख्या १९४९ ई० के अन्त में ९४ थी। ऐसी १७ चिकित्सा संस्थाओं को, जिनमें डफरिन अस्पताल भी सम्मिलित है, सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया तथा ९ और जनाना अस्पतालों एवं औषधालयों के प्रान्तीयकरण का प्रश्न विचाराधीन था। उन मौजूदा अस्पतालों में से कई एक में, जिनमें निकट-भविष्य में महिला विभाग (women's wings) खोलना सम्भव नहीं था, योग्यता प्राप्त मिडवाइफें भी नियुक्त की गयीं।

महिलाओं के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

गैर-सरकारी जनाना अस्पतालों के रखरखाव के लिये सब मिलाकर १,१७,८१३ रु० के सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गयी। हाउस अफसरों की १५ जगहें, जिनका नियत वेतन १०० रु० मासिक था, पी० एम० एस० (सेकेन्ड) के नियमानुकूल पद में परिणत कर दी गयीं और छात्रवृत्तियां देने की योजना को, जो कुछ वर्ष पहले आरम्भ हो चुकी थी, चालू रक्खा गया ताकि महिला डाक्टर पहले से अधिक संख्या में मिलती रहें। लखनऊ और आगरा के मेडिकल कालेजों में छात्राओं को ६०-६० रु० मासिक की २० छात्रवृत्तियां दी जा रही थीं। महिला कम्पाउन्डर और मिडवाइफें पहले की भांति बहुत कम संख्या में उपलब्ध थीं और यद्यपि ट्रेनिंग लेने वाली महिला कम्पाउन्डरों के लिये १० छात्रवृत्तियां--प्रत्येक ४२ रु० ८ आना मासिक की उपलब्ध थीं, फिर भी उम्मीदवारों के न मिलने के कारण इनमें से एक भी छात्रवृत्ति न दी जा सकी। इसके अतिरिक्त छोटे ग्राम्य यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के विचार से मिडवाइफों तथा कम्पाउन्डरों को एक साथ ट्रेनिंग देने की जो संयुक्त योजना चलायी गयी थी उसके अधीन ५५ रु० मासिक की २ वर्ष तक दी जाने वाली ३ छात्रवृत्तियों में से केवल एक ही छात्रवृत्ति दी जा सकी।

नर्सों के मौजूदा ६ ट्रेनिंग सेन्टर पहले की भांति चालू थे, किन्तु यद्यपि उनमें प्रति वर्ष ट्रेनिंग के लिये १७५ उम्मीदवार भर्ती किये जा सकते थे, फिर भी उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण इस वर्ष लगभग १६२ उम्मीदवार ही भर्ती किये गये। इस योजना के अन्तर्गत कुल ३ वर्ष की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी थी और यद्यपि उनके कर्त्तव्यों के सुचारु रूप से पालन करने के हेतु ट्रेनिंग की यह न्यूनतम अवधि थी, फिर भी अस्पतालों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक ऐसे किस्म की नर्सों को, जो केवल दिन-प्रतिदिन का काम करने के लिये हों, इससे संक्षिप्त पाठ्यक्रम में ट्रेनिंग देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। तदनुसार असिस्टेन्ट नर्सों को केवल १८ महीने के पाठ्यक्रम में ट्रेनिंग देने की योजना तैयार की गयी, जिसे कार्यान्वित करना था।

परिचारक सेवा (nursing services.)

प्रान्त में १६ कुष्ठ रोग चिकित्सालय थे, और चूंकि इनमें से अधिकांश को अपने रखरखाव के लिये कर्मचारिवर्ग, साज-सामान तथा पहले से अधिक रुपयों की जरूरत थी, इसलिये सरकार ने आमतौर पर साज-सामान के लिये उन्हें १९४८-४९ के अंतिम काल में ३ लाख रु० का इकमुश्त अनुदान दिया। यह उस अनुदान के अतिरिक्त था, जो इन संस्थाओं को प्रति वर्ष लगभग १॥ लाख रु० के हिसाब से वार्षिक अनुदान के रूप में दिया जा रहा था। अल्मोड़ा और देवरिया जिलों में १९४९-५० में कुष्ठ-निरोधक कार्य के निमित्त कुष्ठ रोग संबंधी दो सचल यूनिटों के लिये भी स्वीकृति दी गयी।

कुष्ठ रोग

भोवाली स्थित किंग एडवर्ड सप्तम ट्यूबरक्लोसिस सैनाटोरियम के, जिसे सरकार ने १९४८ ई० में अपने अधिकार में ले लिया था, शासन

क्षय रोग

प्रबन्ध के स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ। इस संस्था के चिकित्सा, परिचारकों तथा कर्मचारिवर्ग की संख्या भी बढ़ा दी गयी, बिजली की रोशनी की सुविधायें बढ़ा दी गई और सैनीटोरियम में पानी सप्लाई को बढ़ाने का प्रबन्ध किया जा रहा था।

प्रान्त में बढ़ते हुये क्षयरोग को रोकने के उपायों के संबंध में सलाह देने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसने यह सिफारिश की कि प्रत्येक जिला अस्पताल में एक क्षयरोग वार्ड तथा असाध्य रोगों के लिये कुछ सैनीटोरियम और एक आश्रय-गृह की स्थापना की जाय। इन सिफारिशों को, जैसे-जैसे इमारती सामान तथा धन उपलब्ध होता जाय, कार्यान्वित करने का विचार किया जाय।

सितम्बर, १९४९ ई० में 'यूनाइटड नेशन्स चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड' के सहयोग से लखनऊ और कानपुर नगरों में एक बहुत बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके लगाने के लिये तीन टीमें (teams) बनाई गई थीं और बाद में छः और टीमें आगरा, इलाहाबाद और बरेली नगरों के लिये बनाई गईं। इस किस्म के टीके के लिये अच्छी खासी मांग थी और विशेषकर कानपुर में, जहां लोगों को अन्य स्थानों की अपेक्षा क्षयरोग अधिक होता है।

रतिज रोग

दक्षिणी मिर्जापुर में दूधी अस्पताल में रतिज रोग संबंधी वार्ड का काम पूरा हो गया था और निकट-भविष्य में देहरादून की घाटी में जौनसार बावर में दो चिकित्सा क्लीनिकों के खोलने का प्रस्ताव किया गया था, क्योंकि वहां रतिज रोग से पीड़ित लोग बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं। फौजी अस्पताल, लखनऊ में पी० एम० एस० के छः अफसरों तथा दो अवैतनिक चिकित्सा अधिकारियों ने रतिज रोगों के उपचार की ट्रेनिंग प्राप्त की।

आंख संबंधी चिकित्सा सहायता

अलीगढ़ के गांधी आई हास्पिटल में आंख लगाने के आपरेशनों के लिये १९४८ ई० में आंख का एक बैंक प्रयोगात्मक रूप से खोला गया था, जिसके लिये सरकार ने इकमुश्त अनुदान भी दिया था और इस अस्पताल को १९४९ ई० में संगठित किया जा रहा था।

ग्रामीण क्षेत्रों के आंख के रोगियों की चिकित्सा करने के लिये कई स्थानों में पहले की भांति आंख संबंधी चिकित्सा सहायता के शिविर खोले गये। इन शिविरों में बहुत से रोगियों का मोतियाबिंद का आपरेशन किया गया और सरकार ने इस काम के लिये सब मिलाकर, जो ७०,००० रु० का अनुदान दिया था उससे गरीब रोगियों को मुफ्त चश्मे दिये गये। सीतापुर और अलीगढ़ के गांधी आई अस्पताल को वार्षिक अनुदान दिया जाता रहा और सीतापुर के आंख के अस्पताल को और अतिरिक्त अस्पताली इमारत बनाने तथा सज्जा मोल लेने के लिये १,६५,००० रु० की इकमुश्त धनराशि अनुदान के रूप में दी गई।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और ट्रेनिंग

लखनऊ मेडिकल कालेज में ५० मेडिकल लाइसेंशियेटों के अतिरिक्त १२५ और विद्यार्थियों को शिक्षा देने का जो प्रबन्ध किया गया था वह वर्ष भर चलता रहा और कालेज में दंत शल्य चिकित्सा का एक विशिष्ट पाठ्यक्रम भी चालू किया गया। आगरा मेडिकल कालेज के एक लेक्चरर को बच्चों के रोगों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा गया और यू० पी० मेडिकल सर्विस के एक अधिकारी को चर्म तथा रतिज रोगों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा गया। मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये एक अन्य सीनियर अफसर को विदेश भेजा

गया। प्रान्तीय मेडिकल सर्विस के दो अफसरों को क्षय रोग मे ट्रेनिग प्राप्त करने के लिये प्रान्त के बाहर भेजा गया। अस्पताल सम्बन्धी प्रशासन में ट्रेनिग प्राप्त करने के लिये एक सीनियर अफसर को संयुक्त राष्ट्र तथा संयुक्त राज अमेरिका मे भेजा गया।

सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर

प्रान्त मे अस्पतालों तथा औषधालय के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सामान पिछले वर्ष तक कलकत्ता स्थित गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो से मंगाये जाते थे; किन्तु इस प्रबन्ध से सामान की सप्लाई मे बड़ी देरी हो जाया करती थी और १९४८ ई० मे संयुक्त प्रान्तीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सर्विसेज के डाइरेक्टर की सीधी देख-भाल मे लखनऊ मे एक केन्द्रीय डिपो खोला गया। इस डिपो ने सामान क्रय सम्बन्धी सामान्य नियमों का पालन करते हुए वर्ष मे कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर के द्वारा सब प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी सामानों तथा ओजारों को सप्लाई करने का प्रबन्ध किया और इस प्रकार इन सामानों को प्राप्त करने मे पहले जो बहुत समय लगता था वह अब काफी कम हो गया है। १९४९-५० मे लखनऊ के केन्द्रीय डिपो ने अपने पास दो लाख रुपये के मूल्य का सामान इसलिये रक्खा था कि अत्यावश्यकता पड़ने पर वह इस सामान को दे दे और इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न फर्मों ने भी ३२ लाख रुपया से अधिक मूल्य का सामान सप्लाई किया।

(ख) देशी औषधियां

सितम्बर के अन्त तक आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति विभाग देशी औषधालयों के चीफ इंस्पेक्टर के प्रशासकीय नियंत्रण मे रहा और उसके बाद यह विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं (आयुर्वेद) के प्रतिसंचालक (डिप्टी डाइरेक्टर) के अधीन कर दिया गया। वर्तमान ३०२ देशी औषधालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों मे बड़ा उपयोगी कार्य किया और राज्य के और अधिक दुर्गम भागों मे चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने के विचार से १९४९ ई० मे ७० नये औषधालय खोले गये। इसके अतिरिक्त गढ़मुक्तेश्वर, जिला मेरठ में कार्तिक मेले और इलाहाबाद मे माघ मेले के अवसर पर तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सहायता करने के लिये आयुर्वेदिक यूनिट स्थापित किये गये। तीर्थयात्रियों और साधुओं ने इन दोनों यूनिटों के कार्य की बड़ी प्रशंसा की। छोटे-छोटे गांवों मे ५,२९० औषधि के बक्सों द्वारा भी काफी उपयोगी कार्य किया गया।

निरीक्षण आदि

औषधालयों के निरीक्षण के सिलसिले मे १० आयुर्वेदिक और यूनानी इंस्पेक्टरों ने विस्तृत दौरा किया और इन औषधालयों मे बहुत से सुधार किये। उन्होंने वैद्यों और हकीमों पर नियमित रूप से और लगन से काम करने के लिये जोर दिया और रोगियों के निदान तथा चिकित्सा और उचित ढंग से औषधालय के कागजात रखने के सम्बन्ध मे उपयुक्त आदेश दिये। इंस्पेक्टरों ने औषधालयों के उपयुक्त स्थानों मे रक्खे जाने की व्यवस्था भी की। सरकार द्वारा लखनऊ मे स्थापित आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों की राज्य की फार्मेसी ने आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां तैयार करना शुरू किया।

सहायक अनुदान

१,५६६ वैद्य और २६५ हकीम बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन, यू० पी० द्वारा रजिस्टर्ड हुए तथा इसने ११ आयुर्वेदिक तथा ३ यूनानी कालेजों को २४,१०० रु० के सहायक अनुदान दिये और विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों को बोर्ड ने ६,२८० रु० की धनराशि और ग्रामीण क्षेत्रों मे व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा करने वालों को १२,१५० रु० की एक और धनराशि सहायक अनुदान के

रूप में बांटीं। वर्तमान आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को उनके समुचित रख-रखाव के लिए सरकार ने १,१६,००० रु० का सहायक अनुदान और लखनऊ विश्वविद्यालय को भी एक आयुर्वेदिक कालेज स्थापित करने के लिये उपयुक्त अनुदान दिये जाने की स्वीकृति दी।

विशेषज्ञ समिति

सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में कार्य शुरू किया और वह प्रान्त की शिक्षा संस्थाओं में जाने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

४३—पशु-पालन

पशु-पालन सम्बन्धी विविध कार्य नीचे लिखे शीर्षकों में बांटे गये:—

(१) पशु चिकित्सा संबन्धी सहायता की व्यवस्था, (२) बायोलाजिकल चीजों का तैयार किया जाना, (३) पशुधन और पशुधन से तैयार की जाने वाली चीजें, (४) प्रचार मेले और प्रदर्शन, (५) व्यक्तियों की ट्रेनिंग और (६) सहायक अनुदान। इनमें से प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत जो प्रगति हुई उसका विवरण निम्नलिखित है:—

पशु-चिकित्सा संबन्धी सहायता

६ नये पशु चिकित्सा के अस्पताल खोले गये। इस प्रकार इन अस्पतालों की संख्या २०६ से बढ़कर २१२ हो गई, जबकि पिछले वर्ष इन अस्पतालों की संख्या २०६ थी। इन अस्पतालों के अन्दर रहकर तथा इनके बाहर रहकर इलाज किये जाने वाले मवेशियों की संख्या ८,६४,५१९ थी और १,०६,८५५ मवेशियों के लिये दवायें दी गयीं जो वस्तुतः अस्पतालों में नहीं लाये गये।

स्टाकमैनों के कार्य का निरीक्षण करने और उन्हें आवश्यक सलाह देने के लिये तथा छूत की बीमारी फैलने से रोकने के कार्य में सहायता देने और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालन संबन्धी विकास कार्यों के कार्य-क्रम को पूरा करने के लिये इन अस्पतालों के इंचार्ज वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जनों ने गांवों का भी दौरा किया।

रोग-निरोधक चिकित्सा (Prophylactic Treatment)—इस राज्य के कुछ भागों में जबर्दस्त बाढ़ आने के फलस्वरूप बहुत सी पशु-संबंधी छूत की बीमारियां बहुत जोर-शोर से फैल गईं, जिन्हें रोकने के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी ४१,२२३ मवेशियों की जानें गईं जबकि १९४७—४८ ई० में केवल १७,२४६ मवेशी ही मरे थे। कुल १५,५०,२५९ मवेशियों को विभिन्न छूत की बीमारियों की सुइयां लगायी गयीं और इनमें से केवल ११२ मवेशी ही मरे जिसका कारण शायद यह था कि सुई लगाये जाने के समय वे रोग-ग्रस्त हो चुके थे।

गोट टिस्यू वैक्सिन (मज्जा ऊत्ति मसूरी लस)—बायोलाजिकल प्राडक्ट सेक्शन, लखनऊ में तैयार किया गया। डिसीकेटेड गोट टिस्यू वाइरस (शोषित मज्जा ऊत्ति विषाणु) वाहकों के हाथ जिला सदर मुकामों को स्टोर करने के लिए इस उद्देश्य से भेजा गया और वे अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को अधिक तत्परता एवं कुशलता के साथ पूरा कर सकें। चर्मसार (Sera) और वैक्सीन स्टोर करने के लिए जिला सदर मुकामों के अस्पतालों को शीत संग्रहण (कोल्ड स्टोरेज) संबंधी उपयुक्त सुविधायें भी प्रदान की गईं।

चल-पशु-चिकित्सा के यूनिट—एक चल-पशु-चिकित्सा के यूनिट के संगठन के लिए एक लारी का नीचे का ढांचा (chassis) खरीदा गया और लारी बनाने और उसे आवश्यक सज्जा चर्मसार (वैक्सीन) तथा अन्य

साज सामान से सुसज्जित करने के संबंध में कार्यवाही की गयी, जिससे दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पशु-चिकित्सा संबंधी सहायता पहुंचाई जा सके।

बायोलाजिकल प्राडक्ट्स

लखनऊ में बादशाह बाग स्थित बायोलाजिकल प्राडक्ट्स सेक्शन ने रिन्डर-पेस्ट गोट टिस्यू वाइरस की ११,१६,७०० मात्रायें और एच० एस० वैक्सीन की ९,३८,०५० मात्रायें तैयार कीं और इन्हें क्षेत्र में काम करने वाले अमले को सप्लाई किया। इसके अतिरिक्त क्षेत्र कर्मचारि-वर्ग की जरूरत पूरी करने के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान-शाला से अन्य विभिन्न प्रकार की (वैक्सीन) और चर्मसार (सेरा) बहुत अधिक मात्रा में मंगाये गये। बादशाह बाग में और अधिक भूमि प्राप्त की गयी और बायोलाजिकल प्राडक्ट्स सेक्शन का प्रचार करने के लिए इमारतें बनायी गईं ताकि कम खर्च पर और अधिक कुशलता के साथ प्रान्त की सम्पूर्ण मांग पूरी कर सकने के लिए पर्याप्त मात्रा में जैविक उत्पादन (बायोलाजिकल प्राडक्ट्स) तैयार किये जा सकें।

पशु-धन तथा पशु-धन से तैयार की जाने वाली चीजें

मवेशियों की नस्लकशी—संयुक्त प्रान्तीय पशु पालन पुनस्संगठन समिति की सिफारिश के अनुसार मवेशियों और भैंसों की नस्लें नियत करने की प्रणाली अपनायी गयी। तदनुसार सरकार ने देशी मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए जैसा कि होता आया है, ३० रु० प्रति सांड के हिसाब से ४५८ सांड और १०५ भैसा सांड सप्लाई किये। ३१ मार्च को इस प्रान्त में कुल ४,५५७ सांड और १,०४० भैसा सांडों से नस्लकशी का काम लिया जा रहा था।

नस्लकशी के लिए असली नस्ल के सांड—विभिन्न नस्लों के पुश्तैनी नस्लकशी के सांडों की अपेक्षित संख्या बनाये रखने के उद्देश्य से बाबूगढ़ (मेरठ), माधुरी कुंड (मथुरा), भरारी (झांसी), मंझरा (लखीमपुर), हेमपुर (नैनीताल) और मथुरा के मवेशियों की नस्लकशी के सरकारी फार्मों में रखने के लिए इस वर्ष बुनियादी स्टाक बनाने के वास्ते और अधिक मवेशी खरीदे गये, जबकि गंगा तरायी के मवेशी बनारस जिले में अराजीलाइन फार्म (Araziline Farm) के लिए खरीदे जा रहे थे। इसके बाद ७१५ हरियाना गायें, १४६ साहीवाल गायें और ६७५ मुर्रा भैंसें मवेशियों की खरीद की योजना के अन्तर्गत खरीदी गईं और पशुधन की नस्लकशी के फार्मों में रखी गयीं। मथुरा, मेरठ और बरेली जिलों की कुछ गोशालाओं को असली नस्ल की हरियाना गायें भी इस शर्त के साथ सप्लाई की गयीं कि वे नस्लकशी के लिए असली नस्ल के सांड सस्ती दर पर और अधिक संख्या में देने के साथ-साथ सरकार को बछड़े-बछेड़ियां बाजार की कीमत के दो-तिहाई मूल्य पर सप्लाई करेंगी। इस प्रकार यह आशा की गयी कि विभागीय फार्मों में रक्खे गये तथा गोशालाओं को सप्लाई किये गये सांडों से यथासमय इस प्रान्त में अपेक्षित संख्या में नस्लकशी के सांड उपलब्ध हो जायंगे।

देश के विभाजन के फलस्वरूप जिन क्षेत्रों में साहीवाल और सिन्धी नस्ल के मवेशी पाये जाते थे वे पाकिस्तान में चले गये और इसका परिणाम यह हुआ कि ये उपयोगी नस्लें भारतीय संघ में दुष्प्राप्य हो गयीं। इसलिए संयुक्त प्रान्त में नस्लकशी के काम के लिए इन दोनों नस्लों में से प्रत्येक नस्ल के मवेशियों का एक अच्छा गल्ला तैयार करने के लिए बेंती कैटिल फार्म, जिला प्रतापगढ़ के मालिक को, अपने अच्छी साहीवाल नस्ल के गल्ले को बढ़ाने और उसका भलीभांति भरण-पोषण करने के लिए १९४८-४९ में १८,००० रु० और १९४९-५० में ७४,००० रु० की राज-सहायता दी गयी। प्रान्त के उन क्षेत्रों से, जहां के लिए साहीवाल नस्ल के मवेशी नियत नहीं किये गये, इस नस्ल के सभी मवेशियों को इकट्ठा करने का भी प्रबंध

किया गया और एक विशेषज्ञ की देखरेख में उपयुक्त चुनी हुई नस्लकशी के लिए तथा उसे बढ़ाने के संबंध में सरकार के पास जितने भी जेलों के साहीवाल मवेशी थे उन्हें सरकारी डेरी फार्म (दुग्धशाला) भद्रुक में रक्खा गया और जेलों को इन साहीवाल मवेशियों की जगह मुर्रा भैंसें सप्लाई की गयीं। इसके अतिरिक्त हरियाना क्षेत्र में जो साहीवाल मवेशी गुरुकुल कांगड़ी (हरद्वार) और कानपुर के गोशालाओं में हैं, उनके संबंध में यह प्रस्ताव किया गया कि हरियाना गायों के बदले में इन मवेशियों का सरकार ले ले और भरण-पोषण के लिए उन्हें भद्रुक फार्म में रख दें।

यह प्रबंध किया गया कि एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद में, जहां असली सिंधी मवेशियों का गल्ला रक्खा गया था, प्रति दिन प्रति सांड एक रुपया की दर से सरकार के लिए सिन्धी सांड़ के बछड़े तैयार किये जांय। सरकार के पास जो सिन्धी मवेशियों का गल्ला था, उसे मवेशियों की नस्लकशी के फार्म माधुरी कुंड और डेरी प्रदर्शन फार्म, मथुरा में रक्खा गया, जहां से ये उस पशुधन फार्म को भेजे जाने वाले थे, जिसे पुनस्संगठन समिति की सिफारिश के अनुसार प्रान्त के किसी पहाड़ी जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव था।

संयुक्त प्रान्त में केनकथा मवेशी के असली नस्ल का कोई गल्ला नहीं था और देश भर में केवल राजा साहब अजयगढ़ के पास ही अच्छी नस्ल के मवेशियों का गल्ला था। इस पूरे गल्ले को, जिसमें ९२ गायें, १३ बछड़े, ३९ बछिया और ४ सांड थे, खरीद लिया गया और झांसी जिले में भरारी सरकारी मवेशी फार्म में उनको रक्खा गया जिससे कि गल्ले से तैयार किये गये केनकथा सांड़ों को बुन्देलखंड प्रदेश में वितरित किया जा सके जैसा कि पुनस्संगठन समिति ने सम्मति दी थी।

मवेशियों की नस्लकशी के विभिन्न सरकारी फार्मों के लिये चुनी हुई गंगातेरी (शाहबादी) पवांर और खैरीगढ़ की गायें तथा भदवारी और तराई की भैंसों का मूल (foundation) स्टाक खरीदने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया।

पशु-धन सम्बन्धी विकास, किसान आश्रम, जिला सहारनपुर--सहारनपुर जिले में किसान आश्रम के आसपास आठ गांवों में पशुधन संबंधी विकास योजना के अन्तर्गत, ८ नस्लकशी के सांड़, आठ चुने हुए गांवों को सप्लाई किये जाने वाले थे, जब कि गत वर्ष चार ही सप्लाई किये गये थे। नस्लकशी के काम के लिए भद्रपुर, बढ़ारी, तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर के गांवों को भी दो सांड़ सप्लाई किये गये।

मेरठ जिले में मवेशी संबन्धी विकास--मेरठ जिले के कुछ चुने हुए प्रमुख गांवों के लिये मवेशी विकास योजना के अन्तर्गत १६ विकास ब्लाकों में, ७७ चुने हुए गांवों के एक सीमित क्षेत्र में नस्लकशी के लिये जितने असली नस्ल के सांड़ों की जरूरत थी, वे सप्लाई किये गये और नाकारा सांड़ों को बधिया किया गया ताकि उक्त क्षेत्र में आगे चल कर उन्नत किस्म के बछड़े-बछियां हो सकें। इस प्रकार असली नस्ल की २५० हरियाना गाय तकावी और नगद रुपये पर सप्लाई करने के अतिरिक्त चुने हुए क्षेत्र में असली नस्ल के १३६ सांड़ों से काम लिया जा रहा था।

छाता में मवेशी सम्बन्धी सुधार योजना--इस योजना को, जो छाता जिला मथुरा में कार्यान्वित की जा रही थी, कृषि-संबंधी खोज की भारतीय परिषद् और प्रान्तीय सरकार दोनों ही ने ५०-५० प्रतिशत के आधार पर वित्तपोषित किया। इस योजना के अन्तर्गत, असली

नस्ल के सांड़, रजिस्ट्री की गयी गायों के विभिन्न स्थानीय गल्लों को दिये गये और प्रत्येक सांड़ को एक विशेष गल्ले के साथ ही चरने के लिये भेजा गया और इस बात का लेखा रक्खा गया कि उसने प्रतिदिन कितनी गायें गाभिन की। यह योजना बहुत लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि उक्त योजना के अनुसार जो नस्ल (progeny) पैदा हुई उसके दूध की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस योजना के अन्तर्गत ६ सांड़ों से काम लिया जा रहा था और उन्होंने वर्ष में लगभग ३५० गायों को गाभिन किया।

कृत्रिम गर्भाधान—चार केन्द्रों में अर्थात् लखनऊ, बरेली, मेरठ और बरिया में, कृत्रिम रूप से गाभिन करने का काम किया गया और इटावा जिले में गाजीपुर तथा महेवा में दो और केन्द्र खोले गये।

(ख) डेरी उद्योग

सरकार के नियंत्रण में दो डेरी फार्म थे अर्थात् सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ और मद्रुक डेरी फार्म, लखनऊ।

१—सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़—अलीगढ़ के एडवर्ड कवेन्टर्स डेरी फार्म को सरकार ने चालू कारोबार के रूप में ८,७५,००० रु० पर भूतपूर्व एडवर्ड कवेन्टर्स लिमिटेड १९४८-४९ में खरीद लिया और उसका नाम फिर से गवर्नमेंट सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ रक्खा गया। फार्म के पास एक नवीनतम डेरी है और उसके पास इस देश में सबसे बड़ा और उत्तम सुअरबाड़ा (piggery) है। जिस समय इस फार्म को खरीदा गया था, इसमें केवल ४२ मवेशियों का भरण-पोषण होता था और स्थानीय खपत के लिए यहां ३ मन दूध होता था, लेकिन इसके बाद फार्म में कई मुर्रा भैंसों और हरियाना गायों के आ जाने से, डेरी में लगभग १७ मन दूध होने लगा और ८०० से लेकर १,००० पौंड तक मक्खन प्रति दिन तैयार किया जाने लगा। इसी प्रकार फार्म में खेती की जाने वाली जमीन भी ६० एकड़ से ३१० एकड़ तक बढ़ा दी गयी और यह आशा की जाती थी कि डेरी के मवेशियों, बकरियों इत्यादि के भरण-पोषण के लिए जितने चारे तथा पौष्टिक चारे की जरूरत होगी, उसे पूरा करने के लिए फार्म बहुत शीघ्र इनका उत्पादन कर सकेगा। सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ में तैयार की गयी वस्तुओं को बेचने के लिए कई डिपो का संगठन पहिले ही किया जा चुका था और नैनीताल तथा रांची के अतिरिक्त दूसरे जिलों में जैसे, अलीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में दूसरे डिपो का संगठन किया जा रहा था। फार्म के पास विभिन्न स्थानों पर २१ मक्खन निकालने के कारखाने भी थे और मक्खन के अतिरिक्त फार्म से प्रतिमास १० मन शुद्ध घी का उत्पादन होता था तथा केवल बेकन फैक्टरी से प्रति मास लगभग ४४,८९२ पौंड सुअर के मांस से तैयार की जाने वाली चीजें बनती थीं।

२—मद्रुक डेरी फार्म, लखनऊ—लखनऊ में दुधारू गायों की संख्या गतवर्ष ३८१ से बढ़ कर ५९६ हो गई और गतवर्ष के प्रतिदिन १५ मन की तुलना में इस वर्ष प्रतिदिन ६० मन दूध से बनी हुई चीजें तैयार की जाती थीं और इस प्रकार दूध का औसत प्रतिदिन ५० मन और मक्खन का ५० पौंड था। डेरी के पास वर्ष के अन्त में ४३०

गायें और ४८४ भैसें थीं और उसका दूध बहुत अच्छा होने तथा अपेक्षाकृत सस्ता होने के कारण उसकी मांग भी बहुत बढ़ गयी। उपभोक्ताओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण, दूध देने के लिए और चार ट्रक गाड़ियां खरीदी गयीं और शहर के उन क्षेत्रों में जहां ट्रकों द्वारा दूध पहुंचाना आमतौर से सम्भव नहीं था, दूध के ११ डिपो खोले गये। सप्लाई होने के पूर्व ही सारा दूध विधिवत् साफ किया जाता था।

गोशाला विकास योजना—जनवरी, १९४७ ई० में गोशालाओं के सुधार के लिए एक योजना चालू की गयी जिससे प्रान्त भर के सभी गोशालाओं को उपयुक्त सहायता तथा उचितरूप से उनका पथ-प्रदर्शन करके उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार किया जा सके। इन संस्थाओं को शीघ्र से शीघ्र उपयोगी और लाभप्रद यूनिटें बनाने के लिए इस वर्ष सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना स्वीकृत की और निर्माण-कार्य आरम्भ किया। गोशाला विकास अफसर ने प्रत्येक गोशाला की दशा का भली-भांति अध्ययन किया और इन संस्थाओं के प्रबन्धकों से वैयक्तिक संपर्क स्थापित किया। इससे उन्हें उक्त संस्थाओं की कठिनाइयों को हल करने और न्यायसंगत मांगों को पूरा करने में पर्याप्त सहायता मिली।

इन संस्थाओं को आपस में संबद्ध करने के उद्देश्य से, मई १९४७ ई० में गोशालाओं और पिन्जरपोलों का एक प्राविंशियल फेडरेशन भी बनाया गया था। इस फेडरेशन को सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त था और उसने सरकार को सीधे और अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा, जो विभिन्न जिला विकास बोर्डों में थे, सामान्य तया पशुओं और विशेषरूप से गोशालाओं को उन्नत करने की विभिन्न समस्याओं के विषय में सम्मति दी। गोशालाओं के प्रादेशिक और जिला फेडरेशन बरेली, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा और आगरा में थे। इसके अलावा कुछ ऐसी गोशालायें और पिन्जरपोल भी थे, जिनके पास अपने पशुओं के लिए चारा उगाने के निमित्त कोई भूमि नहीं थी और चूंकि सुधार की तब तक कोई संभावना नहीं थी जब तक कि इन संस्थाओं के पास अपने पशुओं के लिए चारा पैदा करने के निमित्त पर्याप्त सुविधायें न हो जायं, इसलिए सरकार ने कुछ गोशालाओं के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए आदेश जारी किये और कुछ दूसरी गोशालाओं के संबंध में भी विचार किया जा रहा था।

प्रान्त में गोशाला पशु-प्रजनन केन्द्र (Gaushala Cattle-breeding Centres) और अधिक संख्या में खोले जाने के लिए ३० रु० प्रति सांड़ के हिसाब से नाममात्र धनराशि देने पर गोशालाओं को चुने हुए सांड सप्लाई किये गये। इन संस्थाओं को १०० से अधिक सांड सप्लाई किये गये, जिसका उद्देश्य अन्तिम रूप से यह था कि समीपवर्ती क्षेत्रों में वितरण के लिए अच्छी नस्ल के सांड़ पैदा किये जायं और उक्त संस्थायें अपने पशुओं की नस्ल भी सुधार लें। जिन गोशालाओं को चारा पैदा करने की सुविधायें थीं, उनको भी आधे मूल्य पर प्रत्येक गोशाला को औसतन २० गायों के हिसाब से—अच्छी नस्ल की दूध देने वाली गायें सप्लाई की गयीं, ताकि दूध का उत्पादन बढ़े और अच्छे नस्ल के सांड़ और बैल और अधिक संख्या में पैदा किये जा सकें।

बुड्ढे और बेकार पशु—बुड्ढे और बेकार पशुओं के लिए कन्सेन्ट्रेशन कैम्प खोलना अत्यन्त आवश्यक था ही परन्तु कुछ शहरों में पशु-वध पर रोक लग जाने के कारण, इसका महत्व और भी बढ़ गया। इसलिए, सर्वप्रथम, गोशालाओं के उपलब्ध साधनों से लाभ उठाया गया और विभिन्न जगहों में

चार कन्सेन्ट्रेशन कैम्प खोले गये---यानी मेरठ जिले में गढ़मुक्तेश्वर में, पीलीभीत जिले में भारपाचपेरा में, जालोन जिले में इनिलिया में और देहरादून जिले में ऋषीकेश के पशुलोक में।

रक्षा केन्द्र---१९४८-४९ ई० में श्रीमती मीरा बहन के नियंत्रण और पथप्रदर्शन में देहरादून जिले में ऋषीकेश के पशुलोक में हरद्वार, देहरादून और ऋषीकेश क्षेत्रों की दूध न देने वाली गायों के लिए एक सरकारी रक्षा केन्द्र खोला गया। उस कैम्प में लगभग १२५ पशु थे और दूध न देने वाली गायों के मालिकों से, प्रत्येक गाय के लिए १२ रु० प्रति मास के हिसाब से खर्च लिया जाता था, लखनऊ की दूध न देने वाली गायों के लिए काऊ होस्टल (Cow Hostel) नामक एक सरकारी रक्षा केन्द्र लखनऊ में कार्य कर रहा था और इस केन्द्र में गायों की संख्या लगभग ६० थी। इस केन्द्र में रक्खी हुई दूध न देने वाली गायों के मालिकों से प्रत्येक गाय के लिए १५ रु० प्रतिमास के हिसाब से खर्च लिया जाता था। इनके अतिरिक्त मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद शहरों की दूध न देने वाली गायों के लिए एक रक्षा केन्द्र श्रीकृष्ण गोशाला, गाजियाबाद जिला मेरठ में खोला गया। इस केन्द्र में गायों के मालिकों से प्रत्येक दूध न देने वाली गायों के लिए १५ रु० प्रति मास के हिसाब से खर्च लिया जाता था। इस केन्द्र में ऐसी गायों की संख्या लगभग ५० थी। कानपुर गोशाला सोसाइटी और बरेली गोशाला सोसाइटी ने भी केवल नाममात्र के अनुपालन खर्च पर स्थानीय दूध न देने वाली गायों को अपने यहां रखना स्वीकार किया।

गो सेवक ट्रेनिंग कक्षा (Go Sewak Training Class)—मथुरा में जहां कि काफी गोशालायें हैं और जहां ट्रेनिंग पाने वालों को पशु-चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन कालेज (College of Veterinary Science and Animal Husbandry) में व्याख्यान सुनने और उक्त कालेज के सुसज्जित दुग्धशाला और फार्म में क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए सुविधायें भी प्राप्त हैं, एक गोसेवक ट्रेनिंग कक्षा आरंभ की गई।

गोशाला विकास योजना के तैयार होने के पूर्व रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज़ ऐक्ट के अन्तर्गत केवल ५६ गोशालायें रजिस्टर्ड हुई थीं। इसलिए ऐसी गोशालाओं के पथ-प्रदर्शन के लिए, जो रजिस्टर्ड नहीं हुई थीं, एक संविधान का पांडुलेख तैयार किया गया और ३० अन्य गोशालाओं को उनके अच्छे प्रबंध और नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए रजिस्टर्ड किया गया। बहुत सी गोशालाओं ने मिलवा खाद (कम्पोस्ट मैन्योर) तैयार करना शुरू किया और जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए उसको अपने फार्मों में ही इस्तेमाल किया। गोशालाओं को अन्य सुविधायें भी दी गयीं, जैसे नियंत्रित भाव पर इमारती सामान, पशुओं के लिए भोजन, चारा आदि और टेक्निकल सम्मति तथा पशु-चिकित्सा संबंधी सहायता भी निःशुल्क दी गयी। एक गोशाला विधेयक पर भी सरकार तत्परता से विचार कर रही थी।

भेड़ों की नस्लकशी

गांवों के गरीब गड़ेरियों की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से मथुरा जिले में भेड़ों की नस्लकशी (प्रजनन) करने की एक योजना चलायी गई। मथुरा जिले में सादाबाद के एक यूनिट के अतिरिक्त, जिसमें ५० असली बीकानेरी मादा भेड़ और एक अच्छी नस्ल का बीकानेरी नर भेड़ (मेढ़ा) था, यह योजना प्रारम्भ में ४ यूनिटों में चालू की गयी, जो मीरपुर, मदनियां, धनगौली और बीजलपुर गांवों में थी और जिनमें से प्रत्येक यूनिट में ५० स्थानीय मादा भेड़ें और बीकानेरी नस्ल का एक नर भेड़ (मेढ़ा) था। प्रत्येक बीकानेरी

मादा भेड़ के मूल्य का आधा भाग सरकार को देना था और शेष आधा भाग संबंधित नस्लकशी करने वाले को देना था । फिर भी पांचों बीकानेरी मेढ़े सरकारी खर्चे पर मुफ्त सप्लाई किये गये ।

इलाहाबाद जिले में फुलई के सांड़-मेढ़ केन्द्र में वर्ष के आरम्भ में २६ मेढ़े थे और वर्ष के दौरान में १३ अतिरिक्त मेढ़े सप्लाई किये गये । फिर भी बीसी नामक बीमारी के फैलने के कारण, जो कि परोपजीवी कीटाणुओं के कारण होती है, २६ मेढ़े मर गये और प्रजनन कार्य के लिए केवल १३ मेढ़े रह गये। इन बीकानेरी मेढ़ों से पांचवीं पीढ़ी में जो भेड़ें पैदा हुईं उनका ऊन परिमाण और किस्म दोनों ही में देशी भेड़ों की अपेक्षा अधिक अच्छा निकला । जिस क्षेत्र में सरकारी सांड़-मेढ़ों से काम लिया जाता है उसमें १५० देशी नर मेमनों को बधिया किया गया ।

फतेहपुर जिले में रतनपुर में एक नया सांड़-मेढ़ केन्द्र उसी आधार पर खोला गया, जिस आधार पर इलाहाबाद जिले में फुलई में खोला गया था । गोरखपुर जिले में भुलावां में भी इसी प्रकार का एक केन्द्र संगठित किया जा रहा था और बाड़े इत्यादि बन जाने पर वहां मेढ़े भेजे जाने वाले थे ।

जौनसार-भाबर परगने में मेढ़ों की नस्लकशी—साल के शुरू में रामपुर-बुसेर किस्म के ३७ मेढ़े थे और जोड़ा खाने के मौसम (टपिंग सीजन) में, जो कि अप्रैल से शुरू हुआ और नवम्बर तक रहा, उन भेड़ों से, जिन्हें सरकारी मेढ़ों से जोड़ा खिलाया गया था, ४९२ बच्चे पैदा हुए और जो बच्चे पैदा हुए वे शारीरिक गठन और ऊन उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छे थे । उनका ऊन चमकीला और मुलायम था और उसके रेशे पतले थे।

मेरिनो भेड़ की नस्लकशी का केन्द्र—आस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ की, जिससे दुनिया भर में सबसे अधिक और अच्छे किस्म का ऊन निकलता है, नस्ली बनावट के बारे में यह सिद्ध हो चुका है कि उसमें भारत की प्रसिद्ध बीकानेरी भेड़ों का रुधिर पाया जाता है । इस प्रकार भारत की सामग्री से आस्ट्रेलिया काफी उन्नति कर गया है लेकिन भारत की भेड़ों में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है । यहां की देशी भेड़ों की आस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ों से कोई तुलना नहीं की जा सकती और उनके पालने वालों को उनसे बहुत कम लाभ होता है, फिर भी मेरिनो मेढ़े उपलब्ध हो जाने से अब पहाड़ी प्रदेशों में, जहां चरागाह की सुविधायें हैं और अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु है, भारतीय मेढ़ों को विशुद्ध नस्ल के मेरिनो मेढ़ों से जोड़ा खिला कर उनकी नस्ल बढ़ाना सम्भव हो गया है और इस प्रकार उनके ऊन की मात्रा और किस्म में तेजी से उन्नति की जा सकती है। तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने बम्बई सरकार की सहायता से, जिसके भेड़ विकास अधिकारी अमेरिका गये हुए थे, अमेरिका से कुछ मेरिनो मेढ़े मंगवाने का प्रबन्ध किया । ये मेढ़े किसी ऐसे उपयुक्त पहाड़ी केन्द्र में रक्खे जायेंगे, जहां कि इस उद्योग के लिए उपयुक्त जलवायु और वातावरण हो और ऊन का उद्योग आमतौर से होता हो। देशी भेड़ों और मेरिनो मेढ़ों से जो स्थानीय मेढ़े तैयार होंगे उन्हें इस केन्द्र से देशी भेड़ों की नस्ल बढ़ाने के लिए अन्य गांवों में बांटे जाने का विचार है।

बकरी की नस्लकशी

इटावा जिले में जमुनापारी बकरी पालने का काम वर्ष भर होता रहा । ८५ बकरियां और चकरनगर क्षेत्र के २१ बकरों के लिए राज सहायता दी गयी और वे नस्लकशी के प्रयोजन के लिए सांड़-घर में रखे गये। इस योजना के अन्तर्गत बकरी पालने वालों को ३,९०० रु० बांटा गया ।

बाबूगढ़, भरारी, आटा, अलीगढ़ और माधुरी कुंड फार्मों में शुद्ध जमुनापारी नस्ल की बकरियां, और पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कालेज, मथुरा उत्तर प्रदेश में शुद्ध बारबरी नस्ल की बकरियां रखी गईं ताकि उन्नत नस्ल के बकरे तैयार किये जायं और उन्हें गांवों में नस्लकशी के प्रयोजन के निमित्त, वितरित किये जायं। आलोच्य वर्ष में नस्लकशी के लिए गांवों में ऐसे ४५ बकरे बांटे गये।

पहाड़ों में अंगोरा बकरियों की नस्लकशी—भारत में मोहेर उद्योग के विकास के लिए पूर्वी पंजाब में देशी बकरियों से जोड़ा खिलाकर पंजाबी किस्म की अंगोरा बकरी पैदा करने की योजना के सिलसिले में भारतीय कृषि खोज परिषद् (इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) ५०:५० के आधार पर वित्तीय सहायता दे रही थी। इस योजना का काम सरकारी पशुधन फार्म हिसार में हो रहा था, जहां उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए। फिर भी यह देखा गया कि मैदानी बकरियों में अंगोरा किस्म की बकरियों से प्रगाढ़ रूप से नस्लकशी कराने पर बाद वाली पीढ़ियों की बकरियों का तौल और कद घट गया इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि इन प्रयोगों को उन पहाड़ी स्थानों में किया जाय, जहां का वातावरण और जल-वायु उनके लिए अपेक्षाकृत अच्छा हो। देश विभाजन के फलस्वरूप पूर्वी पंजाब की सरकार किसी भी पहाड़ी स्थान में अंगोरा बकरी की नस्लकशी के लिए उपयुक्त सुविधायें देने में असमर्थ रही, इसलिए भारतीय कृषि खोज परिषद् (इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) ने इस योजना को उसी आधार पर वित्तीय सहायता देकर उत्तर प्रदेश में आरम्भ करने का प्रस्ताव किया। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में मोहेर उद्योग के विकास की अधिक सम्भावना होने के कारण सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया क्योंकि ये बकरियां बाल वाली थीं और अंगोरा बकरों से उनका जोड़ा खिलाने से अपेक्षाकृत शीघ्र और अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना थी। इसके फलस्वरूप हिसार में जो बकरियां थीं उन्हें उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसी बीच, इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा अमेरिका में खरीदे गये शुद्ध नस्ल के ४ अंगोरा बकरे हवाई जहाज द्वारा भारत लाये गये और उनके लिए उपयुक्त पहाड़ी स्थान चुने जाने तक अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के पशु-चिकित्सा अस्पताल में अस्थायी रूप से रखे गये।

घोड़ों और खच्चरों की नस्लकशी

१९४८-४९ ई० में एक अतिरिक्त घुड़सांड़ और ३ सांड़-गधे खरीदे गये। इस प्रकार सांड़-घर में रखे गये घुड़-सांड़ और सांड़-गधों की कुल संख्या प्रान्त में क्रमशः ६२ और ७ थी जब कि पिछले साल उनकी संख्या क्रमशः ६९ और ८ थी।

देश का विभाजन हो जाने के फलस्वरूप भारत सरकार ने संयुक्त प्रान्त के पच्छिमी जिलों में घोड़े और खच्चरों की नस्लकशी की क्रियाओं को फिर से जारी करने का निश्चय किया। इस प्रयोजन के लिये उसने मेरठ, मुजफ्फर-नगर, अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर के चार चुने हुये जिलों को छांटा, जहां पहिले ही से घुड़-सांड़ रखे गये थे। इसलिये प्रान्तीय घुड़-सांड़ इन चार जिलों से हटा दिये गये और उन्हें घोड़ों की नस्लकशी सम्बन्धी क्रियाओं के लिये सहारनपुर, बिजनौर, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा और मैनपुरी के आस-पास के जिलों में रख दिया गया।

सुअरों की नस्लकशी

सुअरों की नस्लकशी का उद्योग संयुक्त प्रान्त में आमतौर से हरिजनों के हाथ में था। उन्नत नस्ल अर्थात्-मिडिल ह्वाइट यार्कशायर के सांड़-सुअरों की मांग धीरे-धीरे बढ़ती गई। इस मांग को पूरा करने के लिये एग्रीकल्चरल

इन्स्टीटयूट, नैनी, इलाहाबाद के साथ १ रु० प्रति पाउन्ड के हिसाब से जीवित सुअर के वजन के अनुसार, जिसके लिये पैकिंग, ढुलाई, भाड़ा आदि अलग से देना पड़ता था, सुअर-सांडों को सरकार को सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया। बाद में यह प्रबन्ध असन्तोषजनक और महंगा साबित हुआ। इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये बाबूगढ़ (मेरठ) और भदुरुक (लखनऊ) में सुअरों के सरकारी फार्म स्थापित किये गये, जहां सुअरों की नस्लकशी का कार्य वैज्ञानिक आधार पर शुरू किया गया। बाद में सरकार के मेसर्स एडवर्ड कैवेन्टर लिमिटेड, अलीगढ़ का कारोबार खरीद लेने पर बाबूगढ़ और भदुरुक के सुअरों को केन्द्रीय डेरी फार्म, अलीगढ़ भेज दिया गया। किन्तु वाहन की सुविधायें न होने से वर्ष में सुअरों की नस्लकशी का कार्य करने वालों को केवल २० सांड़-सुअर १० रु० प्रति सुअर अंशदान के रूप में लेकर सप्लाई किये जा सके।

मुर्गियों की नस्लकशी

१९४७-४८ ई० के उत्तरार्द्ध में मुर्गी पालन विकास योजना को फिर से संगठित किया गया और इसके अनुसार सरकार ने आजमगढ़, गोंडा, फैजाबाद, मुरादाबाद, मझरा, नगला, भरारी, बाबूगढ़, मथुरा तथा सेन्ट्रल पोल्ट्री फार्म, लखनऊ में स्थित केवल मुर्गियों की नस्लकशी के १० फार्मों को रखा। यद्यपि फार्मों में नस्लकशी का काम पहले की अपेक्षा अब और अधिक बड़े पैमाने पर होने लगा, लेकिन पशुधन के ५ नस्लकशी के फार्मों का नियंत्रण स्टेट मिकेनाइज्ड फार्मों के डिप्टी डाइरेक्टर के हाथ में चले जाने से भरारी (झांसी), बाबूगढ़ (मेरठ) और मझरा (लखीमपुर-खीरी) में मुर्गी-पालन के फार्मों की जो यूनिटें थीं वे भी उन्हीं के नियंत्रण में रख दी गईं। इस प्रकार मथुरा के मुर्गी-पालन फार्म का नियंत्रण संयुक्त प्रान्त के पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन कालेज, मथुरा के प्रिंसिपल के हाथ में चला गया। इन फार्मों ने अच्छी प्रगति की। इसके साथ ही साथ गैर सरकारी मुर्गी पालन फार्मों को भी प्रोत्साहन दिया गया और मिशन पोल्ट्री फार्म, एटा तथा एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, नैनी को अनुदान दिये गये। मुर्गियों को होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखने के लिये कर्मचारिवर्ग ने मुर्गियों को आमतौर पर जो छूत की बीमारियां हो जाती हैं, उन्हें रोकने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी पोल्ट्री फार्मों में उनके सुइयां लगाईं। वर्ष में कुल २३,३०९ परिन्दों के विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिये सुइयां लगाई गईं।

प्रचार, मेले तथा प्रदर्शिनियां

स्टाकमैन के ग्रेड के एक कर्मचारी ने प्रत्येक पशु-पालन सर्किल में सम्बन्धित डिप्टी डाइरेक्टर के अधीन प्रचार कार्य की देखभाल की। प्रचार सामग्री से सज्जित प्रचार गाड़ियों (Vans) को प्रमुख मेलों में ले जाया गया, जहां पैम्फलेट बांटे गये और लेन्टर्न स्लाइडों की मदद से पशु-पालन के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिये गये। इसके अतिरिक्त जिला प्रादेशिक तथा प्रान्तीय प्रदर्शिनियां भी की गईं जहां नस्लकशी का कार्य करने वाले गैर-सरकारी व्यक्तियों को नकद धनराशि तथा चीजों के रूप में पुरस्कार दिये गये ताकि इस कार्य में उनकी दिलचस्पी और उत्साह बढ़ने के साथ-साथ उनमें प्रतियोगिता की भावना पैदा हो।

कर्मचारियों की ट्रेनिंग

स्टाकमैनों की ट्रेनिंग के लिये १९४८-४९ में छः-छः महीने की अवधि की दो कक्षायें खोली गईं और उस वर्ष १४० उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गयी तथा उन्हें स्टाकमैन के पद पर नियुक्त किया गया। प्रतापगढ़ के बेंती फार्म में इस साल एक तीसरी कक्षा आरम्भ की गई। एक वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जन को आस्ट्रेलिया में भेड़ पालने के सम्बन्ध में उन्नत ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये अध्ययन-छुट्टी भी दी गयी, जो कि वर्ष के भीतर ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करके यहां वापस आ गये। एक और अफसर को मुर्गी-पालन के सम्बन्ध में विदेश

में उच्च ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये अध्ययन-छुट्टी दी गई। पहिले की ही तरह इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्सटीट्यूट में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये दो विभागीय उम्मीदवार भेजे गये, जिनमें से एक को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिये और दूसरे को पशु-पालन सम्बन्धी उन्नत ट्रेनिंग पाने के लिये भेजा गया।

सहायक अनुदान

सरकार द्वारा ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये गये, जिनके पास पशुपालन के विकास कार्य करने के लिये आवश्यक सुविधायें थीं और जिन्हें इस कार्य में अनुभव हो गया था। इस मद में १९४८-४९ में २७,८०० रु० व्यय हुआ। इस प्रयोजन के लिये १९४९-५० में ३,१२,३०० रु० की धनराशि रखी गई थी, जिसे विभिन्न संस्थाओं में, जैसे इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, नैनी, साहिवाल कैटिल ब्रीडिंग फार्म, बेंती (प्रतापगढ़), मिशन पोल्ट्री फार्म, एटा, गैर-सरकारी डेरी तथा गौशालायें, अखिल भारतीय पशु प्रदर्शिनी समिति तथा जिला बोर्डों को घुड़-सांड़ आदि के भरण-पोषण के लिये दिया गया।

४४—मत्स्य-पालन

तालाब में मछली पालने को (Tank stocking) योजना

मत्स्य-पालन विकास योजनाओं में और उन्नति हुई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के सिलसिले में तालाबों में मछली पालने के सम्बन्ध में बनाई गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर के अन्त तक ३२ जिलों में बहुत से तालाबों में मछली पालने का कार्य किया गया। ५७३ तालाबों को मार्च, १९५० ई० में उनके पहिले के अधिकारियों को सौंप दिये जाने के पूर्व नीलाम कर दिया गया। इनमें से अधिकतर तालाब गैर-सरकारी थे और भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत हस्तगत कर लिये गये थे और इनमें १९४४-४५ से मछली पालने का काम शुरू किया गया था। इन तालाबों में से २९४ तालाबों की मछलियां मारी गयीं और इनमें से १९४९ ई० के अन्त तक ७, ६९४ मन २७ सेर साढ़े १३ छटांक मछलियां निकलीं जिसका हिसाब लगाने पर औसतन प्रति एकड़ पानी में २४ मन से अधिक मछलियां आती हैं। ये पोखर ऐसे थे, जिनमें पहिले सब किस्मों की मछलियां औसतन केवल १० सेर के लगभग मिलती थीं। इलाहाबाद, लखनऊ और बरेली के ३ सर्किलों के अलावा वर्ष में एक चौथा सर्किल कायम किया गया, जिसमें कानपुर, उन्नाव, हरदोई सीतापुर और लखीमपुर के जिले सम्मिलित थे।

कुमायूं मत्स्य पालन योजन

मिरर कार्प की लम्बाई, जिन्हें जुलाई, १९४७ ई० में पालन-आरम्भ किया गया था, १ फुट से अधिक हो गयी और जब यह आशा की जाने लगी कि वे कुछ ही दिनों में अण्डे देना शुरू कर देंगी तो उन्हें मछली पालने के पहिले से बड़े एक वृत्ताकार तालाब में भेज दिया गया, जो कि भुवाली हैचरी में बनवाया गया था और जिसमें मछली पालने के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गयी थी। अंडों से निकलने वाले उन हजारों छोटे-छोटे बच्चों के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के हेतु रानीखेत, हवालबाग, बैजनाथ और ग्वालदम में उनके पालने के लिये पोखर (Nursery Ponds) बनाये गये। बाद में नवम्बर में २४० 'मिरर कार्प' मछलियां भुवाली हैचरी को वहां के मिरर कार्पों की नस्लकशी के स्टाक को बढ़ाने के लिये और भेजी गयीं। इनको हवाई जहाज से न भेजकर साधारण टीन के बर्तन में बरफ रखकर रेल और सड़क द्वारा भेजा गया और ये भारत में चार दिन तक २,००० मील तक ले जाये जाने के बाद भी गंतव्य स्थान पर पहुंच गईं और एक भी मछली नहीं मरी। दार्जिलिंग महासीर को शिकार के प्रयोजन के लिये कुमायूं में ले जाने का जो प्रस्ताव था उसे पूर्वी पाकिस्तान से होकर आने में वाहन सम्बन्धी कठिनाइयों के होने से कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका।

नौकुचिया ताल योजना

कुमायूं की बड़ी-बड़ी झीलों में मछली पालने के कार्य की उन्नति के लिये पहिले पहल नौकुचिया ताल के विकास के लिये एक योजना स्वीकृत हुई। इसमें मछुवे नवयुवकों तथा वैभागिक उम्मीदवारों के लिये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था भी की गई थी।

करेला झील योजना

लखनऊ की जनता के लिये मछली तथा शिकार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मत्स्य-पालन के विकास के हेतु करेला झील चुनी गयी, जो लखनऊ के पास है और सबसे बड़ी ऐसी झील है, जिसमें सदा काफी पानी रहता है। पानी को काफी गहराई तक बनाये रखने के लिये ३, ४६० रु० १० आ० की लागत से एक बांध बनवाया गया और झील के अनावश्यक पानी के निकास के लिये एक उपयुक्त जल मार्ग (spillway) बना दिया गया। लेकिन सेवार अत्यधिक होने से पूरे तालाब में जाल लगाना और तालाब से प्रिडेसस मछलियां (दूसरी मछलियों को खाने वाली मछलियां) निकालना सम्भव नहीं हो सका; किन्तु यह कठिनाई ८ इंच या इससे अधिक लम्बी १,३९५ मछलियां (fingerlings) तालाब में छोड़कर, दूर कर दी गई, क्योंकि इस आकार की छोटी-छोटी मछलियों (fingerlings) को प्रिडेसस मछली नहीं खाती हैं। समीपवर्ती गांव के एक पोखर में आवश्यक आकार की छोटी-छोटी मछलियां पाली गयीं, जिन्हें बाद में उक्त तालाब में स्थानान्तरित कर दिया गया। तालाब की वनस्पति, कमल, पानी में पैदा होने वाले फूलदार पौधे (water hyacinth) और अन्य प्रकार की सेवार मजदूरों द्वारा साफ कराई जा रही थी।

मिर्जापूर मछली फार्म

चूंकि तालाबों में छोड़ी गई मछलियां समान रूप से नहीं बढ़ीं और कुछ सूरतों में उनकी बाढ़ रुक गई या वे जीवित भी नहीं रह सकीं, इसलिये इस प्रकार की विषमताओं के कारणों को मालूम करने तथा उनके निराकरण के लिये नियंत्रित तालाबों में प्रयोग करना आवश्यक समझा गया, जिसके फलस्वरूप मिर्जापूर के पास के टांडा प्रपात के समीप, जहां कि काफी पानी की सप्लाई तथा सस्ती जमीन दोनों ही उपलब्ध थे, फार्म खोलने के लिये एक नक्शा तैयार किया गया।

खोज (रिसर्च)

लखनऊ की खोज प्रयोगशाला (Research Laboratory) को हटाकर एक बड़ी इमारत में रखा गया, जहां पहिले से अधिक जगह थी और वर्ष में इस प्रयोगशाला के लिये अतिरिक्त सज्जा भेजने का आर्डर दिया गया। प्रयोगशाला में मत्स्य-पालन के विकास से सम्बन्ध रखने वाली व्यावहारिक महत्व की तीन प्रमुख समस्याओं की जांच की जा रही थी—उदाहरणार्थ (१) पोखरों के पानी और भूमि के विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों का मछलियों पर प्रभाव, (२) उन तालाबों में, जिनमें मछलियां छोड़ी गई हों, ऐसे जलजीवों की किस्में और उनकी तादाद, जिन्हें कि मछलियां खाती हैं और इस प्रकार जिससे उनकी बाढ़ पर असर पड़ता है और (३) नदियों में पकड़ी गई मछलियों (catches) के आंकड़ों का संकलन तथा उनकी जांच करना ताकि यह निर्धारित हो सके कि वर्ष-प्रतिवर्ष उनमें बिना पाली हुई मछलियों का स्टाक (natural stock) कितना हो जाता है और तालाबों में छोड़ी गई छोटी-छोटी मछलियों (fingerlings) का आकार कैसा रहता है, जिससे विभिन्न दशाओं में उनकी बाढ़ की प्रगति निश्चित हो सके।

अध्याय ७

शिक्षा और कलायें

४५—शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा प्रसार योजना के अधीन जो १९४७ ई० में इस उद्देश्य से चलाई गई थी कि ६ से ११ वर्ष की अवस्था के सभी बच्चों को ५ साल की अवधि में अनिवार्य शिक्षा दी जाय, १९४८ ई० के अन्त तक कुल ५८ लाख में से लगभग १५ लाख बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जा रही थी। इसलिये शेष ४३ लाख बच्चों की शिक्षा के लिये व्यवस्था करनी पड़ी। वर्ष के अन्तर्गत इस उद्देश्य से ४,२१८ नये राजकीय प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और इस प्रकार ऐसे सब स्कूलों की संख्या बढ़कर ११,१४० हो गई अर्थात् २२,००० स्कूल खोलने का जो लक्ष्य था उसके आधे से कुछ अधिक स्कूल खुल गये।

सचल ट्रेनिंग स्कूल (Mobile Training Squads)

स्क्वेड (Squads) नाम के सचल ट्रेनिंग स्कूल योजना में, जो १९४७ ई० में चालू की गई थी, अच्छी प्रगति हुई और अध्यापकों के अधिक संख्या में उपलब्ध होने के कारण इन दलों की संख्या भी बढ़ कर ४९ हो गई अर्थात् प्रत्येक जिले के लिये एक स्क्वेड हो गया प्रत्येक स्क्वेड में एक बेसिक ट्रेनिंग-प्राप्त ग्रेजुएट और दो ऐसे व्यक्ति रखे गये जिनके पास एच० टी० सी० की और पी० टी० के खेल-कूद, कला और कौशल की विशेष योग्यतायें थीं। ये स्क्वेड राजकीय प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को दो वर्ष की ट्रेनिंग देते थे और इसके बाद उनको शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली एच० टी० सी० की परीक्षा में बैठना पड़ता था।

माध्यमिक शिक्षा

१९४९ ई० में माध्यमिक शिक्षा के पुनस्संगठन का दूसरा वर्ष आरम्भ हुआ और विभिन्न वर्गों और विषयों में स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य समाप्त हुआ। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या लगभग ९२५ थी और ५,००,००० रु० इकमुट्ठ की धनराशि इन स्कूलों को पुनस्संगठन कार्य के लिये अनुदान के रूप में दी गई।

रचनात्मक वर्ग के अध्यापकों के ट्रेनिंग कालेज (Constructive Teachers' Training College) के औद्योगिक रसायन शास्त्र उप-विभाग में फल संरक्षण पर भी अनुसंधान-कार्य किया गया। कुम्भकर्म (ceramics) उपविभाग द्वारा उत्पादित वस्तुओं में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। ६५ संस्थाओं में क्रमोतर कक्षायें (continuation classes)

लगती थीं और बरेली में लड़कों के सी० टी० कालेज को लड़कियों के सी० टी० कालेज में परिवर्तित कर दिया गया ।

तीन निजी संस्थाओं में जे० टी० सी० का कोर्स और दो में एल० टी० का कोर्स भी पढ़ाया जाता था ।

सरकार ने पिछले वर्ष जूनियर स्कूलों में सामान्य ज्ञान का विषय चालू करने की योजना आरम्भ कर दी थी और इस प्रयोजन के लिये इनमें लगभग २२५ स्कूलों को २,२५,००० रु० का अनुदान भी दिया गया था । इनसे स्कूलों को फर्नीचर मोल लेने के लिये इस वर्ष १,२५,००० रु० का अनुदान भी दिया गया था ।

प्रांतीय शिक्षा दल (Corps)

अप्रैल, १९४८ ई० में सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मौलिक सैनिक शिक्षा देने के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा योजना चालू की थी और इस योजना को चालू करने के लिये पहले वर्ष मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद, बनारस और इलाहाबाद को चुना गया था । १९४९ई० में इस योजना के अंतर्गत सैनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग १७,००० तक पहुंच गई । इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न नगरों से लिये गये लगभग १६७ अध्यापकों को फैजाबाद में और लगभग २२ और अध्यापकों को स्थानीय रूप से पी० ए० सी० के केन्द्रों में शिक्षा दी गई । इस प्रकार प्रान्त में शिक्षा प्राप्त अध्यापकों की कुल संख्या बढ़कर लगभग ४०० हो गई । पिछले वर्ष (अर्थात् १९४८-४९) कैडेटों ने (१) शारीरिक शिक्षा की (२) बिना हथियारों के और हथियारों सहित ड्रिल की, (३) प्लैटून संबन्धी ड्रिल की और (४) उत्सवों के अवसरों पर की जाने वाली ड्रिल की शिक्षा प्राप्त की और इस वर्ष उन्हें नक्शा समझने, कम्पास को प्रयोग में लाने और बन्दूक चलाने क भी शिक्षा दी गई । इस वर्ष यह योजना आंशिक रूप से चार और नगरों में अर्थात् देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और मिर्जापूर में लागू की गई और इस पर व्यय किये जाने के लिये ५,३६,१०० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी ।

नेशनल कैडेट कोर

भारत सरकार की नेशनल कैडेट कोर योजना इस प्रान्त में पुरानी यूनीवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के स्थान पर जुलाई, १९४८ ई० में चालू की गई थी । यह कोर दो डिवीजनों में विभाजित किया गया था । सीनियर डिवीजन डिग्री कालेजों के विद्यार्थी कैडेटों के लिये और जूनियर डिवीजन कक्षा ९ और १० के विद्यार्थी कैडेट के लिये था । इन दोनों डिवीजनों में भर्ती स्वेच्छा से होती थी और इस वर्ष उनमें भर्ती होने वालों की संख्या यह थी——सीनियर डिवीजन कंपनियों की कुल संख्या १९, कैडेटों की कुल संख्या २,९६४, जूनियर डिवीजन ट्रुपों की कुल संख्या ४४, विद्यार्थियों की कुल संख्या ३,९६० । सीनियर डिवीजन यूनिटें, जिनमें भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक यूनिट के सामने दी गई है, निम्नलिखित स्थानों पर खोली गई :——

(१) इलाहाबाद ४ कम्पनियां, (२) आगरा ३ कम्पनियां, (३) बरेली २ कम्पनियां (एक बरेली में और एक अलीगढ़ में) (४) लखनऊ २ कम्पनियां, (५) बनारस ४ कम्पनियां, (६) कानपूर ३ कम्पनियां और (७) मेरठ १ कम्पनी ।

इस संपूर्ण योजना की देख-रेख करने के लिये एक लेजों आफिसर था और इस वर्ष सीनियर तथा जूनियर दोनों डिवीजनों के लिये सम्मिलित रूप से ७,९३,४०० रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

दिसम्बर, १९४४ ई० से शारीरिक संवर्धन परिषद् (कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर), उत्तर प्रदेश, पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों ही के स्वास्थ्य-सुधार के लिये योजना तैयार कर रही थी और इस वर्ष १४ जिलों में इस काम की देख-रेख डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट करते थे और शेष प्रान्त में इस कार्यक्रम को शारीरिक संवर्धन (फिजिकल कल्चर) की तदर्थ जिला कमेटियां चलाती थीं। परिषद् द्वारा ४५६ अखाड़ों, १६० क्लबों और ११४ लोकल बोर्डों को सहायता दी गई। शारीरिक संवर्धन सप्ताह तथा क्रीड़ा दिवस (स्पोर्ट्स डे) के जलसे इस विचार से बड़े लोकप्रिय सिद्ध हुये कि इस प्रकार के संगठित खेलकूद का प्रचार ग्रामीण-क्षेत्रों में भी किया जा सका।

शारीरिक संवर्धन परिषद् (कौंसिल आफ फिजि-कल कल्चर)

गृह विज्ञान कालेज में हाई स्कूल परीक्षा पास लड़कियों की भर्ती जुलाई, १९४८ ई० में आरम्भ हुई थी और सर्टिफिकेट आफ ट्रेनिंग के लिये पहिले जत्थे को १९५० ई० में पास होना था। गृह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कालेज ने ३ महीने का प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) चलाया और मोन्टसरी ढंग से ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों की देखरेख में ३ से ६ वर्ष तक के बच्चों के लिये एक डे नरसरी की भी व्यवस्था की।

कालेज आफ होम साइन्स (गृह विज्ञान कालेज)

कांसट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज ने, जो पिछले वर्ष खोला गया था, ऐसे भावी शिक्षकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जिससे उन्हें शिक्षा विभाग के एल० टी० और सी० टी० के डिप्लोमा मिल सकें। यह ट्रेनिंग विशेष तथा नियमित शिक्षाप्रद और वाणिज्य संबन्धी दोनों ही थी और इसमें इन विषयों की ट्रेनिंग सम्मिलित थी—कृषि, चीनी मिट्टी के बरतन बनाना, औद्योगिक रसायन शास्त्र, जिल्दसाजी, बुनाई तथा कताई, धातु के काम बनाना और लकड़ी की वस्तु बनाना। कालेज के कृषि विभाग ने "अधिक अन्न उपजाओ" कार्य को बड़े उत्साह से आरम्भ किया और औद्योगिक रसायन शास्त्र विभाग ने तेल, साबुन और श्रृंगार की वस्तुयें बनाने के अतिरिक्त फलों को सुरक्षित रखने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर विशेषरूप से जोर दिया।

कांस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज

मनोविज्ञान विभाग (ब्यूरो आफ साइकोलोजी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने स्कूलों के छात्रों के लिये विभिन्न वर्गों के मौखिक प्रज्ञान और योग्यता-प्राप्ति परीक्षण (ग्रूप वरबल इन्टेलिजेन्स और अटेन्मेन्ट टेस्ट्स) की योजना बनायी और उसे प्रमाणित किया और शिक्षितों तथा अशिक्षितों दोनों ही के लिये एक "इंडिविजुअल परफारमेन्स टेस्ट आफ 'इन्टेलिजेन्स" की योजना बनाई। इस ब्यूरो ने विद्यार्थियों को शिक्षा, व्यवसाय और निजी कार्यों में नियमित रूप से मनोविज्ञान संबन्धी शिक्षा प्रदान की।

मनोविज्ञान विभाग (ब्यूरो आफ साइको-लोजी)

सेन्ट्रल पेडागाजिकल (शिक्षण) इंस्टीट्यूट का विशेष कार्य जूनियर हाई स्कूलों के लिये पाठ्यक्रमों का पाठ्य विषय (सिलेबस) तैयार करना था और उनको वैषयिक आधार पर तैयार करने में यथासम्भव ध्यान दिया गया था। इनको तैयार करते समय विषय, शिक्षकों के विचार, छात्रों की रुचि और अरुचि के सम्बन्ध में की गई जांच-पड़ताल के परिणाम बच्चों के मस्तिष्कों तथा वृद्धि संबंधी देन का मनोविज्ञान संबंधी आधार और एक खास उम्र में उसके सम्मान का पूरा-पूरा विचार किया गया था।

सेन्ट्रल पेडा-गाजिकल इंस्टीट्यूट

विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती ही रही चूंकि विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिये विद्यार्थी विशेषरूप से अधिक संख्या में भर्ती होना चाहते थे इसलिये सरकार ने इलाहाबाद तथा लखनऊ के विश्वविद्यालय को अतिरिक्त अनुदान दिया जिससे वे अपनी विज्ञान की कक्षाओं में और अधिक संख्या में विद्यार्थियों को भर्ती कर सकें। विश्वविद्यालयों और

यूनिवर्सिटी एजूकेशन (विश्व-विद्यालय की शिक्षा)

डिग्री कालेजों को उनके पुस्तकालयों एवं प्रयोग शालाओं की स्थिति सुधारने तथा अतिरिक्त इमारतें बनाने के लिये भी पर्याप्त अनुदान दिये गये। एक बड़ी संख्या में कालेजों को आगरा विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध होने की स्वीकृति दी गई।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रान्त में १,३४२ सरकारी और ८०५ राज सहायता प्राप्त स्कूल थे और वर्ष में ७६,८२५ व्यक्ति साक्षर बनाये गये। सरकारी पुस्तकालयों और वाचनालयों की संख्या क्रमशः १,०४० और ३,६०० थी। १९४९ ई० में लगभग १२,१४,२४६ पुस्तकें लोगों को पढ़ने के लिये दी गईं और लगभग २५,५३,५१२ लोग वाचनालयों में गये। इसके अतिरिक्त वैभागिक अफसरों के प्रयोग के लिये तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तकें सप्लाई करने के लिये केन्द्रीय पुस्तकालयों के रूप में मुख्यालय (हेडक्वार्टर्स) इलाहाबाद में ३,१२९ पुस्तकें रक्खी गईं। वर्ष में जो सबसे बड़े प्रोत्साहन की बात हुई वह यह थी कि भारत सरकार ने सामाजिक शिक्षा कार्य के लिये ११,५९,२३१ रु० का अनुदान दिया। सामाजिक शिक्षा पर सिद्धांत कमेटी की रिपोर्ट स्वीकृत की गई और इस कमेटी द्वारा सिफारिश की गई पुनः संगठित योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जाने वाली थी।

स्त्री-शिक्षा

स्त्री-शिक्षा में लगातार प्रगति होती रही और लड़कियों के सरकारी हाई स्कूलों की संख्या बढ़कर ३३ हो गई, जिनमें से पांच इंटरमीडियेट स्टैन्डर्ड के थे। बरेली का पुरुषों का सी० टी० ट्रेनिंग कालेज बदलकर स्त्रियों के लिये ट्रेनिंग कालेज कर दिया गया, जिसमें इंटरमीडियेट पास उम्मीदवारों को एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। ९१ लड़कियां एल० टी० परीक्षा में बैठीं जिसमें ७४ पास हुईं और १०८ लड़कियां सी० टी० परीक्षा में बैठीं, जिसमें ८८ पास हुईं। जुलाई, १९४९ ई० से तेरह सरकारी नार्मल स्कूल और ३ सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूलों को लड़कियों के लिये विशेष किस्म के नार्मल स्कूलों के रूप में बदल दिया गया। हरदोई में हाल ही में खोले गये सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को एक बार में ६ महीने की ट्रेनिंग देने के लिये एक स्कूल खोला गया और दूसरा बुलन्दशहर में खोला गया जहां पी० टी० सी० अध्यापक एच० टी० सी० प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं और तीसरे स्कूल में, जो इलाहाबाद में खोला गया, अध्यापकों को नर्सरी स्कूलों के तरीके पर ट्रेनिंग दी गई।

हिन्दी और उर्दू सेक्शनों के एक में मिला दिये जाने और कुछ स्कूल हायर सेकन्डरी स्कूलों में बदल दिये जाने के फलस्वरूप जूनियर हाई स्कूलों की संख्या घट गई। लड़कियों और लड़कों के पाठ्यक्रम में हिन्दुस्तानी और ऐंग्लो-हिन्दुस्तानी का अन्तर समाप्त कर दिया गया।

पिछले वर्ष प्राइमरी स्कूलों की संख्या १,८६९ थी, जो बढ़कर इस वर्ष २,१४३ हो गई। प्राइमरी स्कूलों के लिये ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापिकाओं की मांग को पूरा करने के लिये लड़कियों के ५ सरकारी नार्मल स्कूलों में थोड़ी अवधि के बेसिक रिफ्रेशर कोर्सों की व्यवस्था जारी रक्खी गई।

अनुसूचित जातियां और पिछड़ी हुई जातियां

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों, जिनमें मोमिन अन्सार जाति सम्मिलित हैं, के लिये शिक्षा प्रसार योजना की प्रगति संतोषजनक रही। पिछले वर्ष की तुलना में उनके लड़कों की स्कूलों की संख्या बढ़कर १५४ से १७९ हो गई। लड़कियों के स्कूलों की संख्या ५६ से ६७ हो गई। रात्रि पाठशालाओं की संख्या ४३ से ४८ हो गई। पुस्तकालयों की संख्या २९ से ४४ हो गई और पिछड़ी हुई जातियों के होस्टलों की संख्या २८ से ३० हो गई। छात्र-वृत्तियों की संख्या बढ़ाने तथा पाठ्य पुस्तकें आदि मुफ्त देने के

लिये इस वर्ष पिछड़ी हुई जातियों के संस्थाओं के अनुदान में १,११,६८० रु० की वृद्धि की गई। पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को प्राइमरी कक्षाओं से विश्वविद्यालयों तक शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्तियां देकर प्रोत्साहित किया गया और उनके लिये जो नियत धनराशि थी उसे ९२,३०४ रु० के एक अतिरिक्त अनुदान द्वारा बढ़ाकर १,०९,४१४ रु० कर दिया गया। इसी प्रकार मोमिन अन्सार मुस्लिम विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां तथा अन्य शिक्षा संबन्धी सुविधायें देकर प्रोत्साहित करने के लिये १९४८-४९ की ४३,८०० रु० की नियत धनराशि में १९४९-५० में ३७,६०० रु० की वृद्धि कर दी गई। आदिवासियों की शिक्षा के लिये सरकार ने जो मिर्जापुर में योजना १९४७-४८ में आरम्भ की थी वह इस वर्ष और आगे बढ़ाई गई। उनकी शिक्षा के लिये बजट में २०,००० रु० की नियत धनराशि विशेष रूप से अलग रख दी गई और सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी ने उनके लिये १९४९-५० ई० में १० और नये स्कूल खोले।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति

विश्वविद्यालय अनुदान समिति (यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी) डा० हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कार्य करती रही और उसने प्रान्त के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सुधार के निमित्त सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

वैज्ञानिक खोज

वैज्ञानिक खोज समिति (साइन्टिफिक रिसर्च कमेटी) डा० के० एस० कृष्णानन्द की अध्यक्षता में कार्य करती रही और प्रान्त के विश्वविद्यालयों तथा उन संस्थाओं द्वारा, जो विश्वविद्यालय नहीं थीं, वैज्ञानिक खोज कार्य किये जाने के निमित्त ७१,००० रु० की धनराशि इसके अधिकार में रख दी गई। खोज कार्य करने वाले विभिन्न विद्यार्थियों (रिसर्च स्कालर्स) द्वारा प्रस्तुत की गई खोज योजनाओं (रिसर्च प्रोजेक्ट्स) पर विचार करने के पश्चात् समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति (यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी) द्वारा सरकार से इस बात की सिफारिश की कि ६६ योजनाओं के लिये अनुदान दिये जायं और स्वयं इसने उन संस्थाओं द्वारा, जो विश्वविद्यालय नहीं थीं, प्रस्तुत की गई २५ योजनाओं के लिये अनुदान स्वीकृत किये। वैज्ञानिक खोज के सम्बन्ध में समिति ने प्रान्त के प्रमुख उद्योगपतियों का सहयोग प्राप्त किया और अपनी देख-रेख में कार्यान्वित करने के लिये योजनाएं मांगीं।

शिक्षा सम्बन्धी फिल्में

विभाग की कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर शिक्षा-सम्बन्धी फिल्मों को तैयार करने का कार्य भी इस वर्ष आरम्भ किया गया और १६ फिल्में तैयार की गईं जिनमें से प्रत्येक फिल्म ४,६०० फीट लम्बी थी।

शिक्षा

'शिक्षा' नामक शिक्षा सम्बन्धी त्रैमासिक पत्रिका ने, जो पहले पहल १ जुलाई, १९४८ ई० को प्रकाशित हुई थी, सरकार की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के विषय में जनता को सूचना देने का कार्य किया। इसकी प्रतियां विदेशों में स्थित समस्त भारतीय दूतावासों को तथा सारे भारत के राज्यपालों (गवर्नरों), संचालकों (डाइरेक्टरों) और ग्राहकों को दी गईं।

समाज-सेवा की ट्रेनिंग

समाज-सेवा के कैडेटों की दूसरी टोली की ट्रेनिंग, जो १९४८ ई० के सितम्बर में आरम्भ हुई थी, मई १९४९ ई० में पूरी हो गई और तीसरी टोली की ट्रेनिंग जुलाई, १९४९ ई० में आरम्भ हुई। इस वर्ष कैडेटों की संख्या केवल १०६ रही जबकि गत वर्ष उनकी संख्या ३५० रही। प्लैटून के क्रम से कैडेटों को मुरादाबाद जिले के शाहेसपुर, चुनार के किले तथा कानपुर जिले के खिरसा के सहायक शिविरों में भेजा गया। शिविरों का निरीक्षण करने के लिये एक इन्स्पेक्शन बोर्ड बनाया गया और सकी सिफारिश पर कैडेटों के लिये भोजन का भत्ता बढ़ा दिया गया और

विशेष कर इस बात के आदेश दिये गये कि उनके प्रातःकाल के नाश्ते में दूध भी सम्मिलित किया जाय।

और अधिक शिक्षा प्रदान करने (फरदर एज्यूकेशन) की योजना

भर्ती आदि के व्यय को पूरा करने के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों को सहायता देने के निमित्त और अधिक शिक्षा प्रदान करने (फरदर एज्यूकेशन) की योजना के अन्तर्गत और अधिक शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में चुनाव बोर्ड (फरदर एज्यूकेशन सेलेक्शन बोर्ड) के चेयरमैन के अधिकार में १०,००० रु० की धनराशि रक्खी गई, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत उपयुक्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी मिलती रही।

४६—१९४९ में साहित्यिक प्रकाशन

गत वर्ष ७९० पुस्तकों की तुलना में १९४९ ई० में कुल १,०१० पुस्तकें प्राप्त हुईं और इस प्रकार इन पुस्तकों की संख्या में २२० की वृद्धि हुई है। इनमें से ७३६ पुस्तकें हिन्दी की, ९३ कई भाषाओं में लिखी हुई (polyglot) ७८ अंग्रेजी की, ३० संस्कृत की, ३३ उर्दू की, २६ अरबी की, ५ नैपाली की, ३ बंगला की, ३ गढ़वाली की, २ गुजराती भाषा की पुस्तकें थीं और एक पुस्तक रोमन लिपि में थी।

१९४८ ई० की तरह आलोच्य वर्ष में भी हिन्दी की पुस्तकें सबसे अधिक थीं। सभी प्रकार के विषयों में से पद्य की पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक अर्थात् ३५३ थी। अन्य कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें इस प्रकार थीं:—भाषा १७५, धर्म ८०, गल्प ७७, गणित ४८, चिकित्सा २७, जीवनी २५, नाटक तथा कानून प्रत्येक में २१ पुस्तकें, नागरिक शास्त्र २०, भूगोल १४, इतिहास १३, गणित ज्योतिष तथा फलित ज्योतिष ११ और दर्शन ७। बारह विषयों पर १० से कम पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। निम्नलिखित विषयों पर कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी :—

मानवशास्त्र।
पुरातत्व।
वाणिज्य।
इन्जीनियरिंग।
उद्योग तथा युद्ध।

४७—कला और विज्ञान

प्रान्तीय संग्रहालय, लखनऊ

प्रान्तीय संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के संग्रह में १९० प्राचीन वस्तुएं और प्राप्त किये जाने से वृद्धि हुई। इनमें पत्थर पर खुदी हुई मूर्तियां, पकी हुई मिट्टी की कलाकृतियां (terra cottas), सील और सीलिंग, कांच की गुड़ियायें और दूसरे कम कीमती पत्थर सम्मिलित हैं, जो बनारस, मथुरा कोसाम तथा प्रान्त के अन्य प्राचीन स्थानों से उपलब्ध हुए। दूसरी ओर मुद्रा शाखा के मुद्रा कैबिनेट में ४२४ विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की वृद्धि हुई, जिनमें छिदी हुई मुद्रायें (पंच मार्क्ड), कुशाण, गुप्त, मुगल तथा आधुनिक काल की मुद्रायें भी सम्मिलित हैं। इनमें से कई दुर्लभ मुद्राएं थीं और उनसे बहुत से अज्ञात टकसालों का पता लगा। मानव-शास्त्र-विभाग में गणेश और अम्बिका की पीतल की मूर्तियां बढ़ाई गईं जो नैपाली कला को व्यक्त करती हैं।

लगभग ५०० प्राचीन वस्तुओं का एक प्रतिनिधि संग्रह भी इस विभाग के लिए खरीदा गया जिसमें तिब्बत और मानसरोवर के प्रदेशों से संगृहीत अश्मीभूत अवशेष (fossils), जड़ी-बूटियां, हस्तलेख इत्यादि सम्मिलित थे।

कला विभाग की चित्रशाला में भी विभिन्न शैलियों की कई प्रतिनिधि चित्रों की अभिवृद्धि की गई। नैपाली और तिब्बती कला को व्यक्त करने वाली ३२ रेशमी पताकायें भी बढ़ाई गई।

पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा

संग्रहालय में ७२ वस्तुयें और बढ़ाईं गईं जिनमें अधिकतर मूर्तियां, पकी हुई मिट्टी की कलाकृतियां तथा ८१ मुद्राएं सम्मिलित थीं। प्रदर्शन वस्तुएं काल के अनुसार शीशा लगी हुई विभिन्न अल्मारियों (show cases) में रखी गयी थीं और मथुरा में प्रमुख स्थानों पर संग्रहालय के प्रति जनता में दिलचस्पी पैदा करने के लिए बड़े-बड़े बोर्ड हिन्दी में लगवा दिये गये।

पब्लिक लाइब्रेरी (सार्वजनिक पुस्तकालय)

पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद--वर्ष में लाइब्रेरी में बढ़ाई गई पुस्तकों की कुल संख्या ३९० थी, जिसमें से २४२ पुस्तकें खरीदी गयीं और शेष दान के रूप में प्राप्त हुईं। पढ़ने के लिए पुस्तक ले जाने वालों की संख्या १,५०२ थी और जिन विषयों की अधिकांश पुस्तकें पढ़ी गईं वे लोकप्रियता के अनुसार इस प्रकार हैं:--हिन्दी, बंगला, इतिहास, समाजशास्त्र, उपन्यास, कहानियां आदि और दर्शन शास्त्र।

अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ--पिक्टोरियल (सचित्र) न्यूज सेक्शन, कोटवारा, आर्ट कलेक्शन तथा यूनेस्को डिपाजिटरी लाइब्रेरी में वृद्धि की गई। वर्ष में लाइब्रेरी (पुस्तकालय) में बढ़ाई गई पुस्तकों की संख्या १,००३ थी और पढ़ने के लिए पुस्तक ले जाने वालों की संख्या १,३९१ थी।

४८--सूचना तथा प्रख्यापन

एक ओर जनता को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा जनता की स्थिति सुधारने की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कराकर तथा दूसरी ओर सरकार को उसकी नीतियों तथा कार्यवाहियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया की सूचना देकर सूचना डाइरेक्टोरेट ने जन-प्रिय सरकार तथा जनता में निकट सम्पर्क बनाये रक्खा। इसके अतिरिक्त सूचना स्थायी समिति की १२ फरवरी, १९४९ ई० की बैठक में किये गये निश्चय के अनुसार न केवल सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की गयी कार्यवाहियों के संबंध में ही जनता को जानकारी प्राप्त कराने का प्रयत्न किया गया, बल्कि उसको यह बताने की कोशिश भी की गई कि सरकार ने जनता को अच्छे नागरिक बनाने के हेतु क्या-क्या कार्य किये तथा वह और क्या-क्या करने जा रही है। इस हेतु सभी प्रचलित साधनों अर्थात् प्रेस विज्ञप्तियों, पुस्तिकाएं, त्रैमासिक, सामयिक-पत्र, न्यूज लेटर्स, (संवाद-पत्र) फिल्म, फोटो-चित्र तथा रेडियो का उपयोग किया गया। इस प्रकार के प्रख्यापन कार्य के लिए रेडियो के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया।

पहिले प्रख्यापन साहित्य--पत्र-पत्रिकायें (जर्नल्स), पुस्तिकायें (पैम्फलेट), पर्चे (लीफलेट) इत्यादि--मुफ्त बांटे जाते थे। परन्तु अनुभव से यह पता चला कि निःशुल्क बांटा गया प्रख्यापन साहित्य सदा ही उन व्यक्तियों के हाथ में नहीं पहुंचता था जो उसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकते थे या उसमें दिलचस्पी रखते थे। अतः इस उद्देश्य से कि प्रख्यापन साहित्य ऐसे लोगों के हाथ में न जाय जो कि उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, सूचना की स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार यह निश्चय किया गया कि सूचना डाइरेक्टोरेट की पाक्षिक पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों का मूल्य नियत किया जाय और उनका मुफ्त वितरण जहां तक सम्भव हो, कम कर दिया जाय। पत्र-पत्रिकाओं (जर्नल्स) की भाषा भी सरल बनाई गई जिससे सब लोग उसे अच्छी तरह समझ सकें। प्रख्यापन साहित्य की कीमत रखने तथा उसकी

भाषा सरल करने के निश्चय को कार्यान्वित करने के हेतु सूचना डायरेक्टोरेट में व्यापारिक ढंग पर पब्लिकेशन ब्यूरो खोला गया।

पत्र-पत्रिकायें (जर्नल)

वैभागिक पत्रिकायें अर्थात् समाचार (हिंदी), यू० पी० इंफार्मेशन (अंग्रेजी) तथा इत्तलाआत (उर्दू), जोकि अब समूल्य प्रकाशनों के रूप में प्रकाशित होते हैं, पहिले की भांति बराबर प्रकाशित होते रहे। प्रत्येक पखवारे में इन तीनों पत्रिकाओं की कुल मिलकार लगभग २०,००० प्रतियां छपती थीं और वर्ष के अन्त में खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या लगभग २,३०० थी। अन्य लोगों के अतिरिक्त युक्त प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद् के सदस्यों, तथा युक्त प्रान्त से चुने गये संसद के सदस्यों, वैभागिक अध्यक्षों, पुस्तकालयों, समाचार-पत्रों, अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति के सदस्यों, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों, विश्व-विद्यालयों तथा जिला नगर कांग्रेस कमेटियों को भी इन पत्रिकाओं की प्रतियां मुफ्त बांटी गई ताकि वे सरकार की कार्यवाहियों और कार्य-क्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इन पत्रिकाओं के पांच विशेषांक अर्थात् जमींदारी विनाश, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, भूमिधारी तथा रिपब्लिक विशेषांक निकाले गये और वे बहुत जन-प्रिय सिद्ध हुए।

ग्राम सुधार विभाग का मासिक पत्र, जो किसानों के लिए प्रकाशित किया जा रहा था और जिसका प्रकाशन कार्य अब सूचना विभाग को सौंप दिया गया है, एक अच्छे और समूल्य प्रकाशन के रूप में "नयायुग" नाम से प्रकाशित होने लगा।

पुस्तिकायें (पैम्फलेट) तथा अन्य साहित्य

१९४९ ई० में गल्ला वसूली, सफाई तथा प्राथमिक चिकित्सा, खेती, हमारा भोजन, नशाबंदी, गांव आबादी ऐक्ट, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन, गान्धी जयंती तथा जमींदारी विनाश आदि जैसे विभिन्न विषयों पर २७ पुस्तिकायें (पैम्फ्लेट्स), ६ पर्चे (लीफलेट्स) तथा २ पोस्टर निकाले गये। इनमें से १० पुस्तिकाएं (पैम्फलेट्स) समूल्य और शेष अमूल्य थीं।

प्रेस विज्ञप्तियां

सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और अन्य संबंधित विषयों, जिनमें सरकार द्वारा नियुक्त की गयी विभिन्न समितियों द्वारा की गई जांचों के परिणाम भी सम्मिलित हैं, के संबंध में समय-समय पर समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों को प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। २५ विशेष लेखों; आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बहुत से भाषणों और माननीय मंत्रियों के बहुत से संदेशों के अतिरिक्त वर्ष में ७४५ ऐसे प्रेस नोट भी जारी किये गये।

संवाद-पत्र (News letters)

इस वर्ष अप्रैल के महीने से एक नया काम यह प्रारम्भ किया गया कि समस्त समाचार-पत्रों और समाचार एजेन्सियों को हर सप्ताह विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यवाहियों का विवरण एक साप्ताहिक संवाद-पत्र के रूप में प्रति सोमवार को प्रकाशनार्थ दिया जाने लगा। समाचार-पत्रों ने इन संवाद-पत्रों का अच्छा स्वागत किया और कुछ समाचार-पत्रों ने तो उन्हें बिना किसी काट-छांट के सम्पूर्ण ही प्रकाशित किया।

फोटो द्वारा प्रख्यापन

फोटो द्वारा प्रख्यापन की योजना के अन्तर्गत डाइरेक्टोरेट के फोटोग्राफिक सेक्शन (फोटोचित्र उप-विभाग) ने महत्वपूर्ण घटनाओं और समारोहों के फोटो खींचे और विस्तृत प्रख्यापन के लिए समाचार-पत्रों को दिये। वर्ष में कुल मिलाकर ऐसे १०,८७४ फोटो चित्र समाचार-पत्रों को वितरित किये गये। फोटो का उपयोग डाइरेक्टोरेट की सचित्र पुस्तिकाओं और फाउचरों में भी किया गया।

ग्रामीण जनता के लाभ के लिए प्रत्येक सांयकाल 'हमारा पंचायत घर' नामक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए लखनऊ स्टेशन से सम्बद्ध थोड़े से कर्मचारियों द्वारा आल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन के साथ सम्पर्क पूर्ववत् जारी रक्खा गया। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय महत्व के समाचारों के सार भी प्रत्येक सायंकाल आल इंडिया रेडियो को दिये गये, और समय-समय पर स्थानीय रेडियो स्टेशन से महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण प्रसारित करने का प्रबंध भी किया गया। सूचना विभाग की स्थायी समिति का यह निर्णय कार्यान्वित किया गया कि रेडियो प्रख्यापन कार्यक्रम में पर्याप्त शैक्षिक महत्व होना चाहिए और ऐसी भाषा प्रयुक्त की जानी चाहिए जो न केवल पूर्वी जिलों के निवासी ही समझ सकें बल्कि पूरे राज्य के निवासी समझ सकें।

रेडियो द्वारा प्रख्यापन

डायरेक्टोरेट के पास ६८९ रेडियो सेट थे और उनकी मरम्मत और अधिष्ठापन का कार्य भी उसी के जिम्मे था। सरकार की जन-श्रवण योजना (कम्यूनिटी लिसेनिंग स्कीम) के अन्तर्गत लखनऊ, रायबरेली और बाराबंकी में बहुत से सेट लगाये गये और इनमें से कुछ सेट सार्वजनिक संस्थाओं को प्रति सेट पीछे २०० रु० जमा करने पर इस विशेष प्रकार के प्रख्यापन-साधन को लोकप्रिय बनाने के लिए उधार दिये गये।

काश्मीर संबंधी प्रख्यापन

लोगों को काश्मीर समस्या की जानकारी कराने के उद्देश्य से, राज्य के सभी पांच विश्वविद्यालयों से यह प्रार्थना की गयी थ कि वे काश्मीर विषय पर एक लेख प्रतियोगिता का आयोजन करें और योग्यता के अनुसार तीन सर्वोत्तम लेखों के लिए क्रमशः १०० रु०, ७५ रु० और ५० रु० के मूल्य के तीन पुरस्कार प्रदान करें। बाद में काश्मीर संबंधी प्रख्यापन कार्य के सिलसिले में इन लेखों का उपयोग पत्रिकाओं, बहुत-सी पुस्तिकाओं, पोस्टरों और अन्य साहित्यिक प्रकाशनों में किया गया।

माइक्रोफोन स्टेशन

प्रयोगात्मक आधार पर प्रान्त के दस बड़े-बड़े नगरों में जो माइक्रोफोन स्टेशन खोले गये थे, वे सब के सब दिसम्बर, १९४९ ई० तक तोड़ दिये गये, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि उनसे कोई लाभदायक काम नहीं हुआ और जनता को जितना लाभ उनसे पहुंचना चाहिए था वास्तव में उतना उन्हें नहीं पहुंचा।

फील्ड प्रख्याप (पब्लिसिटी)

फील्ड पब्लीसिटी यूनिटें, जिनकी संख्या १९४८ ई० में केवल २५ थी, १९४९ ई० में बढ़ाकर ५० कर दी गयी--एक डायरेक्टोरेट के मुख्यालय (हेड-क्वार्टर) पर और टेहरी-गढ़वाल और रामपुर के दो नये जिलों को छोड़कर एक एक प्रत्येक जिले में। इन यूनिटों ने सरकार के विकास-कार्यों के प्रचार के अलावा जमींदारी विनाश कोष और मद्य-निषेध के आन्दोलन में भी सहायता की। वर्ष में फील्ड पब्लिसिटी अफसरों के कैडर के स्थान पर घटाये हुए वेतन-क्रम में डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन अफसरों का एक नया कैडर बनाया गया।

प्रत्येक जिले में फील्ड पब्लिसिटी स्कीम (कार्यक्षेत्र प्रख्यापन योजना) के प्रसार तथा फील्ड पब्लिसिटी यूनिट की स्थापना की आवश्यकता के साथ-साथ यह भी प्रतीत हुआ कि कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ नगरों के विस्तार, जनसंख्या तथा राजनीतिक जागृति को देखते हुए यह आवश्यक है कि उनमें प्रख्यापन के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किये जायं, क्योंकि इसके लिए जिला इन्फार्मेशन अफसर को, जिसे एक समूचे जिले के तत्सम्बन्धी काम की देखभाल करनी पड़ती है, मुश्किल से समय मिल पाता है। इसलिए उपर्युक्त पांच नगरों में से प्रत्येक में इस वर्ष एक एक अतिरिक्त जिला इंफार्मेशन अफसर भी नियुक्त किये गये।

इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों के प्रख्यापन कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने तथा जनता में प्रख्यापन साहित्य बांटने में सहायता देने के

उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक एक जिला प्रख्यापन समिति बना दी गयी। जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट को इस समिति का अध्यक्ष (चेयरमैन) नियुक्त किया गया और (१) जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति, (२) जिला डेवलपमेंट एसोसिएशन के सभापति, (३) प्रान्तीय रक्षक दल के संगठक (आर्गनाइज़र) और (४) जिला अफसर द्वारा नामजद एक व्यक्ति को इस समिति का सदस्य बनाया गया। जिला इन्फार्मेशन अफसर इस समिति के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते थे।

प्रकाशित समाचारों की जांच

प्रति दिन लगभग एक सौ समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं की जांच की जाती थी और उन समाचारों की "कटिंग" माननीय मंत्रियों, अफसरों या संबंधित विभागों के पास भेज दी जाती थी जिनके संबंध में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता होती थी। समाचार-पत्रों पर यह जानने के उद्देश्य से भी नजर रक्खी जाती थी कि प्रेस कानूनों (Press laws) तथा प्रेस नियमों और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच जो भारत-पाकिस्तान समझौता हुआ है उसका यथोचित रूप में पालन किया जा रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय महत्व के विषयों की साप्ताहिक आलोचनाएं, राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर समाचार-पत्रों की टिप्पणियों की पाक्षिक आलोचनाएं, सप्ताह की घटनाओं के स्मृति-पत्र तथा प्रान्त की सामान्य स्थिति की पाक्षिक विवेचनाएं भी तैयार की जाती थीं।

संयुक्त प्रांतीय समाचार-पत्र परामर्शदात्री समिति

प्रेस प्रतिनिधियों की इच्छानुसार अप्रैल, १९४९ ई० में संयुक्त प्रान्तीय समाचार-पत्र परामर्शदात्री समिति का पुनर्निर्माण किया गया। उसने प्रेस संबंधी मामलों में सरकार को परामर्श देना जारी रक्खा और समिति तथा सरकार के पारस्परिक संबंध बराबर अच्छे बने रहे।

समाचार-पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई

सरकार ने किसी समाचार-पत्र के विरुद्ध जमानत मांगने और/या जब्त करने के रूप में कोई कार्रवाई नहीं की और न तो प्रकाशन के लिए अदालती नोटिसें इत्यादि देने के मामले में किसी समाचार-पत्र के साथ भेदभाव की नीति बरती गयी।

लखनऊ के "तनवीर" और बिजनौर के "मदीना" के सम्पादकों को साम्प्रदायिक घृणा की भावना पैदा करने वाले आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के लिये चेतावनी दी गयी और उन्हें आदेश दिया गया कि भविष्य में वे ऐसे लेखादि न लिखें।

अध्याय ८

विविध

४१—अर्थ तथा संख्या

मूल्य और रहन-सहन का व्यय

अर्थ तथा संख्या विभाग ने कृषि संबंधी तथा औद्योगिक वस्तुओं के थोक मूल्य तथा दिन प्रतिदिन के उपभोग की वस्तुओं के फुटकर मूल्यों के आंकड़ों को एकत्रित तथा संकलित करने का काम जारी रखा। फलों और तरकारियों के मूल्यों के आकड़ों का एकत्र किया जाना जारी रहा तथा मूल्य संबंधी

आकड़ों की सूची में पशुधन और उ की उप पैदावार के संबंध में नये मूल्यों के आंकड़े जोड़ दिये गये। नौ महत्वपूर्ण केन्द्रों के कम वेतन पाने वाले सरकारी नौकरों के संबंध में रहन सहन व्यय के सूचक अंक पूर्ववत् तैयार किये जाते रहे और १५ महत्वपूर्ण नगरों में ५०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले नान-गजटेड सरकारी नौकरों के पा िवारिक बजटों के संबंध में एक नयी जांच-पड़ताल की योजना बनायी जा रही थी। उसी प्रकार ऐसे सूचक अंकों के तैयार किये जाने का काम जारी रहा जि से यह पता चल सके कि कृषि संबंधी वस्तुओं के थोक मूल्यों के उतार चढ़ाव का गैर कृषि संबंधी वस्तुओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता रहा और मूल्यों के घटते-बढ़ते रहने तथा रहन-सहन व्यय सूचक अंकों के संबंध में मासिक समीक्षा तैयार की गय ।

औद्योगिक आंकड़े

इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स ऐक्ट, १९४२ के लागू होने का यह चौथा वर्ष था और सरकार कारखानों के अधिवासियों को उन विवरणपत्रों के तैयार करने में सहायता देती रही जो उक्त ऐक्ट के अधीन अधिवासियों को बनाने होते थे। कारखानों के बहुत से अधिवासियों पर इसलिये मुकद्दमा चलाना पड़ा कि सभी उचित सुविधाओं के पहुंचाये जाने पर भी उन्होंने आवश्यक विवरण-पत्र प्रस्तुत न किया। भारत सरकार ने प्रस्ताव किया कि इस ऐक्ट को इस प्रकार लागू किया जाय जिससे कि इसके अन्तर्गत सभी उद्योग आ जायं, परन्तु इस प्रस्ताव को अंत में कार्यान्वित नहीं किया गया और यह ऐक्ट केवल २९ उद्योगों के संबंध में लागू रहा।

विदेश के लिये दी गयी छात्रवृत्तियां

विदेश में अध्ययन करने के लिये सरकार ने जिन तीन छात्रों को चुना था उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। इनमें से एक को तो प्रान्त में सरकारी नौकरी में रख लिया गया और अन्य दो की सेवाओं का उपयोग करने के संबंध में विचार किया जा रहा था।

बुलेटिन

आंकड़ों की मासिक बुलेटिन बराबर निकलती रही और विभिन्न समस्याओं का एक आंकड़ा संबंधी संक्षिप्त विवरण, जिसमें आंकड़े संबंधी सूचना दी हो, संकलित किया जा रहा था। निम्नलिखित वैभागिक बुलेटिनें भी तैयार की गयीं:—

(१) प्राविंशियल बजट्स ऐट ए ग्लान्स १९४८-४९, (२) हमारे कार्य के कुछ प्रमुख अंग, (३) मुरादाबाद में पीतल के बरतनों का घरेलू उद्योग व व्यवसाय, (४) ए स्टडी आफ वार-टाइम बजेट्स आफ दि यू० पी०, (५) ऐग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इन दि डिस्ट्रिक्ट्स आफ कानपुर तथा (६) उन्नत ग्राम का उन्नतिशील जीवन।

विशेष योग्यता प्राप्त करने की योजना

विशेष योग्यता प्राप्त करने की योजना स्वेच्छा के आधार पर रक्खी गई जिसके अनुसार कुछ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया कि वे यदि चाहें तो इस योजना में भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं।

जांच और छानबीन

(१) पारिवारिक व्यय की जांच—१५ चुने हुए नगरों में तीन महत्व-पूर्ण पेशों के व्यक्तियों के परिवारों के व्यय संबंधी उन आंकड़ों के संग्रह करने का कार्य लगभग पूरा हो रहा था जो पिछले वर्ष एकत्रित किये जा चुके थे

और इसी प्रकार पत्रकारों के पारिवारिक व्यय संबंधी जांच की भी एक योजना बनायी गयी।

(२) खेती की लागत संबन्धी जांच—१९४८-४९ के आंकड़ों का संग्रह कार्य पूरा हो गया था और उनका संकलन कार्य आरंभ किया गया। १९४९-५० के आंकड़े एकत्र किये जा रहे थे।

(३) रुई के संबन्ध में आंकड़े—काटन स्टैटिस्टिक्स ऐक्ट के अधीन रुई स्टाक करने वालों के पास जो रुई का स्टाक ३१ अगस्त, १९४९ ई० को था उसके संबंध में आंकड़े प्राप्त किये गये। परिणाम असंतोषजनक रहे और उनमें सुधार करने के लिये इस मामले पर भारतीय केन्द्रीय कपास समिति से बातचीत की गयी।

(४) गाव संबन्धी जाँच—दो गांवों की, जिनमें से एक अल्मोड़ा जिले में और एक नैनीताल जिले में था, आर्थिक जांच करने के बाद तीन और गांवों की, जिनमें से दो अल्मोड़ा जिले में और एक नैनीताल जिले में स्थित थे, आर्थिक जांच आरम्भ की गई।

(५) व्यापार के आंकड़े—इस योजना के अन्तर्गत आंकड़े संग्रह करने का कार्य जारी रहा और रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों की सूची में कुछ ऐसे और स्टेशन बढ़ा दिये गये जहां से आंकड़े एकत्रित किये गये थे। जो आंकड़े एकत्रित किये जा चुके थे उनका संकलन किया जा रहा था।

प्रान्तीय आर्थिक परामर्शदाता बोर्ड

नवम्बर, १९४९ ई० में प्रान्तीय आर्थिक परामर्शदाता बोर्ड का पुनर्निर्माण किया गया और माननीय मुख्य मंत्री उसके चेयरमैन, माननीय शिक्षा मंत्री वाइस-चेयरमैन तथा माननीय उद्योग मंत्री उसके सदस्य बनाये गये। बोर्ड के ३१ अन्य सदस्यों में से राज्य के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले १९ गैर-सरकारी व्यक्ति थे। किन्तु राज्य के लिये एक प्लानिंग बोर्ड की स्थापना हो जाने पर पुनर्निर्मित बोर्ड तोड़ दिया गया।

५०—शक्कर कमीशन, उत्तर प्रदेश तथा बिहार

उत्तर प्रदेश तथा बिहार शक्कर कमीशन, सरकार को शक्कर तथा गन्ने के भावों और शक्कर के कारखानों के वर्तमान स्थिर यन्त्रों में किये जाने वाले परिवर्द्धनों और परिवर्तनों से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों पर परामर्श देता रहा।

गन्ना तथा शक्कर के भाव

१९४८-४९ के पेराई के मौसम के लिये गन्ने का भाव १ रु० १० आना प्रति मन नियत किया गया था। यह भाव शक्कर नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करके और गन्ने की खेती की लागत तथा गुड़ और खाद्यान्नों के प्रचलित भावों का समुचित ध्यान रखते हुए नियत किया गया था। वाहन सम्बन्धी व्यय को सम्मिलित करके उत्पादन व्यय का तखमीना १ रु० ६

आना प्रति मन लगाया गया था। गुड़ १२ रु० प्रति मन, गेहूं २२ रु० ९ आना से २४ रु० २ आना प्रति मन और चावल २३ रु० ८ आ० प्रति मन के भाव से बिक रहा था। गन्ने के भाव में कमी करने का मुख्य कारण यह था कि सरकार मुद्रा स्फीति को रोकना और सामान्य मूल्य स्तर को शनैः शनैः नीचे लाना चाहती थी। फिर भी खेती की औसत लागत तथा इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसके फलस्वरूप अगले पेराई के मौसम में गन्ने की खेती के रकबे में कोई कमी नहीं हुई, यह घटाया हुआ मूल्य गन्ना पैदा करने वालों के लिये लाभप्रद था। गन्ने पर लिया जाने वाला उपकर (cess) ३ आ० प्रति मन रहने दिया गया और शक्कर का भाव २८ रु० ८ आ० प्रतिमन नियत किया गया। परन्तु शक्कर का उद्योग करने वालों ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि २८ रु० ८ आ० प्रति मन का भाव आर्थिक दृष्टि से अलाभकर है किन्तु फिर भी वे इस भाव को एक्स फैक्टरी (फैक्टरी से बाहर के लिये) अधिकतम भाव मानने के लिये सहमत हो गये। उत्पादन-कर में ९ आ० प्रतिमन वृद्धि होने तथा भारत के भीतर बिकने वाली शक्कर पर ४ आ० प्रतिमन की राज-सहायता दिये जाने के कारण आगे चलकर इस भाव में १३ आ० प्रतिमन के हिसाब से वृद्धि कर दी गई जिससे कि फैक्टरियां भारत के बाहर अपेक्षाकृत सस्ते भाव पर शक्कर का निर्यात कर सकें ताकि वह डालर वाले क्षेत्रों से सस्ते भाव पर मंगाई जा सकने वाली शक्कर का मुकाबिला कर सकें। इस प्रकार डी २४ वर्ग (ग्रेड) की शक्कर का फैक्ट्री के बाहर का अधिकतम भाव बढ़ाकर २९ रु० ८ आ० प्रति मन कर दिया गया।

शक्कर का उत्पादन

१९४८-४९ के पेराई के मौसम में युक्त प्रांत में शक्कर का उत्पादन ५·८ लाख टन के तखमीनी उत्पादन और पिछले वर्ष के ६·०३ लाख टन की तुलना में ५.३ लाख टन था। आशा की जाती थी कि पिछले वर्ष के बचे हुए १·७५ लाख टन से न केवल उत्पादन की मामूली सी कमी ही पूरी हो जायेगी बल्कि कुछ बच भी रहेगा और यहां तक कि अन्त में चलकर उसकी कुछ मात्रा पड़ोस के देशों को भी भेजी जा सकेगी। पिछले मौसम में बचा हुआ १·७५ लाख टन १९४८ ई० के दिसम्बर के अंतिम काल में बेचने के लिये दे दिया गया था; जबकि नये उत्पादन से शक्कर जनवरी, १९४९ ई० में देना आरम्भ किया गया। १९४९ ई० के लगभग जून तक एक्स-फैक्ट्री अधिकतम भाव को कायम रखा गया परन्तु यह एक बड़ी विचित्र बात हुई कि जून के अन्त तक इंडियन शुगर सिंडीकेट ने कुल उत्पादन का ८० प्रतिशत बेच डाला। इस समय तक परिस्थितियों का ऐसा संयोग हुआ कि न केवल एक्स फैक्ट्री भाव उस अधिकतम भाव से बढ़ गया जिस पर समझौता हुआ था बल्कि खपत वाले बाजारों में भी शक्कर पर्याप्त मात्रा में न मिल सकी और इसके फलस्वरूप फुटकर बिक्री का भाव शनैः शनैः बढ़ने लगा। इसलिये २६ अगस्त, १९४९ ई० से नियन्त्रण फिर लागू किया गया और फैक्ट्री के बाहर का अधिकतम भाव २९ रु० १ आ० प्रति-मन नियत किया गया, क्योंकि अब निर्यात करने का कोई प्रश्न नहीं था।

वाहन

१९४७-४८ ई० के लगभग सम्पूर्ण पेराई के मौसम में वाहन सम्बन्धी विकट कठिनाइयां रहीं और शकर लाने-ले जाने की व्यवस्था करने के लिये सरकार बराबर विशेष प्रयत्न करने में संलग्न रही। फिर भी अस्थायी तौर से कमी होने के फलस्वरूप समय-समय पर कुछ क्षेत्रों में फुटकर भावों में बहुत अधिक वृद्धि हुई और बतलाया गया कि गुजरात, राजपूताना तथा कुछ

दूसरे क्षेत्रों में कुछ दिनों तक ६० रु० से ७५ रु० प्रतिमन तक का भाव हो गया था। इंडियन शुगर सिंडीकेट की ओर से यह भी कहा गया कि सारे देश में पिछले मौसम के उत्पादन से १.९८ लाख टन शक्कर बच गयी है। पिछले पेराई के मौसम के शक्कर के शेषांश इस प्रकार थे :—

लाख टनों में

		युक्त प्रान्त में	सारे भारत में
१९४४–४५	..	१·१३	१·५८
१९४५–४६	..	०·१५	०·३६
१९४६–४७	..	०·१५	०·३४
१९४७–४८	..	०·७७	०·९०
१९४८–४९	..	१·७५	१·९८

इस प्रकार स्थानीय रूप से भावों के ऊंचे होने तथा पेराई के मौसम के अन्त में बड़े परिमाण में शक्कर के बचे रहने की इन दोनों बुराइयों के लिये वाहन सम्बन्धी कठिनाइयां जिम्मेदार थीं जिसका फल यह हुआ कि अगले पेराई मौसम में उत्पादन कार्य तो मन्द पड़ ही गया था, साथ ही इसके कारण अगले मौसम में श.कर के मूल्य में पर्याप्त रूप से कोई कमी करने में भी बाधा उपस्थित हो गई।

काफी पहले से कोशिश करने के बावजूद भी वाहन स.बन्धी समस्या १९४८–४९ के पेराई मौसम में भो मार्च, १९४९ ई० तक कष्टसाध्य बनी रही। फरवरी, १९४९ ई० के अन्त में इंडियन शुगर सिंडीकेट के चेरयमैन को इस बात की आशंका थी कि यदि वाहन सम्बन्धी सुविधाओं में यथेष्ट रूप से सुधार न हुआ तो १ दिसम्बर, १९४९ ई० को ३ लाख टन शेषांश रह जायगा। फलतः शक्कर उद्योग ने शेषांश में कमी करने के लिये किसी रूप में राज सहायता देकर निर्यात करने का सुझाव दिया। इसलिये भारत सरकार ने ऐसे भाव पर निर्यात करने की सुविधा देने की गरज से, जो शक्कर के संसार भर के भाव से मुकाबिला कर सके, भारत में बिकने वाली श कर के मूल्य में ४ आ० प्रति मन और वृद्धि करने की अनुमति दे दी। विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप शकर की वाहन स बन्धी स्थिति काफी सुधर गयी और खपत के केन्द्रों में अस्थायी तौर से बढ़े हुए भाव, जिनके बारे में शिकायतें की गई थीं कुछ कम हो गये। बताया गया कि मई सन् १९४९ ई० तक एक्स–फैक्ट्री (फैक्ट्री के बाहर का) भाव उस अधिकतम भाव से काफी नीचे रहा जिस पर समझौता हुआ था, और प्रत्येक फैक्ट्री को इस वर्ष के उत्पादन का ६० प्रतिशत भाग बेच दिये जाने की अनुमति दे दी गई थी। बिक्री के लिये शकर के कोटों (quotas) को देने और उनके पहुंचाने के बीच के समय का ध्यान रखते हुए तथा पिछले मौसम में जितनी शकर बची थी उसको दृष्टि में रखते हुए तथा इस आशंका का विचार करते हुए कि राजनीतिक कारणों से तथा विदेशी शकर की तुलना में भारतीय शकर का मूल्य अधिक होने से पाकिस्तान की मंडी में जो २·५ लाख

टन की भारतीय शकर की अनुमानित खपत थी उसकी मांग उतनी अब न रह सकेगी, इस ६० प्रतिशत शकर को बिक्री के लिये देना उचित ही समझा गया। गन्ने का काफी अधिक मूल्य होने और बढ़े हुए उपकर (सेस) के कारण रुपया मुश्किल से मिलता था और कार्य संचालन के लिये पूंजी के रूप में काफी रुपयों की जरूरत थी। फिर भी गन्ने के मूल्य, उपकर (सेस) सहकारी समितियों के कमीशन के प्रबंध में किये गये वादों तथा शकर के स्टाक के आधार पर लिये गये अग्रऋणों का भुगतान करने के लिये रुपयों का प्रबन्ध करना ही था और एकमात्र साधन जिसके द्वारा फैक्टरियों को काफी नकद रुपया मिल सकता था वह था शक्कर की शीघ्रता के साथ बिक्री करना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को और साथ ही सरकार को भी इस बात का प्रयत्न करना था कि अधिक से अधिक शकर बेची जाय उसे बेचने में सुविधायें दी जायें कम से कम यह तो करना ही था कि शकर की काफी सप्लाई उन बाजारों को होती रहे जहां शकर की खपत होती है ताकि फुटकर मूल्य उचित स्तर पर कायम रहे सकें। जून में इस बात की शिकायतें भी मिलीं की फैक्टरियां उस वाहन व्यवस्था का उपयोग नहीं कर रही हैं जो उनके लिये की गई थीं तथा एक न एक कारण से वे स्टाकों की निकासी नहीं कर रही हैं। इसलिये इंडियन शुगर सिंडीकेट को चेतावनी दी गई कि बहुत बड़ी मात्रा में शकर की बचत न होने पाये और उससे कहा गया कि वह खपत के स्थानों में शकर भेजना जारी रक्खे। परन्तु जुलाई में शकर के मूल्य बढ़ने लगे और सरकार को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि फैक्टरियों ने भी 'प्रीमियम' पर बिक्री करनी आरम्भ कर दी। इस विषय पर इंडियन शुगर सिंडीकेट को लिखा गया और जुलाई के मध्य तक उत्पादन का ८० प्रतिशत भाग बिक्री के लिये स्टाक से निकाल दिया गया और शकर पहुंचाने का काम भी शीघ्रता से होने लगा। परन्तु जबकि एक ओर यह सुझाव दिया गया कि कोटा (quotas) देने तथा बिक्री करने में कुछ पाबन्दी लगा दी जाय, वहां दूसरी ओर शुगर कमीशन से और अधिक कोटा दिये जाने के लिये बराबर अनुमति मांगी जा रही थी। कमीशन ने इस मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी, यद्यपि यह राय देने में बहुत देर कर दी गई थी। उसने यह भी सलाह दी कि १० प्रतिशत स्टाक रोक लिया जाय और उसे अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में बचने के लिये धीरे-धीरे दिया जाय। फिर भी कुछ फैक्टरियों को विशेष वित्तीय कठिनाइयों जैसे कारणों के आधार पर विशेष कोटे दिये गये और दूसरों ने तो सिन्डीकेट द्वारा कोटा न दिये जाने पर भी शकर बेची। १२ अगस्त, १९४९ ई० को शकर के निरन्तर बढ़ते हुए फुटकर मूल्य में कुछ रोक लगाने के उद्देश्य से युक्त प्रान्तीय सरकार ने यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा ११-ए के अधीन कुछ निर्दिष्ट फैक्टरियों को यह आज्ञा दी कि वे उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा वितरण के लिये यू० पी० प्राविन्शियल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को थोड़ी सी शक्कर अर्थात् ७५० टन फैक्टरी के बाहर २९ रु० १ आ० प्रतिमन के अधिकतम मूल्य पर दें। इससे युक्त प्रान्त के बाजारों के फुटकर मूल्य में कुछ स्थिरता आ गई। इसके बाद १६ अगस्त, १९४९ ई० को भारत सरकार ने तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के निमित्त एक बैठक की जिसमें मूल्यों की वृद्धि पर पुनर्विचार किया गया। इस बैठक में शक्कर उद्योगपतियों और व्यापारियों ने स्पष्ट रूप से यह अनुभव किया कि कन्ट्रोल की कोई योजना लागू की जाय और इसके फलस्वरूप शक्कर के लाने-ले जाने का काम बड़ी तेजी के साथ होने लगा।

शक्कर के मूल्य में होने वाली असाधारण वृद्धि की समस्या की ओर प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों सरकारें बराबर ध्यान दे रही थीं और काफी सोच-विचार करने के बाद तथा शक्कर की बिक्री और उसके यातायात के प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद प्रान्तीय सरकार ने निश्चय किया कि यदि फैक्टरियों के स्टाक तुरन्त ही जब्त न कर लिये जायेंगे तो वे वितरित कर दिये जायेंगे और अप्राप्य हो जायेंगे। अतः २५ अगस्त, १९४९ ई० को युक्त प्रान्त की सरकार ने यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा १९-ए के अधीन अपने अधिकारों को काम में लाकर यह आदेश दिया कि उक्त तारीख के पश्चात् शकर केवल उन्हीं व्यक्तियों के हाथ बेची जा सकती है जिनके नाम सरकार बतायेगी और वह भी केवल प्रामाणिक किस्म की शकर के लिये फैक्ट्री के बाहर २९ रु० १ आ० प्रति मन के मूल्य पर। थोड़ी सी शक्कर यानी १,००० टन फिर यू० पी० प्राविन्शियल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को देने को आज्ञा दी गई परन्तु इस थोड़ी सी शक्कर के दिये जाने के अतिरिक्त जो कि फेडरेशन को वास्तव में बहुत देर से मिली ऐसी सारी शक्कर, जो जब्त कर ली गई थी, सम्पूर्ण देश के लिये इस उद्देश्य से रोक ली गई कि उसका वितरण भारत सरकार द्वारा रोजनों के लिये नियत की जाने वाली शक्कर की मात्रा के अनुसार किया जायगा। शकर की इन नियत मात्राओं को निर्धारित करने में कुछ समय लग गया और इस बीच भारत सरकार ने २ सितम्बर, १९४९ ई० को अपनी नई आज्ञायें जारी कर दीं जिनके अनुसार देश भर की शकर की फैक्टरियों के स्टाक जब्त कर लिये गये। अपनी इन आज्ञाओं के साथ-साथ भारत सरकार ने एसेन्शियल सप्लाइज ऐक्ट को शक्कर पर भी लागू कर दिया और प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वे बाजारों में विक्रेताओं तथा अन्य व्यक्तियों से शक्कर के स्टाक को अपने कब्जे में ले लें। शकर को इस प्रकार एसेन्शियल सप्लाइज ऐक्ट के अन्तर्गत लाने तथा प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिये जाने के समय तक एकमात्र कानून, जिसके अधीन यू० पी० सरकार कार्यवाही कर सकती थी, यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल ऐक्ट था जो केवल शक्कर की फैक्टरियों तथा इंडियन शुगर सिंडिकेट पर ही लागू होता था।

२५ अगस्त, १९४९ ई० को संयुक्त प्रान्त की फैक्टरियों में जब्त किया हुआ स्टाक ८२,५०० टन था जो कि संयुक्त प्रान्त और बिहार के उत्पादन के १० प्रतिशत भाग से कुछ ही अधिक था। १५ अगस्त, १९४९ ई० को शुगर सिन्डीकेट ने जितना कोटा बेचने के लिये दिया था वह ६·४५ लाख टन था अर्थात् उत्पादन का ८९·८ प्रतिशत। यदि २५ अगस्त, १९४९ ई० को उत्तर प्रदेश सरकार ने कारखानों के स्टाक को जब्त न किया होता तो यह सम्भावना थी कि देश के किसी भी भाग में नियंत्रित बिक्री के लिये शक्कर का बहुत ही कम स्टाक उपलब्ध होता और शक्कर की कीमत सितम्बर, १९४९ ई० के बाद के महीनों में जितनी बढ़ी थी उससे भी अधिक बढ़ जाती।

१९४९–५० का मौसम (season)

शकर की तत्कालीन कमी का विचार करते हुए प्रान्तीय और केन्द्रीय दोनों ही सरकारें १९४९–५० के गन्ना पेरने के मौसम में शकर के उत्पादन को यथासम्भव अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये व्यग्र थीं। गन्ना पेरने के मौसम के प्रारम्भ होने के ठीक पहले विशेष बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें (१) गन्ना पेरने के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ

करने की सम्भावना पर और (२) अधिक से अधिक शकर उत्पादन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये इस उद्योग के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इन उद्देश्यों को पूरा करने की चिंता में तथा शक्कर का यथासम्भव अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योगपतियों को प्रलोभन देने के विचार से प्रान्तीय सरकार ने यह वचन दिया कि पिछले मौसम में फैक्टरियों ने जितना गन्ना पेरा था उससे अधिक जितना भी गन्ना वे १९४९–५० के गन्ना पेरने के सीजन में पेरेंगी उस पर उनको उपकर (cess) में छूट दी जायगी। पश्चिमी और रुहेलखंड के रेन्जों में स्थित फैक्टरियों के संबन्ध में पेरे गये अतिरिक्त गन्ने पर जो कर देय था उसका आधा माफ किया जाने वाला था और उन फैक्टरियों के संबन्ध में, जो पूर्वी, मध्य पूर्वी और केन्द्रीय रेन्जों में स्थित हैं, पेरे गये अतिरिक्त गन्ने पर सम्पूर्ण देय उप–कर (cess) माफ कर दिया जाने वाला था। भारत सरकार ने भी यह वचन दिया कि वह अतिरिक्त उत्पादन शक्कर पर देय उत्पादन–कर (excise duty) की छूट दे देगी। उसने गुड़ लाने–ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा वायदे के किसी भी प्रकार के सौदे किये जाने की मनाही कर दी।

सरकार की यह भी इच्छा थी कि गन्ने की कीमत और भी कम करदी जाय और यह प्रश्न विचारार्थ शुगर कन्ट्रोल बोर्ड के सामने रखा गया। परन्तु गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि कीमत में किसी प्रकार की कमी किये जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने और भी अधिक कीमत की मांग की क्योंकि उनका ख्याल था कि १ रु० १० आ० प्रति मन के हिसाब से गन्ने की जो कीमत नियत की गई थी उसमें उत्पादकों को काफी मुनाफे की गुंजाइश नहीं थी जबकि इसे विपरीत चीजों के मूल्य में कमी करने की सरकार की सामान्य नीति का विचार करते हुये उद्योगपतियों की राय यह थी की कीमत १ रु० ८ आना प्रतिमन नियत की जाय। परन्तु गुड़ की कीमत असाधारण रूप से बढ़ गई थी, गेहूं १८ रु० १० आना ११ पा० के हिसाब से और चावल २१ रु० ९ आ० ६ पा० के हिसाब से बिक रहा था और यह आशंका हुई कि गन्ने के मूल्य में कोई भी कमी करने से समूचे उद्योग को [illegible] च सकती है और यह भी हो सकता है कि फैक्टरियों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना न मिले। ऐसी परिस्थिति में संबंधित मौसम के लिये गन्ने का मूल्य १ रु० १० आ० रहने दिया गया, गुड़ का भाव फिर २८ रु० ८ आ० प्रति मन निर्धारित किया गया और गन्ने पर ३ आना प्रति मन के हिसाब से उपकर (cess) लिया जाना जारी रखा गया।

५१—प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड

मई, १९४९ ई० मे जन–स्वास्थ्य बोर्ड के स्थान पर प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड बना दिया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे:—

सदस्य	
१—माननीय श्री सी० बी० गुप्त, स्वास्थ्य मंत्री	चेयरमैन
२—चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं (स्वास्थ्य) के संचालक, संयुक्त प्रान्त	सरकारी सदस्य
३—चीफ इंजीनियर, जन–स्वास्थ्य विभाग, संयुक्त प्रान्त	
४—श्री जी० के० जैतली, एम० एल० ए०, फैजाबाद	गैर–सरकारी सदस्य
५—डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी, एम० एल० ए०, कानपुर	
६—श्री मोहम्मद जमशेद अली खां, एम० एल० ए०, बागपत, मेरठ	
७—श्री आर० वी० धुलेकर, एम० एल० ए०, झांसी	
८—श्री भगवानदीन मिश्र, एम० एल० ए०, बहराइच	
९—श्री रामचन्द्र गुप्त, एम० एल० ए०, आगरा	
१०—डाक्टर मुरारी लाल रोहतगी, एम० एल० सी०, कानपुर	
११—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, एम० एल० ए०, इलाहाबाद	
१२—श्री दाऊदयाल खन्ना, एम० एल० ए०, मुरादाबाद	
१३—श्री आचार्य नरेन्द्रदेव, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	
१४—श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी, चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, हरद्वार	
१५—श्री उदय शंकर दुबे, प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बस्ती	

प्रान्तीय स्वास्थ्य परिषद्

एक प्रान्तीय स्वास्थ्य परिषद् (कौंसिल) भी बनाई गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे:—

सदस्य	
१—चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक, संयुक्त प्रान्त	चेयरमैन
२—चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के उपसंचालक, संयुक्त प्रान्त	अपने पद के कारण सदस्य
३—चीफ इंजीनियर, जन–स्वास्थ्य विभाग, संयुक्त प्रान्त	

४—डाक्टर एल० एन० बसु, एम० बी०, इलाहाबाद

५—डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, एम० एल० ए०, कानपुर

६—श्री पी० के० धवन, बी० एस-सी० (टेकनोलाजी) इंडियन केमिकल्स लिमिटेड, लखनऊ

७—कुमारी एल० विलियम्स, स्थानापन्न सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सर्विसेज़, संयुक्त प्रान्त, लखनऊ

८—डाक्टर सी० बी० सिंह, एम० बी० एफ० आर० सी० एस०, पी० एम० एस०, प्रोफेसर आफ एनाटोमी, मेडिकल कालेज, आगरा

९—डाक्टर बी० बी० भाटिया, एम० डी०, एम० आर० सी० पी०, चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष, मेडिकल कालेज, लखनऊ

१०—डाक्टर ए० एन० दास, डी० पी० एच०, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं (स्वास्थ्य) के उपसंचालक, लखनऊ

११—जगह भरी नहीं गई

} गैर-सरकारी सदस्य

बैठकें

आलोच्य वर्ष में जन-स्वास्थ्य बोर्ड और प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड की सात बैठकें हुईं जिनमें इन बोर्डों द्वारा नियुक्त की गयी उपसमितियों की बैठकें भी सम्मिलित हैं।

कोष

गांवों तथा नगरों में स्वच्छता संबंधी कार्यों में सुधार करने तथा तीर्थ-स्थानों को विशेष सहायता देने के निमित्त स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान देने के लिये ६·५० लाख रुपये की एक धनराशि बोर्ड को सुपुर्द कर दी गयी। उसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों के गावों में पक्के कुएं बनाने के संबंध में ऋण देने के लिये भी वित्तीय वर्ष १९४८-४९ और १९४९-५० में क्रमशः १,५०,००० रु० तथा १,००,००० रु० की धन-राशियां बोर्ड को दी गयीं।

अनुदान

स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिये सहायक अनुदान की प्रार्थना के अतिरिक्त स्थानीय निकायों ने अपनी जल व्यवस्था तथा गन्दे पानी के निकास संबंधी योजनाओं के सिलसिले में सहायक अनुदान की विभिन्न मांगें भेजीं जिन्हें बोर्ड धनाभाव के कारण स्वीकृत करने में असमर्थ था। फिर भी बोर्ड ने योजनाओं की आवश्यकता तथा संबंधित म्युनिसिपैलिटी की वित्तीय स्थिति का ध्यान रखते हुए सहायता पाने योग्य निकायों की योजनाओं को स्वीकृत करने का भरसक प्रयत्न किया।

ऋण

जिला मैजिस्ट्रेटों तथा जिला विकास समितियों की मार्फत ऋण स्वीकृत किये जाने के संबंध में गांव वालों के अनेक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए किन्तु बहुत सी दशाओं में जन स्वास्थ्य विभाग के स्तर के अनुसार उपयुक्त तखमीनों और योजनाओं के न होने के कारण ऋण नहीं दिये जा सके।

स्वास्थ्य शिक्षा

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड की उदघाटन-सभा के अवसर पर इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि जन स्वास्थ्य के सुधार के लिये स्वास्थ्य शिक्षा

अत्यावश्यक है। तदनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करने के तरीकों और साधनों के संबंध में परामर्श देने तथा लागत के तखमीने के साथ शीघ्र ही सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये एक उपसमिति बनाई गई और इसकी सिफारिशों में (१) कक्षा ३ से कक्षा दस तक हाईजीन (स्वास्थ्य रक्षा) का पृथक् और अनिवार्य विषय के रूप में बढ़ाया जाना, (२) स्वास्थ्य शिक्षा के लिये क्रमबद्ध पाठ्य विषय का एक समिति द्वारा तैयार किया जाना, (३) हाईजीन (स्वास्थ्य रक्षा) के सम्पूर्ण विषय पर प्रत्येक १५ दिन के लिये रिफ्रेशर कक्षायें करके प्रत्येक स्कूल के लिये एक अध्यापक के हिसाब से अध्यापकों को ट्रेनिंग का दिया जाना, (४) गांवों में सर्किल स्वास्थ्य समितियों का बनाया जाना, (५) साहित्य, फिल्मों, इश्तहारों आदि द्वारा लोगों में स्वास्थ्य संबंधी प्रचार का किया जाना सम्मिलित था। समिति ने तखमीना लगाया कि इस योजना पर ५,७०,००० रुपये वार्षिक और १०,७५,६२५ रुपये इकमुश्त व्यय होंगे। उसकी सिफारिशों को प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड ने विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया और उन्हें सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया।

गांवों की सफाई

गांवों की सफाई की समस्या के सभी पहलुओं के संबंध में जांच करने तथा व्यापक सिफारिशें करने के लिये फरवरी, १९४९ ई० में जन-स्वास्थ्य के पुराने बोर्ड की एक बैठक में एक उपसमिति नियुक्त हुई थी। उपसमिति ने नीचे दी हुई सिफारिशें कीं:—

(१) बहुत से गांव में एक लाख पक्के और कम गहरे कुएं बनाना,

(२) सरकारी बिजली के कुओं के सन्निकट स्थित गांवों में पानी सप्लाई करना,

(३) गन्दे पानी के निकास के लिये घरों और गलियारों के किनारे पक्की नालियां बनाना,

(४) खेतों में आम लोगों के लिये खाईनुमा पाखाने बनाना, और

(५) ग्राम पंचायतों आदि द्वारा देहाती क्षेत्रों में मकान बनाने की योजनायें तैयार करना और उनका विकास करना। ये सिफारिशें सरकार के पास सूचनार्थ और डिवीजनों के कमिश्नरों और जिला मैजिस्ट्रेटों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी गयीं।

मेहतरों के क्वार्टर

म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा मेहतरों के क्वार्टरों की व्यवस्था किये जाने के लिये प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के चीफ इंजीनियर द्वारा तैयार किये हुए १५,००० रुपये के तखमीने को स्वीकृत किया और निश्चय किया कि इन बोर्डों के नाम एक परिपत्र जारी किया जाय, जिसके साथ सरकार द्वारा स्वीकृत तखमीने, नक्शे तथा क्वार्टरों में रहने की नियमावली भी भेजी जाय। यह भी निश्चय किया गया कि म्युनिसिपल बोर्डों को यह सूचना दे दी जाय कि सरकार ने इस कार्य के लिये कम ब्याज पर यानी ३ प्रतिशत की दर पर ऋण देने का निश्चय किया है।

देहात के पक्के कुएं

यह देखा गया कि उचित रूप से तैयार किये गये नक्शों और तखमीनों सहित ऋण के लिये प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में बहुत देरी लगती है। इसके अतिरिक्त बहुत से प्रस्तावों को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के चीफ इंजीनियर की टेक्निकल स्वीकृति नहीं मिल पाती थी और इसलिये उन्हें फिर से ठीक करने के लिये लौटा देना पड़ता था। इस लम्बी कार्यविधि से बचने तथा अधिक संख्या में गांव वालों को ऋण दिये जाने के लिये सुविधायें देने के विचार से प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड ने निश्चय किया कि

भविष्य में जिला मैजिस्ट्रेटों की सिफारिश पर गांव वालों को ऋण दिये जायं और यह कि सभी मामलों में सविस्तार तखमीने प्रस्तुत करने पर जोर न दिया जाय।

५२—सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग

स्वशासित स्थानीय निकायों के प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार करने और साथ ही लोगों का औद्योगिक, शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा करने के संबंध में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों से स्थानीय निकायों में यह भावना पैदा हो गयी कि विशेषकर जनोपयोगी निर्माण कार्यों के क्षेत्र में वे और अधिक उपयोगी सिद्ध हों। तदनुसार वर्ष के दौरान में पानी की सप्लाई, गन्दे पानी के निकास में सुधार और बहुत से नगरों म बिजली लगाने के काम के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी निर्माण-कार्यों का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया और ४५·८१ लाख रुपयों की पानी सप्लाई की १९ योजनाओं, १६३·६३ लाख रुपयों की गन्दे पानी के निकास की १५ योजनाओं और १६·२० लाख रुपये की बिजली सप्लाई तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी ३ योजनाओं के अतिरिक्त १९७·११ लाख रुपयों की पानी सप्लाई की ४८ योजनाओं, १०१·२५ लाख रुपयों की गन्दे पानी के निकास की १९ योजनाओं, ३१·५१ लाख रुपयों की बिजली सप्लाई की ४ योजनाओं और १०·७७ लाख रुपयों के अन्य स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्यों को हाथ में लिया गया। इलाहाबाद के लिये ९०·०० लाख रुपये की तखमीनी लागत पर गन्दे पानी के निकास की एक योजना तैयार की जा रही थी जिसके पूरी तरह कार्यान्वित होने पर इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी की वार्षिक आय में लगभग ७ लाख रुपये की वृद्धि हो जायगी। उन्नाव, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में बिजली लगाने की योजनायें तैयार की गयीं और उनके संबंध में निर्माण कार्य शुरू किये गये तथा भुवाली सेनिटोरियम में बिजली लगाने का कार्य समाप्त हो गया। सय्यद सालार मेले और बटे-श्वर मेले—दोनों ही प्रमुख तीर्थ स्थान हैं—के लिये पानी सप्लाई करने के निर्माण-कार्य भी समाप्त हो गये। हाथ में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में से कुछ ये थे—खुसरू बाग में एक नये फिल्टर हाउस और वेन्टूरिमीटर-हाउस का निर्माण, इलाहाबाद की छूत की बीमारियों के अस्पताल में जलकल लगाना, बनारस जल-कल के लिये साफ पानी का जलाशय, मिर्जापुर पानी सप्लाई की क्षमता बनाने के लिये १२ फीट का दूसरा मेन (main) लगाना, लंका जलाशय को नये सिरे से बनाना और लंका में राइडर मेनों को लगाना तथा आगरा में पानी की सप्लाई को पुनस्संगठित करने के संबंध में तीव्र ग्रेविटी फिल्टरों का निर्माण, देहरादून में बंदल मेन में एक दूसरा मेन लगाने का कार्य भी पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न नगरों में १७ बिजली के कुएं तैयार किये गये और कुछ तैयार हो जाने को थे। तैयार किये गये कुओं से प्रान्त की कुल पानी की सप्लाई में प्रति घंटा २,०८,९०० गैलन की वृद्धि हुई और लगभग २,००,००० लोगों को पीने का अतिरिक्त पानी मिला। अल्मोड़ा जिले में पांच गांवों को नलों द्वारा पानी सप्लाई किया गया और गढ़वाल के पांच गांवों को इस प्रकार का पानी सप्लाई किये जाने का कार्य भी हाथ में लिया जा चुका था। म्युनिसिपैलिटी के पानी सप्लाई और गन्दे पानी के निकास संबंधी निर्माण कार्य करने के लिये विभिन्न नगरों को सहायक अनुदान के रूप में १२ लाख रुपये और ऋण के रूप में लगभग ६७ लाख रुपये देने के लिये

प्रान्तीय बजट में व्यवस्था की गयी थी। विभाग के एक इंजीनियर को भारत सरकार द्वारा दी गयी यात्रा संबंधी फेलोशिप देकर गंदे पानी को ठिकाने लगाने और उसकी गैस को उपयोग में लाने, पानी साफ करने के नवीनतम तरीकों तथा नगर और गांवों की प्लानिंग के संबंध में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा गया।

नगर तथा ग्राम संबंधी योजना बनाने वाले अधिकारी (Planner) के कार्यालय ने, जिसे १९४८ ई० में विकास संबंधी योजनाओं को तैयार करने में स्थानीय निकायों का पथ-प्रदर्शन करने और उन्हें परामर्श देने के लिये योजना विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय संगठन की आवश्यकतायें पूरी करने के निमित्त स्थापित किया गया था, देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और मोदीनगर के लिये शरणार्थी बस्तियों और नगर प्लानिंग के संबंध में योजनायें तैयार कीं। इटावा और खादर उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत गांवों के संबंध में भी योजना बनाने का कार्य किया गया। घर बनाने तथा नगर निर्माण योजना के कार्यों में सरकार को परामर्श देने के लिये एक टाउन प्लानिंग ऐड हाक बोर्ड स्थापित किया गया। टाउन प्लानिंग ऐण्ड हाउसिंग बिल में भी और प्रगति हुई।

५३—बिजली

विद्युत् शक्ति

बिजली सप्लाई करने वाले कारखानों की संख्या ४० रही, जो कि ११३ बिजलीयुक्त नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। इन ४० कारखानों (undertakings) में से ८ कारखाने स्थानीय निकायों द्वारा, ३० प्राइवेट कम्पनियों द्वारा और २ राज्य सरकार द्वारा चलाये गये। इस वर्ष बिजली के झटके से मृत्यु की ३९ दुर्घटनायें हुईं जबकि पिछले वर्ष ऐसी ३२ दुर्घटनायें हुई थीं। बिजली इंस्पेक्टर ने बिजली लगाये गये १,९६७ स्थानों का निरीक्षण किया और ३,६६,९७५ रु० की लागत के बिजली संबंधी कार्य किये। बिजली के ठेकेदारों की संख्या ४१७ थी और सर्टिफिकेट प्राप्त वायरमैनों की संख्या १,५६७ थी।

विद्युत् नियंत्रण

सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप जिनसे औद्योगीकरण में तथा विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के कार्य में प्रेरणा मिली घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के कार्यों में काम में लायी जाने वाली विद्युत् शक्ति की मांग सप्लाई से कहीं अधिक बढ़ गयी। विदेशों से बिजली स्थिरयंत्र और सज्जा प्राप्त करने में अब भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा और बिजली सप्लाई करने वाले सार्वजनिक कारखानों (public electric supply undertakings) के लिये बिजली के स्थिरयंत्रों में साधारण परिवर्तन तथा परिवर्द्धन कर सकना संभव नहीं था। इन कारणों से धीरे-धीरे बिजली सप्लाई करने और उसके उपयोग पर नियंत्रण जारी रखने की आवश्यकता हुई।

५४—कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन

कानपुर बिजली सप्लाई कारखाना, जिसे सरकार ने ६ सितम्बर, १९४७ ई० को एक प्रमुख राष्ट्रीकृत उद्योग के रूप में चलाने के लिये कानपुर बिजली सप्लाई कारपोरेशन, लिमिटेड से अपने हाथ में लिया था, वर्ष भर बराबर उन्नति करता रहा। उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष के आरंभ में १६,८३७ थी और वर्ष के अन्त में यह संख्या बढ़कर २१,०७३ हो गयी, लेकिन फिर भी उपलब्ध सप्लाई के मुकाबिले में मांग काफी अधिक थी। इसलिये इस अपेक्षित मांग को पूरा करने के वास्ते कारखाने ने १५,००० किलोवाट

विद्युत् प्रसार प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, जिसके अन्तर्गत लगभग २·१६ करोड़ रुपये की लागत पर एक अतिरिक्त विद्युत् उत्पादक स्थिरयंत्र और वितरण सज्जा खरीदी जायेगी। लगभग १.२ करोड़ रुपये की लागत की कुल सामग्री के लिये पहिले ही से आर्डर दिये जा चुके थे और योजना (project) को कार्यान्वित किये जाने के कार्य में काफी प्रगति रही।

५५—कानपुर विकास बोर्ड

कानपुर विकास बोर्ड ने कानपुर के वास्ते एक मास्टर प्लान बनाया। इसी बीच सरकार ने १० लाख रुपये इसे अग्रऋण के रूप में गोविन्दनगर तथा घसरामऊ के क्षेत्रों में सुधार कार्य करने के लिये दिये। इस कार्य में ८,१३,५७६ रु० पहिले ही व्यय किये जा चुके थे और ३१ मार्च, १९५० ई० तक ५ लाख रुपया और व्यय होने की संभावना थी। १९४८–४९ में बोर्ड को २४ लाख रुपये का भी एक ऋण विस्थापित व्यक्तियों के वास्ते १,२०० मकान बनाने के लिये दिया गया। बोर्ड ने इन मकानों को ६ महीने की ही अवधि में तैयार कर दिया जैसा कि पहिले कभी नहीं हुआ। इस सारी बस्ती के निर्माण करने में लगभग ३६ लाख रुपये की कुल लागत की आशा की गयी थी, जिसमें भूमि, मकान और अन्य सुधार कार्यों पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

५६—टाम्सन इंजीनियरिंग कालेज, रुड़की

इस कालेज में भर्ती होने के लिये लोगों की उत्सुकता इस वर्ष भी पूर्ववत् जारी रही और इंजीनियरिंग की कक्षा में भर्ती होने के लिये ९५७ उम्मीदवार और ओवरसियरी तथा ड्राफ्ट्समैन की कक्षाओं के लिये ७६७ उम्मीदवार परीक्षा में बैठे। इन परीक्षाओं के फलस्वरूप सिविल एलेक्ट्रिकल तथा मिकेनिकल इंजीनियरिंग की इन ३ शाखाओं में ६२ विद्यार्थी भर्ती किये गये अर्थात् ३३ सिविल इंजीनियरिंग में, १४ एलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में और १५ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में। इनके अतिरिक्त २ विद्यार्थी बर्मा के भी भर्ती किये गये। भर्ती होने के लिये ली जाने वाली परीक्षा में कोई महिला नहीं बैठी और अनुसूचित जाति का कोई भी उम्मीदवार भर्ती के लिये ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। ओवरसियरी की कक्षा में भर्ती होने के लिये जितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे उनमें से ८० ओवरसियरी कक्षा के लिये और १५ ड्राफ्ट्समैन की कक्षा के लिये भर्ती किये गये। तीस विद्यार्थी सिविल इंजीनियरिंग कक्षा की अंतिम परीक्षा में पास हुये अर्थात् १८ एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और १२ मेकेनिकल इंजीनियरिंग और इन्हें रुड़की में विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम कन्वोकेशन में, जो २५ नवम्बर, १९४९ ई० को हुआ, बेचलर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री दी गई। १९४८ ई० में जितने विद्यार्थी पास हुये थे उन्हें भी इस कनवोकेशन के अवसर पर डिग्रियां प्रदान की गईं। ७९ विद्यार्थी ओवरसियरी कक्षा की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुये और उन्हें प्रमाण-पत्र दिये गये। इंजीनियरिंग तथा ओवरसियरी कक्षाओं के सब योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में क्रियात्मक ट्रेनिंग के लिये ले लिया गया।

टाम्सन इंजीनियरिंग कालेज इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के स्तर का बना दिया गया है। यह कालेज भारत के इंजीनियरिंग के सबसे प्राचीन कालेजों में से है और इसे स्थापित हुये तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा देते हुये १०० साल से अधिक हो गये हैं। शताब्दि महोत्सव तथा रुड़की विश्वविद्यालय का उद्घाटन नवम्बर, २४,२५ और २६ को हुआ और लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी० ए० हार्ट इस नये विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम वाइस-चान्सलर नियुक्त किये गये।

५७—सरकारी कार्यालयों का निरीक्षक वर्ग

सरकारी कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक (चीफ इंस्पेक्टर) निरीक्षक-वर्ग (इंस्पेक्टोरेट) तथा रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल, स्टाम्पों के चीफ इंस्पेक्टर और बोर्ड माल के जूनियर सेक्रेटरी के संयुक्त पदों का भी प्रशासकीय कार्यभार ग्रहण किये रहे। उनकी सहायता के लिये कार्यालयों के सात निरीक्षक (इंस्पेक्टर) थे, जिनमें से एक निरीक्षक-अधीक्षक (इंस्पेक्टर-सुपरिन्टेंडेंट) की हैसियत से मुख्यालय में काम कर रहे थे। अन्य ६ इंस्पेक्टरों में से प्रत्येक लगभग उन आठ या नौ जिलों का कार्य भार संभाले हुये थे, जिन्हें निरीक्षण के प्रयोजन से छः सर्किलों में बांट दिया गया था और उनके मुख्यालय लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, बनारस और गोरखपुर में थे।

निरीक्षण

निरीक्षक-वर्ग ने विशेषतया विभिन्न कार्यालयों के कार्य को सरल बनाने, कार्यालय संबंधी कार्यविधि के दोषों को दूर करने और काम को कुशलता तथा शीघ्रता से निबटाने के लिये उपाय सोचने में अपना ध्यान दिया। इसने ७२६ कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें कर्मचारि-वर्ग के संबंध में ६७ जांचें सम्मिलित हैं, जब कि पिछले वर्ष की गई जांचों का औसत ४४ से कम था। इसने विभागों के अध्यक्षों को उनके अधीन कार्यालयों की कार्यविधि के नियमों को बनाने और उनमें संशोधन करने के संबंध में सलाह देने के साथ-साथ सहायता भी दी। निरीक्षक-

व्यय

वर्ग (इंस्पेक्टोरेट) पर लगभग ९८,००० रु० से अधिक व्यय हुआ।

५८—स्थानीय कोष लेखा परीक्षा

लेखे की संख्या

अनेकों धर्मस्व न्यास कोष (Endowment Trust Fund) के अतिरिक्त, जो म्युनिसिपल तथा जिला बोर्डों के लेखे में सम्मिलित रहते हैं, स्थानीय कोष लेखा परीक्षा विभाग के जिम्मे परीक्षाधीन

निरीक्षण

कुल २,७०२ लेखे थे। गजटेड अफसरों द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या १,०६३ तक बढ़ गई जबकि पिछले वर्ष उनकी संख्या ७७२ थी। वर्ष के दौरान में विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ी और

विकेन्द्रीकरण

वर्तमान प्रणाली का विकेन्द्रीकरण ४ केन्द्रों में किया गया तथा उसका केन्द्रीय कार्यालय (सेन्ट्रल आफिस) इलाहाबाद में रक्खा गया और प्रत्येक रेंज का चार्ज एक सहायक परीक्षक को सौंपा गया, जिनके मुख्यालय मेरठ, बरेली, कानपुर और बनारस में थे। इस विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य यह था कि स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के लेखे में, जिनकी लेखा परीक्षा स्थानीय कोष लेखा परीक्षा विभाग को करनी पड़ती है, सुधार किया जाय।

आय और व्यय के लेखे, जिनकी जांच की गई

प्रत्येक श्रेणी के लेखों की संख्या, जिनकी जांच की गई और कुल आय और व्यय, जो प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत हुआ है, उसका विवरण नीचे दिया गया है :—

क्रम-संख्या	लेखे का नाम	जांचे गये लेखे की संख्या	कुल आय	कुल व्यय
			रु०	रु०
१	म्युनिसिपैलिटियां ..	८६	४,५३,२६,४४८	४,७२,४६,३५१
२	जिला बोर्ड ..	४९	३,६३,०९,४६४	३,६१,२८,३५०
३	नोटीफाइड एरिया ..	५६	१९,१३,४४६	१७,२७,६५८
४	टाउन एरिया ..	२४१	१९,०५,१००	१८,१३,४४९
५	कोर्ट आफ वार्ड्स ..	१७२	१,१७,१६,०२३	१,१८,१८,१४७
६	कुर्क किये गये आस्थान (इस्टेट) ..	१९	८२,३५०	७७,५९८
७	दिवालिया आस्थान ..	१६९	१,९१,६०९	२,१५,०४१
८	रिसीवर तथा संरक्षक	६	५,५७,००४	४,६६,४४०
९	डफरिन कोष ..	११	६,१९,२३९	६,३६,२२१
१०	इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर ..	३	६८,९८,२१४	८८,५४,५१८
११	विश्वविद्यालय ..	३	५०,३७,०६३	५६,७१,०७१
१२	जच्चा-बच्चा हितकारी केन्द्र, जिला रेड क्रास और जूनियर रेड क्रास इत्यादि ..	२६९	११,८०,१२८	११,११,८२२
१३	ट्रस्ट (न्यास) कोष ..	४८०	९,०५,४२६	७,७२,१९०
१४	ग्राम-सुधार एसोसियेशन	४८	११,४७,३६८	२,३१,४७९

क्रम-संख्या	लेखे का नाम	जांचे गये लेखे की संख्या	कुल आय	कुल व्यय
			रु०	रु०
१५	अनुदान (औद्योगिक) ..	७	३,६६७	३,५६६
१६	अनुदान (चिकित्सा) ..	६०	७,१३,२३७	६,१४,६९२
१७	अनुदान (सिल्वर जुबिली फंड) ..	४	५०२	१,६९८
१८	सैनिकों, नाविकों और वायुयान चालकों के जिला बोर्ड ..	४८	६,१४,६७४	६,२५,९८९
१९	डिग्री कालेज ..	९	२४,२९,४३८	२४,५०,०१९
२०	वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाये ..	८४२	१,७५,३१,१२१	१,७२,९२,८३१
२१	मजदूरों का क्षतिपूरक कोष .	४६	२,७१,९१५	३,०९,७२५
२२	यू० पी० शरणार्थी सहायता कोष ..	११	१,३७,३३९	५,१९१
२३	विविध लेखे ..	६३	२२,९२,३५६	१७,०२,१७३
	वृहद् योग ..		१३,७७,८३,१३१	१३,९७,७६,२११

आय और व्यय जिनकी जांच की गई

समस्त स्थानीय निकायों की, जिनके लेखे की जांच की जाती है, कुल आय और व्यय की धनराशि क्रमशः १३,७७,८३,१०० रु० और १३,९७,७६,२०० रु० पूर्णांक थी। स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं की आय और व्यय में १९४६–४७ में क्रमशः २,५८,४३,१०० रु० तथा ३,१२,१३,२०० रु० की वृद्धि हुई। साथ ही लेखा परीक्षा शुल्क के कारण ऐसे स्थानीय निकायों से, जिनके लेखे की जांच रुपया लेकर की गयी थी, जो आमदनी हुई उसके फलस्वरूप ७५,००० रु० से अधिक की वृद्धि हुई।

स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति

कई स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी और कुछ का सामान्य व्यय उनकी सामान्य आय से कहीं अधिक बढ़ गया था। इस अव्यावहारिक प्रणाली के कारण स्थानीय निकायों की रोकड़ बाकी और यहां तक कि उनकी सुरक्षित धनराशि भी कम हो गई। कई बोर्डों के दायित्व उनकी सम्पत्ति से अधिक बढ़ गये अथवा उन्हें फिर ऐसे व्यय करने पड़े, जिनकी व्यवस्था उनके बजट में नहीं थी।

बहुत सी स्थानीय निकायों के लेखे या तो असंतोषजनक थे या उनमें सुधार किया जा सकता था। कुछ मामलों के सम्बन्ध में यह बात स्पष्टरूप से देखने में आई है कि लेखे रखने का ढग बिगड़ता जा रहा है। कई बोर्डों के संबंध में तो यह बात भी पायी गई कि उनके लेखों का भलीभांति निरीक्षण नहीं किया गया है और कुछ के संबंध में तो यह देखा गया कि लेखा रखने तथा उसकी कार्यविधि के संबंध में मूलभूत सिद्धांतों का कड़ाई के साथ पालन नहीं किया गया।

लेखों की सामान्य दशा

ऐसे गबन और जालसाजी के कुल मामलों की संख्या ९३ थी जिनके बारे में विभाग को सूचना मिली या जिनका पता लेखा-परीक्षा के समय चला था। इन कारणों के फलस्वरूप जो हानियां हुई हैं वे विशेष कर आजमगढ़, बनारस, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, अतरौली, चंदौसी, जौनपुर और सहारनपुर के म्युनिसिपल बोर्ड, आंवला, गोरखपुर, मिश्रिख तथा नैमिषारण्य, अहरौरा, कर्नैलगंज तथा शिकरौरा और उतरौला की नोटीफाइड एरिया, मंडावा (बिजनौर), फतेहगंज पूरब (बरेली) और खैर (अलीगढ़) की टाउन एरिया कमेटियां, इटावा, झांसी जालौन, मिर्जापुर, मथुरा, देहरादून, कानपुर और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा खीरी, कानपुर, बिजनौर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और मुजफ्फरनगर जिलों के कोर्ट आफ वार्ड्स के आस्थानों (इस्टेट्स) के संबंध में देखने में आई है। इस असंतोषजनक वस्तुस्थिति का मुख्य कारण आवश्यक नियमों का पालन न करना, लेखा परीक्षा संबंधी निर्देशों की उपेक्षा करना, निष्प्रभाव या ढीला नियंत्रण तथा देखरेख रखने के साथ-साथ अपराधियों को साधारण दण्ड देना था। मुजफ्फरनगर कोर्ट आफ वार्ड्स, गोरखपुर विक्ट्री सेलीब्रेशन फंड, कानपुर हाई स्कूल, कानपुर डेवेलपमेंट बोर्ड का सीमेंट लेखा एवट माउन्ट कालोनी, अल्मोड़ा, बिजनौर और बरेली जिलों के मंडावर और फतेहगंज टाउन एरियाओं और बदायूं म्युनिसिपैलिटी के वार फंड लेखों की वर्ष में विशेष लेखा-परीक्षा की गई।

गबन और जालसाजी के मामले

विशेष लेखा परीक्षा

साधारणतया बोर्डों ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय पर भलीभांति नियंत्रण नहीं रक्खा। बहुत से बोर्डों में वित्तीय अनियमिततायें और अपव्यय तथा बेकायदा या फजूल खर्चों के मामले पाये गये। कई म्युनिसिपल बोर्डों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया कमेटियों को ऊंची दरों पर ठेके स्वीकृत करने और ठेकों की धनराशि में अनियमित छूट देने, तथा उनमें कमी करने अथवा लोगों को कर-मुक्त करने के कारण देय धनराशि को वसूल न करने के बारे में उचित कार्यवाही न करने के फलस्वरूप बहुत अधिक नुक़सान उठाना पड़ा। ऐसी हानियों और अनियमित व्यय को पूरा करने के लिये म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरचार्ज रूल्स, १९४१ के अधीन, जहां कहीं सम्भव हुआ, सरचार्ज लगाना पड़ा था।

अनियमित व्यय, हानियां और सरचार्ज (विशेष कर)

५६—महाप्रशासक (Administrator General) तथा राजकीय ट्रस्टी संयुक्त प्रान्त का कार्यालय

३० जून, १९४९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में २२ ट्रस्ट और १३० आस्थान (estates) प्रशासनाधीन थे, जिनसे लगभग ३,००,००० रु०

की आमदनी हुई और लगभग १२ लाख रुपये की कुल वसूली हुई। इन आस्थानों का प्रशासन आफिशियल ट्रस्टी ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेटर जेनरल्स ऐक्ट, १९१३ (१९१३ ई० के ऐक्ट, सं० २ और ३) के निदेशों के अनुसार किया गया। माननीय हाई कोर्ट द्वारा प्रदान किये गये प्रशासनादेशों (Letters of Administration) के कारण कई आस्थान प्रशासन के अन्तर्गत आये और उत्तराधिकारियों या मृत्युलेख कार्याधिकारियों (Executors) की प्रार्थना पर तथा ऐडमिनिस्ट्रेटर जेनरल्स ऐक्ट की धारा २५ के अनुसार अन्य आस्थानों का प्रशासन कार्य ग्रहण किया गया। महाप्रशासक (Administrator General) को २,००० रु० के मूल्य तक के प्रशासन या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। इस अवधि में उन्होंने ऐसे ३३ प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बहुत से दावों का फैसला किया गया और उनके संबंध में धनराशियां भुगतान की गईं तथा कुछ ऐसे आस्थान, जिनके या तो कोई उत्तराधिकारी न थे या जिनके उत्तराधिकारियों का पता नहीं चल सका, सरकार के अधिकार में आ गये।

६०--मुद्रण तथा लेखन-सामग्री

विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे पंचायत राज, सहकारिता, विकास इत्यादि के कार्यों के बढ़ जाने के कारण सरकारी प्रेसों का काम बढ़ता गया। इस वर्ष की अंतिम त्रैमासिक अवधि में सरकार की जमींदारी विनाश योजना के संबंध में बहुत से पर्चे (leaflets), पोस्टर, सनद और दूसरे फार्म बहुत ही कम समय के भीतर छापने पड़े। लखनऊ के नये प्रेस के लिये विदेशों में जो मशीनें खरीदी गई थीं उनमें से कुछ आ गयी थीं और बाकी के भी शीघ्र आने की आशा थी। आशा की जाती थी कि कम्पोजिंग और छपाई की मशीनों के आजाने पर, यह प्रेस उस कार्य का अधिकांश भाग स्वयं कर सकेगा जो दूसरे प्रेसों को दिया जा रहा था। लखनऊ में नये प्रेस की इमारत बनाने का काम संतोषजनक रूप से चल रहा था और आशा की जाती थी कि यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

विभागीय प्रेस जांच समिति (Departmental Press Enquiry Committee) ने, जो जनवरी १९४७ ई० में नियुक्त की गई थी, छपाई के व्यवसाय में ट्रेनिंग पाये हुये व्यक्तियों की कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, इलाहाबाद की विभिन्न शाखाओं में अपरेन्टिसों की ट्रेनिंग के लिये एक योजना स्वीकृत की। प्रेस कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों, छुट्टी और ओवर-टाइम के बारे में, जिसमें कर्मचारियों को उपयुक्त सुख-सुविधायें देने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, समिति की अधिकांश सिफारिशें अंतिम रूप से मान ली गयीं और उन्हें व्यावहारिक रूप दिया गया।